हिन्दी
33
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय
डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य
(20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951)

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड–33

बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 33

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 33

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951)

पहला संस्करण : 2019 (जून)
दूसरा संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN : 978-93-5109-141-7

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-129-5**

रियायत के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्य : रू 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है,

प्रकाशकः
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट :http://drambedkarwritings.gov.in
Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–110020

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुबह्मण्यम

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकंलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
तथा
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र है। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन–मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज–''सबका साथ सबका विकास'' की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्न्ता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, ''बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वांग्मय'' के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रत किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन

हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाङ्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए है।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आख़िरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ–साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ–साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत ख़ुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

15, जनपथ,
नई दिल्ली

जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी वह सब भी न कर सकें जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा।

—डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विषय सूची

खंड I

खंड II

खंड III

खंड IV

खंड V

रियायत नीति (Discount Policy)

खंड I

20 नवंबर, 1947
से
31 मार्च, 1949 तक

(1)
*विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया।

"विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 का संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

'ब्रिटिश इंडिया' अभिव्यक्ति संबंधी स्थिति के बारे में विधि सदस्य को क्या कहना है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मेरा विचार है कि इसके उत्तर में मैं तब बोलूँ जब संशोधन पेश किया जाए। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं स्थिति स्पष्ट करूँगा।

माननीय अध्यक्ष : हाँ क्योंकि इससे समय की बचत होगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन, हमारे पास वर्तमान विधि अनुकूलन आदेश नाम से एक आदेश है जिसमें पद को परिभाषित किया गया है। उस आदेश में 'ब्रिटिश इंडिया' पद परिभाषित है और उसे 'ब्रिटिश इंडिया के सभी प्रांतों' के अर्थ में परिभाषित किया गया है। अत: सदन, इस विशिष्ट विधेयक में इन दोनों में से कोई भी पद सम्मिलित करने के लिए स्वतंत्र है अनुकूलन आदेश के अधीन जिसका वही अर्थ है। हम या तो "ब्रिटिश इंडिया" का प्रयोग कर सकते हैं या "भारत के सभी प्रांतों" का, जिन का अर्थ एक-ही है। इन दो अनुकल्पों का और इनमें से हमें किसे अपनाना चाहिए, यह प्रश्न वास्तव में उस पदावली द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए जिसका प्रयोग मुख्य विधेयक में किया गया है। यह विधेयक जिसके अनुसार मात्र एक संशोधन है। विदेशी मुद्रा विनियमन से संबंधित मूल विधेयक में प्रयुक्त पद 'ब्रिटिश इंडिया' है और मेरा यह निवेदन है कि यदि इस संशोधन को बोधगम्य बनाना है तो इसमें सामान्य पदावली का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि 'ब्रिटिश इंडिया' है। उसी पदावली का प्रयोग करके कोई हानि नहीं होगी बल्कि फायदा ही होगा। पटल पर रखा गया संशोधन, मेरी राय में, शुद्ध रूप से भावुकतापूर्ण है और विधि के पाठ से "ब्रिटिश" शब्द को हटाने की कामना व्यक्त है।

श्री के. संतानम (मद्रास : साधारण) : बिल्कुल नहीं।

---

*संविधान सभा (विधायी) वाद-विवाद जिसे इसमें इसके पश्चात् सं. स. (वि.) वा. कहा गया है, खंड 1, 20 नवंबर, 1947, पृष्ठ 357

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा निवेदन है कि मूल अधिनियम और संशोधन अधिनियम के बीच एकरूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें उसी पदावली को अपनाना चाहिए जिसका प्रयोग मूल अधिनियम में किया गया है।

श्री आर.के. सिघवा (म. प्रा. और बरार : साधारण) : मैं यह जानना चाहूँगा कि यदि "ब्रिटिश" शब्द का लोप कर दिया जाए तो क्या इसमें कोई विधिक कठिनाई है?

माननीय अध्यक्ष : इसी बात की ओर तो विधि सदस्य ने संकेत किया है। मामले में गुण-दोष पर विचार किए बिना और विधि सदस्य के कथन पर प्रथम दृष्ट्या विचार करते हुए, मैं यह कह कर चर्चा को छोटी करता हूँ कि मैं इस संशोधन की इजाजत देने से इनकार करता हूँ।

---

(2)
*कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं तुरन्त यह कहना चाहूँगा कि प्रस्तावक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। श्रीमान् जी, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आधुनिक समाज में विधि का आवधिक पुनरीक्षण परम आवश्यक है। जब कोई जन विधानमंडल उसके द्वारा शासित समाज के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करते हुए स्वयं को विधायी कार्य में लगा लेता है तो कतिपय समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिनकी समीक्षा और सुधार के लिए किसी विशेषज्ञ विधि निकाय का होना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम, ऐसा होता है कि किसी कल्पना को विधि का रूप देने के लिए प्रारूपकार कतिपय पदावली का सुझाव देता है जिसे वह विधानमंडल के लेखबद्ध करने आशय के लिए समुचित और पूर्ण समझता है। किसी प्रक्रम पर न्यायपालिका और वृत्ति के सदस्यों को पता चलता है कि प्रारूपकार द्वारा प्रयुक्त पदावली गलत है और वह विधानमंडल के आशय को व्यक्त नहीं करती। इस तरह यह समस्या ऐसी समस्या बन जाती है जिस पर कोई व्यक्ति विचार करे और उसमें सुधार करके मूल आशय के अनुरूप बिठाए प्राय: ऐसा होता है कि जब कोई विधानमंडल लम्बे समय तक विधायी कार्य में लगा रहता है तो कतिपय असंगतियाँ अनजाने में उत्पन्न हो जाती हैं। न वो प्रारूपकार के लिए और न ही विधानमंडल के लिए यह हमेशा संभव होता है कि वह उसके समक्ष लाए गये विधान की के हर अंश की समीक्षा यह पता लगाने के लिए करे कि क्या वह विधान, इसके पूर्ववर्ती अन्य विधान से संगत है। अत: कालांतर में ये असंगतियाँ जमा हो जाती हैं। इनसे अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को कठिनाई होती है और इनसे मुकदमे लड़ने वाली जनता को भी परेशानी होती है। प्राय: ऐसा भी होता है कि आधुनिक समय में, जब विधान-मंडल इतना अधिक व्यस्त रहता है कि वह किसी विशिष्ट विषय पर पूर्ण विधि को संहिताबद्ध करने के लिए अपना पूरा समय देने में असमर्थ रहे तो वह अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन आंशिक और खंड:विधान अपनाकर करता है। समय के साथ इस खंड और आंशिक विधान के इकट्ठा को जाने से पुन: समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जनता यह नहीं समझ पाती कि विधि क्या है और परिणामत: संहिताकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अत: यह सुझाव देने के लिए विशेष अभिवचन की आवश्यकता नहीं है कि एक कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने बहुत पहले कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया था। वास्तव में, जैसे ही मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार क्रियान्वित किए गए और जब यह पता चला कि जन विधानमंडल है और इस बात की अधिक संभावना है कि

*सं. स. (वि.) वा. खंड II, 2 दिसंबर, 1947, पृष्ठ 1103-05

वह पूर्व विधानमंडल की तुलना में सामाजिक सुधार संबंधी विधान पर कार्य करेगा तो भारत सरकार ने, समगति से, और मॉन्टेग-चैम्सफोर्ड सुधार लागू करने के साथ-साथ 1921 में कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति नाम समिति प्रारम्भ और स्थापित की। अतः मुझे इस अन्तर्निहित प्रयोजन को स्वीकार करने में, जो मेरे आदरणीय मित्र सर हरिसिंह गौड़ के मन में भी है, कोई कठिनाई नहीं है कि कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति होनी चाहिए। उनके और मेरे मध्य मतभेद केवल इस बिन्दु

4.00 बजे अपराहन

पर है कि क्या हम ऐसी कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें जो उनके मन में है अथवा अधिक समुचित समय और अधिक समुचित पद्धति पर विचार करने के लिए यह मामला सरकार पर छोड़ दें जिससे कि उस प्रयोजन को पूरा किया जा सके जो उनके और मेरे मन में है।

जहाँ तक 1921 में स्थापित की गई कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति के प्रकार का संबंध है, मैं सदन को उस कार्य के संबंध में बताना चाहूंगा जो उसने किया और क्या वह कुछ बेहतर कार्य नहीं कर सकती थी। कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति 1921 में नियुक्ति की गई थी और यह 1932 तक रही। 1932 के पश्चात् वह समाप्त हो गई; इसका अंत स्वाभाविक रूप से हुआ अथवा अस्वाभिक रूप से हुआ, यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर मैं चर्चा प्रस्तावित करूं। किन्तु मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि इन ग्यारह वर्षों के दौरान, जब समिति समय-समय पर सत्र में रही, इसने वाणिज्यिक पोतपरिवहन अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम", वन अधिनियम और पथकर अधिनियम का संहिताकरण किया। अब, महोदय, समिति के कार्य पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने के किसी आशय के बिना मैं समझता हूँ कि इस बात पर सभी लोग सहमत होंगे कि ग्यारह वर्षों की अवधि में पांच विधियों का बनाया जाना निश्चित रूप से ऐसा बहुत बड़ा कार्य नहीं है जिसका प्रत्याशा इस प्रकार की समिति से की जा सकती थी। दूसरी ओर, समिति के विघटन के बाद जब उस कार्य को करने का दायित्व जिसे करने के लिए समिति नियुक्त की गई थी, भारत सरकार पर आया तो समिति के कार्य में किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी किए बिना भारत सरकार के विधायी विभाग को इसका श्रेय दिए बिना मैं फिर यह कहूँगा कि समिति के विघटन के पश्चात् माल विक्रय अधिनियम, 1930, भागीदारी अधिनियम, 1932, कारखाना अधिनियम, 1934, टैरिफ अधिनियम, 1934, पैट्रोलियम अधिनियम 1934, बीमा अधिनियम 1938, मोटर यान अधिनियम, 1938 और माध्यस्थम अधिनियम, 1940 बनाए गए। इन अधिनियमों के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि इनमें से प्रत्येक बहुत बड़ा विधान है। कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति, जिससे यह आशा की जाती थी कि वह अपना वचन पूरा करेगी, इसे पूरा करने में क्यों असफल रही, इसका कारण

समिति की रचना और गठन में एक बड़ा दोष था। सर्वप्रथम, समिति में छह सदस्य थे; वे अधिकतर विधानमंडल के सदस्यों में से निर्वाचित किए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्वाचित सदस्यों को पूर्णतया उनके विधिक ज्ञान और कानूनी विद्ग्धता के आधार पर निर्वाचित किया गया था, किंतु मेरी राय में यह मात्र संयोग था। समिति का अध्यक्ष, राज्य परिषद का सभापति था। यह मेरी समझ से बाहर है कि राज्य परिषद के सभापति को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के पीछे क्या औचित्य था, जिसके लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं, विशेष विधिक ज्ञान अपेक्षित था।

समिति के संबंध में दूसरी कठिनाई यह थी कि इसके सदस्य वैतनिक नहीं थे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यदि सदस्य वैतनिक न हों तो वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार नहीं करते हैं जैसी अपेक्षा सभी लोगों से निष्ठापूर्वक की जाती है। किंतु ऐसा ही हुआ और यह सत्य है कि समिति की बैठक कभी-कभी ही होती थी। समिति के सदस्य, विधानमंडल में से लिए जाने के कारण, केवल सत्र के दौरान ही बैठक करते थे और जब उनसे यह कहा जाता था कि चूंकि वे दिल्ली में उपस्थित हैं इसलिए वे अपना कुछ समय कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति के सदस्य के रूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निकालें तो वे सब यही कहा करते थे कि समिति के कार्य से उनका विधायी कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। सत्र की समाप्ति पर वे सभी स्वभाविक रूप से अपने व्यक्तिगत या वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन क लिए अपने-अपने घर वापस चले जाते थे। परिणामत: समिति इतना समय नहीं दे पाती थी जिसकी उससे आशा की जाती थी। अब, निश्चित रूप से मेरे आदरणीय मित्र सर हरि सिंह गौड़ इस बात से समहत होंगे कि यदि उनके प्रयोजन को क्रियान्वित किया जाना हो तो हमें बिल्कुल अलग ही तरह की समिति बनानी होगी। पहले जैसी समिति बनाए जाने से कुछ हासिल नहीं होगा, जिसके कारणों का उल्लेख मैं कर चुका हूँ क्योंकि वह उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाई, जो उसे सौंपे गये थे।

महोदय, अब मेरी राय में इस संबंध में आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। सर्वप्रथम, हमें एक स्थायी आयोग बनाना चाहिए जो कानून के संहिताकरण और पुनरीक्षण के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए बैठक नहीं करेगा। दूसरे, यदि यह एक स्थायी निकाय होगा तो निस्संदेह यह ऐसे विशेषज्ञों का निकाय होगा जो अपने कार्यों में निपुण हों। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यदि विशेषज्ञों को उनकी वृत्ति से अलग किया जाएगा तो हमें उन्हें बुलाने और समिति में उनकी सेवा लेने का मूल्य समझना होगा। निश्चित रूप से यह लागत का विषय है। ऐसा होने पर मेरे लिए यह संभव नहीं होगा कि मैं सुझाव दूँ कि खर्च के प्रश्न पर विचार किए बिना तुरंत और अभी यह कहें कि हम किसी भी प्रकार की कानूनी विधि पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति के लिए सहमत होंगे चाहे इसका सुझाव सर हरिसिंह गौड़ द्वारा दिया जाए या विधानमंडल के किसी अन्य सदस्य के द्वारा।

इस प्रयोजन को व्यवहार में लाने का एक और मार्ग भी है। यह भारत सरकार के विधि मंत्री, फेडरल न्यायालय के एक न्यायाधीश, भारत के महाधिवक्ता, भारत में उच्च न्यायालयों के एक या दो न्यायाधीशों और दो या तीन सुप्रसिद्ध वकीलों से मिलकर बनी एक लघु स्थायी समिति की नियुक्ति से हो सकता है। समिति से वर्ष की नियत अवधियों पर बैठकें करने के लिए कहा जा सकता है और सूचना एकत्रित करने तथा उसे समिति के समक्ष रखने के लिए भारत सरकार के विधि विभाग से सचिव के रूप में कार्य करने क लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है जिससे समिति यह तय कर सके कि क्या किया जा सकता है।

मेरे विचार में, इस प्रयोजन को कार्य रूप देने के लिए ये विभिन्न उपाय हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए समय और परीक्षण अपेक्षित है और सरकार के लिए, जो सभी प्रकार की अनन्त समस्याओं से घिरी हुई है, इस कार्य के लिए समय निकालना संभव नहीं है। यद्यपि उसे ऐसा करना होगा यदि मैं सर हरि सिंह गौड़ के संकल्प को उसी तत्परता से स्वीकार करता हूँ जिससे मुझे विश्वास है इसे प्रस्तुत किया गया था। अतः मेरा सुझाव है कि सर हरि सिंह गौड़ पूर्ण रूप से इस बात को समझेंगे कि जहाँ तक अंतिम प्रयोजन का संबंध है, मेरे और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, हम दोनों ही सहमत हैं कि यह ऐसा मामला है जिस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। एकमात्र मतभेद है कब और कैसे, और यह ऐसा मुद्दा है जिस पर वह सरकार पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए दबाव न बनाएँ अतः मेरा सुझाव है कि क्योंकि मैंने ऐसा उत्तर दिया है, जो उनके मत के आधे से अधिक आधार को पूरा करता है, अतः मैं समझता हूँ कि वह सहमत होंगे कि इसे वापस लेना श्रेयस्कर होगा।

***अध्यक्ष महोदय :** संशोधन (श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा) : पेश किया गया:–

"कि विधेयक के खंड 2 में, प्रस्तावित नई धारा 289 ख में"

(1) (57 और 58 विक्ट, ग 60) शब्द, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाए; और

(2) "(57 और 58 विक्ट, ग 60) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक हाशिया में अंतः स्थापित किए जाएँ।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। मेरा कहना है कि संशोधन में कोई सार नहीं है। पहचान करने वाला खंड या तो हाशिया में हो सकता है या स्वयं धारा के पाठ में। सबसे आवश्यक बात यह है कि कुछ पहचान होनी चाहिए। मूलतः यह सत्य है कि सभा में प्रस्तुत किए गए सभी विधेयकों में ऐसे

*सं. स. (वि.) वा. खंड II, 2 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1199-1200

पहचान-निर्देश हाशिया में दिए गए थे। किन्तु अब मुद्रकों ने निर्देशों को स्वयं धारा के पाठ में देने की पद्धति अपनाई है और इसका प्रयोजन कागज खर्च को कम करना है। उदाहरण के लिए, जब निर्देश हाशिया में दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से अधिक कागज का प्रयोग करना होगा। युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात् से कागज के प्रयोग को कम करने के लिए इस पद्धति को अपनाया गया। मेरे विचार में, इससे न तो प्रारूपण से संबंधित सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और न ही हाशिया टिप्पणी के संबंध में किसी अन्य विधि का उल्लंघन होता है। वास्तविकता तो यह है कि हाशिया टिप्पणी अनावश्यक हैं और इन्हें मुद्रित किया जाना आवश्यक नहीं है।

श्री सुरेश चन्द्र मजूमदार (पश्चिमी बंगाल : साधारण) : 'आंतरिक हाशिया' टिप्पणी जैसी चीजें से कागज बर्बाद नहीं होता।

****माननीय अध्यक्ष :** संशोधन (श्री अनन्तसयनम् द्वारा) पेश किया गया:

"कि विधेयक के खंड 2 के भाग (ग) में, 'प्रान्त' शब्द के पश्चात्, जहां कहीं वह आता है, 'या कोई राज्य' शब्द अंत: स्थापित किए जाएँ।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : चूंकि मेरे मित्र श्री अनन्तसयनम् अय्यंगर द्वारा पेश किए गए संशोधन में एक विधि प्रश्न उठाया गया है, अत: यह उचित और ठीक होगा कि मैं स्वयं इस संशोधन से उत्पन्न प्रश्न का समाधान करूं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि श्री अनन्तसयनम् अय्यंगर के संशोधन में निहित उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा विधेयक जो नर्सिंग वृत्ति से संबंधित है और जो उस वृत्ति को ऐसे आधार पर विनियमित और स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे नर्सों की सेवा लेने वाले सभी व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त हो और इसे संपूर्ण भारत में विस्तारित किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। किंतु दुर्भाग्यवश, हम जैसी स्थिति में हैं, और जिस प्रकार से हम यथा अनुकूलित भारत अधिनियम, 1935 द्वारा शासित हैं, मुझे डर है कि यह संभव नहीं हो सकेगा कि उनके संशोधन को स्वीकार किया जाए क्योंकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके संशोधन से विधेयक विधानमंडल के लिए अधिकारातीत हो जाएगा। महोदय, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस समय रियासतें भारत संघ से दो भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्बद्ध हैं। उनके सम्बद्ध होने का एक रूप ठहराव करार कहलाता है जो भारत संघ तथा विभिन्न देशी रियासतों के मध्य किया गया है। वह दूसरा सम्पर्क जिससे देशी रियासतें, भारत संघ से सम्बद्ध हैं, अंगीकार पत्र हैं। इन दोनों सम्बन्धों में एक बुनियादी अंतर है। स्टैंडस्टिल करार पूर्ण रूप से संविदात्मक होते हैं। वे उन करारों को परिरक्षित रखते हैं जो 15 अगस्त, 1947 के पूर्व पुरानी भारत सरकार और सर्वोपारिता के अधीन

**सं. स. (वि.) वा., खंड II, 9 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1580-82

देशी रियासतों के मध्य किए गए थे। जैसा कि मैंने कहा, वे पूर्णतया संविदात्मक होते हैं इनसे भारत सरकार को, ऐसी कोई अधिकारिता प्रदत्त नहीं होती जिससे वह या तो उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके या उन्हें किसी विधि का आधार बनाकर कोई ऐसा विधान बना सकें जो देशी रियासतों को आबद्ध करें। अतः, जहाँ तक हमारा संबंध है, इस विधानमंडल द्वारा केई ऐसी विधि बनाने के विषय में, जिसे देशी रियासतों पर लागू करना उद्धिष्ट हो, मेरे विचार में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ठहराव करार का आश्रय नहीं ले सकते। अतः हमें अंगीकार पत्रों का अवलंब लेना चाहिए तो एकमात्र ऐसा आधार है जो हमें कोई भी विधि पारित करने की कानूनी अधिकारिता प्रदान करता है। मेरा निवेदन है कि यदि आप अंगीकार पत्रों को उन अंगीकार पत्रों को अपनाते हैं जो जैसे वे अब विद्यमान हैं—और मैं सदन को स्पष्ट करूँगा कि मैं 'जैसे वे अब विद्यमान हैं' शब्दों पर बल क्यों दूता हूँ तो इस सदन को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं हैं। प्रथमतः यह विधान समवर्ती क्षेत्र में प्रविष्टि सं. 16 से संबधित है। जहां तक विधान के विषय का संबंध है, यह फेडरल सूची या प्रांतीय सूची से संबंधित नहीं है। यह केवल समवर्ती सूची से संबंधित हैं। अब, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, अंगीकार पत्रों द्वारा कानून बनाने की जो शक्तियां केन्द्रीय विधानमंडल को दी गई हैं, वे निश्चित रूप से समवर्ती सूची में सम्मिलित सभी मदों को अपवर्जित करती हैं। मुझे यह सोचना चाहिए था कि इस प्रतिपादना द्वारा कि समवर्ती सूचियाँ अंगीकार पत्रों के अंतर्गत नहीं आती हैं, इस सदन की अधिकारिता पूर्ण रूप से अपवर्जित है। अतः हमें मात्र इस बात का पता लगाना है कि क्या अंगीकार पत्रों के अन्तर्गत जो विभिन्न राज्यों द्वारा भारत संघ के पक्ष में परित किए गए हैं, ऐसा कुछ आता है जो समवर्ती सूची में प्रविष्टि सं. 16 से संबंधित है या उसके समतुल्य है। अब, श्रीमान् जी, ये अंगीकार पत्र सदन के पटल पर रख दिए गए हैं, और किसी भी व्यक्ति ने, जिसके पास उनकी समीक्षा करने के लिए समय हो, यह देख लिया होगा कि राज्यों ने केवल तीन विषयों की बाबत स्वीकृति दी है, और इनमें से किसी भी विषय का निर्वचन ऐसे नहीं किया जा सकता कि समवर्ती सूची में मद संख्या 16 जैसी किसी मद को शामिल किया जा सके। अतः मेरा निवेदन है कि यदि हमें अंगीकार पत्रों का अवलंब लेना हो तो भी यह सदन उन अंगीकार पत्रों से कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे माननीय मित्र श्री अनन्तसयनम् अय्यंगर ने इस कठिनाई को स्पष्ट रूप से समझा है और एक प्रतिपादता प्रस्तुत की है जो, उनके अनुसार देशी रियासतों तक विधान का विस्तार करने के लिए इस सदन द्वारा अपनाई जा सकती है। उनकी प्रतिपादना यह थी कि इस सदन द्वारा अनेक विधान पारित किए गए हैं जो प्रारंभ में कतिपय क्षेत्रों तक समिति थे, उदाहरण के लिए किसी प्रांत या जिला या किसी अन्य लघुत्तर क्षेत्र तक, और विधेयक में एक खंड सम्मिलित था जिसने कार्यपालिका को, अधिसूचना द्वारा उस विशिष्ट विधान को ऐसे अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करने में समर्थ बनाया था जिन्हें मूलतः विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया था। अब वह प्रतिपादना,

जहां तक वह ब्रिटिश इंडिया प्रांतों को लागू होती है, पूर्णतया सुदृढ़ है। किंतु यदि उसे देशी रियासतों पर लागू किया जाए तो वह पूरी तरह अस्थिर होगी और कारण यह है कि अनुरूपता पूर्णतया मिथ्या है न कि सत्य। अब, श्रीमान् जी, जब हम ऐसे विधान को जो मूलतः विधेयक में स्वयं को किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करता है, ऐसे अन्य क्षेत्र में लागू करते हैं, जिसे विधेयक पारित करते समय उसका विषय नहीं बनाया गया था तो स्थिति यह होती है कि वह क्षेत्र जिसमें विधान को बाद में विस्तारित किया गया था, उस विधान की अधिकारिता के अधीन नहीं है। यदि विधानमंडल उस विधि को उस क्षेत्र में प्रारम्भ में ही लागू करना चाहता था तो विधानमंडल को इस सरकार के संविधान की या विधानमंडल की शक्तियों में कोई बात ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी। जहां तक राज्यों का संबंध है, हमें केवल तीन विषयों के बारे में उनके क्षेत्रों के ऊपर अधिकारिता प्राप्त है, हमें पूर्ण अधिकारिता प्राप्त नहीं है। जब हम इन तीनों विषयों के संबंध में कोई विधान बनाते हैं तो हम अपनी अधिकारिता को सीमित नहीं करते हैं, वास्तव में, हम अपने विधायी प्राधिकार का प्रयोग पूर्ण विस्तार तक, जितना हमारे पास है, करते हैं, अतः यह अनुरूपता सही अनुरूपता नहीं है। जहाँ तक प्रांतों का संबंध है, कोई विधि बनाते समय, जो अधिकारिता हमें उपलब्ध है; हम उसका प्रयोग करेंगे, यदि हम ऐसा करना चाहें। देशी रियासतों–राज्यों के संबंध में स्थिति ऐसी नहीं है। सच्चाई तो यही है कि यदि कोई अनुपूरक अंगीकार पत्र पारित हो गया होता तो हमें विधि बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक अधिकारिता प्राप्त हो गई होती; किन्तु मैं अपने मित्र श्री अनन्तसयनम् अय्यंगर से कहना चाहूंगा कि विधि कभी भी परिकल्पित नहीं हो सकती और विधि को कभी भी अर्जित की जाने वाली अधिकारिता के पूर्वानुमान से पारित नहीं किया जा सकता। यह विधायन के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। विधि निश्चित होनी चाहिए। विधि में यह बात पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए कि वह कहां लागू हो सकती है और कहां नहीं। और इसीलिए, जब तक हमें राज्यों तक इस विधान को विस्तारित करने की शक्ति केन्द्रीय विधानमंडल को देने वाला अनुपूरक अंगीकार पत्र नहीं मिल जाता, मुझे विश्वास है कि हम यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि एक अंगीकार पत्र होगा जिसे गवर्नर जनरल स्वीकार करेगा और तब हमें इस विधान को विस्तारित करने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि यह विधायन के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। अतः हमें मात्र यह आशा करनी चाहिए कि इस समय हम विधेयक को ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों तक ही समिति रखें और आशा करें कि हमें ऐसे ही अंगीकार–पत्र अनुपूरक अंगीकार पत्र, देशी रियासतों से प्राप्त होंगे और तब हम या तो कानून द्वारा अपने विधान का विस्तार उन राज्यों तक करेंगे या राज्य इस विधान के साथ, समगति से, अपने स्वयं के राज्यों में समान विधान बनाएंगे तथा इस विधि के उपबंधों को अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे। श्रीमान् जी, अतः मेरा यह विचार है कि इस संशोधन से विधेयक अधिकारातीत हो जाएगा और इसीलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

माननीय अध्यक्ष : मुद्दा स्पष्ट किया जा चुका है। क्या माननीय सदस्य अब भी संशोधन पर जोर देते हैं?

श्री एम. अनन्तसयनम् अय्यंगर : जी नहीं, महोदय।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की सदन से अनुमति प्राप्त है?

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का भाग बन गया है।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

---

(3)
भारतीय नर्सिंग परिषद विधेयक

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :__ जैसा कि मैं पिछले अवसर पर बता चुका हूँ, स्थिति यह है कि यह विधान समवर्ती विधायी सूची की प्रविष्टि सं. 16 के प्रति निर्देश करता है। समवर्ती विधायी सूची के अधीन बनाए गए विधान के संबंध में कार्यपालक प्राधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित नहीं है। नियम बनाने का कार्य कार्यपालिका प्राधिकार है और केन्द्रीय सरकार के पास वह कार्यपालक प्राधिकार नहीं है, इसलिए वह नियम नहीं बना सकतीं नियम किसी अन्य के द्वारा बनाए जा सकते हैं। यदि मेरे आदरणीय मित्र को राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाने पर आपत्ति है तो नियम बनाने का कोई अन्य उपाय सुझा सकते हैं। यद्यपि वे निश्चित रूप से कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे नियम बनाने का दायित्व या प्राधिकार केन्द्रीय विधानमंडल में निहित हो जाए। भारत अधिनियम की धारा 8(1) और 1939 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 49(2) इस मुद्दे पर पूर्णतया स्पष्ट हैं।

श्री के. संथानम : यहाँ पुनः मैं देखता हूँ कि यह ऐसी विचित्र विधि है जो प्रतिपादति की गई है कि केन्द्रीय सरकार नियम नहीं बना सकती। केन्द्रीय सरकार का नाम निर्देशिती नियम बना सकती है किंतु केन्द्रीय सरकार नहीं बना सकती। वर्तमान प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रपति का नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाएं और वह नियम बनाए। आखिर यह अखिल भारतीय परिषद है और मुझ नियम बनाने के लिए भारत सरकार में ऐसा कोई प्राधिकार दिखाई नहीं देता। जहाँ तक प्रांतीय परिषदों का संबंध है, ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। अतः मेरा विचार है कि यथा प्रतिपादित विधि सर्वथा ही गलत है। केन्द्रीय सरकार के पास शक्ति होनी चाहिये। अतः मेरा यह सुझाव है कि संशोधन स्वीकार किया जाए।

---

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 8 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1486

(4)
*प्रांतेतर अधिकारिता विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के इन सदस्यों द्वारा व्यक्त कुछ संदेहों और शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने अभी तक वाद-विवाद में भाग लिया है।

श्रीमान् जी, संशोधन के माननीय प्रस्तावक द्वारा पेश किया गया एक मुद्दा यह था कि वह विधेयक सर्वोपरि अधिकारिता को पुनजीर्वित कर रहा है जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब यह बिल्कुल सत्य है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने देशी रियासतों को सर्वोपरिता के परिणामस्वरूप उन पर अधिरोपित बाध्यताओं से निर्मुक्त कर दिया था। किंतु मेरे विचार में इसका अर्थ यह है कि डोमिनियन सरकार उत्तराधिकारी राज्य के रूप में वह अधिकारिता प्राप्त नहीं कर सकती जो सर्वोपरिता से उत्पन्न हुई थी। इसका मात्र यही अर्थ निकलता है, कुछ अधिक नहीं; इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी देशी रियासत किसी करार द्वारा डोमिनियन सरकार पर ऐसे अधिकार और अधिकारिता अधिरोपित नहीं कर सकता जिनका प्रयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा उस देशी रियासत के विरुद्ध किया जाता था। मेरे विचार में वह बात की बिल्कुल अनदेखी कर दी गई है और मैं यह बात पुन: दोहराना चाहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक सर्वोपरिता का संबंध है, डोमिनियन सरकार को ब्रिटिश सरकार का उत्तराधिकारी राज्य नहीं समझा जा सकता। निश्चित रूप से, इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई देशी रियासत उन कारणों से जो उसके विचार में आज्ञापक हैं, सर्वोपरिता से उत्पन्न सदृश अधिकारिता डोमिनियन सरकार पर अधिरोपित करना चाहे तो या तो भारत अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ऐसा कुछ है जो उस देशी रियासत को ऐसा करने से निवारित करता है। मेरे विचार में इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब यह प्रश्न उठाया जाए कि वे कौन-सी देशी रियासतें हैं जहाँ यह विशिष्ट विधेयक और इसके उपबंध लागू होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर भारत की डोमिनियन सरकार के पक्ष में अनेक देशी रियासतों द्वारा पारित अंगीकार पत्रों से सम्बद्ध होना चाहिए। अत: यह समझने के लिए कि वे कौन-से राज्य हैं जहाँ यह विधयेक लागू होता है, हमें अंगीकार पत्रों का अध्ययन करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इनमें क्या अंतर्विष्ट है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, जहाँ तक देशी रियासतों के अधिमिलन का संबंध है वे तीन वर्गों में विभाजित हैं : (1) पूर्णत: अधिकारिता-प्राप्त रियासतें, (2) अर्ध अधिकारिता प्राप्त रियासतें और (3) अधिकारिताहीन राज्य। छोटे-मोटे कुछ अपवादों को छोड़कर रियासतों के तीनों वर्गों

---
*सं. स. (वि.) वा. खंड II, 2 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1559-61

ने इंडियन डोमिनियन के पक्ष में अंगीकार पत्र पारित कर दिए हैं। अब यदि माननीय सदस्य, वर्ग (2) के अंतर्गत आने वाली रियासतों द्वारा भारत की डोमिनियन के पक्ष में पारित अंगीकार पत्र के प्रति निर्देश करें तो उन्हें यह पता चलेगा कि उनके अंगीकार पत्र में यह महत्वपूर्ण खंड अंतर्विष्ट है, जिसे मैं, सभी संदेह और शंकाओं को दूर करने के आशय से, आपकी अनुज्ञा लेकर पढ़ना चाहूंगा। यह पैरा 1 है :

"और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भारत डोमिनियन ऐसे अभिकरण या अभिकरणों के माध्यम से और ऐसी रीति में जैसा वह उचित समझे, राज्य में सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन के लिए ऐसी सभी शक्तियों, प्राधिकार और अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा जो किसी समय देशी रियासतों के संबध में सम्राट के कार्यों के निष्पादन के लिए महामहिम के प्रतिनिधि द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।"

मेरा निवेदन है कि वह अर्ध अधिकारिता-प्राप्त राज्यों द्वारा पारित अंगीकार पत्र में बहुत महत्वपूर्ण खंड है। अब, यदि मेरे आदरणीय मित्र रियासतों के तीसरे वर्ग का निर्देश करना चाहें और उनके द्वारा पारित अंगीकार पत्र पढ़ें तो यह निम्नानुसार हैं :-

"चूँकि उक्त राज्य या ताल्लुका का.......... इच्छुक हूँ कि भारत डोमिनियन उक्त राज्य या ताल्लुका के संबंध में उन सभी शक्तियों और अधिकारिताओं का प्रयोग करे जो ऐसे मिलाए जाने से पूर्व देशी रियासतों के संबंध में सम्राट की ओर से महामहिम के प्रति निधि द्वारा प्रयोक्तव्य थीं" आदि।

यह एक ऐसा खंड है कि जिसे दूसरे या तीसरे वर्ग के अंतर्गत आने वाले राज्यों के अंगीकार पत्र में स्थान प्राप्त हुआ है; इसे प्रथम वर्ग अर्थात् पूर्णत: अधिकारिता प्राप्त राज्यों के अन्तर्गत आने वाले राज्यों द्वारा पारित अंगीकार पत्र में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट रूप से दो बातों का पता चलता है। पहली यह कि यह विधेयक उन राज्यों को लागू नहीं होता है जिनके अंगीकार पत्रों में यह खंड अन्तर्विष्ट नहीं है; दूसरी यह कि यह केवल उन राज्यों को लागू होता है जिनके अंगीकार पत्रों में ऐसा खंड अंतर्निहित है और जिन्होंने स्वच्छा से डोमिनियन सरकार को अधिकार प्रदान किए हैं, चाहे वे किसी संधि से अथवा ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयुक्त मौन अनुमति या प्रथा से उत्पन्न हुआ हो; उन्होंने उन्हें स्वेच्छा से भारतीय डोमिनियम को अंतरित किया है और वे भविष्य में भी ऐसा कर सकते हैं। अब केवल बिंदु यह है कि विधेयक ने केवल इतना किया है कि जहाँ किसी राज्य ने अपने अंगीकार पत्र के द्वारा डोमिनियन को अधिकारिता प्रदान की है वहाँ केंद्रीय सरकार को उस अधिकारिता का प्रयोग करने का विधिक प्राधिकार होगा। अनाधिकार हड़पने का मामला बिल्कुल नहीं है; यह मात्र ऐसे अधिकारों और अधिकारिता को विधिक प्राधिकार देना है जिन्हें देशी रियासतों द्वारा भारत की डोमिनियन को स्वेच्छा से अंतरित किया गया है। अत:, पहली बात, जिस पर

मुझे बदल देना चाहिए, यह है कि विधेयक में किसी भी ऐसी देशी रियासत के विरुद्ध किसी प्राधिकार को हड़पने का गुप्त प्रयास नहीं किया गया है जिसने इस संबंध में अपना प्राधिकार डोमिनियन सरकार को समर्पित न किया हो। मेरा विचार है कि इससे सभी संदेह और शंकाएं दूर हो जानी चाहिएं जिन्हें इस विधेयक के संबंध में इस सदन में व्यक्त किया गया है। और मैं नहीं समझता कि यदि माननीय सदस्य उस बात को ध्यान में रखे जो कुछ मैंने कहा है, तो मेरे सामने प्रस्तुत अनेक संशोधनों में से किसी की आवश्यकता होगी जो मैं आदेश पत्र में देखता हूँ।

मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ किंतु मेरे आदरणीय मित्र श्री संथानम् ने विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते समय कहा था कि कल मेरे द्वारा अपनाई गई स्थिति में और इस विधयेक से उत्पन्न स्थिति में असंगति है। मेरा ख़्याल है कि मेरे मित्र श्री संधानम् ने मेरे द्वारा कही गई बात को पूर्णतया गलत समझा है। उस समय मैंने कहा था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नर्सिंग विधेयक, समवर्ती विधायी सूची की प्रविष्टि सं. 16 से संबंधित है।, डोमिनियन सरकार द्वारा कोई अधिकारिता अर्जित किए जाने की संभावना नहीं थी क्योंकि अंगीकार पत्र और देशी रियासतों ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे भारत संघ में सम्मिलित होंगे तो भी वे केवल सूची सं. 1, जो एक फ़ेडरल सूची है, की बाबत और उसमें से भी कुछ विषयों की बाबत ही सम्मिलित होंगे। अत: मेरी दलील थी कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि भारतीय डोमिनियन किसी भी प्रकार की अधिकारिता अर्जित करे, और इसीलिए किसी भी प्रकार का विधान जिसे वे खंड I में अपने संशोधन द्वारा शामिल करना चाहते हैं निश्चित रूप से अव्यावहारिक होगा। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, भारतीय डोमिनियन द्वारा प्रांतेतर प्रकृति की और अधिकारिता अर्जित किये जाने में अंतर्निहित रूप से कुछ भी असंभव नहीं है, और इसीलिए पूर्वानुमान द्वारा इसे लागू करते हुए बनाया गया कोई विधान अव्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि संभावना सदैव बनी रहती है। अंत: मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा ली गई दो स्थितियों में कोई विसंगति नहीं है।

*__माननीय अध्यक्ष :__ मेरा ख़्याल है कि माननीय सदस्य अभी संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री हिम्मत सिंह के. महेश्वरी : जी हाँ, मैं उठाए गए प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आभारी रहूंग। महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ :

"कि विधेयक के खंड 2 के भाग (क) में 'संधि, अनुदान, प्रथा, अनधिकार ग्रहण या अन्य विधिपूर्ण साधनों' शब्दों के स्थान पर 'संधि या करार' शब्द रखे जाएँ।"

---

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 9 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1571–72

माननीय अध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया है :

"कि विधेयक में खंड 2 के भाग (क) में : 'संधि अनुदान, प्रथा, अनधिकार ग्रहण या अन्य विधिपूर्ण साधनों "शब्दों के स्थान पर 'संधि या करार' शब्द रखे जाएँ।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, दोनों संशोधनों को यद्यपि दो भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है फिर भी वस्तुतः वे एक-ही हैं। संशोधन सं. 19 को संशोधन सं. 9 के निष्कर्ष के रूप में रखा जा सकता है और इस दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस संशोधन का प्रस्ताव किया है उद्देश्य 'अनुदान, प्रथा और अनधिकार ग्रहण' शब्दों का लोप करना है। मेरे विचार से वे यही चाहते हैं और जहां तक यही उनका उद्देश्य है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों संशोधन समान और एक ही हैं।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता और मुझे इसका भी खेद है कि संशोधन गलतफ़हमी पर आधारित है। सर्वप्रथम, मैं श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा प्रस्तुत संशोधन के संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि उनके संशोधन की मद (III) पूर्ण रूप से असंगत है। जनजातीय क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया या भारतीय डोमिनियन के भाग हैं। दूसरे, जहाँ तक जन जातीय क्षेत्रों का संबंध है, भारतीय डोमिनियन के राजक्षेत्रातीत अधिकारिता अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय सदस्य क्या करना चाहते हैं? यदि मैं सही समझ रहा हूँ तो माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि भारत की डोमिनियन द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली राजक्षेत्रातीत अधिकारिता अंगीकार पत्रों से सम्बद्ध होनी चाहिये। मेरे विचार में, उनके दृष्टिकोण का यही सार और निष्कर्ष है और वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली अधिकारिता को अंगीकार पत्र की मंजूरी भी प्राप्त हो।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद : सरकार द्वारा भी इसे माना गया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन, क्या इस समय अधिनियम उससे भिन्न करता है जैसाकि मेरे माननीय मित्र इस विधेयक में हमसे करना चाहते हैं? जैसाकि मैं कह चुका हूँ देशी रियासतों द्वारा पारित अंगीकार-पत्र केन्द्रीय सरकार को उन सभी शक्तियों, प्राधिकार और अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाते हैं जो देशी रियासतों के संबंध में सम्राट के कार्यों का निष्पादन करने के लिए महामहिम सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय प्रयोक्तव्य थीं। देशी रियासतों द्वारा पारित अंगीकार-पत्र केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये सशक्त बनाते हैं कि वह ऐसी तमाम शक्तियों, प्राधिकार और अधिकारिता का प्रयोग करें जो किसी समय महामहिम सम्राट के प्रतिनिधि

द्वारा प्रयोक्तव्य थीं। हमें अपने प्रश्न पर वापस जाकर यह पता करना चाहिए कि वे कौन-सी शक्तियां थीं जो देशी रियासतों के संबंध में सम्राट के कार्यों की बाबत महामहिम सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग की जा रही थीं। भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित विदेशी अधिकारिता अधिनियम जिसमें राज्यों के संबंध में सम्राट के कार्यों के निष्पादन में महामहिम सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा शक्तियों, प्राधिकार और अधिकारिता का प्रयोग किया गया था, को बहुत संक्षेप में खंड 2 के भाग (क) में वर्णित किया गया है अर्थात् "संधि, अनुदान, प्रथा, अनधिकार ग्रहण या अन्य विधिपूर्ण साधन। ये बिल्कुल वहीं शब्द हैं जो भारतीय विदेशी अधिकारिता अधिनियम में हैं, और यही वे शब्द हैं जिन्हें हमने अपने अधिनियम में अपनाया है क्योंकि देशी रियासतों द्वारा पारित अंगीकार पत्र वे सभी शक्तियां देते हैं जो राज्यों और सर्वोपरिता के संबंध में महामहिम सम्राट का प्रतिनिधि प्रयोग करता है। अतः मुझे यह पूर्ण रूप से पुनरुक्त प्रतीत होता है, चाहे आप यह कहें कि आप अपनी शक्तियां अंगीकार पत्र से प्राप्त करते हैं या आप यह कहें कि आप संधि, प्रथा, अनधिकार ग्रहण आदि", जो ऐसी पद्धतियां थीं जिनसे सर्वोपरि प्राधिकारी द्वारा शक्ति प्राप्त की गई थी, द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हैं, मुझे इनमें कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। ये एक ही और एक-समान हैं, इसी लिए मेरा निवेदन है कि उस कठिनाई के अतिरिक्त जिसका मैंने उल्लेख किया है कि जनजातीय क्षेत्र के संबंध में आप कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते, यह संशोधन भी पूर्ण रूप से वास्तविक स्थिति की समझ केग कुछ भ्रम पर आधारित प्रतीत होता है और मुझे पुनरुक्त प्रतीत होता है और इसमें उससे अधिक कुछ नहीं है जो कि विधेयक में पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है।"

श्री एम. अन्नतसयनम अय्यंगर (मद्रास : साधारण) : मेरे माननीय मित्र, विधि मंत्री ने विदेशी अधिकारिता अधिनियम के प्रति निर्देश किया। मैं स्वयं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अधिक निकट आता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के खंड 7 के अंतर्गत, जिसके प्रति इस संशोधन में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले मेरे माननीय मित्र द्वारा निर्देश किया गया है, सर्वोपरिता समाप्त हो जाती है। यह कैसे हुआ कि अधिमिलन के दूसरे भाग के अन्तर्गत प्रदत्त सर्वोपरिता जिसे माननीय विधि मंत्री ने पढ़ा था, का प्रयोग हो गया। मैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का संबंधित खंड पढ़ता हूँ।

"..........और महामहिम सम्राट द्वारा उस तारीख को संधि, अनुदान, प्रथा, अधिकार-ग्रहण द्वारा या अन्यथा देशी रियासतों के संबंध में प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, अधिकार, प्राधिकार या अधिकारिता।"

ये वहीं शब्द हैं जिनकी नकली की गई है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह अब समाप्त हो गया है।

*प्रांतेतर अधिकारिता विधेयक..........जारी

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : यदि विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा, जो कि वकील नहीं है, इस खंड 6 को एक असामान्य बात के रूप में वर्णित किया गया होता तो मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती। किंतु में समझता हूँ कि एक वकील द्वारा खड़े होकर यह कहने पर कि यह खंड न केवल असामान्य और विचित्र है बल्कि यह न्यायपालिका के आधार को ही ध्वस्त करता है, मैं आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। श्रीमान् जी, जैसा कि हर वकील जानता है, विधि द्वारा दो वर्गों के अधिकारों में अंतर किया जाता है—राजनीतिक अधिकार और न्याय्य अधिकार। न्याय्य अधिकार सदैव, न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित किसी न्यायिक डिक्री द्वारा अवधारित किए जाने चाहिए। किंतु राजनीतिक अधिकार, और मैं अभी यह स्पष्ट करूंगा कि राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है, सामान्य अर्थ में कभी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते। अब दो राज्यों के मध्य अधिकार, चाहे वे संवदित्मक हों या अन्यथा न हों, कभी भी न्याय्य अधिकार नहीं समझे जाते। उन्हें सदैव राजनीतिक अधिकार समझा जाता है : और यही एक कारण है कि इस खंड को इस विधेयक में क्यों शामिल किया गया है। राजक्षेत्रातीत अधिकारिता, जिसे देशी रियासतों द्वारा भारतीय डोमिनियन को प्रदत्त किया जरा रहा है, दो राज्यों के मध्य का विषय है, न कि दो व्यक्तियों के मध्य का, और दो राज्यों के मध्य का मामला होने के कारण अधिकारिता से सम्बद्ध सभी मामले निश्चित रूप से राजनीतिक अधिकार हैं ओर इसीलिए उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवधारित किए जाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जैसा कि मैंने बताया, यह खंड किसी भी तरह से असामान्य नहीं हैं, क्योंकि यदि मेरे माननीय मित्र ब्रिटिश अधिनियम का, जिस पर यह आधारित है, निर्देश करते हैं और खंड-4 को देखें तो उन्हें यह पता चलेगा कि खंड-6 की भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि खंड-4 की है। अब, मेरे माननीय मित्र ने यह भी कहा कि उन्हें साक्ष्य अधिनियम में उन कतिपय उपबंधों की जानकारी है, जहाँ भारत सरकार के किसी विभाग के सचिव द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को उसकी प्रामाणिकता का निश्चायक साक्ष्य कहा जाता है, किंतु उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति की हैसियत तय करने के लिए कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। मुझे विश्वास है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 86 को भूल गए हैं। यदि वे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-86 को पढ़ेंगे तो उन्हें उसमें एक ऐसा उपबंध मिलेगा जो इस विधेयक के खंड-6 में अंतर्विष्ट उपबंधों से बहुत मिलता-जुलता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-86, किसी भारतीय राजा या विदेशी दूत या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसे भारतेतर नागरिक की हैसियत या स्थिति प्राप्त हो, किसी वाद से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-86

---

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 9 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1580-82

द्वारा यह उपबंध किया गया है कि किसी भारतीय राजा के विरुद्ध कोई वाद तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि भारतीय राजा के विरुद्ध वाद लाने वाला पक्षकार विदेशी मंत्री से इस आशय की सहमति न प्राप्त कर ले कि उस पर वाद चलाया जा सकता है। धारा-86 का मूल उद्देश्य यह है कि भारत सरकार को अपनी यह राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए कि क्या वह उस विशिष्ट राजा को, जिसपर वाद चलाया गया है, प्रभुतासंपन्न राजा की स्थिति दिए जाने का हकदार मानती है। यदि उनके विचार में वह प्रभुतासंपन्न राजा की स्थिति दिये जाने का इकदार है तो हम एक प्रमाणपत्र जारी करती हैं कि वह प्रभुतासंपन्न राजा हैं और जैसे ही वह प्रमाणपत्र जारी हो जाता है यह मामला राजनीतिक मामला बन जाता है और सामान्य अर्थ में न्याय्य नहीं रह जाता और वााद असफल हो जाता है। इसमें कुछ भ असामान्य नहीं है।

मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि मैं इस कुछ विषय स्थिति का कारण बताऊं जिसे विधि न केवल इस देश में बल्कि प्रत्येक अन्य देश में भी मान्यता देती हों। उनकी जानकारी के लिए मैं यह कारण बता सकता हूँ कि यह अन्तर क्यों किया गया है। श्रीमान् जी, मान लीजिये, किसी देश का विभाग, यह मानते हुए कि कोई विशिष्ट राजा प्रभुतासंपन्न राजा है, उससे इस आधार पर व्यवहार करता है। तथा उसकी स्थिति के प्रश्न को यदि किसी सामान्य न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए और न्यायालय यह निष्कर्ष निकाले कि वह प्रभुतासंपन्न राजा के अर्थ में शासक राजा नहीं है तो फिर क्या होगा? इस तरह की स्थिति में हमारे पास दो परस्पर विरोधी निर्णय हैं—एक निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया गया है और दूसरा निर्णय राज्य द्वारा किया गया है एवं दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में, डिक्री का निष्पादन पूर्णतया असंभव हो जाता है। इंग्लैण्ड में, जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं, साक्ष्य अधिनियम जैसी कोई चीज नहीं हैं, किंतु वहाँ वह सुस्थापित नियम है, जिसे ब्रिटिश न्यायपालिका ने अपनाया हुआ है, कि इस प्रकार के मामलों में, जहां राज्य के राजनीतिक विभाग से विरोध की संभावना हो, वहाँ वे अभिवाक् पर विचार नहीं करेंगे और निर्णय दे देंगे, क्योंकि अंततः न्यायपालिका की किसी डिक्री पर निर्णय का निष्पादन राज्य के विभाग द्वारा ही किया जाना होता है ओर वे राज्य के विभाग के साथ उलझना नहीं चाहते। मेरे विचार में यह बहुत ही हितकर कारण है कि न्यायालय ऐसे मामले में, जिसके राजनीतिक हो जाने की संभावना है, कोई अधिकारिता प्रयोग करने से कतराते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि यह खंड 6 बहुत उपयुक्त और समुचित खंड है और विधेयक में यथावत् रहना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का भाग बन गया है।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (खंड 6 विधेयक में जोड़ा गया)

---

(5)
फेडरल न्यायालय (अधिकारिता का विस्तार) विधेयक

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) :__ श्रीमन, मैं, सिविल मामलों में फ़ेडरल न्यायालय की अपीली अधिकारिता के विस्तार का उपबंध करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सिविल मामलों में फ़ेडरल न्यायालय की अपीली अधिकारिता के विस्तार का उपबंध करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमान् जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**फ़ेडरल न्यायालय (अधिकारिता का विस्तार) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ:

"कि सिविल मामलों में फ़ेडरल न्यायायल की अपीली अधिकारिता के विस्तार का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

यथा अनुकूलित भारत अधिनियम के अधीन गठित फ़ेडरल न्यायालय तीन प्रकार की अधिकारिताओं का प्रयोग करता है :

(क) धारा 204 के अधीन आरंभिक अधिकारिता;

(ख) धारा 205 के अधीन उच्च न्यायालयों पर अपीली अधिकारिता; और

(ग) धारा 213 के अधीन सलाहकारी अधिकारिता।

प्रस्तुत विधेयक का संबंध फ़ेडरल न्यायालय की केवल अपीली अधिकारिता से है। जैसाकि मैं कह चुका हूँ, धारा 205 के अधीन फ़ेडरल न्यायालय की अपीली अधिकारिता बहुत समिति अधिकारिता है। प्रथमतः यह केवल उन मामलों तक सीमित है जहाँ अंतर्ग्रस्त मुद्दा संविधान का निर्वचन, दूसरे शब्दों में, भारत शासन अधिनियम, 1935 का निर्वचन हो।

दूसरे, फ़ेडरल न्यायालय के लिए सीमित अधिकारिता केवल तब व्युत्पन्न होती है जब कोई उच्च न्यायालय अपने समक्ष के किसी मामले का निर्णय करने के बाद इस आशय का प्रमाणपत्र दे कि इसमें संशोधन के निर्वचन से संबंधित प्रश्न अन्तर्वलित है।

---

*सं. स. (वि.) खंड II, 9 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1546

**सं. स. (वि.) वा., खंड II, 11 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1708-11

इन दो शर्तों के पूरा हो जाने पर ही, अर्थात् इसमें संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई मुद्दा विद्यमान है: और दूसरे जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दे दे कि धारा 205 के अधीन फ़ेडरल न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इस परिसीमा का परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय से ऐसी सभी अन्य अपीलें, जिनमें संविधान से भिन्न विधियों के निर्वचन से संबंधित प्रश्न है अथवा ऐसी अपीलें जिनमें संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रश्न तो है किंतु उच्च न्यायालय ने प्रमाणपत्र नहीं दिया है, फ़ेडरल न्यायालय के किसी हस्तक्षेप के बिना सीधे प्रिवी कौंसिल में चली जाती है।

इस विधेयक का उद्देश्य उच्च न्यायालयों से अपीलों को सीधे प्रिवी कौंसिल में जाने से रोकना है। दूसरे शब्दों में, विधेयक का उद्देश्य इस बात को अनिवार्य बनाना है कि उच्च न्यायालय के निर्णय या डिक्री से उत्पन्न सभी सिविल अपीलें, पहले फ़ेडरल न्यायालय में फ़ाइल की जाएँ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधेयक द्वारा अपनाई गई पद्धति निम्नानुसार है :

विधेयक का सबसे पहला काम है एक दिन नियत करना, जो पहली फ़रवरी है और इसे विधेयक में "नियत" दिन कहा गया है। विधेयक में दूसरी बात यह है कि नियत दिन के बाद कोई भी अपील सीधे प्रिवी कौंसिल में नहीं जाएगी, जब तक कि वह अपील "लंबित अपील" की कोटि के अंतर्गत न आती हो। यदि किसी अपील को फरवरी के पहले दिन इस विधेयक के निबंधनों के अंतर्गत "लंबित अपील" के रूप में वर्णित किया जा सके तो उस अपील की सुनवाई और निर्णय प्रिवी कौंसिल द्वारा किए जाते रहेंगे। किंतु यदि उक्त दिन को वह अपील इस विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत "लंबित अपील" नहीं हैं तो फ़ेडरल न्यायालय की अधिकारिता ऐसी अपील पर विस्तारित होती है, क्योंकि ऐसी अपील की सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार फ़ेडरल न्यायालय को प्राप्त है।

विधेयक की धारा 7 बताती है कि "लंबित अपील" क्या है। अभी इस प्रयोजन के लिए इस विधेयक में एक काम चलाऊ और बने बनाए नियम को अपनाया गया है। नियम यह है कि यदि किसी अपील के अभिलेख उच्च न्यायालय द्वारा प्रिवी कौंसिल को नियत दिन या नियत दिन के पूर्व भेज दिए जाएं तो वह अपील लंबित अपील होगी और प्रिवी कौंसिल उस अपील की सुनवाई करने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करती रहेगी, यद्यपि वह एक सीधी अपील है।

दूसरी ओर, यदि अपील ऐसी स्थिति में है कि अभिलेख नहीं भेजे गए हैं तो अपील स्वत: फ़ेडरल न्यायालय को अंतरित हो जाती है और फ़ेडरल न्यायालय को अपील की सुनवाई करने का अधिकार मिल जाता है।

12.00 बजे दोपहर

प्रिवी कौंसिल में अपीलें दो तरीकों से जाती हैं। वे सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों अर्थात् धाराओं 109 और 110 के अधीन, जिन्हें मंजूरी द्वारा अपील कहा जाता है, जाती हैं या वे ऐसी अपीलें होती हैं जहाँ पक्षकार को अपील करने का अधिकार होता है। इसके अलावा, प्रिवी कौंसिल को अपील करने की विशेष इजाज़त देने का अधिकार भी है और जब किसी पक्षकार को अपील करने की विशेष इजाज़त मिल जाती है, तो ऐसी अपीलें भी प्रिवी कौंसिल में जाती हैं। प्रिवी कौंसिल द्वारा विशेष इजाज़त दिए जाने पर उच्च न्यायालय से सीधे प्रिवी कौंसिल में जाने वाली अपीलों पर भी विधेयक की धारा 5 में उल्लेख किया गया है। उसमें उपबंध है कि :

"ऐसे निर्णय के विरुद्ध, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, अपील करने की विशेष इजाज़त के लिए सपरिषद महामहिम को प्रत्येक आवेदन, जिसका निपटारा नियत दिन के ठीक पूर्व नहीं किया गया है, इस अधिनियम के आधार पर उस दिन फ़ेडरल न्यायालय में अंतरित हो जाएगा।"

यदि उसका निपटारा हो जाता है अर्थात् वह नामंजूर हो जाता है तो आगे कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि यह मंजूर हो जाता है तो प्रिवी कौंसिल इस पर विचार करने के लिए सक्षम होगी। किंतु यदि प्रिवी कौंसिल ने कोई आदेश पारित नहीं किया है तो ऐसी अपील फ़ेडरल न्यायालय को अंतरित समझी जाएगी और फ़ेडरल न्यायालय को मामला निपटाने का अधिकार होगा।

मैं बहुत ही ठोस शब्दों में, सदन को यह बताना चाहता हूँ कि विधेयक क्या करता है और क्या नहीं करता है। मैं सदन को यह बता चुका हूँ कि विधेयक क्या करता है। अब मैं सदन को बताऊंगा कि यह विधेयक क्या नहीं करता।

प्रथमतः, यह आपराधिक मामलों में प्रिवी कौंसिल को अपीलों का उत्सादन नहीं करता। आपराधिक मामलों में उच्च-न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर प्रिवी कौंसिल अब भी विचार कर सकती है। दूसरे, यह ऐसे न्यायालयों के विरुद्ध, जो उच्च न्यायालय नहीं हैं, अर्थात् अजमेर-मारवाड़ या कुर्ग के न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें प्रिवी कौंसिल में करना उत्सादित नहीं करता। तीसरे, यह फ़ेडरल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में अपीलों का उत्सादन नहीं करता।

संभवतः, सदन यह जानना चाहेगा कि विधेयक में ये कमियां क्यों छोड़ी गई हैं और हम विधेयक में यह उपबंध करने की स्थिति में क्यों नहीं है कि दांडिक या सिविल, सभी मामलों में उच्च न्यायालयों में फ़ेडरल न्यायालय में और फ़ेडरल न्यायालय में प्रिवी कौंसिल में पूर्णतया अंतरण किया जाए। इसका कारण वे कतिपय सीमाएं है जिनसे डोमिनियन विधानमंडल अर्थात् संविधान सभा (विधायी) ग्रस्त हैं। जैसाकि सभा के सदस्य इस बात को समझेंगे कि हम फ़ेडरल न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार

करने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमें भारत शासन अधिनियम की धारा 206 द्वारा दी गई हैं। यदि माननीय सदस्य धारा 206 को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि यह इस प्रकार की धारा है जो इस सभा को भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 205 के उपबंधों को बदलने में सक्षम बनाने के लिये इसे सांविधानिक शक्तियां देती हैं। धारा 206 का कहना है–

"(1) डोमिनियन विधानमंडल, अधिनियम द्वारा, यह उपबंध कर सकेगा कि ऐसे सिविल मामलों में जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम ओदश के विरुद्ध अपील उल्लिखित ऐसे किसी प्रमाणपत्र के बिना फ़ेडरल न्यायालय में की जाएगी।

(2) यदि डोमिनियन विधानमंडल अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा में वर्णित रूप में ऐसा उपबंध करता है तो सिविल मामलों में उच्च न्यायालयों के विरुद्ध सपरिषद महामहिम सम्राट में प्रत्यक्ष अपील को, विशेष इजाज़त से या उसके बिना पूर्णतया या अंशत: उत्सादित करने के लिए डोमेनियन विधानमंडल के अधिनियम द्वारा परिणामिक उपबंध भी किया जा सकेगा।"

उपधारा (3) के अनुसार गवर्नर जनरल की मंजूरी अपेक्षित है।

धारा 206 को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति को यह पता चल जाएगा कि यद्यपि फ़ेडरल न्यायाल की अधिकारिता का संशोधन और विस्तार करने की शक्ति इस सभा को दी गई है, किंतु कतिपय मामलों में यह सीमित है। यह सिविल मामलों तक सीमित है। अत: दांडिक मामलों में प्रत्यक्ष अपीलों के उत्पादन के लिए कोई भी उपबंध नहीं किया जा सकता। दूसरे, यह प्रत्यक्ष अपीलों का निर्देश करता है जिसका अर्थ है उच्च न्यायालय से प्रिवी कौंसिल में अपील। फ़ेडरल न्यायालय से प्रिवी कौंसिल में अपीलों को हम क्यों उत्सादित नहीं कर सके, इसका कारण भारत शासन अधिनियम में धारा 208 होना है। धारा 208 कहती है कि (क) इस अधिनियम के निर्वचन से संबंधित किसी विवाद में, अपनी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दिए गए फ़ेडरल न्यायालय के किसी विनिश्चिय के विरुद्ध, फ़ेडरल न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील सपरिषद महामहिम सम्राट को की जाएगी; और (ख) किसी अन्य मामलें में फ़ेडरल न्यायालय या सपरिषद महामहिम सम्राट की इजाज़त से। मैं सदन को यह बताना चाहता था कि यदि सभी अपीलों को प्रिवी कौंसिल में फाइल करने के लिए उत्सादित किया जाना और फ़ेडरल न्यायालय की अधिकारिता ऐसे पूर्ण रूप से विस्तारिक करना वांछित होता, जैसा हम इस प्रयोजन के लिए चाहते थे, तो हमारे लिए यह अपेक्षित होता कि संविधान सभा का एक सत्र बुलाया जाए और संविधान सभा में एक विधेयक पारित करने के लिए कहा जाए तो भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों द्वारा आबद्ध नहीं है। इस विधानमंडल की, जिसे डोमिनियन विधानमंडल कहा जाता है, स्थिति बहुत भिन्न है। यह भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा नियंत्रित है, इसे जो कुछ करना हो

वह भारत शासन अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, एकमात्र अनुज्ञात्मक धारा, जो भारत शासन अधिनियम में हैं वह धारा 206 है और हमने फ़ेडरल न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार अधिकतम संभव सीमा तक करने के लिए इसका संपूर्णज उपयोग किया है। मेरे विचार में इस विधेयक की कमियों से विधानमंडल के किसी भी सदस्य को चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अधिनियम बहुत थोड़े समय तक प्रवृत्त रहेगा। जैसे ही हमारा संविधान बन जाता है और संविधान सभा से पारित हो जाता है, हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम फ़ेडरल न्यायालय की अधिकारिता के लिए और प्रिवी कौंसिल में अपीलों के उत्सादन के लिए एक विस्तृत उपबंध करें। अभी, मेरी राय में, धारा 206 के अधीन जो कुछ किया गया है, सदन को उससे संतुष्ट होना चाहिए। श्रीमान् मैं प्रस्ताव रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया है :

"कि सिविल मामलों में फ़ेडरल न्यायालय की अपीली अधिकारिता के विस्तार का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** श्रीमन, इस विधेयक के संबंध में व्यापक संतुष्टि व्यक्त करने के लिए मैं सदन का आभारी हूँ। अत:, मैं आलोचना के कतिपय बिंदुओं पर, जो कुछ ऐसे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, ही बात करूँगा। आलोचना के प्रथम बिन्दु का संबंध उस बात से है जिसे मैं पूर्ण रूप से नकारने और प्रिवी कौंसिल ने अपीलों का उत्सादन करने तथा फ़ेडरल न्यायालय में पूरी अधिकारिता प्रदत्त करने में संकोच की संज्ञा दे सकता हूँ। मुझे यह बताया गया था कि मैं इस विधानमंडल और संविधान सभा के बीच कृत्रिम अंतर कर रहा हूँ और मैं बिना किसी कारण के इस सदन की शक्तियों को सीमित कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि यह वह आलोचना है, जिस पर यदि नरमी से विचार किया जाए तो भी वह उचित नहीं है। मैं इस प्रतिपादना को स्वीकार नहीं कर सकता कि संविधान सभा से भिन्न वह विधानमंडल पूर्ण रूप से वैसा ही प्रभुतासंपन्न निकाय है जैसी कि स्वयं संविधान सभा। यह सच है कि जो सदस्य इस सभा में भाग लेते हैं, वहीं संविधान सभा में भी बैठते हैं, अत: व्यक्तियों के संबंध में कोई अंतर नहीं है। किंतु मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है कि जहां तक कार्यों का संबंध है, दोनों सभाएं बिल्कुल भिन्न हैं। संविधान सभा का काम संविधान तैयार करना है और उसे तैयार करने में वह अपने स्वयं के मत के अतिरिक्त किसी अन्य बात से आबद्ध नहीं हैं। जहां तक इस सभा का संबंध है, यह भारत शासन अधिनियम, 1935 से आबद्ध है जो कि ऐसा संविधान है जो इस विधानमंडल पर आबद्धकर है। ब्रिटिश संसद के अतिरिक्त, जिसे दोनों प्रकार

*सं. स. (वि.) वा., खंड III, 11 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1719-22

की शक्तियां प्राप्त हैं अर्थात् सामान्य विधायी शक्तियां और सांविधानिक शक्तियां भी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कहीं कोई अन्य सभा, जिसके पास लिखित संविधान है, ऐसी शक्तियां रखती हो कि वह इस विशिष्ट विधानमंडल को सृजित करने वाले संविधान की अवहेलना कर सके। अत: मेरा निवेदन है कि मेरी स्थिति पूर्ण रूप से मजबूत और स्थिर है जब मैं यह कहता हूँ कि इस विधेयक के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए हमें कुछ ऐसी परिसीमाओं द्वारा आबद्ध होना पड़ेगा जो यथा अनुकूलित भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा इस विधानमंडल पर अधिरोपित की गई हैं।

अब मैं दूसरी आलोचना पर आता हूँ जिसे मेरे माननीय मित्र अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा व्यक्त किया गया था। उनके संशोधन के संबंध में, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मुझे खेद है कि मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा स्थिति की परख के अनुसार यह संशोधन संभवत: अनावश्यक है ओर मैं यह स्पष्ट करूंगा कि मैं इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचा। उनके द्वारा संशोधन के लिए जिस आधार पर बल दिया गया वह यह है कि, उनके अनुसार, 1940 में निर्णीत एक मामले में प्रिवी कौंसिल ने कहा था (जैसा कि पंजाब सहकारी बैंक बनाम आयकर आयुक्त में रिपोर्ट किया गया है।) कि यदि उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र नहीं दिया है तो वे संविधान पर विचार करने से संबंधित किसी बिंदु पर विचार नहीं करेंगे। अत: प्रिवी कौंसिल ने कहा था कि वे मामले को; प्रमाणपत्र के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेज देंगे। उनका तर्क था कि इस मामले में प्रिवी कौंसिल के निर्णय को भी फ़ेडरल न्यायालय द्वारा अपने ऊपर आबद्धकर स्वीकार किया जा सकता है; और इसीलिए जब भी प्रमाणपत्र न दिया जाए और मामला प्रिवी कौंसिल के समक्ष आए और वास्तव में यह पाया जाए कि संविधान से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है—तो प्रिवी कौंसिल स्वयं को इस अपील पर विचार करने में असमर्थ पाएगी। मेरे विचार से उनके तर्क का यही निष्कर्ष और सार था। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने निर्णय में उस से कुछ अधिक ही पढ़ लिया है जो वास्तव में प्रिवी कौंसिल के निर्णय में कहा गया है। मैं निर्णय से कुछ पंक्तियाँ पढूँगा। उन्होंने तीन प्रतिपादनाएं बताई हैं, जो उनके अनुसार धारा 205 के विचारण में पैदा होंगी। इनमें से केवल दूसरी प्रतिपादन ऐसी है जो हमारे प्रयोजन के लिए संगत है :

"दूसरे, यदि प्रमाणपत्र के अभाव में, किसी अपील पर बोर्ड को ऐसा प्रतीत हो कि इस बात पर विचार किए जाने के लिए आधार है कि यह मामला उच्च न्यायालय के विचार के लिए है और उन्हें प्रमाणपत्र देना चाहिए था या उसे रोक लेना चाहिए था, तो बोर्ड को उस अपील की सुनवाई करने से इन्कार कर देना चाहिए जब तक कि उच्च न्यायालय को एक या अन्य बात करने का अवसर प्राप्त न हो जाए।"

प्रिवी कौंसिल ने यही निर्धारित किया है। अब मेरा निवेदन यह है कि वस्तुत: इस विधेयक के प्रारूपण के समय विभाग द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था एवं यह

महसूस किया गया था कि प्रिवी कौंसिल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में अंततः यह नहीं कहा गया था कि ऐसे मामलों में उन्हें अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उन्होंने केवल एक प्रकार का प्रज्ञा का नियम अधिकथित कर दिया है कि यदि कोई ऐसा मामला आता है जिसके संबंध में कोई प्रमाणपत्र नहीं है तो वे इस पर प्रत्यक्षतः विचार नहीं करेंगे–इसलिए नहीं कि उनके पास उस पर विचार करने की शक्ति नहीं है–बल्कि वे मामला उच्च न्यायालय को वापस भेज देंगे। अतः इसका अर्थ यह नहीं कि फ़ेडरल न्यायालयों को, जो विधेयक के अधीन प्रिवी कौंसिल की अधिकारिता विरासत में प्राप्त करेंगे, कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी क्योंकि प्रिवी कौंसिल ने ऐसा कोई नियम अधिकाथित ही नहीं किया है।

मेरा दूसरा निवेदन है कि यदि यह मान लिया जाए कि प्रिवी कौंसिल की अभ्युक्ति अधिकारिता के प्रश्न से संबंधित है, जो क्या हमारे लिए यह उपधारणा करना आवश्यक है कि फ़ेडरल न्यायालय, नई अधिकारिता का प्रयोग करते हुए जो हम उसे दे रहे हैं, वह स्वीकार करेगा जो प्रिवी कौंसिल द्वारा अधिकथित किया गया है? फ़ेडरल न्यायालय अपना स्वयं का निर्वचन करने के लिए स्वतंत्र होगा। वह यह कह सकता है कि इस बात के होते हुए भी कि प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे और उसका विनिश्चय करेंगे।

तीसरे, प्रिवी कौंसिल को विशेष इजाज़त देने की शक्ति भी प्राप्त है और वह विशेष इजाज़त देकर कठिनाई को दूर कर सकती है। मैं सदन को यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने उस प्रकार का उपबंध सम्मिलित नहीं किया है जो मेरे मित्र श्री अल्लादि कृष्णस्वामी, ने अपने संशोधन में रखा है। परंतु, यदि इस सदन में मौजूद प्रतिष्ठित वकीलों का यह विचार है कि हमें इस प्रश्न को संदेह में नहीं छोड़ना चाहिए था और मेरा निष्कर्ष है कि उन्हें मेरे मित्र बख़्शी टेक चन्द का समर्थन प्राप्त है और मैं भी संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा यदि वे इस बात पर जोर दें कि संशोधन विधेयक में शामिल किया जाए।

फिर, अजमेर-मारवाड़ और कुर्ग के न्यायिक अयुक्तों के न्यायालयों के संबंध में प्रश्न उठाया गया। यह पूर्णतया सत्य है कि यह बहुत ही असामान्य होगा कि हम उच्च न्यायालय से प्रिवी कौंसिल में प्रत्यक्ष अपीलों को रोक दें और न्यायिक आयुक्तों के विरुद्ध अपीलों को प्रिवी कौंसिल में, फ़ेडरल न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, जाने दें। यह अनियमितता स्पष्ट है और कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता। किंतु प्रश्न यह है कि : जब तक हम न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों को उच्च न्यायालय के रूप में घोषित न कर दें, तब तक हम इस विधेयक को उन पर आबद्धकर नहीं बना सकते। अब मुझे यह बताया गया है कि न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के रूप में घोषित किए जाने के प्रश्न के संबंध में कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालयों से संबंधित भारत शासन अधिनियम में सभी उपबंधों

को न्यायिक आयुक्तों को उनके उच्च न्यायालय बनने के पूर्व लागू करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और यही मुख्य कारण है कि हम ने इस अधिनियम के उपबंधों को इस समय न्यायिक आयुक्तों तक विस्तारित करना उपयुक्त नहीं समझा। जैसाकि मैं कह चुका हूँ, अंतत: यह विधेयक अस्थायी अवधि का ही होगा। यह दो या तीन मास से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त नहीं होगा और मैं नहीं समझता कि इन दो या तीन मासों में न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में बहुत बड़ी संख्या में अपीलें आने की संभावना है।

अत: मेरा निवेदन है कि इस सदन के लिए यह बेहतर होगा कि प्रशासनिक कारणों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का सामना करने के बजाय इस विसंगति से ग्रस्त रहा जाए और स्थिति यथावत् रखी जाए।

जहां तक दांडिक अपीलों के प्रश्न का संबंध है, इस विषय का निपटारा मेरे मित्र द्वारा उचित रूप से कर दिया गया है जिन्होंने मुझसे पहले भाषण दिया था और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर अब मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मैं केवल वही कहना चाहूँगा जो मैं संशोधन के बारे में महसूस कर रहा था। यदि माननीय विधि मंत्री इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है तो क्या यह संभव नहीं है कि चूंकि "भारत शासन अधिनियम की धारा 205 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" शब्दों का प्रयोग संशोधन में किया गया है, इसलिए इस विधानमंडल की सक्षमता पर आपत्ति की जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह भी एक मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : अत: इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभी सदन उठ जाएगा और अंतराल में विधि मंत्री कृपया इस मुद्दे पर विचार करें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ, में इस पर विचार करूँगा।

तब सभा दो बजकर तीस मिनट तक के लिए भोजन काल के लिए स्थगित हो गई।

सभा भोजन काल के पश्चात् दो बजकर तीस मिनट पर अध्यक्ष महोदय (माननीय श्री जी.बी. मावलंकर) की अध्यक्षता में पुन: समवेत हुई।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सिविल मामलों में फ़ेडरल न्यायालय की अपीली अधिकारिता के विस्तार का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं खंड 3 के संबंध में, एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव है :

"कि खंड 3 में–

(1) उपखंड (क) (ii) के अंत में 'और' शब्द का लोप किया जाए;

(2) उपखंड (ख) के रूप में निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए;

(ख) ऊपर उल्लिखित ऐसी किसी अपील में, भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 205 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकृति के किसी प्रश्न पर विचार करने के लिए फ़ेडरल न्यायालय सक्षम होगा; और

(3) वर्तमान उपखंड (ख) को उपखंड (ग) के रूप में पुनः उक्त लेखबद्ध किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : मेरे विचार में यह एक सहमति प्राप्त संशोधन है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ, श्रीमन।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया–

"कि खंड-3 में–

(1) उपखंड (क) (ii) के अंत में 'और' शब्द का लोप किया जाए;

(2) उपखंड (ख) के रूप में निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए;

'(ख) ऊपर उल्लिखित ऐसी किसी अपील में, भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 205 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकृति के किसी प्रश्न पर विचार करने के लिए फ़ेडरल न्यायालय सक्षम होगा;' और

(3) वर्तमान उपखंड (ख) को उपखंड (ग) के रूप में पुनः लेखबद्ध किया जाए।"

***माननीय अध्यक्ष :** संशोधन पेश किया गया :

"कि विधेयक के खंड 5 के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

'5क. नियत दिन के पश्चात्, सपरिषद महामहिम सम्राट के समक्ष उस दिन के पूर्व लंबित अपील का कोई भी पक्षकार फ़ेडरल न्यायालय में अपील को स्वयं अपनी फ़ाइल

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 11 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1725

पर वापस लेने के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि अपील ऐसी है कि फ़ेडरल न्यायालय के समक्ष नियत दिन के पश्चात् फाइल की गई है तो उसे इस अधिनियम के अधीन इस पर विचार करने की अधिकारिता हो सकेगी; और फ़ेडरल न्यायालय, अपील में दूसरे पक्षकर को सूचना देने के बाद अपील को ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो वह उपयुक्त समझे, अपने फ़ाइल पर वापस ले सकेगा।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे माननीय मित्र ने यह परिभाषित नहीं किया है कि लंबित अपील क्या है। विधेयक लंबित अपील को परिभाषित करता है। ऐसी अपील, जहाँ कागज़ात प्रेषित कर दिए गए हैं, विधेयक के अधीन लंबित अपील समझी जाएगी। कागज़ात प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात् विधेयक में इसे वापस लेने का मात्र इस कारण से कोई उपबंध नहीं है कि यह उपधारणा की जाती है कि जब कागज़ात और दस्तावेज़ प्रेषित कर दिए गए हों तो पक्षकारों को ऐसी लागत देने के लिए सभी दायित्व उपगत हो जाते हैं जो उस अपील में सम्मिलित किए जा सकें और इसीलिए कोई औचित्य नहीं है कि प्रिवी कौंसिल में और यहां पर दोहरे खर्चों की बाध्यता के साथ अपील को फ़ेडरल न्यायालय में क्यों अंतरित किया जाए; और इसीलिए मेरा यह विचार है कि हमें इस पर केवल वादकारी पर पड़ने वाले खर्चों की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि पर्याप्त खर्चे उपगत हो चुके हैं, तो मेरे विचार में यह उपयुक्त नहीं होगा कि अपील को फ़ेडरल न्यायालय में अंतरित किया जाए। नि:संदेह यह उपबंध मौजूद है कि ऐसे अंतरण और वापसी के निबंधन फ़ेडरनल न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। किंतु मेरे विचार में, इससे पक्षकारों पर अनावश्यक बाध्यता पड़ेगी जिसे वे स्वैच्छिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए मेरी यह राय है कि वर्तमान स्थिति में विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर ही संतोष किया जाए।

श्री एम. अनन्तशायनम अय्यंगर : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर सदन विभाजित हो। मैंने विधि मंत्री के साथ परामर्श किया है और मैं समझता हूँ कि वे इससे सहमत हैं।

माननीय अध्यक्ष : इसके अलावा, मुझे एक अन्य कठिनाई महसूस हो रही है, और वह यह है कि क्या फाइल की गई अपील को वापस लेने के प्रयोजन के लिए फ़ेडरल न्यायालय को प्रिवी कौंसिल से वरिष्ठ न्यायालय माना जा सकता है। यदि संशोधन द्वारा स्वयं वादकारी को बाध्य करने की ईप्सा की जाती तो यह भिन्न मामला होता किंतु यह धारा की पदावली का प्रश्न है।

क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदन की इजाज़त प्राप्त है?

संशोधन सभा की इजाजत से पास लिया गया।

विधेयक में खंड 6 से 8 जोड़े गए।

विधेयक में खंड 1 जोड़ा गया।

विधेयक में शीर्षक और उद्देशिका जोड़े गए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं निवेदन करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप से पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया"

---

(6)
*प्रांतीय दिवाला (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ:

"कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक जारी रखा जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक जारी रखा जाए।"

श्री राज कृष्ण बोस (उड़ीसा : साधारण) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह विधेयक भी प्रवर समिति को भेजा गया था।

माननीय अध्यक्ष : यह मात्र पुर:स्थापित किया गया था।

श्री के. सन्थानम् (मद्रास : साधारण) : इसे नए सिरे से पुन: स्थापित किया जा सकता है। "जारी रखने" का क्या अर्थ है? यदि यह चर्चा के अन्य चरणों से गुजरा है या चयन समिति को निर्दिष्ट हुआ है, केवल तभी इसे जारी रखने के प्रस्ताव का कोई प्रयोजन है। इसे नए सिरे से भी पुर: स्थापित किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान यथा अनुकूलित भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 30 के उपखंड (2) के उपबंधों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा:

"किसी ऐसे विधेयक को, जो डोमिनियन की स्थापना के ठीक पूर्व भारतीय विधानमंडल की विधानसभा में लंबित था, किसी प्रतिकूल उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम की धारा 38 के अधीन डोमिनियन विधानमंडल द्वारा बनाए गए, नियमों में सम्मिलित किए जा सकें, डोमिनियन विधानमंडल में वैसे ही जारी रखा जा सकेगा, मानो उक्त विधान सभा में विधेयक के निर्देश से की गई कार्यवाहियां, डोमिनियन विधानमंडल में की गई हों।"

अत: पूर्व चरणों में उपगत समय और व्यय–प्रकाशन आदि को अब छूट दे दी गई है। विधेयक जारी रखने का यही प्रयोजन है।

श्री एम.एस. अनेय (दक्कन और मद्रास राज्य समूह) : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि अभी पढ़े गए विशिष्ट खंड के शब्दों को ध्यान में रखते हुए क्या यह

---

*सं. स. (वि.) वा., खंड I, 17 नवंबर, 1947, पृष्ठ 40–41

आवश्यक होगा कि जारी रखने का प्रस्ताव किया जाए? नियम सरकार को विधेयक जारी रखने के लिए और इसे अन्य चरणों में प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता है यदि वह ऐसा करना चाहे। क्या इसे जारी रखने के लिए एक अलग प्रस्ताव रखे जाने की कोई आवश्यकता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि विधेयक को जारी रखने का प्रस्ताव नहीं किया जाए तो विधेयक व्यर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि सभी चरणों को फिर शुरू करना होगा।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम) : श्रीमन व्यवस्था के प्रश्न पर आपके द्वारा पढ़ी गई धारा कहती है कि विधान सभा में लंबित किसी विधेयक को 'जारी रखा जा सकता है।' अत: यह इस सदन के विवेक पर निर्भर करता है कि इसे जारी रखा जाए अथवा नहीं। अत: सदन का विनिश्चय आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक इसी कारण प्रस्ताव लाया गया है।

प्रश्न यह है :

"कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक को जारी रखा जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) :** श्रीमन, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ:

"कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1972 का और आगे संशोधन के लिए विधेयक श्री अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. बख्शी टेक चन्द, श्रीमती जी दुर्गाबाई, डा. पी. एस. देशमुख, श्री एम. अनन्तसयनम अय्यंगर, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री नजीरुद्दीन अहमद, श्रीरामसहाय और प्रस्तावक से मिलकर बनी प्रवर समिति को इन अनुदेशों के साथ निर्दिष्ट किया जाए कि इसकी रिपोर्ट 16 मार्च, 1948 को इसके पूर्व प्रस्तुत की जाए; और ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनकी उपस्थिति समिति की बैठक करने के लिए आवश्यक होगी, पांच होगी।"

श्रीमन, सदन को ऐसे तथ्यों से अवगत कराने के लिए उन्होंने यह उपाय प्रारम्भ करने के लिए सरकार को बाध्य किया, मैं कुछ ऐसे विनिश्चयों के संबंध में कतिपय प्रारम्भिक विचार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके कारण यह उपबंध करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। मेरे विचार में, यदि मैं 1924 से प्रारम्भ करूं तो यह पर्याप्त होगा। इस समय एक मामला प्रिवी कौंसिल में पहुंचा था, जिसे सत नारायण बनाम बिहारी लाल के नाम

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 25 फरवरी, 1948, 1220-21

से जाना जाता है। संक्षेप में मामले के तथ्य ये थे कि एक हिन्दू पिता दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया था। अब प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम की धारा 17 के अधीन दिवालिया की संपत्ति न्यायनिर्णयन की तारीख से शासकीय समनुदेशिती में निहित हो जाती है। हिन्दू पिता की संपत्ति में दो वस्तुएं होती हैं : (1) अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में उसका अंश, और (2) अपने वैयक्तिक ऋणों के लिए अविभक्त कुटुंब में अपने पुत्रों की संपत्ति का व्ययन करने की उसकी शक्ति, बशर्तें कि ऋण अनैतिक प्रयोजन के लिए उपगत न हुए हों। प्रिवी कौंसिल के समक्ष उस मामले में उत्पन्न प्रश्न यह था कि क्या पुत्र की संपत्ति का व्ययन करने की पिता की शक्ति, प्रसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम की धारा 2 (ड) के अर्थ में संपत्ति है। उस बिंदु पर प्रिवी कौंसिल ने इस आशय का विनिश्चय दिया था कि अविभक्त कुटुंब मे अपने पुत्र की संपत्ति का व्ययन करने की हिन्दू पिता की शक्ति इस आधार पर धारा 2 (ड) के अर्थ के अंतर्गत संपत्ति नहीं है कि धारा 2 (ड) उस शक्ति को अनुध्यात करती है जो संपत्ति पर अनन्य हो और वह शक्ति जो अनन्य न हो, संपत्ति नहीं है। प्रिवी कौंसिल के अनुसार, अपने पुत्र की संपत्ति का व्ययन करने की पिता की शक्ति अनन्य नहीं थी क्योंकि वह इस शर्त के अधीन थी कि वे ऋण जिनके लिए संपत्ति का व्ययन किया जा सकता है, अनैतिक नहीं होने चाहिएं। इस आधार पर वे सहमत नहीं थे कि पुत्र की संपत्ति धारा 17 के अधीन स्वत: ही शासकीय समनुदेशिती में निहित हो सकती है। इस विशिष्ट मामले में, लेनदारों के लिए प्रोवी कौंसिल के विनिश्चय का कोई विशेष महत्व नहीं था क्योंकि प्रोसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम में एक अलग धारा, धारा 52 है जो शासकीय समनुदेशिती और लेनदारों को ऐसी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त करने की क्षमता के संबंध में कार्यवाही की अनुज्ञा देती है। इसी लिए, यद्यपि उस विशिष्ट मामले में संपत्ति स्वत: शासकीय समनुदेशिती में निहित नहीं हुई, फिर भी शासकीय समनुदेशिती, पुत्र की उस संपत्ति के संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र था जो पृथक कार्यवाहियों द्वारा पिता के ऋणों को चुकाने के लिए पवित्र बाध्यता के नियम के अधीन दायी था; और मैं मानता हूँ कि उसने वैसा ही किया।

अब जो कुछ हुआ, वह इस प्रकार था। प्रिवी कौंसिल के उस विनिश्चय के पश्चात्, भारत में न्यायालयों को एक अन्य अधिनियम का निर्वचन करने का अवसर मिला था जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम कहलाता है। जैसा कि सदन के वकील सदस्यों को याद होगा, हमारे पास दिवाला से संबंधित दो अलग-अलग कानून हैं–एक वह जो नगरों के भीतर होने वाले दिवाले से संबंधित है और दूसरा वह जो मुफस्सिल में होने वाले दिवालों से संबंधित है। दुर्भाग्यवश, प्रांतीय दिवाला, अधिनियम में धारा 52 जैसा उपबंध अंतर्विष्ट नहीं है जैसा कि प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम में है। परिणाम: जब वौ ही प्रश्न न्यायालयों के समक्ष आया अर्थात् क्या उस संपत्ति का निर्वचन, जिसका दावा एक हिन्दू पिता अपने ऋणों को चुकाने के लिए अपने पुत्र के हितों के विक्रय के

अधिकार या शक्ति के अधीन करता है, संपत्ति के रूप में किया जा सकता है और वह शासकीय समनुदेशिती में निहित हो जाती है और केवल यही धारा-2(ङ) के अर्थ के अंतर्गत संपत्ति थी। दुर्भाग्यवश, हुआ यह कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 2(ङ) का निवर्चन भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जा रहा है। यह जानना रूचिकर होगा कि मुम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि संपत्ति निहित नहीं होती फिर भी शक्ति संपत्ति नहीं होती है और इसीलिए यह निहित होती है; पटना उच्च न्यायालय भी मुम्बई उच्च न्यायालय का अनुसरण करता है और इलाहाबाद तथा नागपुर उच्च न्यायालय भी। दूसरी ओर, जब आप मद्रास आते हैं तो मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संपत्ति निहित होती है जबकि एक अन्य पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह निहित नहीं होती। कलकत्ता में भी वैसी ही स्थिति है, जहां एक पीठ यह अभिनिर्धारित करती है कि संपत्ति निहित होती है और अन्य पीठ यह अभिनिर्धारित करती है कि वह निहित नहीं होती। अब, मेरे विचार में इस मामले को ठीक किया जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक विनिश्चय में स्पष्ट रूप से भारत सरकार को यह इंगित किया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों की इस विसंगति को दूर करने के लिए विधान बनाए जाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। दुर्भाग्यवश, युद्ध के दौरान ऐसा विधान नहीं बनाया जा सका क्योंकि समय पर्याप्त नहीं था। अतः विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस विसंगति और राय में विभाजन को दूर करने के लिए यह उपाय किया गया है। इस उपाय में मात्र यह किया गया है कि प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम से धारा 52 को पुनः उद्धृत करते हुए उसे प्रांतीय नगर दिवाला अधिनियम का अंश बनाकर धारा 50-क के रूप में रखा गया है। विधेयक द्वारा इससे अधिक कुछ भी इंप्सित नहीं है।

जैसाकि सदन को ज्ञात है, वैसे ही एक प्रयोजन के लिए श्रीमती दुर्गाबाई के नाम में भी एक उपाय खड़ा हुआ है। उनका, उपाय सरकारी आय से दो विशिष्ट पहलुओं से भिन्न है। वे उपाय को भूतलक्षी प्रभाव देना चाहती हैं; सरकारी विधेयक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रीमती दुर्गाबाई के विधेयक में अंतर्विष्ट एक अन्य उपबंध यह है कि विधि को मात्र यह घोषित नहीं करना चाहिए कि अविभक्त कुटुंब संपत्ति में पुत्र के हित पर हिन्दू पिता का अधिकार है, बल्कि लेनदारों के मध्य वितरण के लिए उसके उपलब्ध होने को भी स्पष्ट किया जाए और प्रबंधक की निपटारा करने की शक्ति को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। उस बिंदु पर मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा मस्तिष्क खाली नहीं है। बल्कि मेरे मस्तिष्क में खुले विचार हैं; और मैं इस मामले को प्रवर समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। वास्तव में, प्रवर समिति के निर्देश हेतु प्रस्ताव करने के लिए मेरे प्रयोजनों या उद्देश्यों में से एक यह है कि प्रवर समिति इन मामलों पर चर्चा करने में समर्थ बनें।

मेरे विचार में, इस विधेयक के उपबंधों को स्पष्ट करने के संबंध में मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन् मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया।

***प्रो. एन.जी. रंगा :** इसमें प्रबंधक का प्रश्न है। मेरे माननीय मित्र इस शक्ति का विस्तार प्रबंधक तक भी करना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से उनके ध्यान में कुछ बड़े जमींदार होंगे जो अपनी संपत्तियों का प्रबंध प्रबंधकों द्वारा कराते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : उन्हें 'कर्ता' कहा जाता है।

प्रो. एन.जी. रंगा : शक्ति को पिता में निहित करना काफ़ी बुरा है किंतु अभिकर्ता में इसे निहित किया जाना और अधिक बुरा है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, नहीं; यह गलत है।

प्रो. एन.जी. रंगा : यह वकीलों द्वारा दिया जाने वाला उत्तर है। मैं इस पर देनदारों की दृष्टि से विचार कर रहा हूँ। उन्हें भी सुरक्षित होने का उतना ही अधिकार है जितना लेनदारों को है। लेनदार, इन वकीलों को नियुक्त करने के लिए काफी से समृद्ध हैं और अपनी इच्छानुसार कार्य करवा लेते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इस अधिनियम का फायदा ऐसे सभी प्रबंधकों तक बिल्कुल भी विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए और इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए। यह संशोधन पारित कर दिया जाए किंतु हमें इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि विधि मंत्री उनके अपने पिताओं की सनक के विरुद्ध पुत्रों के हितों की रक्षा के लिए समुचित संशोधन के माध्यम से शीघ्र ही कोई कदम उठाएं।

****श्री विश्वनाथ दास :** मुझे इस विशिष्ट विधेयक के संबंध में कुछ नहीं कहना है। वास्तव में मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि यदि सदन का यह निष्कर्ष हो कि दिवाला अधिनियम वैसा ही बना रहे तो यह विधेयक स्वाभाविक रूप से उसका स्वाभाविक नियम होगा। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इस मामले में कुछ और नहीं कहना चाहता।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बोलने वाले मेरे मित्र द्वारा उठाए गए बिंदु से अपना उत्तर शुरू करूंगा। यदि मैं उन्हें ठीक से समझ पाया हूँ तो उनके बिंदु दो थे। एक यह कि यह पूर्णतया एक प्रांतीय मामला है और इसीलिए इसे प्रांतीय विधानमंडलों के लिए छोड़ देना चाहिए।

---

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 25 फरवरी, 1948, पृष्ठ 1224

**सं. स. (वि.) वा., खंड II, 25 फरवरी, 1948, पृष्ठ 1227-28

श्री विश्वनाथ दास : श्रीमन्, क्या मैं अपने माननीय मित्र को बीच में रोक सकता हूँ? मैंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि यह समवर्ती सूची में है और इसीलिए केन्द्रीय सरकार को इसे प्रांतीय सरकार और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह समवर्ती सूची में है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह कहने ही वाला था। निस्संदेह, इसे समवर्ती सूची में रखे जाने का कारण यह था कि इस प्रकार के मामले में एकरूपता होनी चाहिए और इसके अलावा कोई अन्य कारण हो भी नहीं सकता और यदि केन्द्र निर्णय ले तो एकरूपता होनी चाहिए। अतः यह केन्द्रीय विधानमंडल का अधिकार है कि वह इस विषय पर विधान बनाए।

इस प्रश्न के संबंध में कि दिवाला अधिनियम होना चाहिए अथवा नहीं, मेरा विचार है कि इस प्रकार के मामले में ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यदि मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि दिवाला अधिनियम होना ही नहीं चाहिए तो उनके लिए यह उपयुक्त होगा कि वे सदन के समक्ष संकल्प लाएं और कहें कि दिवाला से संबंधित सभी विधियों को समाप्त किया जाए।

श्री विश्वनाथ दास : मुझे यह बयान देने दिया जाए कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि दिवाला विधि आवश्यक नहीं है। मैंने मात्र यह कहा है कि यह विधि अनावश्यक, अवांछनीय है और समाज में अनैतिकता को जन्म देती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, और इसीलिए आवश्यक नहीं है। तथापि डॉ. पंजाबराव देशमुख, जो इस समय यहाँ नहीं है, द्वारा उठाए गए बिंदु पर मुझे आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने कहा था कि विधेयक को परिचालित किया जाना चाहिए था। उन्होंने प्रवर समिति में स्थान स्वीकार किया है और मुझे इस बाबत पूरा विश्वास है कि दोनों स्थितियां पूर्ण रूप से असंगत हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा उठाए गए इस बिंदु के संबंध में कि विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिए, मैं इसके प्रति निर्देश करने के लिए बाध्य था क्योंकि मैंने उन्हें इस वचन पर अपना विधेयक वापस लेने के लिए राजी किया था कि जब मैं अपना विधेयक लाऊंगा तो मैं उनके विधेयक के बारे में भी कुछ कथन करूँगा। किंतु उसे वास्तविक अर्थ में, जैसा कि मैंने कहा, मुझे कुछ संदेह और कठिनाई महसूस होती है और इस सदन में मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि मैं विधेयक की इस प्रतिपादना को स्वीकार करूंगा कि विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए। वास्तव में, बैंच पर मित्रों में से किसी ने कुछ ऐसा कहा था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि हमें इस प्रकार के उपाय को भूतलक्षी प्रभाव देने में बहुत सावधान रहना चाहिए।

अब मैं, अपने मित्र प्रो. रंगा द्वारा उठाए गए, बिंदु पर आता हूँ—वह वास्तव में ऐसे विषयों पर चर्चा करने के आदी हैं, जिसे निस्संदेह रूप से वे स्वीकार करेंगे कि वे उनके नहीं हैं। मैं उनके तर्क का उपांतरण करने के लिए तैयार हूँ और उसे ऐसा रूप देना चाहता हूँ कि वह शोभनीय प्रतीत हो। अब, यदि मैंने इसे ठीक तौर पर समझा है, तो उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम में कम से कम इतना तो अंतर है ही कि एक में 6 और 52 जैसा खंड या धारा अंतर्विष्ट है जबकि दूसरे में नहीं है।

उन्होंने जो कुछ कहा उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधि पारित करने में प्रारम्भ से ही विधानमंडल के विभिन्न आशय रहे थे। पिता के दिवालिया होने पर उनका आशय था कि धारा 52 के अंतर्गत हित शासकीय समनुदेशिती के पास चला जाए किंतु प्रांतीय दिवाला अधिनियम पारित करते समय विधानमंडल का ऐसा आशय नहीं था। मेरे विचार में, क्योंकि मेरे मित्र प्रो. रंगा वकील नहीं हैं, इसलिए स्थिति को ठीक से समझ नहीं सके। यदि वे 'संपत्ति' पद की परिभाषा के प्रति निर्देश करते, जिसे मैंने निर्दिष्ट किया है, तो उन्हें पता चलता कि प्रांतीय और प्रेसिडेंसी नगर दोनों ही विधियों में 'संपत्ति' की परिभाषा एक-जैसी ही है। उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। दोनों ही मामलों में पदावली संपत्ति या शक्ति है। अंतर यह है कि धारा 52 के अधीन शासकीय समनुदेशिती संपत्ति के संबंध में कार्यवाही कर सकता है किंतु प्रांतीय दिवाला अधिनियम में इसका लोप है और उसे ऐसी संपत्ति के संबंध में कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत ही अनवधान लोप रहा होगा। यदि विधानमंडल का यह आशय नहीं होता कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अधीन अपने पुत्र की संपत्ति का व्ययन करने का पिता का अधिकार शासकीय समनुदेशिती को न मिले तो प्रांतीय दिवाला अधिनियम में 'संपत्ति' पद की परिभाषा उससे बहुत अलग होती, जो अब है और इसीलिए अपने मित्र के प्रति पूरे आदर के साथ मेरा निवेदन है कि उनके बिंदु में, वास्तव में, कोई सार नहीं है। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक, श्री अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. बख्शी टेक चन्द, श्रीमती जी. दुर्गाबाई, डॉ. पी.एस. देशमुख, श्री राम अनन्तसयनम् अय्यंगर, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री नजीरुद्दीन अहमद, श्री राम सहाय और प्रस्तावक से मिलकर बनी प्रवर समिति को इन अनुदेशों के साथ निर्दिष्ट कर दिया जाए कि इसकी रिपोर्ट 16 मार्च, 1948 को या इसके पूर्व प्रस्तुत कर दें तथा ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनकी उपस्थिति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक हो, पांच होगी।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(7)

*धारा 2 और 3 में उल्लिखित अवधि के विस्तार के संबंध में संकल्प यथा अनुकूलित भारत केन्द्रीय सरकार और विधानमंडल अधिनियम, 1946

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ:

"कि भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अनुकूलित भारत (केन्द्रीय सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में यह सभा उक्त अधिनियम की धारा 2 और 3 में उल्लिखित का विस्तार अवधि 1 अप्रैल, 1948 से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की और अवधि तक अनुमोदित करती है।"

अब श्रीमन्, मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस संकल्प के समर्थन में बहुत विस्तृत चर्चा करूँ। मेरा सदन को यह बताना पर्याप्त होगा कि केन्द्रीय विधानमंडल ने वस्तुओं पर नियंत्रण अधिरोपित करने, भूमि का अधिग्रहण करने आदि जैसे विषयों पर, जो केवल प्रांतीय सूची में हैं, अनेक विधान पारित किए हैं। केन्द्र इस शक्ति का प्रयोग करने में इसलिए समर्थ रहा क्योंकि युद्ध छिड़ जाने के कारण गवर्नर जनरल द्वारा आपात्काल की उद्घोषणा कर दी गई थी : और जैसा कि सदन को ज्ञात है, क्योंकि उद्घोषणा गवर्नर जनरल द्वारा जारी की गई थी, इसलिए केन्द्रीय विधानमंडल को कोई भी आदेश पारित करने या इस तथ्य के होते हुए भी कोई विधि पारित करने की आवश्यक शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वह विषय प्रांतीय विधायी सूची के अंतर्गत है। भारत शासन अधिनियम में यह भी उपबंध है कि प्रांतीय विषयों पर विधान बनाने की यह शक्ति आपात्काल की उद्घोषणा वापस लिए जाने के छह मास के पश्चात् समाप्त हो जाएगी। अब यह शक्ति वर्ष 1946 में समाप्त हो गई थी। आज की सरकार यह महसूस करती है कि यद्यपि तकनीकी तौर पर आपात्काल समाप्त हो चुका है, फिर भी वस्तुत: केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा अधिरोपित नियंत्रणों को जारी रखा जाना अत्यावश्यक है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसके द्वारा आपात्काल की समाप्ति पर केन्द्रीय विधानमंडल अपने नियंत्रण को जारी रखने की शक्ति प्राप्त कर सके और इसीलिए, केन्द्रीय विधानमंडल के ब्रिटिश संसद, जो इस समय एकमात्र प्राधिकरण था, से संपर्क किया जो केन्द्रीय विधानमंडल को ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकती थी जिससे वह इस मामले में सम्यक् उपबंध कर सके और संसद ने, जैसा कि सदन को याद होगा, भारत (केन्द्रीय सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 नामक एक अधिनियम वर्ष 1946 में पारित किया।

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 25 फरवरी, 1948, पृष्ठ 1228-29

उस संसदीय कानून की धारा 2 ने डोमिनियन विधानमंडल को उन विषयों के संबंध में विधि बनाने के लिए अनुमति दी थी जिनके संबध में उसने उस आपात्काल के दौरान बनाई थी। किंतु संसदीय कानून ने केन्द्रीय विधानमंडल को प्रारम्भ में मात्र एक वर्ष के लिए यह शक्ति प्रदान की थी।

उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय विधानमंडल ने आवश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 और अधिगृहीत भूमि (शक्तियों का जारी रहना) अधिनियम, 1947 नामक अधिनियम पारित किए। वह विधि 1946 में पारित की गई थी। संसदीय कानून के अधीन यह एक वर्ष तक अर्थात् 1947 तक अस्तित्व में बनी रही।

अब, जैसाकि मैं कह चुका हूँ, संसदीय कानून की धारा 4 में यह उपबंधित है कि केन्द्र इन शक्तियों का प्रयोग एक वर्ष तक कर सकता है। इसमें यह भी उपबंधित है कि शक्तियों का विस्तार एक और वर्ष के लिए किया जा सकता है यदि गवर्नर जनरल ऐसा प्रमाणित कर दे। परिणामस्वरूप, मेरे द्वारा निर्दिष्ट वे दो अधिनियम एक और वर्ष तक गवर्नर जनरल के आदेश द्वारा अस्तित्व में बने रहेंगे और अब हम गवर्नर जनरल द्वारा प्रदत्त विस्तार के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। अब, गवर्नर जनरल द्वारा प्रदत्त विस्तार के अधीन ये 31 मार्च, 1948 तक जारी रहेंगी, इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों से परामर्श किया गया है कि क्या वे 31 मार्च, 1948 के पश्चात् इन नियंत्रणों के बिना कार्य करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि लगभग सभी विभागों ने, जिनके पास प्रशासनिक नियंत्रण का प्रभार है, यह महसूस किया है कि इन नियंत्रणों को जारी रखने के लिए उन्हें कम से कम एक वर्ष और चाहिए।

जैसा कि मैं कह चुका था, संसदीय कानून की धारा 4 ने प्रारंभ में एक वर्ष के लिए, दूसरी बार गवर्नर जनरल के आदेश पर एक और वर्ष के लिए और उसके पश्चात् इस सदन के संकल्प द्वारा शक्ति प्रदान की थी। अतः स्थिति यह है कि जब तक यह सदन उस शक्ति का विस्तार करने के लिए संकल्प पारित नहीं कर देता, ये शक्तियां 31 मार्च, 1948 को समाप्त हो जाएंगी। जैसाकि सदन को याद होगा, मैं मात्र एक विधि मंत्री हूँ और भारत सरकार के कार्यों के संबंध में मेरी कोई प्रशासनिक जिम्मेदारियां नहीं हैं, और इसीलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दे सकूँ कि क्या वास्तव में यह विस्तार आवश्यक है। किन्तु मैं सदन को यह बता सकता हूँ कि सभी विभाग सहमत हैं कि यह विस्तार आवश्यक है। और मुझे आशा है कि सदन भारत सरकार के विभागों के विचार को स्वीकार करेगा और इस संकल्प को पारित करेगा। मैंने यह सावधानी बरती है कि मैं अपने मित्र डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

को अपने पक्ष में रखूँ जिससे कि इस प्रकार के उपबंध की आवश्यकता के संबंध में किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जा सके जिसमें विस्तृत विवरण अपेक्षित हो। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ।

*__माननीय अध्यक्ष :__ संकल्प प्रस्तावित किया गया :

"कि भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अनुकूलित भारत (केन्द्रीय सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में यह सभा इस अधिनियम की धारा 2 और 3 में उल्लिखित अवधि में 1 अप्रैल, 1948 को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की और अवधि के विस्तार को अनुमोदित करती है।"

*सं. स. (वि.) वा., खंड II, 2 दिसम्बर, 1947, पृष्ठ 1199-1200

खंड II

3 फरवरी, 1950
से
20 अप्रैल, 1950 तक

(8)
*दिवाला विधि (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. बी.आर. अम्बेडकर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ :

"कि दिवाला से संबंधित विधि का और आगे संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

4.00 बजे अपराहन

श्रीमन्, सदन को यह समझने में समर्थ बनाने के लिए मैं एक संक्षिप्त कथन करना चाहता हूँ कि वास्तव में विधेयक में क्या किया जाना प्रस्तावित है। भारत में दिवाला विधि दो अलग-अलग अधिनियमों में अंतर्विष्ट हैं : एक एक का नाम प्रांतीय दिवाला अधिनियम है जबकि दूसरे का नाम प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम है। वर्तमान विधेयक में संक्षिप्त नाम के अलावा छह खंड हैं जो विद्यमान दिवाला विधि में संशोधन करते हैं। इस विधेयक के संशोधक खंड दो प्रवगों में आते हैं : कुछ खंड प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम में परिवर्तन करते हैं और अन्य द्वारा प्रांतीय दिवाला अधिनियम में परिवर्तन प्रस्तावित है। प्रांतीय दिवाला अधिनियम में परिवर्तन करने वाले खंड चार हैं; वे 3 से 6 तक हैं और दो का संबंध प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम से है।

जब हम खंड 2 पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि इस खंड के द्वारा केवल एक कठिनाई को दूर किया गया है जो लम्बी अवधि से महसूस की जा रही थी। प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम की धारा 12 में यथा सम्मिलित वर्तमान विधि में यह कहा गया है कि दिवाला याचिका इस घटना के घटने के तीन मास के भीतर फाइल की जानी चाहिए जिसे याचिका प्रस्तुत करने के लिए न्यायोचित आधार के रूप में मान्यता दी गई है। प्राय: ऐसा होता है कि तीन मास की अवधि का उस समय अंत हो जाता है जब न्यायालय बंद हों। वर्तमान विधि के अन्तर्गत लेनदार मात्र इस कारण से याचिका प्रस्तुत करने का अवसर खो देता है कि जब न्यायालय पुन: खुलता है तब घटना घटित होने के बाद से तीन मास से अधिक हो जाते हैं बेशक न्यायालयों ने, इस मामले में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया हो। मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि अवधि का विस्तार नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अवधि का विस्तार किया जा सकता है। अत: यह महसूस किया गया कि दोनों ही प्रयोजनों के लिए अर्थात् उल्लेख किए जा सकने वाले अन्याय को दूर करने के लिए, क्योंकि यदि लेनदार अपनी याचिका तीन मास के

---

*संसदीय वाद-विवाद (जिसे यहाँ इसके पश्चात् सं. वा. कहा गया है।), खंड 1, भाग II, 3 फरवरी, 1950, पृष्ठ 185-93

भीतर प्रस्तुत करने में इस कारण से असमर्थ रहा है कि न्यायालय तीन मास के भीतर प्रस्तुत करने में इस कारण से असमर्थ रहा है कि न्यायालय बंद है तो निश्चित रूप से यह उसका दोष नहीं है और दूसरे, विनिश्चयों में टकराव को दूर करने के लिए भी इस संशोधन द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी ऐसे मामले में जहाँ अवधि ऐसे दिन समाप्त हो जब न्यायालय बंद है तो याचिका उस दिन प्रस्तुत करना विधिपूर्ण होगा जिस दिन न्यायालय पुनः खुले।

अब मैं खंड 3 पर आता हूँ जो प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम की धारा 21 को संशोधन करता है। धारा 21 न्यायनिर्णय के बातिलकरण से संबंधित है। धारा 21 के अधीन, यद्यपि बातिलकरण की शक्ति न्यायालय को दी गई है, फिर भी मामला न्यायालय के विवेकाधिकार के अंतर्गत ही रहता है। शब्द हैं, "न्यायालय कर सकेगा।" इस तरह यह धारा 21 प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 35 के प्रतिकूल हैं : क्योंकि प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 35 के अधीन शक्ति आबद्धकर है और शब्द है–"न्यायालय करेगा।" इसी प्रकार यह पाया गया है कि वर्तमान धारा 21 कुछ सीमा तक अपनी ही धारा 13 के उपखंड (4) से असंगत है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि यदि किसी याचिका को खारिज करने के लिए आधार मौजूद हैं तो न्यायालय उसे खारिज करेगा। इसका कोई कारण नहीं है कि बातिलकरण के मामले में शक्ति विवेकाधीन होनी चाहिए और खारिज किए जाने के मामले में शक्ति अनिवार्य क्यों होनी चाहिए। इसीलिए यह महसूस किया गया कि यह वांछनीय होगा कि प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम को प्रांतीय दिवाला विधि के अनुरूप लगाया जाए और "कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "करेगा" शब्द का प्रयोग किया जाए। अब मैं खंड 4 पर आता हूँ। खंड 4 प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम की धारा 53 का संशोधन करता है। धारा–53, किसी दिवालिया की संपत्ति के विरुद्ध किसी ऐसे निष्पादन लेन –दार के अधिकारों से संबंधित है जिसने ऋृणी के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के पूर्व उसके विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर ली हो। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि निष्पादन लेनदार के अधिकारों का लक्ष्य क्या होना चाहिए : क्या लक्ष्य दिवाला की याचिका का प्रस्तुतिकरण और ग्रहण किया जाना होना चाहिए अथवा लक्ष्य न्यायनिर्णयन होना चाहिए। यह महसूस किया गया कि समुचित लक्ष्य, न्यायसंगत लक्ष्य, याचिका का ग्रहण किया जाना होगा; क्योंकि याचिका ग्रहण किए जाने से अभिप्रेत है कि अन्य लेनदार भी हैं जो ऋृणी की संपत्ति में किसी अंश पर अधिकार रखने के लिए मान्यताप्राप्त भी हैं। अतः पूर्व निष्पादन लेनदार को न्यायनिण र्यिन की तारीख तक संपत्ति विनियोजित करते रहने के लिए अनुज्ञा देना अनुचित होगा। दिवाला की याचिका ग्रहण किए जाने और न्यायालय द्वारा उसके वास्तविक न्यायनिर्णयन के बीच पर्याप्त समय हो सकता है। अतः यह धारा "न्यायनिर्णयन" शब्द के स्थान पर "ग्रहण" शब्द रखती है।

अब मैं खंड 5 पर आता हूँ। खंड 5 प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम में एक नई धारा 101-क पुरः स्थापित करता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, इस नई धारा को पुरः स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि न्यायनिर्णय के बातिलकरण के लिए एक उपबंध है। अब न्यायनिर्णय के बातिलकरण का परिणाम यह है कि ऐसी कार्यवाहियां, जो न्यायनिर्णयन के कारण समाप्त हो गई थीं या प्रारम्भ नहीं की जा सकी थीं, चालू हो जाती हैं। धारा अनुज्ञा देती है कि बातिलकरण पर, अन्य शक्ति जो ऋृणी के विरुद्ध वाद चलाने या कार्यवाही करने का अधिकार रखते हैं; ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनके मार्ग में परिसीमा विधि आ जाती है। जैसा कि सदन के वकील सदस्यों को ज्ञात होगा, परिसीमा विधि का एक सिद्धांत यह है कि परिसीमा यदि एक बार प्रारम्भ हो जाती है तो वह रुकती नहीं है। परिसीमा को निलंबित करने से कोई चीज निवारित नहीं कर सकती। अतः होता यह है कि......

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मैं इसे नहीं समझ सका।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अब कक्षा नहीं लगा सकता।

मुद्‌दा यह है कि चूंकि वाद चलाने का अधिकार बातिलकरण से बहुत पहले प्रारम्भ होता है, इसलिए बातिलकरण आदेश पारित होते-होते वाद या कार्यवाहियां कालवर्जित हो जाती हैं। प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या ऐसा करना ठीक है, क्योंकि यदि कार्यवाहियां या वाद चलाने का अधिकार निलंबित होता है तो यह उस व्यक्ति के, जो वाद चलाने का अधिकार रखता है, दोष के कारण निलंबित नहीं होता बल्कि इसलिए होता है क्योंकि विधि यह कहती हैं कि न्यायनिर्णयन करते समय सभी कार्यवाहियां निलंबित हो जाएँगी। परिणामस्वरूप, इस विषमता को दूर करने के लिए यह प्रस्तावित है : कि इस नई धारा 101-क के द्वारा न्यायालय और पक्षकार इस बात के लिए रवतंत्र होंगे कि वे न्यायनिर्णयन और बातिलकरण के बीच लगे समय को, विधि द्वारा अधिकथित परिसीमा काल की संगणना में से निकलना जिससे कि वाद चलाने का अधिकार व्यवहारिक रूप से बातिलकरण के समय से उत्पन्न समझा जाए। फिर भी, यह अवधि, उस व्यक्ति के कारण, जिसे वाद चलने का अधिकार प्राप्त है, होने वाले किसी विलंब या कमी के लिए किसी अतिरिक्त वर्जन के रूप में नहीं होगी।

अब, खंड 6, विधेयक का मात्र खंड 2 है। वह प्रांतीय दिवाला अधिनियम में केवल वैसा ही परन्तुक पुरः स्थापित करता है जिससे कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अधीन भी यदि याचिका फाइल करने के लिए तीन मास की अवधि उस दिन समाप्त होती है जिस दिन न्यायालय बंद हो तो पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह उस याचिका को उस दिन फाइल कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुले।

तब, अंतिम खंड भी प्रांतीय दिवाला अधिनियम का संशोधन करता है। वर्तमान विधि

में यह उपबंधित है कि न्यायनिर्णय के आदेश के साथ-साथ न्यायालय याची के उन्मोचन की तारीख भी नियत करता है और उससे उस दिन हाजिर होने की अपेक्षा करता है जिसको उसे उन्मोचित किए जाने की तारीख नियत की गई है। अब शब्द ये हैं, "वह हाजिर होगा और यदि वह हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय कार्यवाही करेगा" जैसाकि उसमें कथित है। जहाँ तक शब्दों का संबंध है, यह धारा आज्ञापक है किंतु किनी विचित्र बात है कि न्यायालयों ने "करेगा" शब्द को "सकेगा" बनाकर इसे विवेकाधीन बना लिया है। ऐसाा महसूस किया जाता है कि संभवतः न्यायालयों ने 'करेगा' को 'सकेगा' समझकर वस्तुतः विधानमंडल के आशय को क्रियान्वित किया है। इसी प्रकार प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम में भी "सकेगा" शब्द है न कि "करेगा"। अतः यह संशोधन न्यायालय के विनिश्चय या निर्वचन को स्वीकार करने और "करेगा" को "सकेगा" से प्रति स्थापित करना प्रस्तावित करता है। विधेयक में यही सारे खंड हैं।

मैं यह कहना चाहूँगा कि ये संशोधन बहुत समय से अपेक्षित हैं। इन संशोधनों का सुझाव बहुत पहले दिया गया था, वास्तव में युद्ध के पूर्व, किंतु युद्ध के होते हुए कोई भी विधान बनाना संभव नहीं था। परिणामतः यह विलंब हुआ। मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि इन संशोधनों का अनुमोदन प्रांतीय सरकारों द्वारा कर दिया गया है और प्रातीय सरकारों ने यह भी कहा है कि यद्यपि दिवाला विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, फिर भी यह वांछनीय है कि इन संशोधनों को संसद द्वारा बनाई गई विधि से किया जाए जिससे कि देश भर में इनमें एकरूपता हो। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि दिवाला से संबंधित विधि का और आगे संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

***डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे मित्र श्री विश्वनाथ दास ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनका उल्लेख उन्होंने अपने भाषण के दौरान किया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व मेरी भी यही राय थी कि समय आ गया है जब इन दोनों अधिनियमितियों को एक ही अधिनियम में समामेलित किया जाए। प्रेसिडेंसी नगरों और अन्य क्षेत्रों के बीच हमारी दिवाला विधि में विद्यमान अन्तर अब मुझे न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। किंतु मैं देखता हूँ कि दो अधिनियमों का एक अधिनियमिति में समामेलन करने में समय लगेगा और इसके लिए एक विशेष अभिकरण भी अपेक्षित होगा जिसे धाराओं के मिलान के प्रयोजन के लिए विधि विभाग में नियोजित किया जाएगा। तथापि, वित्तीय समीओं के कारण मेरे लिए उन कर्मचारियों की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया जो इस कार्य को उतनी तत्परता से करने के लिए आवश्य

*सं. वा., खंड 1, भाग II, 3 फरवरी, 1950, पृष्ठ 191-93

हैं। जैसा हम चाहते थे। यही कारण था कि मैं एकल अधिनियमिति पर कार्य करने की अपनी मूल परियोजना को लंबित रखा। तथापि, मैंने उस परियोजना को छोड़ा नहीं है और जैसे ही इस प्रयोजन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, मैं निश्चित रूप से एकल अधिनियमिति संसद के सामने रखूँगा।

उनके द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न के संबंध में कि क्या दिवाला में अधिकारिता जिला न्यायालयों की हो अथवा लघु अधिकारिता न्यायालयों की और उनके द्वारा निर्दिष्ट अन्य धाराओं की बाबत् जो उनके अनुसार ऐसी धाराएं हैं जिनका दिवालिया दुरुपयोग करता है, मेरी राय में ये ऐसे विषय नहीं है जिनपर इस अवसर पर चर्चा की जाए। जैसा कि सभी जानते हैं, दिवाला विधि, किसी दुर्भाग्य या अनिष्ट के प्रति एक प्रकार का विधिक अनुतोष है। इसकी पूरी संभावना है कि ऐसे व्यक्तियों को विधिक अनुतोष का फायदा प्राप्त हो जाए जिन्हें नहीं मिलना चाहिए, किंतु यह एक शिकायत है जो केवल दिवाला विधि के विरुद्ध ही नहीं की जा सकती, अपितु यह लगभग सभी विधियों के विरुद्ध की जा सकती है। विधानमंडल के लिए ऐसा उपाय अधिनियमित करना संभव नहीं है जो इतना चुस्त हो कि वह पूरी तरह से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष हो। ऐसे धूर्त व्यक्ति सदैव उपलब्ध रहते हैं जो फायदा उठाने के लिए साधन और मार्ग निकाल लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। तथापि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मेरे मित्र श्री दास का यह आशय प्रशंसनीय है कि हमें इस प्रकार की विधि में ऐसा कोई बचाव का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे अपात्र व्यक्ति वह अनुतोष प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं जिसे विधि का आशय वास्तव में अभागे व्यक्तियों को देना है और भावी विधानों में निस्संदेह इस बात को ध्यान में रखा जाएगा।

जहाँ तक मेरे मित्र श्री करूणाकर मेनन द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, मेरा ख़्याल है कि वे उन बातों को नहीं समझ पाए जो मैंने प्रारम्भिक टिप्पणियों में कही थीं। वे भूल गए कि वास्तव में हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि या तो प्रांतीय विधि को प्रेसिडेंसी विधि के अनुरूप बनाया जाए या फिर प्रेसिडेंसी विधि को प्रांतीय विधि के अनुरूप बनाया जाए। हम कोई ऐसा अभिनव परिवर्तन नहीं कर रहे हैं जो इन दोनों अधिनियमों में से किसी में पहले से मौजूद न हो। यदि उन्हें प्रांतीय अधिनियम की कुछ धाराओं में समाविष्ट "करेगा" शब्द पसंद नहीं है और "सकेगा" शब्द चाहते हैं तो उन्हें इस बात के लिए भी अपना औचित्य देना होगा कि "करेगा" शब्द प्रांतीय विधान में क्यों जारी रखा जाए। मैंने केवल इतना किया है कि दोनों अधिनियमों में अनुरूपता लाई जाए ताकि इस प्रकार के विधानों में कोई स्पष्ट असंगतता न हो। जैसाकि मैं कह चुका हूँ, यदि उनके पास अब भी विवाद का कोई मुद्दा है तो वे इस सब को समेकित करने वाले नए विधेयक को विधानमंडल के समक्ष लाए जाने के समय उसे उठा सकते हैं। अभी वे केवल अत्यावश्यक संशोधन हैं जिन्हें दोनों ने अर्थात् प्रांतीय सरकारों ने और, यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ तो, सभी उच्च न्यायालयों ने स्वीकार कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि दिवाला से संबंधित विधि का और आगे संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से खंड 7 विधेयक के भाग हैं।"

प्रसताव अंगीकार किया गया।

खंड 2 से खंड 7 विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दी जाए:

"कि खंड 1 में "1949" अंकों के स्थान पर "1950" अंक रखे जाएँ।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथा संशोधित खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि उद्देशिका विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दी जाए :

"कि विद्यमान अधिनियमन सूत्र के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :–"

'संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–'

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यथा संशोधित अधिनियमन सूत्र विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथा संशोधित अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ा गया।

नाम विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दी जाए।

"कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(9)
*दंड विधि संशोधन विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं, दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की इजाज़त का प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित करने की इजाज़त प्रदान दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ।

**दंड विधि संशोधन विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मुझे प्रस्ताव पेश करने इजाजत दी जाए :

"कि दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 का और आगे संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

(श्रीमती दुर्गा बाई–पीठासीन)

इस प्रस्ताव का उद्देयय 1950 के अध्यादेश सं. III को प्रतिस्थापित करना है जिसे दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1950 कहा जाता है। 1950 का यह अध्यादेश संख्या III, 1944 मूल अध्यादेश XXXVIII में एक नई धारा 9-क जोड़ने के लिए पारित किया गया था। यह समझने के लिए कि 1950 का अध्यादेश III वास्तव में क्यों अधिनियमित किया गया था, माननीय सदस्यों के लिए 1944 के इस अध्यादेश सं. XXXVIII का इतिहास सहायक हो सकता है।

युद्ध के दौरान, भारत सरकार और विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने लोक संपत्ति और लोक निधियां, ठेकेदारों और सरकार के अधिकारियों जैसे कुछ व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी थीं। यह पता चला कि उनमें से कुछ व्यक्तियों ने जिन्हें सरकारी संपत्ति और निधियां सौंपी गई थीं; कुछ गबन किए थे ओर परिणामत: अपचारियों के विचारण के लिए 1944 का अध्यादेश XXXVIII पारित किया गया था जिसके अधीन इन अपराधियों

*सं. वा., खंड-2, भाग II, 14 फरवरी, 1950, पृष्ठ 538
**उपरोक्त, 28 फरवरी, 1950, पृष्ठ 983-84

के विचारण के लिए विशेष अधिकरण गठित किए गए थे। वे अधिकरण विभाजन से पूर्व संयुक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में पूरे भारत में फैले हुए थे। इन अधिकरणों को, कुर्की आदेश पारित करके अपचारी की संपत्ति को अवरुद्ध करने की शक्ति दी गई थी एवं इस प्रकार सशक्त किए गए न्यायालय ऐसे न्यायालय थे जिनकी अधिकारिता के भीतर अपचारी रहते या कारबार करते थे।

विभाजन के पश्चात्, एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई अर्थात् के अधिकरण, जिन्होंने अपचारियों की संपत्तियों के विरुद्ध कुर्की के आदेश पारित किए थे, पाकिस्तान का भाग बन गए जबकि अपचारियों की संपत्तियाँ भारत में ही रहीं। इस कठिनाई ने काफी सीमा तक इन विचारणों की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी। अतः अब यह प्रस्तावित है कि ऐसी संपत्ति के संबंध में जिसकी पहले ही न्यायालयों द्वारा कुर्की की जा चुकी हैं (जो अब दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में हैं) आगे आदेश पारित करने की शक्ति भारतीय गणराज्य के भीतर क्रियाशील न्यायालयों को अंतरित की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, इस धारा 9-क को जोड़ा जाना वांछनीय समझा गया जो ऐसे न्यायालयों को, जिनकी अधिकारिता के भीतर अब अपराधों का विचारण किया जा रहा है, इन अपचारियों द्वारा धारित संपत्ति के संबंध में आदेश पारित करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञा देती है।

अध्यादेश इसलिए प्रख्यापित किया गया था क्योंकि विषय को अत्यावश्यक समझा गया था। चूंकि अध्यादेश जारी रखने की शक्ति सीमित अवधि के लिए है, इसलिए उपाय के माध्यम से, समय समाप्त होने से पूर्व अध्यादेश का पुनरीक्षण आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हिमत सिंगका (पश्चिम बंगाल) : जानकारी के मुद्दे पर क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या न्यायालय के आदेश से कुर्क की गई संपत्ति अब पाकिस्तान में है। यदि संपत्ति वहाँ रहती है......

डॉ. अम्बेडकर : संपत्ति यहाँ है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 का और आगे संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

माननीय अध्यक्ष : इसमें कोई संशोधन नहीं है। मैं खंड रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और खंड 3 विधेयक के अंग बन गए हैं।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 2 ओर खंड 3 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

शीर्षक और अधिनियमिति सूत्र विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्तावित करना चाहता हूँ

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(10)
स्थगन के लिए प्रस्ताव
हैदराबाद के मीर लायक अली का अभिरक्षा से निकल भागना

***माननीय अध्यक्ष :** जहां तक मीर लायक अली और अन्य व्यक्तियों के अभियोजन का संबंध है, क्या मैं जान सकता हूँ कि नियंत्रण प्राधिकारी या निदेशन प्राधिकारी कौन हैं?

सरदार पटेल : अंतिम अभियोजन मंजूरी निज़ाम से लेनी होती है।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं नहीं जानता, किंतु इस मामले के संबंध में मेरी प्रथम धारणा यह है कि हैदराबाद किसी अन्य राज्य की ही तरह है। संविधान के अधीन हैदराबाद राज्य के केन्द्र के साथ संबंध में और उदाहरण के लिए, बंबई के केन्द्र के साथ संबंध में कोई अंतर नहीं है, जिसका यह अर्थ है कि सूची II में अधिकथित विषयों के संबंध में पूरा दायित्व राज्य का है और जहां तक सूची I में अधिकथित विषयों का संबंध है, यह केन्द्र का दायित्व है। यही नियम हैदराबाद पर लागू होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक लायक अली की अभिरक्षा का संबंध है यह एक विधि और व्यवस्था का विषय है जो संविधान के अधीन निस्संदेह रूप से स्थानीय प्रशासन का विषय है। इस आधार पर मेरा निवेदन है कि यह ऐसा विषय नहीं है जिसे संविधानिक रूप से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन समझा जा सके, बल्कि मैं एक और टिप्पणी जोड़ना चाहूंगा, अर्थात् इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ स्थानीय विधानमंडल नहीं है जिसके प्रति स्थानीय मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जा सके, यह संभव है, मेरे वक्तव्य में सुधार किया जा सके—कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जा रही है, वह संभवतः उस शक्ति के अधीन की जा रही है जो संविधान कतिपय राज्यों के अनुसार निदेशन और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित है। मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि संविधान के इस भाग के अंतर्गत क्या स्थिति है। किंतु जहां तक संविधान का संबंध है और हैदराबाद राज्य के केन्द्र से संबंधों का प्रश्न है, मैं निवेदन करता हूँ कि यह मामला विधि और व्यवस्था के अंतर्गत आएगा जो सर्वथा राज्य का विषय है।

****विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने स्थगन प्रस्ताव पर कल किए गए वाद-विवाद के दौरान मेरे द्वारा और इस सदन के अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को और स्पष्ट करने तथा व्याख्या करने के लिए मुझे दूसरा अवसर प्रदान किया। चूंकि, मेरी टिप्पणियाँ प्रारम्भ होने से पूर्व आपने यह बहुत अच्छा किया कि उन कठिनाइयों से मुझे अवगत करा दिया, जो आपको महसूस हुईं,

---

*सं वा., खंड 2, भाग II, 7 मार्च, 1950, पृष्ठ 1179-80

**सं. वा., खंड 2, भाग II, 8 मार्च, 1950, पृष्ठ 1236-44

मैं आपके द्वारा अधिकथित बिंदुओं का अनुसरण करूंगा। सर्वप्रथम मैं, एक ओर राज्यों की तथा दूसरी ओर केन्द्र की संविधानिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि राज्य किस सीमा तक केन्द्र से स्वतंत्र और मुक्त हैं तथा किस सीमा तक वे केन्द्र की आज्ञाकारिता या निगरानी या अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन हैं

पहली बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह है कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों के संविधानिक ढांचे में कुछ सीमा तक समान्तरता है। उदाहरण के लिए, केन्द्रीय सरकार के संबंध में आपके पास अनुच्छेद 53 है जो यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उस अनुच्छेद के समरूप आपके पास अनुच्छेद 154 है जो वह कहता है कि राज्यों में कार्यपालिका शक्ति, यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख में निहित होगी। जब हम वास्तविक प्रशासन की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 74 यह उपबंध करता है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति में निहित कार्यपालिका प्राधिकार का प्रयोग करने के संबंध में उसकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रि-परिषद होगी। इस अनुच्छेद के सदृश हमारे पास अनुच्छेद 163 भी है जो राज्यों से संबंधित है। इसकी भाषा में भी अनुच्छेद 74 के समान ही शब्द रखे गए हैं। यह कहता है कि प्रशासन, जो राज्यपाल या राज प्रमुख में निहित है, को चलाने के लिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रि परिषद भी होगी। हमारे पास एक अन्य अनुच्छेद भी है जो दो सदनों से मिलकर बनी संसद में केन्द्र की विधायी शक्ति निहित करता है। उसके सदृश, लगभग समान शब्दावली में, राज्यों के लिए विधानमंडल गठित करने वाला एक अनुच्छेद 168 है सिवाए इस तथ्य के कि कुछ राज्यों में दो सदन हैं और अन्य राज्यों में एक सदन है। एक अन्य उपबंध यह किया गया है कि जहाँ संविधान के प्रारम्भ के समय किसी राज्य में लोकप्रिय रूप से गठित विधानमंडल अस्तित्व में नहीं है वहाँ राज्य का राजप्रमुख, उस राज्य के लिए विधिक रूप से गठित विधानमंडल समझा जाएगा। अतः यह देखा जाएगा कि दोनों मामलों में संविधान के अनुसार प्रशासन के तथाकथित साधन समान्तार हों। इसके संपूरण में, कैंने कल बताया था कि संसद का विधायी प्राधिकार प्राथमिक रूप से सूची में उल्लिखित विषयों तक सीमित रहता है, साथ में यह प्रतिपादना भी है—जिसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती क्योंकि यह सुस्थापित न्यायिक प्रतिपादना है—कि विधायी प्राधिकार कार्यपालिका प्राधिकार के समविस्तीर्ण है। जिसका यह अर्थ है कि जहाँ तक राज्यों का संबंध है उन्हें प्राथमिक रूप से और आधारिक रूप से संविधान में एक स्वतंत्र स्थिति प्राप्त है। ऐसा होने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि शिष्टाचार के नियम द्वारा और नियम शासित उत्तरदायित्व द्वारा भी यह सदन इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं होगा कि यह सूची II में उल्लिखित विषयों की परिधि के भीतर आने वाले किसी विषय पर या तो विधान के रूप में या ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में कोई चर्चा करे जो राज्य द्वारा की गई हो। जैसा मैंने कल कहा था, जहाँ तक मैं समझता हूँ स्थगन प्रस्ताव की विषय-वस्तु मूलतः विधि और व्यवस्था से संबंधित है। विधि और

व्यवस्था ऐसा विषय है जो सूची II में सम्मिलित किया गया है और इसीलिए सदन को यह अनुमति नहीं होगी कि यह ऐसे प्रश्न पर चर्चा करे जिसके लिए राज का विधानमंडल संविधान के नियम द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। मेरे विचार में, यह एक सामान्य प्रतिपादना है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

यदि माननीय सदस्य इस बात को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वे अनुच्छेद 239 के उपबंधों की तुलना उस अनुच्छेद के उपबंधों से करें जिसके प्रति मैंने राज्यों के संबंध में निर्देश किया है। अनुच्छेद 239 भाग 'ग' के राज्यों के प्रति निर्देश करता है; उन्हें "केन्द्र प्रशासित क्षेत्र" कहा जाता है। अनुच्छेद 239 की भाषा अनुच्छेद 154 की भाषा से बिल्कुल भिन्न है। अनुच्छेद 154 की भाषा के अनुसार कार्यपालिका शक्ति, जिसमें प्रशासन भी सम्मिलित है, राज्यपाल में निहित है जबकि अनुच्छेद 239 के प्रारंभ में यह कहा गया है कि भाग 'ग' के राज्य राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित होंगे, जिसका अर्थ "मंत्रि-परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति" है, जिसका तात्पय्र यह है कि, जहाँ तक भाग 'ग' के राज्यों का संबंध है, प्रशासन के किसी भी मामले के लिए जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से संसद पर और केन्द्रीय सरकार पर पड़ती है। अतः कोई भी सदस्य, सदन के तल पर भाग 'ग' के राज्यों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है, किंतु जहाँ तक अन्य राज्यों का संबंध है, उनके मामले में ऐसा नहीं होगा।

राज्यों के संबंध में, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यद्यपि हमारा संविधान राज्यों को कतिपय प्रयोजनों के लिए, जिन्हें मैं निर्दिष्ट कर चुका हूँ, भाग 'क' और भाग 'ख' में विभाजित करता है, अर्थात् उनके गठन का ढांचा, कार्यपालिका शक्ति का निहित होना, विधि बनाने का प्राधिकार आदि, फिर भी वे समानान्तर आधार पर हैं और उनके मध्य पूर्ण समानता है। यह भी सत्य है कि संविधान में एक अनुच्छेद 238 है जो भाग क के राज्यों पर लागू होने वाले अनुच्छेदों को कतिपय उपांतरणों के साथ भाग 'ख' के राज्यों पर लागू करता है। किन्तु जिसे अनुच्छेद 238 के उपबंधों की समीक्षा करने की जिज्ञासा है, वह यह पाएगा कि भाग 'ग' के राज्यों को लागू अनुच्छेदों में किए गए परिवर्तन भाग 'ख' के राज्यों को लागू होने में बहुत ही लघु प्रकृति के हैं—"राज प्रमुख" के स्थान पर "राज्यपाल" का रखना, आदि मात्र शब्दावली संबंधी अंतर है। इससे अधिक बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण से, जैसा कि यह सदन भाग 'क' के राज्यों की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए सक्षम नहीं है, वैसे ही यह भी सदन की अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आएगा कि भाग 'ख' राज्यों के किसी मामले पर चर्चा की जाए क्योंकि, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, संविधान ने दोनों को एक ही आधार पर रखा है।

अब मैं हाल में माननीय गृह मंत्री द्वारा कही गई बात का समर्थन करना चाहूँगा। मात्र यह तथ्य कि निज़ाम राजप्रमुख है, मात्र यह तथ्य कि विधानमंडल नहीं है, मात्र यह तथ्य

कि राज्य का प्रशासन चलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निज़ाम को कुछ अधिकारी उधार दिए गए हैं, हैदराबाद राज्य की प्रकृति को बिलकुल उसी आधार पर होने से नहीं बदल सकता जो भाग 'ख' के अन्य राज्यों का है। और यह भाग 'क' के राज्यों में समतुल्य होने जैसा ही है। मुझे बाद में एक लघु विशेषक के रूप में कुछ बताना होगा किंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि मात्र यह तथ्य कि अधिकारी उधार दिए गए हैं, संविधान के क्षेत्र के भीतर हैदराबाद राज्य की प्रस्थिति और प्रकृति या स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है।

अब, यह साधारण प्रतिपादना है कि भाग 'क' के राज्य और भाग 'ख' के राज्य, कार्यपालिका प्राधिकार के मामले में, विधायी प्राधिकार के मामले में और अपने कब्जे में विधायी तथा कार्यपालिका प्राधिकार प्रशासित करने की पद्धति और रीति के संबंध में केन्द्र से आजाद और स्वतंत्र है। यह साधारण प्रतिपादना है। अब हमें जिस मुद्दे पर विचार करना है, वह अनुच्छेद 371 में अंतर्विष्ट उपबंध है, और प्रश्न यह है कि क्या इस अनुच्छेद का उपबंध भाग 'ख' के राज्यों की स्थिति में कोई परिवर्तन करता है? क्योंकि, जैसा कि सभी जानते हैं, अनुच्छेद 371 केवल भाग 'ख' के राज्यों को लागू होता है और भाग 'क' के राज्यों को लागू नहीं होता। कल चर्चा के दौरान मैंने यह देखा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार को, उपबंधों की स्थिति के अलावा, राज्य सरकारों को कोई निदेश देने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे मुझे यह लगा कि उनके विचार में अनुच्छेद 371 राज्यों के मंत्रिमंडल या भारत सरकार के लिए भाग 'ख' के राज्यों को निदेश जारी करने का आधार नहीं बन सकता। मेरा ससम्मान निवेदन है कि मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। मामला पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए, केन्द्र के पास संविधान के अन्तर्गत चार अलग-अलग अनुच्छेदों के अधीन विभिन्न राज्यों को 352 निर्देश जारी करने की शक्ति है। पहला आपात् अनुच्छेद नाम से ज्ञात अनुच्छेद है जो युद्ध या आंतरिक आक्रमण या इसी प्रकार की अन्य बातों से उत्पन्न होती हैं। राज्यों को निदेश जारी करने के लिए केन्द्र को अनुज्ञात करने वाला दूसरा अनुच्छेद 360 है जो वित्तीय आपात् विषयक है; जब राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि राज्य की साख संकट में है। तो वह वित्तीय आपात् की स्थिति की घोषणा कर सकता है और उस अनुच्छेद के अधीन वह राज्यों को कतिपय निदेश जारी कर सकता है। तीसरा अनुच्छेद 356 है जो विफलता अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। जब राष्ट्रपति यह पाता है कि किसी विशिष्ट राज्य में संविधान का पालन उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में भी, राष्ट्रपति यह देखने के लिए कतिपय निदेश जारी करता है कि संविधान का पालन इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाए।

अब अंतिम अनुच्छेद 371 आता है, जो एक पर्यवेक्षण अनुच्छेद है। यह समझा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 352, 360 और 356 सामान्य रूप में आपात् अनुच्छेद हैं, अर्थात् राज्यों को निदेश देने के लिए उनका अवलंब केवल कतिपय परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर और राष्ट्रपति का समाधान हो जाने पर कि वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, लिया जा सकता है।

पंडित कुंज़रु (उत्तर प्रदेश) : क्या मैं माननीय विधि मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या उन्होंने ये विचार अनुच्छेद 371 के लिए भी व्यक्त किए हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, मैं इसे अलग से ले रहा हूँ। मैं एक ओर अनुच्छेद 371 में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा दूसरी ओर अनुच्छेद 352, 360 और 356 में अंतर्विष्ट उपबंधों के मध्य अंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा है, ये बाद वाले अनुच्छेद आपात् अनुच्छेद हैं, ये ऐसे अनुच्छेद नहीं हैं। जो सामान्य समय में सामान्य प्रशासन से संबंधित हों। उनका अवलंब परिस्थितियों द्वारा न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए। उनके संबंध में दूसरी बात यह है कि वे भाग 'ख' के राज्यों को उसी सीमा तक उसी मात्रा में और उसी रीति में लागू होते हैं जैसे कि भाग 'क' के राज्यों के लिए होते हैं परन्तु यह तब जबकि आपात् उत्पन्न हो चुका हो।

अनुच्छेद 371 की स्थिति भिन्न है। इसमें आपात् अपेक्षित नहीं है। इसे सामान्य समय में प्रयुक्त किया जा सकता है। अन्तर की यह एक विशेषता है। अन्तर की दूसरी विशेषता यह है कि यह केवल भाग 'ख' के राज्यों को लागू होता है। यह भाग 'क' के राज्यों को लागू नहीं होता। अत: मेरे विचार से यह कहना सही नहीं है कि भाग 'ख' के राज्यों को निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार को या तो अनुच्छेद 352, जो एक आपात् अनुच्छेद है या अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 356 का उपयोग करना चाहिए। (पंडित कुंजरु: साधु, साधु)। इन तीन अनुच्छेदों से अलग, केन्द्र को अनुच्छेद 371 के अधीन भाग 'ख' के राज्यों को निदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

पंडित बाल कृष्ण शर्मा (उत्तर प्रदेश) : और यह केवल संक्रमणकालीन है।

डॉ. अम्बेडकर : यह अलग विषय है। संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। अनुच्छेद चालू है और हमें इसे इसी रूप में लेना चाहिए। अत: मेरी राय में, अनुच्छेद 371 केन्द्र को भाग 'ख' के राज्यों को निदेश जारी करने की शक्ति को देना ही है भले ही आपात् न हो। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे सामान्य समय में प्रयोग करना होता है।

अब, श्रीमन्, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अन्त में लेना चाहूँगा। जहाँ तक अनुच्छेद 371 का संबंध है और जहाँ तक निदेश जारी किया गया है—मैं जान बूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ—जहाँ तक अनुच्छेद 371 का संबंध है और जहां तक इसे राज्य सरकार को निदेश जारी करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है, मुझे यह प्रतीत होता है कि इस सदन द्वारा उस विषय पर चर्चा करने के लिए एक संभव आधार है। इस विषय में यही मेरी राय है।

अब मैं.........लेना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या इस अवस्था में मुझे एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण मिलेगा, क्या निदेश देने में असफलता.........?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उसी पर आ रहा हूँ। यह वही मुद्दा है जिसपर मैं चर्चा करना चाहता था क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस संबंध में बहुत स्पष्ट होना चाहिए।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि अनुच्छेद 371 के अधीन क्या निदेश जारी किया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं साधारण स्थिति, बता रहा हूँ। मेरे माननीय साथी गृह मंत्री बताएंगे, कि क्या निदेश जारी किया गया है। मैं प्रशासन का प्रभारी नहीं हूँ और मुझ से मात्र विधिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

अब, श्रीमन्, मैं यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि क्या हमारे विधानमंडल की विगत प्रक्रिया में कोई ऐसा उदाहरण है जो सदन के समक्ष मुद्दे पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता कर सके। यह पता लगाने के लिए मैंने भारत शासन अधिनियम, 1919 के उपबंधों का अध्ययन किया है कि क्या कोई विनिर्णय है जिससे हमें किसी प्रकाार का उदाहरण मिल सके। जैसाकि सदन को याद होगा, जहाँ तक प्रांतों का संबंध है, भारत शासन अधिनियम, 1919 की स्कीम प्रशासन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने की थी: अंतरित भाग और आरक्षित भाग। सदन को यह भी याद होगा कि पुराने भारत शासन अधिनियम के अधीन भारत के असैनिक और सैनिक शासन का अधीक्षण और नियंत्रण सपरिषद विदेश मंत्री में निहित था। यह भी उपबंध किया गया था कि सपरिषद गवर्नर तथा गवर्नर भी इस देश का प्रशासन चलाने के लिए विदेशी मंत्री के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वर्ष 1919 में प्रशासन के क्षेत्र को आरक्षित और अंतरित पक्षों में विभाजित करते समय एक नियम यह बनाया गया था कि अंतरित विषयों के रूप में वर्गीकृत विषय न तो विदेश मंत्री, न ही गवर्नर जनरल और न ही गवर्नर के पर्यवेक्षण, नियंत्रण के अधीन होंगे क्योंकि वे विधानमंडल की जवाबदेही मंत्रियों द्वारा प्रशासित थे। अब 1919 के अधिनियम के उपबंधों के अधीन उत्पन्न प्रश्न यह है: क्या प्रांतों में प्रशासन से संबंधित कोई प्रश्न केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा पूछा जाना संभव है। मेरे द्वारा किए गए अनुसंधानों—और इस संबंध में अध्यक्ष के सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए मैं बहुत आभारी हूँ—से यह पता चलता है कि सभा के तत्कालीन सभापति का यह विचार था कि जहाँ तक अंतरित विषयों से संबंधित प्रश्न है, वे उन्हें अनुज्ञात नहीं करेंगे, किंतु यदि वे 'आरक्षित विषयों' के प्रति निर्देश करते हैं तो वे उन्हें गवर्नर जनरल की मंजूरी के अधीन रहते हुए अनुज्ञात करेंगे। आप को याद होगा कि ऐसी मंजूरी आवश्यक थी क्योंकि सभा नियमों और स्थायी आदेशों, दोनों के अधीन कार्य करती थी। नियम, गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाते थे जो कभी-कभी स्थायी आदेशों के क्षेत्राधिकार को निर्बन्धित कर देते थे। अत: उसकी अनुज्ञा आवश्यक थी। किंतु यह सिद्धांत अपनाया गया था कि जब तक प्रशासन

गवर्नरों, गवर्नर जनरल और अन्ततः विदेश मंत्री के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन जारी रहता है, उन विषयों के संबंध में केन्द्रीय विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए कोई प्रश्न पूछना संभव है और सभापति, अन्य शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए, उन प्रश्नों को ग्रहण करेगा। यह एक उदाहरण है। वास्तव में इसे इस क्षेत्र तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए जो इसके अन्तर्गत न आता हो। जैसा कि मैंने बताया, यह केवल प्रश्नों तक विस्तारित है, न कि अन्य विषयों तक।

अब मैं, भारत शासन अधिनियम, 1935 पर आता हूँ। संभवतः सदन के कुछ सदस्यों को याद होगा कि जैसे ही भारत शासन अधिनियम, 1935 पारित हुआ था, हाउस आफ़ कॉमन्स के कुछ सदस्य, भारत के प्रशासन के संबंध में संसद में विदेश मंत्री से प्रश्न पूछने के अपने अधिकारों को लेकर बहुत अधिक उत्तेजित थे और 1937 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चेम्बरलेन से एक प्रश्न पूछा गया था। श्री चेम्बरलेन ने इस आशय का उत्तर दिया था कि चूंकि देश का प्रशासन भारत में अभिकरणों को अंतरित कर दिया गया है और उस सीमा तक विदेश मंत्री के पास वास्तविक प्रशासन के लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं रह गया है, इसलिए संसद सदस्यों के लिए यह संभव या अनुज्ञेय नहीं होगा कि वे विदेश मंत्री से उन विषयों पर कोई प्रश्न पूछें। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न पूछे जाने के तुरन्त पश्चात् यहाँ भी इस विषय पर विचार किया गया और हमारे पुराने मित्र श्री पांडे द्वारा जो इस सभा के जाने माने सदस्य हैं तत्कालीन विधि सदस्य सर नृपेन्द्र सरकार से एक प्रश्न पूछा गया था। सर नृपेन्द्र सरकार द्वारा दिया गया उत्तर मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही प्रबोधक उत्तर है और, मेरी राय में, वह उस निष्कर्ष का समर्थन करता है जिस पर मैं पहुँचा हूँ और जो मैंने अभी व्यक्त किया है।

सर नृपेन्द्र सरकार का उत्तर निम्नानुसार था :

"(क) सामान्य स्थिति यह है कि जहाँ अधिनियम के अधीन कार्यपालिका और विधायी प्राधिकार प्रांतों में निहित है, वहाँ केन्द्रीय विधानमंडल के लिए उन विषयों पर चर्चा करना समुचित नहीं होगा। तथापि, कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं, जिनमें केन्द्रीय विधानमंडल उचित रूप से हितबद्ध हो (यथा–भारत शासन अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (1) और (2) के अधीन कोई निदेश) और इस तरह प्रांतीय क्षेत्र पर किसी अतिक्रमण का निवारण, प्रश्नों के संबंध में भारतीय विधायी नियमों के नियम 7 के अधीन माननीय सभापति में और संकल्पों के संबंध में नियम 22 के अधीन गवर्नर जनरल में निहित शक्तियों द्वारा विनियमित होने के लिए छोड़ दिया जाए।"

मेरा निवेदन यह है : कि अनुच्छेद 371 में अंतर्विष्ट उपबंध लगभग सदृश हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि वे भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 126 में अंतर्विष्ट उपबंधों के बिल्कुल समान है। 1935 के अधिनियम ने शक्ति गवर्नर जनरल में निहित की थी। यह कहता है :

"फ़ेडरेशन का कार्यकारी प्राधिकार, किसी प्रांत को ऐसे निदेश देने के लिए विस्तारित होगा जो उस प्रयोजन के लिए फ़ेडरल सरकार को आवश्यक प्रतीत हों।"

यह आगे कहता है :

"फ़ेडरेशन का कार्यकारी प्राधिकार, फ़ेडरल विधानमंडल आदि के किसी अधिनियम को किसी प्रांत को दिए गए निदेशों के अधीन क्रियान्वित करने के लिए भी विस्तारित होगा।"

जैसाकि मैंने कहा है, धारा 126, प्रांतों को निदेश देने की शक्ति से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 भी निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकारा को शक्ति देता है। जैसाकि मेरे पूर्व सर नृपेन्द्र सरकार द्वारा निर्वचन किया गया था, पूर्व में हाउस आफ़ कॉमन्स में की गई चर्चा और स्पष्टीकरण के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ऐसे विषयों पर जो कि धारा 126 की सीमा के अंतर्गत आता हो, इस सदन में चर्चा की जा सकती है। अत: मेरा निवेदन है कि उनकी राय सही है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास) : श्रीमन्, क्या मैं माननीय विधि मंत्री को यह सुझाव दे सकता हूँ कि वे भारत शासन अधिनियम की धारा 126 की तुलना संविधान में अनुच्छेद 257/(1) और अनुच्छेद 73(1) के परन्तुक से करते हुए अपनी राय दें।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने उन धाराओं पर विचार नहीं किया है। यदि यह मुद्दा किसी और समय उठाया जाएगा तो मैं स्पष्ट करने के लिए तैयार रहूँगा। इस समय, यह उस विषय से संगत प्रतीत नहीं होता, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

पंडित कुंजरु : क्या माननीय विधि मंत्री अनुच्छेद 371 पढ़कर हमें यह बताएंगे कि क्या इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केवल केन्द्रीय (फ़ेडरल) विषयों के संबंध में आदेश जारी किए जा सकते हैं अथवा राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में भी।

डॉ. अम्बेडकर : वह पूर्णतया स्पष्ट है कि अनुच्छेद 371 राज्य विधानमंडल और राज्य कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों से संबंधित विदेशों के मुद्दे पर ध्यान देता है, यह वास्तव में, राज्यों के प्रशासन के संबंध में ही है कि अनुच्छेद 371 का प्रारुपण किया गया है। इस बिंदु पर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। अब श्रीमन्........।

पंडित कुंज़रु : क्या मैं माननीय विधि मंत्री से यह जान सकता हूँ कि फिर वे कैसे अनुच्छेद 371 को भारत शासन अधिनियम की धारा 126 के, जो फ़ेडरल सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में भारत सरकार के कार्यपालिका प्राधिकार को सीमित करती है, सदृश समझते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे ख़्याल में मेरे माननीय मित्र मुझे समझ नहीं पाए। मुद्दा यह है मैं इसे और स्पष्ट रूप में रखता हूँ। जब एक सरकार अन्य सरकार

को निदेश देने का अधिकार रखती है तो क्या ऐसे निदेश उस सभा में चर्चा का विषय हो सकते हैं जिनके प्रति वह विशिष्ट सरकार जिम्मेदार है? यही प्रश्न है। मैं वृहत्तर मुद्दे के लिए धारा 126 का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इसका उपयोग एक सीमित मुद्दे के लिए कर रहा हूँ, अर्थात् जहाँ कहीं निदेश देने की शक्ति है वहाँ उस शक्ति से जिम्मेदारी विवक्षित है एवं जहाँ कहीं जिम्मेदारी है, वहाँ चर्चा होनी चाहिए। मेरी यह राय है।

अब, श्रीमन्, आपने मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि "साधारण नियंत्रण" का क्या अर्थ है। अब मुझे यह प्रतीत होता है कि "साधारण नियंत्रण" शब्दों का प्रयोग उस विशिष्ट राज्य के भीतर उत्पन्न प्रशासन के प्रत्येक मामले को सम्मिलित करने के लिए किया गया है। निदेश को किसी विशिष्ट मामले तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं। आज निदेश पुलिस प्रशासन के संबंध में दिया जा सकता है कल यह राजस्व प्रशासन के संबंध में दिया जा सकता है; बाद में यह आवश्यक समझा जा सकता है कि वैसा ही निदेश वित्त की बाबत दिया जाए। "साधारण नियंत्रण" से प्रशासन के पूर्ण क्षेत्र पर विस्तारित नियंत्रण अभिप्रेत है। मैंने साधारण नियंत्रण शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया है।

मेरा यह मानना है कि मेरे लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि मैं इसका इतिहास बताऊँ कि इस अनुच्छेद का प्रारूपण कैसे किया गया। मैं आपसे इसकी अनुज्ञा नहीं मागूँगा और यदि आप दे भी दें तो भी मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। किंतु मेरे मन में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद में क्या-क्या सम्मिलित करने का आशय था। यह अनुच्छेद ऐसे विभिन्न अनुच्छेदों, जिनका निर्देश मैं कर चुका हूँ अर्थात् 154, 162, 163 और 168 के अंतर्गत राज्य को दी गई शक्तियाँ कार्यपालिका प्राधिकार कीं, प्रशासन की और विधान की शक्तियाँ वापस नहीं लेता। किंतु सुशासन के हित में इस ने केन्द्र द्वारा दिए गए निदेश का प्राधिकार अध्यारोपित कर दिया ताकि प्रशासन का स्तर नीचे न चला जाए। श्रीमन् अनुच्छेद 371 का यही भावार्थ है।

डॉ. आर.यू. सिंह (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या यह दलील दी गई है कि जब नियंत्रण का प्रयोग किया गया हो, या प्रयोग किया जा रहा हो, और निदेश दिए गए हों तो संसद उस मामले पर चर्चा करने के लिए सक्षम नहीं हैं?

माननीय अध्यक्ष : वे बिल्कुल प्रतिकूल बात कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, आपने इस प्रश्न का उल्लेख किया था कि क्या विधानमंडल है या विधानमंडल नहीं है, यह ऐसा मामला है, जिसपर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, विचार किया जा सकता है।

सैद्धांतिक रूप से बेशक, किसी विधानमंडल के अस्तित्व में होने या अस्तित्व में न होने पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुच्छेद 385 में संविधान स्वयं स्पष्ट रूप

से कहता है कि जहाँ विधानमंडल न हो, वहाँ राजप्रमुख को विधानमंडल समझा जाएगा। किंतु यह ऐसा कह सकता है, क्या कोई स्थानीय विधानमंडल है या नहीं जहाँ यह विशिष्ट मुद्दा उत्तेजित किया जा सकता हो, इस मामले में विगत प्रतीत होता है, जैसाकि उन्होंने, "चर्चा" शब्द का प्रयोग किया है, इसमें स्थगन प्रस्ताव भी सम्मिलित हो सकता है।

अब, श्रीमन्, मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ जिसे पूछने के लिए में आपका आभारी हूँ। "अनुच्छेद 371 की परिधि क्या है, अब, श्रीमन, अनुच्छेद 371 को पढ़कर मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूँ और वह यह है कि अनुच्छेद भारत सरकार पर साधारण नियंत्रण रखने का कर्तव्य अधिरोपित नहीं करता है। यह ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो कर्तव्य अधिरोपित करे। यह ऐसा अनुच्छेद है जो भारत सरकार को निदेश देने के लिए अनुज्ञात करता है। अब, श्रीमन्, जो अंतर मैं करने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और इसे स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री कामथ (मध्य प्रदेश) : क्या मैं यह बता सकता हूँ कि अनुच्छेद 371 में प्रयुक्त भाषा निम्नानुसार है :

"........प्रत्येक राज्य की सरकार........के साधारण नियंत्रण में होगी।......आदि आदि।"

डॉ. अम्बेडकर : "होगी" का क्या अर्थ है? अधीन रहना राज्य का कर्तव्य है। केन्द्रीय सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है।

श्री कामथ : इसमें पारस्परिकता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, इसमें कोई पारस्परिकता नहीं है।

अब स्थिति इस प्रकार है। इस दृष्टिकोण से वह अंतर महत्त्वूपर्ण है। जब कुछ निश्चित करने का कर्तव्य होता है तब या तो कर्तव्य के गलत पालन पर अथवा कर्तव्य का पालन न करने पर निन्दा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। किंतु यदि इस बात पर सहमति हो जाती है कि यह अनुच्छेद भारत सरकार को बेहतर प्रशासन के हित में, कतिपय अवसरों पर या कतिपय स्थितियों में प्रांतीय सरकार को यह बताते हुए मात्र कुछ निदेश देने के लिए अनुज्ञात करता है कि वे यह कह सकते हैं अथवा वे यह नहीं कर सकते तो मैं इस पर सुनिश्चित हूँ कि विचारण के लिए उत्पन्न मात्र प्रश्न यह होगा कि क्या निदेश दिया गया था, क्या निदेश उचित था और क्या ये देखने के लिए कोई कदम उठाया गया था कि निदेशों का अनुपालन किया गया है। यदि केन्द्रीय सरकार को अपनी प्रज्ञा में, अपने विवेक में यह महसूस हो कि इस तथ्य के होते हुए भी कि उस स्थिति में कुछ ऐसे तत्व थे जो आदेश करने की आवश्यकता बनाते थे, यह आवश्यक, उचित या प्रज्ञावान नहीं समझा कि निदेश दिया जाए तो ऐसा न करने के लिए केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरा निवेदन है कि इस अन्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पंडित कुंजरु : मेरे मित्र ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला?

डॉ. अम्बेडकर : यह मैंने पढ़कर निकाला है। जैसाकि मैं कह चुका हूँ, मेरे मित्र इसे भिन्न रूप में पढ़ सकते हैं; मैं जानता हूँ और यदि मैं यह कहूँ कि ऐसे व्यक्ति जो सावधान होने की तुलना में अधिक उत्साही हैं, संभवतः इस अनुच्छेद को अधिक विस्तारित अर्थ देंगे। परन्तु यदि इसे इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह तथ्य कि संविधान ने राज्यों में अपने कार्यों को स्वयं प्रशासित करने के अधिकार निहित किए हैं और केवल भाग ख के राज्यों की दशा में कुछ विषयों पर कतिपय अवसरों पर निदेश देने की कतिपय अवशिष्ट शक्तियाँ दी हैं ओर यह शक्ति, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अनुच्छेद 371 के अधीन बहुत ही सीमित रूप में प्रयोग की जा सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि, यद्यपि मैंने अनुच्छेद 371 पढ़ा है, और में इस निष्कर्ष को स्वीकार किए बिना नहीं कर सकता कि यह भाग ख के राज्यों के प्रशासन के संबंध में किसी मामले पर चर्चा की संभावना को स्वीकार करता है, फिर भी वह बहुत सीमित प्रकृति की होनी चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है।

परिवहन और रेल मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : मैं केवल एक विशिष्ट मुद्दे का हवाला देना चाहता हूँ। यदि आप अनुच्छेद 371 के लागू होने पर एक साधारण विनिण र्यि देना चाहते हैं तो उस अनुच्छेद पर आधारित इसके निर्वचन और स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने विनिर्णय को उस समय तक स्थगित कर दें जब तक मेरी ही तरह अन्य सदस्य आपके समक्ष कुछ बातें रखे। किंतु यदि आप इस प्रस्ताव को उसी छोटे आधार पर, जिस पर माननीय विधि मंत्री ने अपना भाषण समाप्त किया, रद्द करने जा रहे हैं तो मैं आपके समक्ष ये मुद्दे रखकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

माननीय अध्यक्ष : मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं किसी विनिश्चय में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैंने माननीय विधि मंत्री को सुना है, मैंने उनके दृष्टिकोण को सुना है, और यदि अन्य सदस्य इसके पूर्ण रूपेण संविधानिक पहलुओं पर कुछ कहने के उत्सुक हों, इसके गुणागुण पर ध्यान दिए बिना, तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूँ, किन्तु वह चर्चा बहुत कम समय की होगी। मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। कि...........।

डॉ टेक चन्द (पंजाब) : क्या हम यह चर्चा आज करेंगे या किसी अन्य दिन? इस प्रश्न से बहुत महत्वपूर्ण.......

माननीय अध्यक्ष : अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य कृपया पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें तभी वे पाएँगे कि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ एवं मैं वही करने जा रहा हूँ जो वे करवाना चाहते हैं। जिस मुद्दे पर मैं आ रहा था वह यही

है। मैं, स्वयं को केवल वर्तमान मामले के तथ्यों तक सीमित कर रहा हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने माननीय विधि मंत्री को सही समझा है। उन्होंने परिधि के बारे में व्यापक मुद्‌दों पर अपने विचार दिए हैं और, जैसा कि उन्होंने कहा है ऐसे अवसर आ सकते हैं जब केन्द्र इस शक्ति का प्रयोग करे, किन्तु क्या मैं उन्हें इस प्रकार समझने में स्पष्ट हूँ कि यदि यह माना जाए कि केन्द्र द्वारा कोई निदेश नहीं दिए गए हैं या कोई नियंत्रण प्रयोग नहीं किया गया है तो वर्तमान प्रस्ताव उपयुक्त नहीं होगा। क्या उनका निष्कर्ष यही है?

डॉ अम्बेडकर : मेरा विचार यही है।

माननीय अध्यक्ष : दूसरी स्थिति जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ "साधारण नियंत्रण" शब्दों के बारे में थी। उन्होंने कहा था कि "साधारण" शब्द से संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण अभिप्रेत है।

डॉ. अम्बेडकर : और विस्तृत नियंत्रण नहीं, दिन-प्रति-दिन के प्रशासन पर नहीं।

माननीय अध्यक्ष : मैं यही स्पष्ट करना चाहता था। केन्द्र द्वारा निर्धारित साधारण नीति के अधीन रहते हुए राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी।

डॉ. अम्बेडकर : किंतु यह तथ्य भी कि यदि भारत सरकार का समाधान हो जाए कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो अन्य उपबंध लागू किए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : यह एक अलग विषय है। किंतु इस सदन में तब तक चर्चा के लिए कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जब तक कि अनुच्छेद 371 के अधीन शक्ति का प्रयोग केन्द्र द्वारा न किया जाए।

---

(11)
संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक

***माननीय विधि मंत्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मुझे पेश करने की इजाजत दी जाए :

"कि संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन लाभ के कतिपथ पदों के संबंध में उपबंध करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

मरे विचार में मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं इस विधेयक के उपबंधों को समझने में माननीय सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए कोई लम्बा बयान दूं। यह बहुत छोटा विधेयक है। इसमें मात्र एक खंड है। किन्तु माननीय सदस्यों को ऐसी स्थिति में रखने के लिए कि वे समझ सकें कि क्या हो रहा है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 102 यह उपबंध करता है कि कतिपय व्यक्ति संसद के सदस्य होने के लिए निरहित होंगे। उनमें से एक निरर्हता सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से संबंधित है। जहाँ तक मंत्रियों का संबंध है वे उस अनुच्छेद के खंड (2) द्वारा अनुच्छेद 102 के प्रवर्तन से अपवर्जित हैं। तथापि, भारत सरकार में केवल मंत्री ही नहीं होते बल्कि मंत्रियों के अन्य वर्ग जैसे उपमंत्री और राज्य मंत्री भी होते हैं। ये पद संविधान के प्रवर्तित होने से पूर्व सृजित किए गए थे। उनके धारक पद धारण करने के हकदार होने के साथ संसद के सदस्य भी थे क्योंकि 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 के मध्य की अवधि के दौरान, तथा अनुकूलित भारत शासन अधिनियम, 1935 में ऐसा कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं था, जिसका मैंने निर्देश किया है, अर्थात् लाभ का कोई पद धारण करना एक निरर्हता होगी। वास्तव में, अब अनुच्छेद 102 में अंतर्विष्ट उपबंध के कारण स्थिति में परिवर्तन आया है जिससे 26 जनवरी, 1950 से राज्य मंत्री और उप मंत्री संसद में बैठने से निरर्हित हो जाते। इस कठिनाई को दूर करने और निरर्हता को हटाने के लिए, जो अन्यथा उपगत हो जाती, सरकार ने उन्हें संसद में बैठने के लिए अनुज्ञात करने वाला एक अध्यादेश जारी किया था। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, नए संविधान के अधीन अध्यादेश का जीवन बहुत छोटा अर्थात् संसद अगले के अधिवेशन से छह सप्ताह होता है। इस विशिष्ट मामले में संसद का अधिवेशन 28 जनवरी से प्रारम्भ हुआ और इसीलिए अध्यादेश इस मास की 12 तारीख को समाप्त हो जाएगा। यह आवश्यक है कि अध्यादेश का विधिक प्रवर्तन समाप्त होने के पूर्व यह विधेयक पारित हो जाए। विधेयक का उद्देश्य ईप्सा अध्यादेश की धारा-2 के खंड (क) को सम्मिलित करना है जो उप मंत्रियों और राज्य मंत्रियों से संबंधित है। वर्तमान विधेयक मूल अध्यादेश की धारा 2 के खंड (ख), जिसमें अशंकालिक पदों के लिए उपबंध

*सं. वा., खंड 2, भाग II, 9 मार्च, 1950, पृष्ठ 1330

किया गया था, को प्रभावी बनाने का प्रस्ताव नहीं करता है। इसके बजाय, विधेयक में दो और पदों, अर्थात् संसदीय सचिवों और संसदीय अवर सचिवों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह महसूस किया गया है कि यद्यपि ये पद अब विद्यमान नहीं हैं और सृजित नहीं किए गए हैं, किन्तु इसकी प्रबल संभावना है कि भारत सरकार के लिए इन्हें सृजित करना आवश्यक हो जाए। अत: यह महसूस किया गया कि इन पदों को भी सम्मिलित करने के लिए विधेयक की परिधि का विस्तार करना बेहतर होगा। मैं नहीं समझता कि विधेयक के समर्थन के लिए किसी और तर्क की आवश्यकता है और आशा करता हूँ कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया।

*__डॉ. अम्बेडकर :__ मैं यह समझना चाहूँगा कि क्या मेरे माननीय मित्र विधेयक में किए गए इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि ये दो पद सृजित किए जाएं और सृजित किए जाने पर, इन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 में अधिनियमित उपबंध से छूट दे दी जाए। हमें इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए ओर यदि मेरे माननीय मित्र पूरा आधा घंटा ले लेगें तो आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है।

श्री त्यागी : यदि वे थक गए हैं, तो वे घर जा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं सहमत हूँ कि कितना भी समय लिया जा सकता है किंतु जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें बहुत छोटा-सा मुद्दा है।

**__डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :__ मैं मात्र इतना समझना चाहता था कि वास्तव में, वह क्या मुद्दा है जो मेरे माननीय मित्र उठाना चाहते हैं और यदि वे पूरा आधा घंटा लेना चाहते हैं, तो यही बेहतर होगा कि कल प्रारम्भ करें और विधेयक पर कार्यवाही पूरी करें।

श्री त्यागी : जब लोग शीघ्र समझने की स्थिति में नहीं होते, तब उन्हें समझाने में मुझे समय लगता है।

पंडित कुंज़रु (उत्तर प्रदेश) : क्या सरकार का आग्रह है कि विधेयक आज ही पारित किया जाए?

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। यह माननीय उपाध्यक्ष ही हैं जो कहते हैं, "आइए, हम आधा घंटा लें।"

---

*सं. वि., खंड 2, भाग II, 9 मार्च, 1950, पृष्ठ 1334

**सं. स. (वि.) वा., खंड II, 9 मार्च, 1950, पृष्ठ 1334

पंडित कुंज़रु : मेरे विचार में यह चर्चा बिल्कुल निष्फल रहेगी और मैं यह सोचने का साहस करता हूँ कि यदि हम इसे कल तक के लिए स्थगित कर दें तो चर्चा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी।

*****डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मेरे मित्र श्री त्यागी द्वारा उठाए गए पहले मुद्दे–"क्या इस तरह का उपाय किए जाने की कोई आवश्यकता है," पर मेरा विचार है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वह पर्याप्त होना चाहिए और मैं मात्र स्पष्टीकरण के लिए यह और जोड़ना चाहूँगा कि : हमारी वास्तविक कठिनाई इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई है कि परिभाषा अनुच्छेद, अनुच्छेद 366, "मंत्री" शब्द को परिभाषित नहीं करता। अत: "मंत्री" शब्द का निर्वचन दो प्रकार से किए जने के लिए रह जाता है–या तो बृहत्तर तौर पर जिसमें केवल वे सदस्य ही नहीं होंगे जो मंत्री हैं बल्कि वे सदस्य भी होंगे जो उपमंत्री या राज्य मंत्री हैं। बोलचाल के अर्थ में इसमें संसदीय सचिव और संसदीय अवर सचिव भी सम्मिलित होंगे। एक तो यह निर्वचन है जो पूरी तरह संभव है, किंतु इसका संकीर्ण अर्थान्वयन किया जाना भी संभव है जिसमें मंत्रियों से अभिप्रेत उप मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, संसदीय सचिवों या संसदीय अवर सचिवों सहित मंत्री नहीं होगा बल्कि मात्र मंत्रिपरिषद के सदस्य अभिप्रेत होगा। जैसाकि सदन जानता है, रूढ़िगत रूप से–मैं जान–बूझकर "रूढ़िगत रूप से" शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ–मंत्रियों, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और उन मंत्रियों के बीच जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं, प्रत्यक्ष अंतर हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए, न्यायालय के लिए भी यह बिल्कुल संभव है कि इसका संकीर्ण अर्थान्वयन किया जाए और "मंत्रियों" शब्द का विधित: निर्वचन केवल मंत्रिपरिषद् के सदस्यों तक सीमित हो जाए, जिसमें निस्संदेह स्थिति.......।

पंडित कुंज़रु : मेरे माननीय मित्र किस न्यायालय का हवाला दे रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : कोई भी न्यायालय। मैं इसपर भी आ रहा हूँ। मैं साधारण रूप में ही बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति उस निर्वचन पर प्रश्न उठा सकता है। यदि उस निर्वचन पर प्रश्न उठाया जाता है तो निश्चित रूप से कठिनाइयाँ आएँगी, इसीलिए सावधानी के तौर पर और किसी भी प्रकार की कठिनाई या संदेह को दूर करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है, और जैसाकि मैंने कहा था, यदि मेरे मित्र श्री त्यागी द्वारा किया गया निर्वचन ऐसे स्थान पर बरकरार रखा जाता है जहां ऐसे प्रश्न उठाए हाने की संभावना है, तो कोई भी अप्रसन्न नहीं होगा यदि तब यह पाया जाए कि विधेयक अनावश्यक है, किंतु दुर्भाग्यवश, मेरे मित्र श्री त्यागी द्वारा सम्बोधित इस महान, विस्तारित और मूल तर्क के होते हुए भी यदि यह पाया जाए कि अर्थान्वयन ठीक अर्थान्वयन नहीं है तो निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि संसद ने इस विधेयक को पारित करके

***सं. वा., खंड 2, भाग II, 10 मार्च, 1950 पृष्ठ 1344–48

बुद्धिमानी का कार्य किया है। अतः जहाँ तक विधेयक के सटीक उपबंधों का संबंध है, मेरा विचार है कि एक सावधान सदन को उनका समर्थन करना चाहिए। मैं इस बिंदु पर कुछ और नहीं कहना चाहता।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, इस तथ्य के कारण सदन के सदस्यों द्वारा उपगत निरर्हता कि वे इस प्रकार का कोई पद धारण कर रहे हैं जो मंत्री पदों से बाहर का है........।

श्री सिधवा : मैंने समितियों का उल्लेख किया था।

डॉ. अम्बेडकर : इसीलिए मैंने मंत्रीतर पद कहा था। मैं सही विधिक पद का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे विचार में इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। संसद के उठ जाने के बाद यह प्रश्न कल उठाया गया था किन्तु दुर्भाग्यवश जब मैं अपने कक्ष में गया तो मैंने देखा कि सभी पुस्तकालय बंद हो चुके थे और मुझे आवश्यक निर्देश पुस्तकें, जिनका मैं अध्ययन करना चाहता था, नहीं मिल सकीं क्योंकि मैं जानता था कि यह मामला सदन में उठाया जाएगा और मैंने सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिये जो मैं इस परिस्थितियों में दे सकता था। मैंने इस विषय पर अपने मस्तिष्क का उपयोग किया और मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसे अनंतिम निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ जिसे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

प्रथमतः मैं ऐसी आशंका को दूर करना चाहता हूँ जो मेरे मित्र श्री सिधवा द्वारा उठाई गई है कि उनका कोई शत्रु कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि उनका कोई शत्रु नहीं। मेरा विचार है कि उन्हें अजातशत्रु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फिर भी, हमारे संविधान ने ऐसे प्रचुर उपबंध किए हैं कि निरर्हता से संबंधित इस प्रकार के मामले न्यायालय में न जाएँ। अनुच्छेद 103 द्वारा हमने यह विनिश्चित करने की शक्ति राष्ट्रपति पर छोड़ दी है कि क्या कोई लाभ का पद स्वीकार करने के कारण किसी विशिष्ट संसद सदस्य ने निरर्हता उपगत की है या नहीं। राष्ट्रपति अंतिम प्राधिकारी हैं। अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति को बहुत ही सोच-समझ कर और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ परिषद की सलाह पर कार्य करने से मुक्त रखा गया है, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को हितबद्ध सलाह दे सकती है। अतः लाभ का पद धारित करने से उत्पन्न निरर्हता से संबंधित इस विशिष्ट मामले में राष्ट्रपति से निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

श्री कामथ : अनुच्छेद 103 के खंड (2) के बारे में क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसपर आ रहा हूँ। अनुच्छेद 103, एक प्रकार से अनुच्छेद 74 का अपवाद है। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति से यह अपेक्षित है कि वह विधायन और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मंत्रियों की सलाह स्वीकार करें। इसके संबंध में एक अपवाद रखा गया है, और जैसाकि मैंने कहा है, सोच-समझ कर एक अपवाद

रखा गया है, जिससे कि राष्ट्रपति इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय किसी भी तरह के राजनीतिक असर से प्रभावित न हों।

श्री कामथ : वह कौन-सा निकाय है जो इस समय निर्वाचन आयुक्त की जगह कार्य करता है?

डॉ. अम्बेडकर : इस तुरन्त निर्वाचन आयुक्त का पद कठित कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा कोई भी प्रश्न राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने के पहले ही मामले पर कार्यवाही करने के लिए निर्वाचन आयुक्त मौजूद होगा।

श्री कामथ : इस विशिष्ट मामले में, अनुच्छेद 103 के खंड (2) का, जो आज्ञापक है, पालन नहीं किया गया है।

खंड (2) का कहना है :

"ऐसे किसी प्रश्न पर कोई विनिश्चय करने के पहले, राष्ट्रति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

माननीय उपाध्यक्ष : ऐसा कोई प्रश्न राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया है।

श्री त्यागी : खड़े हो जाते हैं.....

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं इन सभी छोटे-छोटे प्रश्नों का, जो इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं, उत्तर नहीं दे सकता। मेरे मित्र श्री सिधवा ने सदन को यह सुझाव दिया था कि जनता में से कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाकर विनिश्चय प्राप्त कर सकता है। संविधान के अधीन यह प्रक्रिया वर्जित है। यह मामला पूर्ण रूप से राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ जो श्री सिधवा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उठाया था कि उन संसद सदस्यों का क्या होगा जिन्हें विभिन्न समितियों में नियुक्त किया गया है। क्या वे निरर्हित हो जाएँगे अथवा वे निरर्हित नहीं होंगे? अब, यहाँ मेरे समक्ष विभिन्न प्रकार की समितियों का विश्लेषण है जिनमें सदस्यों को सेवा करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जहाँ उन्हें किसी रूप में पारिश्रमिक, या शुल्क या कुछ प्राप्त हो सकता है। प्रथमत: यह सदस्यता, संसद के किसी संकल्प द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा गठित किसी समिति या आयोग में होती है, उदाहरणार्थ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध स्थायी समितियाँ आदि में। अन्य और भी समितियाँ हो सकती हैं किंतु तात्त्विक बिंदु यह है कि समितियों की नियुक्ति संसद के किसी संकल्प द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन की जाती है। बेशक, मैं किसी प्रकार की मतान्धता के बिना बोल रहा हूँ किन्तु मैं किसी प्रकार का संदेह महसूस नहीं करता हूँ कि ऐसी किसी समिति की सदस्यता से कोई निरर्हता मात्र इस कारण से

होगी कि यह नियुक्ति, संसद द्वारा या तो किसी विशिष्ट समिति से संबंधित नियमों द्वारा या समितियों के गठन के लिए साधारणतया बनाए गए नियमों द्वारा की गई है।

सदस्यता का दूसरा वर्ग संसद के अधिनियम द्वारा गठित सभी नियमित निकायों से संबंधित है, उदाहरण के लिए जहाँ अधिनियम या तो इसके सदस्यों में से या बाहरी व्यक्तियों में से संसद द्वारा सदस्यों के निर्वाचन के लिए उपबंध करता है, जैसे भारतीय तिलहन समिति, भारतीय नर्सिंग परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या केन्द्रीय रेशम बोर्ड। उसी वर्ग के अधीन ऐसे मामले भी हैं जहाँ ऐसे सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, उदाहरण के लिए, कोयला खान भरण बोर्ड, दिल्ली परिवहन प्राधिकरण इत्यादि। मैं यहाँ अपने मात्र प्रारम्भिक निष्कर्ष व्यक्त कर रहा हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम वर्ग के अंतर्गत जहाँ संसद कतिपय कानूनी निकायों के निर्वाचन के लिए उपबंध करती है जिन्हें सरकार द्वारा की गई नियुक्ति नहीं समझा जा सकता और इसीलिए इस तरह की सदस्यता से मेरी राय में, किसी तरह की निरर्हता नहीं होगी। किंतु दूसरे वर्ग के संबंध में, जहाँ ऐसे सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, मुझे कुछ महसूस होता है। मेरा विचार है कि इसमें संभवत: कुछ निरर्हता मात्र इस कारण हो सकती है कि यद्यपि निगम, जिनमें नियुक्तियाँ की गई हैं, कानूनी निकाय हैं, जिन्हें संसद द्वारा अधिनियमित विधि द्वारा सृजित किया गया है, फिर भी नियुक्ति तो सरकार द्वारा की जाती हैं। अत: यह विनिश्चित करते समय कि क्या संभावित परिणाम निरर्हता नहीं हो सकता, इस एक पहलू पर विचार करना होगा। एक अन्य अंतर भी किया जा सकता है, अर्थात्, यह कि कोयला खान सुरक्षा (भरण) अधिनियम के अधीन किसी कानूनी निकाय में या दिल्ली परिवहन प्राधिकरण में सरकार द्वारा नियुक्त किसी संसद सदस्य को भुगतान उस विशिष्ट प्राधिकरण की निधियों से किया जाता है न कि सरकारी निधियों से, मुझे संदेह है कि क्या अन्तर यह एक संभव आधार हो सकेगा अथवा नहीं। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि इससे निरर्हता होगी, क्योंकि संसद सदस्य को नियुक्ति देकर भुगतान कहीं और से करना कानून के साथ कपट समझा जाएगा। मेरा विचार है? यह एक ऐसा मामला है जिसे अपवर्जित किया जाना चाहिए......।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास) : इसे उस प्रवर्ग में नहीं माना जाता है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी, मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सो सकता था। यह विषय इतना जटिल है कि मैं हैल्सबरी और अन्य पुस्तकें पढ़ता रहा। मेरे पास केवल एनसन की एक मात्र पुस्तक है जो कुछ मार्गदर्शन कर सकती है और उसे मैं आप तक पहुँचा दूँगा। यह 1922 में प्रकाशित हुई थी और संभवत: इससे इस विषय में सर्वोत्तम सहायता मिलती है। मेरे माननीय मित्र को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और मैं यहाँ अपना मात्र प्रारम्भिक निष्कर्ष ही दे रहा हूँ।

श्री कामथ : माननीय मंत्री को आज रात अच्छी नींद आएगी।

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : संसद के एक अधिनियम के अधीन गठित अखिल भारतीय नर्सिंग परिषद् के संबंध में क्या स्थिति है?

डॉ. अम्बेडकर : संभवत: इसमें कोई निरर्हता नहीं होगी। अब मैं, संसद के किसी अधिनियम के अधीन गठित या किसी कानूनी निगम द्वारा नियुक्त सलाहकार परिषदों अथवा समितियों की सदस्यता पर आता हूँ। उदाहरण के लिए, हम दामोदर घाटी निगम का मामला लेते हैं। जैसाकि मैंने कहा था, मैं इसके बारे में भी निश्चित नहीं हूँ। (अवरोध) मैं किसी विशिष्ट मुवक्किल को सलाह नहीं दे रहा हूँ। मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। यदि माननीय महिला नर्सिंग परिषद में हितबद्ध हैं, तो उनके लिए किसी वकील के पास जाकर परामर्श लेना बेहतर होगा।

श्री सिधवा : यह उचित नहीं है।

श्रीमती दुर्गाबाई : अपने बताया था कि कोयला खान सुरक्षा (भरण) अधिनियम निर्रहता के अंतर्गत नहीं आता है......।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने रात भर इसका अध्ययन किया और पता लगाया कि उपबंध क्या है?

अब मैं, संकल्प या आदेश द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा गठित समितियों, आयोगों या परिषदों या ऐसे ही अन्य निकायों की सदस्यता पर आता हूँ। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की सदस्यता, राजकोषीय आयोग की सदस्यता, सरकारी व्यापार जाँच समिति की सदस्यता (अवरोध) में कुछ छिपाना नहीं चाहता–विशेष भर्ती बोर्ड की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगम में प्रतिनिधि अथवा प्रत्यायुक्त। मैं, संकल्प या आदेश से किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गठित समितियों, आयोगों या परिषदों अथवा ऐसे अन्य निकायों की सदस्यता के बारे में संदेहास्पद महसूस करता हूँ।

जैसाकि मैं बता चुका हूँ, मेरा मत है कि कुछ मामलों में, संसद के सदस्य प्रभावित नहीं होंगे। कुछ मामलों में हो सकते हैं। जैसा कि मेरे मित्र प्रो. रंगा ने कहा था–और मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ–लाभ का पद धारित करने के कारण निरर्हती का यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण मामलों में से एक है। भ्रष्टाचार के लिए यह एक आश्चर्यजनक प्रभाव रहा है और हो सकता है और इसीलिए इस मामले में हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मैं नहीं जानता कि इंग्लैण्ड में वे क्या करते हैं। जब भी वे कोई ऐसी विधि बनाते हैं जिसके अंतर्गत वे किसी विशिष्ट पद का सृजन करते हैं तो उसी अधिनियम में वे उपबंध कर देते हैं कि उस पद का धारक ससंद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित

होगा या नहीं, इसलिए वहाँ कोई साधारण सिद्धांत नहीं है। प्रत्येक मामले पर विशिष्टता के साथ कार्यवाही की जाती है और एनसन के खंड 1 में बहुत लम्बी सूची दी गई है। इसमें प्रत्येक अधिनियम, उसके द्वारा सृजित पद और क्या उस विशिष्ट अधिनियम के अधीन पद का धारक संसद सदस्य बना रहेगा अथवा नहीं, यह सब उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूँ, इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा।

एक बात, को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात्, जो सदस्य पहले से ही पद धारण किए हुए हैं, जिससे, जैसा कि मैंने कहा, वे निरर्हित हो सकते हैं, तो यदि उन्हें तुरन्त अपने पद त्यागने पड़ें तो इसमें कुछ प्रशासनिक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कार्य रुक सकता है और यह संभव ही नहीं बल्कि वांछनीय हो सकता है कि वर्तमान में उन पदों के धारकों के संबंध में निरर्हता को हटाने का लघु उपाय अपनाया जाए जिससे कि हमें बाद में इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके कि हम कौन से साधारण सिद्धांत अपनाएं। यदि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने में कुछ विलंब हो जाए तो हम भूतलक्षी प्रभाव देकर एक क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके इसका परिशोधन कर सकते हैं जिससे कि इस समय पदों के सभी धारक ऐसी निरर्हता से ग्रस्त न हों। मैं नहीं समझता कि हम इस मामले में शीघ्र ही कोई विचार कर किसी उचित विचारण या विवेचन के बिना किसी या हर व्यक्ति को छूट देने वाला साधारण खंड को रख सकते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यदि निरर्हता विभिन्न समितियों में कार्य करने वाले सदस्यों पर किसी शर्त के बिना लागू की गई तो कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि सदन चाहे तो मैं एक खंड के एक छोटे से उपाय पर विचार करने और उसे भूतलक्षी प्रभाव देकर सदन के समक्ष प्रस्तुत करने एवं इसमें एक क्षतिपूर्ति खंड जोड़ने के लिए तैयार हूँ ताकि यदि विधिक स्थिति में कोई कमी हो तो यह न समझा जाए कि सदस्य ने अपना स्थान रिक्त कर दिया। इस अवस्था में मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता।

जहाँ तक विधेयक में से अंशकालिक पदों के लोप का संबंध है, मेरे विचार में पहले ही मेरे द्वारा दिया गया उत्तर, कि पद धारकों को छूट का सिद्धांत विस्तारित करते समय हमें सावधान रहना होगा, उन पर भी लागू होता है। मैं यह कह सकता हूँ कि इस अध्यादेश का मूल खंड, युद्धकालीन अध्यादेश, जो 1942 का अध्यादेश सं. II था, से लिया गया है। मेरे मित्र श्री कामथ इस बात को समझेंगे कि आपातकाल में सिद्धांत को व्यापक बनाना पूर्ण रूप से विधिसंगत होगा, जब भरे जाने के लिए पदों की संख्या अधिक हो और उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या बहुत कम हो और ऐसे अवसरों पर कार्यवहन हेतु सदस्यों को लेने के लिए हमें आवश्यक रूप से संसद में जाना पड़ता है। किंतु युद्धकाल में और आपातकाल में जो आवश्यक है, उसे सामान्य काल में लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह विचार मुझपर अभिभावी रहा जिसके कारण मैंने उस खंड का

लोप किया जो अध्यादेश में मूल रूप से रखा गया था।

श्री कामथ : क्या इस अध्यादेश का प्रारूप स्वयं विधि मंत्रालय ने तैयार नहीं किया था?

डॉ. अम्बेडकर : विधि मंत्रालय भूल सकता है और उसे क्षमा भी किया जा सकता है। विधि मंत्री सर्वज्ञ नहीं है। मैं सीखने के लिए जीता हूँ और यदि में अपने मित्र श्री कामथ से कुछ सीख पाऊं, तो मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। मुझे बस इतना ही कहना है।

श्री कामथ : खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मध्याहन-भोजन के लिए स्थगन के पूर्व हमारे पास केवल तीन मिनट शेष हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री कामथ : मुझे कुछ विधिक और संविधानिक मुद्दे प्रस्तुत करने हैं और मुझे तीन मिनट से अधिक समय लगेगा।

प्रारम्भ में, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी राय में, संविधान निर्माण के दौरान मैंने डॉ. अम्बेडकर से बहुत कुछ सीखा है और मुझे उनसे अभी बहुत कुछ सीखना है; मैं उनकी यह प्रशंसोक्ति दोहराना चाहता हूँ—इस विधेयक को शीघ्र और जल्दी पारित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि यह विधेयक आज मध्यरात्रि के पूर्व अर्थात् 10 तारीख को सदन द्वारा पारित हो जाए तो भी उपमंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सदस्यता संविधानिक रूप से विधिमान्य नहीं हो जाएगी; इससे उनके द्वारा पहले से उपगत निरर्हता समाप्त नहीं होगी।

डॉ. अम्बेडकर : आपकी इजाजत से, श्रीमन्, मैं मात्र यह कहना चाहता हूँ कि इस बात में कुछ भी मौलिक नहीं है। इसे पटना उच्च न्यायालय के मत से लिया गया है। किंतु मैं देखता हूँ कि मेरे दोनों मित्र श्री त्यागी और श्री कामथ इस बात को उठा रहे हैं। राष्ट्रपति न्यायालय नहीं होता; राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा व्यक्त राय से बिल्कुल भिन्न राय रख सकता है।

*__श्री कामथ :__ संविधान में इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा, यह केवल मंत्रिमंडल सदस्यों के प्रति निर्देश करता है और यही कारण है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।

श्रीमन्, अगला मुद्दा यह है।

---

*सं. वा., खंड 2, भाग II 10 मार्च, 1950, पृष्ठ 1349-50

कुछ माननीय सदस्य : सदन के उठने का समय हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य उन्हें कुछ और समय दे रहे हैं?

श्री कामथ : ऐसे विधिक मुद्दों के कारण जिनमें मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर की दिलचस्पी है.........।

डॉ. अम्बेडकर : मैं मात्र विधेयक को पारित कराने का इच्छुक हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रकट है सदन उठना चाहता है। सदन 2.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

तब सदन दो बजकर तीस मिनट तक मध्याहन भोजन के लिए स्थगित हो गया।

सदन दो बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन)

श्री कामथ : श्रीमन्, विधि मंत्री यहाँ नहीं हैं।

श्री धिवा : संसदीय कार्य राज्यमंत्री यहां मौजूद है।

माननीय उपाध्यक्ष : हाँ।

श्री कामथ : अरे, विधि मंत्री आ गए हैं।

मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे माननीय मित्र बिल्कुल समय से पहुँच गए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पूर्वाहन में उन्होंने यह स्वीकार किया था, बेशक अप्रसांगिक रूप से ही, कि इस मामले के संबंध में एक संविधानिक, यद्यपि तकनीकी, गलती हो गई है।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने ऐसी कोई भी बात स्वीकार नहीं की है।

श्री कामथ : उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के विनिर्णय का हवाला देते हुए कहा था कि मैं और श्री त्यागी इस विनिर्णय पर अपनपा मत रख रहे हैं और मामले के इस पहलू पर हमें अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे विधिक मुद्दों या विधिक बिंदुओं मे कोई दिलचस्पी नहीं रखते–वे केवल यह चाहते हैं कि विधेयक शीघ्र पारित हो जाए। मुझे उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द याद नहीं हैं। क्या मैं, श्रीमन्, आप से और सदन से यह जान सकता हूँ कि यदि विधि मंत्री को विधिक मुद्दों में दिलचस्पी नहीं है तो इन विधिक मुद्दों में और किसकी दिलचस्पी होगी?

माननीय उपाध्यक्ष : इस बात को छोड़ दीजिए।

श्री कामथ : श्रीमन्, यह इस सदन के सदस्यों के अधिकारों के विषय में है। विधि मंत्री यहाँ मौजूद हैं और वे कहते हैं कि उन्हें विधिक मामलों में कोई रुचि नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं मामले की गुणता में दिलचस्पी रखता हूँ।

श्री कामथ : श्रीमन् कम से कम विधि मंत्री के लिए यदि वे सत्यत : वस्तुत: और गंभीर विधि मंत्री हैं–विधिक मुद्दे उतने ही गुणता के मामले होंगे, जितने विधि के।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री को गलत समझने का क्या फायदा? उनका कहना है कि "जहाँ तक विधि का संबंध है, वह मुझपर छोड़ दिया जाए। कृपया मुझे तथ्यों से, यदि कोई हों, अवगत कराएँ।"

श्री कामथ : क्या मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते अधिकार पूर्वक यह जान सकता हूँ कि यदि कोई मंत्री एक विशिष्ट मन व्यक्त करे तो क्या कोई सदस्य सदन के विशेषाधिकार का कोई मुद्दा नहीं उठा सकता? मुझे नहीं पता कि भविष्य में उनके लिए क्या रखा हुआ है; संभवत: वे किसी अन्य विभाग के बारे में सोच रहे होंगे। मुझे विभागों में परिवर्तन के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। किंतु समाचार-पत्रों में ऐसी अनेक रिपोर्टें आ रही हैं। किंतु मैं यह महसूस करता हूँ कि सदन में यह नहीं कहा जाना चाहिए था कि विधि मंत्री को विधि की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : संसद न्यायालय नहीं है।

संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक

*__माननीय उपाध्यक्ष :__ डॉ. अम्बेडकर।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे लगता है कि सदस्य वास्तव में ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं जो इस विधेयक में अंतर्निहित प्रमुख प्रतिपादना से बहुत दूर है। मुझसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि यह संदेह कैसे उत्पन्न हुआ? यह पहले किसके मन में उत्पन्न हुआ? मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि किसी अन्य देश, जैसे आस्ट्रेलिया या कनाडा में ऐसा विधान आवश्यक क्यों नहीं समझा गया है।

ठीक है, जहाँ तक प्रथम मुद्दें का संबंध है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं स्वयं संदेह महसूस करता था। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि लगाए गए अनेक आरोपों के होते हुए भी कुछ सीमा तक संविधान के निर्माण में मेरा भी योगदान रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे विश्व के ऐसे किसी भी संविधान की जानकारी नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह संदेह के प्रति है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी के प्रति अभेद्य, अन्यथा यदि प्रत्येक संविधान संदेह के प्रति अभेद्य होता जो विभिन्न देशों के उच्चतम न्यायालयों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में विनिश्चय न दिए गए होते। अत: यदि मैं, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में भी, यह महसूस करता था कि इस मामले में कोई संदेह है तो मुझे इसे स्वीकार करने में कोई लज्जा

---

*सं. वा., खंड 2, भाग II, 10 मार्च, 1950, पृष्ठ 1360-64

नहीं है और जब मैं यह कहता हूँ कि इस मामले में कोई संदेह है तो इसे मेरे आचरण की अक्खड़ता न समझा जाए।

मैं यह स्पष्ट करूंगा कि मुझे संदेह क्यों हुआ। मेरे मित्र कृष्णमाचारी ने कहा था कि "मंत्री परिषद" पद वास्तव में भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया था जहां प्रयुक्त भाषा "मंत्रि परिषद" थी और स्पष्ट रूप से वह भाषा 1935 के अधिनियम के प्रारूपकार द्वारा पुराने अधिनियम से ली गई थी जहाँ "कार्य परिषद" शब्दों को किया गया था। अब मैंने महसूस किया कि यदि कोई व्यक्ति "मंत्रि-परिषद" पद का निर्वचन करे तो निस्संदेह रूप से उस पर विचार करने के लिए न्यायोचित होगा कि कार्य-परिषद पद का प्रयोग किए जाने के समय क्या परिस्थितियाँ थीं ओर मंत्रि-परिषद पद के आशय का निर्वचन "कार्य-परिषद" के प्रतिनिर्देश से करने में न्यायोचित होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि "कार्य-परिषद" से कार्य-परिषद के केवल मंत्रि के पद वाले सदस्य अभिप्रेत थे क्योंकि उस समय लोगों का ऐसा कोई वर्ग विद्यमान नहीं था जिसे हम उप मंत्री या राज्य मंत्री या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव कहते हैं। ये ऐसे पद हैं जिन्हें भारत शासन अधिनियम, 1935 के मूल रूप में अस्तित्व में न रहने के लम्बे समय बाद सृजित किया गया था। अतः मैंने यह महसूस किया कि संभवतः चूंकि हमने "मंत्री" या "मंत्री परिषद" शब्दों को परिभाषाओं से संबंधित अनुच्छेद में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होगा कि "मंत्रि परिषद" पद का उपयोग उसी अनुरूपता में किया गया था जैसा कि "कार्य-परिषद" का था और इसीलिए हर व्यक्ति यह करने के लिए स्वतंत्र होगा कि इन अधिकारियों का सम्मिलित किया जाना उद्दिष्ट नहीं था।

यह उस संदेह का आधार है जिसे मैंने महसूस किया था एवं मुझे कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि मामला संदेह के परे करने के लिए संसद से एक विधि पारित करने के लिए क्यों न कहा जाए। इसीलिए, मैं नहीं समझता कि सरकार ने संसद से ऐसा विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव करके कोई अनुचित प्रयास किया है जिसका उद्देश्य संदेह दूर करना है। मैं ऐसे बहुत से मामलों का उल्लेख कर सकता हूँ जहाँ कि सांसदों द्वारा संदेह दूर करने के लिए प्रयोजन से अधिनियम पारित किए गए हैं और मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के संबंध में संसद से वैसा ही अनुरोध करके मैं उससे कुछ असाधारण कार्य करने के लिए कह रहा हूँ।

मेरे मित्र पंडित कुंज़रु द्वारा उठाए गए इस बिंदु के संबंध में कि कनाडा या आस्ट्रेलिया या अन्य डोमिनियनों में सरकारें ऐसे किसी विधान के बिना, जैसा कि अब प्रस्ताव किया गया है, कार्य संचालन कर रही हैं, मैं वास्तव में उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनका विचार है कि आस्ट्रेलिया या कनाडा के संविधान में ऐसा कोई अंतर्विष्ट नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 102 में अंर्तनिहित है, जिसमें लाभ का पद धारित करने के आधार

पर निरर्हताएँ निर्धारित की गई हैं। मैं केवल आस्ट्रेलिया के संविधान का ही निर्देश करने का समय निकाल सका और उसमें निश्चित रूप से ऐसी धारा है जिसमें उपबंध किया गया है कि सम्राट के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए अर्हित नहीं होगा।

पंडित कुंज़रु : यह सही है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि उन्हें आस्ट्रेलिया की संसद द्वारा किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए बनाई गई किसी विधि की परीक्षा करने का समय मिला था जो निस्संदेह परीक्षा से आस्ट्रेलिया के संविधान में उस विशिष्ट धारा के कारण उत्पन्न होनी चाहिए। मुझे उसकी परीक्षा का समय नहीं मिल सका किंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यदि आस्ट्रेलिया की संसद अपने सदस्यों को लाभ का पद धारित करने के साथ संसद में बैठने और उसका सदस्य बने रहने के लिए अनुज्ञात करती है तो वह किसी के विधान के बिना ऐसा कैसे कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसका अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकाल सका, किंतु प्रथम दृष्ट्या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सबसे अधिक असंभव प्रतिपादना होगी कि आस्ट्रेलिया की संसद अपने सदस्यों को, बिना किसी विधि के, जैसी यहां प्रस्तावित की गई है, संसद में बैठने, मत देने और कार्यवाहियों में भाग लेने के साथ-साथ लाभ का पद धाारित करने के लिए अनुज्ञात करें, किन्तु मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता।

अब, मैं दूसरे बिन्दु पर आता हूँ और वह यह है। मेरे मित्र श्री कामथ ने विभिन्न बिन्दुओं में से, जिनको रखने की वे ईप्सा कर रहे थे, जिन्हें दुर्भाग्यवश मैं अपनी सीमित बुद्धिमत्ता के कारण नहीं समझ सका था, एक बिन्दु ऐसा था, जिनके बारे में मेरा विचार है कि मैंने उसे समझा था और जिसे स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा है कि विधेयक के प्रारूप के अंतर्गत किसी राज्य की सरकार का सदस्य भी आता है और उनका तर्क यह था कि प्रारूप बेढंगा है। मेरा विचार है कि यदि उन्होंने खंड को ध्यान से पढ़ा होता और अनुच्छेद 102 के खंड (1) के प्रति भी निर्देश किया होता तो उन्हें यह पता चलता कि भाषा केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि पूर्णतया न्यायोचित है। मेरे मित्र यह समझ जाएंगे कि विधेयक का खंड (2) दो मामलों से संबंधित हैं—एक सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और दूसरा सदस्य होने के लिए, अर्थात् सदस्य बने रहने के लिए। अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि न केवल भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारित करने वाला कोई व्यक्ति ही संसद सदस्य के रूप में खड़ा होने के लिए निरर्हित नहीं होगा, बल्कि इसी प्रकार से राज्य मंत्री या उप मंत्री या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव जो किसी राज्य में उस पद को धारित कर रहा हो, वह भी, यदि वह संसद की सदस्यता के लिए साधारण निर्वाचन में खड़ा होना चाहे तो केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह राज्य में वह पद धारण किए हुए है। यही

कारण है कि किसी राज्य में लाभ का पद धारण करना भी इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए क्योंकि विधेयक का उद्देश्य लोगों के दोनों वर्गों को इस प्रतिरोध से स्वतंत्र करना है—राज्य मंत्री या उप मंत्री या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव चाहे वे केन्द्र में हों या वे राज्य में हों। यही कारण है कि "भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन" शब्दों का प्रयोग किया गया है।

श्री कामथ : मेरे द्वारा उठाए गए बिन्दु का क्या हुआ?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उसी पर आ रहा हूँ।

यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यदि आप किसी राज्य में खंड 2 में उल्लिखित किसी पद के धारक को संसद के निर्वाचन हेतु खड़ा होने के लिए अनुज्ञात करते हैं तो निर्वाचित होने के पश्चात् वह संसद सदस्य के रूप में बने रहने के लिए भी हकदार होगा क्योंकि शब्द "चुने जाने के लिए, और बने रहने के लिए" हैं। मेरे मित्र यह देखेंगे कि अनुच्छेद 101 में अंतर्विष्ट संविधानिक उपबंध द्वारा वह कठिनाई स्वतः पूर्णतया समाप्त हो जाएगी क्योंकि जैसे ही किसी राज्य का कोई राज्य मंत्री या उप मंत्री या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव संसद के लिए निर्वाचित होता है, उसे यह चयन करना होगा कि वह संसद सदस्य बना रहना चाहता है या राज्य विधानमंडल का सदस्य बना रहना चाहता है। परिणामस्वरूप, यद्यपि इस उपबंध के शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं, फिर भी निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी जो संभवतः उनके मन में है।

श्री कामथ : संविधान के अधीन, क्या राज्यों अथवा केन्द्र के लिए भी यह संभव होगा कि उनके ऐसे राज्य मंत्री या उप मंत्री हों जो संबंधित विधानमंडल के सदस्य न हों? कोई भी मंत्री विधानमंडल का सदस्य बने बिना, मंत्री रह सकता है किन्तु जहाँ तक मैं संविधान का निर्वचन कर सकता हूँ, कोई राज्य मंत्री या उपमंत्री उस समय विधानमंडल का सदस्य हुए बिना उस पद को धारण नहीं कर सकता।

डॉ. अम्बेडकर : वह छह माह तक धारण कर सकता है। जहाँ तक उस प्रारूपण पहलू का संबंध है, मैं समझता हूँ कि मैंने इस विषय को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी उस बिंदु पर मुझे लिखते रहे हैं जिसे मैंने कहा था कि मैंने पिछली रात इस विषय का अध्ययन करने में पर्याप्त समय लगाया था। मुझे विश्वास है कि यदि वह पत्र, अर्थात् संसदीय पत्र, जिसका निर्देश उन्होंने अभी किया है, मुझे उपलब्ध करा दिया गया होता तो मेरी मेहनत काफी कम हो जाती। जैसाकि मैंने कहा, जब मैं गया, तब पुस्तकालय बंद था। मैं सोचता हूँ कि या तो पुस्तकालय बंद था या मेरे मित्र पत्र लेकर चले गए थे और मुझे पत्र पढ़ने का अवसर नहीं दिया।

जहाँ तक मेरे मित्र श्री कामथ द्वारा की गई इस टिप्पणी का संबंध है कि मैं उस

समय चूक गया था जब मैंने कहा था कि विधेयक का कुछ भाग, अर्थात् संसदीय सचिव आदि से संबंधित, नई बात है और यह मूल अध्यादेश में सम्मिलित नहीं थी, मैं नहीं समझता कि उनके पास शिकायत करने का कोई आधार है या मुझे क्षमा माँगने की कोई आवश्यकता है। मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि यदि कोई सदस्य चूक जाता है, गलत तथ्य बताता है और इन तथ्यों के परिणामस्वरूप या तो सदन का गलत निर्देश होता है या गलत मार्गदर्शन होता है, तो निस्संदेह ऐसा करने का आधार होगा, किंतु यह मात्र एक चूक थी। हर व्यक्ति यह जानता है और मैं नहीं समझता हूँ कि इसीलिए वहाँ कोई ऐसी बात थी जिसपर शिकायतभरी टिप्पणी अपेक्षित थी, मैं यह कह सकता हूँ कि मेरी स्मरण शक्ति मेरे मित्र श्री कामथ की तुलना में कम परिपक्व है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा बिन्दु है जो मेरे उत्तर के बिना रह गया हो।

पंडित कुंज़रु : क्या माननीय मंत्री हमें बताएँगे कि क्या राज्य मंत्री, मंत्री परिषद में सम्मिलित हैं या नहीं और क्या उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?

डॉ. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र ने यह प्रश्न पहले भी पूछा था। मेरे विचार में वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मंत्रिमंडल के भीतर की स्थिति कभी भी विधि द्वारा विनियमित नहीं होती। यह सदैव परंपरा द्वारा विनियमित होती है। यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि मंत्री मंडल का सदस्य बनाने के लिए वह किसी भी व्यक्ति को चुनें, यद्यपि उसे विशिष्ट रूप से मंत्री के रूप में पदाभिहित न किया जाए। वह यह कहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, "अपने मंत्रिमंडल में, मैं केवल कुछ मंत्रियों को सम्मिलित करूँगा। मैं अन्य मंत्रियों को सम्मिलित नहीं करूँगा किंतु मैं राज्य सचिव या राज्य मंत्री को भी सम्मिलित करूंगा।" जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, मंत्रिमंडल की आंतरिक व्यवस्था सदैव परंपरा का विषय रही है। यदि वे चाहते हैं तो मैं इस समय विद्यमान स्थिति बता सकता हूँ किन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि वह केवल वर्तमान के लिए होगी। वर्तमान प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की कार्य विधि को बदल सकता है, अथवा यदि कोई उत्तराधिकारी आता है तो वह भी भिन्न व्यवस्था अपना सकता है। इसीलिए इसका कोई लाभ.....

पंडित कुंज़रु : क्या मैं अपने माननीय मित्र को बीच में टोक सकता हूँ, क्या वे मंत्रि-परिषद् पद को मंत्रिमंडल का समानार्थक समझते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं समझता। जैसा कि आज प्रात: मैंने अपने आरम्भिक भाषण में कहा था, यह ऐसा वाक्यांश है जिसके दो निर्वचन हो सकते हैं। मैंने संविधान विधि पर लेखकों की मताभिव्यक्तियों का अध्ययन किया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि मंत्री पद में संसदीय सचिव और संसदीय अवर सचिव भी सम्मिलित हैं। ऐसे अन्य लेखक भी हैं जो यह कहते हैं कि 'मंत्री' एक संकीर्ण पद है। इसीलिए, जैसा कि मैंने कहा, किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना या सही उत्तर देना बहुत कठिन है। यह एक अनिश्चित

स्थिति है और इसे अनिश्चित ही रहने देना चाहिए: यही महत्वपूर्ण भाग है। मेरे ऊपर इस बात के लिए दबाव डालने का कोई लाभ नहीं है कि मैं अपने माननीय मित्र को यह स्थिति स्पष्ट करूँ कि मंत्रियों और संसदीय सचिवों की एक ही स्थिति कैसे?

पंडित कुंज़रु : मुझे खेद है कि मैं अपना पक्ष समझाने में विफल रहा। मैं अपने माननीय मित्र की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं मात्र इतना जानना चाहता हूँ कि यदि मंत्रि-परिषद का अर्थ वह नहीं है जो मंत्रिमंडल का है जो निश्चित रूप से यह मंत्रिमंडल से अधिक बड़ा निकाय होगा......

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

पंडित कुंज़रु : ....और राज्य मंत्री तथा उपमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए उनकी स्थिति के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसके विस्तार में जाना आवश्यक नहीं समझता। माननीय प्रधानमंत्री ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा था कि उनकी राय में मंत्रि-परिषद में हर कोई सम्मिलित हैं।

श्री टी. हुसैन (बिहार) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संविधान में यह स्पष्ट है कि कोई मंत्री संसद सदस्य हुए बिना छह मास तक मंत्री रह सकता है। इसका उल्लेख स्वयं संविधान में किया गया है। इस तरह का कोई उल्लेख राज्य मंत्री या उप मंत्री या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव के बारे में नहीं है। माननीय विधि मंत्री ने हमें अभी बताया है कि विधेयक के उनके पठन के अनुसार कोई राज्य मंत्री, संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव, संसद सदस्य हुए बिना छह मास तक पद धारण कर सकता है। मैंने विधेयक पुन: पढ़ा है और मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय मंत्री ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला। क्या वे स्पष्ट करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष : यह पूर्णतया इस विधेयक से सुसंगत नहीं है। सदस्य इस विषय का अध्ययन फुरसत में कर सकते हैं।

डॉ. देशमुख : श्रीमन्, एक बिन्दु, जो तथ्य का विषय है, स्पष्ट किया जाए अर्थात् क्या उप मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह मामला पूर्णतया तथ्य का है और संभवत: माननीय मंत्री, इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : इस संबंध में यह कैसे आवश्यक है?

डॉ अम्बेडकर : निश्चित रूप से, वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं: और कौन नियुक्त कर सकता है?

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन लाभ के कुछ पदों के संबंध में उपबंध करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

मुझे यह प्रस्तावित करने की इजाजत दी जाए।

***श्री त्यागी** : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूँ :

"कि खंड 1 के शीर्षक में, 'संक्षिप्त नाम' शब्दों के पश्चात् 'और प्रारम्भ' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएँ।"

यह बहुत ही सामान्य संशोधन है और आशा करता हूँ कि डॉक्टर साहब इसे स्वीकार करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : संभवतः मेरे मित्र श्री त्यागी ने यह समझा है कि इसमें प्रारम्भ कहने वाला कोई खंड नहीं है। साधारणतः विधेयक में यह बताने वाला खंड होता है कि विधेयक अमुक तारीख से प्रवृत्त होगा। यह खंड इस विधेयक में नहीं है और उनका विचार है कि यह एक कमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए। किन्तु मेरा निवेदन है कि साधारण खंड अधिनियम के अधीन, जब विधेयक में ऐसा खंड अंतर्विष्ट न हो तो यह उपधारणा की जाती है कि यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ठीक पश्चात् प्रवृत्त हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : वे तारीख 26 जनवरी, 1950 तक ले जाना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : जब तक अध्यादेश विद्यमान है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

---

*सं. वा., खंड 2, भाग II, 10 मार्च, 1950, पृष्ठ 1365

(12)
स्थगन के लिए प्रस्ताव

*__श्रीगोपालस्वामी :__ क्या मैं यह बता सकता हूँ कि श्री चैम्बरलेन वाद-विवाद विमर्श के स्थगन के प्रस्ताव के प्रश्न से सम्बद्ध नहीं थे?

पंडित कुंज़रु : ठीक है। मेरा विचार है कि श्री चैम्बरलेन के उत्तर के आधार पर सर एन.एन. सरकार द्वारा दिए गए उत्तर पर निर्भर रहते हुए डॉ. अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस प्रकार के मामले में जानकारी के लिए मांग और चर्चा के लिए मांग के बीच कोई अन्तर नहीं है। सन एन.एन. सरकार ने अपने उत्तर में "चर्चा" शब्द का प्रयोग किया था और यहीं वह शब्द है जिस पर मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने भरोसा किया।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं, श्री चैम्बरलेन द्वारा दिए गए उत्तर पर मेरे माननीय मित्र द्वारा की गई टिप्पणी और उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाने के समय विद्यमान स्थिति और उस स्थिति के बीच, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन उत्पन्न होगी, अनुरूपता स्थापित करने के प्रयास के संबंध में केवल एक ही शब्द कहना चाहूँगा। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वे हमारे अब के संविधान और भारत शासन अधिनियम, 1935 के बीच विद्यमान मूलभूत अन्तर को ध्यान में रखें। वह अन्तर यह है कि जब संसद ने 1935 का अधिनियम बनाया था और कुछ जिम्मेदारियां भारत के लोगों को अंतरित की थीं वे बार-बार इस बात पर जोर देने में कभी नहीं चूके कि भारत में सुशासन की अन्ततः जिम्मेदारी संसद में निहित रहेगी, और इसीलिए निदेश देने के लिए आरक्षित शक्ति की सीमा तक वह वास्तव में सुशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है; जबकि हमारे संविधान के अधीन हमने सुशासन चलाने की शक्ति अपने राज्यों को दी है और केवल कुछ मामलों में हमने निदेश देने की कतिपय शक्तियाँ केन्द्र के लिए आरक्षित रखी हैं। इस अन्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पंडित कुंज़रु : मैं अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर से पूरी तरह असहमत हूँ, उनके द्वारा उठाए गए साधारण बिन्दु के संबंध में नहीं, बल्कि उनके द्वारा अनुच्छेद 371 पर किए गए अर्थान्वयन के संबंध में। जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने एक दिन बताया था, यह अनुच्छेद 371 वर्ग 'क' के राज्यों पर लागू नहीं होता; यह केवल वर्ग 'ख' के राज्यों पर लागू होता है, और क्यों? यह अनुच्छेद 371 केवल वर्ग 'ख' के राज्यों के निर्देश में संविधान में क्यों अंतः स्थापित किया गया था? यह वहाँ सुशासन सुनिश्चित कने के लिए अंतः स्थापित किया गया था।

---

*सं. वा., खंड 2, भाग II, 14 मार्च, 1950, पृष्ठ 1512-13

(13)
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक

***श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) :** यह एक ऐसा विधेयक है जो मैंने गत सत्र में पेश किया था। माननीय विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) ने मुझे बताया था कि वे राज्यों की राय लेना चाहेंगे। अत: औपचारिक रूप से विधेयक पेश करने से पूर्व मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या प्रांतों की राय प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो मैं यह चाहूँगा कि यह विधेयक केंद्र प्रशासित क्षेत्रों तक सीमित रहे।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : श्रीमन्, उस वचन के अनुसार जो मैंने अपने मित्र श्री सिधवा को उनके द्वारा विधेयक पेश करते समय दिया था और उस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यह मामला समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और भारत सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार यह आवश्यक है कि कोई विधान बनाने से पूर्व राज्यों से परामर्श कर लिए जाए, मेरे मंत्रालय ने मेरे मित्र श्री सिधवा द्वारा तथा यथा प्रस्तावित विधि के प्रस्तावित अधिनियमन के संबंध में प्रांतों के विचार प्राप्त करने के लिए उन्हें एक पत्र भेजा था। मुझे यह कहते हुए खेद को रहा है कि विभिन्न राज्यों की पूर्व व्यस्तता के कारण उन सबके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, मुझे भाग 'क' के दो राज्यों और भाग 'ग' के कुछ राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

भाग 'क' के राज्यों के संबंध में, मुझे केवल मद्रास और पंजाब से उत्तर प्राप्त हुए हैं और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि उन दोनों ने केन्द्र द्वारा ऐसा विधान बनाए जाने का विरोध किया है। मद्रास सरकार ने कहा है कि वे स्वयं इस विशिष्ट विधेयक में उठाए गए बिन्दुओं से संबंधित एक संपूर्ण और व्यापक विधान बनाने पर विचार कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि वे वैसा ही शास्ति खंड रखने की आवश्यकता को समझते हैं जैसा कि श्री सिधवा द्वारा प्रस्तावित किया गया है, किंतु वे कहते हैं कि उन्होंने स्वयं हाल ही में ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाली विधि अधिनियमित की है और जहाँ तक उस विशिष्ट प्रांत का संबंध है, ऐसा कोई विधान आवश्यक नहीं है।

भाग 'ग' के राज्यों के संबंध में, उनके द्वारा अपनाई गई स्थिति इस प्रकार है: कि इस समय उनके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं हैं। उन में से कुछ कहते हैं कि उनकी अधिकारिता के भीतर ऐसी सोसाइटियाँ विद्यमान नहीं है। कुछ अन्यों ने कहा है कि वह विधि, जिसका संशोधन करने की ईप्सा मेरे मित्र श्री सिधवा कर रहे हैं, हाल ही में वर्ष 1949 में उनके क्षेत्र में प्रारम्भ कर दी गई है। वहाँ कोई सोसाइटी नहीं है और वह सुझाव देने के लिए अभी कोई अनुभव नहीं हुआ है कि क्या किसी सोसाइटी द्वारा

---

*सं. वा., खंड 3, भाग II, 25 मार्च, 1950, पृष्ठ 2115-16

विधेयक के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया गया है। यह स्थिति उन विभिन्न राज्यों के उत्तरों से स्पष्ट हुई है जिन्हें यह पत्र भेजा गया था। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण राज्यों जैसे बंबई, यू.पी. और मध्य प्रदेश ने कोई उत्तर नहीं दिया है। यह विषय समवर्ती सूची में रखा गया है, और यह वांछनीय है कि केन्द्र द्वारा ऐसा विधान बनाए जाने से पहले हमें भाग 'क' में से अधिकांश या अधिकतर राज्यों की प्रतिक्रिया मिल जानी चाहिए।

जैसाकि मैंने पिछली बार कहा था, व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार नहीं है कि मेरे मित्र श्री सिधवा द्वारा ली गई इस स्थिति से कोई भी वास्तविक रूप से विवाद कर सके कि यदि इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी बनाना है तो इस प्रकार को कोई शास्ति खण्ड रखा जाना आवश्यक है। मैं उनसे सहमत हूँ। किन्तु मेरा बिन्दु यह है कि इस विधान को बनाने के लिए अधिकतर राज्यों को साथ मिलाना वांछनीय है और चूंकि उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरी प्राथमिकता यह होगी कि या तो इस विधेयक को वापस ले लिया जाए या इसे इस आश्वासन के साथ रोक रखा जाए कि जैसे ही समय और परिस्थितियाँ अनुमति देंगी, केन्द्र स्थिति का लाभ उठाएगा।

श्री सिधवा : श्रीमन्, मेरे मित्र डॉ अम्बेडकर के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि वे व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक के पक्ष में हैं और चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए वे चाहेंगे कि सभी महत्त्वपूर्ण राज्यों की राय ली जाए, मैं इस विधेयक को रोक कर रखना चाहूँगा। मैं किसी भी स्थिति में विधेयक वापस नहीं ले सकता, यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है। मैं जानता हूँ कि विभिन्न सोसाइटियों में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आप से अनुरोध करूँगा कि मुझे यह विधेयक जीवित रखने दें। मैं अभी इसे पेश नहीं करूँगा।

माननीय अध्यक्ष : यदि इस समय कोई प्रस्ताव नहीं किया जाता है तो यह स्वतः नियमों के अधीन जीवित रहेगा।

---

(14)
सेना विधेयक

रक्षा मंत्री (सरदार बलदेव सिंह) : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

"कि प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार नियमित सेना के शासन विषयक विधि के समेकन और संशोधन के विधेयक पर विचार किया जाए।"

***माननीय अध्यक्ष :** माननीय डॉ. अम्बेडकर।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : यदि अन्य माननीय मित्र बोलना नहीं चाहते, तो मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र पंडित कुंज़रु द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उत्तर मैं दूँगा क्योंकि उनमें संविधानिक पहलू निहित हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं उन्हें अग्रता दूँगा।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र पंडित कुंज़रु ने प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान दो बिन्दु उठाए थे। चूंकि उनमें माले के संविधानिक पहलू का उल्लेख है, इसलिए मैंने सोचा कि यह समुचित होगा कि इन्हें अपने माननीय साथी के लिए छोड़ने के बजाए मैं ही उनसे निपटूँ।

प्रथम बिन्दु यह था कि विधेयक के खंड 4 और 5 इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए अनुपयुक्त हैं कि उन्होंने भाग 'ख' राज्यों में बलों का अलग से उल्लेख किया है। मैं इन धाराओं पर अलग-अलग विचार करूँगा।

धारा 4 के संबंध में, मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि इस अधिनियम की स्कीम के अधीन नियमित सेना के नाम से ज्ञात और बलों के मध्य, जो नियमित सेना का भाग नहीं है, एक अन्तर किया जाना चाहिए। मेरे मित्र देखेंगे कि नियमित सेना को धारा 3 की मद 21 के संबंध में है, परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, असम राइफल्स, भील कोर्प्स के नाम से ज्ञात और अन्य अनेक यूनिटों का उल्लेख दृष्टांतों के रूप में किया जा सकता है जो नियमित सेना के अंग नहीं हैं। चूंकि अधिनियम मुख्य रूप से नियमित सेना को लागू होता है, इसलिए किसी ऐसी संभाव्यता के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक है जहाँ इस अधिनियम के उपबंधों को ऐसी यूनिटों तक विस्तारित और लागू करना पड़ेगा जो नियमित सेना के अंग नहीं हैं। यही धारा 4 का प्रयोजन है। धारा 4 कहती है.........

पंडित कुंज़रु : क्या ये बल भाग 'ख' राज्यों के बल हैं?

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 6 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 2601-5

डॉ. अम्बेडकर : मैं भाग 'ख' राज्यों पर अलग से बात करूँगा। जहाँ तक वर्तमान में, भाग 'ख' राज्यों में निर्दिष्ट से भिन्न यूनिटों पर इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए धारा 4 के उद्देश्य का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि उस विशिष्ट धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के प्रति कोई विधिमान्य आक्षेप हो सकता है।

धारा-5 के संबंध में, जो भाग 'ख' राज्यों के विषय में है, मेरे माननीय मित्र की दलील है कि यह अनुपयुक्त है और धारा 4 का पिछला भाग भी जिसमें भाग 'ख' राज्यों का उल्लेख है। इस प्रश्न का उत्तर यह है। मेरे माननीय मित्र को याद होगा कि संविधान सभा के प्रारंभिक भाग में स्थिति यह थी कि भाग 'ख' राज्यों को, जिन्हें उस समय सम्मिलित होने वाले राज्य कहा जाता था, स्वयं अपने बल स्वतंत्र रूप से तैयार करने और उनको बनाए रखने की शक्तियाँ दी गई थीं। यदि उनके पास संविधान के मूल प्रारूप की प्रति हो तो उन्हें पृष्ठ 189 पर मद 4 दिखाई देगी और उन्हें यह भी पता चलेगा कि मैंने इस उपबंध पर आपत्ति की थी। मैं नहीं चाहता था कि संघ के अधीन किसी विशिष्ट यूनिट को फौज तैयार करने और उसे बनाए रखने का अधिकार दिया जाए। मैं प्रसन्न था कि उस समय मेरी दलील स्वीकार की गई थी और प्रविष्टि के उस भाग का लोप कर दिया गया था, जिससे कि संविधान के अधीन फौज तैयार करने और उसे बनाए रखने का अधिकार अनन्य रूप से संघ के पास रहे। यद्यपि इस स्थिति को स्वीकार कर लिया गया था किन्तु इससे कठिनाई पूर्णतया समाप्त नहीं हुई थी।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र भली प्रकार से परिचित हैं, भारत सरकार ने भाग 'ख' में उल्लिखित विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ कतिपय प्रसंविदाएं की थीं। प्रसंविदा की शर्तों में से एक शर्त यह भी कि ऐसे राज्य, जिन्होंने अपने कुछ बल तैयार किए हैं और उन्हें बनाए रखा है, उन्हें बनाए रखेंगे और जिस बात से उन्हें वर्जित किया जाना था वह थी नई फौज तैयार करना। विद्यमान यूनिटें चलती रहेंगी। फिर प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि विद्यमान यूनिटों का क्या होगा : क्या वे स्वतंत्र होंगी या वे भारत सरकार के सेना प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगी? एक समझौता किया गया था जिसका उल्लेख उनके द्वारा निर्दिष्ट अनुच्छेद 259 में किया गया है। उसमें यह उपबंध किया गया है कि यद्यपि पहले से तैयार फौज को जारी रखा जाएगा किन्तु वे ऐसी विधि के अधीन होंगे जो संसद बनाए। अब, संसद के लिए यह घोषणा करते हुए विधि बनाना संभव है कि भाग 'ख' राज्यों में पहले से तैयार फौज सभी प्रयोजनों के लिए भारत की नियमित सेना का अंग समझी जाएगी। वास्तव में, आशय यही है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा, ये मामले प्रसंविदा द्वारा शासित हैं। यद्यपि, राज प्रमुख, जो भाग 'ख' के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुच्छेद 259 में अंतर्विष्ट उपबंधों को स्वीकार करने अर्थात् ऐसी विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदत्त करने के लिए तैयार थे फिर भी उनकी इच्छा थी कि वे उन बलों के

कमाडर-इन-चीफ बने रहें और उनकी स्थिति सुरक्षित रहे। प्रसंविदाओं से उत्पन्न इन बातों का, जो, जैसा कि मैंने कहा था, पहले ही की जा चुकी थीं, और जिनके आधार पर अंगीकरण किया गया था, आदर किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ और मेरा विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा जब राज्य स्वेच्छा से इस बात के लिए सहमत होंगे कि संसद, नियमित भारतीय सेना और उनके द्वारा तैयार किए गए बलों के बीच पूर्ण एकरूपता के लिए, पूर्ण अधिकारिता का प्रयोग करे। इसीलिए हमें आज को करना है, वह एक प्रकार का समझौता है। ये धाराएँ 4 और 5 वास्तव में ऐसा सर्वोत्तम समझौता निरूपित करती हैं जो हम कर सकते हैं।

पंडित कुंज़रु : यदि मैं अपने माननीय मित्र को बीच में टोक सकता हूँ तो उन्होंने बहुत ही व्यापक प्रश्न का समाधान किया है। मेरी आलोचना तो मात्र एक बिन्दु तक सीमित थी। संविधान के अनुच्छेद 259 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग सेना अधिनियम का विस्तार भाग 'ख' राज्यों के बलों पर करने के लिए क्यों नहीं किया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसी का समाधान करना चाहता हूँ।

पंडित कुंज़रु : मैंने समस्या के उस व्यापक पहलू पर विचार नहीं किया है जिसके संबंध में मेरे माननीय मित्र ने अब तक विचार किया है।

डॉ. अम्बेडकर : किन्तु, व्यापक पहलू ही वास्तविक पहलू हैं। पूरा प्रश्न संविधान बनाए जाने के पूर्व की गई प्रसंविदाओं द्वारा नियंत्रित है, जब तक कि मेरे माननीय मित्र का वस्तुत: पक्ष यह न हो कि प्रसंविदा हो या न हो, करार हो या न हो, समझ हो या न हो, जहाँ संसद को शक्ति प्राप्त हो, वहाँ संसद को इसका प्रयोग करना चाहिए। वह एक भिन्न स्थिति हो जाएगी।

3.00 बजे अपराह्न

पंडित कुंज़रु : निश्चित रूप से मेरे माननीय मित्र को यह ज्ञात है कि 24 जनवरी को राज्यों के संघों और मैसूर राज्य ने संविधान को स्वीकार करते हुए और यह कहते हुए एक उद्घोषणा जारी की थी कि ऐसे करार जो संशोधन के उपबंधों से असंगत हों, अविधिमान्य हैं।

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, हम वास्तव में एक समझ पर चल रहे हैं। इस पर आने के पूर्व, मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि उन्होंने खंड 2 के एक महत्वपूर्ण बिन्दु, अर्थात् खंड (2) के भाग (ख) का उल्लेख नहीं किया है जो निम्नानुसार है :

"किसी भाग 'ख' राज्य की थल-सेना के व्यक्ति, जब वे सेवा के लिए नियमित सेना के किसी निकाय से सम्बद्ध किए जाएं या जब उक्त बल पूर्णतया या अंशत:

नियमित सेना के किसी निकाय के साथ कार्य कर रहा हो या धारा-5 के अधीन किसी अधिसूना के अनुसरण में उसे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रखा गया हो।"

अत:, यह बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि यह विधि भाग 'ख' राज्यों में बलों को एक पृथक बंद डिब्बे में रखती है। जब केन्द्रीय सरकार खंड 5 के अधीन कोई अधिसूचना जारी करती है, तब अधिसूचना जारी होते ही यह अधिनियम स्वत: भाग 'ख' राज्यों में सेना के उस भाग को लागू हो जाएगा। उन्हें यह भी पता चलेगा कि खंड 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए ही शक्ति दी गई है कि भाग 'ख' राज्यों के बलों के किसी विशिष्ट भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय सेना से सम्बद्ध समझा जाएगा। जहाँ तक कतिपय बलों के सम्बद्ध होने का संबंध है, यह मध्यक्षेप करने की एक प्रत्यक्ष शक्ति भी है।

मेरे मित्र ने पूछा था कि हमने प्रत्यक्ष कार्यवाही क्यों नहीं की। मेरे मन में इसका उत्तर स्पष्ट है। वे समझ पाएँगे कि भाग 'ख' राज्यों में बलों की भर्ती उनकी अपनी-अपनी व्यक्तिगत विधियों के अधीन की गई थी और केन्द्रीय सरकार के किसी अधिनियम के अधीन नहीं की गई थी। भाग 'ख' राज्यों में की गई भर्ती शर्तें भारतीय नियमित सेना में कार्मिकों की भर्ती संबंधी नियमों और शर्तों से तात्त्विक रूप से भिन्न थीं। एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह था कि भारतीय नियमित सेना में भर्ती किए गए व्यक्ति किसी भी जगह सेवा करने के लिए आबद्ध थे किन्तु भाग 'ख' राज्यों से संबंधित बलों में भर्ती किए गए व्यक्ति के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है। मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि उनकी सेवा-शर्तें उनके राज्यों तक ही समिति होता है और उनकी सेवाओं की सबसे विस्तृत परिधि भारत है। युद्ध के दौरान विशेष उपबंध किया गया था और इन सैन्य दलों को इस शर्त पर भारत सरकार के नियंत्रण में दिया गया था कि उनका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने सभी व्यय वहन किए थे और उन्हें भारत के बाहर युद्ध क्षेत्रों में भेजा था। ऐसा होते हुए, यह कुछ कठिन, कठोर और अवैध-सा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति को, जो कि भिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत भर्ती हुआ है, बुलाकर नियमित सेना का भाग बना दिया जाए। परिणामत: यह तथ्य कि अंगीकार करने के लिए हमारे पास राज्य-बलों के साथ प्रसंविदाएँ हैं कि हम एक प्रकार का मध्य मार्ग अपना सकते हैं और मैं नहीं समझता कि किसी भी दृष्टि से खंड 4 और 5 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर कोई आपत्ति की जा सकती है।

अब, मैं उनके द्वारा उठाए गए दूसरे बिन्दु पर, अर्थात् खंड 70 पर आता हूँ। वह सेना न्यायालय द्वारा असैनिक अपराधों के नाम से ज्ञात अपराधों के विचारण के प्राधिकार से संबंधित है। यह पूर्णतया सत्य है कि असैनिक व्यक्तियों के प्रति अपराधों का विचारण सिविल न्यायालयों द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि सेना न्यायालयों द्वारा, किन्तु ऐसे तर्क हैं जो दूसरे पक्ष को बल देते हैं और विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों को समर्थन

देते हैं। मैं पहले कुछ ऐसी कठिनाइयाँ बताऊँगा जिनका सामना इस प्रकार से मुद्‌दे को विनिश्चित करते समय करना पड़ता है। मान लीजिए कि बैरक में किसी सैनिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है, जहाँ सेना रुकी हुई है, वहाँ न्यायालय कौन–सा होना चाहिए, सेना न्यायालय या मजिस्ट्रेट का सामान्य न्यायालय? मैं दूसरी कठिनाई बताता हूँ और वह यह है किसी असैनिक व्यक्ति के प्रति अपराध किया जाता है, किन्तु वह अपराध ऐसा होता है कि वह सामान्य दण्ड विधि के अतिक्रमण के साथ–साथ अनुशासन के ऐसे नियमों का भी अतिक्रमण करता है जिसका प्रत्येक सैनिक द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के मामले में उपयुक्त न्यायालय कौन–सा होगा, जहाँ सैनिक द्व ारा किया गया कृत्य समान रूप से सामान्य दंड विधि में भी एक अपराध है और सेना नियमों के अधीन अनुशासन का अतिक्रमण भी है? इस अन्य दृष्टांत लें। मान लीजिए कि सेना एक स्थान से दूसरी स्थान को जाने के लिए तैयार है, उस सेना में शामिल प्रत्येक सैनिक को चलना चाहिए। तब यदि हम यह उपबंध करें कि किसी सैनिक द्वारा किए गए किसी भी अपराध का विचारण, असैनिक न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो हो सकता है कोई अड़ियल सैनिक, जो फौज के साथ दूसरे केन्द्र पर न जाना चाहे, वहीं पर रुके रहने के लिए जान–बूझकर किसी प्रकार के अपराध में स्वयं को लिप्त कर ले ताकि उसका विचारण असैनिक न्यायाधीश द्वारा हो। क्या उसे अनुज्ञात करना चाहिए? यदि मेरे मित्र को स्वयं इस विषय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़े तो उन्हें और भी अनेक कठिनाइयां मिलेंगी यदि वे इस सैद्धान्तिक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी असैनिक व्यक्ति के विरुद्ध किसी सैनिक द्वारा किए गए सभी अपराधों का विचारण सामान्यत: सिविल न्यायालय में किया जाना चाहिए।

पंडित कुंज़रु : मेरी दलील यह नहीं थी।

डॉ. अम्बेडकर : इसीलिए मेरा यह कहना है कि इस प्रश्न के संबंध में कोई भी सैद्धांतिक राय रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसे सभी अपराधों का विचारण सेना न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, न ही कोई ऐसा कह सकता है कि ऐसे किसी भी अपराध का विचारण सिविल न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, विधेयक में, मामले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कतिपय समझौते किए गए हैं। किसी सैनिक द्वारा किए गए अपराधों का सैनिक न्यायालय द्वारा किए गए विचारण के मामलों की संख्या सीमित है। वे हत्या, आपराधिक मानव–वध आदि हैं।

पंडित कुंज़रु : किसी सेना न्यायालय द्वारा या दंड न्यायालय द्वारा?

डॉ. अम्बेडकर : दंड न्यायालय द्वारा। अन्य सभी का विचारण सेना न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

इससे संबंधित कुछ अन्य उपबंध भी विधेयक में हैं। उन पर भी विचार करना चाहिए। वे खंड 125, 126 और 127 हैं। सेना न्यायालयों के विचारण के लिए छोड़े गए अपराधों पर उनका विवेकाधिकार या अधिकारिता आत्यंतिक नहीं है बल्कि यह मेरे द्वारा निर्दिष्ट उपबंधों द्वारा शासित हैं, अर्थात् सेना न्यायालय, खंड 125 के अधीन यह विनिश्चित कर सकेगा कि वह अपराध का विचारण करना चाहता है या नहीं। यदि सिविल न्यायालयों का विचार है कि अपराधों का विचारण उनके द्वारा किया जाना चाहिए तो उन्हें खंड 126 के अधाीन भारत सकार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और यदि अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो वे अपराधों के विचारण की कार्यवाही कर सकते हैं। एक और उपबंध भी है, जो एक तरह से एक असाधारण बात है अर्थात् "उत्तरोत्तर विचारण"। यदि यह पाया जाए कि अपराध गंभीर या घोर है किन्तु अपराध का विचारण करने के लिए अनुज्ञप्राप्त सेना न्यायालय ने उस व्यक्ति को हल्का-फुलका दंड देकर छोड़ दिया है तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अधीन उस व्यक्ति का विचारण दो बार किया जा सकता है। उल्लिखित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् सभी अपराधों का विचारण करने के लिए सिविल न्यायालयों को अनुज्ञात करना, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खंड 125 और 127 में उपबंध अंतर्विष्ट हैं, मैं यह अनुध्यात नहीं करता कि ऐसे मामलों की संख्या अधिक होने की संभावना है जिनमें घोर अन्याय होना वर्णित किया जा सके। मेरा विचार है कि इस प्रकार की घटना के निवारण के लिए हमने पर्याप्त पूर्वावधानी बरती है और इसीलिए मेरा निवेदन है कि इन उपबंधों को तथा धारा 70 को ध्यान में रखते हुए विधेयक के इस भाग के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा–मैं समझता हूँ कि इसका निर्देश किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था–कि इस विधेयक का खंड 70 वास्तव मे ब्रिटिश आर्मी ऐक्ट की धारा 41 की पुनरावृत्ति है। वहाँ भी उन्होंने वैसा ही उपबंध किया है। यू.एस.ए. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में उपबंध अधिक विस्तृत है। आखि़र इस मामले पर हमें अपराधी के दृष्टिकोण से ध्यान देना होगा, शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से उतना नहीं। इन सभी मामलों में अपराधी सैनिक होगा और प्रश्न यह है कि क्या उस सैनिक को, जो किसी विशिष्ट अपराध का अभियुक्त है और यदि वह सैनिक नहीं होता तो उसका विचारण सिविल न्यायालयों द्वारा किया जाता उसे सेना न्यायालयों में न्याय प्राप्त नहीं होता।

मेरे मित्र ने कहा कि वे लोग जो सेना न्यायालय में बैठते हैं, प्रशिक्षित वकील नहीं होते। मैं नहीं जानता किन्तु अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि मैं कुछ जज एडवोकेट-जनरल से मिला हूँ, वे यदि बेहतर नहीं तो इतने ही कुशल थे जितने वे वकील होते हैं जो हमें न्यायालयों मे मिलते हैं। तथापि, निश्चित रूप से सैनिक को यह अपेक्षा नहीं होती है कि उसे असैनिक अपराध करने के लिए बेहतर न्याय प्राप्त

हो सकता, उसकी तुलना में जो कोई सैनिक अपराध करने के लिए सामान्य रूप से अपेक्षित हो। यदि उसे वैसा ही न्याय मिले जैसा कि सिविल न्यायालयों से मिलता है तो मैं नहीं समझता कि शिकायत का कोई कारण होना चाहिए। मेरे मित्र को इस संबंध में किसी प्रकार का भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनकी आलोचना सुव्यवस्थित है।

श्री एस.एन. सिन्हा : वे कौन-से मामले हैं जिनमें दंड न्यायालयों और सेना न्यायालय को समवर्ती अधिकारिता प्राप्त हैं? खंड 125 के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं कह सकता। इसमें एक प्रकार का वृहत संकलन अपेक्षित है। निस्संदेह ऐसे कुछ अपराध है जो सिविल और सेना दोनों न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आते हैं।

श्री एस.एन. सिन्हा : मेरी दलील यह थी कि विधेयक का केवल खंड 70 ही विशिष्ट मामलों के संबंध में सामान्य दण्ड न्यायालयों को अधिकारिता देता है।

पंडित कुंज़रु : बहुत से माननीय सदस्यों के मन में यह संदेह है। यदि मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर खंड 125 को देखें तो वे पाएँगे कि प्रारम्भिक शब्द है, "जब अधिकारिता रखने वाले किसी दंड न्यायालय की राय हो..................।" प्रश्न यह है कि "अधिकारिता रखने वाले" शब्दों का क्या अर्थ है। क्या उनका अर्थ देश की सामान्य दण्ड विधि के अधीन अधिकारिता रखने वाले हैं अथवा इस विधेयक के अधीन अधिकारिता रखने वाले? यह ऐसा प्रश्न है जिससे अनेक माननीय सदस्य परेशान हैं। यदि यह कहा जाए कि इन शब्दों का अर्थ इस विधेयक के अधीन अधिकारिता रखने वाले..........

डॉ. अम्बेडकर : साधारण विधि के अधीन।

पंडित कुंज़रु : तब स्पष्ट रूप से खंड 69, उन मामलों को छोड़कर जो धारा 70 के अंतर्गत आते हैं, किसी भी दांडिक मामले का विचारण करने के लिए साधारण दण्ड न्यायालयों को विवर्जित करता है। वास्तविक प्रश्न यही है।

डॉ. अम्बेडकर : सिविल अपराध को विधेयक के पृष्ठ सं. 2 पर परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ "कोई अपराध जिसका विचारण दण्ड न्यायालय द्वारा किया जा सके, जोकि सेना न्यायालय से भिन्न है।''

---

(15)
भाग-ग राज्य (विधि) विधेयक

*__विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :__ मैं कतिपय भाग-ग राज्यों में विधियों के विस्तार का उपबंध करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की इजाजत के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय भाग-ग राज्यों में विधियों के विस्तार का उपबंध करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की इजाजत दी जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

**__विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :__ मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

"कि कतिपय भाग-ग राज्यों में विधियों के विस्तार का उपबंध करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

कदाचित् यह आवश्यक है कि मैं सदन में कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करूँ कि इस विधेयक को क्यों कतिपय भाग-ग राज्यों तक सीमित रखा गया है। स्थिति यह है, कि हमारे पास संविधान की अनुसूची-1 में उल्लिखित कुल मिलाकर दस भाग-ग राज्य हैं। वे दस राज्य तीन समूहों के अंतर्गत हैं। कुर्ग, अजमेर और दिल्ली, जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे अब भाग 'ग' राज्य के रूप में अभिहित हो गए हैं और जो संविधान से बहुत पहले अस्तित्व में आ गए थे। परिणामत: जहाँ तक इन तीन राज्यों का संबंध है, केन्द्रीय नियमों के विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे उसी समय लागू हो गए थे, जब वे अधिनियमित किए गए थे।

फिर भाग-ग राज्यों का दूसरा समूह है जो बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, भोपाल और कच्छ हैं। उनके संबंध में गत वर्ष ही इस विधानमंडल ने केन्द्रीय अधिनियमों का विस्तार करने वाली एक विधि पारित की थी। यह विधेयक तीन भाग 'ग' राज्यों, अर्थात् विन्ध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर तक सीमित है। इस पर पृथक कार्यवाही की जाएगी क्योंकि वे 1949 का अधिनियम पारित होने के पश्चात् अस्तित्व में आए थे। परिणामस्वरूप, यह उपाय इन तीन भाग-ग राज्यों तक सीमित है। मैं यह उल्लेख कर दूँ, कि यद्यपि सभी विधियाँ, जिनका विस्तार भाग-ग राज्यों तक 1949 के अधिनियम द्वारा किया गया

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 5 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 2551

**सं. वा., खंड 4, भाग II, 11 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 2777-84

था, विन्ध्य प्रदेश और त्रिपुरा को विस्तारित की गई है किंतु मणिपुर राज्य के संबंध में कुछ अपवाद किए गए हैं। सभी विधियाँ जो विन्ध्य प्रदेश या त्रिपुरा को पहले लागू की जा चुकी हैं या वर्तमान विधेयक द्वारा लागू की जाती हैं, स्वबल से मणिपुर को लागू नहीं की जाती हैं। यह कहा जाता है कि मणिपुर में अधिकतर ऐसे लोग आबाद हैं जिन्हें जनजाति कहा जाता है, जिनकी संस्कृति और जिनके रीति-रिवाज एवं जिनकी जीवन शैलियाँ उनसे पर्याप्त रूप से भिन्न हैं जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिसे "स्थिर क्षेत्र" कहा जाता है। परिणामस्वरूप, यदि सभी अधिनियमितियों का विस्तार मणिपुर तक किया जाता तो इससे बहुत विघ्न हो सकता था, इसीलिए एक अनुसूची जोड़ी गई है कि कौन-कौन-सी अधिनियमितियाँ मणिपुर को लागू नहीं होंगी। इसी प्रकार, हालांकि भारतीय दण्ड संहिता मणिपुर को लागू होती है, फिर भी इसकी दो धाराओं को कतिपय उपांतर के साथ लागू किया गया है।

आशा है कि सदन को इस विधेयक के संबंध में कुछ भी जटिल दिखाई नहीं देगा और वह उसे स्वीकार करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया जाता है :

"कि कतिपय भाग 'ग' राज्यों में विधियों के विस्तार का उपबंध करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

पंडित एम.बी. भार्गव (अजमेर) : इस विधेयक के संबंध में मुझे कुछ कहना है। जहाँ तक किन्हीं केन्द्रीय विधियों का माननीय मंत्री द्वारा निर्दिष्ट राज्यों तक विस्तारित किए जाने का संबंध है, मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु इसमें से एक खंड अर्थात् विधेयक का खंड 2 है जिसमें यह अधिकथित है कि जिसमें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार को स्वतंत्रता होगी कि वह किसी प्रांतीय अधिनियमिती का विस्तार भाग 'ग' के इन राज्यों में से किसी में भी अधिसूचना में अधिकथित उपांतर और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, करे........। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि कभी इन सभी विस्तारित विधियों पर किसी सक्षम विधि प्राधिकारी के समक्ष प्रश्न उठाया जाएगा तो यह विधान न्यायिक न्यायालय की संवीक्षा पर खरा नहीं उतरेगा और इसे अकृत और शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए, मैं माननीय विधि मंत्री से सादर अनुरोध करूँगा कि इस विधान के संबंध में कोई अग्रिम कदम उठाने से पूर्व विधिक स्थिति पर विचार कर लें।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने यह प्रश्न उठाया। मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा विचार था कि धारा इतनी साधारण है कि इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, तथापि, अब जब प्रश्न उठाया गया है तो मेरे विचार में यह वांछनीय है कि मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूँ। इस विशिष्ट खंड के गुणागुण का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि मामले में कतिपय ऐसे पहलू हैं

जिन पर विचार किया जाना चाहिए। पहला यह है कि कुर्ग के अलावा अधिकतर भाग 'ग' राज्यों में कोई ऐसा विधानमंडल नहीं है जिसे ऐसी स्थानीय विधियाँ पारित करने का कर्तव्य सौंपा जा सके जो उनके स्थानीय प्रशासन के लिए आवश्यक हों। मेरे विचार में, यह भी समान रूप से स्पष्ट है और मेरे माननीय मित्र ने स्वयं स्वीकार किया है कि संसद के लिए एकमात्र अन्य विकल्प यह है कि वह यहाँ अधिवेशन करें और भाग 'ग' राज्यों के स्थानीय प्रशासन के लिए विस्तृत विधियाँ बनाएं और विचार किए जाने के लिए प्रश्न यह है कि क्या संसद के पास उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए—और प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान है कि संसद के लिए केन्द्रीय प्रशासन के कार्यान्वयन के लिए कुछ बहुत आवश्यक उपायों का किया जाना भी कितना कठिन है—समय निकाला जाए और उसका उपयोग स्थानीय विधान के ब्यौरों पर अधिक सावधानी से विचार के लिए किया जाए। अत: अब हम दो कठिनाइयों के बीच में हैं; एक यह है कि कोई स्थानीय विधानमंडल नहीं है और और दूसरी यह है कि संसद ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह भाग 'ग' राज्यों की स्थानीय विधियाँ पारित करने में स्वयं को लगा ले। इस प्रकार की परिस्थिति में फिर क्या किया जाए? की जा सकने वाली बात केवल यह प्रतीत होती है कि भारत सरकार को, भाग 'क' राज्यों या अन्य भाग 'ग' राज्यों द्वारा बनाई कई कतिपय विधियों को ऐसे उपांतरों के साथ भाग 'ग' राज्यों को लागू किए जाने की शक्ति दी जाए जो स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय कठिनाई के कारण आवश्यक हों। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भाग 'ग' राज्यों के लिए स्थानीय विधान प्रदान किए जाने का कोई अन्य मार्ग है। संसद के लिए, वास्तव में, किसी प्रक्रम पर यह संभव होगा कि वह भाग 'ग' राज्यों के लिए स्थानीय विधान परिषदें बनाए और इन स्थानीय विधानपरिषदों को अपने स्थानीय प्रशासन के लिए विधियां बनाने की शक्ति दी जाए, किन्तु जब तक संसद द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, मुझे नहीं लगता कि तब तक अन्य कोई मध्य मार्ग उपलब्ध है, सिवाय उसके जो इस विशिष्ट विधेयक में सुझाव दिया गया है, और इसीलिए इस प्रश्न के अलवा कि क्या यह विधायी कारबार करने का समुचित ढंग है जिसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से करने के लिए भाग 'ग' राज्य हकदार होंगे, मुझे कोई और तरीका प्रतीत नहीं होता।

मेरे मित्र ने आलोचना का एक यह बिन्दु प्रस्तुत किया है कि केन्द्र द्वारा इस शक्ति का प्रयोग भाग 'ग' राज्यों में विद्यमान स्थानीय सलाहकार निकायों से परामर्श किए बिना किया गया है। मुझे मामलों के उस पहलू के संबंध में अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि जैसाकि मेरे मित्र परिचित होंगे, इस विशिष्ट मामले का प्रशासन गृह मंत्रालय का है और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि गृह मंत्रालय इन निकायों से परामर्श करता है। यदि वे परामर्श नहीं करते हैं, तो मुझे इस पर संदेह नहीं है कि वे मेरे माननीय मित्र द्वारा दिए गए सुझाव को अपनाएंगे।

अब, मैं अपने माननीय मित्र द्वारा उठाए गए सांविधानिक प्रश्न पर आता हूँ, अर्थात् यह प्रत्योजित विधान होगा। भाग 'ग' राज्यों तक विस्तारित भाग 'ग' या भाग 'ख' या भाग 'ग' राज्यों द्वारा बनाई कई किसी विधि को लागू करना प्रत्यायोजित कहे जा सकने वाले विधान का पालन होगा। संसद द्वारा उस विधान को लागू करने के लिए कार्यपालिका को प्रत्यायोजित किया जाता है। मेरे माननीय मित्र ने फ़ेडरल न्यायालय के विनिश्चय का हवाला दिया है। नि:संदेह फ़ेडरल न्यायालय का विनिश्चय है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे पास उच्चतम न्यायालय का कोई विनिश्चय नहीं है; हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि फ़ेडरल न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हुए, भारत सरकार द्वारा इस मामले में अपनाया गया दृष्टिकोण यह है कि वह विनिश्चय, सही विनिश्चय नहीं था और फ़ेडरल प्राधिकार का पूर्ण आदर करते हुए हमारे द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अभी भी वही है। मैं अपने माननीय मित्र को बता दूँ कि भारत सरकार की विधान बनाने के लिए प्रयुक्त करने की यह गतिविधि, जिसे प्रत्यायोजित प्राधिकार कहा जाता है, नई नहीं है। व्यावहारिक रूप से यह वर्ष 1912 से अस्तित्व में है और वे पाएंगे कि हमारे पास भारत के किसी भी भाग में बनाई गई विधियों को दिल्ली प्रांत में ऐसे उपांतरों के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाएँ, विस्तारित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को अनुमति देने के लिीए एक विधि है। 1912 से लेकर फ़ेडरल न्यायालय के विनिश्चय नहीं रहा जिसमें भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाया गया हो। मैं अपने मित्र को यह भी बता दूँ कि इस देश से बहुत से मामले प्रिवी कौंसिल भेजे गए हैं और प्रिवी कौंसिल ने स्वयं भी इसकी विधिमान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया है। अत: मैं आशा करता हूँ जब किसी उचित अवसर पर, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आएगा, जो उच्चतम न्यायालय स्थिति की नए सिरे से समीक्षा करेगा और जैसा कि मेरा विचार है, उच्चतम न्यायालय नहीं समझेगा, यद्यपि फ़ेडरल न्यायालय के अनेक कार्मिक वहीं हैं जो उच्चतम न्यायालय के हैं, किन्तु न्यायालय निश्चित रूप से एक भिन्न न्यायालय है। अत: यदि मेरे मित्र पसंद करें तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम जोखिम उठा रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि जो पक्ष हम लेते हैं और जो पक्ष हम अब तक लेते रहे हैं और जिस पर गत 25 वर्षों के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया गया है, ठीक पक्ष है। यदि उच्चतम न्यायालय, जब कभी ऐसा मामला उसके समक्ष आए, उस पर विचार करके उससे भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचे जैसा कि हमारी राय है, तो फिर हम मामले पर विचार करेंगे। अभी तो वर्तमान में हमारा यह विचार है कि प्रत्यायोजित विधान में किसी भी प्रकार की आपत्ति शक्ति का उसकी ओर से प्रयोग करने के लिए किसी अभिकर्ता से कहने के संबंध में सर्वोच्च है। मैं नहीं समझता कि उस मामले पर प्रश्न उठाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र ने कोई अन्य प्रश्न भी उठाया है जिस पर मैंने चर्चा न की हो।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या संसद यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि सरकार ऐसी विधियाँ पारित कर सकती हैं जो वह आवश्यक समझे?

डॉ. अम्बेडकर : वे यह कह सकते हैं कि सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या वे सूची में निर्दिष्ट सभी मामलों के संबंध में कोई कोरा चैक दे सकते हैं?

डॉ अम्बेडकर : यह उचित रक्षोपाय के साथ ऐसा कर सकती है। कोई भी संसद कार्यपालिका को कोरा चैक नहीं देगी: निश्चित रूप से यह कार्यपालिका से खाली स्थान भरने के लिए कह सकती है और मैं नहीं समझता कि इस बाबत कोई कठिनाई हो सकती है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास) : जहाँ तक संविधान का संबंध है, प्रवर्तनशील अनुच्छेद केवल 240 और 242 हैं। हमने कुर्ग के संबंध में विशेष उपबंध किए हैं। जैसा कि श्रीमान जी, आप देखेंगे कुर्ग को सदन के समक्ष विशिष्ट विधेयक के प्रवर्तन से बाहर निकाल लिया गया है। जहाँ तक संविधान का संबंध है, इसमें इस बावत कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिया गया है।। अत: इसे संसद की स्वेच्छा और कामना पर छोड़ दिया गया है। अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली ही मात्र ऐसी बात है जिस पर विवाद हो सकता है कि कार्य प्रणाली ऐसी हो कि ये सब अधिनियमितियाँ इस विधेयक के साथ सम्बद्ध अनुसूची का भाग बनें, ऐसी शक्तियों के साथ जो हम नियम आदि बनाने के लिए सामान्यत: प्रत्यायोजित विधान के नाम से ज्ञात साधन द्वारा कार्यपालिका को देते हैं अथवा वह प्रक्रिया हो जिसे अब अपनाया जाता है। जैसा कि विधि मंत्री ने उल्लेख किया है। इस प्रक्रिया को लम्बे समय से अपनाया जा रहा है और मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि संविधान में किसी प्रतिकूल, स्पष्ट अनुदेश के अभाव में किसी न्यायालय द्वारा इसे बातिल कैसे अभिनिर्धारित किया जा सकता है। जहाँ तक प्रत्यायोजित विधान का संबंध है, विश्व में किसी भी विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजन की ठीक मात्रा, प्रकृति और विस्तार को परिभाषित नहीं किया गया है। समय-समय पर इसमें परिवर्तन आता रहता है। जहाँ तक भाग 'ग' राज्यों का संबंध है, किसी ऐसे उपबंध के अभाव में, जो ऐसी किसी भी प्रकार की विधि को अधिनियमित करने से, जो संसद बनाना चाहे और ऐसी शक्तियों के केन्द्रीय सरकार को प्रत्यायोजन से जो यह देना चाहे स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध करे, इस सदन द्वारा पारित किए जाने में विधेयक के वर्तमान प्रक्रम पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

माननीय उपाध्यक्ष : साधारण विधियाँ किसी विधेयक में अधिनियमित की जाती हैं और ब्यौरा भरने तथा नियम बनाने के लिए शक्ति सरकार को दी जाती है।

डॉ. अम्बेडकर : विधेयक में यह उपबंध है कि किसी भी विषय पर पहले से ही विधियाँ विद्यमान हैं। विधियाँ, कतिपय प्रांतों में पहले से अस्तित्व में हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह चयन करना संसद का कार्य नहीं है कि किस विधि को लागू किया जाए?

डॉ. अम्बेडकर : यदि संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है किंतु संसद यह शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, जिसे विद्यमान विधियों में से चयन करना होता है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : स्टार चैम्बर लेजिस्लेशन के नाम से ज्ञात, विशिष्ट रूप से इस जटिल प्रश्न का अध्ययन करने के लिए तीस के दशक में हाउस आफ़ कॉमन्स द्वारा मंत्रियों की शक्ति पर गठित समिति ने इंगित किया था कि तत्कालीन सरकार के लिए इस बात की रूपरेखा देना बेहतर होगा कि किस सीमा तक वह प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करेंगे और इसीलिए, जहाँ तक सामान्य विधान का संबंध है, हम अभी तक यह कहने की प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं कि पूर्वाल्लिखित शक्तियों की व्यापकता का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार को अमुक नियम बनाने की शक्ति होगी। अतः, जहाँ तक ज्ञात है, विश्व के किसी भी विधानमंडल में प्रत्यायोजित विधान के विस्तार और कार्यक्षेत्र की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने यहां विषय भी इंगित नहीं किए हैं।

पंडित एम.बी. भार्गव : विधि मंत्री ने यह टिप्पणी की थी कि फ़ेडरल न्यायालय के निर्णय से पूर्व प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल अधिकथित करने वाला कोई विनिश्चय नहीं था। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि फ़ेडरल अधिकथित करने वाला कोई विनिश्चय नहीं था। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि फ़ेडरल न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा दिया गया निर्णय स्वयं 1945 फ़ेडरल लॉ जर्नल, पृष्ठ 1 में रिपोर्ट किए गए प्रिवी कौंसिल के विनिश्चय पर आधारित है। उसी नज़ीर के आधार पर फ़ेडरल न्यायालय ने सिद्धांत अधिकथित किया था।

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और क्या फ़ेडरल न्यायालय का कोई विनिश्चय इस सरकार को आबद्ध नहीं करता जब तक कि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिक्रांत या अपास्त न किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या उच्चतम न्यायालय में फ़ेडरल न्यायालय के विरुद्ध कोई अपील की गई है?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, फ़ेडरल न्यायालय अस्तित्व में नहीं रहा है।

बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) : क्या माननीय मंत्री इस विषय में संविधान के अनुच्छेद को उद्धृत करेंगे?

डॉ. अम्बेडकर : संसद को पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह उसे प्राप्त विधायी शक्तियों का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकती है। वह इसका प्रयोग स्वयं कर सकती है या कतिपय परिस्थितियों में इसका उपयोग उसकी ओर से किए जाने के लिए किसी और से कह सकती है। इस पर किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं है।

श्री हुसैन इमाम (बिहार) : मैं चाहता हूँ कि इस तथ्य पर कुछ प्रकाश डाला जाए कि यह ऐसी विचित्र स्थिति नहीं है जो अभी उत्पन्न हुई हो। चीफ कमिश्नरों के प्रांतों को केन्द्र द्वारा प्रशासित किया जाता है। हम अधिसूचना द्वारा चीफ़ कमिश्नर की शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। जैसी कि पहले प्रथा थी या इसे विधान द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि अब। किंतु प्रश्न यह है कि किसे सशक्त किया जाए? क्या हम कार्यपालिका को, न्यायपालिका को अथवा केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने जा रहे हैं? शक्ति इन तीनों में वितरित नहीं की जानी चाहिये। खंड 3 का उपखंड (3) कहता है :

"उल्लिखित ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश को उक्त राज्यों में लागू करने सुकर बनाने के प्रयोजन से कोई न्यायालय या प्राधिकारी अधिनियम या अध्यादेश का निर्वचन, उसके सार को प्रभावित किए बिना ऐसे उपांतरणों के साथ कर सकेगा जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष मामले में उसे अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हों।"

इससे पता चलता है कि हमने अभी यह विनिश्चय नहीं किया है कि ये शक्तियां किसके पास रहेंगी। अंतरिम अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने की बात समझ में आ सकती है। प्राधिकारी कौन है..............

डॉ. अम्बेडकर : कोई भी प्राधिकारी। यह एक अनुकूलन है : यह अंगीकरण नहीं है। हमने इस सदन में अनेक अनुकूलन विधियाँ पारित की हैं।

श्री हुसैन इमाम : यह अनुकूलन केन्द्रीय प्राधिकारी या विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यहाँ अनुकूलन को लोगों की अविनिर्दिष्ट संख्या के लिए छोड़ दिया गया है। प्राधिकारी को, इस विधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्या इसका अर्थ मुख्य आयुक्त है या मुख्य सचिव.........

डॉ. अम्बेडकर : जो भी विधि को प्रशासित करेगा वही इसे अनुकूल बनाएगा।

श्री हुसैन इमाम : हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पर हमने उचित रूप से विचार नहीं किया है। विधेयक, सत्र में विलंब से पुन:स्थापित किया गया है। यह बेहतर होगा कि सरकार विधेयक को अभी वापस लेने और सत्र समाप्त होने के पश्चात् किसी प्रकार का अध्यादेश लाए यदि वे इस प्रकार का कुछ करना चाहते हैं। अन्यथा एक सुविचारित विधि प्रस्तुत की जाए जिसमें हर प्रकार की शक्ति दी गई हो। यही बेहतर है कि इस

प्रकार की कमियों वाले विधेयक के स्थान पर अध्यादेश लाया जाए। अत: मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस विषय पर पुन: विचार करें।

5.00 बजे अपराह्न

डॉ. अम्बेडकर : इस तथ्य की दृष्टि से कि मेरे माननीय मित्र इस उपाय को अध्यादेश के रूप में अधिनियमित किए जाने के लिए सरकार को अनुमति देने हेतु तैयार हैं; इसका स्पष्ट अर्थ है कि इसके गुणागुण पर उन्हें अधिक आपत्ति नहीं है। अन्यथा, मुझे यह प्रतीत नहीं होता कि इस उपाय को अधिनियमित करने में उन्हें क्या आपत्ति है।

श्री हुसैन इमाम : मेरा यह एक सुझाव मात्र था। यह अध्यादेश छह सप्ताह तक रह सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : संसद के प्रारम्भ होने से।

श्री कामथ (मध्य प्रदेश) : संसद का अगला सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् छह सप्ताह।

डॉ. अम्बेडकर : हम नहीं जानते कि क्या होगा। मैं नहीं बता सकता कि संसद का सत्र कब बुलाया जाएगा। अध्यादेश बनाने के पश्चात् हम अधर में नहीं लटकाना चाहते।

श्री कामथ : वह कैसे हो सकता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सुझाव बहुत ही अव्यावहारिक सुझाव है।

इसके अलावा, जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, जैसाकि मैं कह चुका हूँ, हमारे पास पूर्व उदाहरण है। दिल्ली के संबंध में हमारे पास समान विधि है। अजमेर-मेवाड़ के संबंध में हमारे पास ऐसी ही विधि अजमेर, मेवाड़ विस्तार अधिनियम, 1947 है। यदि ये दो नियम इतने बुरे नहीं हैं जैसाकि मेरे मित्र ने उन्हें चित्रित करने का प्रयास किया है, तो मैं यह नहीं समझ सकता कि इस उपाय के प्रति कोई आपत्ति क्यों की जाए। यदि समय होता तो हो सकता है सदन को मैं यह सुझाव देता कि बाद में हाउस आफ कॉमन्स द्वारा हाल ही में अपनाई गई प्रक्रिया को अपनाया जाए जिसमें ऐसे प्रत्यायोजित विधान की संवीक्षा करने के लिए सदन की एक स्थायी समिति है जो संसद को यह अवगत कराती है कि क्या प्रत्यायोजित विधान संसद के मूल आशय से आगे चला गया है या इससे विचलित हो गया है या किसी मूल सिद्धांत को प्रभावित करता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने लम्बे समय तक व्यवहार में रहने के पश्चात् कोई प्रत्यायोजित विधान पर आपत्ति कर सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय भाग 'ग' राज्यों में विधियों के विस्तार के लिए उपबंध करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

श्री हुसैन इमाम : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि उन्होंने–उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया–सहमति की आयु कम कर दी गई है?

माननीय उपाध्यक्ष : वे पहले ही बता चुके हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मणिपुर के संबंध में परिवर्तन एक सम्मेलन के फलस्वरूप किए गए हैं जो गृह विभाग के प्रतिनिधियों और मणिपुर के मुख्य आयुक्त के मध्य आयोजित किया गया था। उन्हीं के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि ये परिवर्तन किए जाने चाहिए, यदि केन्द्रीय विधान का विस्तार किया जाना है।

माननीय उपाध्यक्ष : इन क्षेत्रों में इस धारा को लागू करना अभी थोड़ा असामयिक है।

श्री हुसैन इमाम : सहमति की आयु कम कर दी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष : संभवत: पुरानी विधि के अधीन सहमति की आयु को फिर से रखा गया है और इन सभी सुधारों का विस्तार उस क्षेत्र में करने की ईप्सा नहीं की गई है।

विधेयक में खंड 1 से खंड 4 जोड़े गए।

विधेयक में अनुसूची जोड़ी गई।

संक्षिप्त नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रो. रंगा (मद्रास) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने हमें यह जानकारी दी है कि संसद में उन्होंने ऐसी बातों का जब भी वे उनके समक्ष आएँ, अध्ययन करने के लिए और संसद की ओर से रखवाली के रूप में परामर्श देने के लिए एक स्थायी

समिति स्थापित करने का सोचा है। दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री ने हमें यह आश्वासन नहीं दिया है कि इस सदन में ऐसे ही प्रयास किए जाएंगे। मेरा उनसे अनुरोध है, यथा संभव शीघ्र अवसर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करें कि इस स्थायी समिति को हमारी सरकार द्वारा स्थापित किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसे ध्यान में रखूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

फिर सदन को बुधवार, 12 अप्रैल, 1950 के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

निरसन और संशोधन विधेयक

*__विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :__ श्रीमन्, क्या मैं अपने विधेयक को बिना पारी के प्रस्तुत करने की आपकी अनुमति प्राप्त कर सकता हूँ? वे बहुत छोटे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : हाँ।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

"कि कतिपय अधिनियमितियों के निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों के संशोधन के विधेयक पर विचार किया जाए।"

वार्षिक रूप से लाए जाने वाले इस विधेयक का प्रयोजन कानूनी पुस्तक को "डेड वुड" से मुक्त करना और कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन तथा उनमें पाई गई कतिपय गलतियों का सुधार करना है। मुझे यह आवश्यक नहीं लगता कि मुझे अपने प्रस्ताव के समर्थन में कुछ और कहने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव किया गया :

"कि कतिपय अधिनियमितियों के निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों के संशोधन के विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हिमत सिंहका (पश्चिमी बंगाल) : मैं माननीय विधि मंत्री को जो सुझाव देना चाहता हूँ वह यह है–क्या वे इस समय प्रवर्तन में सभी विधियों को पुस्तक के

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 11 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 2776

रूप में मुद्रित कराने के लिए कदम उठाएंगे जिससे कि यह पता चल सके कि कौन–सी विधि अस्तित्व में है और कौन–सी नहीं? इस समय यह बहुत कठिन है। हम एक दिन में इतनी विधियाँ पारित कर रहे हैं कि किसी के लिए भी यह जानना या पता रखना बहुत कठिन हो गया है कि विधि क्या है। क्या वे मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे और 1949 तक प्रवर्तन में सभी विधियों को मुद्रित कराएंगे?

माननीय डॉ. अम्बेडकर : ऐसा किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय अधिनियमितियों के निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों के संशोधन के विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

विधेयक में खंड 1 से खंड 4 जोड़े गए।

विधेयक में प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची जोड़ी गई।

विधेयक में संक्षिप्त नाम और अधिनियमन सूत्र जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(16)
लोक प्रतिनिधित्व विधेयक

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन)

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** श्रीमन्, क्या मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव कर सकता हूँ जो आज के आदेश-पत्र में मेरे नाम है? मैं इस आज प्रात: नहीं कर पाया क्यों विधेयक की मुद्रित प्रतियाँ आज प्रात: उपलब्ध नहीं थीं। जैसाकि सदन के विधेयक की प्रतियों के बिना उसे पुर:स्थापित करने की इजाज़त देने में आपत्ति होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : हाँ; वे प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। मुझे बताया गया था कि मामले पर विचार नहीं किया जाना है। मैंने उसे छोड़ दिया था।

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि, मैंने बताया था कि मुद्रित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं।

मैं लोक सभा और राज्यों के विधानमंडलों में स्थानों के आबंटन और उनके निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों में मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावालियों की तैयारी और उनसे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा और राज्यों के विधानमंडलों में स्थानों के आबंटन और उनके निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों मे मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की इजाजत दी जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूँ।

लोक प्रतिनिधित्व विधेयक जारी....

****परिवहन और रेल राज्य मंत्री (श्री सन्थानम) :** मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

"कि लोकसभा और राज्यों के विधानमंडलों में स्थानों के आबंटन और उनके

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 12 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 2797-98

**सं. वा., खंड 4, भाग II, 18 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3000-6

निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचों में मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनसे संसक्त विषयों का उपबंध करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहता। चर्चा के अंत तक मैं आशा करता हूँ कि प्रभारी मंत्री उपस्थित हो जाएंगे और तब वे उत्तर देंगे। यदि वे उस समय उपस्थित नहीं होते हैं तो मैं चर्चा का उत्तर दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री भारती (मद्रास) : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और मेरा सुझाव है कि यदि विधेयक के प्रभारी माननीय मंत्री कतिपय बिन्दुओं की, जो बहुत आवश्यक हैं, व्याख्या कर देते तो यह वाद-विवाद में एक बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध होता और हम भी अनावश्यक बातें नहीं करते। माननीय मंत्री डॉ. अम्बेडकर अभी-अभी सदन में पधारे हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण ही माननीय श्री सन्थानम ने औपचारिक प्रस्ताव रखा था। यदि डॉ. अम्बेडकर यहाँ उपस्थित होता तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही उपयोगी भाषण दिया होता। मैं डॉ. अम्बेडकर के बोलने के पश्चात् अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ। तथापि, मैं यह मामला सदन पर छोड़ता हूँ।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : श्रीमन, सर्वप्रथम, सदन में विलंब से पहुंचने के लिए मैं सदन से क्षमायाचना करता हूँ। मुझे बताया गया था कि बीमा विधेयक 4.30 अपराह्न के पूर्व समाप्त नहीं होगा और मुझे मेरे कक्ष में संदेश भेज दिया जाएगा......

श्री कामथ (मध्य प्रदेश) : जीवन में हमेशा ही आश्चर्य होते रहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : इस विधेयक के संबंध में यह स्पष्ट है कि यह विधेयक चार प्रश्नों के बारे में है। एक, यह विभिन्न राज्यों में लोक सभा के स्थानों के आबंटन से संबंधित है। दूसरे, यह राज्य विधानसभा के कुल स्थान नियत करने से संबंधित है। तीसरे, यह संसद के निर्वाचन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रश्नों के संबंध में है। और चौथे, विधेयक में राज्य विधानपरिषदों की संरचना और परिषदों के लिए मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को तयकरने के लिए प्रस्ताव किया गया है। मैं इनमें से प्रत्येक बिन्दु को लेने और सदन को यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करूंगा कि वास्तव में यह विधेयक क्या करता है।

पहले, मैं राज्यों में संसदीय स्थानों के आबंटन के प्रश्न पर सदन के सामने स्पष्टीकरण रखना चाहता हूँ। विधेयक द्वारा प्रस्तावित आबंटन प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। सदन को याद होगा कि संविधान के अनुच्छेद 81 में विभिन्न राज्यों के लिए संसद में स्थान वितरित करने के विषय में अपनाए जाने वाले नियम अधिकथित किए

गए हैं। वे नियम, जिनके प्रति मैंने निर्देश किया है अनुच्छेद 81(1) (ख) और 81(1) (ग) में अधिकथित किए गए हैं। प्रथम नियम, जो यह अनुच्छेद अधिकथित करता है यह है कि निर्वाचन-क्षेत्र को ऐसे अवधारित किया जाएगा कि प्रत्येक 7,50,000 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक सदस्य होगा और प्रत्येक 5,00,000 की जनसंख्या के लिए एक से अधिक सदस्य नहीं होगा। दूसरा नियम, जो यह अनुच्छेद अधिकथित करता है, यह है कि इन दो आंकड़ों-अधिकतम और न्यूनतम-के बीच में जिस किसी भी मानक आंकड़े का चयन किया जाए, वह मानक आंकड़ा, जहाँ तक भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों का संबंध है, भाारत के संपूर्ण क्षेत्र में एक-समान होगा। यह संविधान द्वारा दिया गया साधारण निदेश है जिसे अनुरूप होता विधेयक के लिए अनिवार्य है।

स्थान आबंटित करने के प्रयोजन के लिए इस विधेयक में अपनाया गया मानक आंकड़ा प्रत्येक सदस्य के लिए 7,20,000 है। देखा जाएगा कि यह आंकड़ा 750,000 और 5,00,000 के बीच में है। विभिन्न राज्यों के स्थान, प्रत्येक राज्य की कुल जनसंख्या को 720,000 के इस आंकड़े से विभाजित करके निकाले गए हैं और प्रत्येक राज्य के स्थानों की कुल संख्या आप इस विधेयक की प्रथम अनुसूची में देखेंगे। संविधान के समुचित अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसारा कुल जनसंख्या 1 मार्च, 1950 को यथा प्राक्कलित जनसंख्या है। मेरे विचार में वह अनुच्छेद 347....

श्री भारती : अनुच्छेद 387

डॉ. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना माननीय सदस्यों के पास है जिसमें विभिन्न राज्यों की प्राक्कलित जनसंख्या दर्शाई गई है........

श्री भारती : हमारे पास इसकी प्रति नहीं है। यह कब जारी की गई थी?

डॉ. अम्बेडकर : यह 17 अप्रैल, 1050 को जारी की गई थी।

श्री भारती : वह कल था। हमें प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे बहुत खेद है। यह राजपत्र में है। हमें इतनी जल्दी है कि दीर्घ अन्तराल संभव नहीं है।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, वाद-विवाद के लिए जनसंख्या के आंकड़े आवश्यक हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा विचार है कि उन्हें परिचालित किया जाएगा। तथापि मैं उन्हें पढ़कर सुना देता हूँ।

भाग-क राज्य

असम	85.1 लाख
बिहार	394.2 लाख
बंबई	326.8 लाख
मध्य प्रदेश	209.2 लाख
मद्रास	542.9 लाख
उड़ीसा	144.1 लाख
पंजाब	126.1 लाख
उ.प्र.	616.2 लाख
पश्चिमी बंगाल	243.2 लाख

मैं नहीं समझता कि भाग-ख और भाग 'ग' राज्यों के लिए जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में सदन को कष्ट देना आवश्यक होगा।

श्री राज बहादुर (राजस्थान) : वे हमें चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : फिर मैं उन्हें पढ़कर सुनाता हूँ।

भाग-ख राज्य

हैदराबाद	176.9 लाख
जम्मू और कश्मीर	43.7 लाख
मध्य भारत	78.7 लाख
मैसूर	80.6 लाख
पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ	33.2 लाख
राजस्थान	146.9 लाख
सौराष्ट्र	39.6 लाख
ट्रावणकोर-कोचीन	85.8 लाख

भाग-ग राज्य

अजमेर	7.3 लाख
भोपाल	8.5 लाख
बिलासपुर	1.3 लाख

कुर्ग	1.7 लाख
दिल्ली	15.1 लाख
हिमाचल प्रदेश	10.8 लाख
कच्छ	5.5 लाख
मणिपुर	5.4 लाख
त्रिपुरा	5.8 लाख
विन्ध्य प्रदेश	38.8 लाख

यह 1 मार्च, 1950 को संगणित जनसंख्या है।

श्री कामथ : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्या हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मेरे पास यहाँ आंकड़े नहीं हैं और वे इस स्कीम का भाग नहीं हैं।

श्री भारती : क्या अनुसूची में अंडमान को कोई सदस्य दिया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, किन्तु वह बिल्कुल अलग विषय है। मैं इस पर आ रहा हूँ। मैंने सदन को भाग 'क', भाग 'ख' और भाग 'ग' राज्यों की भी कुल जनसंख्या बताई है।

डॉ. टेक चन्द (पंजाब) : क्या ये वर्ष 1941 की जनगणना पर आधारित हैं?

डॉ. अम्बेडकर : उन्हें इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए जनगणना आयुक्त द्वारा संगणित किया गया है जिन्हें इस विषय के संबंध में अंतिम प्राधिकारी समझा जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयुक्त को सलाह दी है कि ये आंकड़े, मानक आंकड़े हैं और इन्हें आधार समझा जाए।

डॉ. टेक चन्द : उन्हें कैसे संगणित किया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : इस बारे में अभी बताना बहुत कठिन है। इन्हें संविधान (जन संख्या का अवधारण) आदेश, 1950 में विहित रीति से संगणित किया गया है और राष्ट्रपति ने ये स्वीकार किए हैं।

जैसा कि मैंने बताया था, प्रथम अनुसूची लोक सभा का निर्देश करती है। भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों के लिए स्थानों की संगणना, प्रत्येक 7,20,000 की जनसंख्या के लिए एक सदस्य के आधार पर की गई है। जहाँ तक भाग 'ग' का संबंध है, माननीय सदस्यों को याद होगा कि भाग 'ग' राज्यों के लिए स्थानों का अवधारण अनुच्छेद 82 में बताया गया है। यह अनुच्छेद 82 इसे वस्तुतः संसद पर छोड़ देता है कि वह इसका

विनिश्चय अनुच्छेद 81 में अधिकथित दो नियमों द्वारा आबद्ध हुए बिना ऐसी सर्वोत्तम रीति से करे जिसमें वह कर सके। परिणामस्वरूप, वास्तव में, 7,20,000 के इस आंकड़े को, भाग 'ग' के राज्यों में स्थान आबंटित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उस आधार पर उनमें से अधिकतर राज्यों को संसद में एक भी स्थान नहीं मिलेगा। परिणामतः यह किया गया है कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उन्हें मात्र एक स्थान, भाग 'ग' और भाग 'ख' राज्यों के लिए अधिकथित किसी भी नियम द्वारा आबद्ध हुए बिना, दिया गया है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : किन्तु ऐसे मामलों में, जहाँ एक से अधिक स्थान हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ। दिल्ली के संबंध में एक अपवाद किया गया है, अर्थात् दिल्ली को तीन स्थान दिए गए हैं।

श्री राज बहादुर : ऐसा अपवाद क्यों किया गया?

श्री भारती : क्योंकि वह राजधानी है।

डॉ. अम्बेडकर : इसका एक कारण यह है कि भाग 'ग' में सूचीबद्ध अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली की जनसंख्या बहुत अधिक है। दिल्ली के संबंध में हमने जो आधार अपनाया है वह प्रत्येक 5,00,000 की जनसंख्या के लिए एक स्थान है और इसीलिए दिल्ली को तीन स्थान दिए जाएंगे।

कैप्टन ए.पी. सिंह (विन्ध्य प्रदेश) : विन्ध्य प्रदेश के मामले में, 5,00,000 के मानक को आधार क्यों नही माना गया है? विन्ध्य प्रदेश को मात्र पांच स्थान दिए गए हैं।

डॉ. अम्बेडकर : विन्ध्य प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है। हम वहाँ बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जहाँ जनसंख्या के आधार पर राज्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त है; और हम बढ़ाने के लिए वहाँ अधिक ध्यान दे रहे हैं जहाँ राज्य को प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं मिल पा रहा हो। इसे वास्तव में साम्यिक विचारणा द्वारा किया जाएगा न कि तर्क के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर तो बिल्कुल नहीं।

अब मैं कश्मीर पर आता हूँ। जैसा कि सदन को ज्ञात है, कश्मीर के संबंध में एक विशेष उपबंध है और वह उपबंध एक महत्त्वपूर्ण दृष्टि से भिन्न है और वह यह है कि कश्मीर के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जाएगा। कश्मीर के संबंध में किए गए इस अपवाद का कारण यह है कि कश्मीर भारत का अंग बहुत ही तनुकृत रूप में है। कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कहता है कि केवल अनुच्छेद 1 लागू होता है अर्थात् कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्रों का भाग है। उस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के

अन्य अनुच्छेदों का लागू होना राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा जो कश्मीर सरकार से परामर्श करके शेष उपबंधों को ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों के साथ लागू कर सकेगा जो वह अवधारित करे। जैसा कि माननीय सदन को संभवतः ज्ञात होगा, कश्मीर के संबंध में पहले ही एक आदेश जारी किया जा चुका है जिसमें राष्ट्रपति ने संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुच्छेद को यह कहते हुए उपांतरित दिया है कि वह कश्मीर सरकार से परामर्श करके कश्मीर के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेंगे। मेरे विचार में, यह 26 जनवरी को जारी हुआ था। ऐसी स्थिति में, इस ससंद के पास वास्तव में कोई अधिकार नहीं है कि वह संसद में कश्मीर के प्रतिनिधित्व के संबंध में विधेयक में उपबंधित रीति से अलग रीति से कोई उपबंध करे। मेरे विचार में यह व्याख्या करने के लिए कुछ और कहना आवश्यक नहीं है कि प्रथम अनुसूची कैसे तैयार की गई।

अब मैं राज्य विधानसभाओं में कुल स्थानों के नियतन पर आता हूँ जैसाकि दूसरी अनुसूची में दिखाया गया है। इस विषय में संबंध में भी हमें अनुच्छेद 170 के उपबंधों के अनुरूप काम करना पड़ा है। उस अनुच्छेद में दो नियम अधिकथित किए गए हैं। एक नियम यह है कि प्रत्येक 75,000 की जनसंख्या पर एक से अधिक स्थान नहीं होने चाहिएं। दूसरा नियम यह है कि किसी राज्य विधानसभा के स्थानों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। दूसरी अनुसूची बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है। पहली विचारणा यह है कि किसी विधानसभा के स्थानों की कुल संख्या अनुचित रूप से अधिक न हो। दूसरी विचारणा यह है कि प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या संसद में राज्य कोटे का समाकल गुणज हो। इस दूसरे नियम को, कि एक दूसरे का समाकल गुणज हो, अपनाने का कारण यह है कि ऐसा करने से अनुच्छेद 55 के उपबंधों को क्रियान्वित करना आसान हो जाएगा। माननीय सदस्य इसकी सराहना करेंगे कि अनुच्छेद 55 ये उपबंध करता है कि इस तथ्य के होते हुए भी कि राज्यों में विभिन्न विधानसभाओं की कुल सदस्यता भिन्न हो सकती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों का मूल्यांकन समान होगा। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह समान मूल्यांकन संगणना के लिए आसान हो जाएगा यदि किसी राज्य की विधानसभा में कुल स्थान, संसद में उस राज्य के स्थानों की संख्या का संपूर्ण गुणज हों। यहीं कारण है कि स्थानों का आबंटन तदनुसार किया गया है। बेशक, यह याद रखना होगा कि सभी मामलों में गुणज एक-समान नहीं हैं किन्तु गुणज है। दूसरी अनुसूची में स्थानों की संगणना इसी प्रकार की गई है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : इसीलिए, विभिन्न राज्यों में, राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग-अलग है। यह संसद के समान नहीं है जहाँ सदस्यों की संख्या नियत है।

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ, अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम 60 है किन्तु विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग संख्याएं नियत की जा सकती हैं। संविधान में इसके

लिए कोई एकरूपता निर्धारित नहीं की गई है। हमारे पास व्यापक सीमा है जिसके भीतर हम विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न संख्या नियत कर सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या हम जान सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में आधार क्या है? जैसे-असम में प्रति स्थान 1,00,000 मतदाता; बिहार में 1,10,000, उ.प्र. में 1,20,000 आदि।

डॉ अम्बेडकर : मेरा भाषण समाप्त होने के पश्चात् यदि यह बिन्दु आप स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें तो मैं इसकी व्याख्या कर सकूँगा। संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के नियतन के लिए इतना ही पर्याप्त है।

अब मैं मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण पर आता हूँ। संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और राज्य विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु अपनाए गए सिद्धांत एक-समान हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। परिणामस्वरूप, मेरे विचार में यही पर्याप्त होगा कि मैं संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंधों को स्पष्ट कर दूं। पहला सिद्धांत, जो विधेयक के खंड 15 में अधिकथित है, कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की एक निर्वाचक नामावली होगी जिसके आधार पर निर्वाचन किया जाएगा। इसीलिए निर्वाचक नामावली तैयार करना अनिवार्य है और निर्वाचन के लिए पूर्व शर्त है। दूसरा सिद्धांत यह है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए किसी व्यक्ति को उन निरहर्ताओं से ग्रस्त नहीं होना चाहिए जिनका उल्लेख खंड 16 में किया गया है। वह ऐसा व्यक्ति न हो जो भारत का नागरिक नहीं है; या ऐसा व्यक्ति जो विकृत चित्त हो या ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्ट आचरणों से संबंधित अपराधों और निर्वाचन अपराधों का दोषी हो। तब वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में नामांकित या रजिस्ट्रीकरण होने के लिए पात्र हो जाता है। अगला सिद्धांत यह है कि मतदाता का रजिस्ट्रीकरण केवल एक निर्वाचन-क्षेत्र में किया जा सकता है और एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रों में नहीं। एक निर्वाचन-क्षेत्र में भी उसका रजिस्ट्रीकरण केवल एक बार हो सकता है। फिर, हमारे पास "रजिस्ट्रीकरण की शर्तें" के नाम से ज्ञात शर्तें हैं जो खंड 19 में अधिकथित की गई हैं। उनमें से एक यह है कि उसे "अर्हता अवधि" के नाम से ज्ञात अवधि के दौरान कम से कम 180 दिनों तक मामूली तौर से भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरे, अर्हता की तारीख को वह कम से कम इक्कीस वर्ष की आयु का होना चाहिए।

अब, अर्हता तारीख और अर्हता अवधि के संबंध में, मेरे विचार में यह आवश्यक है कि मैं स्थिति को और अधिक स्पष्ट करूँ। विधेयक को पढ़ कर सदन समझ जाएगा कि अर्हता अवधि और अर्हता तारीख के लिए वास्तव में दो अलग-अलग उपबंध हैं। पहली निर्वाचक नामावली के लिए एक अर्हता अवधि है और एक अर्हता तारीख है तथा परवर्ती निर्वाचक नामावलियों के लिए अर्हता अवधि और अर्हता तारीख हेतु एक अन्य उपबंध है।

अब, पहली निर्वाचक नामावली के लिए अर्हता अवधि 1 अप्रैल, 1947 से 31 मार्च, 1948 है। पहली निर्वाचक नामावली के लिए अर्हता तारीख 1 जनवरी, 1949 है। अब पहली निर्वाचक नामावली के लिए अर्हता अवधि और अर्हता तारीख के संबंध में मेरे द्वारा निर्दिष्ट ये उपबंध, वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर हैं क्योंकि उन्हें संविधान सभा द्वारा नियत किया गया था जब उसमें यह संकल्प पारित किया गया था कि निर्वाचन, 1950 में एक नियत अवधि में होना चाहिए और आगे भी, और तदनुसार मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण और निर्वाचक नामावली बनाने की तैयारियां की जानी चाहिएं। अब तक, संविधान सभा द्वारा पारित संकल्प के प्राधिकार के अधीन इतना अधिक कार्य किया जा चुका है कि हमारे लिए संविधान सभा द्वारा अधिकथित आधार में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। किंतु परवर्ती निर्वाचक नामावली के संबंध में हमने कहा है कि अर्हता अवधि प्रत्येक वर्ष में 1 मार्च के ठीक पूर्व का कलैंडर वर्ष होगी और प्रत्येक वर्ष 1 मार्च अर्हता तारीख होगी।

अब, निवासीय अर्हता के संबंध में, जिसके बारे में, मैं जानता हूँ कि सदस्यों के मन में बहुत व्याकुलता होगी, मैं सदन का ध्यान विधेयक के खंड 20 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें "मामूल तौर से निवासी" के नाम से ज्ञात पद को परिभाषित किया गया है। इस समय मैं मामले की अधिक चर्चा में नहीं पडूँगा, किन्तु यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है तो मुझे उसको और स्पष्ट करने में प्रसन्नता होगी। इसी खंड में यह परिभाषित या विहित करने के लिए उपबंध किया गया है कि सशक्त सेनाओं में नियोजित किसी व्यक्ति विशेष का निर्वाचन-क्षेत्र क्या होगा।

मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है जिन्हें इस तथ्य के कारण अपने निवास-स्थान बदलने पड़ते हैं कि वे राज्य में सेवारत हैं और राज्य उनका स्थानांतरण स्थायी रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर देता है या उन्हें देश के बाहर भेज देता है। इस प्रकार के मामलों को सम्मिलित करने के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक है और इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए मैं खंड 20 में एक उपखंड जोड़ने के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ।

अब, निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में एक अन्य उपबंध है जिसके प्रति मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला यह है : कि वर्तमान नामावली, जो अब तैयार की जाएगा, 30 सितंबर, 1952 तक प्रचालन में रहेगी, अर्थात् यदि 30 सितंबर तक कोई निर्वाचन होता है तो निर्वाचक नामावली, जो अब तैयार की जाएगी, प्रचालन में समझी जाएगी, यद्यपि यह संभवतः पुरानी होगी—फिर भी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तथापि, परवर्ती निर्वाचक नामावली प्रत्येक वर्ष तैयार की जाएगी और उसे खंड 23 तथा खंड 24 में देखा जा सकता है। यह बिन्दु महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधारणतया इस पर सहमति हो जाती है कि निर्वाचक नामावली अधिक पुरानी, उदाहरण के लिए यह निर्वाचन की तारीख से छह मास या तीन मास से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों की पुरानी

विधि में एक उपबंध यह था कि हर छह मास में निर्वाचक नामावलियां तैयार की जानी चाहिएं। किन्तु उन्होंने स्वयं यह पाया कि यह उपबंध इतना महँगा है कि उन्होंने यह अवधि बढ़ाकर बारह मास कर दी है। भारत सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि प्रौढ़ मताधिकार पद्धति, जिसे हमारे द्वारा अपनाए जाने की संभावना है, में निर्वाचकों की बहुत बड़ी संख्या के लिए एक वर्ष में दो पुनरीक्षणों की लागत बहुत अधिक हो जाएगी और परिणामस्वरूप हमने निर्वाचक नामावलियों के केवल वार्षिक पुनरीक्षण की संतुलित प्रक्रिया को ही अपनाया। जैसाकि मैंने बताया था, ये नियम जो संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली पर लागू होते हैं, राज्य विधानसभाओं ओर राज्य विधानपरिषदों पर भी लागू किए गए हैं और इसीलिए मेरे लिए यहां उनके प्रति निर्देश करना आवश्यक नहीं है।

अब मैं विधेयक के अंतिम भाग पर आता हूँ जो प्रांतों में ऊपरी चैम्बरों की संरचना के संबंध में है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस राय के बारे में पर्याप्त मतभेद था कि प्रांतों में दूसरा चैम्बर होना चाहिए अथवा नहीं। संविधान सभा ने इस विषय को, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों की पसंद पर छोड़ दिया था कि वे स्वयं तय करें कि क्या वे दूसरा चैम्बर चाहते हैं अथवा नहीं। कुछ सदस्यों ने विनिश्चय किया कि उनके प्रांतों में ऊपरी चैम्बर होना चाहिए और अन्य ने इसके प्रतिकूल विनिश्चय किया। परिणामस्वरूप, संविधान ने उन प्रांतों या राज्यों के लिए ऊपरी चैम्बर का उपबंध किया जिनके प्रतिनिधि ऐसा चैम्बर रखने के लिए सहमत थे। अब संविधान यह भी अधिकथित करता है कि ऊपरी चैम्बर का गठन कैसे किया जाएगा—यह अनुच्छेद 171 में मिलेगा। यहाँ पुनः, ऊपरी चैम्बरों की अधिकतर संरचना, वास्तव में संविधान द्वारा स्वयं अधिकथित है। यह कहता है कि अधिकतम कुल सदस्य संख्या, निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या चालीस से कम नहीं होगी।

यह अनुच्छेद 171 में अधिकथित एक सिद्धांत है। यह अधिकथित दूसरा सिद्धांत विभिन्न संघटक तत्वों के मध्य स्थानों के वितरण के बारे में है जिनमें से ऊपरी सदन का गठन होगा। उदाहरण के लिए, एक तिहाई का निर्वाचन नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा राज्य में अन्य ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे। और इनका 1/12 भाग, राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जो कम से कम तीन वर्षीय स्नातक हों; 1/12 भाग राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा; एक तिहाई स्वयं विधानसभा द्वारा; और शेष का नाम-निर्देशन राज्यपाल द्वारा व्यक्तियों के ऐसे कतिपय वर्गों में से किया जाएगा जिन्हें अनुच्छेद 171 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट किया गया है। परिणामस्वरूप, संसद के करने के लिए बहुत थोड़ा काम ही बचता है। वास्तव में, संसद के करने के लिए जो शेष रहता है, वह यह है कि वह परिभाषित करे कि अन्य स्थानीय निकाय कौन से हैं जिनको इस प्रयोजन के लिए चुना जाना है या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र कौन-से हैं जो ऊपरी चैम्बर में सदस्य

भेजेंगे। परिभाषित करने के लिए बची हुई दूसरी बात यह है कि स्नातक के समतुल्य क्या है। यदि कोई किसी विश्वविद्यालय से स्नातक है तो कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता; किन्तु ऐसे अन्य व्यक्ति हो सकते हैं जो विश्वविद्यालय न गए हों और उनके पास समतुल्य अर्हताएं हों। यह भी अवधारित किया जाना शेष है कि वह समतुल्य क्या है। तीसरे, हमें यह परिभाषित करना है कि शैक्षिक संस्था क्या है जो किसी अध्यापक को निर्वाचक होने के लिए अर्हक बनाएगी और मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को भी विहित करेगी।

नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों से भिन्न स्थानीय निकाय, जिन्हें निर्वाचनों में भाग लेना है चौथी अनुसूची में दिए गए हैं, जिसे माननीय सदस्य विधेयक के पृष्ठ 10 पर देख सकते हैं। इस अनुसूची को विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करके तैयार किया गया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि सभी मामलों मे नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं। वास्तव में, हम उस उपबंध के विरुद्ध नहीं जा सकते जो संविधान में है। यह केवल प्रत्येक राज्य के अधीन इसमें उल्लिखित अन्य निकायों के संबंध में हैं जहां कोई प्रश्न या तर्क उत्पन्न हो सकता है कि क्या उस निकाय विशेष का "स्थानीय प्राधिकरण" के शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं।

स्नातक के समतुल्य का पता लगाने और किसी शैक्षिक संस्था को परिभाषित करने के प्रश्न के संबंध में जिससे कि कोई अध्यापक मत देने का अर्हक को सके, यह महसूस किया गया है कि सबसे अच्छा यह होगा कि इस विषय को राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग की सहमति से अवधारित करने के लिए छोड़ दिया जाए। मैं नहीं समझता कि यह हमारे लिए या केन्द्र के लिए अभी संभव होगा कि प्रत्येक राज्य विशेष के लिए यह परिभाषित करें कि किस व्यक्ति को स्नातक समझा जाए, यद्यपि वास्तव में तकनीकी तौर पर वह स्नातक न हो।

श्री ए.पी. जैन (उत्तर प्रदेश) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या आप इस विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति को स्नातक के रूप में मान्यता देंगे, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्नातक के रूप में मान्यता दी गई है?

डॉ. अम्बेडकर : बिन्दु यह है कि संविधान के अधीन निर्वाचन संबंधी सभी विषय वस्तुत: निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं और यदि निर्वाचन आयोग लोक सेवा आयोग या किसी अन्य निकाय की सलाह इसलिए चाहता है कि वह सही निष्कर्ष पर पहुंच सके तो उसे ऐसा करने से निवारित नहीं किया जा सकता। किंतु अंतिम प्राधिकार निर्वाचन आयोग की सहमति से राज्य सरकार का होगा।

मेरे विचार में ऐसा कोई अन्य बिन्दु नहीं है जिसकी व्याख्या की जानी अपेक्षित हो। ये विधेयक के साधारण उपबंध हैं और मैं आशा करता हूँ कि सदन इन्हें वर्तमान परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त पाएगा।

श्री आर.के. चौधरी (असम) : विस्थापित व्यक्तियों के बारे में क्या है जो अब भारत में आ गए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : यदि आप इस बिन्दु को उठा रहे हैं तो मैं अभी इसका उत्तर दूँगा। जैसाकि आप खंड 20(6) में देखेंगे, हमने यह उपबंध किया है कि कोई भी व्यक्ति, जो 25 जुलाई, 1949 के पूर्व भारत में आ गया है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में जिसमें उस तारीख को रहता है, या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में जिसे वह अपना निर्वाचन-क्षेत्र होना विनिर्दिष्ट करे, मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा।

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उनके बारे में क्या उपबंध है जो अब 1950 में आ रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : वह हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान के अधीन मतदाता का नागरिक होना आवश्यक है और हमारा नागरिकता का खंड नागरिकता को प्रारम्भ होने की तारीख के रूप में परिभाषित करता है। जब तक हम इस स्थिति को नियमित करने के लिए नई नागरिकता विधि नहीं बना लेते, जो व्यक्ति उस तारीख के पश्चात् आए हैं, मुझे यह कहते हुए खेद है कि उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसमें हम कोई सहायता नहीं कर सकते।

***श्री एम.ए. अय्यंगर :** ....अत: मेरा सुझाव है कि यद्यपि प्रवर समिति को निर्देश के लिए प्रस्ताव औपचारिक रूप में पेश नहीं किया गया है, तो हम एक मेज पर बैठें और सुझाए गए संशोधनों पर गुणागुण के आधार पर विचार करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें सम्मिलित कर लें। हम आज स्थगित करके कार्यवाही को कल जारी रख सकते हैं।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : श्रीमन, क्या मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर सकता हूँ? क्या मैं प्रवर समिति के बारे में इस बिन्दु पर विचार करने की चर्चा में दखल दे सकता हूँ?

माननीय अध्यक्ष : जी हाँ, मेरी अनुपस्थिति में क्या घटित हुआ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, किन्तु जो कुछ माननीय उपाध्यक्ष ने कहा है और जो उन्होंने अभी कहा है उसे सुनकर मुझे पर्याप्त रूप से अच्छा बोध हो गया है।

अत, प्रवर समिति की माँग सराहनीय है जिसका केवल यह अर्थ है कि सभी विभिन्न उपबंधों के शांतिपूर्ण विचार-विमर्श के लिए एक गम्भीर और प्रबल अनुरोध वस्तुत: यही उसका आशय है।

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 19 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3051

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रवर समिति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

****श्री सन्थानम् :** प्रवर समिति काफ़ी बड़ी संख्या तीस या चालीस सदस्यों से बनाई जा सकती है जिनकी गहन रुचि हो और जो कतिपय संशोधनों पर जोर देना चाहते हों; कल हम प्रवर समिति के प्रस्तावों पर चर्चा कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : चाहे यह एक औपचारिक, तकनीकी, प्रवर समिति हो या तीस, चालीस या पचास सदस्यों की अनौपचारिक बैठक हो जो इस विषय में अपना पूर्ण प्रभाव रखना चाहते हैं, मैं मात्र यह कहना चाहता हूँ कि, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का और अपनी कठिनाइयों को बताने का, जो उसे महसूस हो रही हो, अवसर देना चाहिए। यदि यह हो जाए तो मेरे विचार में हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मेरे विचार में, हम अभी स्थगित कर दें और कल लगभग 2.30 बजे मिलें।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मेरे विचार में, यह वांछनीय है कि मैं सदन को ठीक-ठाक यह बताऊँ कि प्रवर समिति क्या करने में समर्थ होगी और क्या करने में समर्थ नहीं होगी। मेरे विचार में सदन को अंधकार में रखकर किसी ऐसे प्रस्ताव पर सहमत होना मेरे लिए गलत होगा कि किसी प्रवर समिति द्वारा क्या किया जाना संभव है और क्या संभव नहीं है। मेरे विचार में मेरी टिप्पणियां सदन को भी यह विनिश्चित करने में समर्थ बनाएंगी कि क्या उन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, जो चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे, किसी प्रवर समिति का होना वांछनीय है।

पहली बात जिसके बारे में, मैं पूर्णतया निश्चित हूँ, यह है कि प्रवर समिति, अर्हता अवधि और अर्हता तारीख से संबंधित उपबंधों का परिवर्तन नहीं कर पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कितना भी वांछनीय क्यों न हो, ऐसा किया जाना संभव नहीं होगा, जिसका स्पष्ट कारण यह है कि हमने वह निर्णय संविधान सभा में लिया था, जैसा कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य को याद होगा कि निर्वाचन निश्चित समय पर होंगे और उस संकल्प के अधीन विभिन्न राज्यों को अपनी-अपनी निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के निदेश दिए गए थे। सदन के अधिकतर सदस्यों ने निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति को बताने वाले द स्टेट्समैन या द हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विवरण को देखा होगा। विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गई वे निर्वाचक नामावलियाँ अर्हता अवधि और अर्हता तारीख पर आधारित थीं।

प्रकट है, जब तक सदन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए श्रम को व्यर्थ होने दिया जाए (श्री सोंधी : यह कौन कहता है?) और हमें इस विधेयक में ऐसी अर्हता तारीख और अर्हता अवधि नियत

**सं. वा., खंड 4, भाग II, 19 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3052-54

करनी चाहिए जो वर्तमान तिथि तथा अवधि की अपेक्षा निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के अधिक निकट हो, मुझे यह पूर्णतया स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रवर समिति के लिए या मेरे लिए नई अर्हता तारीख और नई अर्हता अवधि को स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

श्री सोंधी : क्या हम अनुपूरक सूचियाँ नहीं बना सकते?

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह प्रश्न मुझसे प्रातः भी पूछा गया था। मुझसे पूछा गया था कि जो लोग वर्तमान अर्हता तारीख के बाद आयु पूरी कर लेते हैं अर्थात् इक्कीस वर्ष के हो जाते हैं, उनका क्या होगा।

श्री सोंधी : जो छूट गए हैं, उनका क्या होगा?

डॉ. अम्बेडकर : मैं जो कुछ कहता रहा हूँ उसके प्रति सचेत हूँ, कृपया मुझे आगे बोलने दें।

मैंने इस विषय की परीक्षा निर्वाचन आयुक्त और अपने मंत्रालय द्वारा करवाई थी। प्रश्न यह है कि ऐसी अनुपरक निर्वाचक नामावली तैयार करने में कितना श्रम लगेगा, जिसमें हमारे द्वारा नियत अर्हता तारीख के पश्चात् आयु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होंगे। मुझे बताया गया है कि यह संख्या बहुत बड़ी होगी। इसमें नया कार्य शामिल होगा। हमें, पहले से तैयार कर ली गई नामावालियों के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक मशीनरी के अलावा, नई मशीनरी की भी आवश्यकता होगी। इस अतिरिक्त भार का निश्चित रूप से परिणाम यह होगा कि हमें कतिपय चरणों के लिए पहले से नियत लक्ष्य तारीखों को स्थगित करना पड़ेगा। इसीलिए, जब तक यह सदन इस प्रतिपादना को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित तारीख को रद्द किया जाना आवश्यक नहीं है, इस कार्य को करना संभव नहीं होगा। मैं इस बिन्दु को पूर्णतया स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब तक कि प्रवर समिति सरकार को यह सिफारिश करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार न हो कि पहले से किया गया कार्य बेकार जाने दिया जाए और उसे व्यर्थ समझा जाए और लागत तथा अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराने की असंभावना पर ध्यान दिए बिना नया कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए, सदन से मेरा निवेदन यह है कि प्रवर समिति इन उपबंधों में परिवर्तन नहीं कर सकती।

इस विधेयक में अन्य क्या उपबंध हैं? अन्य उपबंध केवल दो हैं। वे अत्यावश्यक विषय हैं और मैंने किसी भी माननीय सदस्य को उनका किसी भी प्रकार हवाला देते हुए नहीं देखा है। एक खण्ड जो महत्त्वपूर्ण है और जिसके संबंध में, मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि विधेयक में कुछ अधिक किया जा सकता था, निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। एक माननीय सदस्य को छोड़कर किसी भी सदस्य ने...........

कुछ मानीनय सदस्य : हमें अभी बोलना है।

डॉ. अम्बेडकर : इस तथ्य के होते हुए भी कि इस चर्चा में इतनी अधिक गरमी और तीव्रता दिखाई जा चुकी है..........।

श्री सोंधी : अभी और मिलेगी आप को।

श्री कामथ : आप इसमें वृद्धि कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : शांति, शांति, उन्हें बोलने दें।

डॉ. अम्बेडकर : संविधान में यह उपबंध है कि परिसीमन संसद द्वारा शुरू किया जाएगा। यह मौजूद है। इस विधेयक में हमने यह प्रस्तावित किया है कि संसद को प्राप्त यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रत्योयोतित की जा सकती है। और राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, यह विहित कर सकेगा कि निर्वाचन-क्षेत्र क्या हैं। यह दलील दी जा सकती है और ठीक भी है–कि यह विषय राष्ट्रपति पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था बल्कि इस संसद को स्वयं प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जांच-पड़ताल करनी चाहिए। वे संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के निर्वाचनों के लिए बनाए जाएं। मुझे अधिकार से इनकार नहीं है, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या ससंद, संसद और राज्य विधानमंडलों, दोनों के लिए प्रत्येक निर्वाचक-क्षेत्र की संवीक्षा करने के लिए अपेक्षित पर्याप्त समय जुटा पाएगी?

डॉ. देशमुख : यही एक मात्र रास्ता नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : कृपया मुझे आगे बोलने दें।

अतः इस विशिष्ट खंड 13 में यह उपबंध किया गया है कि यद्यपि, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों को विहित और परिसीमित कर सकेगा किंतु वह परिसीमन का आदेश सदन के समक्ष रखने के लिए आबद्ध होगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं भी इस उपबंध से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि संसद इनकी जांच-पड़ताल करे। किन्तु किसी ने भी ऐसा सुझाव नहीं दिया है। (रुकावट)। यह एक ऐसा बिन्दु है जिसकी प्रवर समिति जांच-पड़ताल कर सकती है, मैं इससे समहत हूँ। किन्तु इस प्रकार की बात के लिए प्रवर समिति के पास क्यों जाएँ? मेरे पास एक समाधान है। मेरे पास दो विकल्प हैं। एक यह है कि खंड 12 का संशोधन ऐसे किया जाए कि इसमें यह जोड़ा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए परिसीमन के आदेश को संसद के सामने रखा जाए और यदि संसद इसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है तो विहित अवधि के भीतर वह अंतिम हो जाए। यह एक विकल्प है। दूसरा विकल्प, जिसका प्रस्ताव करने के लिए मैं तैयार हूँ, यह है कि जब परिसीमन किया जाए, कोई भी परिसीमन करे, इस सदन के सदस्यों और स्थानीय विधानमंडल के सदस्यों, जो उस विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से संबंधित हैं, से मिलकर बनी एक समिति को सहयोजित किया जाए, ताकि वे इस स्थिति में हों कि परिसीमन में लगे अधिकारी को अपनी सलाह और निर्णय दे सकें। (**श्री त्यागी :**

यह एक अच्छा विचार है।) यदि सदन इसके लिए सहमत हो तो इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब, श्रीमन्, जो दूसरा बिन्दु विधेयक में शेष रहता है वह यह है। मैं नहीं समझता कि मैं यह कहकर किसी पर आरोप लगा रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ, अर्थात् गरमी और तीव्रता का अधिकांश भाग और उत्पन्न सामान्य सत्याभासी तर्क बहुत ही लघु बिन्दु को समाविष्ट करने के लिए उद्दिष्ट हैं, अर्थात् अधिकतर माननीय सदस्य राज्य विधानमंडलों में स्थानों की संख्या में वृद्धि किए जाने के पक्ष में हैं, किन्तु यह कहने का साहस उनमें से एक या दो को छोड़कर, किसी में नहीं है। यदि माननीय सदस्य की रुचि मात्र इस लघु बिन्दु में है कि यू.पी. के लिए संख्या में 15 की या मैसूर के लिए एक की वृद्धि की जाए या दिल्ली के लिए दो की ही वृद्धि की जाए, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम इसी सदन में विचार कर सकते हैं? किसी प्रवर समिति के साथ परेशान क्यों हों?

श्री भट्ट : आप सभी ब्यौरों पर विचार नहीं कर सकते।

डॉ. अम्बेडकर : कोई ब्यौरे नहीं हैं। मैं स्वयं, विभिन्न राज्यों के कुल प्रतिनिधित्व में आंकड़ों का परिवर्तन करने के लिए कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव कर रहा हूँ। यदि मेरे माननीय मित्र यह सोचते हैं कि मैं बहुत कंजूस और संकीर्ण हूँ और मैं उनकी माँगें पूरी नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, वे अभी संशोधनों को प्रस्तावित कर सकते हैं और सदन यह विनिश्चत कर सकेगा कि क्या मेरे द्वारा सुझाए गए आँकड़े ठीक है अथवा वे आँकड़े ठीक हैं जो उनके द्वारा सुझाए गए हैं। इसे प्रवर समिति में क्यों भेजा जाए? मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विधेयक में और कौन-सी बात है जिसपर प्रवर समिति विचार कर सके? यह एक सामान्य विधेयक है।

मेरे माननीय मित्र श्री हुसैन इमाम ने कहा था कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरा विचार है कि वे भूल गए कि मैंने इस विधेयक के पुरःस्थापन पर अपनी मताभि व्यक्तियों में क्या कहा था। तब मैंने बताया था कि वह विधेयक निर्वाचन के केवल एक पहलू से संबंधित है। निर्वाचन का संचालन बिल्कुल भिन्न विषय है और उस पर एक अन्य विधेयक में विचार किया जाएगा। परिणामतः वे सभी विषय जो यहाँ अनुपस्थित प्रतीत होते हैं; अनुपस्थित नहीं रहेंगे क्योंकि जब तक विधान का अनुपूरक भाग भी पारित नहीं हो जाता, निर्वाचन पूरे नहीं किए जा सकते और न ही उन्हें आयोजित किया जा सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि यद्यपि कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है—और आपने कहा था कि यदि जरूरत हो तो प्रस्ताव सृजित किया जा सकता है—बिल्कुल सच कहा था, यह सृजित हो सकता है—किंतु क्या इसकी कोई आवश्यकता है? यह वह बिन्दु है जिस पर, मैं चाहता हूँ कि सदन विचार करे। ये तीन बिन्दु हैं और मेरे पास संशोधन तैयार हैं।

लोक प्रतिनिधित्व विधेयक.....समापन

***माननीय अध्यक्ष :** सदन, कल निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर रहा था:

"कि लोक सभा और राज्यों के विधानमंडलों के लिए स्थानों के आबंटन और उनके निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों में मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री श्याम सुन्दर सहाय : ....अब जबकि विधि मंत्री यहां है, मैं आशा करता हूँ कि वे आपके सामने आज प्रात: यथा प्रकटित तथ्य रखेंगे और तब हम विधेयक पर खंड प्रति खंड विचार करेंगे।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : श्रीमन्, मुझे विलंब से आने का खेद है। आपके सुझाव पर आज प्रात: उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सदन के ऐसे सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी जो विधेयक में दिलचस्पी रखते हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस विधेयक के कतिपय संशोधनों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है जिन्हें मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस विषय पर आगे कोई या संविवाद वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मेरा समाधान नहीं किया गया। मैं संशोधनों से सहमत हूँ किंतु मेरी शंकाओं का समाधान नहीं किया गया तथा मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए यह सर्वसम्मत नहीं था।

माननीय अध्यक्ष : जो भी कारण रहे हो, निष्कर्ष सर्वसम्मत प्रतीत होता है, मैं सदन के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव रखूँगा और तब हम खंड प्रति खंड विधेयक पर विचार कर सकते हैं। मैं इस सुखद निष्कर्ष पर सदस्यों को बधाई देता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा और राज्यों के विधानमंडलों के लिए स्थानों के आबंटन, और उनके निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों में मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचन नामावलियाँ तैयार करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : हम, अब विधेयक पर खंड-प्रति-खंड विचार कर सकते हैं।

---

*सं. वा., खंड4, भाग II, 30 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3057-58

डॉ. अम्बेडकर : खंड 13 में एक संशोधन है और इसीलिए मैं कहूँगा कि इस खंड को अभी स्थगित रखा जाए क्योंकि संशोधन का टंकण किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। मैं सामान्य रूप से यह मानता हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व में रखे गए सभी संशोधन निकाल दिए गए हैं।

*__डॉ. टेक चन्द (पंजाब) :__ दुर्भाग्य से हमने संशोधनों का शब्द विन्यास नहीं देखा है, जिनके संबंध में हमने प्रातः विनिश्चय किया था। वह मात्र एक सामान्य बातचीत थी। और उनमें से कुछ खंडों के संबंध में, उदाहरण के लिए खंड 6 की बाबत, अभी भी पर्याप्त मतभेद है और मतैक्य नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : कोई मतभेद नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रस्तुत किए गए किसी भी संशोधन को छोड़ना नहीं चाहता। मैं स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि, यदि कोई संशोधन नहीं है, तो मैं उन खंडों को एक साथ ले सकूँ।

डॉ. टेक चन्द : नए संशोध क्या है? वे हमें दिखाए जाएँ। किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। उन्हें देखे बिना, हम कैसे पारित कर सकते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊँगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य डॉ. टेकचन्द के पास प्रस्तावित किए जाने के लिए कोई संशोधन है?

डॉ. टेक चन्द : हम खंड 6 का संशोधन भेज चुके हैं।

खंड 2 से खंड 5

माननीय अध्यक्ष : क्या खंउ 2 से खंड 5 के संबंध में कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तावित करने का इच्छुक हैं?

कुछ माननीय सदस्य : कोई नहीं।

खंड 2 से खंड 5 विधेयक में जोड़े गए।

**__श्री बुरागोहेन (असम) :__ माननीय मंत्री के उत्तर के पूर्व क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ.......।

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3058

**सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3062

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कोई सुझाव नहीं चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : यह बेहतर होगा कि हम विधि मंत्री की प्रतिक्रिया जानें।

श्री बुरागोहेन : श्रीमन्, असम की जनजातियों के मामले का आधार अलग है। मैं............।

माननीय अध्यक्ष : बेहतर यह होगा कि हम पहले माननीय मंत्री को सुनें। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं अभी यह संशोधन रखूँ या इसे मैं बाद में रखूँ? ठीक है, मैं इसे बादे में रखूँगा।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे बहुत खेद है कि मैं श्री जैन या श्री जे.आर. कपूर द्वारा प्रस्तावित किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। किन्तु मैं किसी भी प्रकार के ऐसे संदेह को अवश्य दूर करना चाहता हूँ जो श्री जैन या श्री कपूर के या संसद के किसी भी अन्य सदस्य के मन में हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ गलतफहमी है कि खंड 6 द्वारा संसद को यह अवधारित करने के अधिकार से पूर्णत: वंचित किया जा रहा है कि निर्वाचन-क्षेत्र का स्वरूप क्या होगा, क्या यह एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा अथवा बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा, मत देने का तरीका क्या होगा, क्या यह वितरणीय मतदान होगा या एक व्यक्ति-एक मत मतदान या संचित मतदान या किसी अन्य पद्धति का मतदान होगा। मेरा तनिक भी ऐसा आशय नहीं है कि संसद को उस विषय के अवधारण के अधिकार से वंचित किया जाए। वास्तव में, जैसाकि मैंने कल अपने आरम्भिक भाषण में कहा था और प्रधानमंत्री द्वारा कल दिए गए वक्तव्य के अनुसार यह विधेयक स्वयं पूर्ण विधेयक नहीं है। इस विधेयक के बाद एक और विधेयक आएगा जिसे या तो निर्वाचनों का संचालन विधेयक या निर्वाचन विधेयक कहा जाएगा। उस विधेयक में, निर्वाचन-क्षेत्रों, अभ्यर्थियों की अर्हताओं और निरर्हताओं और मतदान-पद्धति से संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा और निस्संदेह यह संसद की क्षमता के भीतर होगा कि उस विधेयक के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर वह निर्णय ले कि, निर्वाचन-क्षेत्र की पद्धति का क्या प्रकार होगा और कैसी मतदान पद्धति को वह अनुमोदित करे। अत: इस तरह का कोई आशय बिल्कुल नहीं है कि संसद की अधिकारिता पूर्णतया समाप्त की जाए। दूसरी ओर, जैसाकि मेरे माननीय मित्रों को याद होगा, मैं स्वयं भी इच्छुक हूँ कि निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के प्रत्येक प्रक्रम पर संसद को सम्मिलित किया जाए। जैसाकि वे जानते हैं, मैं खंड 13 में यह उपबंध कर रहा हूँ कि न केवल परिसीमन आदेश सूचना हेतु संसद के समक्ष रखा जाए बल्कि मैं इस संशोधन को प्रस्तावित करने जा रहा हूँ कि संसद को ऐसे सुझाव देने और उपांतरण करने का अधिकार होना चाहिए जैसा वह उचित समझे परन्तु तब जब वह ऐसा लगभग दस दिन की कथित अवधि के भीतर करे। इसके अलावा, निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन कार्य से सहयोजित होने के लिए इस सदन की समिति नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष

को सशक्त बनाने हेतु एक संशोधन भी लाया जा रहा है, जिसके सदस्य उस विशिष्ट क्षेत्र से लिए जाएंगे। मेरे द्वारा दिए गए कथन के संबंध में, मेरे विचार में यह स्पष्ट है कि संसद की अधिकारिता समाप्त करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं सदन के परिसीमन आदेश में कोई ऐसे परिवर्तन करने के अधिकार सहित जो वह करना चाहे, इस आदेश को सदन के पटल पर रखने के लिए उपबंध कर रहा हूँ और साथ ही यह उपबंध भी किया जा रहा है कि अध्यक्ष को परिसीमन कार्य से सहयोजित होने वाली समितियाँ नियुक्त करने का अधिकार होगा। मैं नहीं समझता कि किसी भी सदस्य को इसमें कोई संदेह है कि हम इस विषय पर संसद का विनिश्चय लेने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हैं। बात केवल यह है कि यह विधेयक पहले आ गया है जबकि वास्तव में वह विधेयक पहले आना चाहिए था। मुद्दा यह है कि इस विधेयक का खंड 6, जो परिसीमन के लिए उपबंध करता है, निश्चित रूप से तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि वह दूसरा विधेयक पारित न हो जाए। स्पष्ट रूप से यह इसलिए है क्योंकि, जैसाकि आप जानते हैं, अब हम अनुपूरक निर्वाचक नामावलियों का उपबंध करने वाली धारा 21 का संशोधन कर रहे हैं जिसके लिए स्वयं बहुत लम्बी अवधि अपेक्षित होगी और इससे हमें यह विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिल जाएगा।

श्री सोंधी : इस खंड को विलुप्त ही क्यों न किया जाए जब इसे प्रवर्तन में नहीं आना है।

डॉ अम्बेडकर : इसे विलुप्त नहीं किया जाना चाहिए।

*__श्री केशव राव (मद्रास) :__ खंड 6 उपखंड (ख) के संबंध में मुझे कुछ संदेह है। मुझे डर है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित किए जाएंगे। मुझे संदेह है कि कुल आरक्षित स्थानों की संख्या कहीं भी नहीं बताई गई है। संसद में और संविधान सभा में भी कई बार यह कहा गया था कि यह संख्या नियत की जाए।

डॉ. अम्बेडकर : संविधान में इसका उपबंध जनसंख्या के आधार पर किया गया है। मात्र यह आवश्यक है कि जनसंख्या का पता लगाया जाए। जहाँ तक परिसीमन का संबंध है, मुझे भी कुछ संदेह हैं.......

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रशासनिक ब्यौरों में न जाएँ। सदन केवल इतना कर सकता है कि वह सिद्धांत विनिश्चित करके संबंधित अधिकारियों पर इसे क्रियान्वित करने के लिए छोड़ दे। किंतु मुझे स्वयं श्री ए.पी. जैन के संशोधन के बारे में और जो कुछ पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, उस पर संदेह है। मैं संविधान सभा में हुई चर्चा से परिचित नहीं हूँ और न ही आज प्रातः अनौपचारिक बैठक में हुई चर्चा

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3064-65

से अवगत हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सदस्य केवल इस बारे में उत्सुक हैं कि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के तय किए जाने या परिसीमन को प्रभावी बनाए जाने से पूर्व, इस सदन को इसकी परीक्षा करने और उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए; क्योंकि इन सब निर्वाचन-क्षेत्रों को किसी अधिनियम के परिशिष्ट या अनुसूची के रूप में उल्लिखित करना संभव नहीं है, जिसे सदन पारित कर सके। जैसाकि श्री कृष्णमाचारी ने ठीक इंगित किया है, विधि से केवल इतना करने की अपेक्षा की जा सकती है कि वह अमुक-अमुक बात के लिए "उपबंध" बनाए। इसका यही अर्थ नहीं है कि सभी ब्यौरे यहाँ सदन में नियत किए जाएँ। सदन विधिक मशीनरी विहित कर सकता है, जिसके द्वारा कोई चीज की जा सके। मेरी कठिनाई यह है कि मैं पूर्ण रूप से उनका दृष्टिकोण समझने में असमर्थ हूँ जो आपत्ति करते हैं। सदन का उद्देश्य अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना प्रतीत होता है। आखिर, कोई भी विधेयक भले ही वह माननीय सदस्य द्वारा सुझाई गई रीति में सदन में लाया गया हो, कार्यपालिका द्वारा ही बनाया जाएगा और एक तैयार तथा चुस्त-दुरूस्त रूप में आएगा। मुझे पता है कि डॉ. अम्बेडकर खंड 13 में संशोधन प्रस्तावित करना चाहते हैं और माननीय सदस्य देखेंगे कि उस संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो भी किया जाएगा वह ऐसे उपांतरण ाों के अधीन होगा जो संसद उसमें करना चाहे। अत: यह स्पष्ट है कि जो भी आदेश दिए जाते हैं, पुन: संवीक्षा के लिए सदन के समक्ष आएँगे और संसद को उपांतरणों के संबंध में सुझाव देने का कानूनी अधिकार होगा। यह मामला ऐसा नहीं होगा जिसके लिए सरकार अपनी सुविधा के अनुसार समय निकाले या न निकाले। यदि किसी सदस्य द्वारा उपांतरण के लिए सुझाव दिया जाता है तो वह उपांतरण सदन के समक्ष अवश्य आना चाहिए और सरकार को इसके लिए समय अवश्य निकालना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ। संसद बिल्कुल अंत में इसकी तथाकथित शव परीक्षा नहीं कर सकती, किन्तु जो मैं कह रहा हूँ वह यह है कि मैं एक विधेयक प्रस्तुत करूँगा जिसमें विधि द्वारा इन सभी विषयों को निपटाया जाएगा और संसद को इस पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। यह बहुत बड़ा अवसर है जिसे मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ। इस विषय पर उचित और पूर्ण रूप से विचार करके मैं स्वयं को किसी एक पक्ष की ओर जोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। किन्तु निर्वाचकों की पद्धति कुछ भी हो, मतदान का आधार कुछ भी हो, अभ्यर्थियों की अर्हताएं या निरहताएँ कुछ भी हों, इन सभी विषयों से एक विधेयक द्वारा निपटा जाएगा। जिसे सरकार खंड 5 और खंड 6 के प्रवर्तन में आने से बहुत पहले लाएगी........

माननीय अध्यक्ष : इसके अलावा में भी यह इंगित कर रहा था कि चूंकि सदन को यह अधिकार प्राप्त है.......

डॉ. अम्बेडकर : यह उसके अतिरिक्त है, जो सदन करेगा। मैं इसके आगे भी कुछ कर रहा हूँ। अब मैं, निर्वाचन-क्षेत्र के अवधारण के विषय में निर्वाचन आयुक्त के साथ कार्य करने के लिए समितियों की नियुक्ति करने में आपको समर्थ बनाने के लिए खंड 13 में एक संशोधन प्रस्तावित कर रहा हूँ। मेरे द्वारा किया जाने वाला दूसरा उपबंध यह है : आदेश में यथा वर्णित निर्वाचन-क्षेत्र उस समिति की सिफारिश के अनुसार होंगे न कि निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के अनुसार। मैं एक संशोधन द्वारा निर्वाचन आयोग को काट रहा हूँ। मैं ऐसा करने का प्रत्यक्ष प्राधिकार समिति को दे रहा हूँ।

श्री कामथ (मध्य प्रदेश) : क्या समिति नियुक्त होगी या निर्वाचित?

डॉ. अम्बेडकर : ऐसी रीति से जो अध्यक्ष तय करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हो सकता है समिति और निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य के संबंध में भिन्न विनिश्चय करें और समान आधार पर न पहुंचे।

डॉ. अम्बेडकर : जैसाकि मैंने अभी बताया था, मैं ये विषय अवधारित करने के लिए एक विधेयक लाऊँगा और जब विधेयक पारित हो जायेगा तब जो भी विधि या उपबंध बनाया जाएगा, संसद की इच्छा के अनुसार संपूर्ण भारत में एक-समान रूप से या अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न रूप से लागू किया जाएगा।

***डॉ. अम्बेडकर:** मैं अपने आश्वासन पर स्थिर हूँ कि एक विधयेक लाया जाएगा। मैं दोनों पहलुओं पर विचार करूँगा : (1) निर्वाचन-क्षेत्रों की प्रकृति—क्या वे एक सदस्यी होंगे या बहु-सदस्यी : और (2) मतदान की पद्धति क्या होगी। जैसा कि मैंने कहा था, हम अभ्यर्थी, उसकी अर्हताओं और निरर्हताओं पर भी विचार करेंगे। संसद से शक्ति ले लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और पूरे आदर के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं अपने माननीय मित्र श्री सन्थानम् से सहमत नहीं हूँ जिन्होंने कहा था कि यह ऐसा विषय है जिसे पूर्ण रूप से निर्वाचन आयोग पर छोड़ देना चाहिए। निर्वाचन आयोग का कार्य मात्र निर्वाचनों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण है किन्तु निर्वाचन-क्षेत्रों का परीसीमन ऐसा विषय है जो संसद का है।

माननीय अध्यक्ष : क्या श्री जैन चाहते हैं कि मैं उनका संशोधन सदन में प्रस्तुत करूं?

श्री ए.पी. जैन : मैं केवल कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मेरे विचार में, हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। यह गलत प्रक्रिया होगी यदि मैं किसी व्यक्ति को उसी संशोधन पर बार-बार बोलने की अनुमति दूँ। यदि वे चाहते हैं कि मैं उनका संशोधन सदन के सामने लाऊँ तो मैं ऐसा करूँगा।

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3068-71

श्री ए.पी. जैन : नहीं श्रीमन्, में नहीं चाहता कि सदन इस पर मतदान करे।

श्री जे.आर. कपूर : विधि मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं भी नहीं चाहता कि मेरा संशोधन सदन के समक्ष लाया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मेरे पास खंड 6 के संबंध में एक संशोधन है। मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

"उपखंड (2) में "निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्" का लोप किया जाए।"

जिससे कि सदन इसके महत्त्व को समझ सके। मैं खंड 13 पढ़ूँगा। मैंने खंड 13 में संशोधन प्रस्तावित किया है, जो निम्नानुसार है :

वर्तमान खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित करें :

"13 धारा 6, 9 और 11 के अधीन आदेश करने की प्रक्रिया–

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा–

(क) प्रत्येक भाग 'क' राज्य और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर भाग 'ख' राज्य के संबंध में, उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यूनतम तीन और अधिकतम सात संसद सदस्यों से मिलकर बनी एक सलाहकार समिति; और

(ख) बिलासपुर, कुर्ग ओर अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर प्रत्येक भाग 'ग' राज्य के संबंध में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य या सदस्यों ने मिलकर बनी एक सलाहकार समिति स्थापित की जाएगी।

(2) निर्वाचन आयोग, इस प्रकार स्थापित सलाहकार समिति के परामर्श से, प्रत्येक राज्य के संबंध में, धारा 6, 9 और 11 या इनमें से ऐसी प्रस्ताव तैयार करेगा और इन धाराओं के अधीन आदेश करने के लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

(3) धारा 6, धारा 9, धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, संसद के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपांतरणों के अधीन होगा जो संसद इस प्रकार आदेश रखे जाने के बीस दिनों के भीतर करे।"

अब, निर्वाचन-क्षेत्र के अंतिम रूप से अवधारण का दायित्व इन समितियों पर है और परिणामतः समितियों की सिफारिश ही प्रवर्तन में आएगी। ऐसा होने पर, पुराना उपबंध जिसमें निर्वाचन आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है, अनावश्यक हो जाता है। इसीलिए मैं उन खंडों को छोड़ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन पेश किया जाता है :

"उपखंड (2) में, "निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्" का लोप किया जाए।"

पंडित बालकृष्ण शर्मा (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, स्पष्टीकरण के बिन्दु पर मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा व्यक्त इस संदेह का, कि तीन से सात सदस्यों से मिलकर बनी विभिन्न समितियाँ, जिनकी नियुक्ति माननीय अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी, विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न सिफारिशें कर सकती हैं और इसीलिए उनमें एकरूपता नहीं होगी, उत्तर नहीं दिया गया है। उस स्थिति के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

डॉ. अम्बेडकर : उत्तर बहुत आसान है। संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और राज्य विधानमंडलीय निर्वाचन-क्षेत्रों, दोनों के संबंध में, समितियों का कार्य विधि द्वारा शासित होगा, जिसे, जैसा मैंने बताया था, इसके पश्चात् संसद बनाएगी। अत: वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगी।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, जब विधि मंत्री ने "निर्वाचन आयोग" शब्दों को लोप करने का प्रस्ताव किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। किन्तु दुर्भाग्यवश, वे पुन: खंड 13 में संशोधन द्वारा आ रहे हैं। आज मेरी मन:स्थिति बहुत ही सहयोगपरक है और संपूर्ण स्थिति पर अत्याधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार हूँ किंतु मैं इस पर जोर देना चाहूँगा कि निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन कार्य से निर्वाचन आयोग के पूर्ण रूप से अलग रखा जाए। यह ऐसा निकाय है जो संविधान के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है और इसके कार्य संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा अवधारित किए गए हैं। अत: कुछ ऐसा संशोधन किया जाए, कि राष्ट्रपति ऐसे निकायों का सृजन करेगा जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आवश्यक हों। प्रमुख विचार यह है कि निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी कार्यवाही करने वाला निर्वाचन आयोग अंतिम निकाय होना चाहिए।

श्री कामथ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में परिकल्पित कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जाएगा, क्या मैं यह समझूँ कि इस संशोधन का आशय यह सुनिश्चित करना है कि इन समितियों-सलाहकार या अन्यथा-का गठन तुरन्त किया जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, जैसे ही दूसरा कार्य तैयार होगा, इनका गठन कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य देखेंगे कि प्रस्ताव करने के लिए कोई प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करनी होगी, और जहाँ तक मैं देखता हूँ, वह प्रशासनिक मशीनरी निर्वाचन आयोग है।

डॉ. अम्बेडकर : अन्यथा, सदन के सदस्य किसी निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन कैसे करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : मैं एक और बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूँ और वह यह है—यद्यपि समितियाँ सलाहकार हैं किंतु संशोधन कहता है, "निर्वाचन आयोग, सलाहकार समितियों के परामर्श से" न कि परामर्श के पश्चात्। यह एक बड़ा परिवर्तन है, किंतु वह जो भी है, मैं संशोधन सदन के समक्ष रखता हूँ। इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।"

श्री श्यामनन्दन सहाय : श्रीमन्, मैं मात्र यह आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किए जाने के पश्चात् संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं बार-बार यह बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति, 'बनाई जाने वाली विधि के अनुसार', ही काम करेंगे, अन्यथा नहीं। मैं इसे कितनी बार दोहराऊँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"उपखंड (2) में, 'निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्' का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

(यथा संशोधित खंड 6 विधेयक में जोड़ा गया।–सं.)

*खंड 7 और 8

खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़े गए

खंड 9

(विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन)

संशोधन किया गया :

"'निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्' का लोप किया जाए।"

—(डॉ. अम्बेडकर)

श्री त्यागी : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

परंतुक जोड़ा जाए :

"परन्तु यह कि किसी नगर, बोर्ड या नगर निगम से बने क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र से बने किसी निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।"

श्रीमन्, उसी समय से जब से यह विधेयक इस सदन के समक्ष आया है, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करता रहा हूँ कि ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार, जिनका उपयोग अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है, उन से वापस न लिए जाएँ। गत तीस या अधिक वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन-क्षेत्र हैं।

---

*सं. वा., खंड 2, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3071

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, चर्चा को संक्षिप्त करने के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह ऐसा विषय है कि जिस पर अधिक समुचित रूप में इस सदन में बाद में लाए जाने वाले विधेयक के समय विचार किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि यह विषय इस विशिष्ट विधेयक से सुसंगत है।

श्री त्यागी : किंतु ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्रों के साथ मिलाकर निर्वाचक नामावलियाँ बनाए जाने के पश्चात् मेरे द्वारा उठाए गए इस बिन्दु का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा।

अन्य माननीय सदस्यों के संशोधनों के विषय में माननीय डॉ. अम्बेडकर ने ऐसा आश्वासन दिया है कि उन पर विचार किया जाएगा—किन्तु मेरे संशोधन का वे विरोध करते रहे हैं। गत दो दिनों से मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उन्हें अपने विचार-बिन्दु से आश्वस्त कर सकूँ, किन्तु वे मुझे सहानुभूतिपूर्वक नहीं सुन रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : किन्तु इस बार उन्होंने यह कहकर पर्याप्त सहानुभूति व्यक्त की है कि इस विषय पर उस समय विचार किया जा सकता है जब अगले विधेयक पर विचार किया जाएगा।

*खंड 10
खंड 10 विधेयक में जोड़ा गया

खंड 11
(परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन)

संशोधन किया गया :

"'निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्' का लोप किया जाए।"

—(डॉ. अम्बेडकर)

यथा संशोधित खंड विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 12

(आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति)

श्री श्यामनन्दन सहाय : मुझे इस खंड की आवश्यकता समझ में नहीं आती क्योंकि यह इन सब समितियों से ऊपर राष्ट्रपति को, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् हर तरह का परिवर्तन कने की शक्ति देता है। मैं स्थिति को समझना चाहता हूँ। यह उसके विपरीत है जिस पर सहमति हुई थी।

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3072-74

माननीय अध्यक्ष : शायद विचार यह है कि राष्ट्रपति में, समय-समय पर अपने स्वयं के आदेशों को पुनरीक्षित करने की शक्ति निहित की जाए।

डॉ. अम्बेडकर : संसद द्वारा आदेशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् उनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : किंतु क्या "निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्" शब्द आवश्यक है?

डॉ. अम्बेडकर : यह संसद द्वारा अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व के लिए है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यह सलाहकार समिति तो होगी। सलाहकार समिति और निर्वाचन आयोग संयुक्त रूप से विशिष्ट प्रस्ताव राष्ट्रपति को भजेंगे। राष्ट्रपति इसे स्वीकार करता है तथा खंड 6, 9 या 11 के अधीन आदेश पारित करता है। इसके पश्चात् निर्वाचन कराए जाते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : इसके पश्चात् आदेश संसद के समक्ष रखा जाता है। सिफारिश सलाहकार समिति द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। राष्ट्रपति कोई ओदश दे सकता है। इसके पश्चात् वह आदेश संसद के समक्ष रखा जाता है। एक निलंबित अवधि होती है। इस अवधि के दौरान यदि राष्ट्रपति को लगता है कि संभवत: आदेश में कोई गलती हो गई है तो उसे आदेश में परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : अत: इस शक्ति का विस्तार, सदन द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद परिवर्तन करने के लिए नहीं होगा। तब यह अंतिम है।

खंड विधयेक में जोड़ा गया।

खंड 13

(संसद के समक्ष रखे जाने वाले आदेश)

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

वर्तमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"13 धारा 6, 9 और 11 के अधीन आदेश करने की प्रक्रिया—

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथा शीघ्र अध्यक्ष द्वारा—

(क) प्रत्येक भाग 'क' राज्य और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भाग 'ख' राज्य के संबंध में, उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यूनतम तीन और अधिकतम सात संसद सदस्यों की बनी एक सलाहकार समिति; और

(ख) बिलासपुर कुर्ग और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर प्रत्येक भाग 'ग' राज्य के संबंध में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य या सदस्यों की एक सलाहकार समिति स्थापित की जाएगी।

(2) निर्वाचन आयोग, इस प्रकार स्थापित सलाहकार समिति के परामर्श से प्रत्येक राज्य के संबंध में, धारा 6, 9 और 11 या इनमें से ऐसी धाराओं के अधीन जो लागू हों, उस राज्य में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे मे प्रस्ताव तैयार करेगा और उक्त धाराओं के अधीन आदेश करने के लिए राष्ट्रपति प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा।

(3) धारा 6, 9, धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, संसद के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपांतरणों के अधीन होगा जो संसद इस प्रकार आदेश रखे जाने के बीस दिनों के भीतर करे।"

माननीय अध्यक्ष : मुझे उपखंड (3) में मात्र एक संदेह है। उसके शब्द हैं "और ऐसे उपांतरणों के अधीन होगा जो संसद इस प्रकार आदेश रखे जाने के बीस दिनों के भीतर करे।" वास्तव में, मेरे विचार में आशय यह है कि संशोधन करने का प्रस्ताव बीस दिनों के भीतर प्रारम्भ किया जाए।

डॉ अम्बेडकर : इसे बहुत पहले शुरू कर दिया जाएगा जिससे कि संसद का अंतिम आदेश बीस दिनों के भीतर ही पारित हो जाएगा : बीस दिन वह अवधि है जो दी गई है। इसमें संदेह नही कि सरकार, जो भी परिवर्तन आवश्यक हैं, उन्हें शुरू करेगी।

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं जानता। मैं समझता था कि कुछ अधिक कठिन मामला होगा। इसकी संभावना हो सकती है कि सदन कुछ महत्वपूर्ण कामकाज में व्यस्त हो और आवश्यक आदेश बीस दिन से पहले पारित न कर सके।

डॉ. अम्बेडकर : तब सदन को इसे प्राथमिकता देनी होगी।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसके बारे में जो सोच रहा था वह यह था कि हम यह कह सकते हैं, "और ऐसे उपांतरणों के अधीन होगा जो संसद इस तरह रखे गए आदेश की तारीख से बीस दिनों के भीतर पेश किए प्रस्ताव पर करे।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है संसद सत्र में न हो।

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए तो मैं विधि मंत्री को यह सुझाव दे रहा हूँ कि बीस दिनों की गणना इसे रखे जाने की तारीख से की जाएगी, जब संसद सत्र में हो और एकमात्र शर्त यह होगी कि प्रस्ताव बीस दिनों के भीतर पेश किया जाए।

***श्रीरामलिंगम चैट्टियार (मद्रास) :** मुझे खंड 12 और खंड 13 के बीच तनिक संदेह है। खंड 12 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पहले से पारित आदेश को परिवर्तित कर सकेगा। खंड 13 कहता है कि इसे संसद द्वारा उपांतरित किया जा सकेगा। अंतराल में क्या होगा? क्या राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा या यह मात्र अनंतिम होगा।

डॉ. अम्बेडकर : यह अनंतिम है, क्योंकि अंतिम प्राधिकार संसद के पास है।

श्री रामलिंगम चैट्टियार : आप ऐसा न कहें। यथा विद्यमान धारा का कहना है कि यह उपांतरणों के अधीन रहते हुए अंतिम ादिेश है, न कि यह कि यह अतंतिम आदेश है। आदेश पारित किए जाने के तुरंत पश्चात् प्रभावी हो जाता है। बाद में इसे संसद द्वारा उपांतरित किया जा सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर : यह इस दृष्टि से अनंतिम आदेश है कि यदि बाद में संसद इसे उपांतरित नहीं करती है तो यह प्रभावी हो जाता है। किन्तु अधिनियमित करने की अंतिम शक्ति वास्तव में, संसद के ही पास है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय मित्र श्री कामथ द्वारा उठाया गया बिन्दु यह था कि वास्तव में, संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त में कतिपय शक्तियाँ निहित हैं और ये शक्तियाँ निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में हैं। निर्वाचन-क्षेत्रों को परिसीमित करने का विशेषाधिकार केवल संसद को है। अब निर्वाचन आयुक्त की स्थिति, समिति की स्थिति से भी अधिक बेहतर है। वह केवल उससे परामर्श करेगा और उसे प्रस्ताव बनाने का अधिकार प्राप्त है।

डॉ अम्बेडकर : यह वही बिन्दु है जिसे पहले भी उठाया गया था। जब हमने खंड 6 पर चर्चा की थी, वैसा ही बिन्दु उठाया गया था और माननीय विधि मंत्री ने तभी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। अंततः यह संसद ही इस शक्ति का प्रयोग करेगी।

डॉ. अम्बेडकर : ये सब प्रारंभिक चरण हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का आदेश भी प्रारम्भिक चरण है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य संशोधन में "निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना" शब्द देखेंगे। उन्हें अवधारित करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं। याद रखने वाली एक अन्य बात यह है कि यह संसद ही है जो परिसीमन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा और उनकी परीक्षा करेगी।

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3974-75

*__डॉ. देशमुख :__ .... आप ऐसी कोई भी प्रक्रिया अधिकथित कर सकते हैं जिसके द्वारा समितियाँ निर्वाचित हो सकें। किन्तु जहाँ तक इन व्यक्तियों का संबंध है, निर्वाचन का कुछ तत्त्व तो होना ही चाहिए। अध्यक्ष को एक ऐसा निकाय बनाने का उत्तरदायित्व नहीं देना चाहिए जो निर्वाचन-क्षेत्रों को अवधारित करेगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं माननीय विधि मंत्री की प्रतिक्रिया जान सकता हूँ?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसमें से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

सरदार बी.एस मान : श्रीमन्, मेरे संशोधन का क्या हुआ? माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सरदार बी.एस. मान : तब मैं इसे प्रस्तावित नहीं कर रहा हूँ।

खंड 20

('मामूली तौर पर निवासी' का अर्थ)

**__डॉ अम्बेडकर :__ मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

उपखंड (3) के पश्चात्, यह अंत: स्थापित करें :

"(4) भारत में किसी पद को, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया हो जिस पर उपखंड के उपबंध लागू होते हों, धारित करने वाला कोई व्यक्ति था। भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, उस निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें यदि उसने वह पद या नियोजन धारित न किया होता तो किसी अवधि के दौरान या किसी तारीख को, जिसमें वह उस अवधि के दौरान या उस तारीख को मामूली तौर पर निवासी रहा है, मामूली तौर पर निवासी समझा जाएगा।"

और परवर्ती उपखंड पुन: संख्यांकित किए जाएंगे।

उपखंड (5) के रूप में पुन: संख्यांकित उपखंड (4) में,–

(i) "उपखण्ड (3)" के पश्चात् "या उपखण्ड (4)" अंत स्थापित करें; और

(ii) "सशस्त्र बलों" के पश्चात् "यदि उसने ऐसा कोई पर धारण न किया होता अथवा ऐसे किसी पद पर नियोजित न होता जो उपखंड (4) में निर्दिष्ट है" अंत: स्थापित करें।

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3076-77

**सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3081-82

उपखंड (6) के रूप में पुनः संख्यांकित उपखंड (5) में,–

(i) "उपखंड (3)" के पश्चात् ''या उपखंड (4)'' अंतः स्थापित करें; और

(ii) "उपखंड (4)'' के स्थान पर ''उपखंड (5)" रखें।

यह संशोधन खंड 20 में आने वाले पद "मामूली तौर पर निवासी" के लागू होने के संबंध में व्यक्त कुछ संदेहों को दूर करने के प्रयोजन से किया गया है। यह ऐसे कतिपय व्यक्तियों को लागू होता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने मामूली निवास का स्थान छोड़ दिया हो और कहीं और रहने के लिए चले गए हों। यह आवश्यक समझा गया है कि ऐसा कुछ उपबंध इस खंड में किया जाना चाहिए। यह ऐसे व्यक्तियों के प्रति निर्देश करता है जो शासकीय डयूटी पर अस्थाई रूप से भारत के बाहर भेजे जाते हैं जिनके विषय में यह माना जाता है कि अब वे अपने मामूली निवास के स्थान पर नहीं रह रहे हैं। उनके मामले में इस प्रकार की उपधारणा किए जाने को निवारित करने और उस निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें वे मामूली तौर पर रहते रहे हैं, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए यह उपबंध किया गया है।

इसी प्रकार यह उपबंध मंत्रियों के मामले मे लागू किया जाना उद्दिष्ट है। उदाहरण के लिए केन्द्र में, जिन्होंने राज्य के अधीन कतिपय पद स्वीकार कर लिए हैं, उनके बारे में यह उपधारणा रहेगी कि वे अपनी पदावधि के दौरान जो स्वयं संसद के कार्यकाल की सहविस्तारी हो सकती है, अर्थात् पांच वर्षों तक यहाँ रहेंगे। यहाँ भी यह उपधारणा की जा सकती है कि उन्होंने उस स्थान पर निवास करना छोड़ दिया है जहाँ वे मामूली तौर पर रहे हैं। ऐसे मामलों को सम्मिलित किए जाने के लिए भी यह महसूस किया गया कि ऐसा उपबंध आवश्यक है।

मुझे यह सुझाव भी दिया गया था कि संसद सदस्य, जो कि मंत्री आदि जैसे पदधारियों से भिन्न हैं, अन्य उपधारणा से प्रभावित हो सकते हैं, अर्थात् चूँकि वे प्रायः यहाँ आते रहते हैं, उनके बारे में भी माना जा सकता है कि वे उस स्थान पर नहीं रहते जहाँ के वे मामूली तौर पर से निवासी हैं। किंतु सलाह करने पर मैं यह महसूस करता हूँ कि यह उपधारणा इस कारण उन्हें लागू नहीं की जा सकती कि जब कोई व्यक्ति अस्थाई रूप से किसी विशिष्ट कारण के लिए अपने मामूली निवास-स्थान को छोड़ता है और कहीं और चला जाता है तो विधि में यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उसने अपने निवास के मूल स्थान पर वापस आने का अपना आशय व्यक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप, मैं नहीं समझता कि संसद सदस्यों के संबंध में वह उपबंध आवश्यक है। अन्य दो मामलों में ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवश्यक हो सकता है और पूर्वाविधानता के उपाय के तौर पर मैं यह संशोधन लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथा संशोधित खंड विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 21

('अर्हता तारीख' और 'अर्हता अवधि' का अर्थ)

***डॉ. अम्बेडकर** : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

(क) इस अधिनियम के अधीन पहले तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों के विषय में क्रमशः 1 मार्च, 1950 तथा 1 अप्रैल, 1947 से प्रारम्भ होकर 31 दिसंबर, 1949 को समाप्त होने वाली अवधि होगी; और"

यह उस करार का परिणाम है जो आज प्रातः निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने और अर्हता अवधि के संबंध में किया गया था।

खंड 27

****डॉ अम्बेडकर** : श्रीमन्, मैं समझता था कि आज प्रातः मैंने माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण दे दिया था जिन्होंने यह वाद-विवाद प्रारम्भ किया था कि खंड 17 क्यों लागू नहीं किया गया था किन्तु वे बहुत इच्छुक थे उनकी आपत्तियां संपूर्ण सदन द्वारा सुनी जाएँ। मैं उन्हें इस विशेषधिकार से वंचित नहीं करूँगा।

श्री एथिराजुलु नायडू : श्रीमन्, व्यवस्था की दृष्टि से, क्या यह उपयुक्त है कि इसका उल्लेख किया जाए कि प्रातः की बैठक में क्या हुआ था?

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित रूप से; इस संबंध में कुछ गोपनीय नहीं है। समिति का गठन स्वयं अध्यक्ष महोदय ने किया था।

माननीय अध्यक्ष : इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। यह उचित है।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, अब बिन्दु यह है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने विधेयक के खंड 17 में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की पहल की है, अर्थात् एक व्यक्ति एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होगा और उसका एक मत होगा किन्तु यह सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह सिद्धांत उसी वर्ग के निर्वाचन-क्षेत्रों के मामले में लागू होगा, अर्थात् प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में। इस विधेयक के खंड 27 के अधीन अब हम जो निर्वाचन-क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, वे निर्वाचन-क्षेत्रों के भिन्न

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3082

**सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3084-87

वर्ग हैं। वे उसी वर्ग के निर्वाचन-क्षेत्र नहीं हैं। स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र एक अलग वर्ग का निर्वाचन-क्षेत्र है। शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र एक अलग वर्ग का निर्वाचन-क्षेत्र है। इसी प्रकार स्थानीय प्राधिकरणों का निर्वाचन-क्षेत्र एक अलग वर्ग का निर्वाचन-क्षेत्र है। परिण ाामस्वरूप, इसमें कोई बहुत बड़ी अनियमितता प्रतीत नहीं होगी, यदि किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचन-क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हो जाए। इसके अतिरिक्त वास्तव में, मैं यह कहने के लिए आबद्ध हूँ : मैं नहीं समझ सकता कि उच्च सदन के गठन पर संसद सदस्य इतने उद्विग्न क्यों हैं।

5.00 बजे अपराह्न

यह पूर्ण रूप से एक प्रभावित निकाय है—अलंकारात्मक निकाय भी नहीं। इसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है—पुनरीक्षण की भी नहीं। यह ऐसा निकाय नहीं है जिसे निचले सदन के साथ समानाधिकार प्राप्त हो। कुछ प्रांतों ने उनके लिए इच्छा व्यक्त की थी। संभवतः वे यह समझ रहे होंगे कि उनका दूसरा सदन लगभग यहाँ के सदन के ही पैटर्न पर होगा जो, यदि वित्तीय विधान को नहीं, तो भी कम से कम सामान्य विधान रोक कर रख सकेगा। किन्तु उसे यह शक्ति भी नहीं दी गई है और मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि संसद सदस्य, भले ही मात्र कुछ सैद्धांतिक मूलतत्वों को बनाए रखने के लिए ही, एक संविधानिक निकाय के लिए क्यों चिंताग्रस्त रहे हैं जिसका मेरे अनुसार, कोई मूल्य और महत्व नहीं है।

खंड 27 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 28 और 29

डॉ. अम्बेडकर : मैंने अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव को आश्वासन दिया था कि मैं उस बिन्दु पर अपना बयान दूंगा जिसमें उन्हें दिलचस्पी है और अब मैं यह कथन करता हूँ कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरतेंगे कि विद्यमान निर्वाचक नामावलियाँ पुनरीक्षित की जाएँ तथा इनमें आवश्यक लोप या परिवर्धन किए जाएँ।

खंड 28, 29 विधेयक में जोड़े गए।

नया खंड 30

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

खंड 29 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें :

"30 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित—किसी भी सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी—

(क) कि वह किसी प्रश्न पर विचार या न्यायनिर्णय करें कि क्या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है या नहीं; या

(ख) कि वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए गए किसी कार्य की या किसी ऐसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय की वैधता पर प्रश्न उठाए।

यह एक सामान्य खंड है और अनजाने में छूट गया था।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

नया खंड 30 विधेयक में जोड़ा गया।

अनुसूचियाँ

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ :

(1) पहली अनुसूची में,–

(क) "भाग-ग राज्य" शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :

1.	अजमेर	2
2.	भोपाल	2
3.	बिलासपुर	1
4.	कुर्ग	1
5.	दिल्ली	4
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	कच्छ	2
8.	मणिपुर	2
9.	त्रिपुरा	2
10.	विन्ध्य प्रदेश	6
11.	अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह	1

(ख) "योग" के सामने "488" के स्थान पर "496" रखें।

(2) दूसरी अनूसूची में, स्तंभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए प्रतिस्थापित करें :

"108

339

315

232

375

140

126

430

230

175

99

60

160

60

108"

(3) तीसरी अनुसूची में,स्तंभ 2 से 7 में, "बिहार", "बम्बई", "मद्रास", और "उत्तर प्रदेश" के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :

"72

24

6

6

24

12"

(4) चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :

चौथी अनुसूची

[धारा 27 (2) देखिए]

विधान परिषदों में निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण

बिहार

1. नगरपालिकाएँ
2. जिला बोर्ड
3. छावनी बोर्ड
4. अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ
5. पटना प्रशासन समितियाँ

बम्बई

1. नगरपालिकाएँ
2. जिला स्थानीय बोर्ड
3. छावनी बोर्ड

मद्रास

1. नगरपालिकाएँ
2. जिला बोर्ड
3. छावनी बोर्ड
4. प्रमुख पंचायतें, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित पंचायतें, पंचायतें जो अपनी अधिकारिता का प्रयोग ऐसे क्षेत्र पर करती हों जिसकी जनसंख्या पांच हजार से कम न हो तथा जिसकी आय अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए दस हजार रुपये से कम न हो।

पंजाब

1. नगरपालिकाएँ
2. जिला बोर्ड
3. छावनी बोर्ड

4. लघु नगर समितियाँ
5. अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ

उत्तर प्रदेश

1. नगरपालिकाएँ
2. जिला बोर्ड
3. छावनी बोर्ड
4. नगर क्षेत्र समितियाँ
5. अधिसूचित क्षेत्र समितियां

पश्चिम बंगाल

1. नगरपालिकाएँ
2. जिला बोर्ड
3. छावनी बोर्ड
4. स्थानीय बोर्ड

मैसूर

1. नगरपालिकाएँ
2. जिला बोर्ड

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधनों का प्रस्ताव पेश किया गया।

*__माननीय उपाध्यक्ष :__ क्या मैं एक रास्ते का सुझाव दे सकता हूँ जो आबंटित स्थानों की संख्या से संतुष्ट हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास एक अन्य विधेयक भी है। अन्य सदस्य जिनके पास अभ्यावेदन करने के लिए कुछ है, वे अपनी बात कह सकते हैं।

श्री देशबन्धु गुप्ता : मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : आपके पास चार स्थान तो हैं ही।

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3092-93

श्री गौतम (उत्तर प्रदेश) : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं श्री जसपत रॉय कपूर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उच्च सदन का संबंधं है, हम यू.पी. के लोग और यू.पी. की सरकार 72 की संख्या से संतुष्ट हैं। हमें और अधिक नहीं चाहिए और.........

श्री जे.आर. कपूर : क्या माननीय सदस्य का यह दावा है कि वे सरकार और जनता दोनों के लिए यू.पी. के एकमात्र प्रतिनिधि हैं?

श्री गौतम : मुझे सरकार का मन ज्ञात है और मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि मुझे जनता की राय पता है। मैं यह दावा कर सकता हूँ कि मैं महासचिव के रूप में कांग्रेस संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूँ और यह कह सकता हूँ कि मैं कुछ लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ कम-से-कम उनका।

श्री श्यामनन्दन सहाय : वे जसपत राय कपूर हैं?

श्री गौतम : यदि वे कांग्रेसी हैं।

श्री त्यागी : मैं भूतपूर्व महासचिव हूँ।

श्री गौतम : डॉ. अम्बेडकर को कोई निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। वे यू.पी. में दिलचस्पी नहीं रखते। हम में से कुछ के अनुरोध पर उन्होंने संख्या कम की है। वे 72 या 86 के पक्ष में नहीं हैं। ये हम हैं जिन्होंने उनसे अनुरोध किया था और उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया था। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसीलिए मैं श्री जसपत राय कपूर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूँ।

***डॉ. अम्बेडकर :** श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि इस अंतिम चरण में उठाए गए विभिन्न मामलों, सांविधानिक या अन्यथा, के संबंध में, मैं किसी विस्तृत चर्चा में सम्मिलित हो सकता हूँ। मैं नहीं समझता कि भाग 'ग' राज्यों की पहली अनुसूची में उल्लिखित आंबटित स्थानों के संबंध में हमने कहीं संविधान का अतिक्रमण किया है जैसा कि मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी मानते हैं। इस अनुसूची में स्थानों के आबंटन के संबंध में हमने पूर्णतया संविधान का पालन किया है। तीसरी अनुसूची के संशोधन के संबंध में मेरे मित्र पंडित कुंज़रु ने देखा होगा कि वास्तव में यह केवल एक मामले में था कि कुल संख्या को कम किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के संबंध में है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा था। मैं अपनी मताभिव्यक्ति के लिए उत्तर प्रदेश को ले रहा हूँ। वहाँ मेरे सामने यह तथ्य आया है कि राज्य सरकार उच्च सदन के आकार में वृद्धि के लिए बहुत संकोची है औ चूंकि हम दिल्ली में हैं, इसलिए मैं

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 20 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 3095-96

राज्य सरकार के विनिश्चय के ऊपर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहता कि उनके उच्च सदन के लिए समुचित संख्या क्या है। उन्होंने सोचा है कि उनके उच्च सदन के लिए 72 समुचित और पर्याप्त संख्या है और इसी आधार पर मैंने यह संख्या 86 से घटाकर 72 की है। बिहार, बम्बई और मद्रास की कुल संख्या में किए गए परिवर्तन के संबंध में, मैं यह कह सकता हूँ कि आज श्री त्यागी के साथ एक अनौपचारिक बैठक में प्रस्तुत यह प्रतिपादना के कुल संख्या 12 से विभाज्य होनी चाहिए, मुझे अच्छी लगी और इसी कारण मैंने बिहार, बम्बई और मद्रास के लिए 72 नियत की है। आप यह पाएंगे कि वास्तव में मेरे संशोधन से, जहां मद्रास के संबंध में कुल संख्या 3 से कम हुई है, वहीं बम्बई और बिहार के लिए इस कोटे में वृद्धि हुई है। अतः इस आधार पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे, यह पता चलने पर खेद हुआ कि मैं उसी सिद्धांत को पंजाब में लागू नहीं कर सका क्योंकि उसके पास न्यूनतम संख्या ही है।

बंगाल के संबंध में यह महसूस किया गया था कि यदि इस सिद्धांत, को अर्थात् 12 द्वारा विभाज्य सिद्धांत को लागू किया जाता तो संख्या 51 से घटकर 48 हो जातीं और यह महसूस किया गया कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि इसमें संख्या कम से कम 51 होनी चाहिए और इसीलिए मैंने इन दो राज्यों के आंकड़ों को नहीं बदला। अन्य मामलों में मेरे मित्र श्री त्यागी पाएंगे कि मैंने वास्तव में उनका सिद्धांत अपनाया है।

चौथी अनुसूची का विस्तार ग्राम पंचायतों का पंचायतों के मुखियाओं तक करने के प्रश्न के संबंध में मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं मात्र इस कारण वह सुझाव स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस सदन का बड़ा भाग यह महसूस करता है कि ग्राम पंचायतों को ऐसे निकायों के रूप में सम्मिलित करना जिन्हें अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा उन्हीं निर्वाचकों की मात्र पुनरावृत्ति होगी क्योंकि यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि हमें व्यस्क मताधिकार का प्रयोग करना है तो व्यावहारिक रूप से ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य का भी उस राज्य के निचले सदन के निर्वाचन में एक मत होगा और इसीलिए यह एक अनावश्यक पुनरावृत्ति होगी और इसीलिए मैं इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री बर्मन (पश्चिमी बंगाल) : नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों के सदस्यों के बारे में क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : वे हो सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता किन्तु इसका पंचायतों तक विस्तार पूर्णतया मतों की पुनरावृत्ति होगी–एक प्रकार का दोहरा मतदान–और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ख्याल में और कोई मुद्दा नहीं है। मद्रास के लिए मात्र 3 की कटौती की गई है।

दिल्ली के संबंध में, मरे मित्र कुछ भी कहें, मुझे इसमें संदेह नहीं है कि सदन कुछ अधिक ही उदार रहा है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : वे स्वयं भी बहुत अधिक प्रसन्न हैं।

डॉ. अम्बेडकर : यह केवल ठीक ही नहीं बहुत विचारशील भी है।

सैयद नौशेर अली : संघ बोर्डों के बारे में क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं देखता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार की राय और मेरे दो माननीय मित्रों द्वारा व्यक्त विचार आज अलग-अलग प्रतीत होते हैं। कुछ कहते हैं कि स्थानीय बोर्ड का प्रवेश, जिसका सुझाव पश्चिम बंगाल की सरकार ने दिया है, रखा जाना चाहिए और मेरे दो मित्रों ने कहा कि इसका लोप किया जाना चाहिए और संघ बोर्डों का प्रवेश होना चाहिए।

सैयद नौशेर अली : वहाँ दोनों हो सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : इस बिन्दु पर मुझे कुछ पूछताछ करनी होगी। यदि मुझे लगा कि कुछ परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो परिवर्तन के लिए एक छोटा-सा संशोधन लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस समय मुझे उस सलाह पर कार्य करना चाहिए जिसे मैं विश्वसनीय मानता हूँ।

श्री जे.के. कपूर : बम्बई राज्य के स्थानों की संख्या 66 से बढ़ाकर 72 करने के क्या विशेष कारण हैं जबकि 12 से विभाज्य अगली संख्या 60 है।

डॉ. अम्बेडकर : यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक संख्या या दूसरी संख्या का कोई अपना महत्व नहीं है। मुझे मात्र 12 से विभाज्यता चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : बम्बई गुजरातियों, मराठियों और कन्नड़ों से मिलकर बना एक संयुक्त प्रांत है;

(यथा संशोधित पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूचियाँ विधेयक में जोड़ी गई।)

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

(डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अंगीकार किया गया।)

खंड III

1 अगस्त, 1950

से

22 दिसम्बर, 1950 तक

(17)
*दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ हैं, अत: इस विधेयक की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गयी है। इसलिए मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के इस विधेयक पर विचार किया जाए"-

यह विधेयक बहुत छोटा है तथा इसमें किसी प्रकार के विवादास्पद मामले शामिल नहीं हैं। वर्ष 1948 का दंत चिकित्सक अधिनियम 29 मार्च, 1948 को लागू हुआ था। इसे भाग 'क', भाग 'ग' और भाग 'घ' राज्यों में लागू किया गया था। इस अधिनियम की धारा 49 के अधीन यह उपबंध है कि 28 मार्च, 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति दंत चिकित्सा को व्यवसाय के तौर पर अपनाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अनुसार उसका नाम दंत चिकित्सकों के रजिस्टर में दर्ज न हो और उस रजिस्टर को इस अधिनियम में दिए गए नियमों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। आशा थी कि यह रजिस्टर 28 मार्च, 1950 तक तैयार हो जाएगा। परिणामस्वरूप इस अधिनियम का क्रियात्मक अंश इस प्रकार बनाया गया कि यह 28 मार्च, 1950 से लागू हो जाए। दुर्भाग्यवश, यह प्रत्याशा पूरी नहीं हुई। विभिन्न राज्यों से सूचना मिली कि यह रजिस्टर 28 मार्च, 1950 तक तैयार नहीं हो पाएगा और इसके परिणामस्वरूप इस अवधि को एक वर्ष और बढ़ाना आवश्यक हो गया ताकि संबंधित राज्य यह रजिस्टर तैयार कर सकें। चूंकि इस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, अत: सरकार ने अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से आवश्यक उपबंध को प्रभावी बनाते हुए इस अवधि को 28 मार्च, 1951 तक बढ़ा दिया गया। यह विधेयक इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने के लिए लाया गया है। अत: मुख्य उपबंध यह है कि रजिस्टर बनाने के प्रयोजनार्थ इस समयावधि को बढ़ा दिया जाए।

मौजूदा अवसर का उपयोग इस कानून में संशोधन करने के लिए भी किया गया है ताकि उन कुछेक कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो इस मूल अधिनियम को लागू करते समय सामने आई हैं। प्रथमत:, मूल अधिनियम में दो उपबंध थे। एक उपबंध यह था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस रजिस्टर में दर्ज न हो, उसे सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने की अनुमति न दी जाए। संभवत: यह आशा की गई थी कि यह उपबंध ऐसे रजिस्टरों के तैयार होने पर ही लागू होगा। चूंकि ये रजिस्टर तैयार नहीं

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 11 अगस्त, 1950, पृष्ठ 841-843

हैं, अतः वे व्यक्ति, जिनके नाम इस रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं—इस कारण से नहीं कि वे अर्हक नहीं हैं अपितु इस कारण कि रजिस्टर तैयार नहीं हुए हैं, सरकारी अस्पतालों में कोई पद धारित नहीं कर पाएंगे। अतः इस कालावधि को बढ़ाना तथा ऐसे व्यक्तियों को इस बात की अनुमति देना आवश्यक हो गया है कि इस रजिस्टर में उनके नाम दर्ज न होने पर भी वे अस्पतालों में नौकरी पा सकते हैं।

दूसरे, बंगाल में एक दंत चिकित्सा स्कूल है जो दंत चिकितसा में डिप्लोमा प्रदान करता है। जब इस अधिनियम को पारित किया गया था उस समय यह संविवाद था कि क्या इस बंगाल दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा को मान्यता दी जानी चाहिए ताकि डिप्लोमाधारी व्यक्तियों के नाम इस रजिस्टर में दर्ज किए जा सकें। यह महसूस किया गया कि बंगाल दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा दिया जाने वाला डिप्लोमा, रजिस्टर में नाम दर्ज कराए जाने के उद्देश्य से पर्याप्त अर्हता नहीं है। इस दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा को धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस अयोग्यता को समाप्त करने के लिए काफी आंदोलन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस संबंध में एक समझौता सुझाया गया है जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्होंने अपना डिप्लोमा वर्ष 1940 से पहले प्राप्त किया है, कुछेक शर्तों के साथ इस रजिस्टर में दर्ज करने के लिए अर्हित माने जाएंगे। इस समझौते को भी इस विधेयक में स्थान दिया गया है।

अतः इस विधेयक में तीन उपबंबध हैं : (1) इस अवधि को बढ़ाना, (2) कुछेक परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनके पास बंगाल दंत चिकित्सा स्कूल का डिप्लोमा है, रजिस्टर में दर्ज किए जाने की अनुमति देना तथा (3) जब तक यह रजिस्टर तैयार न हो, वर्ष 1951 तक सरकारी अस्पतालों में अपंजीकृत दंत चिकित्सकों का रोजगार जारी रखना।

इस विधेयक में यही सब कुछ शामिल है तथा मुझे आशा है कि इस विधेयक को अपनी अनुमति देने में सदन को कोई कठिनाई नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के इस विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : सबसे पहले मैं इस अध्यादेश को ऐसे समय जारी करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूँ जब मार्च माह में सदन की बैठक चल रही थी।

डॉ. अम्बेडकर : यह अध्यादेश मई में किसी समय जारी किया गया था।

खंड 2

***डॉ अम्बेडकर :** काश! मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों को उस समय तक रोके रखा होता जब उनके संशोधनों पर विचार किया जाता। ऐसे विषयों पर उत्तर देना निस्सन्देह कुछ द्विविधाजनक होगा, जो निस्संदेह उस समय पुनः उठाए जाएंगे। जब उनके संशोधन पेश किए जाएंगे। लेकिन अब मेरे पास उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का उत्तर देने के अलावा कोई चारा नहीं है; किन्तु मैं इनका उत्तर संक्षेप में दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे कहना पड़ेगा कि............

माननीय अध्यक्ष : मैं इन संशोधनों पर किसी प्रकार की बहस की अनुमति देना नहीं चाहता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि मेरे माननीय मित्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किए संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं इसे प्रस्तुत नहीं करूंगा।

डॉ. अम्बेडकर : श्री सिधवा ने एक-दो मुद्दे उठाए हैं। उनके द्वारा उठाया गया अंतिम मुद्दा था कि जब सदन की बैठक चल रही थी तब अध्यादेश क्यों जारी किया गया। इसके दो उत्तर हैं। पहला यह कि इस रजिस्टर को तैयार करने के लिए समय बढ़ाने के मामले में भारत सरकार से जो प्रथम अनुरोध किया गया था वह मद्रास सरकार द्वारा किया गया था और वह भी 15 मार्च, 1950 को या उसे बाद में? इसका अर्थ यह है कि इस रजिस्टर को तैयार करने में लगने वाली अवधि को समाप्त होने में केवल 13 दिन शेष बचे थे। यह पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि मद्रास सरकार से उस पत्र की जिसमें भारत सरकार को सूचित किया गया था कि इस रजिस्टर को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं है, प्राप्ति के बाद, स्वाभाविक तौर पर, भारत सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह अन्य राज्यों से यह पता लगाए कि क्या वे निर्धारित तारीख तक अपनी सूची तैयार करने की स्थिति में हैं, अथवा वे भी समय बढ़वाना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद भारत सरकार और अन्य विभिन्न राज्यों में पत्राचार हुआ।

निस्संदेह उन्होंने समय लिया और समय लेना भी था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब तक भारत सरकार को ये उत्तर प्राप्त हुए और वह यह मूल्यांकन कर सकी कि क्या मद्रास सरकार द्वारा प्रस्तावित शब्दों में संशोधन आवश्यक है, संसद का सत्र समाप्त हो गया। यही कारण है कि मध्यावकाश से पहले उस उपाय को नहीं लाया जा सका।

मेरे मित्र श्री सिधवा द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा यह था कि उन्हें इसमें कोई कारण नजर नहीं आता कि बंगाल दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछेक

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 11 अगस्त, 1950, पृष्ठ 856-62

अर्हताओं को मान्यता देने के लिए कानूनी उपबंध क्यों किया जाए। उनके अनुसार, यह ऐसा मामला है जिसे इस अधिनियम के अनुसार दंत चिकित्सा परिषद के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मैं सोचता हूँ कि मेरे मित्र श्री सिधवा ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा छोड़ दिया है और वह यह है कि परिषद को मान्यता प्रदान करने का अधिकार उन अर्हताओं या डिग्रियों से सम्बद्ध है जो वर्तमान स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती हैं किंतु जिस मामले से हम जुड़े हुए हैं वह एक ऐसा मामला है जिसमें डिग्रियां अथवा डिप्लोमा एक ऐसे निकाय द्वारा प्रदान किए गए हैं जिसने कार्य करना बंद कर दिया है। परिणामस्वरूप, यह मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह निर्णय ले कि दंत चिकित्सा में शिक्षा देने वाले एक स्कूल द्वारा प्रदान की गई डिग्रियां मान्यता योग्य हैं भी या नहीं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे धारा 10 के उपखंड (2) के अधीन बंगाल की परिषद पर छोड़ दिया जाए। शब्द है "प्रदान करता है" जिसका अभिप्राय है "जो इस समय भी प्रदान कर रहा है", और वे डिप्लोमा नहीं जो पहले प्रदान किए जा चुके हैं। ऐसा होने के कारण यह मामला ऐसा नहीं हो सकता जो दंत चिकित्सा परिषद की शक्तियों के अधीन उस पर छोड़ दिया जाए और यदि हमें इस अनुसूची में संशोधन करना पड़े तो भी इसे कानून द्वारा ही किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस विधेयक में कानूनी उपबंध किया गया है ताकि इस विशेष मामले को इसमें शामिल किया जा सके।

अब, बंगाल दंत चिकित्सा स्कूल के बारे में मैंने जो कहा है वह उस प्रश्न पर भी लागू होता है जिसे मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उठाया था।

अब मैं श्री कामथ द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आता हूँ। उनके द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा कमोवेश तकनीकी था। यदि मैंने उनकी बात सही समझी है तो उन्होंने कहा था कि कानूनी दृष्टि से रजिस्टर 28 मार्च, 1950 तक तैयार होना चाहिए था और यदि किसी व्यक्ति का नाम इस रजिस्टर में नहीं है तो धारा 46 और 49 के उपबंधों के अधीन उस पर कुछ शास्तियां लगाई जाएंगी, जबकि वह अध्यादेश, जिस द्वारा संबंधित व्यक्ति को इन शास्तियों से छूट मिलती है, 29 मई, 1950 को लागू हुआ। इस प्रकार, अब दो माह की अवधि बचती है जिसमें यदि किसी व्यक्ति पर जिसका नाम इस रजिस्टर में दर्ज नहीं है और जो फिर भी चिकित्सा व्यवसाय जारी रखता है अथवा पदधारी है, कुछ शास्तियाँ लगाई जा सकती हैं। इन व्यक्तियों की स्थिति क्या है? मैं सोचता हूँ मेरे मित्र श्री कामथ ने यदि इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के शब्दों को स्पष्ट रूप से पढ़ा होता तो उन्होंने देखा होता कि इन उपबंधों का कहना है कि :

"उपर्युक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (3) और धारा 49 की उप-धारा (1) में 'दो वर्ष की अवधि' शब्दों के स्थान पर 'तीन वर्ष की अवधि' शब्द रखे जाएंगे और इसे हमेशा प्रतिस्थापित हुआ समझा जाएगा।"

अत: यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा मौजूदा खंड में समुचित रूप से शामिल है।

श्री कामथ : मेरा मुद्दा यह था कि यदि मार्च, 29 से मई, 29 तक इन दो महीनों के दौरान किसी दंत चिकित्सक का नाम इस रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, तो इस अधिनियम के अधीन, और चूंकि यह अध्यादेश लागू नहीं हुआ था, सरकार के मात्र कार्यपालक अनुदेश से अभियोजन को, अथवा दंत चिकित्सक पर अधिरोपित की जा रही किसी अन्य शास्ति को कैसे रोका जा सकता था?

डॉ. अम्बेडकर : मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इससे अभियोजन रुक नहीं सकता। किन्तु भाग्यवश ऐसा कोई मामला नहीं घटा है और अब यह घट भी नहीं सकता, क्योंकि वह अवधि वापस मूल अधिनियम तक चली गई है।

श्री कामथ : किन्तु तब महोदय...........

माननीय अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अब यह मुद्दा बहुत स्पष्ट है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे मित्र श्री कामथ ने इस विधेयक को सदन में लाने के कारण ाों पर विचार करते हुए, यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति है तो कुछ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि यह विधेयक लाना इसलिए आवश्यक हो गया कि ऐसे राज्य, जिनसे सूची तैयार करने संबंधी उपबंधों को कार्यान्वित करना अपेक्षित था, अब तक भी कार्य नहीं कर सके हैं। मेरे मित्र का सुझाव है कि इसके पीछे एक और कारण भी है और वह कारण यह है कि इस देश में कुछ ब्रिटिश दंत चिकित्सक भी कार्य कर रहे हैं जो स्वयं को अधिवासी नहीं बनाना चाहते हैं, और स्वयं को पंजीकृत कराना नहीं चाहते हैं। तथा यह विधेयक उन्हें लाभ देने के आशय से बनाया गया है। अब, यह बात मेरी समझ से बाहर है कि एक ब्रिटिश दंत चिकित्सक को जिसका इस देश में अधिवासी बनने का कोई इरादा नहीं है, इस समयावधि में एक वर्ष के विस्तार से कैसे लाभ पहुँचेगा। मैं यह समझ नहीं सकता। किन्तु यदि मेरे मित्र अपने इस सुझाव पर अड़े रहते हैं, जो कि सरकार के एक माननीय सदस्य पर बहुत ही गंभीर अभिकथन है, तब, उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि जब वे सदस्य वापस आएं तो उनके सामने यह प्रश्न रखा जाए, और उनसे उत्तर माँगा जाए कि क्या इस विशेष विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे यही वास्तविक उद्देश्य था। मैं कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता, किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सरकार का एक माननीय सदस्य ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का साहस करेगा जिसका उद्देश्य और कुछ न होकर मात्र इतना होगा कि इस देश में एक अथवा दो यूरोपीय दंत चिकित्सकों को लाभ पहुंचाया जाए। मुझे यह अभिकथन अत्यंत बेतुका लगता है।

श्री कामथ : मैंने यह नहीं कहा कि यही एक मात्र प्रयोजन है, यह भी एक प्रयोजन हो सकता है।

अध्यक्ष : किन्तु अब भी, यह सुझाव अत्यंत अहितकर है।

डॉ. अम्बेडकर : उस मुद्दे पर भी मैं उनका ध्यान उनके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के कि ऐसे सभी राज्यों की वर्तमान स्थिति क्या है, जिन्हें यह बताने के लिए लिखा गया था कि उन्हें यह रजिस्टर तैयार करने में कितना समय लगेगा, उत्तर की ओर दिलाना चाहूँगा। राज्यों ने उत्तर दिया है कि उन्हें इस काम को करने में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा। और बम्बई सरकार ने भी जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वहां प्रशासनिक तंत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक दक्ष है, जोर दिया है कि इस काम के लिए उन्हें दो वर्ष दिए जाने चाहिएं। मेरे ख्याल से मेरे मित्र श्री कामथ के इस सुझाव को कि यह विधेयक इस देश के कुछ ब्रिटिशरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। निरस्त करने के लिए इतना ही काफी होगा।

मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुद्दा बचा है जो उठाया गया हो और अपना उत्तर देते समय मैंने जिसके बारे में उल्लेख न किया हो। यह अत्यन्त साधारण, निर्विवाद विधेयक है। यह केन्द्रीय सरकार की गलती के कारण नहीं लाया गया है अपितु प्रांतीय सरकारों द्वारा वहन किए गए अन्य बोझों के कारण पैदा हुआ है कि वे इस अधिनियम के एक विशेष उपबंध को लागू करने के लिए समय नहीं निकाल सके। मैं नहीं समझता कि हम इसके सिवाय और कुछ कर सकते हैं कि कानून के इस अंश को प्रभावी बनाने के लिए प्रांतीय सरकारों की सहायता करें और दंत चिकित्सक अधिनियम को यथासंभव शीघ्र लागू करें।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है कि :

"दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के इस विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

इस विधेयक में खंड 2 जोड़ा गया।

खंड 3 (1948 के अंधिनियम XVI की धारा 46 और धारा 49 का संशोधन)

श्री कामथ : मैं यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

"दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 46 की उप-धारा (3) और धारा 49 की उप-धारा (1) के प्रस्ताविक संशोधन में, खंड 3 में, 'तीन वर्ष' के स्थान पर पर '2 वर्ष और 6 माह' रखा जाए।"

वर्तमान खंड को इसलिए जोड़ा गया है ताकि राज्य सरकारें इस अधिनियम की धारा 46 और 49 के अधीन दंत चिकित्सकों संबंधी अपना रजिस्टर पूरा कर सकें। यह विधान

भूतलक्षी है। ऐसी अवस्था में इस खंड में प्रयुक्त शब्द है "और इन्हें हमेशा प्रतिस्थापित हुआ समझा जाएगा।" एक बात मेरी समझ से बाहर है कि कुछ सौ दंत चिकित्सकों के नाम इस रजिस्टर में दर्ज करने के लिए इतने अधिक समय की क्यों आवश्यकता है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि सब राज्यों में कितने दंतचिकित्सक हैं.........।

डॉ. अम्बेडकर : यह राय का विषय है। मेरे मित्र श्री कामथ, जिनमें अत्यधिक ऊर्जा है और जिनका प्रशासनिक अनुभव भी काफी है, निस्संदेह यह सोचते हैं कि इस रजिस्टर को पूरा करने के लिए 6 माह काफी होंगे। जैसा कि मैंने सदन को अभी बताया है कि बम्बई जैसी दक्ष सरकार ने भी दंत चिकित्सकों का नाम रजिस्टर में दर्ज करने के लिए दो वर्ष की माँग की है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोचता हूँ कि यह रजिस्टर तैयार करने का दायित्व प्रांतीय सरकारों का है और इस तथ्य के मद्देनहर यह वांछनीय है कि इस सदन को उस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए जो इस मामले पर प्रांतीय सरकारें व्यवहार्य समझती हैं। वस्तुतः हमने दो वर्ष, जैसा कि बम्बई सरकार ने माँग की थी, के स्थान पर इस अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया है। हम एक वर्ष की अवधि के पक्ष में हैं जो मद्रास सरकार का मूल प्रस्ताव था। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक में दी गई अवधि को कम करना हमारे लिए सुरक्षा के साथ संभव है।

श्री कामथ : मैं यह मान लेता हूँ कि माननीय मंत्री के पास आंकड़े नहीं हैं।

डॉ. अम्बेडकर : कोई आंकड़े नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : यदि रजिस्टर पूरे नहीं हैं, तो वे सही आंकड़े कैसे दे सकते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इस संबंध में कोई रजिस्टर नहीं है और किसको पता है कि कौन दंत चिकित्सक है अथवा कौन नहीं?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है

"कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 46 की उप-धारा (3) और धारा 49 की उप-धारा (1) के प्रस्ताविक संशोधन में, खंड 3 में "तीन वर्ष" के स्थान पर "दो वर्ष और छह माह" रख दिया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

***डॉ. अम्बेडकर :** जैसाकि मेरे मित्र श्री सिधवा ने कहा है कि यह संशोधन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रभावित करता है, जो इस खंड के उपबंधों में अन्तर्निहित है, अर्थात् रजिस्टर संपूर्ण भारत में एक ही दिन प्रभावी होना चाहिए। यह मात्र शैक्षणिक रुचि का विषय नहीं है.............

---

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 11 अगस्त, 1950, पृष्ठ 863-64

श्री सिधवा : क्या यह अधिनियम में निर्धारित किया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : तभी हमने शुरू से अब तक तीन अथवा दो वर्ष ही कहा है। अन्यथा हम भिन्न राज्यों के लिए भिन्न तारीखें निर्धारित करते। एकरूपता के सिद्धांत को बनाए रखना आवश्यक और वांछनीय है। सदन देखेगा कि यह पदधारण करने की पात्रता को कैसे प्रभावित करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति एक विशेष राज्य में पदधारण के लिए पात्र है तथा दूसरे राज्य में नहीं, केवल इसलिए कि वह राज्य यह रजिस्टर तैयार कर सका है। अत: मैं सोचता हूँ कि चूँकि सिद्धांत को बनाए रखना वांछनीय है अत: मैं श्री सिधवा के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। आखिरकार अंतर केवल छह माह का है।

श्री सिधवा : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहूँगा।

संशोधन, अनुमति से, वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है कि :

"खंड 3 इस विधेयक का अंश है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 3 इस विधेयक में जोड़ा गया।

*धारा 4 (1948 के अधिनियम XVI, अनुसूची का संशोधन)

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन)

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग I की प्रस्तावित मद (2ए) के स्थान पर, खंड 4 में निम्नलिखित मद रखी जाए :

"(2) कोई अन्य संस्थान जो दंत चिकित्सा में शिक्षा अथवा व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है, जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय दंत चिकित्सक परिषद से परामर्श करके इस प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों पर जो सरकार इसके लिए ठीक समझे, मान्यता प्रदान कर सकेगी।"

मैं यह स्वीकार करना चाहूँगा कि डॉ. अम्बेडकर दृढ़ निश्चय हैं........। मैं संस्थान की निंदा नहीं करना चाहता। मैं यह नहीं जानता कि इसका स्तर कैसा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। अत: मैं इस संस्थान की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। किन्तु चूंकि जाँच चल रही है, बजाए इसके कि सारी संसद को इस संस्थान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया जाए कि सरकार यह विनिश्चय करने का अधिकार अपने हाथों में रखे......।

---

*सं. वा., खंड 5, भाग II 11 अगस्त, 1950, पृष्ठ 864-65

डॉ. अम्बेडकर : हम इस संस्थान को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हम इस संस्थान द्वारा 1940 में अर्थात् 8 वर्ष पहले प्रदान की गई डिग्रियों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री त्यागी : डॉ. अम्बेडकर मुझसे यह आशा करते हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करूँ कि संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों को मान्यता प्रदान की जाए, भले ही स्वयं संस्थान को मान्यता प्राप्त न हो। अमुक-अमुक वर्ष में प्रदान की गई कलकत्ता विश्वविद्यालय की डिग्रियों को भारतीय सिविल सेवा अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए मान्यता दी जा सकती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है। क्या तर्क है। यहाँ मैं उन्हें अधिक शक्तियां दे रहा हूँ। मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि वे उस संस्थान को मान्यता भी प्रदान कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सरकार के पास ऐसी शक्तियां हों कि वह किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान कर सके.........।

डॉ. अम्बेडकर : ये शक्तियां धारा 10(2) में विद्यमान हैं।

*__माननीय उपाध्यक्ष :__ क्या मैं इस संशोधन पर माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जान सकता हूँ?

डॉ. अम्बेडकर : यही खंड ऐसा खंड है जो वास्तविक रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए सुझाव को कार्यान्वित करता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं यह महसूस करता हूँ, तथापि मेरी अधिक सहानुभूति मेरे मित्र श्री भार्गव के साथ होगी, इसमें एक दंत चिकित्सक की अर्हता के मूल्यांकन का प्रश्न शामिल है जो एक ऐसे व्यक्ति से जो नकली दांत बनाता है, भिन्न है। मैंने यह सोचा कि वे नकली दांत बनाने वाले व्यक्ति के प्रति काफी वाक्पटु हैं। ऐसा व्यक्ति जो नकली दांत बनाता है, जरूरी नहीं कि वह दंत चिकित्सक भी हो। हम दंत चिकित्सक की बात कर रहे हैं जो बहतु भिन्न पेशा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु उनके पास एल.डी.एस.सी. की डिग्री है।

डॉ. अम्बेडकर : मुद्दा यह है कि जब यह अधिनियम पारित किया गया था, तब इस संस्थान को मान्यता प्रदान करने योग्य नहीं समझा गया था। तदुपरांत इस संबंध में काफी आन्दोलन हुआ और पश्चिम बंगाल सरकार ने यह जाँच-पड़ताल करने का विनिश्चय किया कि क्या इस कालेज में शिक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त कोई भी व्यक्ति मान्यता प्राप्त करने के योग्य है। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि वर्ष 1940 से पहले इस संस्थान का स्तर

*सं. वा., खंड 5, भाग II, 11 अगस्त, 1950, पृष्ठ 867-68

ऐसा था कि इसे मान्यता के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि स्तर बनाए रखा गया किन्तु यह भी ज्ञात हुआ कि बहुत से लड़के कुछ सत्रों में उपस्थित हुए और कुछ शर्तें पूरी कीं परन्तु उन्होंने सीखा कुछ भी नहीं। अतः दो अतिरिक्त अर्हताएं आरंभ की गईं कि उसने 1940 से पहले न केवल डिप्लोमा प्रज्ञपत किया हो बल्कि उसने कॉलेज का छात्र होने के दौरान कछ सत्र भी पूरे किए हों। ऐसे प्रतिबंध लगाने के पीछे उद्देश्य यह था कि अर्हता वास्तविक और मान्यता योग्य हो। अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करने के बजाय मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयं इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में सौंपने को तैयार हूँ जो इस मामले को बेहतर जानती है भले ही, मेरी पूरी सहानुभूति दंत चिकित्सकों के साथ है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनका संशोधन सदन में रखूं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हाँ, इसे सदन में रखा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन रखा गया।

***डॉ. अम्बेडकर :** मैंने कुछ समय पहले आपको स्थिति स्पष्ट कर दी थी। धारा 10(2) में उपबंध है कि 'जहां संस्थान अर्हता प्रदान करता है'–किन्तु हम उन अर्हताओं पर विचार कर रहे हैं जो पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। वहाँ शब्द है 'प्रदान करता है' किन्तु यहां यह अलग है। अतः इस पर कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं इस संशोधन को मतदान के लिए रखूँगा।

प्रश्न है कि :

"दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग-I की प्रस्ताविक मद (2क) में, खंड 4 में, 'मार्च, 1940' के बाद आने वाले सभी शब्दों का लोप कर दिया जाए।"

पंडित भार्गव का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

---

*सं. वा., खंड 5, भाग II, 11 अगस्त, 1950, पृष्ठ 871

"कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

विधेयक में खंड 4 जोड़ा गया।

विधेयक में खंड 5 से 7 जोड़े गए।

विधेयक में खंड 1 जोड़ा गया।

विधेयक में यह शीर्षक और अधिनियम सूत्र जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह प्रस्तावित करने की अनुमति चाहूँगा :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(18)

राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में संसद द्वारा एक वर्ष के लिए विधियाँ बनाने के संबंध में संकल्प

***माननीय अध्यक्ष :** जैसा कि मैंने समझा है, मुद्दा यह प्रतीत होता है कि 'विशेष रूप से' शब्द को छोड़कर–राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे केवल भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों के संबंध में ही अनुकूलन कर सकते हैं। शायद विधि मंत्री इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे।

विधि मंत्री (डॉ अम्बेडकर) : इस अनुच्छेद के शब्द है कि "राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेषकर.......आदि"। "विशेषकर" का अर्थ यह नहीं कि उनके पास व्यापक शक्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि मैंने "किसी प्रकार की कठिनाइयों" तथा "विशेषकर" शब्दों के अलावा माननीय सदस्य की व्यवस्था के प्रश्न को समझा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल भारत शासन अधिनियम के उपबंधों से संविधान के उपबंधों में संक्रमण के प्रयोजनों के लिए अनुकूलन करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने के रूप में ही अनुच्छेद 392 का अर्थ करते प्रतीत होते हैं। सारवान रूप से यही मुद्दा है।

डॉ. अम्बेडकर : यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह गलत व्याख्या है। मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाया गया मुद्दा यह है कि अनुच्छेद 392 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई शक्ति भारत शासन अधिनियम, 1935 की किसी धारा के अनुकूलन तक ही सीमित है, ताकि इसे संशोधन के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। मेरा निवेदन है कि यह सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 392 के आरंभिक शब्द यथा "राष्ट्रपति किसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए" और फिर "विशेषकर आदि" आते हैं। मान लीजिए आपको "विशेषकर भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंध से संविधान के उपबंधों में संक्रमण के संबंध में शब्द हटाने हों", तो वाक्य इस प्रकार होगा "राष्ट्रपति किसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आदेश द्वारा निदेश........आदि।"

श्री मीरन् (मद्रास) : क्या मैं इस मुद्दे के संबंध में कुछ कह सकता हूँ। यदि आप "विशेषकर भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से संक्रमण के संबंध में" शब्द हटाएं, तो इसे इस तरह पढ़ा जाएगा। "राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों से किसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश द्वारा निदेश...............आदि। "विशेषकर" शब्द एक दृष्टान्त की भांति है और यह एक छोटा-सा उपबंध है। व्यापक उपबंध यह

---

*सं. वा., खंड 5, भाग II, 12 अगस्त, 1950, पृष्ठ 935-38

है कि संविधान के उपबंधों में आने वाला किसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां प्रदान करना है।

माननीय अध्यक्ष : मैं एक या दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहूँगा जिससे व्याख्या की बारीकियों में जाए बिना मामला निपट सके। क्या मेरी यह व्याख्या सही है कि भारत की संविधान सभा (विधायी) भारत शासन अधिनियम के अनुकूलन के परिणामस्वरूप कार्य कर रही थी?

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, स्वाधीनता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, 1935 का संशोधन था।

---

(19)
*निष्क्रांत संपत्ति (संशोधन) प्रशासन विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं प्रारंभ में यह कहना चाहूँगा कि संसद समवर्ती क्षेत्र में विधि द्वारा राज्य की विधि को निरसित कर सकती है नामक मुद्दा बहुत बाद में उठाया गया है। मुझे पक्का भरोसा है कि इस संसद ने अनेक ऐसी विधियाँ पारित की हैं जिनमें यह उपबंध है कि संसद समवर्ती क्षेत्र में विधि द्वारा राज्य विधि को निरसित कर सकती है। मेरे मित्र श्री जैन ने उनमें से एक का उल्लेख किया; जिसे संसद ने पारित किया है। इस विधि का नाम है आमेलित राज्य अधिनियम, (1949 का अधिनयम LIX)। यदि इस विषय में रुचि रखने वाले मेरे मित्र इस विशेष विधि के उपबंधों का अवलोकन करें तो वे पाएंगे कि ऐसी बहुत-सी विधियां हैं जो समवर्ती क्षेत्र में आती हैं तथा जो राज्यों द्वारा अधिनियम की गईं तथा इस अधिनियम विशेष द्वारा उन्हें निरसित किया गया। अत: जहाँ तक कार्यान्वयन का संबंध है, मैं नहीं मानता कि इस विधेयक में शुरू किए गए प्रस्ताव में कोई नयापन है। हाँ, यह अवश्य तर्क का विषय है कि इसका कार्यान्वयन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तथा इसीलिए संविधान में इसकी आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूँ यह कार्यान्वयन पूर्णरूप से संविधान के अनुरूप है।

मेरे माननीय मित्र श्री अनंतशयनम् अय्यंगर ने उप-धारा (2) परंतुक का ठीक ही उल्लेख किया है। मेरी राय में, इस परंतुक का महत्व इसी में निहित है कि संसद के लिए न केवल विधि बनाना और समवर्ती क्षेत्र में राज्य द्वारा बनाई गई किसी विधि का संशोधन करना, उसमें परिवर्तन करना, अथवा उसमें कुछ जोड़ना संभव है, अपितु इसे उस विधि को रद्द करने का भी अधिकार है। मेरे विचार में इस परंतुक से यह काफी स्पष्ट हो जाता है। जहाँ तक इस परंतुक का संबंध है, समवर्ती क्षेत्र में राज्य द्वारा बनाई गई विधि को रद्द करने का संसद की शक्ति विनिर्दिष्ट है। किन्तु मेरे माननीय मित्र श्री अनंतशयनम् का मुद्दा यह है कि यह परंतुक केवल उप-धारा (2) से सम्बद्ध है। अब मेरा मानना यह है कि यदि वे उप-धारा (2) मैं उल्लिखित आवश्यकताओं पर विचार करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि संविधान में उप-धारा (2) को जोड़ना क्यों काफी समझा गया और इसे उप-धारा (1) तक बढ़ाने के लिए आवश्यक क्यों नहीं समझा गया। मेरे मित्र पाएंगे कि अनुच्छेद 254 का उप-खंड (2) एक ऐसी विधि के प्रति निर्देश करता है जिसे यदि मेरे मित्र अनुमति दें तो मैं 'संरक्षित विधि' कहूँगा अर्थात् ऐसी विधि जिसे न केवल राज्य विधानमंडल ने पारित किया हो, बल्कि जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा गया और जिसे राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। यही वह विधि है जिसका उप-खंड (2) में उल्लेख किया गया है। अब यह महसूस किया

*सं. वा., खंड 5, भाग II, 21 नवंबर, 1950, पृष्ठ 339-341

गया कि यह बहस का विषय हो सकता है कि ऐसी विधि की दशा में, जिसे हालांकि समवर्ती क्षेत्र के संबंध में राज्य विधानमंडल ने पारित किया है। फिर भी जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा गया और जिसे राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से केन्द्रीय सरकार, जो संसद की आकांक्षाओं को निरूपित करती है, की सलाह पर अपनी सहमति दे दी है। मेरा तर्क है सरकार को या तो संशोधन के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्रकार से उस अधिनियम विशेष को क्षति पहुँचाकर आगे कुछ और करने से विबंधित समझा जा सकेगा। यह इस प्रकार के तर्क को काटने के लिए कि एक बार विधि संरक्षित हो जाए तो केन्द्रीय सरकार-साक्ष्य अधिनियम के अर्थ में, आगे कोई कार्रवाई करने से विबंधित है, यह परन्तुक समाविष्ट किया गया था। इस परन्तुक को उप-खंड (1) तक विस्तारित करना आवश्यक नहीं समझा गया। क्योंकि 'विधि बनाना' अभिव्यक्ति स्वयं इतनी व्यापक है कि इसमें विधि का निरसन भी सम्मिलित हो सकता है।

12.00 बजे दोपहर

'विधि बनाने' से क्या अभिप्रेत है? आम भाषा में विधि बनाने का अर्थ है ऐसा अधिनियम बनाना जहाँ पहले अधिनियम न हो अथवा जहाँ अधिनियम हो वहाँ उसमें कुछ जोड़ना, उसमें कुछ परिवर्तन करना, उसमें कुछ संशोधन करना अथवा उसे निरसित करना। ये सब उस व्यापक वाक्यांश 'विधि बनाना' में शामिल है। अतः चूँकि विधि बनाने में पूर्व अधिनियम को निरसित करते हुए विधि बनाना अथवा एक अन्य अधिनियम बनाना शामिल है, यह महसूस किया गया कि परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध अनुच्छेद 254 के उप-खंड (1) के संबंध में अनावश्यक थ। अतः अनुच्छेद 254 में 'विधि बनाने' वाक्यांश भी निहित है जिसमें कानून को निरसित किया जाना भी शामिल है। चूंकि यह महसूस किया गया कि अनुच्छेद 254 के उप-खंड (2) का यह निहितार्थ नहीं होता। इसलिए यह उपबंध इसमें जोड़ा गया। अतः मेरा निवेदन है कि यदि संसद किसी समवर्ती क्षेत्र में राज्य का विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि को निरसित करती है तो इसमें कुछ भी सांविधानिक नहीं है।

दूसरे मुद्दे के संबंध में कि क्या आप कुछ विधियों को निरसित करके एक व्यापक बहुप्रयोजन विधि बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी ऐसा करना अनुचित नहीं है। व्यापक विधि बनाने से क्या लाभ होगा? हम यह कर सकते थे कि सैंकड़ों अधिनियम जिनमें से प्रत्येक किसी विशिष्ट विधि से संबंधित हो बना सकते थे जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि हम इस अधिनियम को निरसित करते हैं, एक अन्य अधिनियम में यह उल्लेख किया जाए कि हम उस अधिनियम को निरसित करते हैं और एक तीसरे अधिनियम में यह उल्लेख किया जाए कि हम तीसरे को निरसित करते हैं। ऐसा करने के बजाय, हमने इसे सामूहिक रूप से कर लिया।

श्री एम.ए. आय्यंगर : आप इसमें एक अनुसूची जोड़ सकते थे।

डॉ. अम्बेडकर : यह भी किया जा सकता था। ऐसा करने के अनेक तरीके हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कुछ मामलों में कुछ तरीके अन्य से बेहतर हो सकते हैं, किन्तु जहाँ तक इस विधेयक में शामिल साधारण सिद्धांत का संबंध है। मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ भी प्रारूपकार की पद्धति के विरुद्ध अथवा सांविधानिक है। मेरे मित्र देखेंगे कि मैंने उदाहरणार्थ मौजूदा सत्र में एक विधेयक पारित किया है जिसका नाम है 'भाग 'ख' राज्य विधेयक', जिसके साथ एक समय-सारणी संलग्न है। इसमें अधिनियम से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध है। कारण यह है कि, जब मामला उठाया जाएगा तभी मैं स्पष्ट करूँगा, कि कुछ विधियाँ बिना कुछ अनुकूलन किए लागू नहीं की जा सकतीं। अतः इस आशय से समय-सारणी समाविष्ट की जानी थी कि इस अनुकूलन के कारण यह विधि लागू हो जाएगी। कूच-बिहार जैसे कुछ अन्य ऐसे भी हैं जहाँ कोई समय-सारणी नहीं है, क्योंकि यहाँ अनुकूलन अपेक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती। अतः हमारे पास एक साधारण खंड है और मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र के विधेयक में अंतर्विष्ट उप-खंड में कुछ भी सांविधानिक अथवा अनुचित है।

***माननीय अध्यक्ष :** जैसा कि मैंने बताया मैं कल सदन में मौजूद नहीं था, किन्तु मैंने सदन की कार्यवाही पढ़ी थी। क्या माननीय विधि मंत्री इससे आगे कुछ और कहना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि अब यह आवश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैंने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है।

माननीय अध्यक्ष : तब मैं संशोधन को सदन के समक्ष रखूंगा।

प्रश्न है कि :

"निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित धारा 58 की उप-धारा (2) में, खंड 2 में "इस अधिनियम के समनुरूप" शब्दों के स्थान पर कोष्ठक तथा अंक रखे जाएं जो इस अधिनियम के समनुरूप हों और जिसका उप-धारा (1) द्वारा निरसन नहीं किया जाता हो।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

*सं. वा., खंड 6, भाग II, 21 नवंबर, 1950, पृष्ठ 342-43

(20)

*संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए अर्हताएँ

श्री सर्वटे (मध्य प्रदेश) : महोदय, संशोधन पर आगे की कार्रवाई करने से पूर्व क्या आप डॉ. अम्बेडकर को बुलाकर यह नहीं पूछना चाहेंगे कि क्या प्रो. के.टी. शाह द्वारा दिए गए सुझाव के विषय में वे कुछ कहना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि उन्हें कुछ कहने के लिए बुलाना आवश्यक है। यदि आवश्यक होता, तो मैं उन्हें अवश्य बुलाता।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं अपने मित्र प्रो. के.टी. शाह के प्रस्ताव पर कुछ न बोलकर उन्हें यह महसूस नहीं कराना चाहता कि मैं उनका आदर नहीं करता। महोदय, यदि आप मुझे इस स्तर पर अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष मुझे यह मानना पड़ेगा कि जब प्रो. शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का पाठ मुझे प्राप्त हुआ मैं असमंजस में पड़ गया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि इस प्रकार के संकल्प में सरकार को यह इंगित करने वाले, कि संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद भी है जो उन्हें उस पर नियम बनाने की अनुमति देता है, केवल ये शब्द ही नहीं होने चाहिएं बल्कि इस प्रकार की विधि के संबंध में सरकार को क्या करना चाहिए इस विषयक सुझाव भी शामिल किए जाने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत असमंजस में था, इसलिए इस संकल्प के संबंध में मैं क्या रूख अपनाऊँ इसका विनिश्चय करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मुझे अब पता चला कि प्रो. शाह द्वारा तैयार किए गए संकल्प का लक्ष्य वास्तव में विमर्शित था। संविधान में सुसंगत अनुच्छेद के उप-खंड (ग) के अधीन विधान में क्या सम्मिलित किया हो इस संबंध में वह सदन से चाहते थे कि उन्हें कुछ विचार बताया जाए। मुझे इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मुझे सोचना चाहिए था कि यदि प्रो. शाह इस प्रकार के विधायन के इतने इच्छुक थे जितने वे दिखते थे, तो बिना किसी अपने सुझाव के वे खाली दिमाग यहां नहीं आते। हालांकि मैं समझता हूँ कि जिन्होंने उनके संकल्प का समर्थन किया है उन्होंने उनके विचार अच्छी तरह से समझे हैं तथा प्रो. शाह के समर्थन में दिए गए विभिन्न भाषणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ सदस्य संविधान में उल्लिखित अर्हताओं के अतिरिक्त जो अर्हताएं जोड़ने के इच्छुक हैं वे शायद शैक्षणिक अर्हताओं के विषय में बात कर रहे हैं। किन्तु उनमें से कोई भी स्पष्ट नहीं है: उनमें से किसी ने भी कोई सुझाव नहीं दिया कि वे शिक्षा का क्या मानदंड निर्धारित करना चाहते हैं ताकि कोई उम्मीदवार विधिपूर्णतया चुनाव लड़ने का हकदार हो सके।

---

*सं. वा., खंड 6, भाग II, 21 नवंबर, 1950, पृष्ठ 537-41

अब मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन की सदस्यता के लिए शिक्षा ही एक मात्र अर्हता नहीं हो सकती। यदि मैं भगवान बुद्ध के शब्दों का प्रयोग करूं, उन्होंने कहा था कि मनुष्य को दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो *ज्ञान* और दूसरा *शील*। शील के बिना ज्ञान अत्यंत खतरनाक होता है: ज्ञान के साथ शील का होना अनिवार्य है। शील का अर्थ है चरित्र, नैतिक साहस, किसी भी प्रकार के लोभ में तटस्थ रहने की क्षमता और अपने आदर्शों पर टिके रहना। मैंने प्रो. शाह के प्रस्ताव के समर्थन में कई सदस्यों के विचार सुने पर उनमें से किसी ने भी अपने भाषण में द्वितीय अर्हता के संबंध में कुछ नहीं कहा, किन्तु फिर भी मैं स्वयं यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूं कि कोई भी सदस्य जिसमें शील न हो, इस महान सदन में नहीं आता है, इस बहुमूल्य अर्हता को सुनिश्चित करने के लिए कोई साधन या पद्धति खोज पाना। मुझे अत्यंत कठिन लगता है।

शिक्षा के प्रश्न पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप यह न समझें कि मैं अज्ञानता को कोई विशेष गुण मानता हूँ। मैं शिक्षा को उस सामर्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक अर्हता मानता हूँ जो अपना कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के पास होनी अनिवार्य है। इस सदन में कई ऐसे व्यक्ति हैं,जो हालांकि शिक्षित नहीं हैं, फिर भी वे जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी शिकायतों को व्यक्त करने में सक्षम हैं। और मैं इस विषय में आश्वस्त हूँ। अधिक शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने में समर्थ नहीं होगा क्योंकि वह नहीं जानता और उसे इसका अनुभव भी नहीं होता। किन्तु मेरे वे मित्र जो इस वर्ग से आते हैं तथा स्वाभाविक रूप से मेरी सहानुभूति उनके साथ है, यह नहीं महसूस करते कि जिस वर्ग का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी सहायता करने के लिए सदन में भाषण देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें शिकायतों को दूर करने के उपाय भी सुझाने चाहिए। सदन में भाषण देना तथा शिकायतों को सामने लाना बहुत आसान कार्य है किन्तु समस्याओं का समाधान तैयार करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्रों के दृष्टिकोण से शिक्षा का होना भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम इसे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? जब मैंने इस सुझाव पर कि सदन की सदस्यता के लिए कोई शैक्षणि ाक अर्हता होनी चाहिए, विचार किया तो मैंने पाया कि जो प्रस्ताव सिद्धांत रूप से या शैक्षणिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है। उसकी अन्य कमियों को सामने लाए बिना उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। यह मेरे लिए एक समस्या है। आप इसके मानदण्ड कहाँ निर्धारित करेंगे? क्या आप कहेंगे कि केवल स्नातक ही इस सदन के सदस्य होंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। सदस्य संभवत: जानते होंगे कि यहां ऐसे कई व्यक्ति हैं जो शैक्षिक व बौद्धिक दृष्टि से स्नातकों के मुकाबले कहीं अधिक सक्षम हैं, जबकि वे कभी किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े। ऐसे कई व्यक्ति हैं। क्या आप ऐसे लोगों को सदन में आने से रोकना चाहते हैं, जिन्होंने निजी रूप से स्वयं को शिक्षित किया है और जो स्नातक या स्नातकोत्तर व्यक्तियों के समान

या इनसे अधिक सक्षम हैं, और आप उन्हें केवल इसलिए इस सदन मे आने नहीं देना चाहते क्योंकि वे किसी विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र हासिल नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि इसका परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

अब एक अन्य परिणाम को लीजिए। हमारे देश में शिक्षा निम्नतम स्तर में है। ऐसा कई कारणों से है जिसे हम सब जानते हैं, हमारे देश में शिक्षा का प्रसार सभी समुदायों में समान रूप से नहीं है। यहां कुछ समुदाय को उच्च अर्हता प्राप्त हैं जबकि कुछ समुदायों में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। मान लीजिए कि आप स्नातक या केवल दसवीं को ही मानण्ड निर्धारित करते हैं, तो क्या आप इस सदन की सदस्यता पर एक ही समुदाय का एकाधिकार स्थापित नहीं कर रहे। मुझे भय है परिणाम यही होंगे। मान लीजिए आप अपने स्तर को कम कर देते हैं, उदाहरण के लिए लिखने-पढ़ने-कामचलाऊ गणित के ज्ञान या साक्षर होने को मानदण्ड मानते हैं ताकि कोई भी समुदाय इस सभा में अपने सदस्यों को भेजने के अवसर से वंचित न रहे। क्या यह अर्हता किसी भी तरह ठीक है? यह किसी काम की नहीं है।

अत: मेरा निवेदन है कि यह अच्छी बात है। मैं इस भावना का इस सदन में अपने निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों को शिक्षित होना चाहिए, विरोध नहीं कर रहा। किन्तु मैं समझ नहीं पा रहा कि आप इसे विधि का रंग कैसे दे सकते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि यह एक ऐसा विषय है जिसे लोगों या सरकार चलाने वाले राजनैतिक दलों पर ही छोड़ना बेहतर है। मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि यदि राजनैतिक दल अपने विशेष प्रयोजनों के लिए इस विषय पर ध्यान न देंगे तो ही कालांतर में जनता स्वयं इस पर ध्यान देगी। जनता उन लोगों को, जो इस सदन में अपना कार्य समुचित ढंग से नहीं कर सकते, इस सदन में बने रहने की अनुमति नहीं देगी और उन्हें हमेशा के लिए वापस बुला लेगी। जनता काम चाहती है, लोग चाहते हैं कि उनके हितों का ध्यान रखा जाए तथा मुझे पूरा विश्वास है कि जनता यह समझेगी कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि वे इस सदन में अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को चुनकर भेजें। अत: मैं समझता हूँ कि इसका उपयुक्त उपाय यह है कि इस विषय को जनता पर छोड़ दिया जाए।

अब, महोदय, मेरे मित्र प्रो. के.टी. शाह ने निराश होकर कहा कि वे इस प्रस्ताव की नियति जानते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि यह प्रस्ताव गुणा-व-गुण के आधार पर बुरा है। अपितु ऐसा इसलिए है कि वे इस प्रस्ताव को लाए हैं। मैं अपने मित्र प्रो. के. टी. शाह को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरे मन में उनके पति कोई निजी पूर्वाग्रह नहीं है और निश्चित तौर पर मैं ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूँ कि किसी के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ या मैं उन्हें पसंद नहीं करता। इस सदन में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके निजी पूर्वाग्रह हैं—या शायद उनके बीच व्यक्तिगत

प्रतिरोध हैं, किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के किसी भी कार्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह पर ध्यान नहीं देगा। अत: मैं आशा करता हूँ कि उनके संकल्प का विरोध करने पर वे अपने दिल में इस प्रकार के विचार नहीं आने देंगे।

महोदय, मैं नहीं समझता कि समिति बनाने से कोई हल निकलेगा क्योंकि इस बहस के फलस्वरूप कोई व्यवहार्य बात सामने नहीं आई। यदि इस बहस के फलस्वरूप कोई ठोस सुझाव सामने आते जिस पर कोई कानून बनाना संभव होता तो मैं उस सिफारिश को स्वीकार करने में किंचित भी नहीं हिचकता। मेरे मित्र प्रो. के.टी. शाह ने कहा है कि वे इसके लिए फार्मूला तलाशने में इस प्रक्रम पर निराश नहीं हुए, जिससे वे इसे विधि का रूप दे सकते। मैं उनसे और अधिक ठोस सुझाव तथा कोई तरीका जानना चाह रहा हूँ जिससे वे इसे विधि का रूप प्रदान करेंगे, किन्तु उन्होंने अचानक यह कहकर अपनी बात समाप्त कर दी कि वे इसके लिए निराश नहीं हैं, और उन्होंने इस पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। वास्तव में मैं जानता हूँ कि मैं जब इस प्रस्ताव को लोक प्रतिनिधित्व विधेयक के विचार के इस सत्र में रखूंगा तो इस पर वाद-विवाद होगा, क्योंकि अहिताएँ तथा निरर्हताएँ नामक यह विषय यहां सदन के समक्ष विशेष रूप से रखा जा रहा है। और चाहे मेरे मित्र डॉ. पंजाब राव देशमुख की कोई भी इच्छा हो, जब यह विधेयक पेश होगा तो संशोधन के रूप में इस प्रश्न को पुन: उठाने की इस सदन की स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। इस समय मैं इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकता।

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन के समक्ष मात्र संशोधन प्रस्तुत कर रहा था।

श्री कामथ (मध्य प्रदेश) : महोदय, चूंकि यह प्रश्न सदन में इस सत्र के अन्त में आ रहा है, इसलिए मैं आपकी अनुमति से अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

यह संशोधन, अनुमति से, वापिस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : तत्पश्चात् श्री एस.एन. मिश्रा द्वारा पेश किया गया संशोधन है। प्रश्न है :

"कि "अहिताएँ" शब्द से पूर्व "न्यूनतम शैक्षणिक" शब्द भी जोड़े जाएँ।"

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, प्रश्न है :

"कि इस सदन की भी यही राय है कि भारत की संसद तथा राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहिताएँ निर्धारित की जाएँ और अगले चुनाव आने से पूर्व इन्हें कार्यरूप देने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।"

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

---

(21)

*कूच-बिहार (विधियों का आत्मसात्करण) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं कूच-बिहार में लागू कुछ विधियों को शेष पश्चिम बंगाल में लागू विधियों में आत्मसात् करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि कूच-बिहार में लागू कुछ विधियों को शेष पश्चिम बंगाल में लागू विधियों में आत्मसात् करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

****विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं पेश करने की अनुमति चाहता हूँ:

"कि कूच-बिहार में लागू कुछ विधियों को शेष पश्चिम बंगाल में लागू विधियों में आत्मसात् करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह बहुत साधारण और छोटा-सा विधेयक है, किन्तु पिछले सप्ताह के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूँ, मेरा सौभाग्य होगा कि शाम को सदन के उठने से पहले यह विधेयक पास हो जाएगा।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य सूची-I तथा II में उल्लिखित विषयों से संबंधित कुछ केन्द्रीय विधियों का विस्तार कूच-बिहार तक करना है। इस विधेयक द्वारा केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना देकर एक दिन निश्चित करने की शक्ति दिया जाना प्रस्तावित है, कि यह विधि कब से लागू होगी। इन विधियों में केवल एक अपवाद है जो कि मुसलमान शरीयत कानून से संबंधित है। इसके संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह एक तारीख नियत करे ताकि उस दिन मुसलमान *शरीयत* कानून लागू हो सके। यदि कूच-बिहार 1949 से पूर्व एक विलीन राज्य बन जाता तो यह विधेयक अनावश्यक होता, क्योंकि सदन को याद होगा कि 1949 के अधिनियम-LIX (एलआईएक्स), जो कि मैं समझता हूँ कि इस सदन के दिसंबर सत्र में पारित हुआ था, के अनुसार सभी केन्द्रीय विधियों को सभी विलीन राज्यों में लागू किया गया था, किन्तु दुर्भाग्यवश उस समय कूच-बिहार एक विलीन राज्य नहीं बना था। कूच-बिहार

---

*सं. वा., खंड 5, भाग II 4 अगस्त, 1950, पृष्ठ 291-292

*सं. वा., खंड 6, भाग II, 1 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 1147

को पश्चिम बंगाल में मिलाए जाने संबंधी आदेश राष्ट्रपति द्वारा जनवरी, 1950 में जारी किया गया था, जिसके फलस्वरूप ऐसा कहा जा सकता है कि यह अनुपूरक विधेयक आवश्यक हो गया। मैं नहीं समझता कि यहां कोई ऐसा खंड है जिसके लिए कोई और स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव को अंगीकार किया गया।

इस विधेयक में 1 से लेकर 4 खंड जोड़े गए।

इस विधेयक में शीर्षक और अधिनियम सूत्र जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि इस विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव को अंगीकार किया गया।

---

(22)
*भारतीय टैरिफ (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रकार का प्रश्न मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी द्वारा उठाया जाना चाहिए था जिन्होंने हमेशा इस सदन में कहा है कि वे इस देश की सबसे अनपढ़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है मैं सोचता हूँ जिसने कई वकीलों को उलझन में डाला है तथा मुझे सोचना चाहिए था कि मेरे मित्र के लिए इस विषय को किसी अन्य को सौंप देना ही उपयुक्त था। जब जबकि यह प्रश्न उठाया ही जा चुका है और आपने इस विषय में अपना मत भी प्रकट कर दिया है कि इस प्रकार का सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर निर्णय अवश्य होना चाहिए, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहूँगा। जब मैं श्री त्यागी द्वारा की जा रही टिप्पणियों को सुन रहा था तो मैंने सोचा कि वे दो भिन्न मुद्दों को एक समझ कर संभ्रमित हो रहे हैं, जबकि इन दो विषयों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए था। एक, क्या संसद अपने प्राधिकार प्रत्योयाजित कर सकती है। दूसरा, क्या संसद को ऐसा करना चाहिए। मेरे विचार से दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं। हमें इनमें से किसी एक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन पर बिल्कुल दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए।

मैं पहले प्रश्न पर बात करता हूँ कि क्या संसद अपने प्राधिकार प्रत्यायोजित कर सकती है।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : यही एकमात्र प्रश्न है।

श्री त्यागी : नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं। इस विषय पर जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि संसद दूसरी एजेंसियों को अपने प्राधिकार प्रत्यायोजित कर सकती है बशर्ते कि इस प्रकार के प्रत्यायोजन द्वारा संसद ने जो शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं उन्हें वापिस लेने का प्राधिकार उससे पूरी तरह न छिने। किसी प्रयोजन के लिए प्रत्यायोजन, किसी समय के लिए प्रत्यायोजन तथा ऐसा प्रत्यायोजन जो संसद को अपने प्राधिकार को वापिस लेने की अनुमति देता हो, प्रत्यायोजन नहीं कहा जा सकता तथा इसीलिए संसद इस विशेष कार्य के लिए अधिनियम बनाने हेतु पूरी तरह सक्षम है। मैं सोचता हूँ कि आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर दिया गया निर्णय आपको सुनाना यहां श्रेयष्कर होगा। बाद में, मैं इस विधेयक में उठाए गए इस प्रश्न पर प्राधिकार को भी विशेष रूप से उद्धृत करूँगा। यह मामला मीक्स बनाम डिग्नन, 46 कामनवेल्थ लॉ रिपोर्ट, पृष्ठ 117 का है। न्यायमूर्ति इवेट का कहना है :

*सं. वा., खंड 6, भाग II, 4 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1171-76

"आस्ट्रेलिया के संविधान के निर्माण से सम्बद्ध राजनेताओं और वकीलों ने जब स्व-शासित उपनिवेशों के संबंध में वैधानिक शक्ति के विषय पर विचार किया तो उन्होंने एक ऐसे प्राधिकरण को ध्यान में रखा जो ब्रिटिश संसद जैसा हो। इस प्रकार के प्राधिकरण का सदैव स्वयं संसद या बाध्यकारी आदेशों से बाहर तक विस्तार रहता है। संसद किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, जिसे वह चुनना चाहे, इस प्रकार के आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। "विधायी शक्ति" विधायी शक्ति को निक्षिप्त या प्रत्यायोजित करने की शक्ति की ओर संकेत करती है क्योंकि यह स्वयं संसदीय संप्रभुता की धारणा में विपक्षित थी। निस्संदेह यह हमेशा समझा जाता था कि डेलिगेट या डिपोजिटरी की शक्ति संसद, जिसने उसे सृजित किया है, द्वारा वापिस ली जा सकती है, और इस अर्थ में संसद को अपनी क्षमता अक्षुण्ण रखनी पड़ी।"

मैं कई उद्धरण प्रस्तुत कर सकता हूँ : किन्तु मैं सदन को किसी परेशानी में डालना नहीं चाहता। इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए कि क्या संसद विधिपूर्णतया शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है, यह मानदंड अपनाया जाना चाहिए: क्या संसद ने, किसी अन्य को प्रत्यायोजित किए गए प्राधिकार को वापस लेने की अपनी क्षमता को अक्षुण्ण रखा है? अत: जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है कि क्या संसद प्रत्यायोजन कर सकती है, यह विचार किया जाना है कि वह निर्धारित कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, क्या इस विधेयक में ऐसा कुछ है जो संसद को उस प्राधिकार को वापस ग्रहण करने से रोकता है। यह एक मुद्दा है।

अब, इस प्रश्न पर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाउस ऑफ लाड्र्स को प्रिवी कौंसिल द्वारा रिपोर्ट किया गया एक मामला है जो अपील केसेज़ खंड 10, पृष्ठ 282 पर दिया गया है। वह मामला बिल्कुल इसी प्रकार का है। वहां, राष्ट्रमण्डल देशों में से एक के विधानमंडल ने वहां के राज्यपाल, जो वास्तव में कार्यपालिका है, को कुछ नई वस्तुओं या उसी प्रकार की वस्तुओं पर जो सीमा-शुल्क विधि की अनुसूची में सम्मिलित नहीं थीं, सीमा-शुल्क लेने से संबंधित विधि पारित की।

श्री सोंधी (पंजाब) : क्या वह निर्धारित दर थी या परिवर्तनशील थी? केवल यही प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : उन्हें बोलने दें।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, प्रश्न यह नहीं है। यहां इस विधि द्वारा हम कार्यपालिका को किसी ऐसी वस्तु पर सीमा-शुल्क लेने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो वस्तु सीमा-शुल्क अनुसूची में नहीं दी गई है। मैं इस शुल्क की राशि या उसकी परिवर्तनशीलता के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। स्थिति यह है। यहां यह मामला स्वरूप है उस देश के उच्चतम अभिनिर्धारित किया था कि यह विधि अधिकारातीत है क्योंकि यह प्रत्यायोजन

है। प्रिवी कौंसिल ने इस निर्णय को उलट दिया था और मैं प्रिवी कौंसिल के पृष्ठ 291 पर दिए गए निर्णय के एक छोटे-से अनुच्छेद को यहां उद्धृत करूँगा। प्रिवी कौंसिल ने यह कहा था–

"तर्क दिया गया कि प्रश्नागत कर राज्यपाल द्वारा लगाया गया है कि न विधायिका द्वारा, जबकि केवल उसी के पास इस कर को लगाने की शक्ति थी। किन्तु सपरिषद आदेश के अन्तर्गत, शुल्क वास्तव में उस अधिनियम के प्राधिकार से लगाए जाते हैं, जिसके अन्तर्गत यह आदेश जारी किया जाता है। विधायिका का राज्यपाल पर पूरा नियंत्रण है तथा उसे राज्यपाल को सौंपी गई किसी भी शक्ति को वापिस ले या उसमें परिवर्तन करने की पूरी शक्ति है। इन परिस्थितियों में माननीय न्यायमूर्तियों का मत है कि 1879 के कस्टम रैगुलेशन एक्ट की धारा 133 को विधायिका की शक्तियों से परे घोषित करने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय गलत था।"

पं. बालकृष्ण शर्मा : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ........।

माननीय अध्यक्ष : आइए, हम उन्हें ध्यान से सुनें। यदि इस विषय में कुछ कहने को है, तो मैं माननीय सदस्य की बात सुनना चाहूंगा।

डॉ. एस.पी. मुकर्जी (पं. बंगाल) : यह कौन-सा देश है?

डॉ. अम्बेडकर : यह आस्ट्रेलिया में कोई उपनिवेश है। यदि माननीय मित्र इस विषय में अधिक जानकारी पाने के इच्छुक हैं, तो मैं उन्हे यह सूचना दे दूंगा।

श्री त्यागी : यह कोई बहुत ही छोटा देश होगा।

डॉ. अम्बेडकर : विधि छोटी या बड़ी नहीं होती। विधि तो विधि होती है। वह देश न्यू साउथ वेल्स है।

इस प्रकार जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है कि क्या संसद शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकती हैं, मेरा निवेदन यह है। जहां तक इस शर्त का पालन किया जाए अर्थात् संसद द्वारा ऐसे किसी प्रत्यायोजित को वापिस लेने की शक्ति को अपने पास रखा गया है, इसमें कोई विधिक आपत्ति नहीं हो सकती।

इससे पहले कि मैं दूसरे मुद्दे पर पहुंचू, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए यह सदन किस प्रकार सक्षम है। निश्चित रूप से यह व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। व्यवस्था का मुद्दा क्रियाकलापों के नियमों से संबंधित होता है। हम यहाँ इस सदन की सक्षमता की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप या यह सदन निर्णय करता है कि यह अधिकारातीत है तथा इसके बावजूद संसद कानून बनाने लगती है और मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाता है तथा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देता है कि यह अधिनियम अधिकारातीत नहीं है, तो इससे कितनी मुश्किल स्थिति पैदा होगी? अथवा मान लीजिए

हम इसे अधिकारों के भीतर मानते हुए इस पर काम करते रहें, और मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाए तथा उच्चतम न्यायालय निर्णय करे कि यह अधिकारातीत है, तो हम अपने लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। सक्षमता से संबंधित प्रश्नों को उठाने का यह प्रयास इस संसद को न्यायालय में बदलने का प्रयास है। यह न्यायालय नहीं है। न्याय से संबंधित मामलों पर निर्णय से संबंधित कार्य उच्चतम न्यायालय पर छोड़ा जाना ही बेहतर है तथा हमें यह समझ कर कार्य करना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह संसद के अधिकारों में है। अतः मेरा कहना यह है कि यह किसी भी तरह व्यवस्था का मुद्दा नहीं है तथा इसको इस प्रकार नहीं माना जाना चाहिए।

तत्पश्चात् मैं अन्य प्रश्न पर आता हूँ कि क्या संसद को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करनी चाहिएं।

3.00 बजे अपराह्न

यह एक ऐसा विषय है जो पूरी तरह इस सदन की क्षमता के भीतर है पूरी तरह इस संबंध में मेरी कोई शर्त नहीं है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में संसद यह सोचे कि उसे शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं करना चाहिए, तो ससंद को आग्रह करना चाहिए कि वह प्रत्यायोजित नहीं करेगी, तथा इस विषय को स्वयं संसद निपटाएगी। आपातकाल जैसी कुछ परिस्थितियों, जब ससद सत्र में हो तथा जब कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई त्वरित गति से करनी आवश्यक हो तो संसद निस्सन्देह इस पर विचार करे तथा इन परिस्थितियों में प्रत्यायोजन की अनुमति दी जा सकती है। अतः इस विधेयक पर इस दृष्टि से विचार किया जाना है। दूसरा प्रश्न है कि क्या हमें प्रत्यायोजन करना चाहिए या नहीं। मेरे मित्र श्री त्यागी ने श्री कैम्पियन का उदाहरण देते हुए कराधान पर उनके मत को प्रस्तुत किया। मुझे इस पर कतई सन्देह नहीं कि कराधान पर संसद द्वारा उठाए जाने के लिए यही सही कदम है। कर की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यही संसद की एकमात्र शक्ति है जो सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए संसद के पास है; और यदि संसद राजस्व एकत्र करने की शक्ति स्थायी तौर पर कार्यपालिका को दे देती है, तो कार्यपालिका संसद की परवाह नहीं करेगी। अतः यह अत्यंत वांछनीय है कि संसद यह शक्ति अपने पास रखे। ब्रिटिश संसद कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में दो प्रकार से रखती है, यदि मैंने इसे ठीक प्रकार से समझा है। उनके कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो कि केवल वार्षिक ऐक्ट हैं, जिनके लिए वहां कभी भी स्थायी ऐक्ट नहीं होते। उदाहरण के लिए, इग्लैंड में आर्मी ऐक्ट एक वार्षिक ऐक्ट है। कार्यपालिका को इस ऐक्ट के नवीकरण के लिए हर साल संसद में आना पड़ता है; और यदि वे इसे नवीकृत नहीं कराते तो सारी सेना को भंग करना पड़ता है, क्योंकि उसे शासित करने वाला कोई कानून ही नहीं होगा। एक अन्य साधन, जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वह है वार्षिक उद्ग्रहण (लेवी) कुछ कर, जैसे आयकर, जो कि ब्रिटिश सरकार तथा हमारी स्वयं की

सरकार की आय का एक अच्छा स्रोत है। अतः इस बात पर विवाद नहीं हो सकता कि संसद को कर लगाने की अपनी शक्ति कार्यपालिका को सौंपने में बहुत चौकस और अनिच्छुक होना चाहिए। श्री त्यागी इस विषय पर अपने मत प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं कि प्रत्यायोजन किया जाए या कोई अन्य उपाय किया जाए। किंतु जहां तक सक्षमता का प्रश्न है, मुझे भय है, यह विषय न्यायालय से बाहर है। इस विषय को हमारे सामने लाए जाने के उपरांत, मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि, सम्भवतः, वित्तीय औचित्य, संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के मद्देनजर, यह वांछनीय है कि इन खंडों में कुछ संशोधन किए जाएं क्योंकि ये मूल विधेयक में मौजूद थे। मैं नहीं जानता कि अभी यह मेरे वश में है या नहीं, किंतु मैं संतुष्ट हूँ कि नए संशोधनों में दो बड़े उपबंध हैं। इनमे से एक है कि उन वस्तु पर जो कस्टम नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं; सीमा-शुल्क लेने की शक्ति केवल अल्पकाल तक (बजट सत्र तक) ही हो न कि अनिश्चित समय के लिए। जब भी बजट सत्र प्रारम्भ होता है कार्यपालिका द्वारा इस विधेयक के अन्तर्गत उगाहने वाला कोई भी सीमा-शुल्क स्वतः समाप्त हो जाता है तथा उस समय इस विषय पर संसद कार्रवाही करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह संसद अन्य वित्तीय कार्य करती है। मुझे सोचना चाहिए था कि इस विधेयक में यह एक सुधार है तथा इस प्रकार के विधान का प्रस्ताव करते समय संसद में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।

***पंडित ठाकुर दास भार्गव :** ....इस सब के उपरातं इस मुद्दे पर निर्णय के लिए हमें अपने संविधान की ओर लौटना होगा। जहां तक हमारे संविधान का संबंध है यह सदन मंत्रियों को इस प्रकार के किसी भी प्राधिकार को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : इसमें कोई बाधा नहीं है; हमारे पास सम्पूर्ण अधिकार हैं।

श्री संथानम् : क्या माननीय सदस्य अनुच्छेद 286 पढ़ेंगे?

माननीय अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य को अपने ढंग से अपने तर्क पर बोलने दिया जाए तो इसमें कम समय लगेगा। आइए पहले उन्हें सुन लें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस समय हमें किसी मत के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी भी मत के समर्थन में नहीं हूँ। मैं इन तथ्यों को केवल आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप अंतिम निर्णय लेने से पूर्व इन पर विचार करें............।

---

*सं. वा., खंड 6, भाग II, 4 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 1178

(23)
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक

*__श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) :__ मेरा यह विधेयक सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का संशोधन किए जाने से संबंधित है। यह अत्यंत साधारण विधेयक है।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं विधेयक के विषय में कुछ कहूं ताकि मेरे मित्र श्री सिधवा उस प्रक्रिया को निर्धारित करने की स्थिति में हो जाएं जिनका उन्हें पालन करना है।

पिछली बार जब यह विधेयक सदन के सम्मुख रखा गया था, मैंने वचन दिया था कि मैं विभिन्न राज्यों से पूछूंगा कि श्री सिधवा के उपायों के बारे में उनके विचार क्या हैं तथा मैं विभिन्न राज्यों से प्राप्त उत्तरों को श्री सिधवा तथा सदन को सम्प्रेषित करूंगा। अब स्थिति इस प्रकार है।

जहां तक भाग 'क' राज्यों का संबंध है, वे श्री सिधवा द्वारा सुझाए गए सुधार करने के इच्छुक हैं, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी है कि वे इस कानून को स्वयं बनाना चाहते हैं। भारत सरकार ने इस पर और अधिक विचार करने के उपरांत भाग 'क' राज्यों की सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों के मद्देनजर इस पर विचार नहीं किया। वे इसे इस प्रकार का विषय नहीं मानते कि पूरे भारत में एक समान कानून की आवश्यकता है। वे इस विषय को विभिन्न राज्यों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। जहां तक सरकारों का संबंध है, भाग 'क' राज्यों को इस विधेयक से अलग रखना चाहिए।

भाग 'ख' राज्यों के संबंध में, वहां इस प्रकार का कोई कानून नहीं है, फलस्वरूप भारत सरकार ने उनसे परामर्श नहीं किया। समवर्ती सूची के अन्तर्गत विधि निर्माण प्रारम्भ करने की दशा में भारत सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले स्थायी नियम चिरकालिक हैं, अर्थात् यह कि वे उन राज्यों की सहमति के बिना विधि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करेंगे। अतः अब हमें केवल भाग 'ग' में स्थित राज्यों पर ही कार्य करना शेष है। अतः, यदि श्री सिधवा इस विधेयक को लाना चाहते हैं तो उन्हें इस विधेयक को केवल 'ग' क्षेत्र तक ही सीमित रखने के लिए सहमत होना होगा। केवल यही एक सीमा है जिस पर हमें बल देना है।

तत्पश्चात्, इसमें मैंने एक अन्य बात देखी, कि श्री सिधवा के विधेयक में काफी संशोधन की जरूरत होगी–इस विधेयक के लगभग हर खंड में संशोधन अपेक्षित है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था। मैं स्वयं इस कानून का समर्थन करता हूँ तथा मैं

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 12 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 1560–65

इसमें किसी भी प्रकार की बाधा डालना नहीं चाहता। वास्तव में मैंने स्वयं इस विधेयक में कुछ संशोधनों के प्रारूप तैयार किए हैं,जो मेरे सम्मुख हैं, और मैंने इस विधेयक में यह संशोधन किए जाने को आवश्यक माना है। मैं यह संशोधन श्री सिधवा को देना चाहता हूँ ताकि वे स्वयं इन्हें पटल पर रखें और इस विधि निर्माण को प्रारम्भ करने का श्रेय लें।

अत: श्री सिधवा को मेरा सुझाव था कि वे विचार के लिए इस विधेयक को अगले सत्र तक स्थगित करने के लिए कहें, तथा मुझसे संशोधन प्राप्त करें, स्वयं इन संशोधनों का नोटिस दें तथा अगली बार जब यह विधेयक आए, तो इन्हें प्रस्तुत करें तथा मैं यह वायदा करता हूँ कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार करूँगा क्योंकि मैं स्वयं इनका सुझाव दे रहा हूँ, यदि उन्हें यह प्रक्रिया स्वीकार हो।

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : यह कोई बहुत बड़ा वायदा नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध कर रहा हूँ ताकि विधेयक में त्रुटियाँ न हों, जैसा कि हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं, इसमें बहुत त्रुटियां हैं। यह श्री सिधवा को निर्णय करना है कि वे कौन-सी प्रक्रिया अपनाते हैं। मैंने सोचा मैं इस वक्तव्य से उनकी कुछ सहायता कर सकूँगा।

श्री सिधवा : मैं अपने माननीय मित्र विधि मंत्री के वक्तव्य को सुनकर खुश था। मैं जो सुझाव दे रहा था वह यह है कि मेरा विधेयक अत्यंत साधारण है, अर्थात् सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 4 में एक परिवर्धन विधि मंत्री ने ठीक ही कहा था, कि भाग 'क' राज्यों ने मेरे विधेयक को अपनाने के समर्थन में अपना मत दिया है, किन्तु उन्होंने कहा था कि वे स्वयं इस विधि निर्माण का कार्य करेंगे।................मैं आशा करता हूँ कि डॉ अम्बेडकर मेरे सुझाव स्वीकार करेंगे। विभिन्न सोसाइटियों द्वारा अपनाई जा रही कपटपूर्ण प्रक्रिया को देखने के लिए हम और अधिक इन्तजार नहीं करना चाहते। चूंकि अब माननीय विधि मंत्री ने विधेयक के उपबंधों को स्वीकार कर लिया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। प्रश्न केवल समय का है तथा मैं आशा करता हूँ कि विधि मंत्री मेरा सुझाव स्वीकार करेंगे।

अत: मैं इसे पेश करने की अनुमति चाहता हूँ–

"कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का और आगे संशोधन करने के इस विधेयक पर विचाार किया जाए।"

डॉ. अम्बेडकर : मुझे खेद है। शायद मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा ने मेरी बात को गलत अर्थ में लिया है। वे संभवत: समझ रहे हैं कि उनका विधेयक स्वीकार करते

हुए, मैं मूल अधिनियम के कुछ अन्य उपबंधों में संशोधन करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनके संशोधनों में इसलिए संशोधन कर रह हूँ क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए विधेयक को बिना संशोधन किए स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः, जैसा कि मैंने कहा, मुझे इस विधेयक को स्वीकार करने में तनिक भी एतराज नहीं है, बशर्ते कि श्री सिधवा के विधेयक में मेरे द्वारा सुझाए गए संशोधन किए जाएं। मैं यह संशोधन श्री सिधवा को देने के लिए तैयार हूँ, किन्तु हां, इन संशोधनों का कोई नोटिस नहीं किया गया है तथा मैं नहीं जानता कि सदन इस पर क्या नजरिया अपनाएगा, किंतु जैसाकि मैंने कहा, वह संशोधन प्राप्त कर सकते हैं और उन पर नोटिस देकर मामले पर चर्चा करवा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं अभी सोच रहा था, कि क्या–मैं स्वयं अभी स्पष्ट हूँ कि क्या हम यह मानते हुए कि विचार-विमर्श का प्रस्ताव रख दिया गया है, हम इस विधेयक के सबंध में प्राथमिकता ले सकते हैं तथा फिर इस पर आगे विचार किए जाना स्थगित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : कदाचित वे बैलेट में आएंगे। कठिनाई केवल यह है कि उन्होंने प्राथमिकता खो दी है।

डॉ. अम्बेडकर : यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि विधेयक बहुत छोटा है तथा बिना सरकार से प्राधिकार प्राप्त किए मैं बोल रहा हूँ, किन्तु मैं नहीं सोचता कि अगले बजट सत्र में से एक पूरा सरकारी दिन श्री सिधवा को देने के लिए सरकार को राजी करना मेरे लिए मुश्किल होगा।

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए एक अन्य विकल्प भी है, मान लीजिए इस विधेयक पर विचार करना पांच बजने में पांच मिनट तक स्थगित कर दें, तथा तब उस पर विचार करें और इस पर चर्चा को अधूरा ही छोड़ दें, ताकि यह स्वयं अपना ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : डॉ. अम्बेडकर श्री सिधवा को सरकारी दिन में मौका देंगे।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ।

---

(24)
*लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए निवेदन करना चाहता हूँ।

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

****विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं पेश करने की विनती करता हूँ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य राज्यों परिषद में भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करना है। दूसरा उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1950 द्वारा किए कए उपबंधों विषयक कानून बनाना है। मेरा प्रस्ताव है कि अधिनियम के प्रथम उद्देश्य, यथा भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करने पर पहले विचार किया जाए। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि अनुच्छेद 80 के खंड (5) के अधीन इस मामले पर विचार संसद द्वारा विधि द्वारा कर अवनिर्धारित किए जाने के लिए छोड़ा गया है। संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि भाग 'ग' राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, इस मामले पर विचार करने के लिए संसद की स्वेच्छा पर निर्णय छोड़ दिया है कि संसद जैसा उचित समझेगी ऐसे कानून द्वारा इस पर विचार करेगी। संसद पर डाले गए इस उत्तरदायित्व के कारण प्रस्तुत विधेयक को लाया गया है। इस विषय-विशेष पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि तीन प्रश्नों पर विचार किया जाना है। प्रथम निर्वाचक मण्डल की प्रकृति यह निर्वाचक मण्डल कैसा होना चाहिए जो केन्द्र के उच्च सदन में भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है अथवा चुनाव करता है। दूसरा प्रश्न सीटों के वितरण से संबंधित है जो संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा सूची भाग 'ग' राज्यों को सौंपा गया है। और तीसरे प्रश्न के अंतर्गत हमें प्रतिनिधित्व पद्धति पर विचार करना है, क्या वे, चुनाव द्वारा, नामांकन द्वारा अथवा किसी अन्य पद्धति द्वारा चुने जाने चाहिएं।

अब प्रथम प्रश्न अर्थात्, निर्वाचन मण्डल विषयक प्रश्न पर इस विधेयक के खंड 9 के अंतर्गत विचार किया गया है और यह वह खंड है जिस पर मैं सबसे पहले सदन

---

*सं. वा., खंड 6, भाग II, 20 नवंबर, 1950, पृष्ठ 267

**सं. वा., खंड 7, भाग II, 12 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1678-83

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। निर्वाचन मण्डल के इस प्रश्न पर विचार करते हुए सदन को याद होगा कि उच्च सदन के गठन के लिए संविधान ने साधारण सिद्धान्त निर्धारित किया है। यह सिद्धान्त अनुच्छेद 80, खंड (4) में मिलेगा। यह खंड बताता है कि यद्यपि इसे भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों के प्रतिनिधित्व तक सीमित रखा गया है, फिर भी उच्च सदन में प्रतिनिधित्व 'क' और भाग 'ख' राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होगा। ऐसा होने पर, उच्च सदन में भाग 'ग' राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की पद्धति खोजने के लिए उक्त सिद्धान्त को अर्थात् अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा प्रतिनिधित्व का अनुसरण करना आवश्यक व बाध्यकारी है। अब इस पद्धति का अनुसरण करने में शुरू में ही एक कठिनाई है।

12.00 बजे दोपहर

जहाँ तक भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों का संबंध है; पहले से ही एक निर्वाचक मण्डल, अर्थात् भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों के विभिन्न भागों में विधानसभाएं हैं, जहाँ तक भाग 'ग' राज्यों का प्रश्न है वहां ऐसी कोई विधानसभा मौजूद नहीं है तथा कोई यह नहीं जानता कि भाग 'ग' राज्यों के प्रशासन विषयक सुप्रसिद्ध पद्धति का उपबंध करने के लिए संसद कब किस प्रकार का कानून बनाएगी। फलत: हमें इस परिकल्पना पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाग 'ग' राज्यों में न तो विधायिका निकाय है और न चुनाव होने तक इनके अस्तित्व में आने की संभावना है। इस प्रकार, प्रश्न यह है कि निर्वाचन मण्डल का स्वरूप कैसा हो। स्पष्टत: यदि किसी के मस्तिष्क में कोई अन्य पद्धति आती है तो उसके लिए सभी भाग 'ग' राज्यों की वर्तमान स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिकाऐं नगर समितियों, ग्राम पंचायतों और इस प्रकार के अन्य निकायों का सहारा लिया जाए इन स्थानीय निकायों के सदस्यों को मतदाताओं के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने की अनुमति दी जाए। तथापि यह पाया गया है कि संभवत: इस प्रकार की निर्वाचन पद्धति बड़े-बड़े निर्वाचन-क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकती। हमें यह जानकारी नहीं है कि विभिन्न भाग 'ग' राज्यों में कितनी नगरपालिका समिति, नगरक्षेत्र समिति और ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। भाग 'ग' राज्यों के कुछ भागों में इनकी संख्या अधिक हो सकती है और भाग 'ग' राज्यों के कुछ भागों में इनकी संख्या कम हो सकती है। फलत: सशक्त निर्वाचक मण्डल तैयार करने के लिए यह महसूस किया गया कि इन स्थानीय निकायों की सदस्यता के अतिरिक्त यह वांछनीय होगा, यदि मताधिकार का उपयोग उस व्यक्ति को भी करने दिया जाए जो किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा दे रहा है। अत: स्थानीय निकायों की सदस्यता के अतिरिक्त इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि मैट्रिक अथवा समतुल्य शैक्षिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने की भी अनुमति प्रदान की जाए बशर्ते कि वे अर्हक तिथि को आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखते हों तथा अर्हक अवधि के दौरान आवश्यक अवधि में वहाँ रहे हों। यह साधारण

उपबंध खण्ड 9 में अंतर्विष्ट है जिसे मूल अधिनियम की धारा 25 के बाद नई धारा नए 25 'क', 25 'ख', 25 'ग' तथा 25 'घ' समाविष्ट किया जाना है। यह निर्वाचक मण्डल की प्रकृति है जिसे यह विधेयक उच्च सदन में भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के प्रयोजन से अस्तित्व में लाना चाहता है।

मैं अन्य दो प्रश्नों को लेता हूँ जैसा कि मैंने कहा था, इन पर भी विचार करना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न नामांकन बनाम निर्वाचन है। इस विषय पर इस विधेयक के खंड 4 के अंतर्गत विचार किया गया है। इस सबंध में, यह महसूस किया गया है कि जहां तक दो राज्यों—मणिपुर और त्रिपुरा का संबंध है, चुनाव संभव नहीं होगा, इसका सामान्य-सा कारण यह है कि यहाँ पर कोई स्थानीय प्राधिकरण नहीं है। अतः खंड 9 द्वारा प्रस्तुत किए गए सामान्य प्रस्ताव का आधार इन दोनों राज्यों के संबध में लागू नहीं होता। त्रिपुरा वास्तव में एक आदिवासी क्षेत्र है। मणिपुर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर कोई स्थानीय निकाय और संगठन नहीं है। इन दोनों राज्यों का शैक्षणिक स्तर भी बहुत पिछड़ा हुआ है। फलतः यह आशा नहीं है कि यदि शैक्षणिक अर्हता लागू की गई तो इन दोनों देशों के प्रतिनिधित्व को प्रस्तुत करने में चुनावों की अनुमति देने के लिए पर्याप्त निर्वाचन-क्षेत्र प्राप्त करना संभव होगा। फलतः यह महसूस किया गया कि राष्ट्रपति द्व ारा नामांकन किए जाने पर ही इन दोनों राज्यों से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का रास्ता शेष बचा है और यह प्रस्ताव है कि उनका नामांकन प्रत्येक दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद परिवर्तित हो—एक बार मणिपुर के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति द्वारा दो वर्ष के लिए नामित किया जाएगा और अगले दो वर्ष की अवधि के लिए त्रिपुरा के प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा। भाग 'ग' के शेष राज्यों का प्रतिनिधित्व चुनाव द्वारा होगा।

जैसा कि मैंने कहा अगला प्रश्न सीटों के वितरण विषयक है। सदन को याद होगा, अथवा संदर्भ के लिए इस अनुसूची-IV में देखा जा सकता है, कि इस अनुसूची में तीनों स्थितियों में दो राज्यों के लिए एक सीट दी गई है। ये तीन मामले मणिपुर तथा त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर हैं जिनके लिए कुल मिलाकर एक सीट है और अजमेर और कुर्ग के लिए एक सीट है।

इन राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने के लिए दो पद्धतियां हैं जिनको एक सीट संयुक्त रूप से दी गई है। एक है इन्हें एक निर्वाचन-क्षेत्र माना जाना तथा दूसरी है उन्हें दो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र माना जाना तथा उनको वैकल्पिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। मणिपुर और त्रिपुरा के मामले को पहले ही निपटाया जा चुका है, क्योंकि वहां पर चुनाव कराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ऐसा मामला है जिसे नामांकन द्वारा निर्धारित किया गया है। अजमेर और कुर्ग के संबंध में प्रस्ताव है कि उनका बारी-बारी से चुनाव द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक बार यह सीट अजमेर में चुनाव द्वारा भरी जाए तो दूसरी बार यह सीट कुर्ग के प्रतिनिधित्व द्वारा भरी जानी चाहिए। हिमाचल

प्रदेश और बिलासपुर के संबंध में प्रस्ताव है कि इन दोनों राज्यों को एक निर्वाचन-क्षेत्र माना जाए तथा वे संयुक्त चुनाव द्वारा एक प्रतिनिधि चुनें।

सदन निस्सन्देह कहेगा कि हमने अजमेर और कुर्ग को एक-जैसा माना है तथा हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को भिन्न तरह से माना है। यह बहस स्पष्ट तौर पर सही है। परन्तु मैं नहीं समझ पाया हूँ कि दो राज्यों की श्रृंखलाओं को सामान्य आधार पर एक मानना कैसे संभव है। यह महसूस किया गया कि अजमेर और कुर्ग निकटस्थ क्षेत्र नहीं हैं। यह भी महसूस किया गया कि उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उनकी जीवन-पद्धति तथा रीति-रिवाज, उनकी आर्थिक समस्या बिल्कुल भिन्न व पृथक हैं। यह कहना मुश्किल है कि अजमेर का प्रतिनिधि कुर्ग के लोगों अथवा कुर्ग का प्रतिनिधि अजमेर के लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु जहां तक हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर का संबंध है दोनों ही निकटस्थ क्षेत्र हैं। वास्तव में यह एक संयोग मात्र है कि जिसे मैं समझ नहीं सकता अथवा समझा नहीं सकता कि राज्य मंत्रालय ने दो राज्यों को दो सुभिन्न अनन्य कोष्ठों में रखने का निर्णय लिया। मुझे यह सोचना चाहिए था कि दोनों राज्यों को एक में विलय कर देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। शायद यह चुनाव होने से बहुत पहले हो सकता है। मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता कि जिन परिस्थितियों का उल्लेख मैंने किया है उनके कारण अजमेर और कुर्ग के मामले में निर्वाचन-क्षेत्र के विभाजन सिद्धान्त को हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर में आवश्यक रूप से, वार्षिक रूप से तथा सुस्पष्ट आज्ञापक की दृष्टि से लागू करना होगा।

अतः प्रस्ताव यह है कि मणिपुर और त्रिपुरा में अलग-अलग निर्वाचक मण्डल होंगे और उनका प्रतिनिधित्व बारी-बारी से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर का संबंध है, दोनों एक निर्वाचन-क्षेत्र का गठन करेंगे तथा वे संयुक्त चुनाव द्वारा एक प्रतिनिधि चुनेंगे। अजमेर और कुर्ग के संबंध में उपबंध है कि अजमेर दो वर्ष के लिए दोनों के लिए आरक्षित सीटों का उपयोग करेगा तथा दो वर्ष के बाद कुर्ग दोनों के लिए आरक्षित सीटों का उपयोग करेगा।

हमने भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए विधेयक में उक्त उपबंध किए हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, इस विधेयक के दो उद्देश्य थे। प्रथम, उच्च सदन में भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधित्व का उपबंध करना। द्वितीय, अध्यादेश में के उपबंधों को कानूनी प्रभाव देना।

मैं संक्षेप में सदन को यह बताना चाहूंगा कि सरकार को यह अध्यादेश जारी करना क्यों आवश्यक हो गया था। जैसा कि सदन को याद होगा, एक बार सरकार ने महसूस किया था कि ये चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में हो सकते थे और वह उस उद्देश्य

को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थी। जैसाकि मैंने तब कहा था कि परिस्थितियों की जांच करने पर यह पाया गया था कि कुछ क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार नहीं थी और कुछ क्षेत्रों में निर्वाचन-क्षेत्रों की परिसीमाकन नहीं हो पाया था। यदि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अंतिर्विष्ट मूल उपबंधों को स्वीकार कर लें, तो स्थिति क्या होनी चाहिए? यह स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए। मूल अधिनियम के अंतर्गत चुनाव आयुक्त प्रारंभिक मतदाता सूची—मैं "प्रारंभिक मतदता सूची" शब्द का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र-वार कर रहा हूँ। चुनाव प्रक्रिया में यह प्रथम चरण था। इस चरण की समाप्ति के बाद दो अथवा तीन प्रक्रियाओं से गुजरना था। उनमें से प्रथम चरण था दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करना और द्वितीय चरण-प्राप्त दावों और अभ्यावेदनों पर न्यायिक अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा विचार करना तथा उनको निपटाना और तीसरे चरण में मतदातासूचियों में संशोधन करने वाले प्राधिकारी के निर्णय के परिणामस्वरूप होने वाली शुद्धियों को दर्ज करना और अंत में उनको प्रकाशित करना था।

उस क्षण बोलते हुए और उस समय के बारे में विचार करते हुए जो इन प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए आवश्यक हो गया था, स्थिति यह होनी चाहिए थी। निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांक किए जाने के बाद, मतदाताओं को उनके दावों और आपत्तियों के लिए कम से कम तीन सप्ताह अथवा एक माह का समय अवश्य दिया जाना चाहिए था। आप स्पष्ट तौर पर उक्त समय से कम समय नहीं दे सकते थे। उसके बाद संशोधन करने वाले प्राधिकारी के लिए कम से कम दो महीने आवश्यक होंगे, मैं बहुत ही रूढ़िवादी अनुमान दे रहा हूँ क्योंकि संशोधन करने वाले प्राधिकारी को दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए दो महीने आवश्यक होंगे। इसका अर्थ है तीन माह। संशोधन करने वाले प्राधिकारी के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचियों में संशोधन करने के लिए एक माह का समय और लग सकता है। इसका अर्थ है चार माह। यह मानते हुए कि प्रारंभिक मतदाता सूचियां इस माह के आखिरी तक तैयार कर ली जाएंगी जिसे मैं नहीं समझता कि इसके प्रति अधिक आशावान नहीं हुआ जा सकता—परन्तु माने ऐसा हुआ—यह एकदम स्पष्ट है कि मूल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सम्मिलित सिद्धान्तों के अनुसरण में अन्तिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन अप्रैल अथवा मई माह की समाप्ति तक भी नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि यदि हम मूल अधिनियम के उपबंधों का हू-ब-हू अनुसरण करते हैं तो चुनाव अप्रैल और मई में नहीं हो सकते। क्योंकि सरकार अप्रैल और मई में चुनाव कराने की इच्छुक थी, सरकार ने महसूस किया कि यह सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब उक्त प्रक्रिया को उलट दिया जाए। यदि दावे और आपत्तियां यूनिटों अथवा क्षेत्रों के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों के आधार पर आमंत्रित की जातीं और उन्हें निपटाया जाता और उनके निपटाए जाने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर मतदाता सूचियां बनाई जातीं, तो निर्वाचन क्षेत्र-वार मतदाता सूचियां तैयार करने के बाद उस समय

का उपयोग किया जाता जिसका उपयोग यदि प्रारंभ में किया जा सकता तो दावों और आपत्तियों और संशोधन विषयक प्रक्रिया से छुटकारा पाया जा सकता था और अप्रैल व मई के माह में चुनाव कराना संभव हो सकता था। यह इस दृष्टिकोण होता कि सरकार ने महसूस किया कि इस प्रक्रिया को उलटा कर दिया जाए, इसका अर्थ है कि दावे और आपत्तियां प्रारंभिक मतदाता सूचियों के आधार पर आमंत्रित की जाएं तो क्षेत्र के आधार पर तैयार की गई हों, न कि निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर।

वही सब कुछ इस अध्यादेश ने किया। अब यह पूछा जाए कि जबकि चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, क्या इस अध्यादेश को जारी किया जाना अपेक्षित है? इसका उत्तर साधारण है। मतदाता सूचियाँ तैयार करने के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य का बहुत बड़ा भाग पहले ही किया जा चुका है और यदि यह विधेयक कानून नहीं बनता है तो वे सारे कार्य छोड़ने पड़ेंगे और चुनाव आयुक्त को अपना सारा कार्य नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। (एक माननीय सदस्य : पीछे लौटना) जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, मैं नहीं समझता कि सदन इस बात के लिए इच्छुक होगा कि ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ समय के प्रश्न पर ही विचार नहीं कर रहा हूँ बल्कि उस धन की भी बात कर रहा हूँ जो सरकार पहले से किए गए कार्य पर खर्च कर चुकी है। हमने इस विधेयक में इस बात का ध्यान रखा है कि इस अध्यादेश के उपबंध केवल प्रथम चुनावों के लिए ही लागू होंगे ताकि बाद में होने वाले चुनावों में मुख्य अधिनियम के उपबंध चुनाव कराने और मतदाता सूचियां तैयार करने में लागू होंगे। इसीलिए इस अध्यादेश को जारी करने के लिए हम सदन की अनुमति ले रहे हैं।

इस विधेयक के अन्य उपबंध पूर्णतया संगत हैं—अर्हक तारीख और अर्हक अवधि में परिवर्तन इत्यादि। मैं नहीं समझता कि इस पर मुझे सदन को रोकने की आवश्यकता है। सदन स्वयं देख लेगा कि वे क्या संशोधन हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन करने के इस विधेयक पर विचार किया जाए।

***श्री सरवटे (मध्य प्रदेश) :** मैं इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 240 का उल्लेख करना चाहूँगा जो यह कहता है कि "यथा संभव शीघ्र..........."

डॉ. अम्बेडकर : "यथासंभव शीघ्र" कहाँ हैं?

श्री सरवटे : जब यह अनुच्छेद बनाया गया था तब इससे यह अभिप्रेत था।

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 13 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1711

****श्री कामथ :** जहाँ तक प्रस्तुत विधेयक तथा राज्य परिषद में मणिपुर और त्रिपुरा के सदस्य का संबंध है, यह विधेयक इस बिन्दु पर मौन है कि क्या राष्ट्रपति उस सदस्य को नामित करेंगे जिसे इन विषयों में अनुभव है अथवा इन विषयों में विशेष जानकारी प्राप्त की है। मैं चाहूँगा कि डॉ. अम्बेडकर इस पर कुछ प्रकाश डालें, परन्तु मेरा विचार है कि नामित किया गया सदस्य उन 12 सदस्यों के अतिरिक्त होगा जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) (क) में किया गया है।

डॉ अम्बेडकर : यह 238 से अलग होगा।

श्री कामथ : मुझे खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर ने हमें इस अनुच्छेद का सही अर्थ बताया है। अत: यह 13 हैं। त्यागी ने मुझे बताया है कि यह अशुभ संख्या है; मैं नहीं समझता कि क्या यह वास्तव में अशुभ है।

*****माननीय अध्यक्ष :** मैं भाग 'क', 'ख' और 'ग' राज्यों के सभी सदस्यों का उल्लेख कर रहा था, क्योंकि सभी उचित प्रजातांत्रिक तंत्र में रुचि रखते हैं। मैंने विशेष रूप से भाग 'ग' के उन राज्यों का उल्लेख किया क्योंकि यह ज्यादातर वे हैं जो इस विधेयक से प्रभावित हैं। इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि उन्हें पूर्ण अवसर दिए जाएं। यही मुद्दा था परन्तु सबको मिलना चाहिए। इस प्रकार, यदि यह स्वीकार्य है, मैं समझता हूं कि मुझे इस विषय को समाप्त कर देना चाहिए और कार्यसूची की अगली मद पर विचार करना चाहिए। क्या यह स्वीकार्य है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

श्री जे.आर कपूर : क्या मैं जो कहना चाहता था उसे पूरा कर सकता हूँ?

माननीय अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, उन्हें अब अनौपचारिक सम्मेलन में चर्चा करने के लिए पर्याप्त व पूर्ण अवसर मिलेंगे। माननीय विधि मंत्री, उनको जितना अब सुन सकते हैं उससे ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसलिए हमें यह विषय समाप्त कर देना चाहिए। परन्तु हम इसे कब शुरू करेंगे? यह महत्वपूर्ण विषय है।

एक माननीय सदस्य : परसों।

माननीय अध्यक्ष : जब हम इसे शुरू करेंगे तो माननीय विधि मंत्री भाषण देंगे। माननीय सदस्यों को समझना होगा कि हम यह सत्र 20 तक समाप्त करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : 21 तक।

**सं. वा., खंड 7, भाग II, 13 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1716

***सं. वा., खंड 7, भाग II, 14 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1716-80

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, 21 तक। परन्तु जब तक आप 20 से छुट्टी नहीं लोगे, यह संभव नहीं होगा।

श्री सोढी (पंजाब) : 21वां अतिरिक्त दिन हैं।

माननीय अध्यक्ष : हाँ।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा सुझाव है कि शनिवार या तो प्रातःकाल अथवा सायंकाल-सदन की कार्यवाही स्थगित होने अथवा प्रारंभ होने से पूर्व।

माननीय अध्यक्ष : मैं सम्मेलन के समय के बारे में बात नहीं कर रहा। वे किसी भी समय मिल सकते हैं। मैं यह पूछ रहा था कि हमें पुनः इस कार्यसूची पर कब विचार करना है।

डॉ. अम्बेडकर : सोमवार को।

माननीय अध्यक्ष : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसे सोमवार 18 तारीख तक स्थगित करते हैं। उस समय तक हमें सहमति की उम्मीद है। कपूर जी के भाषण में बाधा के लिए मुझे खेद है, परन्तु अपना भाषण समाप्त करने के लिए राजी होने के लिए यह सदन श्री कपूर का आभारी रहेगा।

लोक प्रतिनिधित्व विधेयक (संख्या 2)

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के लिए चुनावों का उपबंध करने अथवा चुनाव करवाने, इन सदनों की सदस्यता हेतु अर्हताओं व निरर्हताओं, इन चुनावों में भ्रष्ट व अवैध कार्य तथा अन्य अपराध करने और सन्देह तथा विवाद होने पर निर्णय लेने इत्यादि से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य विधानमंडल सदन अथवा सदनों के लिए चुनावों का उपबंध करने अथवा चुनाव करवाने, इन सदनों की सदस्यता हेतु अर्हताओं व निरर्हताओं, इन चुनावों में भ्रष्ट व अवैध कार्य तथा अन्य अपराध करने और संदेह व विवाद होने पर निर्णय लेने इत्यादि से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 18 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1834-35

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक–जारी

***माननीय उपाध्यक्ष :** क्या मैं नियोजक दायित्व विधेयक अथवा लोक प्रतिनिधित्व विधेयक लूँ।

प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : लोक प्रतिनिधित्व विधेयक के कुछ भाग पर ही बहस हुई है। अब हम उसे फिर आरंभ करेंगे।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : महोदय, आपको स्मरण होगा कि इस विधेयक के विचारार्थ पिछली बार जब प्रस्ताव पर बहस चल रही थी तो माननीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि इस बहस को स्थगित कर दिया जाए ताकि मुझे और भाग 'ग' राज्यों में रुचि रखने वाले सदस्यों को बैठक करने का एक अवसर मिल सके और एक विशिष्ट योजना तैयार की जा सके जिस पर मेरे और भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति बन सके।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन)

मैंने यह सुझाव स्वीकार कर भाग 'ग' राज्यों के सदस्यों तथा इस विधेयक में थोड़ी-बहुत रुचि रखने वाले सदन के अन्य सदस्यों के साथ एक दो बार बैठक है। जैसा कि आपको स्मरण होगा, महोदय जब बहस चल रही थी, यह पाया गया था कि मेरे और भाग 'ग' राज्यों पर बोलने वाले सदस्यों में तीन बिन्दुओं पर मतभेद था। ये तीन बिन्दु निम्नवत थे-

1. अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली;
2. मणिपुर व त्रिपुरा का नामांकन; तथा
3. चक्रानुक्रम द्वारा प्रतिनिधित्व।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विचारों के आदान-प्रदान से यह नियम बना है जिसके द्वारा नगरपालिकाओं, स्थानीय बोर्डों, ग्राम पंचायतों इत्यादि के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली विषयक उपबंधों और नामांकन द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा के प्रतिनिधित्व विषयक उपबंध को भी निकालना मेरे लिए संभव हो गया है। जहाँ तक तीसरे बिन्दु अर्थात् चक्रानुक्रम द्वारा प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, इसका हल ढूंढना संभव नहीं है। अत: यह मूल विधेयक का हिस्सा होगा। इस समझौते के अनुसार अब मैंने कुछ संशोधनों के नोटिस दिए हैं जो कि सदस्यों के हाथों में पहले से ही हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का स्थान लेगा। अब मेरा प्रस्ताव है कि सदन वयस्क मताधिकार द्वारा एक निर्वाचक

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 21 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2209-10

मण्डल का सृजन करने पर बल देने के लिए सहमत हो तथा सदन इन निर्वाचक मण्डलों को उन प्रतिनिधियों, जिनको संविधान की अनुसूची 4 द्वारा आबंटित किए गए हैं, की सहायता करने की अनुमति दे। चुनाव द्वारा उच्च सदन में प्रतिनिधियों को भेजने के प्रयोजन से सृजित निर्वाचक मण्डल की यह प्रणाली मणिपुर व त्रिपुरा तक बढ़ाने भी दिए जाने का प्रस्ताव है।

जहाँ तक इस विधेयक के दूसरे भाग का सवाल है अर्थात् जो अध्यादेश के अधिनियम से संबंधित है, वह रहेगा और जहां तक इस विधेयक से संबंधित उपबंधों पर दूसरे दिन हुई बहस का सवाल है, मैं नहीं मानता कि सदन ने इस विधेयक के उस भाग का किसी तरह विरोध किया। अतः मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में श्री कामथ को अपने संशोधन के लिए विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की आवश्यकता है। अतः स्पष्ट है कि जो समय और तारीख उन्होंने अपने संशोधन के लिए निर्धारित किए थे, वह पहले ही समाप्त हो चुके हैं। फलतः उनके संशोधन का आधार पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है परन्तु उसके अतिरिक्त यदि उस दिन मुझे यह कहने में सन्देह नहीं होता कि इस तथ्य के मद्देनजर उक्त संशोधन स्वीकार करना संभव नही है क्योंकि अध्यादेश से संबंधित विधेयक के उपबंध उतने अत्यावश्यक थे कि अविलंब उनका कानून बनाया जाना था जिसकी संविधान हमसे अपेक्षा करता है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रवर समिति को भेजे बिना इस विधेयक पर विचार किया जाए तथा संशोधित समेकित सूची की अनुपूरक सूची सं. 6 में जिस संशोधन का मैंने प्रस्ताव किया है उस पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि लम्बी चर्चा के बाद अब इस विधेयक पर और अधिक चर्चा करना आवश्यक नहीं रह गया है। मैं इसका एक-एक खंड प्रस्तुत करूँगा और सामान्य चर्चा करने के बजाय माननीय सदस्यों को सदन में प्रस्तुत खंड पर अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। अब हम विशेष रूप से उन खंडों पर विचार करेंगे जिन पर सदस्यों को कोई आपत्ति हो।

***माननीय अध्यक्ष :** जैसा कि विभिन्न खंडों में परिवर्तनों का प्रस्ताव है, माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं कोई संशोधन न छोड़ दूँ।

खंड 2 (दीर्घ शीर्षक का संशोधन)

संशोधन किया गया।

खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"2. 1950 के अधिनियम XLIII दीर्घ शीर्षक का संशोधन-लोक प्रतिनिधित्व

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 21 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2212

अधिनियम, 1950 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) के दीर्घ शीर्षक में 'निर्वाचक नामावली तैयार करने' शब्दों के बाद "भाग 'क' राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्य परिषदों की सीटें भरने की पद्धति" शब्द और अक्षर अंत: स्थापित किए जाएंगे।''

–(डॉ. अम्बेडकर)

डॉ. अम्बेडकर : उद्देशिका को वर्तमान विधेयक के अनुरूप लाना है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 2, इस विधेयक का हिस्सा बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया। यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 3 (धारा 2 का संशोधन)

संशोधन किया गया :

खंड 3 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 2 के प्रस्तावित नए खंड (गग) के स्थान पर निम्नांकित रखें :

"(गग) राज्य परिषद के निर्वाचन-क्षेत्रों से वह निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 27 'क' में उल्लिखित किसी भाग 'ग' राज्य या ऐसे राज्यों के समूहों के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन-उद्देश्यार्थ धारा 27 ग के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा उपबंधित कराया गया है।"

–(डॉ. अम्बेडकर)

डॉ. अम्बेडकर : महोदय यह केवल इसलिए है कि इसे निर्वाचन-मंडल के माध्यम से निर्वाचन के लिए नई योजना के समनुरूप लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : इस विधेयक को समग्र रूप से पुर:स्थापित किया गया है और इसीलिए प्रत्येक खंड सदन के समक्ष है। यदि कोई माननीय सदस्य इसके खंड मे कोई संशोधन पेश करना के लिए उत्सुक हो, तो मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष उस खंड को इस सदन के समक्ष रखने के लिए बाध्य है।

श्री एम.ए. अय्यंगर : जब तक कि इसे प्रस्तावक द्वारा न लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : सदन के समक्ष पूर्ण विधेयक को एक बार रखे जाने के बाद वह इसे इस तरह वापस नहीं ले सकते। इस खंड को सदन द्वारा अस्वीकार किया जाना होगा। किंतु तब मैं अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन कर रहा था जिससे चर्चा संक्षिप्त हो सके। मैं समझता हूँ श्री कामथ अपना संशोधन नहीं रख रहे हैं।

श्री कामथ : महोदय, यह ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी संशोधन नहीं रखा जा रहा है। प्रश्न है :

"कि खंड 4 इस विधेयक का हिस्सा बन गया है।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 5 और 6 इस विधेयक के अंग बन गए हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

खंड 7 और 8 को इस विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बन गया है।"

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

खंड 10 इस विधेयक में जोड़ाागया।

नए खंड 10-क और 10-ख

***डॉ. अम्बेडकर :** महोदय मैं प्रस्ताव रखता हूँ :

खंड 10 के बाद, निम्नांकित नये खंड जोड़े जाएँ :

"10 'क' 1950 के अधिनियम XLIII की धारा 27 को संशोधन-उक्त अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (4) में "23" अंक के बाद कोष्ठक और शब्द (परन्तुक को छोड़कर) जोड़े जाएँगे।

10 'ख' 1950 के अधिनियम XILII में नया भाग IV A का जोड़ा जाना-उक्त अधिनियम के भाग IV के बाद निम्नांकित भाग जोड़ा जाएगा। अर्थात् :

भाग-4A (IVA)

राज्य परिषदों में सीटों को भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाएगा।

27 'क' भाग 'ग' राज्यों को आबंटित राज्य परिषदों में सीटों को भरे जाने के लिए निर्वाचक मंडलों का गठन-

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 21 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2215-20

(1) संविधान की चौथी अनुसूची में दिए गए भाग 'ग' का कोई राज्य या ऐसे राज्यों के समूहों को आबंटित राज्य परिषदों में किसी सीट या सीटों को भरने के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक ऐसे राज्य या राज्यों के समूह के लिए निर्वाचक-मंडल होगा :

बशर्ते अजमेर और कुर्ग राज्यों को आबंटित सीट को भरने के उद्देश्य के लिए अजमेर राज्य के लिए ही निर्वाचन मंडल होगा :

परंतु त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों को आबंटित सीट भरने के प्रयोजन के लिए उक्त राज्यों में से प्रत्येक के लिए निर्वाचक-मंडल होगा।

(2) पांचवीं अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए निर्वाचक-मंडल में ऐसे राज्य या राज्यों के समूह के सामने इस अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या होगी, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयन किया जाएगा।

(3) किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए इस अधिनियम के अधीन पहली बार गठित निर्वाचक-मंडल को प्रत्येक बार नये चुनाव द्वारा पुनः गठित किया जाएगा। जब उस राज्य या राज्यों के समूह में आम चुनाव होंगे और ऐसे लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक पुनर्गठन के अवसर पर ऐसे पुनर्गठन से ठीक पहले कार्यरत उस राज्य या राज्यों के समूह के लिए उसे भंग माना जाएगा और इस प्रकार पुनर्गठित निर्वाचक मंडल ऐसे राज्य या राज्यों के समूह के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचक मंडल होगा।

(4) किसी निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य की जगह कोई आकस्मिक रिक्ति उसे संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी और इसे भरे जाने का तरीका वही होगा जिससे उस सीट पर उस सदस्य का चुनाव हुआ था।

27 ख. राजय परिषद निर्वाचन-क्षेत्र किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्यों का चुनाव करने के लिए धारा 27 ग के अधीन द्वारा निर्वाचन-क्षेत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके अतिरिक्त कोई अन्य निर्वाचन-क्षेत्र नहीं होंगे।

27 ग. राज्य परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमीन : इस अधिनियम के प्रारंभ के बाাद यथाशीघ्र राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह अवधारित करेंगे–

(क) पांचवीं अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के निर्वाचन-क्षेत्रों को ऐसे राज्य या राज्यों के समूहों के निर्वाचक-मंडल के सदस्य के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार; और

(ग) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित सीटों की संख्या।

27 घ. आदेशों को बदलने या संशोधित करने की शक्ति–राष्ट्रपति समय-समय पर चुनाव आयुक्त से परामर्श करने के बाद धारा 27 ग के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को, आदेश द्वारा, परिवर्तित या संशोधित कर सकेंगे।

27 ङ. निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया–(1) निर्वाचन आयोग निम्नांकित करेगा:–

(क) बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पांचवीं अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भाग 'ग' राज्य इस संबंध में धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन गठित सलाहरकार समिति के परामर्श से उस राज्य में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के प्रस्तावों को धारा 27 ग के अधीन तैयार करेगा, और

(ख) हिमाचल प्रदेश के संबंध में, उक्त उप-धारा के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति के परामर्श से बिलासपुर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए धारा 27 ग के अधीन प्रस्ताव तैयार करेगा। और उक्त धारा 27 ग के अधीन आदेश देने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 27 ग के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, ऐसा आदेश दिए जाने के बाद, संसद के समक्ष रखा जाएगा और उसमें वे संशोधन किये जा सकेंगे जो संसद ऐसे आदेश के रखे जाने की तारीख के 20 दिन के अंदर-अंदर, प्रस्ताव द्वारा, करना चाहे।

27 च. राज्य परिषद के निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली–(1) किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए निर्वाचन-मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए उस राज्य या राज्यों के समूह में प्रत्येक राज्य परिषद निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी।

(2) जहाँ तक राज्य परिषद निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का सवाल है, भाग 3 के अधीन लागू कुछ समय के लिए किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावली या नामावलियाँ उस राज्य परिषद निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली मानी जाएगी।

27 छ. कुछ निरर्हताओं के कारण निर्वाचक-मंडल की सदस्यता को खत्म किया जाना–यदि निर्वाचक-मंडल का कोई सदस्य भ्रष्टाचार तथा अवैध आचरण और संसद के चुनाव के संबंध में अन्य अपराध से संबंधित किसी कानून के उपबंधों के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचक-मंडल का ऐसा सदस्य नहीं रहेगा।

भाग ग. राज्यों को राज्य आबंटित करने की रीति—धारा 27 झ में यथा उपबंधित के सिवाय संविधान की चौथी अनुसूची में दिए गए किसी भाग 'ग' राज्य या ऐसे राज्यों के समूह को आबंटित राज्य परिषद की सीट या सीटें ऐसे राज्य या राज्यों के समूह के लिए निर्वाचक -मंडल के सदस्यों द्वारा एकल मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से चुने गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भरी जाएँगी।

27 झ. अजमेर तथा कुर्ग और त्रिपुरा एवं मणिपुर राज्यों को आबंटित राज्य परिषद की सीटों को भरे जाने के लिए विशेष उपबंध—(1) संविधान की चौथी अनुसूची में अजमेर तथा कुर्ग राज्यों को आबंटित राज्य परिषद की सीट अजमेर राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और चक्रानुक्रम द्वारा कुर्ग विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाएगी। अर्थात् प्रथम आम चुनाव और प्रत्येक दूसरे उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट अजमेर राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और प्रथम द्विवार्षिक चुनाव तथा प्रत्येक तीसरे उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट कुर्ग विधानपरिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएंगी।

(2) उक्त अनुसूची में त्रिपुरा तथा मणिपुर राज्यों को आबंटित राज्य-परिषद की सीट त्रिपुरा राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों और मणिपुर राज्य के लिए निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर भरी जाएंगी अर्थात् प्रथम आम चुनाव और प्रत्येक द्वितीय उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट त्रिपुरा राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और प्रथम द्विवार्षिक चुनाव एवं प्रत्येक तीसरे उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट मणिपुर राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(3) अजमेर तथा कुर्ग राज्यों या त्रिपुरा तथा मणिपुर राज्यों को आबंटित सीट की आकस्मिक रिक्ति उस राज्य में चुनाव द्वारा भरी जाएगी जिस राज्य में उस सीट को भरने के लिए चुनाव पिछले पूर्ववर्ती आम चुनाव या द्विवार्षिक चुनाव, जैसी भी स्थिति हो, के समय भरी गई थी।

(4) उप-धारा (1) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अंतर्गत होने वाला प्रत्येक चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा।

27 ञ. अनुच्छेद 240 के अधीन विधानमंडलों के रूप में कार्य करने के लिए बनाए गए निकायों द्वारा निर्वाचक-मंडल का प्रतिस्थापन—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए—

(क) यदि बिलासपुर तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पांचवीं अनुसूची के पांचवें स्तंभ में विनिर्दिष्ट राज्यों में से किसी राज्य के लिए अनुच्छेद 240 के अधीन संसद कानून

द्वारा उस राज्य के लिए विधायिका के रूप में कार्य करने हेतु किसी निकाय का गठन करती है तब ऐसे निकाय के गठन के पश्चात् उस राज्य के लिए किसी निर्वाचक-मंडल का गठन या पुनर्गठन आवश्यक नहीं होगा और ऐसे निकाय के गठन के बाद उस राज्य के लिए उस समय कार्यरत किसी निर्वाचक-मंडल को भंग माना जाएगा तथा धारा 27 ज या 27 झ, जैसी भी स्थिति हो, उस राज्य पर वैसे ही लागू होगी मानों ऐसे राज्य के लिए निर्वाचक-मंडल के किसी निर्देश हेतु लागू होती और उस धारा में ऐसे राज्य के लिए इस प्रकार बनाए गए निकाय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित किया गया हो।

(ख) यदि बिलासपुर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए उक्त के अनुसार कोई ऐसा निकाय इस प्रकार गठित किया जाता है तब ऐसे दोनों निकायों के बनने के बाद उन राज्यों के लिए किसी निर्वाचक-मंडल का गठन या पुनर्गठन आवश्यक नहीं होगा और ऐसे दोनों निकायों के गठन के बाद उन राज्यों के लिए उस समय कार्यरत किसी निर्वाचक -मंडल को भंग माना जाएगा तथा धारा 27 ज राज्यों के उस समूह पर वैसे ही लागू होगी मानों उस धारा में राज्यों के उक्त समूह के लिए निर्वाचक-मंडल हेतु किसी निर्देश की दशा में होती और उन राज्यों के लिए इस प्रकार बनाए गए निकायों के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित किया गया हो; और

(ग) यदि उक्त वर्णित कोई ऐसा निकाय कुर्ग राज्य के लिए इस प्रकार गठित किया जाता है तब ऐसे निकाय के गठन पर धारा 27 'झ' उस राज्य पर उसी प्रकार प्रभावी होगी जैसे वह उस धारा क अंतर्गत कुर्ग विधान परिषद की दशा में किसी निर्देश के लिए लागू होती और ऐसे राज्य के लिए इस प्रकार गठित किसी निकाय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित किया गया हो।

***माननीय अध्यक्ष :** श्री देशबन्धु गुप्ता द्वारा संशोधन रखा गया :

डॉ. अम्बेडकर द्वारा संशोधन में, प्रस्तावित नए खड 10 'ख' में, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27 'क' की उप-धारा (1) वर्तमान प्रथम परन्तुक पहले निम्नांकित जोड़ा जाए :

"परंतु दिल्ली राज्य को आबंटित सीट को भरने के प्रयोजन से नगरपालिका समितियों, जिला बोर्ड तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों जैसे सभी स्थानीय निकायों और मुख्य आयुक्त सलाहकार परिषद एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक-मंडल के सदस्य होंगे।"

डॉ. अम्बेडकर : मेरे आदरणीय मित्र श्री देशबन्धु गुप्ता द्वारा रखे गए संशोधन के संबंध में मैं एक या दो बिन्दुओं का हवाला देना चाहूँगा। यदि इस संशोधन को उन अन्य

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 21 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2231-33

उपबंधों के साथ रखकर पढ़ा जाए जिन्हें इस सदन ने राज्यसभा (उच्च सदन) के भाग 'ग' राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए उपबंध करने के प्रयोजन से अभी-अभी पारित किया है, तो इसमें कुछ विसंगति प्रतीत होगी। इसके अंतर्गत हम वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल बना रहे हैं। यहां हम इस विधेयक में उल्लिखित मूल योजना को बनाए रख रहे हैं, जैसे, यह कि प्रतिनिधित्व स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में यह कोई बहुत बड़ी आपत्ति है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आज सुबह मेरे माननीय मित्र श्री देशबन्धु गुप्ता ने हमें बताया था कि ये सभी निकाय बहुत शीघ्र लोकतांत्रिक होने जा रहे हैं और इनके वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती, चाहे आप निर्वाचन के लिए नगरपालिका या स्थानीय बोर्ड का मामला लें अथवा चाहे आप और नीचे चले जाएं तथा इस मामले को और अधिक घुमा दें और निर्वाचन का आधार बना दें। अतः मूल रूप से मुझे उनके प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

इसके अतिरिक्त, दो अन्य बाते हैं जिनका मैं हवाला देना चाहूंगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह स्थानीय प्राधिकरणों को निर्वाचन का हथियार बना रहे हैं, यह प्रतीत होता है कि दिल्ली प्रांत में कुछ स्थानीय प्राधिकरण हैं जहाँ सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है बल्कि उनका नामांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली नगरपालिका का मामला लें, मैं समझता हूँ कि इसमें अधिकांशतः नामांकन ही किया जाता है और मैं यह नहीं मानता कि मेरे माननीय मित्र श्री देशबन्धु गुप्ता इस बात पर जोर देंगे कि दिल्ली नगरपालिका के लिए नामित व्यक्ति यद्यपि उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्व ारा नहीं किया गया है, ज्ञान की दृष्टि से, नागरिक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से किसी भी मामले में अन्य नगरपालिकाओं द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से कम है। अतः मैं सुझाव देना चाहूँगा कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ बशर्ते कि वे अपने खंड से 'निर्वाचित' शब्द हटा दें।

दूसरा सुझाव मैं उनको यह देना चाहूंगा, जो मैं समझता हूँ, केवल प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) कुशलता का मामला है, वह यह है कि अच्छा रहेगा कि उनका यह प्रस्ताव परन्तुक के स्थान पर धारा 27 क की उप-धारा (5) के अंतर्गत रखा जाए। मैंने पूरे मामले को पढ़ा है। मुझे प्रतीत होता है कि इसे इसके अधीन उप-धारा (5) के अंतर्गत रखा जाना अधिक उपयुक्त होगा। मुझे इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री देशबन्धु गुप्ता : महोदय, क्या मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जब वे कहते हैं कि मैं 'निर्वाचित' शब्द हटाने पर सहमत हो जाऊं, क्या वे यह मानते हैं कि अन्य स्थानीय निकायों में भी नाकांकन बहुत बड़ी तादात में होता है? यदि विचार केवल नई दिल्ली के प्रतिनिधित्व का है जो

कि पूरी तरह से नामित निकाय है, तब यह उद्देश्य नई दिल्ली नगरपालिका समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को लेने से अच्छी तरह पूरा हो जाएगा। वहां सात या आठ सदस्य होते हैं। पुरानी दिल्ली में 50 निर्वाचित तथा 10 नामित सदस्य हैं। शाहदरा में 10 निर्वाचित तथा 5 नामित सदस्य हैं। क्या वे चाहते हैं कि इन सभी नामित सदस्यों को मताधिकार दिया जाना चाहिए?

डॉ अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि कोई विभेद किया जाना चाहिए।

श्री देशबंधु गुप्ता : मैं 'निर्वाचित' शब्द पर अडिग हूँ। लेकिन मैं नई दिल्ली नगरपालिका के गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किए जाने के लिए तैयार हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : ठीक है।

***माननीय अध्यक्ष :** इसलिए तब, मुझे डर है, चर्चा का रुख देखते हुए मुझे श्री देशबंधु गुप्ता के संशोधन को सदन के समक्ष रख देना चाहिए।

डॉ. आर.यू सिंह : किन्तु महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। मैं दो बातें जानना चाहता था। वह आधार क्या है जिसके अनुसार विधान परिषदों का चुनाव किया जाएगा। क्योंकि ऐसे सदस्यों का निर्वाचन करने वालों की संख्या बहुत ही कम होगी। और दूसरे क्या माननीय मंत्री इस स्थिति पर पुनः विचार करने के मेरे उन मुद्दों पर जोर दिए जाने की कृपा करेंगे। जैसाकि मैंने कहा था कि वह मूलतः गलत है और यह खिचड़ी व्यवस्था है जिसके लिए कोई औचित्य नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर का क्या कहना है।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय विधि मंत्री ने उस बिन्दु को समझ लिया है जिसे मानीय सदस्य उठा रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : कुछ माननीय सदस्य हमेशा रहे हैं कि मैं मंत्रिमंडल में कठोरतम व्यक्तियों में से हूं। मैं कठोर व्यक्ति होने का लाभ अब समझ रहा हूँ। सभी लोगों की बात मानने से आदमी परेशानी में फंस जाता है जैसा कि मैं स्वयं को इस समय पा रहा हूं। यदि मैं मूल स्थिति पर अडिग रहा होता तो संभवतः मैं उस परेशानी में नहीं पड़ता जिसमें मैं अब स्वयं को पा रहा हूं।

निःसन्देह इस आश्वासन पर इस स्थिति को स्वीकार कर लेने के बाद इन नगर निकायों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र श्री देशबंधु गुप्ता द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करने के पीछे कोई बहुत बड़ा सिद्धांत है।

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 21 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2236-44

दूसरे, जैसाकि माननीय सदस्य देखेंगे, यह योजना क्रियाशील नहीं हो सकती, क्योंकि जिस संशोधन का मैंने प्रस्ताव रखा है उस संशोधन में मैंने उपबंध किया है कि यदि संसद विधायी निकायों के गठन की कानून द्वारा व्यवस्था करती है जैसाकि अन्य भाग 'ख' तथा भाग 'क' राज्यों में किया जाता है, तब चुनाव नवसृजित निकायों के आधार पर होंगे। इन तथ्यों के प्रति सम्मान रखते हुए मैं इस निर्णय को अत्यधिक महत्व देता हूं, भले ही यह इस तरीके से लिया जाए या अन्य तरीके से, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि यदि पर्याप्त दबाव हो और यदि पर्याप्त समय हो तो संसद को चुनाव होने से पहले इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि वह स्वयं विधायिकाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और अनुच्छेद 240 को प्रभावी बनाए। इसलिए वर्तमान में मैं जिस बात पर बल देना चाहूंगा वह यह है कि 'निर्वाचित' शब्द हटा दिया जाए। और संभवतः मैं चाहूंगा कि नई दिल्ली के संबंध में जहां मैं समझता हूं अत्यधिक नामांकन होता है, मैं नई दिल्ली के प्रतिनिधित्व को गैर-सरकारी सदस्यों तक सीमित रखूंगा। मैं समझता हूं कि इससे सदन को फिलहाल संतुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री सोंढी : अन्य निकायों के गैर-सरकारी सदस्यों का क्या होगा? हमें एक-दूसरे निकाय के बीच अंतर नहीं करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : अन्य भाग 'ग' राज्यों के अन्य निकायों की दशा में, हमें इस समय गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम............के आधार पर निर्वाचक-मंडल बनाने जा रहे हैं।

श्री सोंढी : मैं गैर-सरकारी सदस्यों का हवाला दे रहा था जो अन्य निकायों के लिए नामित किए जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने केवल नई दिल्ली में नामित सदस्यों का हवाला दिया। हम उनके बीच अंतर नहीं कर सकते।

डॉ. अम्बेडकर : नई योजना के अन्तर्गत संभवतः गैर-सरकारी सदस्यों का अस्तित्व ही मिट जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : हमें इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री देशबंधु गुप्ता : माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि 'निर्वाचित' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर दिल्ली और नई दिल्ली के लिए 'गैर-सरकारी निकाय' कर देना चाहिए। क्या यही उनकी इच्छा है?

डॉ. अम्बेडकर : जी हां, इससे मामला सरल हो जाएगा।

श्री त्यागी : लेकिन यह स्पष्ट करना होगा कि विधि मंत्री ने इसे इस शर्त और इस आशा से स्वीकार किया है कि नए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे और यह कि वे आम चुनावों के समय पर कराए जाएंगे। हम जानते हैं कि इन पुराने

बोर्डों में नई जनसंख्या में बहुत बड़े भाग को बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं मिलता या ये प्रतिबिम्बित नहीं होते। उन्हें प्रतिनिधित्व न देना बहुत ही गलत होगा।

श्री कामथ : महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर ने कुछ देर पहले माननीय सदस्यों को 'प्रत्येक' कहा था। मैं नहीं जानता क्या यह उपयुक्त है। यह असंसदीय तो नहीं हो सकता किन्तु यह गरिमामय नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिन्दु पर आप अपना निर्णय न दे सकें तो अपने विचार बताएँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं इस अभिव्यक्ति का कोई अभद्र अर्थ नहीं निकालता और उनका आशय संसद सदस्यों से नहीं था। बहुत सारे लोग मंत्रियों के पास इस–उस काम से आते हैं और 'प्रत्येक' शब्द केवल संसद सदस्यों के लिए ही लागू नहीं होता। किसी भी तरह कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं सोचेगा कि यह उसके ऊपर सटीक बैठता है।

श्री वी.दास : महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली नगर निकायों के नियंत्रक हैं, हमारी सहायता के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। क्या हम इस प्रश्न को उनकी सहायता से बाद में हल नहीं कर सकते?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रत्याशित नहीं थीं कि अनौपचारिक सम्मेलनों के बाद और इस सम्मेलन के उद्देश्य से इस प्रश्न को स्थगित करने के बाद इस बिन्दु पर पुनः चर्चा की जाएगी। मैं लेने और देने की बात, कुछ यहां देने और कुछ वहां देने, की उम्मीद करता रहा हूँ। कुल मिलाकर मानवीय आधार पर हरेक के प्रति पूरा न्याय करना असंभव है। हमें अधिकतम न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता हूं। अब यह स्थिति कैसी है? क्या मैं इस संशोधन को सदन के समक्ष रखूं?

डॉ. अम्बेडकर : सुझाव है कि 'निर्वाचित' शब्द के स्थान पर हम 'शासकीय को छोड़कर अन्य सदस्य' शब्द रख सकते हैं।

श्री देशबंधु गुप्ता : मुझे यह परिवर्तन स्वीकार है।

माननीय अध्यक्ष : अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन हमें यह विधेयक पारित करना होगा। अन्यथा माननीय सदस्यों को अन्य विधेयकों के लिए कल पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। मेरे सामने अब कठिनाई यह है कि मैं इस संशोधन को कैसे रखूं?

ऑर्डर, ऑर्डर, सदन में शोरगुल कम से कम हो।

परिवहन तथा रेल मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : मैं 'जैसेकि' शब्दों को हटाने की वांछनीयता के बारे में विधि मंत्री को सुझाव देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि हमें 'नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों के सदस्य' कहना

चाहिए। यदि हम 'जैसेकि' शब्दों को रखते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि स्थानीय निकायों की अन्य श्रेणियां हैं जिनका आप हवाला देना चाहते हैं।

श्री देशबंधु गुप्ता : उन शब्दों को रखे जाने का कारण दिल्ली सुधार ट्रस्ट है।

डॉ. अम्बेडकर : परन्तु मेरी प्रति में यह शब्द नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : श्री देशबंधु गुप्ता अपना संशोधन वापस लें और माननीय मंत्री अपना संशोधन रखें।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसे कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर रहा हूँ और इसे अनुच्छेद 27 झ. के उप-खंड (5) के रूप में रख रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री देशबंधु गुप्ता को यह तरीका पसंद है?

श्री देशबंधु गुप्ता : जी हाँ।

प्रस्ताव अनुमति से वापस लिया गया।

डॉ. आर.यू. सिंह : महोदय, मैंने कुर्ग का मामला उठाया था और यह अनुत्तरित है।

माननीय अध्यक्ष : कोई भी सदस्य कुछ भी प्रश्न कर सकता है परंतु मंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी प्रश्नों के उत्तर दें। अब हमें आगे का काम जितनी जल्दी निपटा सकें, निपटाना चाहिए। मंत्री इस संशोधन को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं उस संशोधन को रखता हूँ जिसका नोटिस मैंने अभी-अभी दिया है। यह पूरी तरह सांकेतिक एवं अनुवर्ती है तथा मैं श्री देशबंधु गुप्ता के संशोधन को भी अपने संशोधन में शामिल करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : इन संशोधनों के मामले में बेहतर रहेगा कि उन्हें पढ़ दिया जाए। मुझे थोड़ी-सी कठिनाई यह हो रही है कि इन्हें सदस्यों को परिचालित नहीं किया गया है। अतः हमारे सामने अनुकल्पिक तरीके ये हैं कि या तो ये संशोधन सदन में पढ़े जाएं या हम इस खंड को स्थगित करें तथा अगला खंड लें और इसे लम्बित रखें। केवल एक खंड-खंड II बचता है। इसके बाद इस अनुसूची में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन है। इसे निपटाया जा सकता है।

श्री जवाहर लाल नेहरू : इन संशोधनों को क्यों न पढ़ दिया जाए?

माननीय अध्यक्ष : खंड II के निपटान एवं डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस संशोधन के

नए खंड बनाने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएग और फिर इन संशोधनों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अत: इस समय हम इस मामले को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं–निश्चित तौर पर कल तक के लिए नहीं। मैं खंड II पर आता हूँ।

श्री द्विवेदी (विन्ध्य प्रदेश) : खंड II 'क' में भी कुछ संशोधन हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं उसे अब स्थगित करता हूँ। दुर्भाग्य है कि कुछ माननीय बातचीत में मशगूल हैं और कार्यवाही पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड II इस विधेयक का हिस्सा बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड II इस विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड II-क

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने के लिए अनुमति चाहता हूँ :

खंड II के बाद, निम्नांकित नया खंड जोड़ा जाए :

"II क. 1950 के अधिनियम XL III में नई पांचवीं" अनुसूची जोड़ना–उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के बाद निम्नांकित अनुसूची इस प्रकार जोड़ी जाएगी :

पाँचवी अनुसूची

[धाराएं 27 –क (2), 27 –क 27, तथा 27–झ (क) देखिए]

निर्वाचक-मंडलों के सदस्यों की संख्या

	राज्य का नाम	सदस्यों की संख्या
1.	अजमेर	20
2.	भोपाल	20
3.	बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश	25
4.	कच्छ	20
5.	मणिपुर	20
6.	त्रिपुरा	20
7.	विन्ध्य प्रदेश	50"

माननीय अध्यक्ष : संशोधन रखा गया : वही जो ऊपर किया गया।

श्री द्विवेदी : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

प्रस्तावित नए खंड II-क में डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित पाँचवी अनुसूची के स्थान पर निम्नांकित रखी जाए–

"पाँचवी अनुसूची"

[धाराएं 27-क (2), 27-ग(क), 27-ङ, (II) तथा 27-झ (क) देखिए)

निर्वाचन-मंडलों के सदस्यों की संख्या

	राज्य का नाम	सदस्यों की संख्या
1.	अजमेर	30
2.	भोपाल	30
3.	बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश	42
4.	कच्छ	30
5.	मणिपुर	30
6.	त्रिपुरा	30
7.	विन्ध्य प्रदेश	60"

सुबह मैंने भाग-ग राज्यों के कुछ अन्य प्रतिनिधियों के साथ डॉ. अम्बेडकर से बात की थी और हमने उनसे कहा था कि यदि निर्वाचन-मण्डल छोटे बनाए गए, तो परेशानी होगी और निर्वाचक-मण्डल जितना छोटा होगा, भ्रष्टाचार को उतना ही बढ़ावा मिलने की आशंका रहेगी। अतः सुझाव दिया गया कि निर्वाचक मंडल बड़े होने चाहिएं और डॉ. अम्बेडकर ने यह सुझाव मान लिया था। इसलिए यह संशोधन मेरे एवं अन्य के द्व ारा प्रस्तावित किया गया। महोदय, मैं पेश करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यथोक्त संशोधन (श्री द्विवेदी का) पेश किया :

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या इस खंड विशेष के लिए कोई अन्य संशोधन है?

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ, कुछ औपचारिक अक्षरों का पुनः संख्यांकन, आदि करना है।

माननीय अध्यक्ष : उसे हम बाद में करेंगे। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं संशोधित खंड को सदन के समक्ष रखूँगा।

श्री कामथ : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भाग-ग राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। मुझे नहीं मालूम कि उसकी अब क्या स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष : उद्‌घाटन भाषण में यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल दंडात्मक बस्ती है। अतः मैं इस संशोधन को मतदान के लिए रखूँगा। प्रश्न है :

श्री द्विवेदी का प्रस्ताव अंगीकार कर लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

खंड 11 के बाद निम्नांकित नया खंड जोड़ा जाए :

"11-क 1950 के अधिनियम XLIII की नयी पाँचवी अनुसूची में जोड़ा जाना"–उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के बाद निम्नांकित अनुसूची को इस प्रकार जोड़ा जाएगा :

(यथोक्त अनुसूची)

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

नया खंड 11-क विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय अध्यक्ष : खंड 10-ख को छोड़कर और कोई खंड नहीं लिया जाना है।

एक माननीय सदस्य : औपचारिक संशोधन हैं।

माननीय अध्यक्ष : पुनः संख्याकन जैसे औपचारिक संशोधन बाद में किए जाएंगे।

डॉ. अम्बेडकर : खंड 12 नहीं रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, खंड 12 बाकी है।

खंड 12 विधेयक में जोड़ा गया।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने नए खंड 27-झ को जोड़े जाने के संबंध में अनुपूरक सूची सं. 7 में मेरे संशोधन संख्या-2 को सदन के समक्ष रख दिया है। इसे रखा हुआ मान लिया गया है परंतु इसे रखा नहीं गया है और ना ही स्वीकार किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : इसे रखना होगा। यह 10-ख का हिस्सा होगा।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, परंतु यह अलग सूची में है। यही कारण था कि मैं आश्चर्यचकित था.....

माननीय अध्यक्ष : खंड 10-ख रोक लिया गया था। अन्य संशोधनों को निपटाने के बाद मैं उसे समय रहते रख दूँगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि मैं उसे भूल जाऊँ, ऐसे में माननीय सदस्य मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित कर दें। अब क्या हम खंड 10-ख की ओर बढ़ें?

कुछ माननीय सदस्य : इसे निपटा देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : यदि सदस्य-गण इसे निपटाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, अब हम इसे स्थगित करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं स्वयं इसको लेकर कुछ शंकालु हो गया हूँ। भले ही यह संशोधन औपचारिक हो, परंतु यह एक लम्बा संशोधन है और माननीय सदस्य इसे देखना चाहेंगे तथा उसका अध्ययन करना चाहेंगे। इसलिए, इस समय हम इसे स्थगित करते हैं और कल दोपहर बाद 2 बजे फिर मिलते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि हम कल जितनी लम्बी चर्चा इस पर करेंगे, दूसरे विधेयकों के लिए उतना ही कम समय बचेगा क्योंकि दूसरे विधेयक के लिए गिलेटिन का समय ठीक शाम 6.00 बजे का होगा। हम कल के बाद नहीं बैठेंगे

इसके बाद सदन शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1950 के दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

नए खंड 10-क तथा 10-ख

***माननीय अध्यक्ष :** अब हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन विषयक विधेयक पर आगे विचार करेंगे। कल हम खंड 10-क तथा 10-ख पर चर्चा कर रहे थे और माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन रखे थे।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे नाम पर एक संशोधन था। यह अनुपूरक सूची सं. 7 में संशोधन सं. 2 है। मैं इसे अब रखना चाहूँगा। पहला संशोधन मेरे मित्र श्री गुप्ता द्वारा रखा गया। दूसरे का अभी निपटान नहीं हुआ है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ?

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 18 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2252-55

माननीय अध्यक्ष : हाँ, क्या वह दूसरा संशोधन भी रखेंगे?

डॉ. अम्बेडकर : यह स्वतन्त्र संशोधन–एक खंड का जोड़ा जाना था। मेरे दूसरे संशोधन में श्री गुप्ता का संशोधन भी शामिल होगा।

परिवहन तथा रेल राज्य मंत्री (श्री सन्तानम) : मेरे विचार से सभी संशोधन सदन के समक्ष रखे जा चुके हैं। उन्हें केवल अंगीकार करना है।

माननीय अध्यक्ष : जो संशोधन बाद में आए थे, उन्हें सदन के समक्ष नहीं रखा गया है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं संशोधन को औपचारिक रूप से रखना चाहूँगा। मैं रखने की अनुमति चाहता हूँ :

प्रस्तावित नए खंड 10–ख में मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27–झ के बाद निम्नांकित नई धारा 27–झ जोड़ी जाए और उत्तरवर्ती धारा को धारा 27–ट के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए :

"27–ञ निर्वाचक मंडल या कुर्ग विधान परिषद की उनमें हुई रिक्तियों के बावजूद निर्वाचित करने की शक्ति किसी निर्वाचक मंडल के सदस्यों या कुर्ग विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसी निर्वाचन पर उस मंडल या परिषद, जैसी भी स्थिति हो, की सदस्यता में कोई रिक्ति होने मात्र के आधार पर, इस अधिनियम के अधीन कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

यह केवल किसी संभावित कठिनाई या संदेह को दूर करने के लिए है।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन रखा गया (यथोक्त)।

और भी संशोधन हैं।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, अनुपूरक सूची सं. 8 में, मैंने सोचा कि पहले यह निपट जाए, उसके बाद दूसरे रखूँगा।

माननीय अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि इस संशोधन पर सहमति है क्योंकि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं। क्या मैं इसे सदन के समक्ष रखूँ?

परिवहन तथा रेल मंत्री (श्री गोपालास्वामी) : क्या मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि यदि आप दिल्ली के लिए प्रस्तावित अन्य प्रकार की निर्वाचन पद्धति स्वीकार करने जा रहे हैं, तब क्या इस संशोधन में कुछ उपान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : उसे भी निर्वाचक-मंडल कहा जाता है।

श्री गोपालस्वामी : क्या ऐसा है?

डॉ. अम्बेडकर : हाँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

प्रस्तावित नए खंड 10-ख में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-झ के बाद निम्नांकित नई धारा 27-ञ जोड़ी जाए और इस उत्तरवर्ती धारा को धारा 27-ट के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए:

"27-झ निर्वाचक मण्डलों या कुर्ग विधान परिषद की उनमें हुई रिक्तियों के बावजूद निर्वाचित करने की शक्ति—इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्वाचक मंडल के सदस्यों या कुर्ग विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इस मंडल या परिषद, जैसी भी स्थिति हो, की सदस्यता में कोई रिक्ति होने मात्र के आधार पर किसी निर्वाचन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : मुझे विश्वास है कि धारा 27-क से 27-ञ तक को शामिल करने वाले संशोधन को पहले ही रखा जा चुका है। अब मैं अनुपूरक सूची सं. 8 के संशोधनों को लेता हूँ।

डॉ अम्बेडकर : मैं समझता हूँ अच्छा यह रहेगा कि मैं उन्हें क्रमवार रखूँ।

माननीय अध्यक्ष : अनुपूरक सूची सं. 8 के संशोधन उस संशोधन हैं जिन्हें रखा जाना है। मेरा विचार यह है कि बजाय इसके कि पूरे खंड को तत्काल रख दिया जाए, इन सभी संशोधनों को सदन के समक्ष एक बार रखा जाए और इसके बाद हम हिस्सों में चर्चा एवं मतदान के लिए आगे बढ़ें।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इन्हें रखने की अनुमति चाहता हूँ।

(i) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27 'क' की उप-धारा (3) में पंक्ति 2 में आने वाले शब्दों "किसी राज्य या राज्यों के समूह" के बाद "इस प्रकार विनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएं।

(ii) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंउ 10-ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-क की उप-धारा (4) में "निर्वाचक मंडल"

शब्दों के बाद 'ऐसे किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए जैसा कि उप-धारा (2) में कहा गया है' कोष्ठक तथा अंक, शब्द जोड़े जाएं।

(iii) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-क की उप-धारा (4) के बाद, निम्नांकित उप-धारा जोड़ी जाए।

"(5) दिल्ली राज्य के निर्वाचक मंडल में निम्नांकित होंगे :-

(क) उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य;

(ख) दिल्ली के मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद के गैर-सरकारी सदस्य; और

(ग) उस राज्य के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक छावनी बोर्ड, जिला बोर्ड, नगरपालिका समिति तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति के गैर-सरकारी सदस्य।"

(iv) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-च की उप-धारा (झ) में "किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए" शब्दों के बाद "पाँचवी अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएं।

(v) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-च की उपधारा (1) में, "किसी राज्य या राज्यों के समूह" शब्दों के बाद "पाँचवी अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट" शब्द जोड़े जाएं।

(vi) "इस विधेयक के खंडों और इस विधेयक द्वारा जोड़ी गई धाराओं के संख्यांकन और अक्षरांकन के लिए शोधन प्रतिनिर्देश परिणामिक शोधनों सहित एक साथ किए जाएं।"

***माननीय अध्यक्ष :** संशोधन रखा गया : जैसा ऊपर दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-ञ के खंड 'ख' में-

(i) पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों सर्जित के बाद 'संयुक्त या' शब्द जोड़े जाएं।

(ii) तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "उसके बाद" के बाद "ऐसे निकाय में होंगे या" शब्द जोड़े जाएं; और

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 12 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2259-60

(iii) छठी पंक्ति में आने वाले "गठन" शब्दों के बाद "ऐसा निकाय या" शब्द जोड़े जाएं।

मैं चाहूँगा कि माननीय विधि मंत्री यह बिन्दु स्पष्ट करें।

डॉ. अम्बेडकर : इस संशोधन को लेकर दो आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति सांविधानिक है जो संविधान के अनुच्छेद 240 में उल्लिखित उपबंधों के कारण है। मैं समझता हूँ मेरे माननीय मित्र डॉ. परमार के संशाधेन से यह स्पष्ट है कि वे यह मानते हैं कि संसद के लिए हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर जैसे दो क्षेत्रों के लिए एकल विधायिका (विधानमंडल) बनाना संभव हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि संसद के लिए ऐसा कुछ भी कर पाना सहज नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 240 का कहना है :

"संसद प्रथम अनुसूची के भाग-ग में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधि बनाकर सर्जित कर सकती है या उसे जारी रख सकती है........." जिसका अर्थ यह हुआ कि यद संसद भाग-ग में उल्लिखित राज्यों के लिए विधायी निकाय बनाना चाहती है, तो उसे प्रत्येक भाग -ग राज्य के लिए एक अलग विधायी निकाय बनाना होगा। अनुच्छेद 240 संयुक्त विधायिका के गठन का अधिकार नहीं देता। इस आधार पर यह संशोधन ठीक नहीं है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र का सुझाव था कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में विलय हो जाएगा और ऐसी स्थिति में एक राज्य बन जाएगा। इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता, किंतु इसका परिणाम यह होगा कि हमें इस विधेयक में संशोधन करना पड़ेगा और बिलासपुर को विलीन राज्य बनाना पड़ेगा, जो बिल्कुल अलग स्थिति है और संसद के समक्ष प्रस्तुत इस विधेयक के अन्तर्गत किसी प्रकार नहीं आता।

अतः मेरा निवेदन है कि मैंने जो आपत्ति उठाई है, उसके चलते मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जे.एन. हजारिका (असम) : महोदय, धारा 27-ञ जिसे अभी-अभी धारा 27-ट के रूप में संख्यांकित किया गया है, पूरी तरह आवश्यक है क्योंकि इस खंड से............पैदा होने की संभावना है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य किसका हवाला दे रहे हैं?

श्री जे.एन. हजारिका : धारा 27-ञ का। इससे भाग-ग राज्यों के लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम पैदा हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया देखें कि धारा 27-ञ को अभी सदन

द्वारा संशोधित कर दिया गया है। क्या वे नई धारा 27–ञ का हवाला देंगे जिसे सदन ने अभी–अभी अंगीकार किया है?

श्री जे.एन. इजारिका : अब यह धारा 27–ट हो गयी है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे संशोधन के बाद धारा 27–ञ धारा 27–ट बन जाएगी।

*__माननीय अध्यक्ष :__ ....अब हम डॉ. अम्बेडकर के प्रथम संशोधन को लेते हैं। यह संशोधन उनके संशोधन का संशोधन है। इसका निपटान करने के बाद हम मुख्य संशोधन पर आएंगे। अपने संशोधन में संशोधन करने वाला जो प्रथम संशोधन डॉ. अम्बेडकर ने रखा है, वह अनुपूरक सूची सं. 8 में दिया हुआ है।

डॉ. अम्बेडकर : यह "इस प्रकार विनिर्दिष्ट" शब्दों को जोड़े जाने से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष : यह संशोधन कमोवेश औपचारिक है। प्रश्न है :

"डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10–ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27–क की उप–धारा (3) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए शब्दों के बाद इस प्रकार विनिर्दिष्ट" शब्द जोड़े जाएं।''

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब हम दूसरे संशोधन को लेते हैं। वह भी कमोवेश औपचारिक संशोधन है। प्रश्न है :

डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10–ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27–क की उप–धारा (4) में 'निर्वाचक मंडल' शब्दों के बाद उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे राज्य या राज्यों के समूह के लिए कोष्ठक तथा अंक शब्द जोड़े जाएं।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब हम दिल्ली राजय के निर्वाचक मंडल के संशोधन की बात करते हैं जिसे धारा 27–क की उप–धारा (5) के रूप में जोड़े जाने का प्रस्ताव है। श्री त्यागी क्या कहना चाहते हैं?

श्री त्यागी : महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि "गैर–सरकारी (गैर–पदीय)" शब्द का अर्थ क्या है?

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 22 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2263–64

डॉ. अम्बेडकर : जो सरकारी नहीं है। बस और कुछ नहीं।

***श्री त्यागी :** ....जिनके पास कोई कार्यालय या पद नहीं होता है, वे गैर-सरकारी होते हैं जैसे कि मैं। महोदय, लेकिन श्री जवाहर लाल नेहरू एवं डॉ. अम्बेडकर जैसे लोग जिनके पास पद हैं, वे गैर-सरकारी नहीं हो सकते। चूंकि मेरे पास कोई पद नहीं है अतः मैं गैर-पदीय हूँ। अतः मेरा अनुरोध है कि "गैर-पदीय" शब्द की स्पष्ट परिभाषा दी जाए, यदि किसी अन्य अधिनियम में नहीं दी गई है, अन्यथा इससे परेशानियां पैदा होंगी।

डॉ. अम्बेडकर : "गैर-सरकारी" शब्द इतना मूलभूत (सरल) है कि मैंने सोचा कि इसके लिए और कोई सरल शब्द ढूंढना बहुत ही कठिन होगा और मैं अपने मित्र श्री त्यागी को सुझाव देना चाहूँगा कि यदि वे इस शब्द को लेकर कभी किसी कानूनी विवाद में फँस गए और उन्होंने किसी घटिया से घटिया वकील को किया तो भी वह उन्हें पर्याप्त सलाह दे देगा।

****श्री देशबन्धु गुप्ता :** मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि सलाहकार परिषद का कोई गैर-सरकारी सदस्य नहीं है। यहां (ख) में मुख्य आयुक्त आदि की सलाहकार परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों का उल्लेख किया गया है। वहाँ कोई गैर-सरकारी नहीं है। अतः यदि यह आवश्यक न हो तो "गैर-सरकारी" शब्द हटा दिया जाए। मैं यह सुझाव करके प्रस्तावक को दे रहा हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : इससे कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री एम.ए. अय्यंगर : ....इसके बाद धारा 134 के अंतर्गत नियम बनाए गए। जब भारत शासन अधिनियम का खंडन किया गया। तब एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें यह परिभाषित किया गया था कि "सरकारी" कौन है और "गैर-सरकारी" कौन है। यह अध्यादेश समाप्त हो गया और बाद में अध्यादेश के अंतर्गत भी इनको परिभाषित किया जाना आवश्यक समझा गया था, तब हमें इसे अब क्यों नहीं परिभाषित करना चाहिए? इस कमी को हटाया जाना चाहिए। यह इतना सरल शब्द नहीं है कि शब्दकोश में मिल जाए। यह इसकी व्याख्या पर निर्भर करेगा। यह बहुत ही विधिमान्य आपत्ति है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि यह विषय इसमें आ गया है। यदि नहीं आया है तो उसे इसमें लगाना कठिन नहीं है।

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 22 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2264-65

**सं. वा., खंड 7, भाग II, 22 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2269

*__माननीय अध्यक्ष :__ अब बारी भाग IV जोड़े जाने की है। 27-क को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं 10-ख का संशोधन रखना चाहूँगा। मैं रखने की अनुमति चाहता हूँ।

इस विधेयक के प्रस्ताविक नए खंड 10-ख में, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित धारा 27-क में, "त्रिपुरा और मणिपुर" शब्दों के स्थान पर "मणिपुर और त्रिपुरा" शब्द रखे जाएं।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को याद होगा कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा आज सुबह रखे गए 5 संशोधनों में से 3 संशोधन 27-क से संबंधित हैं जिन्हें सदन ने अंगीकार कर लिया है। मैं समझता हूँ अब न तो कोई किसी प्रकार का संशोधन रखना चाहता है और न ही और भाषण देना चाहता है। अत: मैं इन सभी खंडों को साथ-साथ लूँगा क्योंकि मेरे विचार में अन्य संशोधन केवल मौखिक हैं।

क्या कोई माननीय सदस्य अब किसी खंड विशेष पर कुछ कहना चाहता है? नहीं, तब मैं सभी खंडों 27 घ, ङ, च, छ, ज झ,........को पेश करूँगा।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, आपकी अनुमति से मैं 27-झ के संबंध में उप-खंड (2) में एक छोटा-सा संशोधन करने का प्रस्ताव रखना चाहूँगा जैसाकि मैंने पहले भी रखा था त्रिपुरा और मणिपुर के स्थान पर मणिपुर और त्रिपुरा होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : अब डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्ताविक एक और संशोधन है। प्रश्न है:

"इस विधेयक में खंडों तथा इस विधेयक द्वारा जोड़ी गई धाराओं के संख्यांकन एवं अक्षरांकन के आवश्यक संशोधन परस्पर प्रति निर्देशों के संशोधनों साथ-साथ किए जाएं।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

विधेयक में खंड 1 जोड़ा गया।

विधेयक में शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ।

"यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 22 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2271

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

"यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

लोक प्रतिनिधित्व (सं.-2) विधेयक

*__विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :__ मैं संसद के सदनों या प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के चुनावों का संचालन करने, इन सदनों की सदस्यता की अर्हताओं तथा निर्हताओं, ऐसे चुनावों में या इनके संबंध में भ्रष्ट तथा अवैध आचरण एवं अन्य अपराध और ऐसे चुनावों या इनके संबंध में उठने वाले सन्देहों तथा विवादों के विनिश्चय विषयक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह पुर:स्थापित करता हूँ।

लोक प्रतिनिधित्व (सं. 2) विधेयक

**__विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :__ मैं इसे पेश करने की अनुमति चाहता हूँ।

"कि संसद के सदनों या प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन-सदनों के चुनावों का संचालन, इन सदनों की सदस्यता की अर्हताओं तथा निर्हताओं, ऐसे चुनावों में या इनके संबंध में भ्रष्ट तथा अवैध आचरण एवं अन्य अपराध और ऐसे चुनावों में या इनके संबंध में उठने वाले संदेहों तथा विवादों के विनिश्चय विषयक इस विधेयक को एक विशिष्ट समिति को सौंप दिया जाए जिसमें श्री एन. अनन्तशयनम अय्यंगर, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री महावीर त्यागी, श्री विश्वनाथदास, श्री सारंगधर दास, सरदार भूपिन्दर सिंह मान, श्रीजुत रोहिणी कुमार चौधरी, श्री गिरिजा शंकर गुहा, श्री खांडूभाई के. देसाई, श्री राम शिवन पिल्लै, श्री चन्द्रिका राम, श्री टी.आर. देवगिरिकर, श्री पी.बासी रेड्डी, श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री हुसैन इमाम, श्री एम.वी. रामाराव, श्री गोकुलभाई दोलतराम भट्ट, श्री राज बहादुर, कुमारी पद्मजा नायडू, श्री एस. निजलिंगप्पा, श्री रामनाथ गोयन्का, श्री हरि विष्णु कामथ, श्री एस.एन. मिश्रा, श्री एल. कृष्णास्वामी भारती, श्री सुरेन्द्र मोहन घोष, श्री कृष्ण कान्त व्यास, श्री एम.एल. द्विवेदी तथा प्रस्तावक होंगे ओर उन्हें ये अनुदेश दिए जाएं कि संसद के अगले सत्र के आरंभ होने के बाद तीसरे सप्ताह के अन्त में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 18 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1834

**सं. वा., खंड 7, भाग II, 22 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2283-91

पण्डित मित्रा (पश्चिम बंगाल) : कोरम क्या होगा?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कोरम नियमावली में दिया हुआ है अर्थात् एक-तिहाई।

महोदय, जैसा कि सदस्यों ने देखा होगा यह विधेयक बहुत लम्बा है और इसमें 163 खंड हैं। यदि मुझे इन 163 के विविध उपबन्धों के सम्पूर्ण विवरण को देखना पड़ा तो मुझे इस प्रस्ताव के विचारार्थ इस समय उपलब्ध समय से कहीं अधिक समय चाहिए। यह विधेयक पहले से ही तीन या चार दिनों से संसद-सदस्यों के पास है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस विधेयक के खंडों को पढ़ लिया होगा और इसमें शामिल खंडों के मुख्य उद्देश्यों को समझ लिया होगा। अत: मैं समझता हूँ कि मुझे इस विधेयक में शामिल विषयों का पूरा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। अत: मैं बहुत ही संक्षेप में प्रस्ताव रखता हूँ।

सदन को याद होगा कि संसद के इससे पहले वाले सत्र द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में निम्नांकित सम्मिलित थे : (1) लोक सभा तथा राज्य सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच सीटों का बंटवारा; (2) लोक सभा तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन; (2) ऐसे चुनावों में मतदाताओं की अर्हताएं; तथा (4) मतदाता-सूची एवं निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्धारण।

निम्नांकित विषय छूट गए थे : (1) विधानमंडल उम्मीदवारों की तथा उसके सदस्यों की अर्हताएं तथा निरर्हताएं; (2) चुनावों को वास्तविक रूप से कराया जाना; (3) भ्रष्ट तथा अवैध आचरण; (4) चुनाव अपराधों की परिभाषा; (5) चुनावी विवादों का विनिश्चय करने के लिए निर्वाचन अधिकरण का गठन।

मुझे स्वयं इस बात से अत्यंत खुशी होती यदि पिछले विधेयक एवं इस विधेयक में शामिल उपबंधों को एक ही संविधि (कानून) में शामिल कर लिया गया होता ताकि माननीय सदस्यों को एक ही संविधि की सुविधा मिल जाती जिसमें केन्द्रीय विधायिका तथा राज्य विधानमंडल में जन प्रतिनिधित्व विषयक सभी विषय होते। परंतु दुर्भाग्यवश, ऐसा करना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा करने में बहुत लम्बा समय लगता, अत: यह अनुभव किया गया कि इस विषय को दो भागों में रखा जाए अर्थात् निर्वाचन-क्षेत्रों, मतदाताओं की अर्हताओं और इसी प्रकार अन्य के मामले में शीघ्र उपाय किए जाएं ताकि चुनाव आयोग अप्रैल या मई तक चुनाव प्रक्रिया आरंभ करने की दृष्टि से कार्यरंभ कर सके। यही कारण था कि इस विधेयक में सम्मिलित विषयों का अभिन्न अंग होते हुए भी विषय के कुछ हिस्सों को अलग रखा गया और उसे एक पूर्ववर्ती विधान में रखा गया।

महोदय, जैसाकि मैं कह चुका हूँ, वर्तमान विधेयक पांच विषयों से सम्बद्ध है। मुझे विश्वास है कि सदन मुझसे यह उम्मीद नहीं करेगा कि मैं इन पाँचों भागों के प्रत्येक

से संबंधित उपबंधों के पूरे सप्तक की छानबीन करूँ। मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण उपबंध लूँगा और मुझे विश्वास है कि सदन इस स्तर पर जानने का इच्छुक होगा।

अब, मैं सबसे पहले, उम्मीदवारों की अर्हताओं एवं निरर्हताओं के प्रश्न पर आता हूँ। जहां तक उम्मीदवारों के चुनाव का सवाल है, हम कोई अतिरिक्त अर्हता नहीं लादना चाहते सिवाय इसके कि वह मतदाता होना अर्थात् वह नागरिक होना, वह 21 वर्ष का होना और अर्हक अवधि तक उस निर्वाचन-क्षेत्र विशेष में रहने वाला होना। इस प्रकार हर मतदाता बिना किसी अतिरिक्त अर्हता को पूरा किए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकेगा। इस संबंध में जिस एक दूसरे विषय की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि वर्तमान विधेयक में हमने सभी आवासीय अर्हताओं को हटा दिया है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि एक समय था जब किसी उम्मीदवार के लिए केवल मतदाता होना ही आवश्यक नहीं था वरन् उसे उस निर्वाचन-क्षेत्र विशेष का निवासी भी होना चाहिए था। अन्यथा वह खड़ा नहीं हो सकता था। इस तथ्य के मद्देनजर यह महसूस किया गया कि अब हम एक राष्ट्र हैं और हमारा एक संविधान है तथा हम जाति, पन्थ, समुदाय या प्रान्तीय सीमाओं को मान्यता नहीं देते हैं, अतः यह वांछनीय है कि जो व्यक्ति उम्मीदवार होने का पात्र है, वह भारत के किसी हिस्से से खड़ा हो सकता है भले ही वह उस प्रान्त या निर्वचन-क्षेत्र का न हो।

(उपाध्यक्ष 'पीठासीन')

इस प्रकार इस विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति न केवल अपने निर्वाचन-क्षेत्र से खड़ा हो सकता है वरन् वह अपने राज्य के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से खड़ा हो सकता है, यही नहीं, वह किसी भी ऐसे अन्य राज्य में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है जहाँ वह निवास नहीं करता बशर्ते कि वह किसी निर्वाचन-क्षेत्र विशेष का मतदाता हो। अर्हताओं के संबंध में यही है।

निरर्हताओं के संबंध में हमने जो कुछ किया है वह यह है कि अब तक निरर्हता से संबंधित कानून अलग-अलग संविधियों में अलग-अलग था। इसका एक हिस्सा भारत शासन अधिनियम, 1935 के पारित होने के बाद मंत्री द्वारा जारी किए गए भारत सरकार (प्रान्तीय चुनाव, भ्रष्ट आचरण तथा चुनाव अर्जी) आदेश, 1938 में दिया गया था। अन्य उपबंध भारतीय चुनाव अपराध जाँच अधिनियम, 1920 में पाए जाते थे। अतः यह अनुभव किया गया कि अच्छा रहेगा कि इस अधिनियम में निरर्हताओं को समेकित कर दिया जाए। और इसमे यही सब कुछ किया गया है।

मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहूँगा कि मेरा प्रस्ताव था कि सरकार के साथ संविदा रखने को भी निरर्हता का मामला माना जाए। यह उपबंध यूनाइटेड किंगडम अधिनियम में दिया हुआ है। किंतु मैंने सोचा कि इस उपबंध विशेष के मामले में प्रवर समिति से

परामर्श करना बेहतर होगा कि क्या यह निरर्हता उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए होनी चाहिए अथवा यह निरर्हता संसद-सदस्य के रूप में बने रहने तक सीमित कर देनी चाहिए। चूंकि मैं स्वयं आश्वस्त नहीं था कि कौन-सा रास्ता अपनाया जाए, मैंने यह मामला प्रवर समिति द्वारा निर्णीत किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया है।

अब मैं दूसरे विषय अर्थात् चुनाव संचालन पर आता हूँ। इस संबंध में मैं सदन का ध्यान उन नई विशेषताओं की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो नामांकन के संबंध में इस विधेयक में दी गई हैं। जैसा कि सदन को याद होगा कि वर्तमान कानून के अंतर्गत किसी उम्मीदवार के नामांकन की वैधता के प्रश्न पर किसी चुनाव अर्जी के आधार पर मत-याचना की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है तथा निर्णय लिया जा सकता है। मैं हमेशा ही अनुभव करता रहा हूँ कि यह एक बहुत ही कड़ी प्रक्रिया है। कहने को तो नामांकन का सवाल बहुत ही प्राथमिक मुद्दा है और कोई कानून नहीं है कि इस प्राथमिक मुद्दे को लटकता हुआ छोड़ दिया जाए, और पूरे चुनाव को होने दिया जाए, लोगों को चुनाव लड़ने में अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च करने पर बाध्य किया जाए और उसके बाद कोई अचानक सामने आकर कहने लगे कि निर्वाचित उम्मीदवार का नामांकन वैध नहीं है। ताकि चुनाव के गुणावगुण में जाए बिना यह प्रक्रिया अपनाई जाए और पूरा मामला एक मुद्दे के आधार पर निपटा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि चुनाव अर्जियों के मामले में इस प्राथमिक मुद्दे को अन्य मुद्दे से अलग करना वांछनीय होगा कि क्या चुनाव अन्य आधारों की दृष्टि से वैध है अथवा नहीं। अतः मैंने इस विधेयक में यह प्रस्ताव रखा है कि इस मुद्दो को प्राथमिक मुद्दा माना जाएगा तथा चुनाव आयुक्त कोई अधिकरण बनाने के लिए कोई उपबंध करेगा जिसे नामांकन की वैधता संबंधी किसी विवाद को सौंपा जाएगा और उसके द्वारा इसका अन्तिम निपटारा किया जाएगा ताकि जब चुनाव हों तो इस अधिकरण के समक्ष ऐसा कोई मुद्दा न उठाया जा सके। मुझे विश्वास है कि यह बहुत ही हितकारी उपबंध होगा। मुझे खेद है कि चुनाव आयुक्त की सलाह के आधार पर पहले चुनाव के अवसर पर इस उपबंध को लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि उनका विचार है कि उन्हें तदर्थ अधिकरण बनाने के लिए विचार करने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिला है जो चुनाव लड़ने वालों को राहत पहुँचा सके। किन्तु जैसा कि मैंने कहा यदि प्रवर समिति यह मानती है कि इसका भी अनुप्रयोग करना चाहिए तब मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुनाव संचालन के अन्तर्गत मैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय अर्थात् मतदान के तरीके की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस विधेयक में व्यवस्था है कि कुछ निर्वाचन-क्षेत्र दो सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे। यह इस तथ्य के चलते अपरिहार्य है कि संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। इस तथ्य से कि आपके पास आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र हैं, अभिप्रेत है कम से कम दो सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : क्यों, यह अपरिहार्य नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं परंतु देखना है कि यह विधेयक आगे कैसे बढ़ता है। अतः कुछ दो सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे। अन्य निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे। दो सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान विभाजक मत के आधार पर होगा।

अब मैं निर्वाचन अधिकरण पर आता हूँ।

पण्डित मित्रा : क्या मैं जान सकता हूँ कि तीन सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र किसी भी स्थिति में नहीं होंगे।

डॉ. अम्बेडकर : अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसे विषय नहीं हैं जिन्हें अन्तिम मान लिया जाए।

निर्वाचन अधिकरण के संबंध में यही स्थिति है और भी अनेक तरीकों से निर्वाचन अधिकरण का गठन किया जा सकता है। या तो आप ऐसा निर्वाचन अधिकरण का गठन कर सकते हैं जिसका प्राधिकार अन्तिम होगा, और अपील का अधिकार नहीं होगा या आप ऐसा निर्वाचन अधिकरण भी गठित कर सकते हैं जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सके। जैसा कि मैंने कहा था, इसको लेकर कोई सिद्धांत नहीं बन सकता। यह सब कुछ जनमत के आलोक में तय करना होगा। लेकिन यह विधेयक इस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ रहा है कि उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार होगा। यह माना जाता है कि निर्वाचन विवादों के निपटारे के लिए जनता का सरकारी मशीनरी में ज्यादा विश्वास होता है। कहा जाता है कि गैर-सरकारी व्यवस्था पूर्वाग्रही हो सकती है जो किसी चुनावी विवाद के मामले में अन्तिम निर्णय पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। परिण ाामस्वरूप, इस विधेयक में दो सदस्यीय अधिकरण का प्रस्ताव है। इसका चैयरमैन (अध्यक्ष) जिला-न्यायाधीश नहीं हो सकता। वह कोई अन्य न्यायिक अधिकारी हो सकता है परंतु होगा अधिकारी ही। सवाल यह है कि इस समय यह कल्पना करना मुश्किल है कि चुनाव अर्जियों की संख्या कम होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस देश के लोग राजनीति के प्रति अत्यधिक मंत्रमुग्ध हैं—राजनीति के प्रति उनमें लगभग सनक-सी है—मेरा अनुमान है कि चुनाव अर्जियों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। यदि ऐसा होता है और आप चाहते हैं कि अपीलों पर निर्णय करने वाली मशीनरी सरकारी हो, तो जिला-न्यायाधीशों की संख्या जो आज उपलब्ध हो सकते हैं, इस कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से अपर्याप्त होगी। यही कारण है कि दूसरे सदस्य को न्यायिक अधिकारी कहा गया है। वह जिला-न्यायाधीश के दर्जे का नहीं हो सकता। इसके अलावा यह व्यवस्था की गई है कि विभिन्न प्रान्तों के उच्च न्यायालय ऐसे वकीलों (अधिवक्ताओं) की सूची तैयार करें जो उच्च न्यायालय के मतानुसार पर्याप्त रूप से अर्हक एवं विश्वसनीय माने जाएं

ताकि उन्हें इस अधिकरण के सदस्यों के रूप में रखा जा सके। यह पुनः इस मान्यता पर आधारित है कि अर्जियों की संख्या इतनी अधिक हो सकती है कि न्यायिक सदस्य भी इसके लिए कम पड़ सकते हैं (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा कि हम अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ रोजगार रखें क्योंकि उन अनेक टिप्पणियों के बावजूद जो मैं सुनता रहा हूँ, मैं यूं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि सभ्यता का अस्तित्व अधिवक्ताओं से ही संभव है। कानून किसी भी सभ्यता की नींव होता है।

जैसा कि मैंने कहा, इस विधेयक में यह उपबंध है कि यदि अधिकरण में मतभेद हो जाता है तो निर्देश उच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक की दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यही है। मैं चुनाव अर्जियों संबंधी कानून से भली-भांति परिचित नहीं हूँ। मेरा इनसे बहुतु अधिक सम्बन्ध नहीं रहा है। जो कुछ भी थोड़ा अनुभव मेरे पास है, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह कानून बहुत ही अनिश्चित स्थिति में है। आप यह निश्चित तौर पर कभी नहीं कर सकते कि किसी चुनाव अर्जी के निपटारे के तरीके क्या होंगे। आप कभी भी निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि किसी चुनाव को किन आधारों पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आप कभी निश्चित नहीं हो सकते कि किन आधारों पर किसी विशेष उम्मीदवार के चुनाव की घोषणा की जाएगी। वर्तमान कानून के अंतर्गत आप कभी निश्चित नहीं हो सकते कि किन-किन मामलों में न्यायालय प्रत्यारोप की दलील को सुन सकते हैं। इसलिए इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैंने पर्याप्त समय और ध्यान दिया है और मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खड 93, 95 तथा 96 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिनमें वे पाएंगे कि इस स्थिति को यथासंभव स्पष्ट कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि अधिकरण तथा चुनाव लड़ने वाले स्वयं उम्मीदवारों दोनों के लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा।

अब मैं भ्रष्ट तथा अवैध व्यवहार के कानून पर आता हूँ। यहाँ फिर यह कानून अलग-अलग स्थानों पर बिखरा हुआ है। मैंने भ्रष्ट व्यवहार तथा अवैध व्यवहार संबंधी इन सभी उपबंधों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया है और इन्हें धारा 122 से आगे संहिताबद्ध पाएंगे। जहाँ तक भ्रष्ट आशय का प्रश्न था, हमारा यह कानून कुछ हद तक दोषपूर्ण था। इस कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भ्रष्ट व्यवहार की स्थिति में किस आचरण को भ्रष्ट घोषित करना आवश्यक है। अवैध व्यवहार के संबंध में आशय का तो कोई सवाल ही नहीं है; यह आचरण बुरा माना ही जाता है; परंतु भ्रष्ट आचरण के संबंध में अपराधी का पता लगाने के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि आशय भ्रष्ट था। जब चुनाव चल रहा हो उस समय आप अपने मित्र को रात्रि भोज या मध्याह्न भोज पर बुला सकते हैं। आपका प्रतिद्वन्द्वी कह सकता है कि आपने उसे भ्रष्ट कर दिया है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की दलील ठहर सकती है। किन्तु वर्तमान कानून के अंतर्गत यह परन्तुक नहीं था और मैंने इस पूरी बात को स्पष्ट करने

की कोशिश की है क्योंकि मुझे पता चला है कि आंग्लविधि में भी यह उपबंध है कि भ्रष्ट आचरण में भ्रष्ट आशय होना आवश्यक है।

मुझे मालूम है कि सदन यह जानने के लिए ज्यादा उत्सुक है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करनें के लिए इस विधेयक में क्या उपबंध किए गए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सभी की इच्छा है और इसीलिए मैं सदन के समक्ष उन उपबंधों को रखता हूँ जो स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों से संबंधित हैं और जिनका आश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना है।

(1) चुनाव के दिन तथा चुनाव के ऐसे दिन के पूर्ववर्ती दिन सभी चुनावी बैठकों (सभाओं) पर रोक लगा दी गई है। हमने सोचा है कि मतदान केन्द्रों पर जाने से पहले मतदाताओं एवं उम्मीदवारों को दो शांतिपूर्ण रातें देना वांछनीय होगा।

(2) चुनाव-सभाओं में गड़बड़ी करने के लिए शास्ति की व्यवस्था की गई है, जो मेरे विचार में बहुत वांछनीय है।

(3) किसी चुनाव के संबंध में किसी ड्यूटी को पूरा करने वाले अधिकारियों एवं पुलिस पर उम्मीदवारों के लिए काम करने या मतदाताओं को प्रभवित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह खंड 124 में दिया गया है।

(4) मतदान केन्द्रों में और उनके आसपास प्रचार पर प्रतिषेध लगा दिया गया है।

(5) मतदान केन्द्रों में या उनके आसपास मेगा-फोन या लाउडस्पीकार के उपयोग या चिल्लाने जैसे गड़बड़ी फैलाने वाले आचरण के लिए शास्ति की व्यवस्था की गई है।

(6) यह एक महत्वपूर्ण बात है। मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने या वहाँ से वापस ले जाने के लिए वाहनों को किराए पर लेने या प्राप्त करने को दण्डनीय बना दिया गया है।

(7) चुनावों के संबंध में सरकारी ड्यूटी भंग किए जाने को दण्डनीय बना दिया गया है।

(8) मतदान केन्द्र से मतपत्रों को ले जाने को भी अपराध बनाया गया है।

(9) प्रतिरूपण (वेश बदलना) को पूरे देश में एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है, और आप देखेंगे कि इस विधेयक में और भी उपबंध हैं। यह भी उपबंध है कि प्रत्येक मतदाता को अमिट स्याही से अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। मुझे आशा है कि स्याही अमिट होगी क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति के नाम पर दूसरा मत डालने की घटना

नहीं होगी। हमारे पास अत्यधिक मतदाता हैं और प्रतिरूपण का पता लगाना बहुत ही मुश्किल–भरा काम होगा। इसकी सुरक्षा करने का एकमात्र तरीका यह है कि निशान लगाने का कोई ऐसा तरीका ढूँढा जाए जिससे कि जब मतदाता मतदान करने आए तो मतदान अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाए कि उसने पहले मतदान नहीं किया है।

इस विधेयक में साधारण उपबंध भी हैं। मैं देख रहा हूँ कि सदन के पास समय बहुत ही कम है। इस विधेयक को देखते हुए सदन को इस बात से राहत मिल सकती है कि हमारे पास बहुत बड़ी प्रवर समिति है। मैं नहीं समझता कि किसी विधेयक के मामले में इतनी बड़ी प्रवर समिति रही हो।

एक माननीय सदस्य : हिन्दू कोड को छोड़कर।

डॉ. अम्बेडकर : यदि मुझे ठीक याद है तो वह भी बहुत छोटी प्रवर समिति थी, किन्तु इस समिति में लगभग 31 सदस्य हैं।

एक माननीय सदस्य : वयस्क मताधिकार?

डॉ अम्बेडकर : मैंने लगभग वयस्क मताधिकार दे दिया है, दूसरे, जैसे मैंने कहा था, इसमे नीतिगत कोई प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है। ये प्रश्न केवल उन विधियों के प्रश्न हैं जो चुनाव में निष्पक्षता के लिए लानी हैं और परिणामस्वरूप, मैं यह प्रस्ताविक नहीं करता। जब सुझाव पर किसी प्रकार की आपत्ति उठाने के लिए जब प्रवर समिति की बैठक होगी। यह एक खुला मंच होगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वे सदस्य भी जिन्हें प्रवर समिति में शामिल नहीं किया गया है, कोई सुझाव व्यक्तिगत तौर पर सीधे मुझे या प्रवर समिति को भेज सकते हैं। मैं इन सुझावों को प्रवर समिति के समक्ष रखूँगा और देखूँगा कि उन पर उचित ध्यान दिया जाए। महोदय, मैं पेश करता हूँ।

***प्रो रंगा :** ....महोदय, मैं यह अनुभव करता हूँ कि सदस्य को इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि वह कौन–सी सीट चाहता है और यदि यह घोषणा नहीं भी कर पाए, तब उस चुनाव को परिणाम जिसे पहले घोषित किया गया हो, उस सीट को वह सीट माना जाना चाहिए जिस पर उसका निर्वाचन हुआ है।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा है, उसे केवल निर्धारित अवधि के अन्दर त्यागपत्र देना होगा।

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 22 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2295

(25)
*माँग सं. 13—विधि मंत्रालय

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव है :

"कि अनुपूरक राशि, जो रुपये 15,93,000 से ज्यादा न हो, राष्ट्रपति को दे दी जाए ताकि वे उन प्रभारों को चुका सकें जो 'विधि मंत्रालय' के संबंध में 31 मार्च, 1951 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के समय सामने आएंगे।"

श्री कामथ : इस अनुपूरक माँग के बारे में, पिछले सत्र में इसकी चर्चा के मध्य में, संसद सत्र समाप्त हो गया और डॉ. अम्बेडकर को उस समय सदन के समक्ष रखी गई इस विशेष माँग के संबंध में उत्तर देना था। पाद टिप्पण (फुटनोट) में कहा गया है कि यह अधिकता इसलिए है कि बजट सत्र के बाद विधि मंत्रालय के अन्तर्गत एक केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है ताकि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से मामलों को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सके। इस व्यय में भारत सरकार तथा भागीदार राज्यों की सरकारों की हिस्सेदारी होगी। डॉ. अम्बेडकर को याद होगा कि उन्हें उस समय उठाए गए इस विशेष प्रश्न का उत्तर देना था लेकिन संसद उस दिन के लिए उठ गई थी और इस प्रकार यह माँग सदन के समक्ष नहीं रखी जा सकी। मैं आभारी रहूँगा यदि डॉ. अम्बेडकर बजट पारित होने के बाद बनाए गए इस अभिकरण के बारे में कुछ जानकारी दें, विशेषकर इस मामले में कि अन्य सरकारों से वसूली कैसे की जाएगी। कितनी राज्य सरकारें इस अभिकरण को अंशदान दे रही हैं और उनका अनुपात क्या है, और इस बनाए गए केन्द्रीय अभिकरण द्वारा इस वस्तुतः क्या-क्या कार्य किए जाने हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है वस्तुतः मैं आश्वस्त हूँ—कि इस सत्र के दौरान मेरे सामने दो प्रश्न रखे गए थे, एक प्रश्न श्री राज बहादुर द्वारा रखा गया था और दूसरा श्री काज़मी द्वारा और इन दो प्रश्नों के उत्तर के समय मैंने इस बिन्दु पर पूरी जानकारी दे दी है। यदि मेरे माननीय मित्र मेरे उत्तरों को देखने का कष्ट करें तो उन्हें वह सारी जानकारी मिल जाएगी जो उन्हें चाहिए।

श्री हुसैन इमाम : क्या वे लिखित उत्तर थे या मौखिक?

डॉ. अम्बेडकर : वे मौखिक उत्तर थे परन्तु वे कार्यवाही के रिर्कार्ड में मिल जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो मैं उन्हें अपनी प्रति दे दूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : यह कार्यवाही में दिया हुआ है।

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 21 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2178-79

खंड-IV

9 फरवरी, 1951
से
21 अप्रैल, 1951 तक

खंड-IV

विषय-सूची

(26)
*दंतचिकित्सक (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ हैं, अतः इस विधेयक की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गयी है। इसलिए मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1950 का संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक बहुत छोटा है तथा इसमें किसी प्रकार के विवादास्पद मामले शामिल नहीं है। वर्ष 1948 का दंत चिकित्सक अधिनियम 29 मार्च, 1948 को लागू हुआ था। इसे भाग–क, भाग 'ग' और भाग 'घ' राज्यों में लागू किया गया था। उस अधिनियम की धारा 49 में यह उपबंध है कि 28 मार्च, 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति दंत चिकित्सा को व्यवसाय के तौर पर अपनाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अनुसार उसका नाम दंत चिकित्सकों के रजिस्टर में दर्ज न हो और इस रजिस्टर को इस अधिनियम में दिए गए नियमों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। आशा थी कि यह रजिस्टर 28 मार्च, 1950 तक तैयार हो जाएगा। परिणामस्वरूप इस अधिनियम का क्रियात्मक अंश इस प्रकार बनाया गया कि यह 28 मार्च, 1950 से लागू हो। दुर्भाग्यवश, यह प्रत्याशा पूरी नहीं हुई। विभिन्न राज्यों से सूचना मिली कि यह रजिस्टर 28 मार्च, 1950 तक तैयार नहीं हो पाएगा और इसके परिणामस्वरूप इस अवधि को एक वर्ष और बढ़ाना आवश्यक हो गया ताकि संबंधित राज्य यह रजिस्टर तैयार कर सकें। चूंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, अतः सरकार ने अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से आवश्यक उपबंध को प्रभावी बनाते हुए इस अवधि को 28 मार्च, 1961 तक बढ़ा दिया गया। यह विधेयक इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने के लिए लाया गया है। अतः मुख्य उपबंध यह है कि इस रजिस्टर को बनाने के लिए यह अवधि बढ़ा दी जाए।

मौजूदा अवसर का उपयोग इस कानून में संशोधन करने के लिए भी किया गया है ताकि उन कुछ कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो इस मूल अधिनियम को लागू करते समय सामने आई हैं। प्रथमतः मूल अधिनियम में दो उपबंध थे। एक उपबंध यह था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस रजिस्टर में दर्ज न हो, उसे सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने की अनुमति न दी जाए। संभवतः यह आशा की गई थी कि यह उपबंध ऐसे रजिस्टरों के तैयार होने पर ही लागू होगा। चूंकि ये रजिस्टर तैयार नहीं हैं, अतः वे व्यक्ति, जिनके नाम इस रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं—इस कारण से नहीं कि वे अर्हक नहीं हैं अपितु इस कारण से कि रजिस्टर तैयार नहीं हुए हैं, सरकारी अस्पतालों

*सं. वा., खंड 4, भाग II, 11 अगस्त, 1950, पृष्ठ 841

में कोई पद धारित नहीं कर पाएंगे। अतः इस समयावधि को बढ़ाना तथा ऐसे व्यक्तियों को इस बात की अनुमति देना आवश्यक हो गया है कि इस रजिस्टर में उनके नाम दर्ज न होने पर भी वे अस्पतालों में नौकरी पा सकते हैं।

दूसरे, बंगाल में एक दंत चिकित्सा स्कूल है जो दंत चिकित्सा में डिप्लोमा प्रदान करता है। जब इस अधिनियम को पारित किया गया था उस समय यह विवाद था कि क्या बंगाल के इस दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा को मान्यता दी जाए ताकि डिप्लोमाधारी व्यक्तियों के नाम इस रजिस्टर में दर्ज किए जा सकें। यह महसूस किया गया कि बंगाल के दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा, रजिस्टर में उनका नाम दर्ज कराए जाने के उद्देश्य सेपर्यप्त रूप से अर्हक नहीं थे। इस दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमाधारी व्यक्तियों द्वारा इस असमर्थता को समाप्त करने के लिए काफी आंदोलन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस संबंध में एक समझौता सुझाया गया है जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने अपना डिप्लोमा वर्ष 1940 से पहले प्राप्त किया है, नाम कुछ शर्तों पर इस रजिस्टर में दर्ज करने के लिए अर्हक माने जाएंगे। इस समझौते को इस विधेयक में भी स्थान दिया गया है।

अतः इस विधेयक में तीन उपबंध अंतर्विष्ट हैं :

(1) इस समयावधि को बढ़ाना; (2) कुछ परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों के जिनके पास बंगाल के दंत चिकित्सा स्कूल का डिप्लोमा है, नामों को इस रजिस्टर में दर्ज जाने की अनुमति देना; तथा (3) जब तक यह रजिस्टर तैयार न हो जाए, वर्ष 1951 तक सरकारी अस्पतालों में अपंजीकृत दंत चिकित्सकों का रोजगार जारी रखना।

इस विधेयक में यही सब कुछ शामिल है तथा मुझे आशा है कि सदन को इस विधेयक को अपनी स्वीकृत देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : सबसे पहले मैं इस अध्यादेश को जारी करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूँ क्योंकि मार्च माह में सदन की बैठक चल रही थी।

डॉ. अम्बेडकर : यह अध्यादेश मई में किसी समय जारी किया गया था। काश! मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठाए गए मुद्दों को उन्होंने उस समय तक के लिए रोके रखा होता जब उनके संशोधनों पर विचार किया जाता। ऐसे मामलों में उत्तर देना निस्सन्देह कुछ परेशानी भरा होगा। तब वे फिर उठाएंगे जब उनके संशोधन पेश किए जाएंगे। लेकिन अब मेरे पास उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं

का उत्तर देने के अलावा कोई चारा नहीं है; किन्तु मैं इनका उत्तर संक्षिप्त रूप से दूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे कहना पड़ेगा कि...........

माननीय अध्यक्ष : मैं इन संशोधनों पर किसी प्रकार की बहस की अनुमति देना नहीं चाहता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि मेरे माननीय मित्र मेरे द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसे पेश नहीं करूंगा।

डॉ. अम्बेडकर : श्री सिधवा ने एक या दो मुद्दे उठाए हैं। उनके द्वारा उठाया गया अंतिम मुद्दा यह था कि जब सदन की बैठक चल रही थी तब अध्यादेश क्यों जारी किया गया। इसके दो उत्तर हैं। पहला यह कि इस रजिस्टर को तैयार करने के लिए समयावधि में विस्तार करने संबंधी मामले में भारत सरकार से जो प्रथम अनुरोध किया गया था, वह मद्रास सरकार द्वारा किया गया था और वह भी 15 मार्च, 1950 को या उसे बाद में इसका अर्थ यह है कि इस रजिस्टर को तैयार करने में लगने वाली समयावधि को समाप्त होने में केवल 13 दिन शेष बचे थे। यह पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि मद्रास सरकार से इस पत्र की जिसमें भारत सरकार को सूचित किया गया था कि इस रजिस्टर को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं है, प्राप्ति के बाद स्वाभाविक तौर पर भारत सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह अन्य राज्यों से यह पता लगाए कि क्या वे निर्धारित तारीख तक अपनी सूची तैयार करने की स्थिति में हैं, अथवा उन्हें भी इस समयावधि में कुछ विस्तार चाहिए। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद भारत सरकार और अन्य विभिन्न राज्यों के बीच पत्राचार चला।

निःसंदेह, उसमें काफी समय लगा, और उसमें समय लगना भी था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब तक भारत सरकार ने उत्तर प्राप्त किए और वह यह मूल्यांकन कर सकी कि क्या मद्रास सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों के अनुसार संशोधन आवश्यक है, संसद का सत्र समाप्त हो गया। यही कारण है कि मध्यावकाश से पहले वह उपाय पेश नहीं किया जा सका।

मेरे मित्र श्री सिधवा द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा यह था कि उन्हें इसमें कोई कारण नजर नहीं आता कि बंगाल दंत चिकित्सा स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ अर्हताओं को मान्यता देने के लिए सांविधिक उपबंध क्यों किया ना जाए। उनके अनुसार, यह ऐसा मामला था कि जिसे इस अधिनियम के अनुसार दंत चिकित्सा परिषद के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मैं सोचता हूँ कि मेरे मित्र श्री सिधवा ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा छोड़ दिया है और वह यह है कि परिषद को मान्यता प्रदान करने का अधिकार उन अर्हताओं या डिग्रियों से संबंधित है जो विद्यमान स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती हैं परंतु जिस मामले में हम जुड़े हुए हैं वह एक ऐसा मामला है जिसमें डिग्रियां अथवा डिप्लोमा एक ऐसे

निकाय द्वारा प्रदान किए गए हैं जिसने कार्य करना बंद कर दिया है। परिणामस्वरूप यह मौजूदा सरकार की जिम्मेदाी है कि वह यह निर्णय ले कि दंत चिकित्सा में शिक्षा देने वाले एक स्कूल द्वारा प्रदान की गई डिग्रियां मान्यता योग्य हैं भी या नहीं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे धारा 10 की उप-खंड (2) के अंतर्गत बंगाल की परिषद पर छोड़ दिया जाए। शब्द "प्रदान करता है" है जिसका अभिप्राय है "जो इस समय भी प्रदान कर रहा है", और वे डिप्लोमा नहीं जो पहले प्रदान किए जा चुके हैं। ऐसा होने के कारण यह मामला ऐसा नहीं हो सकता जो दंत चिकित्सा परिषद की शक्तियों के अधीन उस पर छोड़ दिया जाए और यदि हमें इस अनुसूची में संशोधन करना पड़े तो भी इसे कानून के द्वारा ही किया जाए। यही कारण है कि इस विधेयक में कानूनी उपबंध किया गया है ताकि इस विशेष मामले को इसमें शामिल किया जा सके।

अब बंगाल दंत चिकित्सक स्कूल के बारे में मैंने जो कहा है वह उस प्रश्न पर भी लागू होता है जिसे मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उठाया था।

अब, मैं श्री कामथ द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आता हूँ। उनके द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा कमोवेश तकनीकी था। यदि मैंने उनकी बात सही समझी है तो उन्होंने कहा था कि कानूनी दृष्टि से रजिस्टर 28 मार्च, 1950 तक तैयार होना चाहिए था और यदि किसी व्यक्ति का नाम इस रजिस्टर में दर्ज नहीं है तो धारा 46 और 49 के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध कुछ दंड लगाए जाते हैं, जबकि वह अध्यादेश जिससे संबंधित व्यक्ति को इन दंडों से छूट मिलती है, 29 मई, 1950 से लागू हुआ। इस प्रकार अब दो माह की अवधि बचती है जिसमें यदि किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है और फिर भी चिकित्सा व्यवसाय जारी रखता है अथवा पदधारी है, उसके विरुद्ध कुछ दंड लगाए जा सकते थे। इन व्यक्तियों की स्थिति क्या है? मैं सोचता हूँ कि मेरे मित्र श्री कामथ ने यदि इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन की शर्तों को स्पष्ट रूप से पढ़ा होता तो उन्होंने देखा होता कि ये उपबंध कहते हैं कि :

"उपर्युक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (3) और धारा 49 की उप-धारा (1) में 'दो वर्ष की अवधि' शब्दों के स्थान पर 'तीन वर्ष की अवधि' शब्द रखे जाएंगे और हमेशा प्रतिस्थापित माने जाएंगे।"

अतः यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा वर्तमान खंउ में समुचित रूप से आ गया है।

श्री कामथ : मेरा मुद्दा यह था कि यदि मार्च, 29 से मई, 29 तक इन दो माहों के दौरान किसी दंत चिकित्सक का नाम इस रजिस्टर में दर्ज किया गया है, तो इस अधिनियम के अधीन और चूंकि यह अध्यादेश लागू नहीं हुआ था, तब सरकार से मात्र एक कार्यकारी अनुदेश प्राप्त होने पर अभियोजन को अथवा दंत चिकित्सक पर लगाए जा रहे कुछ अन्य दंड को कैसे रोका जा सकता है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इससे अभियोजन रुक नहीं सकता। किन्तु भाग्यवश ऐसा कोई मामला नहीं घटा है तथा अब यह घट भी नहीं सकता चूंकि वह अवधि मूल अधिनियम से पीछे रह गई है।

श्री कामथ : किन्तु तब महोदय.........

माननीय अध्यक्ष : *ऑर्डर ऑर्डर।* अब यह मुद्दा एक बहुत स्पष्ट है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे मित्र श्री कामथ ने इस विधेयक को सदन में लाने के कारणों पर विचार करते हुए, यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति है, कुछ काफी गंभीर अभिकथन किए हैं। सरकार की ओर से प्रति विरोध यह है कि यह विधेयक लाना इसलिए आवश्यक हो गया कि ऐसे राज्य जिनसे सूची तैयार करने संबंधी उपबंधों को कार्यान्वित करना अपेक्षित था, अब तक ये कार्य नहीं कर सके हैं। मेरे मित्र का सुझाव है कि इसके पीछे एक और कारण भी है और वह कारण यह है कि इस देश में कुछ ब्रिटिश दंत चिकित्सक भी कार्य कर रहे हैं जो स्वयं को अधिवासी नहीं बनाना चाहते हैं, और स्वयं को पंजीकृत कराना नहीं चाहते हैं तथा यह विधेयक उन्हें लाभ देने के लिए बनाया गया है। अब, यह बात मेरी समझ से बाहर है एक ब्रिटिश दंत चिकित्सक जिसका इस देश में अधिवासी बनने का कोई इरादा नहीं है, इस समयावधि में एक वर्ष के विस्तार से उसे कैसे लाभ पहुँचेगा। मैं यह समझ नहीं सकता। किन्तु यदि मेरे मित्र अपने इस सुझाव पर अड़े रहते हैं, जो कि सरकार के एक माननीय सदस्य पर बहुत ही गंभीर आरोप है, तब उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि जब वह सदस्य वापस आए तो उसके सामने यह प्रश्न रखा जाए और उनसे उनका उत्तर माँगा जाए कि क्या इस विशेष विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे वास्तव में यही उद्देश्य था। मैं कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता, किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सरकार का एक माननीय सदस्य एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का साहस करेगा जिसका उद्देश्य और कुछ न होकर मात्र इतना हो कि इस देश में एक अथवा दो यूरोपीय दंत चिकित्सकों को लाभ पहुंचाया जाए। मुझे यह अभिकथन एकदम बेतुका लगता है।

श्री कामथ : मैंने यह नहीं कहा कि यही एक उद्देश्य है, यह भी एक उद्देश्य हो सकता है।

माननीयस अध्यक्ष : किन्तु अब भी यह सुझाव बहुत अहितकर है।

डॉ. अम्बेडकर : उस मुद्दे पर भी मैं उनका ध्यान उनके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के कि ऐसे सभी राज्यों की मौजूदा स्थिति बताओ, जिन्हें यह बताने के लिए लिखा गया था कि उन्हें यह रजिस्टर तैयार करने में कितना समय लगेगा, उत्तर की ओर दिलाना चाहूंगा। राज्यों ने उत्तर दिया है कि उन्हें इस काम को करने में कम से कम एक वर्ष लगेगा। और बम्बई सरकार, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वहां प्रशासनिक

तंत्र राज्यों की तुलना में अधिक दक्ष है, ने भी जोर दिया है कि इस काम के लिए उन्हें दो वर्ष दिए जाने चाहिएं। मेरे ख्याल से मेरे मित्र श्री कामथ के इस सुझाव को निरस्त करने के लिए इतना ही काफी होगा कि यह विधेयक इस देश के कुछ अंग्रेजों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

मैं नहीं सोचता कि कोई भी ऐसा मुद्दा है जो उठाया गया हो और अपना उत्तर देते समय मैंने जिसके बारे में उल्लेख न किया हो। यह विधेयक अत्यन्त साधारण; अविवादास्पद विधेयक है। यह केन्द्रीय सरकार की गलती के कारण नहीं उठा है अपितु प्रांतीय सरकारों द्वारा वहन किए गए अन्य बोझों के कारण उठा है कि वे इस अधिनियम के एक विशेष उपबंध को लागू करने के लिए समय नहीं निकाल सके। मैं नहीं समझता कि इस सिवाय इसके और कुछ कर सकते हैं कि कानून के इस अंश को प्रभावी बनाने के लिए प्रांतीय सरकारों की सहायता करें और दंत चिकित्सक अधिनियम को यथाशीघ्र लागू करें।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है कि :

"दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए इस विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

विधेयक में खंड 2 जोड़ा गया।

खंड 3 (1948 के अधिनियम XVI की धारा 46 और धारा 49 में संशोधन)

श्री कामथ : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

"दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 46 की उप-धारा (3) और धारा 49 की उप-धारा (1) के प्रस्तावित संशोधन में, खंड 3 में, तीन वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष और 6 माह रखा जाए।"

वर्तमान खंड को इसलिए जोड़ा गया है ताकि राज्य सरकारें इस अधिनियम, की धारा 46 और 49 के अधीन दंत चिकित्सकों का अपना रजिस्टर पूरा कर सकें। यह एक भूतलक्षी विधान है। ऐसी अवस्था में इस खंड में प्रयुक्त शब्द हैं "और इन्हें हमेशा प्रतिस्थापित हुआ समझा जाएगा।" एक बात मेरी समझ से बाहर है कि कुछ सौ दंत चिकित्सकों का नाम इस रजिस्टर में दर्ज करने के लिए इतने अधिक समय की क्यों आवश्यकता है। इसलिए मैं मंत्री से पुन: पूछना चाहता हूँ कि दिनांक 29 मार्च, 1950 तक कितने दंतचिकित्सक रजिस्टर होने शेष है और प्रक्रिया की क्या स्थिति है। यह जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है जिससे हम जान सकें कि रजिस्टर तैयार करने में कितना समय लगेगा। क्यों एक साल की मांग जरूरी है। यदि ये संख्या उपलब्ध हो जाती है तो हमें कितना समय चाहिए। इसके अभाव में किसी निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत कठिन है।

डॉ. अम्बेडकर : यह राय का विषय है। मेरे मित्र श्री कामथ, जिनमें अत्यधिक ऊर्जा है और जिनका प्रशासिनक अनुभव भी काफी है, निस्संदेह यह सोचते हैं कि रजिस्टर को पूरा करने के लिए 6 माह काफी होंगे। जैसा कि सदन को अभी बता चुका है, बम्बई जैसी कार्यकुशल सरकार ने भी दंत चिकित्सकों का नाम इस रजिस्टर में दर्ज करने के लिए दो वर्षों की माँग की थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोचता हूँ कि रजिस्टर तैयार करने का दायित्व प्रांतीय सरकारों का है और इस तथ्य के मद्देनजर यह वांछनीय है कि इस सदन को उस चीज का अनुसरण करना चाहिए जो इस विषय पर प्रांतीय सरकारें व्यवहार्य सोचती हैं। वस्तुत: इनमें दो वर्ष, जैसा कि बम्बई सरकार ने माँग की थी, के स्थान पर इस अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया है। हम एक वर्ष की अवधि के पक्ष में हैं जो मद्रास सरकार का मूल प्रस्ताव था। मैं नहीं सोचता कि इस विधेयक में दी गई अवधि को कम करना हमारे लिए संभव है।

श्री कामथ : मैं यह मान लेता हूँ कि माननीय मंत्री के पास आंकड़े नहीं हैं।

डॉ. अम्बेडकर : कोई आंकड़े नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : यदि रजिस्टर पूरे नहीं हैं, तो वे सही आंकड़े कैसे दे सकते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इस संबंध में कोई रजिस्टर नहीं है और किसको पता है कि कौन दंत चिकित्सक है और कौन नहीं।

श्री कामथ का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

श्री सिधवा : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ।

खंड 3 को खंड 3 के उप-खंड (1) के रूप में याद रखें एवं निम्नांकित नया उप-खंड (2) जोड़ें : (2) उक्त अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) में 'तीन वर्षों' शब्दों के बाद 'इस अधिनियम के शुरू होने से या धारा 32 के अन्तर्गत औपचारिकताओं के पूरा होने पर, दोनों में, जो भी पहले हो', शब्द जोड़े जाएंगे।

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि मेरे मित्र श्री सिधवा ने कहा है यह संशोधन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रभावित करता है, जो इस खंड के उपबंधों का आधार है, अर्थात् रजिस्टर संपूर्ण भारत में एक ही दिन प्रभावी होना चाहिए। यह मात्र शैक्षणिक रुचि का विषय नहीं है............

श्री सिधवा : क्या यह इस अधिनियम में अधिकथित किया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : तभी हमने शुरू से अब तक तीन अथवा दो वर्ष ही कहा है। अन्यथा हम भिन्न राज्यों के लिए भिन्न तारीखें निर्धारित करते। एकरूपता के सिद्धांत को बनाए रखना आवश्यक और वांछनीय है। सदन देखेगा कि यह पदधारण की पात्रता करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति एक विशेष राज्य में पदधारण के

लिए पात्र है तथा दूसरे राज्य में नहीं, केवल इसलिए कि वह राज्य रजिस्टर तैयार कर सका है। अतः मैं सोचता हूँ कि चूंकि सिद्धांत को बनाए रखना वांछनीय है। अतः मैं श्री सिधवा के संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिरकार अंतर केवल छह माह का है।

श्री सिधवा : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

संशोधन अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है कि :

"खंड 3 इस विधेयक का अंश बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 3 इस विधेयक में जोड़ा गया।

(उपाध्यक्ष पीठासीन)

खंड 4 (1948 के अधिनियम XVI, अनुसूची का संशोधन)

श्री त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग ए की प्रस्तावित मद (2क) के स्थान पर, खंड 4 में, यह प्रतिस्थापित किया जाए : "(2क) कोई अन्य संस्थान जो दंत चिकित्सा में शिक्षा अथवा व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है, जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय दंत चिकित्सक परिषद से परामर्श करके इस प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों पर जो सरकार इसके लिए विहित करना ठीक समझे, मान्यता प्रदान कर सकेगी।"

मैं यह स्वीकार करना चाहूँगा कि डॉ. अम्बेडकर दृढ़ निश्चयी हैं। वह अपने भाषण में पहले कह चुके हैं कि इस उप-खंड में वर्णित संगठन निष्क्रिय था, जबकि दंत चिकित्सकों की परिषद के एक सदस्य ने मुझे बताया कि इस संस्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और यह समिति इसकी कार्यप्रणाली पर पहले ही कार्य कर रही है। मैं इस संस्थान की निंदा नहीं करना चाहता। मैं यह नहीं जानता कि इसका स्तर कैसा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। अतः मैं इस संस्थान की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। किन्तु चूंकि जाँच चल रही है, बजाए इसके कि सारी संसद इस संस्थान को मान्यता प्रदान करे; बेहतर होगा कि सरकार यह अधिकार अपने हाथों में रखे कि यह निर्णय लिया जाए कि.............।

डॉ. अम्बेडकर : हम इस संस्थान को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हम इस संस्थान द्वारा 1940 में अर्थात् 8 वर्ष पहले प्रदान की गई डिग्रियों पर विचार कर रहे हैं।

श्री त्यागी : डॉ. अम्बेडकर मुझसे आशा करते हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करूँ कि संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों को तो मान्यता प्रदान की जाए, भले ही संस्थान को स्वयं मान्यता प्राप्त न हो। अमुक-अमुक वर्ष में प्रदान की गई कलकत्ता विश्वविद्यालय की डिग्रियों को भारतीय सिविल सेवा अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए मान्यता दी जा सकती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है। क्या तर्क है। यहाँ मैं उन्हें अधिक शक्तियां दे रहा हूँ। मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि वे उस संस्थान को मान्यता भी प्रदान कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सरकार के पास ऐसी शक्तियां हों कि वह किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान कर सके...........।

डॉ. अम्बेडकर : वह शक्ति धारा 10(2) में विद्यमान है।

श्री त्यागी : महोदय, मैं कोई संशोधन नहीं रख रहा हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहूँगा :

"दंत चिकित्स अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग-I की प्रस्तावित मद (2क) में, खंड 4 में "मार्च, 1940" के बाद आने वाले सभी शब्दों को हटा दिया जाए।"

अतः, जब आपने सभी अन्य को प्रैक्टिस के आधार पर दंत चिकित्सकों के रूप में मान्यता दे दी है तब प्रैक्टिस का यह सिद्धांत इन आठ या दस आदमियों के मामले में भी लागू होना चाहिए। अतः, मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या मैं इस संशोधन के प्रति माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जान सकता हूँ?

डॉ. अम्बेडकर : यही खंड ऐसा खंड है जो वास्तविक रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए सुझाव को कार्यान्वित करता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं यह महसूस करता हूँ, तथापि मेरी अधिक सहानुभूति मेरे मित्र श्री भार्गव के साथ होगी, इसमें एक दंत चिकित्सक की अर्हता के मूल्यांकन का प्रश्न शामिल है जो एक ऐसे व्यक्ति से जो नकली दांत बनाता है, भिन्न है। मैंने यह सोचा कि वे नकली दांत बनाने वाले व्यक्ति के प्रति काफी वाकपुट हैं। ऐसा व्यक्ति जो नकली दांत बनाता है, जरूरी नहीं कि वह दंत चिकित्सक भी हो। हम दंत चिकित्सक की बात कर रहे हैं जो एकदम अलग व्यवसाय है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु उनके पास एल.डी.एससी. की डिग्री है।

डॉ. अम्बेडकर : मुद्दा यह है कि जब यह अधिनियम पारित किया गया था, तब इस संस्थान को मान्यता प्रदान करने योग्य नहीं समझा गया था। तदुपरांत इस संबंध में

काफी आन्दोलन हुआ और पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति की जाँच करने का निर्णय लिया कि क्या इस कालेज में शिक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त करने योग्य है। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि वर्ष 1940 से पहले इस संस्थान द्वारा अपनाए जाने वाले मानक ऐसे थे कि इन पर मान्यता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने पुनः कहा कि हालांकि स्तर बनाये रखा जाता था फिर भी यह पता लगा कि बहुत से लड़के बिना कुछ सीखे कुछ सत्रों में उपस्थित हुए और कुछ शर्तें पूरी कीं। अतः दो अतिरिक्त अर्हताएं आरंभ की गईं कि उसे न केवल 1940 से पहले डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए बल्कि उसने कॉलेज का छात्र होने के नाते कुछ शर्तें भी पूरी की हों। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह था कि अर्हता वास्तविक और मान्यता योग्य हो इसी कारण ये प्रतिबंध लगाए गए। अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करने के बजाय मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयं को पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में सौंपने को तैयार हूँ जो इस मामले को बेहतर जानती है तथापि, मेरी सहानुभूति दंत चिकित्सकों के साथ है।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : इस अनुच्छेद के शब्द इस प्रकार हैं कि "राष्ट्रपति किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोननार्थ विशेषकर........इत्यादि" "विशेषकर" का तात्पर्य यह नहीं है कि उनके पास साधारण शक्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : "कोई कठिनाई" तथा "विशेषकर" शब्दों को छोड़कर माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को जहां तक मैं समझा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अनुच्छेद 392 का अर्थान्वयन राष्ट्रपति को भारत शासन अधिनियम के उपबंधों से संविधान के उपबंधों में संक्रमण को प्रयोजनार्थ अनुकूलन करने के लिए सशक्त करने के रूप में करते हैं। मुद्दा सारतः यही है।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह गलत व्याख्या है। मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाया गया मुद्दा यह है कि अनुच्छेद 392 के अन्तर्गत केवल एकमात्र शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है, वह भारत शासन अधिनियम, 1935 की किसी धारा के अनुकूलन तक सीमित है ताकि इसे संविधान के उपबंधों के समनुरूप बनाया जा सके। मेरा कहना यह है कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 392 के आरंभिक शब्द बिल्कुल सामान्य हैं, अर्थात् "राष्ट्रपति किसी कठिनाई को दूर करने के लिए है" और उसके बाद "विशेषकर इत्यादि" आता है। मान लीजिए आप "भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों से संक्रमण के संबंध में "विशेषकर" शब्द को हटा देते हैं तो ये शब्द इस प्रकार होंगे "राष्ट्रपति किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश द्वारा..........इत्यादि।"

---

(27)
*सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ:

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संशोधन के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के उद्देश्य तिहरा है। पहला उद्देश्य यह है कि इस सिविल प्रक्रिया संहिता को इस विधेयक के खंड 2 में विनिर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत पर लागू किया जाए। जैसा कि सदन को मालूम होगा, यह सिविल प्रक्रिया संहिता भाग 'क' राज्यों पर लागू होती है, यह भाग 'ख' राज्यों पर लागू नहीं होती। प्रत्येक भाग 'ख' राज्यों की अपनी-अपनी सिविल प्रक्रिया संहिता है और वह कमोवेश वैसी ही है जैसी कि भाग 'क' राज्यों पर लागू है फिर भी इसका अधिकार-क्षेत्र पृथक है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भाग 'ख' राज्यों के न्यायालयों की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रों के बारे में भाग 'क' राज्यों के न्यायालयों द्वारा पारित डिग्रियों के निष्पादन और सम्मनों को तामील करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। चूंकि हमारे संविधान के उपबंधों के अधीन भारत एकीकृत हो चुका है, अत: वादों एवं प्रक्रियाओं तथा डिग्रियों के निष्पादन के मामले में सिविल अधिकारिता निर्धारित करने के दृष्टिकोण से यह वांछनीय है कि एकल सिविल प्रक्रिया संहिता हो। यह उद्देश्य खंड 2 से पूरा हो जाता है।

इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह है कि कुछ ऐसे मामले हैं जो वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नहीं आते जैसे यह भाग 'क' राज्यों पर लागू होती है। उदाहरण के लिए, विदेशी न्यायालयों से प्राप्त विदेशी सम्मनों को तामील करने का कोई उपबंध नहीं है। इस प्रकार, जिन स्थानों पर यह संहिता लागू नहीं होती, उन स्थानों में सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिग्रियों के निष्पादन के लिए कोई उपबंध नहीं है। ठीक इसी तरह, ऐसे स्थानों पर, जहां यह संहिता लागू नहीं होती, राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिग्री के निष्पादन का माला भी सम्मिलित नहीं है। इसी तरह हमारी वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता में विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी कमीशन के कार्यान्वयन का उपबंध भी नहीं दिया गया है। इन मामलों के लिए व्यवस्था करने हेतु इन्हें इस संशोधन विधेयक के खंड 6, 8, 9 तथा 11 में रखा गया है जो उनसे संबंधित हैं। ये स्वयं इतने स्वत: स्पष्ट हैं कि मैं नहीं समझता कि इन नए खंडों के उद्देश्य को समझने के लिए माननीय सदस्यों को मेरी कोई टिप्पणी आवश्यक है।

सबसे महत्वपूर्ण खंड निस्संदेह खंड 12 है और यह इसी से संबंधित है और इस

---

*सं. वा., खंड 8, भाग II, 9 फरवरी, 1950, पृष्ठ 2627-32

बारे में मैं अपनी कुछ टिप्पणी देना चाहता हूँ। जैसा कि देखेंगे, खंड 12 धारा 83, 85, 86, 87 तथा 87-ख को प्रतिस्थापित करता है। ये धाराएं विदेशियों द्वारा, विदेशी शासकों, राजदूतों तथा दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध दावों से संबंधित हैं। अब केवल 86 तथा 87-ख धाराओं में ही परिवर्तन किए गए हैं। जहां तक धारा 86 का सवाल है, यह वास्तव में पुरानी धारा 86 है जिसमें कुछ मामूली परिवर्तन किया गया है। धारा 86 में जिस परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है, वह उप-खंड (2)(घ) में है। यह विदेशी शासकों को दिए गए विशेषाधिकार का अधित्याग करने से संबंधित है, अर्थात् उन पर वाद कुछ विशेष स्थितियों में ही तथा कुछ विशेष प्रक्रियागत नियमों को पूरा करने पर चलाया जाएगा। जो प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या धारा 86 के उपबंधों के अधीन आने वाला कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे विशेषाधिकार का अधित्याग कर सकता है और क्या इस तथ्य के बावजूद कि वह ऐसे विशेषाधिकार का अधित्याग करने को तैयार है, फिर भी इस सांविधिक उपबंध को परिशीलन किया जाना चाहिए। भारत में कुछ न्यायालयों ने इसे सही ठहराया है कि चूंकि यह प्रक्रियागत प्रकृति का सांविधिक विशेषाधिकार है, ऐसे विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता नहीं है कि वह इसका अधित्याजन कर दे और यह कि जो व्यक्ति वाद चलाना चाहता है, उसे विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। अब यह ज्यादा उपयुक्त या सही प्रतीत नहीं होता कि जिस व्यक्ति को विशेषाधिकार दिया गया है और वह चाहता है कि उसे उस विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है या वह उसका लाभ नहीं उठाना चाहता है तो उसे उस विशेषाधिकार का लाभ उठाने से रोक देना चाहिए। अतः इस मामले को सुलझाने के लिए इस उपबंध को लाया गया है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे यह विशेषाधिकार दिया गया है और वह चाहता है कि इस विशेषाधिकार का अधित्याजन कर दिया जाए, तो वह ऐसा कर सकता है।

धारा 86 के दूसरे खंड जिसमें कुछ परिवर्तन किया गया है और जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उप-खंड (4)(ख) है। हमने विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की पुरानी श्रेणियों में एक और श्रेणी को जोड़ा है, अर्थात् यह श्रेणी भारत में रहने वाले उच्चायुक्त की श्रेणी है। अब तक उच्चायुक्त की स्थिति कुछ-कुछ असंगत प्रकृति की थी। क्या वह राजदूत है? वह क्या है? वह किसका प्रतिनिधि है? क्या उसके पास वही विशेषाधिकार हैं जो विदेशी शासक के प्रतिनिधि के पास होते हैं? अतः एक बार फिर इस संदिग्धता को दूर करने के प्रयोजन से यह अनुभव किया गया है कि राजदूत को विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की श्रेणी में शामिल करना वांछनीय होगा। उदाहरण के लिए, हमारे राज्य-क्षेत्र में राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधि हैं जिन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है और जिन्हें कूटनीतिक दृष्टिकोण से वही हैसियत प्राप्त है जो राजदूतों की होती है, फलस्वरूप, उनके पदनाम में अंतर करने का कोई भी कारण हो सकता, वास्तव में, वे अपनी-अपनी सरकारों के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह उपयुक्त होगा कि उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए, जो किसी राजदूत को मिलता है।

पुरानी धारा 86 में परिवर्तन करने वाला दूसरा खंड 86, उप-खंड (4), उप-खंड (ग) है। यह कहता है कि विदेशी सरकारों के प्रमुख या उनके राजदूतों तथा उच्चायुक्तों को प्रदान किए गए विशेषाधिकार उनके परिजनों तथा उनके स्टाफ के ऐसे सदस्यों को भी दिए जाएँ जिन्हें भारत सरकार द्वारा जन-साधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया गया हो। अन्तरराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से, यहां एक बार फिर कोई एकरूपता प्रतीत नहीं होती। अन्तरराष्ट्रीय वकीलों के एक समूह ने यह माना है कि जब कभी आप किसी राजदूत को किसी विदेशी राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर उन्मुक्तता या विशेषाधिकार प्रदान कर देते हैं और ऐसा आप इस आधार पर करते हैं कि उसकी छोटी-सी कालोनी यहां पर लगभग उसके देश का ही प्रतिनिधित्व करती है, कानूनी दृष्टि से देखें, तो स्वयं उस व्यक्ति तथा उन एजेंटों जिनके माध्यम से वह इस देश में कार्यशील है, के बीच अन्तर करने का कोई आधार नहीं है। ऐसे भी अन्तरराष्ट्रीय वकील हैं जिन्होंने कहा है कि ये विशेषाधिकार हरेक को नहीं दिए जाने चाहिए लेकिन राज्य इस मामले में स्वतंत्र है कि वह किसे यह विशेषाधिकार दे और किसे नहीं दे। चूंकि अन्तरराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह मामला अभी तय नहीं हुआ है, अत: यह अनुभव किया गया है कि कानून के लिए सबसे बढ़िया रास्ता यही होगा कि केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति दे दी जाए कि वह यह अधिसूचित करे कि वह यह विशेषाधिकार किसको देना चाहेगी। इस खंड के अन्तर्गत भारत सरकार के विदेशी मामलों के विभाग के लिए यह संभव हो जाएगा कि वह इस बात का पता लगाए कि दूसरे देशों में क्या स्थिति है तथा इस देश में बृहत्तर राजनीतिक राय के मुताबिक उपयुक्त अधिसूचना जारी करे। हमने सिविल प्रक्रिया संहिता की पुरानी धारा 86 में यही परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है।

12.00 बजे दोपहर

अब मैं धारा 87-ख पर आता हूँ जिसमें मैं समझता हूँ अधिकांश सदस्य गहरी रुचि रखते हैं। धारा 87 पूर्ववर्ती देशी रियासतों के शासकों से संबंधित है। प्रश्न है कि क्या उन्हें भी कोई ऐसे विशेषाधिकार मिलने चाहिएं जो उन्हें वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त थे। स्पष्टत: चूंकि अब वे राजनीतिक एवं विधिक शब्दावली में शासक नहीं रहे हैं, अत: वे निस्सन्देह उस कानून के लागू होने से किसी प्रकार की उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते जो कानून इस देश के अन्य शेष नागरिकों पर लागू है। लेकिन सदन को ज्ञात होगा कि भारत सरकार, यदि मैं ऐसा कहूं, तो संविधान सभा दोनों ने ही जब संविधान उनके सामने था, कुछ वायदे किए हैं और यह आवश्यक है कि हम उसे मान्यता प्रदान करें जिसे हम पहले ही कर चुके हैं। अत: अब इस नई धारा के द्वारा जो कुछ भी किए जाने का प्रस्ताव है, वह यह है कि धारा 85 तथा धारा 86 की उप-धारा (1) तथा (3) पूर्ववर्ती देशी रियासतों के शासकों को लागू हों। यदि माननीय सदस्य धारा 85 को देखें जैसा कि इस संशोधन विधेयक में दी गई है, उन्हें पता चल

जाएगा कि यह केवल यह कहती है कि यदि कोई विदेशी शासक वाद चलाना चाहता है या उस पर वाद चलाया जा रहा है तो उसे किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है, और भारत सरकार उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकती है ताकि वादी अथवा प्रतिवादी के रूप में उसकी ओर से मुकदमा लड़ा जा सके। इसका विस्तार करने में कोई बुराई नहीं है। पूर्व देशी रियासत के शासक को धारा 85 के अन्तर्गत केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि जब उसके खिलाफ कोई वाद चल रहा हो तो उसे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। वह परोक्षी द्वारा प्रतिवाद कर सकता है।

धारा 86 (1) का कहना है कि यदि किसी पूर्व देशी रियासत के शासक के विरुद्ध सिविल प्रकृति की कोई कार्यवाही आरम्भ की जाती है तो इसके लिए पहले भारत सरकार की सहमति लेना आवश्यक होगा। मैं समझता हूं कि कल जब हम दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिए इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, तब इस मामले में एक बार फिर अच्छी तरह विचार किया गया था। मुद्दा यह था कि वर्तमान परिस्थितियों में यह विश्वास करने के कारण हैं कि देशी रियासतों में निवास करने वाले व्यक्तियों के पास किसी राजकुमार के विरुद्ध अपनी दुश्मनी निभाने या व्यक्तिगत विद्वेष के चलते शिकायत करने के अनेक आधार या कारण हो सकते हैं और वे उसे बिना किसी वास्तविक कारण के किसी न्यायालय में घसीट सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य यह नहीं है कि भारत सरकार के पास उस राजकुमार को किसी ऐसे मुकदमे से बचाने की असीम शक्ति है जिस मुकदमे में उसे प्रतिद्विन्द्वियों के पास उसके विरुद्ध किया गया दावा सद्भाविक स्वरूप का है। इस सम्मति को अपेक्षित करने में इसके परे कोई प्रयोजन नहीं है।

उप-खंड (3) उसे गिरफ्तार न करने तथा उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध पारित किसी डिक्री के केन्द्रीय सरकार की सम्मति के बिना निष्पादन की स्वतंत्रता देता है जैसा मैंने कहा है, यह केवल, मुझे कहना चाहिए, कुछ वायदों को पूरा करना है जो हमने भारतीय शासकों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए किए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं।

मैं धारा 87 (ख) (2) (ख) में दिए गए 'शासक' शब्द की परिभाषा की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विचार से यह परिभाषा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि धारा 87-ख में दिए गए उपबंधों का लाभ पूर्व देशी रियासतों के प्रत्येक शासक को मिलेगा। यह परिभाषा कुछ सीमित है, अर्थात् उस शासक को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिली कि वह इन विशेषाधिकारों का हकदार है। यदि किसी राजकुमार का व्यवहार इस प्रकार का है कि राष्ट्रपति समझते हैं कि उसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति का व्यवहार इस प्रकार है कि राष्ट्रपति समझते हैं कि उसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए यह पूरी तरह संभव होगा कि वे उसका नाम किसी

अधिसूचना से हटा दें जिससे कि वह एक सामान्य नागरिक बनकर रह जाए और उस पर वह सामान्य प्रक्रिया लागू हो जो प्रक्रिया इस सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस देश में प्रत्येक नागरिक पर लागू हो।

अन्य खंड केवल किसी संदिग्धता, कठिनाई आदि को दूर करने के लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण खंड, खंड 12 है और मेरे विचार से मैंने सदन को इस विधेयक द्वारा लाए गए संशोधनों के मूलभूत आधार के पक्ष में पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

"कि सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

***डॉ अम्बेडकर :** इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके उत्तर की आवश्यकता हो। चूंकि कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, अतः मैं अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहूंगा।

इस चर्चा में भाग लेने वाले पहले वक्ता ने कहा था कि किसी राज्य के परिजनों को प्रदान की जाने वाली उन्मुक्ति संबंधी इस विधेयक में दिए गए उपबंध अन्तरराष्ट्रीय राय के अनुरूप नहीं है। उन्होंने महसूस किया था कि उन्हें विश्वास है कि अन्तरराष्ट्रीय कानून के लेखकों में इस बात को लेकर एक राय है कि न केवल राजनय को वरन् उसके परिजनों को भी विशेषाधिकार मिलना चाहिए। खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मेरे सामने अन्तरराष्ट्रीय कानूनी संधियों के अनेक उदाहरण हैं। मैं उन्हें पढ़कर सदन को थकाना नहीं चाहता हूँ। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सामने रखे उद्धरणों में ऐसी कोई एक राय नहीं है। इसी आधार पर इस धारा को तैयार किया गया है। मेरे मित्र यह मानेंगे कि इन स्थितियों को स्पष्ट करने के तरीके कुछ भी हों, यदि इस खंड को इसके इसी रूप में रहने दिया गया तो परिणाम किसी भी तरीके से भिन्न नहीं होगा। क्योंकि भले ही उन्मुक्ति स्वयं इस धारा द्वारा दी जाए या फिर इस धारा के तहत जारी अधिसूचना द्वारा दी जाए, परिणाम बहुत भिन्न नहीं हो सकता।

उनका दूसरा मुद्दा था कि 'शासक' शब्द का उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि ऐसे भी राज्य प्रमुख हैं जिन्हें 'शासक' नहीं कहा जाता है। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस खंड का प्रारूप तैयार करते समय हमने व्यावहारिक तौर पर उसी भाषा का अनुसरण किया है जो भाषा वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता में अपनाई गई है। मैं उनका ध्यान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 83, धारा 85, उप-खंडों (1) और (2) और धारा 86 के शीर्षक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां वही शब्दावली उपयोग में लाई गई है जो शब्दावली हमने

---

*सं. वा., खंड 8, भाग II, 9 फरवरी, 1950, पृष्ठ 2646-62

अपनाई है। अतः वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता में अपनाई गई भाषा में कोई विचलन नहीं है। लेकिन इस संबंध में मैं उनका ध्यान उस परिभाषा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो हमने 'शासक' के बारे में दी है और जो इस विधेयक की प्रस्तावित धारा 87-क में दी गई है। वह इस प्रकार है:

"किसी विदेशी राज्य के संबंध में 'शासक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कुछ समय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई हो।"

अतः, क्या किसी राज्य विशेष की सरकार राजतंत्रीय व्यवस्था वाली है और शासक राजा है या किसी राज्य विशेष की गणतंत्र सरकार है और उसका प्रधान राष्ट्रपति या कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति है, इस बारे में इस तथ्य के मद्देनजर कोई कठिनाई नहीं हो सकती क्योंकि हमारी परिभाषा इस मामले को केन्द्रीय सरकार पर छोड़ती है कि वह बताए कि इस राज्य के प्रभुत्व के तौर पर किसे मान्यता दी जाए।

देशी शासकों की स्थिति के बारे में मुझसे कहा गया है कि मैं एक या दो बातें स्पष्ट करूं। पहली यह है कि ये विशेषाधिकार कब तक रहेंगे और दूसरी, क्या ये विशेषाधिकार वर्तमान शासकों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं अथवा क्या उनकी प्रकृति पैतृक है जो पिता के बाद पुत्र को मिल जाएंगे। मेरे वकील मित्र यह मानेंगे कि कोई वकील तब तक किसी समस्या को सुलझाने का जिम्मा नहीं लेता जब तक कि वह समस्या उसके सामने प्रस्तुत नहीं होती। ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं है और इस प्रकार मैं न तो कोई खास निर्वचन देने की स्थिति में हूँ और न ही मैं ऐसा करने का वायदा करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : यह है! तत्समय शासक।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, तत्समय। अतः मैं यह कर रहा हूँ कि यह मामला ऐसा है जिस पर कभी भी विचार किया जा सकता है और कभी भी पुनरीक्षण किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे संसद या सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया हो। यदि संसद ऐसा चाहे तो वह निर्णय कर सकती है कि ये विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ समाप्त कर दी जाएं, क्योंकि हमें यह विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है कि भारतीय राजकुमारों के ये दुश्मन अब नहीं रहे हैं या गायब हो गए हैं और उन्हें परेशान करने के लिए कोई सन्तति नहीं छोड़ गए हैं या वे यह निर्णय भी ले सकते हैं कि इन विशेषाधिकार को इनके धारकों के जीवनपर्यन्त बने रहने दिया जाए। इस प्रकार यह मुद्दा पूरी तरह खुला है, बन्द नहीं है।

सम्मति देने या न देने की शक्ति का सरकार द्वारा कब तक उपयोग किया जाएगा, इसके संबंध में सरकार की ओर से मांगे गए आश्वासनों के संबंध में मैं स्वयं यह कहना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस मामले को निपटाने वाली कोई सरकार या सरकार का कोई सदस्य किसी ऐसे मामले में सहमति देने के विषय

को लटकाकर रखना, उचित या उपयुक्त नहीं समझेगा जहाँ दावा बिल्कुल वास्तविक हो। मेरे दिमाग में बिल्कुल संदेह नहीं है क्योंकि ऐसे विषय से सम्बद्ध कोई भी सदस्य सदन के प्रति जवाबदेह होगा।

पंडित कुंज़रु (उत्तर प्रदेश) : महोदय, इस समय एक से अधिक बज गया है।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि संभव हो तो हम इस समय पहला पाठ पूरा कर लेते हैं।

पंडित कुंज़रु : माननीय मंत्री को आधा घंटे का समय लगेगा।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, कितना समय लेंगे?

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा।

देशी रियासतों के पूर्व शासकों को कुछ विशेषाधिकार देने के लिए सरकार की आलोचना करने की उत्सुकता में मेरे मित्र श्री सरवटे ने कहा था कि वे यह नहीं समझ पाए हैं कि धारा 86 की उप-धारा (2) को भारतीय राजकुमारों पर लागू क्यों नही किया गया है। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री सरवटे यह मानेंगे कि इसे लागू न करके हमने सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है क्योंकि यदि हमने इसे लागू कर लिया होता तो सरकार पर किसी राजकुमार के विरुद्ध किसी वाद की सम्मति देने पर पाबंदी लग जाती जब तक कि उप-धारा (2) में उल्लिखित चारों शर्तें पूरी नहीं होतीं। धारा 86 की उप-धारा (2) में दिए गए खंड (क), (ख), (ग) तथा (घ) वास्तव में अन्तरराष्ट्रीय कानून के नियम हैं। उनके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता और हम नहीं चाहते कि भारतीय राजकुमारों को अन्य विदेशी राज्यों के शासकों, राजदूतों या राज्य प्रमुखों के समतुल्य माना जाए। अतः हमने जो उन्मुक्ति प्रदान की है, वह बहुत ही लघु आयामी है। यदि उप-धारा (2) लागू कर दी गई होती तो स्थिति बदतर हो जाती।

अतः मैं नहीं समझता कि इस विधेयक पर कोई गंभीर आपत्ति की जा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 का संशोधन वाले करने के लिए विधयेक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन की बैठक अपराह्न 2.35 बजे तक स्थगित की जाती है।

तब मध्याह्न भोजन के लिए सदन की बैठक अपराह्न 2.35 तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के बाद सदन की बैठक अपराह्न 2.35 पर फिर आरंभ हुई।

(उपाध्यक्ष पीठासीन)

खंड 2 तथा 3

विधेयक में खंड 2 तथा 3 जोड़े गए।

खंड 4 से 11

श्री राजबहादुर (राजस्थान) : मैं खंड 4 में संशोधन चाहता हूँ परंतु मैं औपचारिक रूप से इसका प्रस्ताव नहीं रखना चाहता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। संविधान में कहीं पर भी केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार न्यायालय गठित करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। इस मामले में जो कुछ भी प्राधिकार दिया गया है, उसका उपयोग उच्चतम न्यायालय के बारे में राष्ट्रपति द्वारा एवं राज्यों के न्यायालयों के बारे में उस राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मेरी आपत्ति इसी मामले में है। मैं समझता हूँ कि यदि हम 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों के स्थान पर 'संविधान के प्राधिकार के अंतर्गत' शब्द प्रतिस्थापित कर दें तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता। संविधान ने कुछ न्यायालयों – उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना की है। जहां तक विशेष न्यायालयों के गठन का प्रश्न है, यह शक्ति संसद को दी गई है और केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा दिए गए इस प्राधिकार के अंतर्गत कार्य कर सकती है। अत: 'भारत का संविधान' शब्दों का उपयोग करना अनुपयुक्त है। इसके अतिरिक्त, सभी अनुकूलन आदेशों में 'केन्द्रीय सरकार' का ही उपयोग किया गया है और मेरे विचार में यदि इस विधेयक विशेष में शब्दावली के विषय में विचलन किया गया तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : इस प्रकार अब माननीय सदस्य की बात का जबाव मिल गया है। मैं खंड 4 से 11 को एक साथ रखूंगा क्योंकि उनमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न है :

"कि खंड 4 से 11 इस विधेयक के अंग हो गए हैं।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 4 से 11 इस विधेयक में जोड़े गये।

माननीय उपाध्यक्ष : विषयक सूचना के मुद्दे पर खंड 9 के बारे में क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि 'किसी अन्य राज्य की किसी रियासत में किसी राजस्व न्यायालय की डिक्री का निष्पादन' कहने की क्या आवश्यकता है। क्या 'उस राज्य में राजस्व न्यायालय' नहीं हो सकता? इसे बढ़ाया क्यों जाना चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर : इसे बृहतर शब्दों में रखने का उद्देश्य इसे सुगम बनाना है।

डॉ. आर.यू. सिंह : जब इस विधेयक पर विचार करते समय सामान्य चर्चा हो रही थी, तब मैंने यही मुद्दा उठाया था और माननीय विधि मंत्री ने बताया था कि 'शासक' शब्द चर्चाधीन सिविल प्रक्रिया संहित की कुछ धाराओं में प्रयुक्त हुआ है। मैंने इस संशोधन विधेयक के खंड 12 के अन्तर्गत चर्चाधीन इस सिविल प्रक्रिया संहिता की अनेक धाराओं को देखा है और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि 'शासक' शब्द कहीं अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा था केवल उप-शीर्षक में ही 'विदेशी शासकों' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वयं इन धाराओं में 'शासक' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 'शासन प्रमुख' का प्रयोग किया जा सकता था क्योंकि यह शब्द इस देश में चलता था। ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था किन्तु महोदय, मैं चुनौती देता हूँ कि 'शासक' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

जहां तक इस सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का प्रश्न है, 'शासक' शब्द को परिभाषित करना आवश्यक नहीं है। मेरे द्वारा उठाया गया मुद्दा यह था कि ऐसा अनावश्यक रूप से किया गया है और मैं यह कहकर उस तर्क पर पुनः जोर देता हूँ कि जब हम अन्तरराष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं तब हमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना होगा जो अन्तरराष्ट्रीय कानून की शब्दावली हो। मैं देखता हूँ कि 'शासक' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सामान्यतया जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे हैं 'कोई प्रमुख' या 'संप्रभु' 'विदेशी राज्य' या 'विदेशी प्रभुसत्ता'। मैं भी सोचता हूँ कि सरकार ने 'शासक' शब्द की शुरूआत करने में अनावश्यक कष्ट उठाया है। मैं अनुभव करता हूँ कि क्या केवल 'प्रमुख' शब्द को ही अब प्रतिस्थापित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इस धारा को पुनः व्यवस्थित किया है और इस चीज को इस प्रकार तैयार किया है कि कुछ खंड बेढंगे हो जाएंगे। कुछ स्थानों पर 'राज्य प्रमुख' इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ स्थानों पर केवल 'प्रमुख' इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ स्थानों पर केवल 'प्रमुख' से ही काम चल जाएगा। इसलिए अपने मूल दृष्टिकोण पर अडिग रहते हुए मैं यह समझता हूँ कि 'शासक' शब्द का प्रयोग अनुचित ढंग से किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस संशोधन विधेयक में प्रयुक्त इस भद्दी पदावली को बना रहने दिया जाए या यदि उसे बना न रहने दिया जाए, तब कुछ स्थानों पर 'प्रमुख' शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा और दूसरे स्थान पर 'विदेशी राज्य प्रमुख' इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि प्रारूपकार ने इन खंडों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि इस स्थिति में बचा नहीं जा सकता।

डॉ. अम्बेडकर : मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे माननीय मित्र इस विधेयक में प्रयुक्त पदावली पर नाखुश क्यों हैं। मेरे माननीय मित्र श्री राजबहादुर कहते हैं कि विदेशी शासकों एवं भारतीय शासकों के बीच उन्हें अलग-अलग नाम देकर अन्तर स्थापित करना बेहतर रहेगा। माना यही सही है तब क्या 'राज्य प्रमुख' को परिभाषित करना आवश्यक नहीं होगा।

श्री राज बहादुर : नहीं, नहीं........।

डॉ. अम्बेडकर : संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति हैं, ग्रेट ब्रिटेन में राजा है; स्विटजरलैण्ड में राज्य का प्रतिनिधित्व कोई और मशीनरी करती है। यह ये तथ्य अलग-अलग हैं, तब आपको 'राज्य प्रमुख' की परिभाषा देनी होगी।

दूसरे माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने इस सिविल प्रक्रिया संहिता के उन उपबंधों की जांच कर ली है जिनका उल्लेख मैंने सुबह किया था। उनका मानना है कि इस संशोधन विधेयक में जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया है, वे शब्द इसमें नहीं हैं। मैं समझता हूँ, इस सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रति उनके सामने रखी है।

डॉ. आर.यू. सिंह : यह मेरे पास है।

डॉ. अम्बेडकर : कृपया धारा 83 के शीर्षक को देखिए।

डॉ. आर.यू. सिंह : इस बारे में मैंने पहले ही कहा था।

डॉ. अम्बेडकर : शीर्षक है 'विदेशियों तथा विदेशी शासकों और देशी रियासतों के शासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि यह संशोधन भारतीय विधि आदेश के अनुकूलन द्वारा 1937 में किया गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा उस पदावली के बारे में जो वे प्रयोग करते हैं, पूरी तरह अद्यतन हूँ। लेकिन यह मैं पूरे विश्वास एवं संतोष के साथ कहता हूँ कि जिस किसी ने भी यह अनुकूलन किया–वह मुझे यह कहने की इजाजत देंगे कि यह अनुकूलन भारतीय कार्यालय द्वारा किया गया था और किसी संसदीय वकील द्वारा सलाह दी गई होगी, जिसने 'विदेशी शासकों' पदावली का प्रयोग करके कोई गलती नहीं की होगी।

इसके बाद वह कहते हैं कि 'किसी देशी रियासत के शासक' शब्द का प्रयोग धारा 83 के आगे कभी नहीं किया गया है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अनेक पदनामों का उपयोग किया गया है। देशी शासकों को राजकुमार, शासक, प्रधान तथा इसी तरह आगे कहा गया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब संविधान ने अनेक अनुच्छेदों के माध्यम से उन्हें विशेष प्रकार दिया है जैसे–'देशी रियासतों के शासक' क्या प्रारूपकार को यह अनुज्ञा दी जा सकती है कि वह संविधान में प्रयुक्त भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग करें? 'पूर्व देशी रियासतों के शासक' शब्दों के प्रयोग का औचित्य सीधे तौर पर यह है कि यही वह भाषा है जिसका प्रयोग संविधान में किया गया है। हम नहीं चाहते कि संविधान में प्रयुक्त इस भाषा में विचलन किया जाए जिससे मेने माननीय मित्र श्री नजीरूद्दीन अहमद जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए यह आसान हो जाए कि वह आकर कहे कि 'ठीक है, यह उपबंध उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन पर लागू होने के लिए इसे बनाया गया है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है

खंड 12 में "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रस्तावित नई धारा के परन्तु के 'शासक' को 'प्रधान' से प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

इसी प्रकार 3 अन्य प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए।

***डॉ. आर.यू. सिंह :** ....जहां तक देशी रियासतों के शासकों की उन्मुक्ति का प्रश्न है। विधि मंत्री से हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, उन मामलों में भी जो उन्होंने निजी हैसियल से किए हैं। हमारा संबंध इस प्रश्न के उसी पहलू से है। यह नहीं कहा गया है कि कुछ सूचना या कुछ ऐसी ही चीज पर्याप्त होगी, उनको दी जाने वाली उन्मुक्ति भारतीय गणराज्य के प्रमुख, यहां तक कि विभिन्न संघ राज्यों के प्रमुखों को दी गई उन्मुक्ति से कहीं ज्यादा होगी। और यदि सरकार इस संबंध में अपना विचार एवं अपनी नीति स्पष्ट करे–कि ऐसी उन्मुक्ति की अवधि क्या होगी तथा उसकी सीमा क्या होगी–मैं चुनौतीपूर्वक कह सकता हूँ कि यह बहुत विस्तृत नहीं होगी–यह वास्तव में बहुत ही अच्छी होगी।

डॉ. अम्बेडकर : भोजनावकाश से पहले मुझे कुछ उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया था जो मेरे मित्र ने उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने उनका उत्तर दे दिया था जिनका उत्तर मेरी समझ से सुरक्षित ढंग से दिया जा सकता था और मैं नहीं समझता कि जो कुछ भी मैं कह चुका हूँ उसमें और जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ है। मैं अब सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यदि मेरे माननीय मित्र मुझे यह कहने की इजाजत देंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कल्पना का अभाव है।

डॉ. आर.यू. सिंह : यह सभी वकीलों के पास नहीं होती।

डॉ. अम्बेडकर : वकीलों के पास कभी-कभी बहुत लम्बी कल्पना होती है। यदि उनके पास पर्याप्त कल्पना-शक्ति होती है तो उन्होंने इस बात को महसूस किया होता कि संविधान सभा ने बहुत ही निश्चित ढंग से एवं बहुत ही सही ढंग से कहा था कि निश्चित तारीख से पहले बनाई गई प्रसंविदा में जो कुछ भी शामिल किया गया था, इसमें दिए गए मामले वाद योग्य नहीं हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही अच्छी संरक्षण तथा बहुत ही अच्छा तथ्य था। इसका तात्पर्य है कि संसद या सरकार कोई भी परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही इन मामलों का उल्लेख प्रसंविदा में किया गया हो। यदि ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर सदन को इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि भविष्य किसी भी तरीके से बन्द या अंधेरे में नहीं है। मैं नहीं समझता

---

*सं. वा., खंड-8, भाग VIII, 9 फरवरी, 1950, पृष्ठ 2664-65

कि मुझसे कोई यह उम्मीद करेगा कि मैं इससे अधिक कुछ और कहूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 12 में, प्रस्तावित नई धारा 87-ख का लोप कर दें।"

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 12 इस विधेयक का अंग बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 12 को इस विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 से 18 तक इस विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 19 (विशेष उपबंध आदि)

संशोधन किया गया।

खंड 19 में पंक्ति 2 में आने वाले 'की संहिता' का लोप कर दें।

—(डॉ. अम्बेडकर)

यथा संशोधित खंड 19 को इस विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 20 इस विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 1 (संक्षिप्त नाम आदि)

संशोधन किया गया :

खंड 1 के उप-खंड (1) में '1950' के लिए '1951' प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

—(डॉ. अम्बेडकर)

यथा संशोधित खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

शीर्षक एवं अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि यथा प्रस्तावित यह विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथा प्रस्तावित विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(28)

*भाग-ख राज्य (विधियाँ) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : महोदय, मैं भाग-ख राज्यों पर कुछ कानूनों का विस्तार करने के लिए एक विधेयक रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि 'भाग-ख राज्यों पर कुछ कानूनों' का विस्तार करने के लिए विधेयक रखने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

**भाग-ख राज्य (विधि) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं प्रस्ताव की अनुमति चाहता हूँ :

"कि भाग-ख राज्यों पर कुछ कानूनों का विस्तार करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक बहुत ही साधारण विधयेक है.........

एक माननीय सदस्य : जैसे अन्य सभी विधेयक हैं।

डॉ. अम्बेडकर : अन्य से कहीं ज्यादा साधारण। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय विधायिका द्वारा पारित किए गए ऐसे अधिनियम हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व में प्रयोग किए गए अधिकार के कारण केवल भाग-क राज्यों पर लागू होते थे। भाग-ख राज्यों (पूर्ववर्ती देशी रियासतों) जो प्रभुसत्तासम्पन्न एवं स्वतन्त्र थे, के अपने-अपने कानून थे जिसकी तुलना सूची I तथा III के अंतर्गत केन्द्रीय विधायिका द्वारा पारित कानूनों से की जा सकती है। जहां तक सूची I तथा III का सवाल है, अब इस संसद को भाग-ख राज्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हो गया है। सूची I तथा III के क्षेत्र पर लागू होने वाले केन्द्रीय विधायिका द्वारा पारित अनेक विधेयक पहले से ही मौजूद हैं, जो अपनी प्रादेशिक सीमा के कारण भाग-ख राज्यों पर लागू नहीं होते थे। यह विधेयक इसी उद्देश्य के लिए लाया गया है।

माननीय सदस्य देखेंगे कि इस विधेयक के साथ एक अनुसूची जुड़ी हुई है जिसमें

---

*सं. वा., खंड 6, भाग II, 20 नवंबर, 1950, पृष्ठ 183

*सं. वा., खंड 8, भाग II, 9 फरवरी, 1950, पृष्ठ 9665-66

उन अधिकारियों की सूची दी गई है जिनका इस विधेयक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भाग –ख राज्यों पर विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। जहां तक मैंने गिना है, ये कुल मिलाकर 135 अधिनियम हैं, जिनका भाग–ख राज्यों पर विस्तार किया जाना है।

भाग–ख राज्यों पर केन्द्रीय अधिनियमों को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखते हुए यह महसूस किया गया है इन अधिनियमों पर काम कर रहे भारत सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के मतानुसार स्वयं इन अधिनियमों में कुछ छोटे–छोटे संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप इन 135 अधिनियमों का विस्तार करने के इस अवसर पर उपयोग इन केन्द्रीय अधिनियमों में कुछ संशोधन करने के प्रयोजन से भी किया गया है जिससे जब यह विधेयक पारित हो, तब न केवल ये अधिनियम भाग–ख राज्यों पर लागू हो जाएँ वरन् वे उस रूप में भी लागू होंगे जिस रूप में इस अनुसूची में उल्लिखित अनेक अधिनियमों में दिए गए उपबंधों द्वारा उन्हें संशोधित किया जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के सिद्धान्त को लेकर किसी प्रकार के विवाद की कोई संभावना है।

अब तक केवल एक या दो चूकें सामाने आई हैं और उन्हें इस अनुसूची के अन्तर्गत लाने के लिए मैं संशोधन प्रस्तावित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

"कि भाग–ख राज्यों पर कुछ विधियों का विस्तार करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

***डॉ. अम्बेडकर :** त्रावणकोर–कोचीन से आए मेरे मित्र श्री शिवन पिल्लै द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत ही साधारण है जैसा कि मैंने इसे समझा है। कुछ ऐसे कानून हैं जिनका इस विधेयक के माध्यम से विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है और जो समवर्ती सूची के अन्तर्गत हैं। परिणामस्वरूप, भारत का कोई राज्य अपनी इच्छानुसार इन कानूनों में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा। उनके इस उदाहरण को लें अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता की बात करें तो यह बिल्कुल सही है कि भारतीय दण्ड संहिता मृत्यु को एक दण्ड मानती है। यह भी समान रूप से सही है, जैसा कि उन्होंने कहा है, कि दण्ड संहिता जो त्रावणकोर पर लागू है, इस दण्ड को निर्मूल कर देती है। ठीक है, जब इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता को लागू कर दिया जाएगा तब त्रावणकोर–कोचीन विधायिका के लिए यह पूरी तरह संभव हो सकेगा कि यह संशोधन विधेयक पारित करे और भारतीय दण्ड संहिता का अपनी इच्छानुसार संशोधन कर ले। तदनुसार, जहां तक समवर्ती सूची में आने वाले कानूनों का सवाल है, भारत के वे सभी राज्य जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है, निश्चित तौर पर अपनी–अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कानून बनाएंगे।

---

*सं. वा., खंड 8, भाग II, 9 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2669–77

जहां तक मेरे दूसरे माननीय मित्र द्वारा उठाए गए मुद्दे का सवाल है, मुझे प्रतीत होता है कि उन्होंने इस विधेयक के खंड 3 के उपबंधों को ठीक-ठीक नहीं पढ़ा है जो कहता है :–

"कि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम तथा अध्यादेश उसी रीति से एवं उसी सीमा तक संशोधित किए जाएंगे जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया गया है।"

अत: यह विधेयक संशोधन के लिए विधेयक एवं उसका विस्तार करने दोनों के लिए ही है। निस्संदेह वह कह सकत हैं कि विधान का यह तरीका बहुत ही बेढंगा है, परन्तु उन्हें इसे करने की अपनी योजना पर विचार करना चाहिए। हमें यहां रुककर 135 पृथक-पृथक कानूनों को पारित करना पड़ेगा,पहले तो संशोधन करने के लिए और फिर उनका विस्तार करने के लिए। यद्यपि ऐसा करना इतना सीधा या भव्य नहीं हो सकता फिर भी मैं समझता हूं कि उस संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाना वांछनीय होगा जिसे इस विधेयक में अंगीकार किया गया है। अर्थात् संशोधन एवं विस्तार दोनों कें लिए, मैं नहीं समझता कि इस स्पष्टीकरण के बाद मेरे मित्र के पाए झगड़ने का कोई कारण नहीं बचेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि भाग-ख राज्यों पर कुछ कानूनों का विस्तार करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 2 से 6

खंड 2 से 6 तक विधेयक में जोड़े गए।

खंड 7 (कढ़िनाइयों को दूर करने की शक्ति)

संशोधन किया गया :

खंड 7 के उप-खंड (2) में भाग (ख) के बाद जोड़ें :

"(ग) उन क्षेत्रों या परिस्थितियों को जिनमें, या उस सीमा जिस तक, या उन स्थितियों को जिनके अधीन, उस धारा द्वारा खण्डित किसी नियम के अन्तर्गत कुछ किया गया है या कोई कार्रवाई की गई है (धारा 6 के द्वितीय परन्तु में विनिर्दिष्ट किन्हीं मामलों सहित) को विनिर्दिष्ट करें, जिन्हें इस अधिनियम या अध्यादेश जैसा अब विस्तारित किया गया है के समरूप परन्तुक के अन्तर्गत मान्यता दी जाएगी या प्रभावी बनाया जाएगा।"

–(डॉ. अम्बेडकर)

यथासंशोधित खंड 7 इस विधेयक में जोड़ा गया।

अनुसूची

डॉ. अम्बेडकर : मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या मेरे नाम पर दर्ज इस अनुसूची के सभी संशोधन प्रस्तावित मान लिए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : क्या सदन इस तरीके से सहमत है?

माननीय सदस्य : जी हाँ।

श्री शिवचरण लाल : इन संशोधनों को मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। इस अनुसूची के पृष्ठ-4 पर सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि यह अधिनियम त्रावणकोण-कोचीन राज्य की अन्चल सेविंग्स बैंक में की गई किसी भी जमा पर लागू नहीं होगा। हमें यह स्पष्ट नहीं है कि इस बैंक पर यह क्यों लागू नहीं होगा।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे डर है कि मैं विभिन्न प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। यह विधेयक अनुपूरक प्राक्कलन की तरह है जिसे वित्त मंत्री सदन के समक्ष रखते हैं। यद्यपि पृथक-पृथक प्राक्कलनों पर सफाई देने का वास्तविक उत्तरमित्व अलग-अलग मंत्रियों का होता है जो इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। मैं केवल उसका प्रायोजन कर रहा हूं जो अन्य विभाग चाहते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिएं। मुझे खेद है कि वित्त मंत्री यहां नहीं हैं, अन्यथा ये मेरे मित्र को यह ठीक-ठीक बता देते कि वह विशेष संशोधन क्यों करना चाहते हैं। इस पर भी, मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र इससे सहमत होंगे कि ऐसा बहुत जान-बूझकर एवं पर्याप्त सोच-विचार कर किया गया होगा।

माननीय अध्यक्ष : यदि सदन को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यह प्रक्रिया सन्तोषजनक नहीं है। मतदान करने से पूर्व किसी भी माननीय सदस्य को यह जानने का हक है कि उसे मतदान किस पर और क्यों करना है। यदि स्थिति अनुपूरक प्राक्कलन जैसी हो तो भी माननीय सदस्यों की सहायतार्थ कुछ नोट्स लगाए जाने चाहिए जिनमें वे कारण दिए हों कि उनसे किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए क्यों अपील की जा रही है।

डॉ. अम्बेडकर : यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। हम कोशिश करेंगे और इसका अनुसरण करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवचरन लाल की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वे बिना कारण जाने इस पर मतदान के लिए राजी हैं?

डॉ. अम्बेडकर : यदि उन्हें कोई खतरा है तो हम किसी भी खतरे का बीमा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष : इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें इस प्रस्ताव की शुद्धता या गंभीरता पर कोई संदेह है, परंतु फिर भी एक सदस्य के नाते उन्हें कारण जानने का हक है।

श्री एस.वी. नाइक (हैदराबाद) : इस अनुसूची के संशोधनों की सूची के पृष्ठ 5 पर धारा 2 के बाद 'मुद्रा अध्यादेश, 1940' शीर्षक के अन्तर्गत हैदराबाद में एक रुपये के नोटों के संबंध में कुछ अस्थायी उपबंध किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हैदराबाद राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राओं की स्थिति क्या होगी।

डॉ. अम्बेडकर : मैं ठीक उसी प्रकार उत्तर दूंगा जैसा कि मैं पहले दे चुका हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहूँगा और वे संभवतया माननीय सदस्य को बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है।

4.00 बजे अपराह्न

मेरे पास इस अनुसूची में एक और संशोधन है। मेरा निवेदन है कि उसे भी प्रस्तावित माना जाए।

संशोधन किए गए :

1. इस अनुसूची में धारा 1 से संबंधित शीर्षक 'भारतीय शपथ अधिनियम, 1873' के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाए :

"धारा 1-"सिवाय भाग-ख राज्यों" के लिए "सिवाय मणिपुर तथा जम्मू कश्मीर राज्यों" प्रतिस्थापित किया जाए।"

2. इस अनुसूची में "विभाजन अधिनियम, 1893" से संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नांकित रखें :

"लाइवस्टाक (पशुधन) इम्पोर्टेशन ऐक्ट 1898 (1898 का IX) धारा 1, उप धारा (2) के लिए प्रतिस्थापित किया जाए :

(2) इसका सभी भाग-क राज्यों, भाग-ग राज्यों तथा सौराष्ट्र एवं त्रावणकोर-कोचीन के राज्यों पर विस्तार किया जाता है।"

3. अनुसूची में, "द इंडियन कोयनेज ऐक्ट, 1906" शीर्षक के अन्तर्गत, अंतिम मद के लिए प्रतिस्थापित किया जाए :

"धारा 23 के बाद, निम्नांकित अन्त:स्थापित करें, अर्थात्,

24. कुछ भाग-ख राज्यों के सिक्कों के संबंध में अस्थायी उपबंध भाग-ख राज्य (विधियाँ) अधिनियम, 1951 की धारा 6 में, किसी बात के होते हुए ऐसे विवरण वाले सिक्के जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के समय विधिमान्य प्रचलन में थे, उस राज्य में उस सीमा तक तथा उन्हीं स्थितियों के अधीन जो उक्त अधिनियम के आरम्भ से ठीक पहले थीं, विधिमान्य चलार्थ के रूप में उस अवधि के ऐसे प्रारम्भ से दो वर्षों से अनधिक अवधि तक, जैसेकि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र के अधिसूचना द्वारा निर्धारित करें, जारी रहेंगे।"

4. इस अनुसूची में, "भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913" शीर्षक के अन्तर्गत नई धारा 2-ख से संबंधित मद के बाद रखें :

"धारा 144-उप-धारा (1) के बाद अन्तःस्थापित करें।

(2) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए किन्तु उप-धारा (2क) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, भाग-ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1951 के आरम्भ के ठीक पहले-ख राज्य के पूरे या किसी हिस्से में लागू कानून के अधीन प्रदत्त प्रमाणपत्र का धारक, जिसे उस राज्य या उसके हिस्से में कम्पनी लेखा परीक्षा के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है, उस राज्य में कहीं भी पंजीकृत कम्पनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार होगा।

(2क) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उप-धारा (2) के उद्देश्यों के लिए भाग-ख राज्यों के व्यक्तियों के लेखा परीक्षक के प्रमाण-पत्रों को प्रदान किए जाने, नवीनीकरण, निलम्बन या रद्दकरण के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे अनुदान, नवीनीकरण, निलम्बन या रद्द के लिए शर्तें एवं निर्वधन विहित कर सकेगी।"

5. इस अनुसूची में, 'भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1914' से संबंधित प्रविष्टि के बाद अंतःस्थापित करें :

"द सिनेमाटोग्राफु ऐक्ट, 1918 (1918 का II)"

धारा 1 उप-धारा (2) में 'हैदराबाद और' का लोप कीजिए।

6. इस अनुसूची में 'इंडियन बार काउंसिल ऐक्ट, 1926, विषयक प्रविष्टि के बाद, अन्तः स्थापित करें :

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 (1929 का XIX)

धारा 1 उप-धारा (2) में, 'सिवाय भाग-ख राज्यों के लिए 'सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य' प्रतिस्थापित करें।

7. इस अनुसूची में 'पेट्रोलियम ऐक्ट, 1934' शीर्षक के अंतर्गत 'के लिए' के लिए धारा 1 से संबंधित मद को 'उप-धारा (2) 'के लिए' प्रतिस्थापित किया जाए।

8. अनुसूची में 'बाल नियोजन अधिनियम, 1938' विषयक प्रविष्टि के बाद अन्त:स्थापित करें :

'मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का IV)'

पूरे अधिनियम में, जब कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपलब्ध न कराया गया हो, 'राज्यों' के लिए 'भारत' प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 17(क) उप-धारा (2) में 'सिवाय भाग-ख राज्यों के लिए 'सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य' प्रतिस्थापित करें।

(ख) उप-धारा (3) के लिए प्रतिस्थापित करें :

'(3) अध्याय VIII भाग-ख के किसी राज्य पर इस अधिनियम का विस्तार किया गया है, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश नहीं देती तथा मोटरयान अधिनियम, 1939 के समनुरूप उस राज्य में लागू किसी कानून के, भाग-ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा खण्डित किए जाने के बावजूद, समनुरूप कानून, जहां तक वह तीसरी पार्टी जोखिम के विरुद्ध मोटरयान बीमा के लिए वांछित है या उससे संबंधित है, जब तक कि उस राज्य में अध्याय VIII प्रभावी नहीं हो जाता, प्रभावी होना नहीं मानों इस अधिनियम में अधिनियमन किया गया हो।'

धारा 2-(क) खंड 9 के बाद अन्त:स्थापित करें।

'(9क)'भारत' का तात्पर्य उन राज्यक्षेत्रों से है जिन तक इस अधिनियम का विस्तार है'

(ख) खंड (29क) का लोप करें :

धारा 9 (क) उप-धारा (2) में 'किसी भाग-ख राज्य में' को 'जम्मू और कश्मीर राज्य में' से प्रतिस्थापित करें।

(ख) उप-धारा (4) में-

(i) 'किसी भाग-ख या' के लिए 'जम्मू और कश्मीर राज्य या कोई' प्रतिस्थापित करें; तथा

(ii) 'किसी राज्य में' तथा 'किसी ऐसे राज्य में' के लिए 'राज्य में' प्रतिस्थापित करें।'

धारा 28-(क) उप-धारा (2) में, 'किसी भाग-ख राज्य' के लिए 'जम्मू और कश्मीर राज्य' 'प्रतिस्थापित करें',

(ख) उप-धारा (5) में-

(i) 'किसी भाग-ख राज्य या' के लिए 'जम्मू और कश्मीर राज्य या कोई' 'प्रतिस्थापित करें',

(ii) ऐसे राज्य में पंजीकरण' तथा 'किसी राज्य में पंजीकरण' के लिए 'राज्य में पंजीकरण' प्रतिस्थापित करें',

(iii) 'किसी ऐसे राज्य में जारी' के लिए 'राज्य में जारी' प्रतिस्थापित करें।

धारा 42-उप-धारा (3) में-

(i) खंड (क) में 'भाग-क राज्य की सरकार' के लिए 'राज्य सरकार' प्रतिस्थापित करें',

(ii) खंड (ज) में 'किसी भाग-ख राज्य या' के लिए 'जम्मू और कश्मीर राज्य या कोई' प्रतिस्थापित करें,

धारा 133-'भाग-ख राज्य के विधानमंडल' के लिए 'राज्य विधानमंडल' प्रतिस्थापित करें'।

छठी अनुसूची-तालिका के लिए निम्नांकित प्रतिस्थापित करें :

"असम	-	-	ए एस
बिहार	-	-	बी आर
बोम्बे	-	-	बी एम, बी वाई
मध्य प्रदेश	-	-	सी पी, एम पी
मद्रास	-	-	एम डी, एम एस
उड़ीसा	-	-	ओ आर
पंजाब	-	-	पी एन
उत्तर प्रदेश	-	-	यू पी, यू एस
वेस्ट बंगाल	-	-	डब्ल्यू बी, डब्ल्यू जी
हैदराबाद	-	-	एच टी, एच वाई

मध्य भारत	–	–	एम बी
मैसूर	–	–	एम वाई
पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ	–	–	पी यू
राजस्थान	–	–	आर जे
सौराष्ट्र	–	–	एस एस
त्रावणकोर–कोचीन	–	–	टी सी
अजमेर	–	–	ए जे
भोपाल	–	–	बी एस
बिलासपुर	–	–	बी एल
कुर्ग	–	–	सी जी
दिल्ली	–	–	डी एल
हिमाचल प्रदेश	–	–	एच आई
कच्छ	–	–	के एच
मणिपुर	–	–	एम एन
त्रिपुरा	–	–	टी आर
विन्ध्य प्रदेश	–	–	वी पी
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	ए एन"

9. इस अनुसूची में 'प्रोटेक्टिव ड्यूटी ऐक्ट 1946' शीर्षक के अंतर्गत धारा 2 विषयक अंतिम मद का लोप करें।

10. इस अनुसूची में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 विषयक प्रविष्टि (1948 की XXXIV) का लोप करें।

11. इस अनुसूची में 'कैदी व्यक्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1949 (1949 का XLV)' विषयक प्रविष्टि का लोप करें।

12. इस अनुसूची में 'मुद्रा अध्यादेश, 1940' शीर्षक के अन्तर्गत धारा 2 से विषयक मद के बाद अंत:स्थापित करें।

धारा 2 के बाद निम्नांकित रखें, अर्थात्–

'2–क हैदराबाद के एक रुपये के नोटों के संबंध में अस्थायी उपबंध–भाग–ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1951 की धारा 6 में दी गई किसी बात के होते हुए एक रुपए मूल्य वर्ग के नोट, जो उक्त अधिनियम के आरंभ के समय हैदराबाद रियासत में वैध मुद्रा के रूप में प्रचलन में थे, उस राज्य में उस सीमा तक तथा उन्हीं परिस्थितियों के अधीन जो उक्त अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले थीं और ऐसी अवधि तक, जो ऐसे प्रारंभ से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विहित करें, चलते रहेंगे।'

13. इस अनुसूची में, निम्नांकित को प्रथम प्रविष्टि के रूप में रखें :

'जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 (1850 का XXI)

पूरा शीर्षक तथा उद्देशिका : 'ईस्ट इंडिया कम्पनी सरकार के अधीन राज्य–क्षेत्रों' को 'भारत' से प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 1– (1) 'ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के अधीन राज्य–क्षेत्रों के स्थान पर 'भारत' प्रतिस्थापित किया जाए और 'ईस्ट इंडिया कंपनी' के न्यायालयों में तथा उक्त राज्य–क्षेत्रों के अंतर्गत रॉयल चार्टर द्वारा गठित न्यायालयों में' के स्थान पर 'किसी न्यायालय में' प्रतिस्थापित किया जाए। धारा 1 के बाद, निम्नांकित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्–

2. **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार**–(1) इस अधिनियम का नाम जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 है।

(2) इसका विस्तार 'जम्मू और कश्मीर राज्य' को छोड़कर समस्त भारत पर है।

–(डॉ. अम्बेडकर)

यथा संशोधित अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई।

खंड 1–(संक्षिप्त नाम आदि)

संशोधन किया गया :

खंड 1 के उप–खंड (1) में तथा इस विधेयक में कहीं भी जहां भाग–ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1950 का उल्लेख आए '1950' के लिए '1951' प्रतिस्थापित किया जाए।

–(डॉ. अम्बेडकर)

यथा संशोधित खंड 1 को विधेयक में जोड़ा गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र भी विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

'कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।'

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

'कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।'

कैम्पटन ए.पी. सिंह (विन्ध्य प्रदेश) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में निर्धारित किया गया है कि **'**प्रशासन में सुधार लाने के प्रयोजन से**'** और मैं इसका प्रतिरोध करता हूँ; यद्यपि यह इसका हिस्सा नहीं है और इस प्रकार इस संबंध में कोई संशोधन नहीं रखा जा सकता।

माननीय अध्यक्ष : *ऑर्डर, ऑर्डर।* माननीय सदस्य को बहुत देर हो गई है। मैं उन्हें सूचित कर दूँ, हालाँकि, इस बिन्दु पर सदन के दूसरे सदस्य द्वारा पहले ही विरोध जताया जा चुका था।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं क्षमा चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

'कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।'

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक

***गृह मंत्री (राजगोपालाचारी) :** ....मैं यहां जल्दबाजी में आ रहा था क्योंकि मैंने सुना कि डॉ. अम्बेडकर ने इस सदन में दो भारी-भरकम विधेयकों को पारित करा लिया चूंकि कल शाम मुझे यह बिल्कुल आशा नहीं थी। मुझे लगता है कि लोग मुझे डॉ. अम्बेडकर की तुलना में ज्यादा बुरा मानते हैं।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं हरिजन हूँ। आप हरिजन नहीं हैं।

पटल पर अनुकूलन आदेश रखते हुए।

****मानीय उपाध्यक्ष :** डॉ. अम्बेडकर।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : उपाध्यक्ष, महोदय...........।

---

*सं. वा., खंड 8, भाग II, 9 फरवरी, 1951, पृष्ठ 2679

**सं. वा., खंड 10, भाग II, 12 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6659

श्री श्यामानन्द ने सहाय (बिहार) : महोदय, इसके पहले कि विधि मंत्री शुरूआत करें क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ? अब हमारे पास संसद द्वारा 16 तारीख तक निपटाए जाने वाले कार्य की सूचना है। लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं है कि इस महीने की 17 तारीख और.........को कौन से विधेयकों या अन्य विधायी उपायों या अन्य कार्य लिए जाएंगे।

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : 19 तारीख तक की कार्यसूची है।

श्री श्यामानन्दन सहाय : किन्तु इसमें केवल यह कहा गया है कि ये कार्य सरकारी होंगे या गैर-सरकारी।

श्री सिधवा : नहीं। वे सभी सरकारी विधेयक हैं। हमें ये आज ही मिले हैं।

डॉ. अम्बेडकर : उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे माननीय मित्र श्री हुसैन इमाम ने मेरे एक उत्तर के संबंध में प्रश्न उठाया था, यह उत्तर मैंने पंडित भार्गव द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुकूलन आदेश के संबंध में उठाए गए एक प्रश्न के संबंध में दिया था। दुर्भाग्यवश मैं सदन में मौजूद नहीं था। काश। उन्होंने मुझे इस आशय की पूर्व सूचना दी होती कि ये मामला उठाने जा रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर उन्हें उत्तर देने के लिए सदन में मौजूद रहता। कल शाम सदन की कार्यवाही के कुछ अंश मुझे दिए गए और मैंने देखा कि उन्होंने दो प्रश्न उठाए हैं। एक प्रश्न जो उन्होंने उठाया था वह यह है कि उन्हें अनुकूलन आदेश की प्रति नहीं मिल सकी यद्यपि उन्होंने इसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। इस मुद्दे पर जो तथ्य मुझे मिल पाए हैं, वे इस प्रकार हैं। यह अनुकूलन आदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 4 को तत्काल छपे थे। मैंने अपना उत्तर 7 तारीख को दिया था। इस अनुकूलन आदेश, या यों कहें, इस राजपत्र की प्रतियाँ संविधान शाखा में 10 तारीख को प्राप्त हुईं। यही वह तारीख थी जब उन्होंने संविधान शाखा को टेलीफोन पर संदेश दिया था, और यह पूछा था कि अनुकूलन आदेश की प्रतियों का क्या हुआ। मुझे सूचना मिली है कि जिस अधीक्षक से उन्होंने इस विषय में सम्पर्क किया था, उस अधीक्षक ने उन्हें बताया था कि राजपत्र असाधारण की प्रतियाँ उन्हें अभी-अभी प्राप्त हुई हैं और वे इस बात की जाँच कर रहे हैं कि क्या कोई लिपिकीय या मुद्रण गलतियाँ तो नहीं हैं। मुझे बताया गया कि मेरे माननीय मित्र ने एक प्रति के लिए विशेषतौर पर बात नहीं की। मुझे नहीं पता, वे इसकी पुष्टि करने अथवा न करने की बेहतर स्थिति में हैं।

श्री हुसैन इनाम (बिहार) : मैंने सूचना कार्यालय तथा पुस्तकालय में मांगी थी।

डॉ. अम्बेडकर : मैं बता रहा हूँ कि अधीक्षक की शाखा में क्या हुआ। ऐसे होने के कारण माननीय सदस्य को संविधान शाखा द्वारा सीधे तौर पर कोई प्रति नहीं दी गई। स्पष्ट है कि यदि 10 तारीख को अधीक्षक को इसकी प्रतियां मिली थीं तो भी उनके लिए इन्हें सूचना कार्यालय में सदस्यों के बीच वितरण हेतु भेजना संभव नहीं था। पहली

शिकायत के बारे में यह स्थिति है। मुझे भेजे गए कार्यवाही सार से मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का भी प्रश्न उठाया था। मैं जो कुछ भी उन्हें समझा हूँ, वह यह कहना चाहते थे कि जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा अनुकूलन आदेश किया जाए, इसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। महोदय, जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, मेरा निवेदन यह है। इस सदन को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका विनियमन संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा होता है जो कहता है कि सदन को वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो विशेषाधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं। इसके लिए हमें यह जाँच करनी होगी कि कौन-सी स्थिति में जब कागज सदन के पटल पर रखा जाए, विशेषाधिकार का मामला होगा और ऐसा करना कब विशेषाधिकार का मामला नहीं होगा मई* का संदर्भ देते समय एक बात तो स्पष्ट है............

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे खेद है कि मुझे माननीय मंत्री को टोकना पड़ रहा है। जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, सबसे पहले तो इसे अध्यक्ष देखते हैं, नियमों और विनियमों को पढ़ते-लिखते हैं और उसके बाद सदन का मत सुनिश्चित करते हैं। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 'कि इसमें विशेषाधिकार का मामला बनता है तब वह इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजते हैं। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न गंभीरतापूर्वक उठाया था। प्रश्न यह था कि अनुकूलन आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वे सूचना कार्यालय तथा पुस्तकालय भी गए थे। उन्होंने कहा है कि अनुकूलन आदेश 4 अप्रैल को जारी किया गया था और इस प्रकार सामान्यतया एक या दो दिन मे पुस्तकालय में रखे जाने की उम्मीद कर रहे थे। अब मामला विधि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। हमें विशेषाधिकार के प्रश्न पर और गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : यदि आपका विनिर्णय यही है तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। किंतु मैं केवल एक मुद्दा रखना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ, व्यापक हित का मुद्दा है और जिसे सदन को जानना चाहिए। विशेषाधिकार का मामला तभी उठ सकता है जब संविधि सरकार के लिए यह बाध्यकारी बना दे कि कागज-पत्र (पेपर) सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। अब जहां तक अनुकूलन आदेश का सवाल है, इस मामले में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अनुच्छेद 372 से तुलना करें जो अनुकूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 392 से तुलना करें जो इस आदेश से संबंधित है जो राष्ट्रपति ने परिवर्तन अवधि के दौरान संविधान की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया था। पता चलेगा कि जहां तक अनुच्छेद 392 का सवाल है, उसमें एक विशिष्ट उप-खंड है जो कहता है कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किए गए

---

*मई की संसदीय प्रणाली -सम्पादीय।

किसी आदेश को सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसा उपबन्ध अनुच्छेद 372 के संबंध में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें वास्तव में विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता और इस प्रकार विशेषाधिकार भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

पंडित मित्रा (पश्चिम बंगाल) : महोदय, क्या आप सामान्य चर्चा की इजाजत देने जा रहे हैं कि यह प्रश्न विशेषाधिकार का है अथवा नहीं.......।

श्री भारती (मद्रास) : अध्यक्ष ने पहले ही विनिर्णय दे दिया है कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं विशेषाधिकार के मामले में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ। जहां तक श्री हुसैन इमाम द्वारा उठाए गए शब्द विशेषाधिकार का प्रश्न है, माननीय विधि मंत्री ने सोचा कि वे उस दूसरे मुद्दे का भी जवाब दे दें। उन्होंने अब अपना दृष्टिकोण रख दिया है। अब प्रश्न नहीं उठता है और मैं इसमें नहीं जाऊंगा।

(उपाध्यक्ष पीठासीन)

***माननीय उपाध्यक्ष :** माननीय विधि मंत्री की बात सुनने के बाद माननीय सदस्य पुनः शुरू कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय जिन मुद्दों को आपने मेरे सामने रखा था, मैंने उन पर विचार किया है और मैं उन मुद्दों पर अपने विचार रखना चाहूँगा।

जिस वास्तविक प्रश्न पर सदन को विचार करना है, वह यह है कि क्या यह विधेयक अनुच्छेद 117–चाहे उस अनुच्छेद का खंड (1) हो या उस अनुच्छेद का खंड (2) हो–का उल्लंघन करता है। यही मुख्य मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना है और अनुच्छेद 117 के आलोक के जिन खंडों पर विचार किया जाना है, वे इस विधेयक के खंड (4), (5) तथा (6) हैं।

मैं खंड (5) तथा (6) को एक साथ लेता हूँ। अब दलील है कि ये खंड अनुच्छेद 117 के खंड (1) का उल्लंघन करते हैं। इस दलील की वैधता उस अर्थ पर निर्भर होगी जो अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उप-खंड (घ) में संलग्न शब्द 'विनियोजन' को दिया जाना है जो बता है 'वित्त विधेयक' क्या है। अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि 'विनियोजन' शब्द जो उप-खंड (घ) में प्रयुक्त हुआ है–और मैंने स्वयं 'संसदीय पद्धति' में इसका सत्यापन किया है जहां इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई है–कलात्मक शब्द है और इसमें दो बातें शामिल हैं; पहली सेवा, विशेष सेवा का नामकरण और दूसरी उस विशेष सेवा पर खर्च किए जाने वाले धन का सही-सही आबंटन। यही दो बातें जो

---

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 12 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6725-27

मिलकर वह बनाती हैं जिसे अब हम विनियोगन के रूप में जानते हैं और इसी अर्थ में यह शब्द संविधान के अनुच्छेद 114 तथा अनुच्छेद 266 दोनों में प्रयुक्त हुआ है।

इस विधेयक में दो खंड 5 तथा 6 को पढ़कर मैं नहीं समझता कि इन दो खंडों में कोई ऐसी चीज शामिल करना संभव है जिसे हम अब 'विनयाजन' शब्द से समझते हैं। मेरी राय में ये तो केवल सरकार के लिए निदेश है कि यह सेवा है जिस पर धन खर्च किया जा सकता है जिसे सरकार खर्च कर सकती है अथवा नहीं भी कर सकती। इसलिए जहां तक इस अनुच्छेद 117, खंड (1) का सवाल है, यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक स्पष्ट है और इस बावत कोई कठिनाई पैदा नहीं हो सकती।

अब, मैं इस विधेयक के खंड 4 पर आता हूँ। वहां हमें यह विचार करना है कि क्या यह खंड अनुच्छेद 117 के खंड (3) का उल्लंघन करता है। मेरा निष्कर्ष है कि यह करता है, क्योंकि इस विधेयक का खंड (3) सरकार पर उस सेवा का दायित्व डालता है जिस पर, यदि सदन द्वारा यह विधेयक पारित कर दिया गया, निस्संदेह संचित निधि से खर्च किया जाएगा। इसलिए इसके लिए अनुच्छेद 117 के खंड (3) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता पड़ेगी।

विचार करने के लिए जो प्रश्न बचता है, वह यह है कि राष्ट्रपति की संस्तुति किस स्तर पर प्राप्त करनी होगी? वहां प्रयुक्त शब्द 'विचार' है। दलील यह है कि 'विचार' का अर्थ है कि इस विधेयक की पहल। मुझे भय है कि मैं इस दलील से सहमत नहीं हो सकता। किसी विधेयक के दो स्तर होते हैं पहला स्तर हमारी भाषा में 'परिचय' कहलाता है जो 'विचार' से भिन्न है। जब कोई विधेयक रख दिया जाता है, तब विचार का स्तर आरंभ होता है और विचार का स्तर उस बिन्दु से प्रारंभ होता है जब विधेयक को, परिचय के बाद, सदन द्वारा हाथ में ले लिया जाता है और जब तक यह पारित नहीं कर दिया जाता। इस अन्तराल के दौरान उस विधेयक के विचार के संबंध में कार्यवाही होती है। इसलिए मेरी विनम्र राय के अनुसार प्रस्ताव को पारित करने के लिए रखने से पूर्व यदि संस्तुति प्राप्त कर ली जाए तो इससे अनुच्छेद 117 के खंड (3) की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। जबकि ऐसा है, तब मेरे विचार से एक व्यावहारिक मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सदन को यह सहज रूप से मानकर नहीं चलना चाहिए कि जब भी इस तरह की आवश्यकता होगी, राष्ट्रपति अपनी सहमति या संस्तुति दे देंगे। यदि वित्तीय देयता का मामला हुआ, तो राष्ट्रपति को इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार करना होगा और पता लगाना होगा कि क्या देश की स्थिति इस प्रकार की है कि वह और अधिक वित्तीय देयता स्वीकार करने को अपनी सहमति दे सकें। संभव है कि राष्ट्रपति अपनी संस्तुति देने से इनकार कर दें और किसी मामले में ऐसा हुआ तो सदन की मेहनत बेकार चली जाएगी। अतः मैं समझता हूँ कि इस नियम को अंगीकार करने या सुझाव देने में कोई नुकसान नहीं है कि जब कभी भी सदन के

समक्ष ऐसा विधेयक रखा जाए जिसमें संचित निधि से व्यय सम्मिलित हो या सम्मिलित होने की संभावना हो, तब सदन को इस बात पर बल देना चाहिए कि विचार करने की शुरूआत के पहले प्रभारी-सदस्य राष्ट्रपति की संस्तुति प्रस्तुत करे ताकि सदन मेहनत में जुट जाए जो अंततः बेकार न जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : हमने इस मुद्दे को पूरी तरह सुन लिया है। मैं माननीय विधि मंत्री के इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ कि अनुच्छेद 110, उप-खंड (1) (घ) में प्रयुक्त 'विनियोजन' केवल कलात्मक पद है जो केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जो मामले अनुच्छेद 114 में दिए हुए हैं। फलतः ये उपबन्ध अनुच्छेद 117(1) के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है। निस्संदेह इसमें संचित निधि से व्यय सम्मिलित है तथा इस प्रकार अनुच्छेद 117 के उप-खंड (3) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

*__माननीय अध्यक्ष :__ जहां तक 'मैकेनिकल' शब्द का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मशीन से संबंधित कोई खराबी हो।

जहां तक श्री सिधवा द्वारा प्रयुक्त शब्द 'कन्स्ट्रक्शन' का सवाल है, यह बिल्कुल विपरीत प्रतीत नहीं होता। 'स्ट्रक्चरल' शब्द इस अर्थ की बेहतर व्याख्या करता है। साथ ही यदि इन दोनों शब्दों को निकाल दिया जाए तो शब्दावली बिल्कुल 'डिफेक्टिव' (दोषपूर्ण) हो जाएगी जो संभवतया अब से ज्यादा अस्पष्ट हो जाएगी। जहां तक खंड 19 में दी गई शक्तियों का सवाल है, शब्दावली 'रजि. करण करने वाले प्राधिकरण की शक्ति, कर्तव्य तथा कार्यों एवं उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं का निर्धारण करें' है। यदि यह नियम बनाने दिया जाए कि रजि. करण करने वाले प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा वह पोत (जहाज) की संरचना की भी देखभाल करे, तब मैं समझता हूँ कि यह कभी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका निर्णय मैं सदन के ऊपर छोड़ता हूँ। यदि माननीय मंत्री शब्दावली बदलना चाहे, तो मैं निश्चित तौर पर इस स्तर पर संशोधन की अनुमति दे दूंगा।

श्री एस.सी. सामंत (पश्चिम बंगाल) : क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ कि हम कहें 'मैकेनिकली या अन्यथा डिफेक्टिव',

श्री सन्तानम : आप इसे और अधिक अस्पष्ट बना रहे हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (उत्तर प्रदेश) : यदि 'मैकेनिकल' शब्द हटा दिया जाए तो इन नियमों से सभी प्रकार की कमियाँ दूर हो जाएंगी।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : क्या मैं एक शब्द बोल सकता हूँ जो मुझे सूझ रहा है? मैंने इस विधेयक को नहीं देखा है, अतः मैं उस राय के आधार पर बोल रहा

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 18 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7006-8

हूँ जो राय मेरी बनी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जहां तक मैं समझता हूँ सुरक्षा पोत (जहाज) की यांत्रिक संरचना पर निर्भर करती है न कि इसकी आकृति या आकार की संरचना पर। अतः मेरी समझ से इन दोनों के बीच अन्तर स्थापित करने की आवश्यकता है—संरचनात्मक खराबी जिसका कि जहाज से कोई संबंध नहीं होता एवं यांत्रिक खराबी जिसका जहाज की सुरक्षा से कुछ, वास्तव में बहुत कुछ, संबंध होता है। इस विधेयक का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस प्रकार बल, मुख्य तौर पर, जहाज के यांत्रिक पक्ष पर दिया जाना चाहिए न कि संरचनात्मक पक्ष पर। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास एक एबलॉन्ग जहाज हो सकता है, ऐसा जहाज हो सकता है जिसका तला अन्य जहाजों से भिन्न हो।

श्री सिधवा : यह तो एक खराबी है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि संरचनात्मक खराबी क्या होता है? कोई कह सकता है, 'मेरे दृष्टिकोण से यह संरचनात्मक खराबी है। इसकी आकृति कुछ अन्य प्रकार की होनी चाहिए थी।' दूसरा व्यक्ति कह सकता है 'यह दूसरी आकृति का होना चाहिए था।' मैं जो निवेदन करने का रहा हूँ वह यह है कि यह विधेयक यात्रियों की सुरक्षा की बात कर रहा है, तथा यात्रियों की सुरक्षा निश्चित तौर पर, मुख्य रूप से, मूलतः जहाज की यांत्रिकता पर निर्भर करती है, और इस प्रकार किसी पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाने के मामले में जो आवश्यक बात है, वह यह है कि उसे देखना चाहिए कि क्या कोई यांत्रिक गड़बड़ी तो नहीं है। यही मेरा निवेदन है।

श्री वेंकटारमन : क्या मैं विधि मंत्री से पूछ सकता हूँ......

डॉ. अम्बेडकर : इसमें विधि की कोई बात नहीं है। मैं केवल सदन के एक सदस्य के तौर पर बात कर रहा हूँ।

श्री हुसैन इमाम : कभी-कभी संरचनात्मक गड़बड़ी यात्रियों की सुरक्षा को क्षति पहुँचा सकती है। उदाहरण के लिए, जहाज की रेलिंग इतनी नीची हो सकती है कि यात्री पानी में गिर जाएं। साथ ही यदि उसके दाँते ठीक प्रकार से ढके नहीं गए हैं तो यात्री उन पर गिर सकते हैं और मर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि इंजन कक्ष उपयुक्त ढंग से सुरक्षित नहीं है तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। 'संरचना' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि आकार तथा आकृति में कोई खराबी है अपितु उसको उसी प्रयोजन के लिए लिया जाना चाहिए जिसके लिए विधि मंत्री जोर डाल रहे हैं, अर्थात्, हमें यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने प्राधिकरण पर विश्वास करना चाहिए कि वह संविधि का इस प्रकार निर्वचन करेंगे कि वह अप्रवृत्तशील न बन जाए। मेरे विचार से 'संरचनात्मक' बहुत ही आवश्यक है।

श्री सिधवा : मेरे मित्र श्री सन्तानम ने कहा कि मेरे शब्दों में यद्यपि यह इरादा सम्मिलित नहीं था फिर भी इसमें अस्पष्टता है और मेरे माननीय मित्र डॉ.अम्बेडकर ने कहा कि हमारा उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा है। मैं भी सुरक्षा चाहता हूँ, परंतु उन्होंने आकार को सुरक्षा से जोड़ दिया है। मेरे माननीय मित्र श्री हुसैन इमाम से सही उदाहरण दिए हैं। मैं सन्तानम को बता दूँ कि कुछ जहाजों के मालिक जानबूझकर रैलिंग नीची रखते हैं और उसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

एक माननीय सदस्य : 'जानबूझकर' इसे नीचा क्यों रखते हैं?

श्री सिधवा : क्योंकि इससे लागत कम आती है। डैक यात्री समिति ने इस आधार पर संरचना तैयार की है। उदाहरण के लिए अनेक अन्य संरचनात्मक बिन्दु हैं, जहाँ खराब लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जिन्हें इस क्षेत्र का अनुभव रहा है, उन्होंने मेरे सुझाव के पक्ष में बोला है। दुर्भाग्यवश, मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर..........।

डॉ अम्बेडकर : मैंने बहुत यात्राएं की हैं.........।

---

(29)
उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता (उच्च न्यायालयों में वकालत) विधेयक

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ।

"कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को किसी उच्च न्यायालय में साधिकार वकालत करने को प्राधिकृत करने के विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक अति साधारण विधेयक है। सदन ने यह देखा होगा कि अब भारत में दो अलग-अलग न्यायालय हैं—उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। नामांकित व्यक्तियों से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र हैं जो अधिकारस्वरूप उनके समक्ष वकालत कर सकते हैं। न्यायालयों में पैरवी करने वाले व्यक्तियों के नामांकन के लिए उच्च न्यायालयों के अपने नियम हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपनी नियमावली तैयार की है जिन्हें गजट में प्रकाशित किया गया है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति तब तक अधिवक्ता के रूप में नामांकन का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके पास :

(1) (क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय की विधि की डिग्री न हो; या

(ख) वह इंग्लिश बार का सदस्य न हो।

(2) वह भारत में उच्च न्यायालय में अथवा न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक अथवा किसी अन्य अधिवक्ता के रूप में सात साल तक नामांकित रहा हो।

अत: इस समय हमारे पास दो प्रकार के वकील हैं एक वे जो उच्चतम न्यायालय की नामावली पर नामांकित हैं और एक वे जो उच्च न्यायालय की नामावली पर नामांकित हैं। वे उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के हकदार नहीं हैं तब तक वे विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी नामांकित न हों। यह महसूस किया गया कि इससे मुवक्किलों को काफी कठिनाई होती है। इससे होने वाली कठिनाई को मैं एक साधारण उदाहरण द्व ारा स्पष्ट करता हूँ। उदाहरणार्थ एक अपील मद्रास उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में आती है। मुवक्किल मद्रास अधिवक्ता से मामले की पैरवी कराने की बजाय उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता से मामले की पैरवी करवाना चाहता है जिसका वह पूर्ण हकदार है बशर्ते उत्तर प्रदेश का वह वकील उच्चतम न्यायालय में नामांकित हो। तथापि यह भी हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले को अंतिम रूप से न निपटाया जाए और उच्चतम न्यायालय आगे साक्ष्य के लिए अथवा कुछ मुद्दों की जांच हेतु अथवा साक्ष्य

---

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7120-25

अथवा ऐसा ही कुछ लेने के लिये मामले को मूल उच्च न्यायालय में वापस भेज दें जहाँ से यह आया था। अब उत्तर प्रदेश का वकील जिसे मद्रास से आए मामले में उच्चतम न्यायालय में पैरवी करने के लिए मूलतः नियुक्त किया गया था, जबकि वह उच्चतम न्यायालय में मामले की पैरवी कर सकता है और मामले का संचालन कर सकता है और मामले पर बहस कर सकता है, जब मामला वापस मद्रास उच्च न्यायालय में भेजा जाता है वह मामले की पैरवी नहीं कर सकता, क्योंकि वह मद्रास का अधिवक्ता नहीं है, वह अधिवक्ता है उत्तर प्रदेश का। अब यह महसूस किया गया कि इस कठिनाई का समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें न केवल मुवक्किल का हित है बल्कि न्याय का हित है कि एक वकील जिसने इस मामले का अध्ययन करने के लिए और उसे समझने के लिए अपना समय और उर्जा खर्च की हो इस मामले को जब मूल न्यायालय में वापस भेजा जाए तो उसे इसकी पैरवी करने की भी स्थिति में हो।

अब इस कठिनाई का समाधान दो अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। इसके समाधान का एक तरीका होगा कि कोई विशिष्ट वकील, जिसे किसी विशेष मामले की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया है, जब वह मामला वापस जाता है तो वह विशिष्ट वकील उस मामले की पैरवी करने का हकदार होगा। दूसरा तरीका यह होगा कि एक आम नियम बनाया जाए कि उच्चतम न्यायालय में नामांकित सभी वकीलों और अधिवक्ताओं को यह अधिकार होगा वह किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकें। मूल विचार जिस पर हम आगे बढ़ रहे थे सीमित है, किन्तु तदुपरांत और विचार किए जाने पर यह महसूस किया गया कि एक आम नियम वांछनीय होगा जो यह अनुमति देता हो कि उच्चतम न्यायालय में नामांकित सभी अधिवक्ता किसी भी उच्च न्यायालय में व्यवसाय करने के हकदार होंगे और इसमें आगे कोई कार्यविधि नहीं होगी। इस विधेयक का यही प्रस्ताव है। जैसा कि मैंने कहा इसी आम सिद्धांत को यह विधेयक मूर्त रूप प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय में नामांकित वकील मूल पक्ष में उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने हेतु स्वतः हकदार नहीं होगा। वह बिना किसी नामांकन के अपीली पक्ष में विधि व्यवसाय कर सकता है किन्तु मूल पक्ष में नहीं। प्रस्तावित दूसरा अपवाद ऐसे वकील से संबंधित है जो पूर्व-न्यायाधीश है और नामांकित है, क्योंकि संविधान के अस्तित्व में आने से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था जो न्यायाधीशों को सेवानिवृत होने के बाद विधि व्यवसाय से रोकता हो। वे विधि व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे और ऐसे कई मामले हैं जिनमें न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नामांकित हैं और वे विधि व्यवसाय कर सकते हैं। किन्तु ऐसे भी मामले हैं जिनमें व्यक्तियों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों में संविधान के अस्तित्व में आने से पहले हुई थी, उनसे अपेक्षित है कि वे वचन दें कि वे किसी विशेष उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं करेंगे। हमारी अपवाद कहती है कि यदि उच्चतम न्यायालय का कोई अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश रहा हो तथा जिसने किसी विशेष

न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का वचन दिया हो (जो उसके अपने प्रांत का उच्च न्यायालय ही हो) तो वह विधि व्यवसाय नहीं करेगा, उस विधेयक में उपबंध के रहते हुए भी ये इस विधेयक के साधारण उपबंध हैं।

श्री सी. सुब्रमण्यम (मद्रास) : पहले अपवाद का क्या कारण है?

डॉ. अम्बेडकर : कारण यह है। विधिज्ञ परिषद अधिनियम के अधीन एक विशेष उपबंध है। मेरा मानना है कि अब ऐसे केवल तीन न्यायालय हैं जिन्हें मूल अधिकारिता मिली है। अन्य सभी उच्च न्यायालय केवल अपीली उच्च न्यायालय हैं और उनकी कोई मूल अधिकारिता नहीं है किन्तु उन्हें मूल पक्ष के व्यक्तियों के नामांकन के लिए नियम बनाने के विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्योंकि विधिज्ञ परिषद अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया, अतः इस उपबंध को अक्षुण्ण रखना वांछनीय समझा गया। इससे अधिक कठिनाई नहीं होगी क्योंकि जब उच्चतम न्यायालय द्वारा मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है तो इसकी पूरी संभावना है और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि इस मामले की पैरवी उच्च न्यायालय के अपीली पक्ष द्वारा की जाय।

श्री एस.एन. सिन्हा (बिहार) : कुछ उच्च न्यायालयों में प्रोबेट तथा कंपनी कानून जैसे मामलों में मूल अधिकारिता है। इन मामलों में भी क्या आप प्रतिशोध करने जा रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : स्थानीय वकीलों के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

"कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को किसी उच्च न्यायालय में साधिकार वकालत करने को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वेंकटरमन (मद्रास) : यदि यह विधेयक देश के अधिवक्ताओं को एकीकृत करता है तो इसका स्वागत है। न केवल उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद बल्कि उससे पहले भी, परिसंघीय न्यायालय की स्थापना के ठीक बाद मद्रास में साल-दर-साल आयोजित होने वाले वकीलों के सम्मेलन में यह संकल्प पारित करके सुझाव दिया गया था कि भारत में अधिवक्ता एकीकृत होने चाहिएं और अखिल भारतीय बार कौंसिल होनी चाहिए और इन सभी वकीलों का नामांकन व इन पर अनुशासनिक अधिकार केवल एक केन्द्रीय नियंत्रण अर्थात्, अखिल भारतीय बार कौंसिल के अंतर्गत लाना चाहिए। यद्यपि इस विधेयक में ऐसा उपबंध नहीं है फिर भी यह बिल इस दिशा में एक पहल है। इसके अनुसार ऐसे अधिवक्ता, जो उच्चतम न्यायालय में नामांकित हैं, उच्च न्यायालयों में वकालत करने के हकदार होंगे चाहे उन्होंने उन उच्च न्यायालयों में स्वयं अपने लिए स्थापित किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी यह मंशा है कि उच्चतम न्यायालय के

सदस्य के रूप में नामांकित अधिवक्ता को उस प्रांत में जाने और मामले की पैरवी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिस प्रांत से संबंधित वह मामला है चाहे उस प्रांत के न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में उसका नामांकन न भी हुआ हो। यदि आप केवल उदाहरण के दिए गए "मद्रास" शब्द को बदल देते हैं जैसाकि मंत्री महोदय ने "बम्बई" शब्द द्वारा किया है और उसके बाद सभी क्रियाविधियों को क्रमवार लागू करते हैं जैसा कि उन्होंने किया है तो आप पाएंगे कि इस विधेयक में सुनिश्चित रूप से व्यक्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। मैं स्वयं इस उदाहरण को दोहराऊंगा।

मान लीजिए कोई मामला (केस) बम्बई से आया है और मद्रास के किसी अधिवक्ता को उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी अपील कर मामले की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो यह संभव है कि उच्चतम न्यायालय इस मामले को न केवल उच्च न्यायालय के अपीली पक्ष को वापस भेज दे अपितु उस मूल न्यायालय क पास निष्कर्ष के लिए भी वापस भेज दे। जहाँ अधिवक्ता ने इस मामले (केस) का अध्ययन किया व इसको तैयार किया और इस पर काफी समय खर्च किया—मुवक्किल ने भी उस अधिवक्ता को इस केस के बारे में खुलासा करते समय व निदेश देते समय काफी पैसा भी खर्च किया होगा जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, मूल पक्ष की ओर से मात्र इसलिए उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा कि इस विधेयक के अपवाद समाविष्ट किया गया है। आइए मैं समाविष्ट किए गए इस अपवाद के औचित्य पर दृष्टिपात करूँ।

डॉ. अम्बेडकर : इसमें कोई तक नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री वेंकटरमन : इन्होंने मेरे मुँह की बात छीन ली है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं तर्क को नहीं मानता। मैं काम को जल्दी निपटाने में विश्वास करता हूँ।

श्री वेंकटरमन : तो मैं अपनी बात इस आधार पर आगे बढ़ाऊँ कि इसमें कोई तर्क नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि क्या इसमें अनुच्छेद 22 के अधीन मूल अधिकारों का प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : हमने अभी अनेक न्यायाधीशों से सुना है कि वे वर्गीकरण करने के लिए तैयार हैं।

श्री वेंकटरमन : संविधान का अनुच्छेद 22 विधि व्यवसायियों को यह अधिकार देता है कि वे सभी न्यायालयों में हाजिर हो सकते हैं। निश्चित रूप से इस अधिनियम को किसी दिन कुछ उत्साही वकील चुनौती देंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है।

इसके अलावा, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि खंड 2 के परंतुक के भाग (क) के लोप से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि बम्बई में भी उन्होंने मूल पक्ष के अधिवक्ताओं और अपीली पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच के अंतर को समाप्त किया है।

डॉ. अम्बेडकर : वे एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाने की अनुमति देते हैं।

श्री वेंकटरमन : अपीली पक्ष के विधि व्यवसायियों के लिए अब तक प्रचलित परम्परा कि वे मूल पक्ष के मामलों (केसों) की पैरवी करने हकदार नहीं हैं, समाप्त हो चुकी है और आज अपीली पक्ष के विधि व्यवसायी, मूल पक्ष में भी हाजिर हो सकते हैं, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय में हो रहा है। जहां तक मद्रास उच्च न्यायालय का संबंध है, अपीली पक्ष और मूल पक्ष के विधि व्यवसायियों के बीच कोई अंतर नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय का अधिवक्ता अपीली और मूल दोनों पक्षों में किसी भी मामले (केस) में हाजिर हो सकता है.......

डॉ. अम्बेडकर : वे तो नंगे पांव भी जाते हैं।

श्री वेंकटरमन : वहाँ प्रथाएं ही प्रथाएं हैं। मैं यहाँ कई ऐसे लोगों को देख सकता हूँ जो मेरे देशवासियों को विस्मयकारी प्रतीत होंगे।

हम यहां चप्पल-जूतों के बारे में बात करने नहीं आए हैं, बल्कि विधि व्यवसायियों के कानूनी अधिकारों के बारे में बात करने आए हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के विधि व्यवसायी पर भी समान नियम लागू होते हैं। बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय के बीच अंतर यह है—जबकि मद्रास उच्च न्यायालय में कोई दोहरी व्यवस्था नहीं है, मूल पक्ष में किसी मामले (केस) की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता को किसी न्यायवादी अथवा सॉलिसिटर के निदेशों की आवश्यकता नहीं होती, अपीली पक्ष में उनकी यह व्यवस्था है जिसमें मूल पक्ष में विधि व्यवसायी को सॉलिसिटर अथवा न्यायवादी द्वारा निवेश दिए जाने की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूँ कि सॉलिसिटर अथवा न्यायवादी द्वारा निदेश दिए जाने की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूँ कि सॉलिसिटर और न्यायवादी उनके अधिकार उनके लिए संरक्षित करने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं। जहां तक उनके अधिकारों का संबंध है उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। कोई भी विधि व्यवसायी किसी मामले (केस) की पैरवी कर सकता है किन्तु उसे न्यायवादी अथवा सॉलिसिटर द्वारा निदेश दिए जाने चाहिएं। यदि यही उद्देश्य है तो इसे "अभिवचन करना" शब्दों को हटाकर संरक्षित अथवा प्राप्त किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी विधि व्यवसायी को बंबई उच्च न्यायालय अथवा मूल पक्ष में किसी अन्य उच्च न्यायालय के समक्ष जाने से रोका जा सकता है। इस परंतुक के भाग (क) के साथ लागू इस

विधेयक के कारण उच्चतम न्यायालय के विधि व्यवसायी के लिए मूल पक्ष की ओर से मामले (केस) की पैरवी करना असंभव होगा, इस तथ्य के बावजूद कि उसने उस मामले विशेष में स्वयं उच्चतम न्यायालय के समक्ष पैरवी की थी और इस मामले को उस न्यायालय के मूल पक्ष के पास भेजा गया था।

एक माननीय सदस्य : इन्हें अपनी चर्चा कल जारी रखने दें। पाँच बज गए हैं।

तत्पश्चात् सदन को शुक्रवार 20 अप्रैल, 1951 के पौने ग्याहर बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

*उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता (उच्च न्यायालयों में वकालत) विधेयक-जारी

माननीय अध्यक्ष : अब हम विधायी कार्य कर आगे कार्रवाई करेंगे अर्थात् डॉ. अम्बेडकर द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव पर–

"कि इस विधेयक पर जो उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को प्राधिकृत करता है कि वे साधिकार किसी उच्च न्यायालय के मामले (केस) की पैरवी कर सकता है, विचार किया जाए।"

श्री वेंकटरमन (मद्रास) : कल मैं निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक एक स्वागत योग्य उपाय है, किन्तु यह परंतुक इस विधेयक के मुख्य उद्देयय के विरुद्ध है। मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे.........

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : कार्यवाही को संक्षिप्त करने के लिए मैं कह सकता हूं कि मैं संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जो निस्संदेह अन्य बातें समझने के अधीन होगा।

श्री वेंकटरमन : इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए मैं माननीय विधि मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इसीलिए मैं इस परंतुक में खंड (क) को छोड़कर इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : मैं इस दिल का समर्थन करता हूँ......

परंतुक (ख) के संबंध में मैं अपना मत रखना चाहूँगा। परंतुक (ख) का आशय है कि :

(ख) "ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत करना जिसमें कि वह किसी समय न्यायाधीश रहा हो, यदि उसने न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत होने के बाद उस न्यायालय में वकालत न करने का वचन दिया हो।"

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7129-34

मैं निवेदन करता हूँ कि उच्च न्यायालय में पूर्व न्यायधीश रह चुके किसी व्यक्ति द्वारा उस उच्च न्यायालय में वकालत करने पर प्रतिबंध किसी शपथ या वचन पर आधारित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक नीति में अपेक्षित होता है कि किसी उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश को उसी न्यायालय में वकालत नहीं करनी चाहिए, किन्तु यह 'परंतुक' दिए गए वचन के आधार पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसे कई उच्च न्यायालय हैं जहां कोई भी वचन नहीं लिया जाता है। अतः यदि पूर्व न्यायधीश को किसी विशेष न्यायालय में वकालत करने से रोका जाना है तो यह दिए गए वचन से स्वतंत्र होना चाहिए। संविधान में एक अनुच्छेद है जिसके अनुसार सभी पूर्व न्यायधीशों पर न केवल उस न्यायालय में जहां वे न्यायधीश थे, बल्कि सभी अन्य न्यायालयों में; विधि व्यवसाय करने पर प्रतिबंध होगा। मैं निवेदन करता हूँ कि परंतुक (ख) इसके विरुद्ध है। इस परंतुक के परिण ाामस्वरूप कोई पूर्व न्यायाधीश यदि उसने वचन नहीं दिया हो तो वह उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। हालांकि संविधान के अनुसार सभी पूर्व न्यायाधीशों को किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने पर प्रतिबंध है।

डॉ. टेक चंद (पंजाब) : संविधान लागू होने के बाद नियुक्त न्यायाधीश।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, यही नियम है।

***माननीय अध्यक्ष :** संशोधनों का प्रश्न बाद में आएगा। संभवतः माननीय विधि मंत्री के उत्तर के बाद माननीय सदस्यों की अनेक शंकाओं का समाधान हो सकता है। उसके बाद हम संशोधनों पर विचार कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों के दौरान उठाए गए अधिकतर प्रश्नों का इस विधेयक के गुणावगुणों से कुछ लेना-देना नहीं है। ये प्रश्न ऐसे विषय से जुड़े हुए हैं जो अधिवक्ताओं के एकीकरण से अधिक संबंधित है। इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है और ऐसी कठिनाइयों को दूर करना है जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी स्वतंत्र अधिकारिता में अधिवक्ताओं के नामांकन के कारण उत्पन्न होती हैं। मुवक्विलों को इसलिए कष्ट उठाना पड़ा है क्योंकि जिन वकीलों की वे उच्चतम न्यायालय में सेवाएं लेते हैं उन्हें उच्च न्यायालय में पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि मामला (केस) उच्चतम न्यायालय द्वारा उसी उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। यह इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है। किन्तु इस सामान्य आकांक्षा के मद्देनजर कि इस सीमित उद्देश्य की प्राप्ति के समय भी बार के एकीकरण की दिशा में कुछ किया जा सकता है, मैंने दो प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है जो वास्तव में विधेयक के प्रत्यक्ष उद्देश्य से परे हैं।

इनमें से एक है उच्चतम न्यायालय में नामांकित सभी वकीलों को अनुमति देना कि

---

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7140-42

वे सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। निस्संदेह, इसका अर्थ है विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ सभी न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार।

दूसरा मुद्दा जो मैंने स्वीकृत किया है वह है बिल में मूलतः समाविष्ट यह प्रतिबंध कि वकालत न्यायालय में नामांकित अधिकताओं को इस बिल द्वारा दिया जा रहा वकालत का अधिकार केवल अपीली पक्ष तक ही सीमित होगा। इस खंड को हटाया जा रहा है।

मैंने विभिन्न भाषण सुने हैं और मैं इतना ही कह सकता हूँ मैं इन कठिनाइयों को महसूस करता हूं तथा विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से मुझे सहानुभूति है। जब कभी अवसर और समय होगा, भारत सरकार निस्संदेह इस मामले पर विचार करेगी और एक ऐसा व्यापक उपाय करेगी जो भारत में बार का एकीकरण करेगा जो यहां उपस्थित अनेक सदस्यों का पसंदीदा विषय है। अतः मैं इस प्रश्न के इस पहलू पर विचार नहीं करूंगा।

तब केवल एक प्रश्न रह जाता है जिसे मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उठाया था। मेरा मानना है कि यह प्रश्न भी इस विधेयक के गुणावगुणों से बाहर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कुछ भी हम संसद में करते हैं वह संविधान के उपबंधों के अधीन होना चाहिए। यदि संविधान का अनुच्छेद 22 यह अनुमति देता है कि कोई अभियुक्त (दोषी व्यक्ति) स्वयं के बचाव के लिए किसी विधि व्यवसायी की सेवाएं ले सकता है और यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में से किसी एक न्यायालय द्वारा लागू नामांकन नियावमली द्वारा कोई व्यक्ति संविधान के अभिप्राय के भीतर व्यवसायी नहीं बनता तो मेरे विचार में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद से अलग हों, उस समय संविधान में लिखी हुई बात ही मानी जाएगी। इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे मस्तिष्क में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि संविधान में "विधि व्यवसायी" शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या यह इस आम लोकप्रिय अर्थ में प्रयुक्त होता है कि कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय जा सकता है तथा किसी भी मामले (केस) में पैरवी कर सकता है, विधि व्यवसायी है अथवा क्या संविधान में इस शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में हुआ है कि विधि व्यवसायी का अर्थ है उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई नियमावली अथवा विधि व्यवसायी अधिनियम में विधि व्यवसायी के रूप में परिभाषित व्यक्ति। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं अपनी राय नहीं देना चाहूंगा। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भी मानेंगे कि विधि व्यवसायी अधिनियम भी उन सभी को विधि व्यवसाय करने का आम अधिकार नहीं देता उन्हें विधि व्यवसायियों के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कुछ वर्गों के लिए ही अलग से चिह्नित तथा सीमित है। उदाहरणार्थ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम के अर्थ में अधिवक्ता तथा मुख्तयार विधि व्यवसायी है, किन्तु जैसा कि वे जानते होंगे, विधि व्यवसाय करने का उनको कोई आम अधिकार नहीं है न ही

विधि व्यवसाय करने का उनका अधिकार स्थायी है। उनके प्रमाण–पत्र वार्षिक प्रमाण–पत्र होते हैं और जब ये प्रमाण–पत्र समाप्त हो जाते हैं तब वे विधि व्यवसायी नहीं रहते। मेरे ख्याल में ये सभी चीजें इस विधेयक के उद्देश्य के लिए अप्रसांगिक हैं तथा जब मामले को न्यायालय में उठाया जाएगा तो निस्संदेह ये अपना ध्यान स्वयं रखेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई और मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है कि :

"कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को किसी भी उच्च न्यायालय में साधिकार वकालत करने को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 2 (किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत करने का अधिकार)

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय मंत्री इन संशोधनों में से किसी संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इस परंतुक में भाग (क) को हटाने संबंधी श्री अहमद मीरान के संशोधन सं. 7 के अलावा मैं इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। किन्तु निस्संदेह मेरे मित्र यह मानेंगे कि थोड़े–बहुत पुनर्प्रारूपण की आवश्यकता होगी क्योंकि यदि (क) जाता है तो (ख) को नया संख्यांक देना पड़ेगा।

***माननीय अध्यक्ष :** मुझे लगता है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मरे माननीय मित्र ने वस्तुतः स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और मुझे नहीं लगता मैं इस विषय में और कुछ कहना चाहूँगा। किन्तु मैंने इसे उनकी तुलना में और अधिक साधारण बना दिया है। स्थिति यह है कि संविधान का अनुच्छेद 220 उन भावी न्यायाधीशों पर लागू होता है जिन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद संविधान के आरंभ होने के बाद ग्रहण किया है। उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष चाहे वह उच्च न्यायालय हो अथवा अधीनस्थ न्यायालय उनका विधि व्यवसाय करने का प्रश्न नहीं उठ सकता।

डॉ. टेक चंद : भारत में।

डॉ अम्बेडकर : हाँ भारत में। क्योंकि अनुच्छेद 220 का विशेष रूप से ऐसा कहना है। हम उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं जो संविधान के बनने से पहले ही न्यायाधीश थे, जैसा कि मेरे मित्र ने इंगित किया है। संविधान के

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7147–49

बनने से पहले के न्यायाधीश, बहस के लिए दो वर्गों में विभाजित हो सकते हैं : वे जिन्होंने वचन दिया है कि वे अपने न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं करेंगे, दूसरे वे जिन्होंने वचन नहीं दिया है। इस परंतुक का यह प्रयास है कि यह उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों पर, जिन्होंने पहले ही वचन दे दिया था, लागू हो। यह साधारण स्थिति है। निस्संदेह, इस सदन के लिए यह पूरी तरह संभव है कि वह इस परंतुक के क्षेत्र का विस्तार करे एवं कहे कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को भले ही उसने वचन भी नहीं दिया हो, वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; यह विधायिका की शक्ति के अन्तर्गत है। किंतु असल मुद्दा यह है कि ऐसे लोग, जिन्होंने इस निश्चित शर्त के आधार पर पद स्वीकार किए हैं कि उन्हें सेवानिवृत होने के बाद विधि व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी और अब हमारे लिए कानून के विधान का निर्माण करना और यह कहना सही नहीं होगा। भले ही उन्होंने वचन नहीं दिया है, फिर भी यह नया नियम कि वे विधि व्यवसाय नहीं करेंगे; उन पर लागू होगा। इसी कारण उप-खंड (ख) इतना प्रतिबंधित है और केवल उन्हीं पर लागू होता है जिन्होंने वचन दिया है। इसलिए इससे किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद : क्या मैं बता सकता हूं कि परंतुक (ख) उन न्यायाधीशों तक सीमित नहीं है जो संविधान के निर्माण के पहले न्यायाधीश थे? इस परंतुक के अनुसार "उस उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करना जिसमें किसी समय वे न्यायाधीश थे.........., न कि संविधान के पहले से नहीं।"

डॉ. अम्बेडकर : मुद्दा यह है कि, दूसरा प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि संविधान में इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद : मैंने यही कहा है।

डॉ. अम्बेडकर : आप कोई ऐसा कार्य क्यों करना चाहते हैं जो संविधान कर चुका है। ऐसे वचन का प्रश्न नहीं उठता। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की स्थिति में संविधान द्वारा इस मामले को अंतिम रूप से निपटा दिया गया है। हम एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जो कानून में नहीं आता और जो केवल वायदों, प्रथाओं और वचनों से विनियमित होता है।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री एक और मुद्दा स्पष्ट करेंगे? क्या ऐसे न्यायाधीशों, जो संविधान पारित होने के बाद विधि व्यवसाय करने के अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहते थे, को त्यागपत्र देने तथा न्यायाधीश नहीं रहने का विकल्प दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : वे स्थिति से परिचित थे और जब संविधान विचारधीन था तो उनमें से कुछ ने—मैं ऐसे दो या तीन सज्जनों को जानता हूँ—त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उन्होंने उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया था। यह सभी जानते हैं।

श्री जे.आर. कपूर : मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूँगा कि न्यायाधीशों को त्याग-पत्र देने का विकल्प दिया गया था और कुछ न्यायाधीशों ने त्याग-पत्र दिए भी हैं। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद का भी था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने केवल इस नये अनुच्छेद के कारण त्याग-पत्र दे दिया।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा ही एक मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी था।

डॉ. अम्बेडकर : सदन की जानकारी के लिये मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश ने जो सेवानिवृत हो चुके हैं, आगे विधि व्यवसाय न करने के लिये वचन दिया है। यहां ऐसे केवल दो ही सज्जन हैं, सौभाग्य से जो जीवित हैं, और जिन्होंने ऐसा वचन नहीं दिया है (एक माननीय सदस्य: एक यहां मौजूद हैं) ऐसे में तथाकथित समस्या की गुंजाईश बहुत सीमित है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमन, मीरान संशोधन रख सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : वह पहले ही रखा जा चुका है।

श्री वेंकटरामन : मैं इस विषय पर केवल सामान्य चर्चा के दौरान ही बोला था।

माननीय अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि यह विधेयक पांच मिनट में पूरा कर दिया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

श्री जे.आर. कपूर : जब खंड-1 रखा जाये तो मैं दो मिनट लेना चाहूँगा क्योंकि इस विषय पर मेरे गंभीर विचार हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह सदन अपराह्न 2.35 तक स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात् सदन दोपहर के भोजन के लिए दो बजकर पैंतीस तक स्थगित हो गया।

सदन ने दोपहर के भोजन के बाद 2.35 बजे पुनः अपनी कार्यवाही आरंभ की।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन)

***माननीय अध्यक्ष :** और अब तक केवल दो संशोधन पारित हुए हैं अब मैं उन्हें मतदान के लिए रखूंगा।

श्री मीरान : सं. 7 को सं. 6 से पहले रखा जाये।

---

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7150

श्री कपूर : आपकी अनुमति से और यदि विधि मंत्री सहमत हो तो मैं यह सुझाव दूंगा कि 'स्पष्टीकरण' हटा दिया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, स्पष्टीकरण आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है मैं यह तब स्पष्ट करूंगा जब श्री कपूर अपने संशोधन को अन्य विधेयक के लिए रखेंगे।

यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक में शामिल कर लिया गया।

****माननीय अध्यक्ष :** क्या माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : उत्तर की आवश्यकता नहीं है

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है।

"कि खंड 1 इस विधेयक का भाग बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

शीर्षक और अधिनियमन सूत्र इस विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

**सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7150

(30)

*सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

**सिविल एवम् दंड प्रक्रिया संहिताएं (संशोधन) विधेयक

***__विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :__ मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन लाना है। जैसा कि सदन जानता है संविधान ने भारत के न्यायालयों को यह घोषणा करने का अधिकार दिया है कि विधानमंडल, केन्द्र अथवा प्रांत द्वारा बनाए गए कोई विशेष कानून उस विधानमंडल के अधिकाराधीन या अधिकारसतीत है। अब इस अधिकार का उपयोग अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा किया जा रहा है और संसद सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कुछ असाधारण निर्णय दिए गए हैं जिनमें कुछ कानूनों को अधिकारातीत घोषित किया गया है। यह महसूस किया गया है कि अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए यह घोषित करने का अधिकार छोड़ना उचित नहीं होगा कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून अधिकाराधीन अथवा अधिकारातीत हैं।

सबसे पहले, अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों की अवमानना किए बिना कानून की अधिकाराधीन अथवा अधिकारातीत होने से संबंधित समस्याओं से निपटाने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका को योग्य नहीं कहा जा सकता। दूसरा, सामान्यत: अधीनस्थ

---

*सं. वा., खंड 7, भाग II, 18 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 1834-35

**सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7153-76

***सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7153-54

न्यायालयों के सामने प्रस्तुत होने वाले वकील ऐसे बिन्दुओं के सही निर्णय करने के लिए न्यायालयों की सहायता करने में सक्षम नहीं हो सकते। अतः महसूस किया गया है कि सांविधानिक महत्व के प्रश्नों के निर्णय की एकरूपता के पक्ष में यह उचित है कि किसी भी कानून को अधिकारातीत घोषित करने के अधिकार को अधीनस्थ न्यायपालिका से वापस ले लेना चाहिए। यह विधेयक अमरीका के कुछ राज्यों में मौजूद प्रक्रिय का अनुकरण करता है जिनमें कानून द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका को सांविधानिक महत्व के प्रश्नों पर निर्णय देने से मना किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में कोई विशेष बात नहीं है। हमारा एक ऐसे परंतुक को जोड़ कर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 113 में इस विधेयक द्वारा संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायाधीश यह आवश्यक समझता है कि कोई विशेष कानून अधिकारातीत है तो उक्त मामला उच्च न्यायालय में भेजा जाए तथा उसके निर्णय का इंतजार किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है। यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि यह अधिनियम अधिकारातीत है तो मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जाए।

यह सब इस विधेयक में है जिसकी मैंने सदन से सिफारिश की है।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

***डॉ. टेक चन्द :** ....मेरा निवेदन है कि यह विधेयक काफी ठोस सिद्धांतों पर आधारित है और इसे बिना चर्चा के पारित किया जाना चाहिए।

मुझे अपने माननीय मित्र श्री शिव चरण लाल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में कुछ कहना है। वे समझते हैं कि अधिनियम, अध्यादेश एवम् विनियम शब्दों के बाद "नियमों अथवा आदेशों" शब्दों को जोड़ा जाए जो इस विधेयक में पहले से ही हैं अर्थात अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम के अधीन पारित विशेष नियम अथवा विशेष आदेश की वैधता से संबंधित प्रश्न उठता है तो उसे भी उसी तरह उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए जैसा कि इस विधेयक में उसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की वैधता से संबंधित बिन्दुओं के लिए उपबंध है।

इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि न तो यह आवश्यक है और न अनुकूल है कि कलक्टर अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे नियम बनाने अथवा आदेश

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7172-76

पारित करने का अधिकार दिया गया है, पारित आदेश की वैधता से जुड़े प्रत्येक छोटे से छोटे मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जाए। इससे उच्च न्यायालय में भेजे जाने वाले मामलों की संख्या में अनावश्यक रूप से वृद्धि होगी। इस विधेयक में अत्यधिक महत्व के निम्न तीन प्रकार के मामलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है : (i) केन्द्रीय विधायिका के अधिनियम अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम, एवम् (ii) विधानमंडल के अधिनियमों के आधार पर मान्य अध्यादेश और (iii) विनियम/प्रत्येक विनियम नहीं, बल्कि बंगाल, बाम्बे और मद्रास में पारित अथवा 1897 के साधारण खंड अधिनियम में परिभाषित विनियम। ये विनियम पुराने हैं, जो विधानमंडलों की स्थापना से पहले प्रख्यापति किए गए थे परन्तु ये संविधि पुस्तक में रखे गए हैं। अतः वे उसी बल के साथ लागू होते हैं और उसी आधार पर हैं जिस पर अधिनियम और अध्यादेश आधारित हैं, उदाहरणार्थ, 1818 का विनियम III अतः यह विधेयक केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें विधानमंडल के अधिनियम की वैधता सम्बद्ध है और यह कलक्टर अथवा सरकार के सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, पारित आदेश की वैधता पर लागू नहीं होगा। ये ठीक ही विधेयक की परिधि में नहीं आते।

महोदय, मैं समझता हूँ कि यह हितकारी उपबंध है और यह विधेयक यथावत् पारित किया जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कृपया मेरे माननीय मित्र डॉ. टेक चन्द की टिप्पणियों को अंगीकार करने की अनुमति दी जाए क्योंकि यहां जो कुछ कहा जा चुका है उसके अतिरिक्त मुझे जो कुछ कहना है वह बहुत कम है एवम् उसके लिए समय भी बहुत कम है। हमने इन प्रश्नों पर चर्चा की थी एवम् उन्होंने अब वही कहा है जो यदि मुझे अवसर मिलता तो मैं भी वही कहता। मैं समझता हूँ कि वह पर्याप्त होगा। यदि इस तरह के संशोधन अथवा ऐसे मामलों से कोई बिन्दु उठता है तो मैं उनसे अवश्य निपटूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है।

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवम् दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 2 (1908 के अधिनियम V का संशोधन)

श्री शिवचरण लाल : मैं इस खंड में एक संशोधन चाहता हूं। यदि माननीय विधि मंत्री इसे स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो मैं इसे रखूं। अन्यथा मैं इसे नहीं रखूंगा।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, इसे स्वीकार करने की मंशा नहीं है।

श्री के. वैद्य : महोदय, आदेश XLVI के नियम-2 और इसी आदेश के नियम-5 असंगत प्रतीत होते हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री स्थिति को स्पष्ट करें, मैं सूची संख्या 3 के अपने संशोधन संख्या 2 और 3 का हवाला दे रहा हूँ। मैं संशोधन संख्या 1 को नहीं रख रहा हूँ। मैं इस बिन्दु को पहले भी उठा चुका हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय विधि मंत्री क्या कहना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह उचित एवम् उपयुक्त है कि किसी एक मामले में सभी कार्यवहियाँ रोक दी जाएं।

माननीय अध्यक्ष : किन्तु श्री वैद्य अपने संशोधन संख्या 1 को नहीं रख रहे हैं।

4.00 बजे अपराह्न

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ, किन्तु जिन संशोधनों का इन्होंने हवाला दिया है वे उनके संशोधन संख्या 1 का परिणाम हैं अतः यदि यह नहीं रखा जाता है तो अन्य संशोधनों में कोई दम नहीं है।

श्री के. वैद्य : ये पारिमाणिक नहीं हैं क्योंकि...........

माननीय अध्यक्ष : पहले उन्हें स्थिति स्पष्ट करने दें।

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने इसे समझा है, स्थिति इस प्रकार है। सुझाव है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश भेजा जाए तो उस मामले में कार्यवाहियां स्थगित होनी चाहिएं। यह माननीय सदस्य का मूल मुद्दा है। उस न्यायालय को तब तक कोई कार्रवाही नहीं करनी चाहिए जब तक कि उच्च न्यायालय अपने निर्वचन सहित कागजात न लौटाए। इस स्थिति से मैं इस कारण से पूर्णतः अहसमत हूं कि एक मामला सांविधानिक प्रकृति के एक मुद्दे से जुड़ा हो सकता है और अन्य मुद्दों का संविधान से कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ पाया कि मजिस्ट्रेट उस विधेयक के अन्तर्गत मामले से जुड़े एक मुद्दे को उच्च न्यायालय को भेज देता है तो अन्य मुद्दों को कार्यवाही से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए। अतः मैं उनके पहले संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं जिसके द्वारा वे चाहते हैं :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 113 के प्रस्ताविक परंतुक में खंड 2, के भाग (i) में" उक्त मामले में आगे की कार्यवाहियां रोक दी जाएं शब्दों को अन्त में जोड़ा जाए।

श्री के. वैद्य : मैं अनुरोध करता हूं कि वे उनमें से शेष विशुद्ध रूप से पारिपामिक हैं। परिणामिक नहीं हैं क्योंकि आदेश XLVI का नियम 2 तथा आदेश XLVI का नियम 5 उन मामलों से संबंधित है जिनमें निर्णय दिए जाते हैं एवं उस मामले में जिसमें मुद्दे को उच्च न्यायालय में भेजा गया है, निर्णय नहीं दिया जाएगा। आदेश XX के नियम 4 के अन्तर्गत इस मुद्दे पर निर्णय किया जाना चाहिए और तब भी निर्णय लिया जा सकता है एवं आदेश XLVI के नियम 2 उन मामलों को निर्दिष्ट करता है जिनमें निर्णय दिया जाता है। अतः ये दोनों नियम इस विधेयक के लिए असंगत या उसे लागू नहीं होते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं बताना चाहूंगा कि इसे अधीनस्थ न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। वह कार्यवाहियां रोकने के आदेश दे सकता है अथवा नहीं दे सकता है। मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि अधीनस्थ न्यायाधीश के विवेकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिए एवं सभी मामलों में उसे कार्यवाहियां रोकने के आदेश देने चाहिए। अतः मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन रखना चाहते हैं?

श्री के. वैद्य : जी नहीं।

माननीय अध्यक्ष : मैं खंड 2 को मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न है :

"कि खंड 2 इस विधेयक का भाग बन गया है।"

खंड 2 को विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 3–नई धारा को प्रतिस्थापित करना : संशोधन किया गया।

"उक्त संहिता" शब्दों के लिए खंड 3 में "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898" शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाए।

–(डॉ. अम्बेडकर)

श्री शिवचरण लाल : जहाँ तक सिविल प्रकिया संहिता का संबंध है, आदेश का अधिक महत्ता नहीं है। किन्तु जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता का संबंध है, आदेश भी अधिनियम की तरह प्रभावी होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक आदेश पारित किए गए थे और ये आदेश कानून के समान थे। अतः यदि आप 'अधिनियम, अध्यादेश एवं विनियम' शब्दों को

रखते हो तो "आदेश" शब्द को अवश्य रखा जाए क्योंकि दंड न्यायालयों में ये आदेश कानून के समान होते हैं। मेरा तात्पर्य साधारण आदेशों से नहीं है बल्कि सूती धागा एवं कपड़ा नियंत्रण आदेश, चीनी नियंत्रण आदेश एवं ऐसे अनेक आदेश जो कानून के समान हैं। कभी-कभी इन्हें न्यायालयों में चुनौती दी जाती है कि क्या ये आदेश वैध हैं अथवा नहीं। सिर्फ 'अधिनियम' शब्द पहले रखने से काम नहीं चलेगा।

मेरा दूसरा संशोधन हैं कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 432 के उप-खंड (2) में यदि "सेशन न्यायाधीश" शब्द जोड़े जाते हैं तो इससे सेशन न्यायाधीशों को बड़ा कार्यक्षेत्र मिलेगा" और मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए भी। यदि मंत्री महोदय इन संशोधनों को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें रखूंगा अन्यथा नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : "अथवा आदेश" शब्दों को प्रस्तावित करने वाले खंड 3 के पहले संशोधन के संबंध में स्थिति यह है कि आदेश वस्तुतः विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन जारी किया जाता है। यदि किसी पक्षकार की दलील है कि जिस कानून के अधीन आदेश जारी किया गया है वह अधिकारातीत है तो मामला न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा, यदि वह उस दलील से संतुष्ट है। यदि पार्टी की दलील है कि उक्त कानून वैध है लेकिन आदेश नहीं तो इस विधेयक का विमर्शित आशय यह है कि ऐसा मामला अधीनस्थ न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा प्रस्ताव इस प्रकार के मुकदमों के उच्च न्यायालय पर कार्य का अधिक बोझ डालने का नहीं है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आसानी से निर्धारित किए जा सकते हैं और इससे सार्वजनिक व्यापकता प्रभावित नहीं होती है बल्कि उस विधान से व्यक्ति विशेष प्रभावित होता है।

जहां तक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीशों को विशेषाधिकार अथवा अवसर प्रदान करने विषयक आखिरी संशोधन का संबंध है, उदाहरणार्थ यदि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, 437 एवं 438 का उल्लेख करेगा तो मजिस्ट्रेट एवं सेशन न्यायाधीश दोनों को त्रुटि ठीक करने तथा उच्च न्यायालीय में त्रुटि ठीक करवाने विषयक सभी मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। ऐसे पर्याप्त उपबंध पहले से हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है।

"कि यथा संशोधित खण्ड 3 इस विधेयक का भाग बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथा संशोधित खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 1 को विधेयक में जोड़ा गया।

शीर्षक एवं अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ।

"कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाएं"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(31)

*सिविल प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ:

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह बहुत ही सरल उपाय है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारत विभाजन के बाद भारतीय न्यायालयों द्वारा कार्यवाही करने और पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मन देने और पाकिस्तानी न्यायालयों द्वारा जारी सम्मन भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मन देने में अनेक कठिनाइयां आई हैं।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन)

अब यह दो देशों का मामला है और इस मामले पर अभी कोई संधि नहीं हुई है। परिणामत: सभी सम्मन डाकघर भेजे जाते हैं जो संचार का विश्वसनीय तरीका नहीं कहा जा सकता। हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें दोनों देश पारस्परिक आधार पर सहमत हुए हैं कि एक देश से जारी किए गए सम्मन दूसरे देश के न्यायालयों में भेजे जाएं और वे वहां रहने वाली पार्टी को उस सम्मन को देंगे अथवा कार्यवाही करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य इस समझौते को लागू करना है। मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान पहले से ही इस समझौते को लागू कर चुका है और वहां ऐसा कानून मौजूद है। मुझे आशा है कि यह सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया–

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : यह स्वागत योग्य उपाय है। अनेक निर्वासित व्यक्ति, जो यहां आए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों पर दावे किए हैं। वे मुकदमों की डिक्री राशि को वसूल न कर पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है और पाकिस्तान ने भी इस तरह का कानून बनाया है। दूसरी ओर सम्मन देने के प्रश्न को सुलझा लिया गया है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में रह रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध यहां स्वीकृत निर्णय के संबंध में क्या कोई ऐसा समझौता हुआ है कि वे इस निर्णय

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7176–78

को कार्यान्वित कर वसूल की गई राशि को भारत में रह रहे वादी को भिजवा देंगे। यही मुख्य बिन्दु इस प्रश्न से जुड़ा है। सिर्फ सम्मन देने से यह कार्य पूरा नहीं होगा। प्रतिवादी तटस्थ हो सकता है और एक पक्षीय निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। आदेश को कार्यान्वित करने के लिए जब तक कोई कानून नहीं है प्रतिवादी वकील करने के लिए पैसे क्यों खर्च करे। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री हमें जानकारी दे कि पाकिस्तान से चर्चा करते समय इस प्रश्न पर विचार किया गया है या नहीं, भारत में न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव होगा, पाकिस्तान में प्रतिवादी के विरुद्ध कौन आदेश पारित कर सकता है? इसके उपबंध के बिना इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं होगा।

डॉ. अम्बेडकर : राष्ट्रों में सौहार्द के रूप में प्रत्येक देश अन्य देशों के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को निष्पादित करने के लिए सहमत है। निस्संदेह भिन्न-भिन्न देशों के अलग-अलग नियम प्रक्रिया हैं परन्तु निर्णयों को लागू करने के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। निर्णय को सत्य सिद्ध करने के लिए कुछ सबूतों की आवश्यकता होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 इसे विनियमित करती है।

श्री नजरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : कोई विदेशी निर्णय किसी भी देश में बिल्कुल कार्यान्वित नहीं कया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता इसके लिए कोई उपबंध नहीं करती। विदेशी निर्णय मुकदते का अधिकार प्रदान करता है और नया मुकदमा दायर किया जाता है और नया निर्णय प्राप्त करना होता है।

डॉ. अम्बेडकर : यह केवल प्रक्रिया की बात है।

श्री नजरुद्दीन अहमद : पूरे मामले को पुनः लड़ा जाता है। मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं कि एक विदेशी डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता।

श्री सिधवा : मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। मुझे याद है कि इंग्लैंड के एक प्रतिवादी के विरुद्ध भारत में मुकदमा दायर किया गया था। निर्णय यहां लिया गया था परन्तु उसे निष्पादित नहीं किया जा सका। लन्दन में एक नया मुकदमा दायर किया गया। मैं हैरान हूं कि बिना ऐसे समझौते के निर्णय को कोई महत्व नहीं होगा।

डॉ. अम्बेडकर : सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 ऐसे मामले के बारे में है। विदेशी डिक्री को लागू होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यह है कि प्रत्येक देश क्या प्रक्रिया अपनाता है।

श्री सिधवा : इसका कोई अर्थ नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : किसका कोई अर्थ नहीं है? दंड के मामले में सिर्फ ऐसा कहा जा सकता है कि तुम्हें एक नया आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा केवल तभी यह लागू हो

पाएगा। इसी तरह हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 बताती है :

"कोई विदेशी निर्णय किसी मामले के संबंध में निर्णायक माना जाएगा, जिसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच अथवा उन पक्षकारों के बीच जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई, उसी शीर्षक के अन्तर्गत मुकदमा लड़ता है; प्रत्यक्षत: न्यायनिर्णय हो जाता है,–सिवाय वहां के–

(क) "जहाँ वह सक्षम न्यायाधिकार के न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया हो;"

अधिकारिता का प्रश्न हमेशा मूलभूत होता है। यह कभी नहीं रुक सकता। यह सामित किया जाना चाहिए कि जिस न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है उसे डिक्री देने की अधिकारिता थी।

श्री सिधवा : यह बिल्कुल सही है।

डॉ. अम्बेडकर : क्या सही है? यदि आप अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं और उसकी अधिकारिता के बाहर निर्णय प्राप्त करते हैं। तो कोई भी इसे निष्पादित नहीं कर सकता क्योंकि यह विधिमान्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

यह शीर्षक और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

---

(32)
*जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, 1919 को मारे गए, घायल हुए लोगों की याद को अमर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण तथा प्रबंधन करने का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

जलियांवाला बाग के नाम से घटी घटना से प्रत्येक भारतीय भली-भांति परिचित है तथा मैं नहीं समझता कि इसके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता है। इस विधेयक के उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह यह है कि इस घटना के तुरंत बाद कुछ प्रसिद्ध भारतीयों ने उस दिन मारे गए तथा घायल हुए लोगों की याद को अमर बनाने का फैसला किया था।

डॉ. टेक चंद (पंजाब) : पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में यह फैसला किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, और उन्होंने कुछ राशि भी इकट्ठी की थी—मैं समझता हूँ : दस लाख।

डॉ. टेक चंद : हाँ, दस लाख।

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि इस अनुसूची में वर्णित है इन रुपयों से उन्होंने दो या तीन भूखंड भी खरीदे थे जो कि इस ट्रस्ट के भाग रूप में धारित हैं। पहले से ही ट्रस्ट तथा ट्रस्टी हैं परंतु वे अनौपचारिक प्रकृति के हैं। इस ट्रस्ट को कानूनी आधार देने का प्रस्ताव किया गया है तथा प्रस्ताव यह है कि ये ट्रस्टी तीन विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होंगे: कुछ ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी होंगे, कुछ ट्रस्टी पदेन होंगे तथा अन्य तीन व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। ये लोग इस अनुसूची के प्रथम भाग में वर्णित भूमि, सम्पत्ति तथा नकदी और चल सम्पत्ति को जो कि मेरी गणना के अनुसार लगभग 3,13,757-1-0 रुपये होती है, धारण करेंगे। इस ट्रस्ट का उद्देश्य इस स्मारक का रख-रखाव करना तथा यह देखना है कि इसका ध्यान अच्छी तरह से रखा जा रहा है।

सिर्फ एक ही बिन्दु है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और वह यह है कि इस विधेयक में वर्णित मूल ट्रस्टी स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल अब नहीं रहे तथा सदन को उनके स्थापनापन्न के बारे में विचार करना है। शेष विधेयक वैसा ही है जैसा कि मूल ट्रस्टियों द्वारा जो कि इन उद्देश्यों के लिए ट्रस्टी का कार्य कर रहे थे, प्रस्तावित किया गया था।

---

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7179-812

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, 1919 को मारे गए या घायल हुए लोगों की याद को अमर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण तथा प्रबंधन करने का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : यह उपयुक्त ही है कि इस प्रकार का विधेयक सदन के समक्ष पेश किया गया है। तीस साल पहले यह नरसंहार जलियांवाला बाग में हुआ था तथा हमारे देश के सैंकड़ों स्त्री-पुरुष या तो मारे गए थे.........

डॉ. टेक चंद : दो हजार-न कि सैंकड़ों।

श्री कॉमथ : मारे गए थे?

डॉ. टेक चंद : हाँ, दो हजार मारे गए थे।

श्री कॉमथ : ....हजारों या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे। कांग्रेस ने 1919 में एक संकल्प पास किया था जिसमें जमीन का अर्जित करके उस पर जलियांवाला बाग के शहीदों का स्मारक बनवाने का प्रस्ताव किया गया था। हमें विधि मंत्री ने यह नहीं बताया कि यह विधेयक किसने रखा था। इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि इक्ट्ठी की गई थी। उन्होंने कहा "लगभग दस लाख" पर उनके पास राशि की सही जानकारी नहीं है.........।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने कहा लगभग दस लाख—सही आँकड़ा मैं बाद में दे सकता हूं।

श्री कॉमथ : ....तथा उस राशि का कितना भाग उस भूमि को प्राप्त करने में खर्च किया गया था। जहां पर प्रस्तावित स्मारक बनाया जाना है। यह दुरुसत है कि सरकार को, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार को बहुत वर्ष पहले कांग्रेस द्वारा पास किए गए संकल्प का ध्यान रखना तथा इसे कार्यरूप देना चाहिए। किन्तु, श्रीमन्, इसके साथ-साथ कुछ अन्य प्रश्न भी उठते हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा है इस विधेयक का उद्देश्य जलियांवाला बाग के शहीदों की याद को अमर बनाना तथा दिसंबर, 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प को लागू करना है। इससे हमारी राजनीति में गाँधीवादी काल की शुरूआत हुई थी तथा उस अवधि के दौरान कांग्रेस ने विभिन्न प्रकार के चंदे इक्ट्ठे किए थे। इसलिए विधि मंत्री द्वारा पेश किए गए इस विधेयक के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि कांग्रेस द्वारा किसी विशेष प्रयोजन कि लिए इक्ट्ठी की गई अन्य धनराशि को सरकार कहाँ तक ध्यान में रखेगी और उसका संज्ञान लेगी।

श्री भारती (मद्रास) : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न, पर वह हमारे सम्मुख रखे विधेयक से कहाँ तक प्रासंगिक है। माननीय सदस्य ने कांग्रेस द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए एकत्रित धन का उल्लेख किया है। क्या हमारा इस विधेयक में उससे कोई संबंध है?

श्री कॉमथ : निस्संदेह, यह कांग्रेस द्वारा पास किया गया संकल्प है जो कि इस विधेयक का जनक है।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य अपनी बहस जारी रखें।

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मेरे आदरणीय मित्र डॉ. बक्श टेक चंद, प्रधानमंत्री तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव के भाषणों के बाद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बिंदु रह गया है जिसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। इससे चर्चा के दौरान.... ...विभिन्न वक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का हल मिल गया है। विशेषकर इस ट्रस्ट के कुछ हितों के प्रतिनिधित्व के संबंध में। मैं समझता हूँ कि इनका प्रभावी ढंग से उत्तर दिया गया है तथा मेरे पास इसमें कुछ और जोड़ने के लिए नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, 1919 को मारे गए या घायल हुए लोगों की याद को अमर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण तथा प्रबंधन करने का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : (हिन्दी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद) : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 2 में, "नेशनल मैमोरियल" के स्थान पर "राष्ट्रीय स्मारक" रखा जाए।

मेरा निवेदन यह है कि यह उपयुक्त है कि इस राष्ट्रीय स्मारक का नाम राष्ट्रीय भाषा में होना चाहिए। जिस राष्ट्रीय स्मारक को हम बनाने जा रहे हैं उसको उपयुक्त नाम देना चाहिए तथा यह नाम ऐसा होना चाहिए कि देश में सभी को आसानी से समझ में आ जाए। इसका नाम अंग्रेजी में रखकर हम असंख्य लोगों को इसकी उपयोगिता समझने से वंचित कर देंगे। इसलिए, मैं निवेदन करता हूँ कि इसका नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक रखा जाना चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरे इस विनम्र निवेदन से सहमत होंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। इस संबंध में मुझे कुछ और नहीं जोड़ना है।

---

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7229-33

डॉ. अम्बेडकर : मुझे डर है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जे.आर. कपूर : मैं इसके लिए दबाव नहीं डालना चाहता। यदि माननीय मंत्री इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वे इस नाम को कोष्ठक में डाल दें जैसा कि हमारे देश के नाम भारत के साथ किया गया है जिसे कोष्ठक में लिखा गया है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे डर है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जे.आर. कपूर : तब फिर मैं दबाव नहीं डालता।

माननीय : प्रश्न है।

"कि यह खंड-2 इस विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड-2 को विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 2 (इस न्यास ट्रस्ट के उद्देश्य)

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 3 के भाग (ग) में 'जुटाना तथा प्राप्त करना' के स्थान पर 'जुटाना, प्राप्त करना तथा प्रबंध करना' शब्द रखे जाएँ।

उप-खंड, जो इस प्रकार है–

"इस न्यास के उद्देश्य होंगे–

(ग) इस स्मारक के प्रयोजनों के लिए धन जुटाना तथा प्राप्त करना।"

यह तर्कसंगत है कि इस ट्रस्ट को न केवल धन जुटाने तथा प्राप्त करने के लिए बनाया जाएगा बल्कि उस धन का प्रबंधन करने के लिए भी बनाया जाएगा। अन्यथा इसके कर्त्तव्यों तथा कार्यों का विवरण अपूर्ण होगा। इसलिए मैं यह संशोधन रखता हूं और सदन की स्वीकृति के लिए सिफारिश करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई अन्य संशोधन पेश किया जा रहा है।

श्री जे.आर. कपूर : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 3 के भाग (ग) के बाद नया भाग अन्तःस्थापित कीजिए :

"(घ) इस न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य कोई कार्य करना।"

ताकि इसमें एक और उद्देश्य जुड़ जाएगा। यह उद्देश्य किसी विशेष प्रकृति का न

होकर सिर्फ सामान्य प्रकृति का होगा ताकि जो भी कुछ ट्रस्ट करना चाहे उसे करने के संबंध में ट्रस्ट किसी भी समय अपने आपको असहाय महसूस न करे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस विधेयक के प्रभारी माननीय मंत्री को यह आसानी से स्वीकार्य होगा। ऐसा खंड प्रायः निश्चित तौर पर अन्य समान अधिनियम में पाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : इस संशोधन की भाषा स्वतः स्पष्ट है तथा मैं नहीं समझता कि इसपर और आगे वक्तव्य की आवश्यकता है।

सरदार वी.एन. मान : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 3 के भाग (क) के बाद एक नया भाग जोड़ें तथा तदनुसार अन्य भागों को पुनः लेखबद्ध करें :

"(ख) सर्वसाधारण के लाभार्थ या उस स्थल पर 13 अप्रैल, 1919 को मारे गए या घायल हुए लोगों के लिए या उनके आश्रितों के लिए या अन्य उन लोगों के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य हेतु सेवा की है या मारे गए या स्थायी रूप से विक्लांग हुए लोगों के लिए शैक्षिक, सामाजिक या ऐसे ही अन्य लोक संस्थान शुरू करना, या निधियां जुटाना या छात्रवृत्तियां शुरू करना।"

जैसा कि इस विधेयक में दिया गया है ट्रस्ट के उद्देश्य केवल अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग पर और उसके आसपास "उपयुक्त इमारतें खड़ी करना तथा उनका रख-रखाव करना, पार्क या संरचनाएं करना..........आदि। मैं सोचता हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार करके इस स्मारक का दायरा बढ़ेगा तथा स्मारक को उन लोगों की याद में जो चले गए और अधिक यादगार बनाएगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कोई संशोधन माननीय मंत्री को स्वीकार्य है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि मैं कोई भी संशोधन स्वीकार कर सकता हूं। मैं उन संशोधनों को स्वीकार क्यों नहीं कर सकता, इस बारे में शायद कुछ कहना आवश्यक होगा।

श्री कामथ के संशोधन के संबंध में 'प्रबंधन' शब्द का जोड़ा जाना आवश्यक है। प्रत्येक ट्रस्ट के पास जुटाए गए तथा प्राप्त किए गए धन का प्रबंधन करने की शक्तियाँ होती ही हैं।

श्री कपूर के संशोधन के संबंध में "इस न्यास के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्य करना" भी फिर से अनावश्यक है। जब उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तो उनमें इन उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए कुछ भी करने की शक्तियाँ निहित होती हैं।

सरदान मान के संशोधन के संबंध में, मैं समझता हूँ कि यह सहमति हुई है कि इन न्यासियों को अपने आपको एक सामाजिक सेवा लीग में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इनका उद्देश्य सिर्फ इस राष्ट्रीय स्मारक का रख-रखाव करना होना चाहिए।

श्री कॉमथ : क्या मैं यह नहीं पूछ सकता कि "प्राप्त करना" शब्द भी अनावश्यक है? जो कुछ भी धन जुटेगा वह ट्रस्ट द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। इसलिए "प्राप्त किया" हटाया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा हो सकता है, पर मेरे विचार में "प्रबंधन" बिल्कुल फालतू है।

माननीय अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों के लिए दबाव डाल रहे हैं।

सरदार बी.एस. मान : मैं अपने संशोधन पर दबाव नहीं डाल रहा।

श्री जे.आर. कपूर : नहीं।

श्री कॉमथ : ठीक है, इसे रखा जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : क्या वे इसे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते?

श्री कॉमथ : इसे रखने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 3 इस विधेयक का हिस्सा बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 3 इस विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 4 - न्यासी (ट्रस्टी) आदि।

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : मेरा एक संशोधन है।

माननीय अध्यक्ष : क्या डॉ. अम्बेडकर कोई संशोधन रखने जा रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : श्री सिधवा रख रहे हैं।

श्री सिधवा : मैं प्रस्ताव रखना चाहूंगा :

खंड 4 के उप-खंड (1) के भाग (ख) में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्थान पर डॉ. सैफुद्दीन किचलू का नाम रखा जाए।

यह स्वतः स्पष्ट है और मैं इस प बात नहीं करना चाहता।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन रखा गया।

खंड 4 के उप-खंड (1) भाग (ख) में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्थान पर डॉ. सैफुद्दीन किचल्यू का नाम रखा जाए।

क्या यह माननीय मंत्री को स्वीकार्य है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

***ज्ञानी जी.एस. मुसाफिर** (उर्दू भाषण का अंग्रेजी अनुवाद)

मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ :

खंड 4 के उप-खंड (1) के भाग (च) के बाद नया भाग जोड़ें तथा तद्नुसार बाकी भागों को पुनः लेखबद्ध करें।

"(छ) पंजाब राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष।"

मैं इस विषय पर पहले ही काफी कह चुका हूँ। दुर्भाग्य से इस बिन्दु पर प्रधानमंत्री मुझसे सहमत नहीं हैं। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उन्होंने पहले ही अपना भाषण दे दिया है ताकि वे सदस्य भी जिन्होंने मेरा समर्थन करने का वचन दिया था, खामोश हो गए हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इस संशोधन पर और अधिक जोर देने का कोई लाभ नहीं होगा। फलतः मैं इसे पेश नहीं कर रहा। तथापि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम शासित करने से यह न्यास एक पार्टी न्यास से परिवर्तित हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय मंत्री को इनमें से कोई संशोधन स्वीकार्य है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उनमें से कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कॉमथ : मैं सभी संशोधनों पर जोर देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : मैं ये सारे संशोधन सदन के समख रखूँगा।

श्री कॉमथ : एक-एक करके।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

खंड 4 के उप-खंड (1) के भाग (ख) में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम के स्थान पर कुमारी मणिबेन पटेल का नाम रखा जाए।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 21 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7327

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

***डॉ. अम्बेडकर :** मैं सिर्फ संख्या 79 पर दिए गए संशोधन को स्वीकार कर सकता हूँ जिसमें उप-खंड (2) के भाग (छ) में "के लिए" शब्द हटाने को कहा गया है।

माननीय अध्यक्ष : क्या श्री कामथ अन्य संशोधनों पर जोर देंगे?

श्री कॉमथ : मैं शास्ति से संबंधित संख्या 82 के संशोधन पर जोर दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

(i) खंड 9 के उप-खंड (2) के भाग (च) में "क्षति" के स्थान पर "नुकसान" रखा जाए।

प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

श्री कामथ : मैं अपने दूसरे संशोधन पर बल नहीं दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

(iii) खंड 9 के उप-खंड (2) के भाग (च) में "के लिए" शब्दों का लोप कीजिए।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है कि :

(iv) खंड 9 के उप खंड (3) में "जुर्माना जिसे सौ रुपये तब बढ़ाया जा सकेगा" के स्थान पर "कारावास जो छह मास से ज्यादा न हो या जुर्माने से जो सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों" शब्द रखे जाएँ।

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 9 विधेयक का भाग बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथा संशोधित खंड 9 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ा गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी गयी।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 21 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7241-42

खंड 1 संक्षिप्त नाम।

संशोधन पेश किया गया।

खंड 1 में "1950" के स्थान पर "1951" प्रतिस्थापित करें।

—(डॉ. अम्बेडकर)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथा संशोधित खंड 1 विधेयक का हिस्सा बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथा संशोधित खंड 1 इस विधेयक में जोड़ा गया।

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र को इस विधेयक में जोड़ा गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

उसके बाद सदन अपराह्न तीन बजे तक दोपहर भोजन के लिए स्थगित कर दिया गया।

---

(33)
संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक

सदन मध्याह्नोपरांत तीन बजे पुनः समवेत हुआ

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन)

***श्री जवाहर लाल नेहरू (प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री) :** मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि भारत के संविधान का संशोधन करने के लिए विधेयक एक प्रवर समिति को जिसमें प्रो. के.टी. शरद, सरदार हुकम सिंह, पण्डित, हृदय नाथ कुंजरु, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री नज़ीरुद्दीन अहमद, श्री सी. राजागोपालाचारी, श्री एल. कृष्णास्वामी भारती, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री टी.आर. देवगिरीकर, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, श्री वी. एस. सरवटे, श्री मोहन लाल गौतम, श्री आर.के. सिधवा, श्री खाण्ड भाई के. देसाई, श्री के. अनुमन्धैया, श्री राजबहादुर, श्रीमती जी. दुर्गाबाई, श्री मणिलाल चतुरभाई शाह, श्री देवकान्त बरुआ, श्री सत्यनारायण सिन्हा, और प्रस्तावक सम्मिलित हों, इन अनुदेशों के साथ भेजा जाए कि वे अपना प्रतिवेदन सोमवार 21 मई, 1951 तक दे दें।"

यह विधेयक बहुत जटिल नहीं है; न ही यह बहुत बड़ा है। तथापि, मझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान से सम्बन्धित कोई भी बात और उसके परिवर्तन का महत्व है। संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों से सम्बन्धित किसी बात का और भी अधिक महत्व है। अतः इस प्रस्ताव को मैं और सरकार किसी जल्दबाजी, या हल्केपन से नहीं, बल्कि इस समस्या पर पूरे ध्यान से चिन्तन मनन और छानबीन करने के बाद लाए हैं।

मैं सदन को बता दूँ कि हम कई महीनों से इस विषय पर विचार कर रहे हैं। लोगों, राज्य सरकारों, प्रान्तीय सरकारों के मन्त्रियों और जब कभी भी मौका मिला। इस सदन के कई सदस्यों से परामर्श करते रहे हैं और इस विषय को विभिन्न समितियों आदि के पास भी विचारार्थ भेजते रहे हैं तथा विधि विशेषज्ञों की भी आवश्यकतानुसार सलाह लेते रहे हैं, ताकि हम इस विषय में यथासम्भव सावधानी बरत सकें। इतना ध्यान देने क बाद हम इस विधेयक को लाए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस विधेयक में वर्णित संशोधन न केवल आवश्यक हैं बल्कि वांछनीय भी हैं। और यदि ये परिवर्तन नहीं किए गए तो सम्भवतः बहुत बड़ी कठिनाइयां हमारे सामने ही नहीं आएंगी, जैसा कि पिछले कुछ महीनों में हुआ भी है, बल्कि इस संविधान के कई मुख्यः उद्देश्य भी पूरे नहीं होंगे

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 16 मई, 1951, पृष्ठ 8814-15

अथवा उनमें विलम्ब हो जाएगा। एक तरह से इस विषय का उल्लेख अस्पष्ट रूप से किया गया है और यह विषय कुछ समय से जनता के सामने हैं। परन्तु यह विषय जो इस विधेयक में उठाया गया है, तभी सामने आया जब मैंने कुछ दिन पहले इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया था।

****पण्डित कुंजरु (उत्तर प्रदेश) :** यह विधेयक बहुत सरल लगता है परन्तु इसका प्रभाव निःसंदेह दूरगामी है। इसका प्रभाव केवल संविधान पर ही नहीं है, बल्कि संविधान से सम्बन्धित भावना पर भी है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर पूरे ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है और मेरे विचार में पूर्व वक्ताओं ने इसकी जो संवीक्षा की है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। संविधान में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए। संविधान में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं उनका औचित्य स्पष्ट करने के लिए सरकार को हमें यह बताने के लिए कि प्रत्येक संविधान की आवश्यकता क्यों है, प्रत्येक बिन्दु पर पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री इस पर काफी विस्तार से बोले, किन्तु आमतौर पर सिद्धान्तों तक ही सीमित रहे। विशिष्ट मामलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने उन कारणों पर प्रकाश नहीं डाला, जिनके लिए सरकार ने इस विशिष्ट विधेयक को हमारे सम्मुख रखा है। इसीलिए सरकार के किसी अन्य सदस्य को हमें और अधिक जानकारी देनी चाहिए थी। सम्भवतः मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर इस विधेयक के उपबंधों के सम्बन्ध में, विशेषकर उन उपबंधों के सम्बन्ध में, जो अनुच्छेद 19 के संशोधन और दो नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख के अन्तःस्थापन से सम्बन्धित हैं, हमें पूरे विस्तार से जानकारी दे सकते थे। वे निःसंदेह इस चर्चा में भाग लेंगे। सम्भवतः वे अन्त में बोलेंगे ताकि इस विषय के सम्बन्ध में अन्तिम बात कह सकें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : नहीं, नहीं।

पंडित कुंजरु : यही उनके लिए और सरकार के लिए, जिसके वे एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उचित होगा। किन्तु यह इस सदन के साथ बहुत अन्याय होगा कि इसे कहा जाए कि........

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : इसमें अन्याय की क्या बात है?

पंडित कुंजरु : यदि श्री सिधवा थोड़ा धीरज से काम लें तो वह यह समझ लेंगे कि प्रत्येक सदस्य उन जैसा प्रबुद्ध नहीं है और अधिकांश सदस्यों को थोड़ी और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी......

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 17 मई, 1951, पृष्ठ 8896

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) :** कल चर्चा के दौरान, मेरे मित्र पं. हृदय नाथ कुंजरु ने कहा था कि सरकार ने इस विधेयक में विभिन्न खण्डों की आवश्यकता और उद्देश्य स्पष्ट ने करके सदन के साथ घोर अन्याय किया है, और सरकार की ओर से किसी को उन्होंने विशेषरूप से मेरा उल्लेख किया, सदन के प्रति उस कर्त्तव्य का निर्वाह करने के लिए खड़ा होना चाहिये था। मैं नहीं समझता कि इस सदन का कोई सदस्य इस बात पर विश्वास करेगा कि पं. हृदय नाथ कुंजरु जैसी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को इस विधेयक की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी। जाहिर है कि मेरे मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को विधेयक की किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रधान मंत्री का भाषण समाप्त होते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने अपना जोरदार भाषण आरंभ कर दिया। मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र पं. कुंजरु बुद्धि में डॉ. मुखर्जी से किसी तरह कम हैं। तथपि, चूंकि, पं. कुंजरु ने इस सदन के कई सदस्यों की इच्छा व्यक्त की थी, मैंने इस चर्चा के बीच में भाग लेना और स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझा ताकि चर्चा के दौरान जिन दो तर्कों का उल्लेख किया गया है उनका निवारण किया जा सके। ये तर्क थे कि संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी दूसरे, सरकार को इन्तजार करना चाहिये था और देश को तथा लोगों को और अधिक समय देना चाहिये था तथा इस विधेयक को पारित करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये थी। मैं विधेयक को खण्डवार लूंगा और उन परिवर्तनों की आवश्यकता स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा जो इस विधेयक के माध्यम से किए जा रहे हैं।

मैं विधेयक के खण्ड 2 से आरम्भ करता हूँ। खण्ड 2 में अनुच्छेद 15 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 15 का संशोधन करने की आवश्यकता उच्चतम न्यायालय द्वारा, दो मामलों में, जो मद्रास राज्य से इसके पास भेजे गये थे, दिये गये फैसलों के कारण उत्पन्न हुई है। एक मामला मद्रास *बनाम* श्रीमती चम्पकम दोराईराजन का था और दूसरा वेंकटरमन *बनाम* मद्रास राज्य का। वेंकटरमन का मामला अनुच्छेद 16, खंड (4) से सम्बन्धित था और श्रीमती चम्पकम का अनुच्छेद 29, खंड (2) से। एक मामले में लोक सेवाओं में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त था और दूसरे में शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का। बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी में और अन्यत्र भी इस साम्प्रदायिक सरकारी आदेश के नाम से जाना गया। मद्रास सरकार के साम्प्रदायिक सरकारी आदेश को अवैध और अमान्य घोषित किया गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 29 के खंड (2) में बचाव की वह व्यवस्था नहीं है, जो अनुच्छेद 16 के खंड (4) में है। सदन को याद होगा कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में एक विशेष व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 16 सरकार द्वारा सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 18 मई, 1951, पृष्ठ 9004-12

सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था करने के आड़े नहीं आयेगा। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 29 में नहीं है। अनुच्छेद 16 के खंड (4) के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मानना था कि इसमें जातिगत भेदभाव अंतर्निहित है, अतः वह अमान्य है। मैंने उच्चतम न्यायालय के इन दोनों निर्णयों को खूब ध्यान से पढ़ा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति पूरे आदर के साथ मैं यह कहने पर विवश हूँ कि यह निर्णय एकदम असन्तोषजनक है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या किसी सदस्य के लिए देश के उच्चतम न्यायालय के प्रति अनादर प्रकट करना उचित है? संसद में यह प्रथा है कि यहां न्यायालयों के लिए तिरस्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग न किया जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : विद्वान न्यायधीशों की कोई अवमानना नहीं की गई है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने स्वयं महसूस किया कि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये था। परन्तु मेरे विचार में माननीय विधि मंत्री का आशय यह था कि सरकार जो करना चाहती है, उसे ध्यान में रखते हुए निर्णय असन्तोषजनक है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निर्णय संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप नहीं लगता। यह मेरा विचार है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा रहा है कि माननीय मंत्री के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय की इतनी कटु आलोचना करना उचित नहीं होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे अत्यंत खेद है।

माननीय अध्यक्ष : मैं यह सोच रहा था कि उन्होंने जो कहा है उसका कोई भिन्न अर्थ न लगाया जाये। अर्थात् यही अर्थ लगाया जाये कि सरकार जो करना चाहती है, उसे ध्यान में रखते हुए निर्णय असन्तोषजनक है।

श्री राजगोपालाचारी (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष मेरे हस्तक्षेप को क्षमा करें। मेरे विचार में माननीय विधि मंत्री वास्तव में यह कहना चाहते थे कि निर्णय के कारण एक सन्देह उत्पन्न हो गया है।

माननीय अध्यक्ष : अब आगे बढ़ें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा विचार यह है कि अनुच्छेद 29 के खंड (2) में, सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है, 'केवल'। केवल जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा। वहां 'केवल' शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके अन्तर्गत वह प्रत्येक भेदभाव आ जाता है, जो इस अनुच्छेद में वर्णित आधारों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य आधारों पर किया जाए और मेरा निवेदन है कि 'केवल' शब्द पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

अनुच्छेद 16 के खंड (4) के बारे में मुझे यह कहना है कि हम जब भी आरक्षण करेंगे, हमें किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को छोड़ना होगा जिनकी कोई जाति है। किसी जाति विशेष से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को छोड़े बिना आरक्षण करना वास्तव में असम्भव है। मेरे विचार में, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जो एक आधारभूत सिद्धांत भी है, जिसका उल्लेख मेरे ख्याल से मुल्ला के पिछले संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर किया गया है कि ऐसा कोई हिन्दू नहीं है, जिसकी कोई जाति न हो। प्रत्येक हिन्दू की कोई न कोई जाति है वह या तो ब्राह्मण है या मराठा है या कुन्बी है या कुम्हार है या बढ़ई है। यह एक मूलभूत बात है कि ऐसा कोई हिन्दू नहीं है, जिसकी कोई जाति न हो। इसलिए यदि आप पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करेंगे, जो कतिपय जातियों का एक समूह है, तो आप उन लोगों को छोड़ेंगे, जो किन्हीं अन्य जातियों से सम्बन्धित हैं। अतः इस देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब कभी भी हम आरक्षण करेंगे, हमें कुछ ऐसे लोगों को छोड़ना ही होगा जो किन्हीं जातियों से सम्बन्धित हैं। इन बातों के सम्बन्ध में मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि यह निर्णय बहुत सन्तोषजनक निर्णय नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन या इसके सदस्य यहां जो मर्जी कहें, अपनी वकालत के दौरान मैंने न्यायधीश से बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि मैं उसके निर्णय का पालन करने के लिये तो बाध्य हूँ किन्तु मैं उसका आदर करने के लिये बाध्य नहीं हूँ। प्रत्येक वकील न्यायधीश से यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि न्यायधीश का निर्णय गलत है। अब मैं इस स्वतंत्रता का परित्याग करने के लिये तैयार नहीं हूँ। मैंने न्यायधीश को हमेशा यह कहा है कि इस मामले में मेरा यही दृष्टिकोण है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 में सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह कमजोर वर्गों, जिन्हें मैं पिछड़े वर्ग कहता हूँ, या ऐसे वर्ग कहता हूँ जो स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग, की भलाई के लिये सभी सम्भव उपाय करे। अतः यह न केवल सरकार का बल्कि इस संसद का भी दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करे कि अनुच्छेद 46 का पालन हो और यदि इस अनुच्छेद का पालन होना है, तो हमें ऐसा संशोधन करना होगा जिससे कि अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 16(4) की वैसी व्याख्या न हो जैसी कि की गई है और इस प्रकार कमजोर वर्गों की उन्नति को न रोका जाये। अनुच्छेद 15 का संशोधन करने का प्रस्ताव इसी कारण लाया गया है।

मैं अब अनुच्छेद 19 के उपबंधों को लेता हूँ। इस अनुच्छेद के कारण इस सदन के सदस्यों में जबरदस्त उत्तेजना पैदा हुई थी। मैं पहले इस विधेयक के (3) (i) (a) को

लेता हूँ, जिसके द्वारा अनुच्छेद 19 के मूल खंड (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। सदस्यगण देखें कि इस उप-खंड द्वारा तीन शीर्षों को जोड़ने का प्रस्ताव है, अर्थात् :

1. विदेशी राज्यों से सम्बन्ध;
2. सार्वजनिक व्यवस्था;
3. अपराध करने के लिये उकसाना।

एक प्रश्न पूछा गया है कि इन तीन नये शीर्षों को लाने की क्या आवश्यकताा थी। आवश्यकता उन निर्णयों के कारण उत्पन्न हुई है, जो उच्चतम न्यायालय और प्रान्तीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं रमेश थापर और बृजभूषण के मामलों में उच्चतम न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। ये उच्चतम न्यायालय के दो निर्णय हैं। इसके बाद, मैं राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर आता हूँ।

पंजाब उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया जाए :

1. मास्टर तारासिंह का मामला।
2. अमरनाथ बाली *बनाम* पंजाब राज्य।

पटना और मद्रास उच्चन्यायालयों के दो निर्णय हैं :

1. शीलाबाला देवी *बनाम* बिहार के मुख्य सचिव,
2. बाइनस बनाम मद्रास राज्य।

रमेश थापर के मामले में मद्रास सार्वजनिक व्यवस्था, 1949 को बनाये रखने की वैधता का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त था और बृजभूषण के मामले में पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949 की वैधता अन्तर्ग्रस्त थी। मास्टर तारासिह के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 (A) और 153 A की वैधता अंतर्ग्रस्त थी। अमरनाथ बाली के मामले में 1931 के भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम की धारा 4 की वैधता अन्तर्ग्रस्त थी। शीलाबाला देवी के मामले में और बाइनस *बनाम* मद्रास राज्य के मामले मे भी इसी धारा 4 की वैधता अन्तर्ग्रस्त थी। इन सभी मामलों में यह निर्णय किया गया है कि ये अवैध विधियां हैं, अर्थात् अनुच्छेद 19(2) में दिये गये उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों ने कहा है कि ये सभी अधिनियम, संविधान बनने से पूर्व, कितने ही वैध क्यों न समझे जाते हों, पर अब दोषपूर्ण कानून हैं, क्योंकि वे मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं।

मैं सदन से चाहता हूँ कि वह इस बात पर विचार करे कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के इन फैसलों का राज्यों में क्या प्रभाव है। सदन के सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करने के लिये मैं उन अधिनियमों की कई धाराओं को, पढ़कर

सुना सकता हूँ, जिन्हे अकृत और शून्य घोषित किया गया है। परन्तुत समयाभाव के कारण मैं प्रेस अधिनियम की धारा 4 का ही उल्लेख करूंगा, क्योंकि इसी पर आपत्ति की गई है। प्रैस अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है :

"जब कभी प्रांतीय सरकार को प्रतीत हो कि किसी मुद्रणालय का, जिसके सम्बन्ध में धारा 3 के अन्तर्गत प्रतिभूति जमा किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं, कोई ऐसा समाचार-पत्र, पुस्तक अथा अन्य दस्तावेज को छापने अथवा प्रकाशित करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऐसे शब्द, संकेत अथवा प्रत्यक्ष चित्र दिये हों जो" ....मैं चाहूंगा कि सभा इन खंडों पर विशेष ध्यान दे–

"(क) हत्या के किसी अपराध अथवा किसी अन्य ऐसे संज्ञेय अपराध, जिसमें हिंसा अन्तर्वलित हो, किए जाने के लिए उकसाने अथवा प्रोत्साहित करने और उकसाने अथवा प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखते हों, अथवा

(ख) ऐसे किसी अपराध अथवा ऐसे किसी वास्तविक अथवा फर्जी व्यक्ति के लिए जिसने ऐसा कोई अपराध किया हो, अथवा जिस पर ऐसा अपराध करने का आरोप हो, अथवा जिसके बारे में कहा गया हो कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनुमोदन अथवा प्रशंसा व्यक्त करते हों,

अथवा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से

(ग) किसी अधिकारी, सैनिक आदि को पथभ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हों.........।

जिस महत्वपूर्ण बिन्दु पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वह यह है कि (क) "हत्या के किसी अपराध अथवा किसी अन्य ऐसे संज्ञेय अपराध, जिसमें हिंसा अन्तर्वलित हो, किये जाने के लिये उकसाने अथवा प्रोत्साहित करने और उकसाने अथवा प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखते हों।" इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रांतीय उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों के अन्तर्गत, जिनका मैंने उल्लेख किया, अब कोई भी व्यक्ति हत्या के किसी अपराध अथवा किसी अन्य ऐसे संज्ञेय अपराध, जिसमें हिंसा अन्तर्निहित हो, के किये जाने के लिए उकसा सकता है अथवा प्रोत्साहित कर सकता है अथवा ऐसी प्रवृत्ति रख सकता है।

मैं सभा से चाहूंगा कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या यह स्थिति संतोषजनक है कि अब कोई भी व्यक्ति हत्या जैसे अपराध अथवा किसी अन्य संज्ञेय अपराध, जिसमें हिंस्सा अन्तर्निहित है, के किये जाने के लिये उकसाने, अथवा प्रोत्साहित करने के लिए स्वतंत्र है? मैं चाहूंगा कि सभा इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करे। क्या यह वांछनीय स्थिति है (कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।) कि हमारा संविधान हमें ऐसी निराशाजनक स्थिति में छोड़ दे कि हमें अनुच्छेद 19 के खंड (1) के वाक्-स्वातंत्र्य का जो अधिकार दिया

गया है, उस पर हम नियंत्रण न कर सकें और यह इतना असीमित हो जाये कि कोई भी व्यक्ति हत्या अथवा किसी अन्य संज्ञेप अपराध के किये जाने के लिए लोगों को भड़काता फिरे। मैंने इस मामले को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यही स्थिति है।

यही बात सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों अथवा सावर्जनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये गये कानूनों के संबंध में हुई है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उसके संबंध में भी यही कहा है कि उन पर भी संविधान की ओर से कोई पाबन्दी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के बीच अन्तर किया है। उसका कहना है कि संसद राज्य की सुरक्षा के लिए कानून बना सकती है। परन्तु वह सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती। इस पर भी मैं चाहूंगा कि सदन गम्भीरता से विचार करे। क्या सदन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इतना निरंकुश बनाने के लिए तैयार है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहकर बच सकता है, भले ही उसके इस प्रकार कहने से सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा हो जाए? यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसले ज्यों के त्यों बने रहें, तो इसका परिणाम यही होगा कि हम कभी ऐसा कानून नहीं बना सकेंगे जो सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वाक् स्वतंत्रय पर रोक लगाए और हिंसा भड़काये जाने पर प्रतिबंध लगाए। मेरे मित्र डॉ. मुखर्जी विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और अपने दल के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनका काम हर बात का विरोध करना है। मैं चाहता हूँ कि वह इस बात पर विचार करें कि उच्चतम न्यायालय और प्रांतीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के हमारे विधान में जो शून्य पैदा कर दिया है क्या उसे वाक्-स्वातंत्र्य के नाम पर बने रहने दिया जाए। यह एक सीधा-सादा प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि यदि मेरे मित्र डॉ. मुखर्जी मेरे द्वारा वहां की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का अध्ययन करेंगे, तो वह निस्संदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अवश्य सुधारा जाना चाहिये और इसे यथावत कायम नहीं रहने दिया जाना चाहिये।

पं. ठाकुर दास गुप्ता (पंजाब) : वह चाहते हैं कि इस प्रयोजन के लिए नजरबंदी कानूनों का प्रयोग किया जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नजरबंदी कानून सर्वथा भिन्न है। यह संक्षेप में संविधान के अनुच्छेद 19 के संशोधन का मामला है।

यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे। वे यह क्यों कहते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अथवा अपराध करने के लिए उकसाने को रोकने के हित में कानून बनाने का संसद को कोई अधिकार नहीं है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको लेकर मैं

व्यक्तिगत रूप से काफी विक्षुब्ध हूँ। इस प्रयोजनार्थ मैं उन अर्थान्वयन नियमों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्हें उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपनाया है, परन्तु इससे पहले मैं उन संरचना नियमों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्हें अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने अपनाया है और मेरे विचार में यह बहुत प्रासंगिक है क्योंकि सदन को याद होगा कि यदि विश्व के किसी महत्वपूर्ण देश के किसी संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है तो वह अमरीका का संविधान है और हम में से जिन लोगों को हमारे अपने संविधान बनाने का भार सौंपा गया था, उन्हें हमारे अपने मूल अधिकारों की संरचना करते समय बार-बार अमरीका के संविधान का अवलोकन करना पड़ा था। मैं जानता हूँ कि बहुत से सदस्य अमरीका के संविधान से परिचित हैं। अमरीका का संविधान कैसा है? मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात के सहमत होंगे कि जहां तक मूल अधिकारों का संबंध है, भारत के संविधान में और अमरीका के संविधान में स्पष्टतः एक अन्तर है। अमरीका के संविधान में मूल अधिकार पूर्ण रूप से वर्णित हैं; संविधान उसमें वर्णित मूल अधिकारों पर कोई पाबन्दी नहीं लगाता। दूसरी ओर, हमारा संविधान न केवल मूल अधिकारों को अधिकथित करता है, अपितु वह वर्णित मूल अधिकारों पर पाबन्दियां भी लगाता है और इन पाबन्दियों के बावजूद परिणाम क्या है। यह एक विचारणीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिणाम यह है कि अमरीका के संविधान में यद्यपि मूल अधिकार पूर्ण रूप से वर्णित है, तथापि जहां तक न्यायिक व्याख्याओं का संबंध है, उन पर किसी न किसी रूप में पाबन्दियां लगाई गई हैं। अमरीका में कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसके मूल अधिकार पूर्ण हैं तथा कांग्रेस को उनपर पाबन्दी लगाने या उन्हें नियमित कने का अधिकार नहीं है। हमारे देश्ख में, मैं एक विरोधाभास की स्थिति पाता हूँ, हमारे मूल अधिकार हैं, उन पर पाबन्दियां भी लगाई हुई हैं किन्तु फिर भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कहते हैं, "आप मूल अधिकारों पर और अधिक पाबन्दियां नहीं लगायेंगे।"

अब सवाल यह पैदा होता है कि यह परिणाम कैसे निकला? यहां मैं व्याख्या के उन नियमों को लेता हूँ, जिन्हें अमरीका में और हमारे देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है। जो माननीय सदस्य अमरीका के संविधान के विकास के बारे में जानते हैं, उन्हें मालूम है कि अमरीका का संविधान हड्डियों का एक ढांचा था और अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने इस पर मांस का कलेवर चढ़ाया है और इसे शक्ति प्रदान की है, ताकि इसे एक शरीर की दृढ़ता और फुर्ती मिल सके, जिसकी एक मनुष्य को आवश्यकता होती है। यह कैसे हुआ? अमरीका का उच्चतम न्यायालय विश्व का पहला न्यायालय है जिसे नागरिक के मूल अधिकारों और राज्य के हितों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य सौंपा गया था। इस न्यायालय ने शुरू में काफी काम किया और इसे संविधान के दो मिश्रित सिद्धान्तों का पता चला। एक यह है कि

प्रत्येक राज्य को वह प्राप्त है जिसे अमरीका में "पुलिस शक्ति" कहते हैं। इस सिद्धांत का आशय यह है कि राज्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, भले ही संविधान ने उसे यह अधिकार स्पष्ट रूप से न दिया हो। "पुलिस शक्ति" उसी प्रकार सहज रूप से निहित है, जिस प्रकार किन्हीं परिस्थितियों में हमारे न्यायालयों को न्याय करने की सहज शक्तियां प्राप्त हैं। "पुलिस शक्ति" के इस सिद्धांत के परिणामस्वरूप अमरीकी उच्चतम न्यायालय अमरीकी नागरिकों के मूल अधिकारों पर कतिपय सीमाएं निर्धारित कर सका है। इसका सिद्धान्त जिसका अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने विकास किया और जिसका हमने संविधान की व्याख्या करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया, 'अन्तर्निहित शक्तियों' का सिद्धांत कहलाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, यदि किसी प्राधिकारी को कोई शक्ति दी गई है, तो यह मानना होगा कि उस प्राधिकारी को उस शक्ति के प्रयोग में सहायक अन्य शक्तियां भी दी गई हैं। और यदि ये शक्तियां प्रकट रूप से नहीं दी जाती हैं, तो अमरीकी उच्चतम न्यायालय यह मानने के लिए तैयार है कि ये शक्तियां संविधान में विवक्षित हैं।

अब, प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश में उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या करने के मामले में क्या दृष्टिकोण अपनाया है? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह "पुलिस शक्ति" के सिद्धांत को, जो अमरीका में प्रचलित है, मान्यता प्रदान नहीं करेगा। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को पढ़कर सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा किन्तु जो उन्हें देखने के उत्सुक हैं वे *चिरंजीव लाल चौधरी* बनाम *भारत संघ* के मामले को, जो शोलापुर मिल्स के मामले के नाम से प्रसिद्ध है, देखें। मि. जस्टिस मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को अस्वीकार किया है। उनका कहना है कि वे इस सिद्धान्त को लागू नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का "पुलिस शक्ति" के सिद्धांत को न अपनाने का कारण, जहां तक मैं समझता हूँ यह है कि संविधान ने खंड (2) में शीर्षों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिसके अन्तर्गत संसद वाक् स्वातंत्र्य संबंधी मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है और क्योंकि संसद ने उन शीर्षों को स्पष्टतः निर्धारित किया है जिनके अन्तर्गत ये पाबन्दियां होनी चाहिय, अब वे खंड (2) में वर्णित शीर्षों में और वृद्धि नहीं करेंगे। संक्षेप में, यही भाव आप थापर के निर्णय में पायेंगे जो माननीय न्यायमूर्ति पातंजली शास्त्री द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा है कि वे इसका विस्तृत रूप से वर्णन नहीं करेंगे और चूंकि संविधान स्वयं सार्वजनिक व्यवस्था के प्रयोजनार्थ कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं देगा, उनके अनुसार संसद के पास ऐसा करने की सामर्थ्य ही नहीं है और इसीलिये वे संसद को ऐसा कोई प्राधिकार नहीं देंगे। प्रेस आपात्कालीन कानूनों संबंधी मामले में भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि खंड (2) में ऐसा कोई शीर्ष नहीं है जो ससंद को यह इजाजत दे कि वह किसी अपराध के

लिए उकसाने को रोकने के लिए कोई पाबन्दी निर्धारित करे। चूंकि प्रेस (आपात्कालीन शक्तियां) अधिनियम में किसी अपराध को करने के लिए उकसाने के लिए दंड की व्यवस्था है, संसद को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान की व्याख्या करने हेतु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने आमतौर पर यही तर्क दिया है।

अन्तर्निहित शक्तियों के सिद्धान्त के बारे में भी उन्होंने आम तौर पर यही मत अपनाया है। व्यक्तिगत रूप से, मेरे अपने विचार में अन्तर्निहित शक्तियों के सिद्धान्त को मान्यता देने के लिए काफी गुंजाइश है और हमारे निदेशक सिद्धांतों में ऐसे उपबंध दिए गए हैं, जिनमें अन्तर्निहित शक्तियों का सिद्धान्त निहित है। मेरा निष्कर्ष है कि न्यायाधीशों ने तथा उनके समक्ष हाजिर होने वाले वकीलों ने भी इन निदेशक सिद्धान्तों का मजाक उड़ाया है। निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 37 को उपहास का लक्ष्य बनाया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये निदेशक सिद्धांत वादयोग्य नहीं हैं और इन्हें लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि ऐसा ही है। किन्तु मेरा निवेदन है कि निदेशक सिद्धान्तों से निपटने का यह कोई तरीका नहीं है। निदेशक सिद्धांत क्या हैं? निदेशक सिद्धान्त वे दायित्व हैं, जो संविधान ने देश की विभिन्न सरकारों को सौंपे हैं वे कतिपय कार्य करेंगी, यद्यपि इसमें यह भी कहा गया है कि यदि उन सरकारों ने इन दायित्वों को पूरा नहीं किया, तो किसी को भी उन सरकारों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का हक नहीं होगा। परन्तु इस तथ्य के बारे में किसी को आपत्ति नहीं है कि वे सरकार के दायित्व हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि वे सरकार की बाध्यताएँ हैं, तो सरकार उन्हें क्रियान्वित करने के लिए विधान बनाये बिना उनका निर्वाह कैसे करेगी? यदि दायित्वों के कथन के अनुसार विधि बनाना और उसे लागू करना आवश्यक है तो स्पष्ट है कि इन सभी निदेशक सिद्धांतों में राज्य का यह अधिकार भी निहित है कि वह उन सिद्धान्तों में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में कानून बनाए। अतः मेरा कहना यह है कि जहां तक निहित शक्तियों के सिद्धांत का संबंध हैं, संविधान ने ही संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दे रखा है यद्यपि यह मूल अधिकारों के भाग में वर्णित उपबंधों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट तौर पर नहीं आता।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी (पश्चिम बंगाल) : भले ही वे संविधान के उपबंधों के अनुरूप न हों?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह अलग मुद्दा है।

श्री कॉमथ : वह महत्वपूर्ण बात है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह कह रहा हूँ कि विभिन्न मौलिक अनुच्छेदों से जुड़े विभिन्न उपबंधों की व्याख्या ऐसे नहीं की जानी चाहिए मानों वे किसी कठोर बंधन में बंधे हों और उनके अलावा कुछ भी अनुज्ञेय न हो।

श्री कॉमथ : यह आपने स्वयं ही बनाया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जो बात सदन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा के कारण ही कतिपय शीर्षों में इस संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सदन के समक्ष जो प्रश्न है वह यह है : क्या हम स्थिति को ऐसे ही रहने दें, जैसी कि न्यायालयों के निर्णयों ने पैदा की है या हम संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दें?

इस समय मैं एक अन्तर करना चाहता हूँ और मैं इस विशेष कारण से कर रहा हूँ क्योंकि डॉ. मुखर्जी आये और उन्होंने कहा कि हम वह स्वतंत्रता छीन रहे हैं जो लोगों को प्राप्त थी। मेरे विचार में कानून बनाने की सामर्थ्य और कोई विशेष कानून बनाने के बीच अन्तर करना आवश्यक है। कोई कानून विशेष, लोगों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है अथवा नहीं, आदि मामलों पर कानून बनाते समय चर्चा की जा सकती है। आज हम किसी कानून पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम कानून बनाने के संबंध में संसद की सामर्थ्य पर विचार कर रहे हैं।

(श्रीमती दुर्गाबाई पीठासीन हुईं)

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : इस मुद्दे के बारे में कि आप संसद में केवल यह कह रहे हैं कि वह आपको कानून बनाने का अधिकार दे, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, वे सभी कानून जो अमान्य हो गये थे, भूतलक्ष प्रभाव से मान्य हो जाएंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडक : मैं जानता हूँ कि मेरे मित्र पं. भार्गव ने इस बात पर बहुत जोर दिया है और उसके संबंध में स्पष्टीकरण न देना मेरे लिए बहुत गलत बात होगी।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : और अति घृणित आपात् विधियाँ अच्छे सुविधि बन जाएँगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।

श्री कॉमथ : लगभग।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक मैंने दो शीर्षों अर्थात् सावर्जनिक व्यवस्था और अपराध करने के लिए उकसाने को लिया है। तीसरा शीर्ष है मैत्रीपूर्ण संबंध। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में 1932 में एक कानून बनाया गया था। यह सच है कि यह कानून उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष निर्णय के लिए कभी भी नहीं लाया गया और अभी तक इसे अधिकारातीत घोषित नहीं किया

गया है। परन्तु सचाई यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाये गये व्याख्या संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए कि जब तक किसी कानून को खंड (2) में उल्लिखित नहीं किया जाता, तब तक वह संसद की सामर्थ्य में नहीं है और चूंकि "विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध" का खंड (2) में उल्लेख नहीं है, हमें यह समझने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि जब वह प्रश्न न्यायालय के समक्ष आयेगा तो उस पर भी व्याख्या का वही तरीका अपनाया जायेगा।

श्री कॉमथ : उसके लिए डॉ. अम्बेडकर काफी हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : और इसी कारण हमने "विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध" शीर्ष को नये शीर्षों में सम्मिलित करना आवश्यक समझा है।

मेरे मित्र डॉ. मुखर्जी ने पूछा कि क्या किसी देश में ऐसा कानून है। मैंने दृष्टांत खोजने की कोशिश की है और मैं डॉ. मुखर्जी को बता सकता हूँ कि ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहां ऐसा कानून न हो। इंग्लैण्ड में यह सामान्य विधि का नियम है। इसके लिए किसी सांविधानिक विधि की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विधि इंग्लैण्ड में ही नहीं, बल्कि सभी स्वतंत्र उपनिवेशों में लागू है। इसीलिए वहां भी वही नियम है। वास्तव में, कनाडा में सामान्य विधि नियम में संशोधन कर दिया गया है और एक सांविधानिक उपबन्ध द्वारा इसे और अधिक कड़ा बना दिया है।

पं. कुंजरु (उत्तर प्रदेश) : क्या मेरे माननीय मित्र इंग्लैण्ड की स्थिति पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, किन्तु मुझे प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ समय छोड़ना चाहिए।

माननीय सदस्यगण : आप अपना पूरा समय लीजिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में लोगों के मन में कुछ है.......।

डॉ. एस.सी. मुखर्जी : और विधेयक के निर्माताओं के मन भी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। मेरे दिमाग में स्थिति एकदम स्पष्ट है।

श्री कॉमथ : हम पूरी सरकार की बात कर रहे हैं, आप अकेले की नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने से क्या भावार्थ है? अधिकांश सदस्यों की यह धारणा है कि यदि इस मद को शामिल कर लिया गया तो वे सरकार की विदेशी नीति की आलोचना नहीं कर सकेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह धारणा सरासर गलत है।

श्री कॉमथ : यह आपकी राय है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस मद अर्थात् किसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने को इसीलिये लाया गया है ताकि अपमान और मानहानि संबंधी सिद्धांत को लागू किया जा सके। अर्थात् आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं कहेंगे और ऐसी कोई अफवाह नहीं फैलायेंगे, जिससे किसी विदेशी राष्ट्र की बदनामी हो। इसके अलावा इसमें कोई और बात नहीं है। आंग्ल सामान्य विधि भी इसी भी आधारित है अर्थात् यह मानहानि के कानून का एक अंग है। अर्थात् आप ऐसे किसी विदेशी राज्य की मानहानि नहीं करेंगे, जिसके साथ इस देश के मैत्रीपूर्ण संबंध हो। अब मैं अपने मित्र डॉ. शयामाप्रसाद मुखर्जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह समझते हैं कि उनसे या अन्य लोगों से केवल यह कहना कि वे किसी मित्र राष्ट्र की बदनामी नहीं करेंगे, उनके वाक्स्वातंत्र के अधिकार पर इतना गम्भीर अतिक्रमण है कि इस मद को ही अस्वीकार कर दिया जाए।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : आप इसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : समझा जाता है कि ऐसा ही है। मैं जानता हूँ कि मेरे मित्र बहुत पढ़ते हैं। किंतु यदि वह 1932 की इस असेम्बली में हुई चर्चा को पढ़ते जब यह कानून बनाया गया था और उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ते जो मैंने पढ़ा और उस विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को भी पढ़ते, तो वह पाते कि इस कानून में भी जो मैंने कहा है, उससे अधिक कुछ नहीं है।

श्री कॉमथः क्या पेकिंग सरकार द्वारा प्रयोग किया गया वाक्यांश 'रनिंग डॉग' अपमानजनक अथवा मानहानिकारक नहीं है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसके लिये पेकिंग सरकार को कानून बनाना चाहिए।

श्री कॉमथ : उसके जवाब में यदि कोई यहां कुछ कहे तो?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसे के साथ तैसा बर्ताव करने की यह नीति राज्य के लिए अच्छी नहीं है।

श्री कॉमथ : पारस्परिक व्यवहार के बारे में क्या कहना है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडक : इससे हमारे लिये बहुत परेशानी पैदा हो जायेगी। जब हम अपने मित्र पड़ोसियों के प्रति जिम्मेदार हैं कि हमारे नागरिक उनका अपमान या मानहानि नहीं करेंगे तो उसी तरह चीन की सरकार को भी यह जिम्मेदारी निभानी चाहिये कि चीन के नागरिक भारत की मानहानि नहीं करेंगे। इसका उपाय प्रत्येक सरकार को अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करके करना चाहिये।

प्रो. रंगा (मद्रास) : और आदर–भाव के साथ भी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, और आदर–भाव के साथ भी।

नजीरुद्दीन अहमद : किन्तु मानहानि का वर्तमान कानून विदेशी राज्यों का भी बचाव करेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र ने मुझे उससे अधिक काम करने के लिए उकसा दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। अब मैं उन्हें अमरीका का कानून पढ़कर सुनाता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने बहुत जोर देकर पूछा है कि क्या कोई ऐसा देश है जहां इस प्रकार का कानून है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अमरीका में है। मेरे पास 'फोरेन रिलेशंस एण्ड इन्टरकोर्स' नामक यह बड़ा ग्रंथ है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (मध्य प्रदेश) : क्या यह बिल ऑफ राइट्स का अंग है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसमें कहा गया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है:–

"इस तथ्य के बावजूद कि अमरीका इस विशेष विषय पर विधि बनाने की अनुमति कांग्रेस को नहीं देता, उच्चतम न्यायालय ने, इस आधार पर कि प्रत्येक राज्य को अपनी रक्षा करने की पुलिस शक्ति प्राप्त है, इस आशय का विधान संविधि संग्रह में रखने की अनुमति दे दी है।"

श्री आर.के. चौधरी (असम) : किन्तु संविधान में नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : मेरे मित्र नजीरुद्दीन, जिन्होंने यह प्रश्न पूछा था कि "कानून क्या है?" इसे पढ़ सकते हैं। यह हमारे भारतीय कानून से भी कहीं आगे है। पहले खण्ड में कहा गया है कि "यदि कोई व्यक्ति जान–बूझकर मौखिक रूप से अथवा लिखकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में असत्य कथन करता है तो वह दस वर्ष तक के कारावास के दंड का भागी होगा और उस पर न्यायालय अपने स्वविवेक से पाँच हजार डालर तक का जुर्माना लगा सकता है।"

मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे हमारे कानून के दंड संबंधी खंड की इस कानून के दण्ड संबंधी खंड से तुलना करें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैंने जो प्रश्न उठाया था वह इससे अलग है।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : मैं इसे फिर पढ़ता हूँ।

अध्यक्ष माननीय : शन्ति, शान्ति। मेरे विचार में बहुत ज्यादा टोका–टाकी करने से चर्चा में कोई मदद नहीं मिलेगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते मैं समझ लूं कि वे क्या पूछ रहे हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैंने एक अलग ही प्रश्न पूछा था। मेरा प्रश्न यह था कि क्या मानहानि संबंधी हमारा कानून विदेशी राज्यों का भी बचाव नहीं करता।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं करता।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरे विचार में, करता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, यह केवल उसी स्थिति में लागू होता है जब एक व्यक्ति की मानहानि करता है। उस कानून में दूसरा खंड "राजनयिक अथवा वाणिज्य दूतावास के अधिकारी को गलत ढंग से धारण करने" के बारे में है। वह भी विदेशी संबंध संबंधी कानून के अधीन दंडनीय है। एक और महत्वपूर्ण खंड "किसी विदेशी सरकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के षडयंत्र के बारे में है। वहां भी दंड तीन वर्ष तक का कारावास या पांच हजार डालर जुर्माना या दोनों हैं। अतः हमारा कानून बहुत उदार है।

श्री कॉमथ : यदि सभी असत्य कथनों की महाही कर दी जाए, तो सारी कूटनीति समाप्त हो योगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हम नागरिकों द्वारा किसी विदेशी राज्य की सरकार को हानि पहुंचाने की बात कर रहे हैं।

श्री कॉमथ : एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक मैंने जो स्पष्टीकरण दिया है उसे देखते हुए सदन के सदस्य मेरे विचार से सहमत होंगे कि अनुच्छेद 19 में उस ढंग से संशोधन करने की आवश्यकता है जैसी विधेयक के खंड 3 के उप-खंड (1) में इसके लिए व्यवस्था की गई है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : यदि यह केवल मानहानि से बचाव के लिए ही है, तो आप उसकी व्यवस्था अलग से क्यों कर रहे हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कभी-कभी किसी विशेष श्रेणी को अलग करना ही बेहतर होता है।

श्री कॉमथ : स्वार्थपरता।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : विश्व के किस भाग के संविधान में ऐसी प्रथक व्यवस्था है? पर आपने मेरा खंडन किया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पूरी बात यह है कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है और इसलिये वहाँ कुछ भी जरूरी नहीं वहाँ संसद सर्वोपरि है।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : अमरीका के संविधान की क्या स्थिति है?

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : ब्रिटेन में कोई मूल अधिकार नहीं है। यही कठिनाई है।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : क्या किसी लिखित संविधान में ऐसी व्यवस्थ है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं है। परन्तु अमरीका में, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाये गये निर्वचन के नियमों के अनुसार, ऐसा कानून सम्भव है।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : वह अलग बात है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह बिल्कुल अलग नहीं है।

अब मैं खंड 3 के उपखंड (1) (ख) पर आता हूँ। यह खंड अनुच्छेद 19 के खंड (6) का, जो किसी व्यापार, व्यवस्था आदि के बारे में है, संशोधन करने के लिए लाया गया है।

श्री देशबन्धु गुप्ता (दिल्ली) : इससे पहले कि माननीय मंत्री खंड 3(1) (ख) पर आएँ, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। "मानहानि अथवा किसी अपराध के लिए उकसाना" शब्द हैं और सभी वर्तमान सब कानून........

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडक : मैं उस पर नहीं आया हूँ।

श्री देशबन्धु गुप्ता : मैं चाहता हूँ, आप उसका उत्तर दें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अभी उत्तर नहीं दूंगा। मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा। मैंने इसे नोट कर लिया है और मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करने के लिए कोई आधार नहीं है। हो सकता है, सदन मेरा स्पष्टीकरण स्वीकार न करे, किन्तु ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास इसका स्पष्टीकरण नहीं है।

जहां तक इस खंड का संबंध है, आप देखेंगे कि खंड (6) के बाद के भाग को दो भागों में पृथक किया गया है। एक भाग किसी व्यवसाय को करने की अर्हताओं से संबंधित है और दूसरा भाग किसी व्यापार आदि को वास्तविक रूप में चलाने के बारे में हैं। उस दूसरे भाग का महत्वपूर्ण भाग यह है कि यह राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वह किसी व्यापार करने वाले गैर-सरकारी लोगों और उसी व्यापार

को राज्य द्वारा किये जाने के बीच अलग-अलग वर्गीकरण करे। इस खंड और इसके पेश करने की आवश्यकता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय के कारण उत्पन्न हुई है, जो 1951 ए.आई.आर. (इलाहाबाद) 257 पूर्ण पीठ में दिया हुआ है। और जो *मोतीलाल* बनाम *उत्तर प्रदेश सरकार* के नाम से जाना जाता है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण की एक योजना आरम्भ की थीं। वह सरकार इस योजना को छुटपुट तरीके से क्षेत्रवार कार्यान्वित कर रही थी। उसका कहना था कि जिस क्षेत्र में उनका एकाधिकार होगा, उस क्षेत्र में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को बसें चलाने का अधिकार नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों के बारे में उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे उन्हें संभाल लेंगे, कि बाद में वे उन्हें नहीं संभाल सके। इस कारण उन्होंने वे क्षेत्र गैर-सरकारी बस-स्वामियों के लिए भी छोड़ दिये। ऐसा करते समय उन्होंने कहा कि राज्य के लिए उन क्षेत्रों में जो उसने अपने लिए आरक्षित किए हैं, बसें चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी नहीं होगा, परन्तु गैर-सरकारी स्वामियों को राज्य से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह प्रश्न इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर उठाया गया था कि यह भेदभाव है। मेरे विचार में, यदि राष्ट्रीयकरण वांछनीय है और देश के सर्वोत्तम हित में है, तो यह भी स्वीकार करना होगा कि हो सकता है राज्य के लिए समूचे देश में एक ही समय राष्ट्रीयकरण करना सम्भव न हो। इसमें प्रशासनिक और अन्य बहुत-सी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए योजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए राज्य के लिए यह जरूरी होगा कि वह स्पष्ट रूप से बताये कि वह किस क्षेत्र में कार्य करेगी और कौन-सा क्षेत्र उसने दूसरों के लिए छोड़ा है।

इस प्रक्रिया में, भेदभाव न करने का सिद्धांत रुकावट नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के मामले में भेदभाव न बरतने का सिद्धांत आड़े न आये, इस उद्देश्य से यह विशेष संशोधन लाया गया है और मैं नहीं समझता कि सदन इस पर कोई गम्भीर आपत्ति करेगी।

एक माननीय सदस्य : उच्च न्यायालय ने भी यही बात कही है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अब मैं खंड 3, उप-खंड (2) पर आता हूँ, जिसके बारे में.........

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : आपने इस खंड से 'युक्तियुक्त' शब्द क्यों हटा दिया?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : 'युक्तियुक्त' शब्द इसमें नहीं था। इस बात पर चर्चा हो सकती है। (एक माननीय सदस्य : प्रवर समिति में) सदन में, हर जगह।

अब, मैं खंड 3, उप-खंड (2) पर आता हूँ। यह समझने के लिए कि यह संशोधन वस्तुत: क्या करता है, हमें वापस अनुच्छेद 13 पर जाना होगा। केवल अनुच्छेद 13 के प्रकाश में ही हम इस विशेष उप-खंड 13 को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। जैसा कि

माननीय सदस्य जानते हैं, अनुच्छेद 13 में यह घोषणा की गई है यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह शून्य एवं अप्रवर्तशील घोषित की जायेगी। जैसा कि मैंने अपनी टिप्पणियों में दर्शाया है, कुछ विधियों के उपबंधों को, जैसे भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153क और 124क, प्रेस (आपात् शक्तियाँ) अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों के कतिपय उपबंधों को उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? मेरे विचार में हमारे सामने तीन विकल्प हैं। एक तो यह कि हम संविधान में संशोधन न करें और शून्य उपबंध को ऐसे ही रहने दें। मेरे विचार में, इस सदन का कोई भी सदस्य इस विकल्प को पसंद नहीं करेगा। (एक माननीय सदस्य : यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा)। दूसरा विकल्प यह है कि हम संविधान में संशोधन करें और इसके तहत हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो यह कि हम संशोधित अनुच्छेद के अनुरूप इस विधि को पुनः अधिनियमित करें। यह एक तरीका है। संसद और विभिन्न राज्य विधानमंडल अपने-अपने सत्र बुलाएँ और इन विधियों पर पुनर्विचार करें। दूसरा तरीका यह है कि इन विधियों को पुनरुज्जीवित करें और यह कहें कि इन विधियों का पुनरुज्जीवन संशोधित संविधान में उल्लिखित उपबंधों के अधीन होगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? इस विधेयक में यही दूसरा तरीका अपनाया गया है।

विधेयक में कहा गया है: जिन विधियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा शून्य और अकृत घोषित किया गया है, उन्हें प्रभावी माना जाये किंतु एक परन्तुक के अधीन रहते हुए, पर वे अपने मूल रूप में प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि इस तरीके से और उस सीमा तक प्रभावी होंगे जो संशोधित अनुच्छेद 19 से संगत हो। यही स्थिति है। अब मैं सदन से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस संभावना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि या तो यह संसद या प्रान्तों की विभिन्न विधानसभाएं पुनः अपने-अपने सत्र बुलायें और इन विधियों को पुनः अधिनियमिति करें।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : क्या इसके लिए समय है?

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : यह क्या हो रहा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि मेरे मित्र डॉ. मुखर्जी बंगाल विधानसभा के सदस्य हों, तो वह इस कानून को वहां सें कम से कम छः महीने तक पास नहीं होने देंगे। उनके तर्क, उनके प्रभावशाली और जोरदार भाषण इन विधियों के पुनः अधिनियमन के मार्ग में चीन की दीवार बनकर आड़े आयेंगे। इसलिये इस संसद की अथवा स्थानीय विधानसभाओं की स्थिति को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में आप यही नहीं मान सकते कि उनके

पास निकट भविष्य में इन विधियों को पुनः अधिनियमित करने का समय होगा। मैं स्वयं भी ऐसा नहीं सोच सकता। हमारे पास यहां काफी विधायन कार्य है।

श्री सारगंधर दास : नई संसद क्यों नहीं कर सकती?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि नई संसद इस कार्य को करेगी तो इसका मतलब यह होगा कि वर्ष में छः, सात अथवा आठ महीनों तक सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कोई कानून नहीं बन सकेगा, अपराध के लिए उकसाने के लिए और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में कोई विधि नहीं होगी। यदि सदस्यगण इस निश्चित संभावना पर विचार कर सकते हैं तो वे करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

चौ. रणबीर सिंह (पंजाब) : यदि नई संसद चाहे तो इन कानूनों को निरसित कर सकती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अनुच्छेद 19 पर बोल चुका हूँ।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी : आप भूतलक्षी प्रभाव क्यों दे रहे हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आप भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं करेंगे तो ये विधियां पुनर्जीवित नहीं हो पायेंगी।

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : क्या यह कानूनी है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : क्यों नहीं? यदि इन कानूनों को लागू होना है तो ये उसी तारीख से लागू होंगी जब से यह कानून अस्तित्व में आया है। यदि आप इन कानूनों को पुनः अधिनियमित करते हैं तो आप इस पर नये सिरे से सोच सकते हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि आप इन्हें पुनः अधिनियमित कैसे कर सकते हैं।

श्री देशबन्धु गुप्ता : चूंकि माननीय विधि मंत्री अगले अनुच्छेद को ले रहे हैं, क्या मैं इस अनुच्छेद के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जो शक्ति ल जा रही है क्या वह किसी अपराध के लिए उकसाने के बारे में है? प्रेस (आपात शक्तियां) अधिनियम की धारा 4, जिसका माननीय विधि मंत्री ने उल्लेख किया है, हत्या अथवा किसी अपराध के लिए जिसमें हिंसा अन्तर्गस्त हो, को उकसाने के संबंध में हैं? अतः मैं जानना चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : क्या आप इसकी हिमायत करना चाहते हैं?

श्री देशबन्धु गुप्ता : नहीं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन विस्तृत शक्तियों के अन्तर्गत जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी ऐसे आदेश को, जो लोगों की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो, अहिंसक रूप से पालन न करने की हिमायत की जा सकती है। भले ही वह किन्हीं अन्य कानूनों के अन्तर्गत अपराध हों। मैं स्पष्टीकरण

चाहता हूँ। उदाहरणार्थ, धारा 144 गैर-कानूनी प्रयोजनों के लिए किसी सभा का आयोजन करने पर रोक लगाती है। कोई जिला मजिस्ट्रेट एक उसी आशय का आदेश जारी करता है। कोई समाचार-पत्र कल लोगों को सलाह दे कि यह आदेश एकदम बेहूदा है और इसका पालन न किया जाए। क्या यह अपराध होगा अथवा नहीं, हालांकि यह न तो हिंसा के लिए और न ही हत्या के लिए उकसाने की बात है?

श्री राजागोपालाचारी : मेरा निवेदन है कि इतनी विस्तृत चर्चा प्रवर समिति के लिए छोड़ दी जाए। सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया गया है। अन्यथा हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा।

श्री देशबन्धु गुप्ता : यदि माननीय मंत्री यह आश्वासन दे दें कि इसमें संशोधन कर दिया जायेगा, तो पर्याप्त होगा।

माननीय अध्यक्ष : जो भी हो, जो सदस्य बार-बार बीच-बीच में बोल रहे हैं, अपनी बात कह चुके हैं उनके विचारों को नोट कर लिया गया है। अब माननीय विधि मंत्री को, जो बोल रहे हैं, अपनी बात कहने दीजिए।

श्री कॉमथ : इसका मतलब यह हुआ कि जिन्होंने अपनी बात नहीं कही है, वे बीच-बीच में टोका-टाकी कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष : नहीं। इसका मतलत यह नहीं है। सदस्यगण इसका ध्यान रखें।

श्री शिवचरण लाल : केवल एक प्रश्न। क्या भूतलक्षी प्रभावी से इसे लागू करना कानूनी होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, निस्संदेह।

पं. ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या माननीय कानून मंत्री अनुच्छेद 19(2) के शब्दों से, जिसमें वह संशोधन करना चाहते हैं, संतुष्ट हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने सिद्धान्त स्पष्ट कर दिया है। जैसा मैंने कहा, यदि सिद्धांत को लागू करने के लिए भाषा बदलने की आवश्यकता होगी, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु सिद्धांत यह है कि उन विधियों को पुनर्जीवित किया जाएगा।

श्री देशबन्धु गुप्ता : माननीय मंत्री ने 'उचित' शब्द को हटाने पर कोई प्रकाश नहीं डाला है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह हटाया नहीं गया है। यह था ही नहीं।

पं. ठाकुर दास भार्गव : किन्तु अन्य बातें तो थीं। आपने वे सभी रक्षात्मक उपाय वापस ले लिए हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह अलग बात है। उस पर प्रवर समिति विचार करेगी।

अब मैं विधेयक के खंड 4 पर आता हूँ। यह खंड एक नये अनुच्छेद 31क को समविष्ट करता है। पहले हम यह समझ लें कि यह अनुच्छेद क्या करता है। यह अनुच्छेद राज्य को सम्पदा अर्जित करने की अनुमति देता है। दूसरे, इसमें कहा गया है कि जब कभी भी सम्पदा अर्जित करने के लिए कोई विधान बनाया जाता है, तो उस पर मूल अधिकारों की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे विचार में इस अनुच्छेद के गुणावगुणों के बारे में निर्णय एक प्रश्न को ध्यान में रखकर लेना होगा और वह यह है कि क्या इस अनुच्छेद में कोई क्रान्तिकारी बात है?

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह प्रतिक्रियावादी है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : क्या इस अनुच्छेद में कोई ऐसी बात है, तो अनुच्छेद 31 में नहीं है।

मैं सदन से चाहता हूँ कि वह इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करे। सदन को स्मरण होगा कि अनुच्छेद 31 के बाद के खंडों में यह उपबंध था कि यदि राष्ट्रपति एक प्रमाण–पत्र जारी कर दें, तो कतिपय विधियों पर, जो विचाराधीन है और पारित नहीं हुई हैं, मुआवजे के आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी। यह अनुच्छेद 31 के उस खंड का सार है। अनुच्छेद 31 का नया संशोधन न केवल मुआवजे संबंधी उपबंध के प्रवर्तन को, बल्कि भेदभाव संबंधी अनुच्छेद के प्रवर्तन को भी हटाता है। इस संशोधन में मैं 'सम्पदा' शब्द पर बल दे रहा हूँ। नया अनुच्छेद बहुत सीमित है। यह भूमि के अर्जन पर लागू नहीं होता। यह भूमि पर सम्पदा के अर्जन पर लागू होता है, जो कि एक बहुत भिन्न बात है। सम्पदा की इस विशेष अनुच्छेद में परिभाषा की गई है, अर्थात्, स्वामी, उपस्वामी, बटाईदार या अन्य बिचौलियों का अधिकार। यह शब्दावली अलग–अलग प्रांतों में अलग–अलग है। यह भूमि के अर्जन के संबंध में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। इसलिए अनुच्छेद 31क जो कहता है वह यह है कि जब सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई कानून बनाया जाता है, तो दो प्रश्न उठते हैं। एक तो मुआवजे की राशि का और दूसरा मुआवजे की राशि से संबंधित विभिन्न स्वामियों के बीच अन्तर का। ये ही दो प्रश्न उठ सकते हैं और इन्हीं के कारण मुकदमेबाजी होती है। जहां तक मुआवजे का संबंध है, हमने मूल अनुच्छेद 31 द्वारा स्वामित्व और जमींदारी के हितों के अर्जन के प्रश्न को पहले ही शामिल नहीं किया है। इस अनुच्छेद द्वारा हम विभेदमूलक उपबंध के प्रवर्तन को भी शामिल नहीं कर रहे हैं। इस अनुच्छेद के माध्यम से हम यही कह रहे हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि हम इस भूमि के प्रश्न के संबंध में मुआवजे और भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकारों के उक्त दो अनुच्छेदों को भी स्वीकार नहीं कर सकते।

मैंने इस विषय पर बहुत ध्यान दिया है। मैंने आयरलैंड की स्थिति का भी बड़े ध्यान से अध्ययन किया है। आयरलैंड हमारे देश से काफी मिलता है। आयलैंड में किसान भूमि के लिए तड़प रहे हैं। आयरलैंड में भूमि का बंटवारा बे-तरतीबी से किया गया है। कुछ के पास बहुत बड़ी सम्पदा है; कुछ के पास बहुत कम है। बहुत से भूमिहीन हैं। आयरलैंड के संविधान ने क्या किया है? जो सदस्य भूमि संबंधी हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें इस मामले पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना चाहिए। आयरलैंड के संविधान में भूमि पर सम्पदा विशेष रूप`स मूल अधिकार नहीं है। आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 43 के खंड 2 में यह कहा गया है कि भूमि पर अधिकार सामाजिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इसमें यह नहीं कहा गया है, कि भूमि उसी सूरत में ली जायेगी जब उसका पूरा मुआवजा दे दिया जायेगा या भूस्वामियों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा। आयरलैंड में क्या स्थिति है? वहां उन्होंने भीड़-भाड़ के इलाकों के लिए एक बोर्ड बना दिया है। यह एक पृथक संगठन है, जिसे कानून से बनाया है और इस बोर्ड को भूमि अर्जित करने, भू-जोतों के टुकड़े करने, भूमि को समतल बनाने तथा पड़ौसी स्वामी की भूमि लेकर अलाभकर जोतों को लाभकर जोतों में बदलने की शक्ति है और मुआवजा तय करने का अधिकार भी इसी बोर्ड को दिया गया है। इस बोर्ड के काम का निर्वचन करने के लिए कोई न्यायिक प्राधिकरण नहीं है।

एक माननीय सदस्य : और कोई अपील नहीं है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कोई अपील नहीं। कुछ लोगों ने अपील की है, किन्तु न्यायालयों का कहना है कि किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं हो सकती।

अपने बारे में मैं निस्संकोच यह कह सकता हूँ कि जिन राज्यों की भूमि का अर्जन किया है, उने द्वारा प्रारूपित नई योजनाओं का मैं प्रशंसक नहीं हूँ। मेरे विचार में, इस देश में किसान स्वामी बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में दिक्कत यह है कि हमारे यहां आधा एकड़ या एक या दो एकड़ भूमि वाले छोटे किसान हैं, जिनके पास न तो पैसा है, न बैल हैं, न औजार हैं, न बीज हैं और न ही पानी की कोई व्यवस्था है। फिर भी वे भू स्वामी है और भूमि रखते है। भविष्य के बारे में मुझे बड़ी चिन्ता रहती है कि यदि यही कृषि-प्रणाली जारी रही तो इस देश का और इसके खाद्य उत्पादन का क्या होगा? मैं बहुत प्रसन्न होता, यदि राज्य इन सभी सम्पत्तियों का अर्जन कर लेता और भूमि को राज्य की भूमि के रूप में अपने पास रखता और कृषकों को स्थायी तौर पर बटाई पर देता ताकि राज्य को माल सप्लाई करके सामूहिक खेती और सहकारी खेती शुरू करने का अधिकार होता है। परन्तु इस समय हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमिहीन

मजूदर हैं और मेरे विचार में उनकी संख्या बढ़कर पांच करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। परन्तु जब आप भूमि जोतने वाले को भूमि का मालिक बनाने का कानून बना देंगे, तो आप इन भूमिहीन मजदूरों के कल्याण की क्या व्यवस्था करेंगे? वे जमींदारी उन्मूलन के बावजूद भी वहीं रहेंगे जहां वे इस समय हैं। इसलिए जो हो रहा है, उससे मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। परन्तु यह तो एक अलग बात है। इस समय हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि बिचौलियों को रहने देना चाहिये। मेरे विचार में इस पर कोई विवाद नहीं है कि बिचौलियों को समाप्त करना चाहिए और इसमें मूल अधिकार भी आड़े नहीं आने चाहिएं कि पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है या भेदभाव बरता गया है। मेरे पास एक बड़ा रोचक दस्तावेज है जो मुझे पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि फ्लाइड आयोग के नाम से बंगाल में जमींदारी समाप्त करने के लिये एक आयोग बनाया गया था। आयोग के अपना प्रतिवेदन देने के बाद, बंगाल सरकार ने यह जानने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया कि फ्लाइड आयोग की सिफारिशों को कैसे लागू किया जाए और उस अधिकारी ने एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट दी। मेरे पास उस रिपोर्ट की प्रति है, परन्तु इसे पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। उस अधिकारी ने स्वयं सिफारिश की कि बराबर मुआवजा देना गलत होगा। यह न्यायसंगत नहीं होगा, हालांकि प्रशासन के लिए बराबर मुआवजा देना आसान होगा। उस अधिकारी ने मुजावजे की एक योजना बनाई है, जो बड़ी रोचक है। उसने क्रमिक मुआवजे की योजना बनाई है। यदि लाभ 2000 रुपये तक है तो मुआवजा शुद्ध लाभ का पन्द्रह गुना होना चाहिये। 2000 रुपये से 5000 हजार रुपये तक का मुआवजा बारह गुना होना चाहिए परन्तु 2000 रुपये तक लाभ पर मुआवजे की दी गई अधिकतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवजा दस गुना होना चाहिए परन्तु 2000 रुपये से 5000 रुपये तक के लाभ पर दिये गये अधिकतम मुआवजे से कम नहीं होना चाहिये और 10,000 रुपये से अधिक के लाभ के लिए यह आठ गुना होना चाहिए, परन्तु पिछली श्रेणी में बताई गई अधिकतम राशि से कम नहीं होना चाहिये। यह सब क्रमिक है। मुआवजे का यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। हमें इसमें खो नहीं जाना चाहिए। यदि आप कृषि की भलाई चाहते हैं, तो हमें इन बिचौलियों को हटाना होगा। पिछले अनुच्छेद में जमींदारी के अधिकारों के अर्जन के लिए मुआवजे को छोड़ दिया था। अब हम भेदभाव को छोड़ना चाहते हैं। मेरे विचार में अनुच्छेद 31 संचालन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सम्पदाओं के अर्जन के लिए कानून है।

श्री शिवचरण लाल : भेदभाव के बारे में अनुच्छेद 14 भी है। उसका क्या हुआ?

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : इस समूचे अध्याय का चलन नहीं हो रहा है।

श्रीमती रेणुका रे (पश्चिमी बंगाल) : जब माननीय मंत्री आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं, तो वह पूरी तरह आगे क्यों नहीं बढ़ते?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इतना क्रांतिकारी नहीं हूँ।

श्रीमती रेणुका रे : परन्तु आपने स्वयं ही सुझाव दिया है कि राज्य को भूमि का अर्जन करना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, मैं धीरे-धीरे सुधार लाने के पक्ष में हूँ।

अब मैं अनुच्छेद 31 (ख) पर आता हूँ। यह अनुच्छेद नौवीं अनुसूची में कतिपय विधियों का उल्लेख करता है, जिन्हें पारित कर दिया गया है। इस संबंध में भारी आपत्ति की गई है कि यह एक बड़ा ही असामान्य तरीका है। पहली दृष्टि में तो यह निसंदेह एक असामान्य तरीका है। परन्तु हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। ये विधियां क्या हैं? वे कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये विधियां बनाई गई हैं, जिनकी रक्षा नौंवी अनुसूची द्वारा की जा रही है। ये सभी विधियां हैं जो अनुच्छेद 31 (क) के अन्तर्गत आती हैं, अर्थात् ये वही विधियां हैं, जिनका उद्देश्य सम्पदा अर्जित करना है। जब हम अनुच्छेद 31(क) के आधार पर यह कहते हैं कि जब कभी भी किसी सम्पदा के अर्जन के लिए कानून बनाया जाये, तो इसकी वैधता के आड़े न तो मुआवजे का सिद्धांत आना चाहिए और न ही भेदभाव का। मैं मानता हूँ कि भावुकता में बहकर इस संबंध में कुछ आपत्ति की जा सकती है। परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें इन विधियों को वैध घोषित कर देना चाहिये।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : ये दोषपूर्ण विधियां हैं, इसीलिए इन्हें वैध घोषित करना उचित होगा।

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : मैं यह मानना चाहता हूँ कि जिन विधियों को वैध घोषित करने का प्रयत्न किया जा रहा है क्या उनके अन्तर्गत केवल भूमि सुधार आते हैं या वे सम्पत्ति अंतरण अधिनियम आदि जैसी अन्य विधियों में भी हस्तक्षेप करेंगी? क्या सरकार ने मामले के इस पहलू पर विचार किया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहूंगा। दूसरा तरीका यह होगा कि हम इन विधियों में संशोधन करने और उन्हें पुनः निर्मित करके अनुच्छेद 31 के उपबंधों के अनुरूप बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे दें।

पं. ठाकुर दास भार्गव : अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत हमने यह निर्णय लिया था कि यदि राष्ट्रपति कतिपय विधियों को प्रमाणित कर देते हैं, तो वे विधियां वैध होंगी। अब उस तरीके को समाप्त कर दिया गया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह इसलिए नहीं किया गया कि इससे मेरे ऊपर अर्थात् विधि मंत्रालय पर और खाद्य और कृषि मंत्रालय पर तथा अन्य मंत्रालयों पर भारी बोझ पड़ेगा। हमें सभी को यहां बैठना होगा और इन अधिनियमों की प्रत्येक

धारा पर विचार करना होगा कि वे अलग तो नहीं हैं। यह बहुत भारी काम होगा और मेरे विचार में यह सम्भव नहीं है।

श्री कॉमथ : इसके लिए एक समिति नियुक्त कर दीजिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसका मतलब यह होगा कि इस विधेयक को स्थगित करना होगा।

अब मैं खंड 6 पर आता हूँ जिसका आशय अनुच्छेद 85 में संशोधन करना है। अनुच्छेद 35 में 'सम्मन' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ कठिनाई पैदा हो गई है। 'सम्मन' शब्द का एक तकनीकी अर्थ है, अर्थात् सत्रावसान या समापन के बाद संसद की बैठक। इसके अन्तर्गत स्थगन के बाद संसद की बैठक का मामला नहीं आता। परिणाम यह है कि संसद समय-समय पर स्थगित होते हुए भी पूरे वर्ष बैठक में रह सकती है और यह कहा जा सकता है कि संसद को केवल एक बार सम्मन किया गया है, दो बार नहीं। अत: सत्रावसान होना चाहिए, ताकि एक नया सत्र हो सके। यह महसूस किया गया है कि इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए, इसलिए इसके पहले भाग का लोप कर दिया गया है। केवल इस उपबंध को रखा गया है कि जब कभी भी संसद का सत्रावसान होगा, तो नया सत्र छह महीने के अन्दर बुलाया जायेगा। पुराने और नये अनुच्छेद में यही अन्तर है, अर्थात् सम्मन करने की बात अब नहीं है। संसद को एक बार, सम्मन किया जा सकता है और समय-समय पर किये जाने वाले अल्पकालिक स्थगनों के साथ यह जारी रह सकती है।

खंड (2) के बारे में दूसरी कठिनाई यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस अनुच्छेद के अनुसार यह आवश्यक है कि दोनों सदनों का एक साथ सत्रावसान होना चाहिए, अलग-अलग समय पर नहीं। यह निस्संदेह संविधान का आशय नहीं था। संविधान का आशय तो यह था कि एक सदन को एक समय से बुलाया जाये और दूसरे समय और इसी तरह एक ही सत्रावसान एक समय में होना चाहिये और दूसरे का दूसरे समय में। इसे सम्भव बनाने के लिए ही खंड (2) में संशोधन कियाा गया है।

अनुच्छेद 87 के बारे में जिसे खंड 7 द्वारा संशोधित करना है, स्थिति इस प्रकार है। पुराने अनुच्छेद में यह व्यवस्था थी कि जब कभी संसद को सम्मन किया जायेगा, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अब चूंकि संसद केवल एक बार सम्मन की जायेगी और यह या तो सत्रावसान द्वारा या स्थगन द्वारा जारी रहेगी तो हमें इस उपबंध को बचाये रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह............

श्री कॉमथ : यह सत्रावसान के बाद कैसे जारी रह सकती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि इसका सत्रावसान हो जाता है तो इसे

सम्मन किया जायेगा। संसद बेशक दो बार सम्मन की जाये, परन्तु राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल एक बार ही होगा। जहां तब वाद-विवाद के पूर्वोदाहरण का संबंध है, उसे भी हटा दिया गया है। परन्तु ऐसी बात नहीं है कि कोई समय नहीं दिया जायेगा। यदि कोई अत्यावश्यक कार्य है जिसका पहले निपटारा करना जरूरी है, तो.........

श्री श्यामनन्दन सहाय : मान लीजिए कि राष्ट्रपति सदन को सम्बोधित करना चाहते हैं, तो उन पर भी यह सीमा लागू होगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अब मैं अनुच्छेद 341 और 342 पर आता हूँ। जैसा कि सदन को विदित है, अभी भाग-क और भाग-ख राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को दी हुई है, जबकि भाग-ग राज्यों के बारे में यह शक्ति संसद के पास है। इस स्थिति को अब बदला जा रहा है और भाग-ग राज्यों के संबंध में भी उक्त आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जो उन्हें संविधान के उपबंधों के अनुरूप बना सकें और यह शक्ति केवल दो वर्ष के लिए दी गई है। सदन को स्मरण होगा कि अन्य कार्यों के दबाव के कारण सरकार यह मानने के लिए कि वर्तमान विधियों में से कितनी विधियां संविधान क उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं, सभी वर्तमान विधियों की जांच नहीं कर सकती। इसलिए यह महसूस किया गया कि वर्तमान विधियों में उक्त संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाए ताकि ऐसे तरीके निकाले जा सकें जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन सी विधियां असंगत हैं और उनके संबंध में एक समेकित आदेश जारी किया जा सके।

श्री कॉमथ : इस अनुच्छेद में यह भी उपबंध है कि नये संविधान के अन्तर्गत एक बार संदन निर्वाचित हो जाने के बाद, राष्ट्रपति, इस शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि यह अनुच्छेद ऐसी शक्ति देता है नि:संदेह तो उसका स्थान नई शक्ति ले लेगी।

श्री कॉमथ : यह कैसे हो सकता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अब मैं अनुच्छेद 376 के खंड 13 पर आता हूँ। इस खंड के संबंध में काफी आपत्ति की गई है। यह उन व्यक्तियों की किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के संबंध में है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। स्थिति इस प्रकार है। अनुच्छेद 217 के खंड 2 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 376 में यह व्यवस्था है कि वर्तमान न्यायाधीश, उन न्यायधीशों समेत जो संविधान लागू होने की तारीख को भारत के नागरिक नहीं थे, यदि वे चाहें तो न्यायाधीश बने रहेंगे। अब ऐसा है कि हमारे देश में उच्च न्यायालय के कोई चार न्यायाधीश ऐसे हैं, जो संविधान

लागू होने की तारीख को किन्हीं उच्च न्यायालो के न्यायाधीश तो थे परन्तु वे भारत के नागरिक नहीं थे। उन्होंने अपने पदों पर बने रहना ठीक समझा और वे सेवानिवृत्त नहीं हुए। इसलिए हम अनुच्छेद 376 के उपबंधों के अन्तर्गत उन्हें उनके पदों पर कायम रखने के लिए मजबूर थे। अब एक प्रश्न उठा है और वह यह है। क्या ऐसा व्यक्ति उस न्यायालय में जहां वह सेवारत है या किसी अन्य न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त हो सकता है? एक और प्रश्न उत्पन्न हो गया है और वह यह है कि क्या ऐसा न्यायाधीश दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो सकता है? इसमें मुद्दा यह है कि मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्ति या न्यायाधीश की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण एक नई नियुक्ति है? यदि यह नई नियुक्ति है तो स्पष्टतः अनुच्छेद 217(2) के उपबंध लागू होंगे। इसे एक बड़ी कठिनाई समझा गया क्योंकि यह कल्पना नहीं की जा सकती कि संसद का आशय उन्हें केवल उनके पदों पर बनाये रखना था और उनके भविष्य का ध्यान नहीं रखना था। ऐसा आशय बिल्कुल नहीं था। अतः राष्ट्रपति ने, अनुच्छेद 392, खंड (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस स्थिति को एक आदेश जारी करके विनियमित कर दिया। इस आदेश पर कई लोगों ने आपत्ति की और इसे राष्ट्रपति की शक्ति से बाहर बताया। इन संदेहों को दूर करने के लिए यह बेहतर समझा गया कि संविधान में ही इसकी व्यवस्था कर दी जाये, और इसीलिए खंड 13 को इस विधेयक में शामिल किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री बताएँगे कि स्थानान्तरण के बारे में शुरू में ही क्यों नहीं सोचा गया? क्या यह इस खंड द्वारा उत्पन्न की गई एक नई स्थिति नहीं है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में, अनुच्छेद 376 का आशय है, अर्थात् जब उन्हें एक बार पद पर बने रहने दिया गया है, तो यह सभी प्रयोजनों के लिये है चाहे वह स्थानान्तरण हो अथवा पदोन्नति।

परन्तु कुछ लोगों ने यह कठिनाई महसूस की है कि.......

पं. ठाकुर दास भार्गव : विचार यह था कि मुख्य न्यायधिपति देश का नागरिक अवश्य होना चाहिए। अब क्या हो गया?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कारण स्पष्ट है। जब आप किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह आप अपनी सुविधा के लिए करते हैं और आप उसे किसी अन्य न्यायालय में भी स्थानान्तरित करने की स्थिति में होने चाहिएं। न्याय का तकाज़ा है कि उसकी पदोन्नति भी नहीं रोकी जानी चाहिए।

पं. ठाकुर दास भार्गव : क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हम इन चार विशेष मामलों पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान) उपबंध एकदम स्पष्ट है और मेरे विचार में इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता।

मेरे विचार में मैंने चर्चा के दौरान उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यदि कुछ रह गया है, तो उस पर विधेयक पर खण्डवार विचार करते समय चर्चा कर लेंगे।

संविधान (पहला संशोधन) विधेयक, 1951

***श्री जवाहरलाल नेहरू :** अब तो यह एक परम्परा बन गई है–मैं नहीं कह सकता कि यह इससे भी अधिक है और क्या यह संविधान में ही है–कि जो कुछ भी संविधान की समवर्ती सूची में है, जो भी कानून किसी राज्य के विधानसभा द्वारा पास किया जाता है। वह यहां भी विचार और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आता है। क्या स्थिति यही है?

एक माननीय सदस्य : नहीं, जब तक यह सदन ऐसा कोई कानूनन बना दे, तब तक यह स्थिति नहीं है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि वह असंगत है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, जब तक यह सदन ऐसा कोई कानून पास न कर दे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा मतलब यह था कि यदि स्पष्ट असंगति है, तब तो वह प्रवृत्त नहीं होती। यह तो स्पष्ट है। परन्तु इस बात की जांच करने के लिए कि असंगत नहीं है और यह देखने के लिए कि यह जो विधायी सूचियों में वर्णित है उसके अनुरूप ही है और यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए यहां आता है। इसलिए वास्तव में.........

श्री भारती (मद्रास) : यह आवश्यक नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आवश्यक है क्योंकि इस स्थिति में कानून प्रभावी नहीं होता। परन्तु मुझे बताया गया है कि यह वास्तव में अपने आप ही होता है। ऐसे सभी कानून यहां रोज आते हैं। पहले वे जांच के लिए गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के पास आते हैं, फिर वे राष्ट्रपति के पास आते हैं ताकि पता चल सके कि वह उनका अनुमोदन करते हैं या नहीं। अत: वे यहां अवश्य आते हैं। मैं तो उससे भी आगे जाने के लिए तैयार हूँ, यदि सभी चाहें तो राष्ट्रपति की सहमति संबंधी खंड को अनुच्छेद 19 में जोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह निर्णय करना सदन का काम है।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 31 मई, 1951, पृष्ठ 9610

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी :** अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं प्रधान मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि 'राज्य' के स्थान पर 'संसद' शब्द प्रतिस्थापित करने के बारे में मेरे दो संशोधनों के मुख्य उद्देश्यों पर विचार करें अथवा यदि यह सम्भव नहीं है तो कम से कम यह व्यवस्था करें कि इस संबंध में राज्यों द्वारा पास किये गये कानून राष्ट्रपति की सहमति के अध्यधीन होंगे। यदि यह कर दिया गया तो इससे हमारे सामने आने वाली कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो जाएँगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस वाद-विवाद के बीच में बोलने का मेरा एक ही कारण है कि मैं उन सांविधानिक उपबंधों के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ जो प्रस्तुत संशोधनों में अन्तर्विष्ट हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों संशोधनों को एक साथ लेना चाहता हूँ। पहला संशोधन तो यह है कि संसद के पास उन उपबंधों के अधीन जो अनुच्छेद 19 के प्रस्तावित खंड (2) में पुनःस्थापित किये जा रहे हैं, विधि बनाने की अनन्य शक्ति होनी चाहिये और दूसरा यह कि यदि यह सम्भव नहीं है तो राष्ट्रपति को इन नये प्रस्तावित खंड के अन्तर्गत बनाई गई किसी विधि पर अपनी सहमति देने की शक्ति होनी चाहिये। और जब तक वह सहमति नहीं दी जाये तब तक वह विधि वैध नहीं मानी जानी चाहिए।

संसद के लाने के बारे में दो बातें हैं जिन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। एक तो यह कि क्या यह सम्भव है कि संसद को नये खंड (2) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में विधि बनाने की अनन्य शक्ति दी जानी चाहिए? इस मामले पर मैं सदन का ध्यान अनुच्छेद 368 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो संविधान में संशोधन करने के बारे में है। इस अनुच्छेद में संविधान के उन अनुच्छेदों का संशोधन करने का उल्लेख है जिनके लिए संशोधन को विधिवत पारित माने जाने से पूर्व राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। मैं अनुच्छेद 368 में वर्णित संशोधनों की सभी विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख नहीं करूंगा। यहां मैं केवल एक श्रेणी का ही उल्लेख करूँगा और वह है भाग ग्यारह का अध्याय-एक। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि यदि किसी ऐसे अनुच्छेद का संशोधन किया जाता है, जो भाग-ग्यारह के अध्याय-एक का अंग है, तो ऐसे संशोधन के लिए राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है। अनुच्छेद 246 का खंड (3), भाग-ग्यारह के अध्याय-एक के अन्तर्गत आता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों को सूची-दो, की किसी प्रविष्टि के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। इसका मतलब यह हुआ कि संसद को सूची-दो की किसी मद के संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यदि आप सूची-दो को देखें तो आप पायेंगे कि उस सूची की प्रविष्टि 1 सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में हैं। इस संशोधन विधेयक द्वारा सार्वजनिक

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 1 जून, 1951, पृष्ठ 9861-69

व्यवस्था संबंधी विधान को हम पहली बार अनुच्छेद 19 के खंड (2) में शामिल कर रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि आप संसद को सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देना चाहते हैं, जो सूची-दो में शामिल है, और जो अनुच्छेद 246(3) के अनुसार राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार में आता है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। अतः इस संबंध में सरकार का और इस सदन का आशय एकदम स्पष्ट है कि हम किसी ऐसे खंड में कोई संशोधन नहीं करना चाहते, जिसके लिए राज्यों की सहमति या अनुसमर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़े। उस दृष्टि से जिन सदस्यों ने यह संशोधन पेश किया है कि वे इस बात से सहमत होंगे कि इस संशोधन को एक ऐसी कठिनाई में डाले बिना स्वीकार करना सम्भव नहीं है जिसे यह सदन उस समय-सीमा के अन्दर पार नहीं कर सकेगी, जो हमने इस विधेयक को पास करने के लिए तय की है।

जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था, हम सभी को इस प्रस्ताव के साथ सहानुभूति है कि यदि यह सम्भव हो तो संसद को विधान बनाने की शक्ति दी जानी चाहिए। हम इस सुझाव के पक्ष में भी हैं कि राष्ट्रपति को विधेयक के कानून बनने से पहले उस पर अपनी सहमति देने का अधिकार होना चाहिए। परन्तु हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या यह आवश्यक है? क्या यह संविधान के उपबंधों में नहीं दिया हुआ है? अब मैं विधान के उन शीर्षों का जो इस खंड में शामिल किए गए हैं, और सातवीं अनुसूची की विभिन्न प्रविष्टियों में उन्हें जो स्थान मिला है, उसका उल्लेख करना चाहूँगा।

राज्य की सुरक्षा को ही लीजिए। राज्य की सुरक्षा जैसी कोई विशेष प्रविष्टि नहीं है। इसका कारण यह है कि राज्य की सुरक्षा विभिन्न प्रविष्टियों द्वारा की जा सकती है और यह शक्ति विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बांटी गई है। माननीय सदस्य देखेंगे कि सूची-1 की प्रविष्टि-1, जहां तक राज्य की सुरक्षा का सम्बन्ध है बहुत संगत प्रविष्टि है। दूसरे शीर्ष को लीजिए। वह विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंधों के बारे में है। यह सूची-1 की प्रविष्ट-9, 10 और 14 के अन्तर्गत आता है। तीसरे शीर्ष सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता को लीजिए। वह सूची-2 की प्रविष्टि 1 में है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : कौन-सी प्रविष्टि?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह कुछ हद तक सूची 2 की प्रविष्टि 1 है। जहां तक समाचार-पत्रों, पुस्तकों आदि का संबंध है, यह सूची 3 की प्रविष्टि 39 से सम्बन्धित है। न्यायालय का अवमान सूची-1 की प्रविष्टि 95 और सूची 3 की प्रविष्टि 14 में आता है। मान हानि सूची 3 की प्रविष्टि-1 में है। किसी अपराध के लिए उकसाना सूची 3 की प्रविष्टि 1 में है।

इस जानकारी के आधार पर मेरे विचार में सदन को यह बात समझ आ जाएगी कि

चूँकि अधिकांश मामले प्रविष्टि सूची 1 में सूची 3 में आते हैं, इसलिए कुछ मामलों में संसद को कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार है और कुछ मामलों में समवर्ती प्राधिकार है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री इसे और अधिक स्पष्ट करेंगे? सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में कानून पास करने की समवर्ती शक्ति कहां है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में एक और प्रविष्टि है–सूची 3 की 39 जिसमें पुस्तकों और समाचार–पत्रों का उल्लेख है। समाचार–पत्रों का इससे बहुत अधिक संबंध है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : माननीय मंत्री यह तर्क दे रहे हैं कि कुछ मामलों में, वास्तव में सभी मामलों के संबंध में, या तो संसद को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है अथवा अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मैं चाहूंगा कि वे इस स्थिति को विशेष रूप से स्पष्ट करें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं आपको प्रविष्टियां बता रहा हूँ।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : सार्वजनिक व्यवस्था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा शीर्ष, सूची 2 की प्रविष्टि 1 है। समाचार–पत्र भी सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत आ सकते हैं।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : ऐसी बात नहीं है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : बात यह है कि प्रत्येक कानून को किसी न किसी प्रविष्टि से बद्ध करना होता है। कानून बनाने के लिए संसद के प्राधिकार अथवा राज्य के प्राधिकार के बारे में निर्णय कैसे लिया जाए?

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री यह स्वीकार करेंगे कि समाचार–पत्रों को छोड़कर सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कानून के संबंध में संसद को कोई समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। हमें इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक मद समवर्ती सूची में है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनमें से अधिकांश संसद के अनन्य क्षेत्राधिकार में हैं और कुछ मामलों में क्षेत्राधिकार समवर्ती भी हैं। इसीलिए मेरा सदन से निवेदन है कि संसद को उन क्षेत्रों में जिनका यहां विधान के अनन्य अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है, कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति देने हेतु कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। संसद को कतिपय मामलों में समवर्ती शक्ति भी प्राप्त है ताकि वह प्रान्तीय

विधानमण्डलों द्वारा उस शक्ति के दुरुपयोग को रोक सके, जो हम उन्हें सौंप रहे हैं।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : समवर्ती सूची के अंतर्गत अपराध को उकसाने के बारे में क्या अधिकार हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह दण्ड संहिता के अंतर्गत आता है। अपराध के लिए उकसाना दण्ड संहिता में एक विशिष्ट अपराध है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : माननीय मंत्री को सदन को प्रविष्टि 1 पढ़कर सुनानी चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उन्हें बीच में बोलने का अवसर नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने भी माननीय गृहमंत्री को बीच में बोलने नहीं दिया था। यह कोई भाषण कक्ष नहीं है और न ही मैं छात्रों के समक्ष भाषण दे रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। यदि मेरे मित्र भाषण चाहते हैं तो हम कांस्टीट्युशन क्लब में मिल सकते हैं और मैं वहां उनको भाषण दे सकता हूँ।

माननीय उपाध्याक्ष : मैं यही कह सकता हूँ कि माननीय सदस्य यह कहे रहे हैं कि सूची–2 राज्य सूची की प्रविष्टि 1 केवल सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है और यह उसके अंतर्गत नहीं आती। अपराध उकसाना, दण्ड संहिता में है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह अपना अनुमान लगा सकते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आप ऐसा कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं आती।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री यह बताना चाहते हैं कि अधिकांश अपराध या तो संघीय सूची में आते हैं या समवर्ती सूची में। कभी–कभी कम संख्या, अधिक संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : माननीय मंत्री ने बताया कि अपराध उकसाना समवर्ती सूची की प्रविष्टि 1 के अन्तर्गत आता है। परन्तु वह मद इस प्रकार है:

"दंड विधि, जिसमें वे सभी विषय सम्मिलित हैं जो संविधान के आरम्भ में भारतीय दण्ड संहिता में सम्मिलित थे परन्तु सूची 1 अथवा सूची 2 में उल्लिखित किसी विषय से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध सम्मिलित नहीं हैं और सिविल सत्ता की सहायता के लिए नौसेना, थल सेना अथवा वायु सेना या संघ के किसी सशस्त्र बल का प्रयोग सम्मिलित नहीं है।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उन्हें बीच में बोलने का अवसर नहीं दूंगा। मैं अपना भाषण एक बजे तक समाप्त करना चाहता हूँ.......

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : इसका मतलब यह हुआ कि किसी अपराध को उकसाना सूची 2 में सार्वजनिक व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आता.....

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस बात से भाग नहीं रहा हूं। मैं इसमें पूरी रुचि रखता हूँ।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : मैं जानता हूँ, आप रखते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, मैं रखता हूँ।

अब मैं राष्ट्रपति की अनुमति पर आता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के राज्यपालों अथवा राजप्रमुखों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी विशेष विधेयक पर अपनी अनुमति न दें और उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। राज्यपाल को अपनी मंत्री की सलाह पर कार्य करना होता है और यदि वह यह महसूस करता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास उसके विचार के लिए भेजा जाना चाहिए, तो यह अधिकार उसे है। इसके लिए कोई नया अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि यह अधिकार एक तरह से निरर्थक है, क्योंकि यह सरकार द्वारा उसे दी गई सलाह पर निर्भर है और जो सरकार उस विधेयक के पास करने में शामिल है। वह राज्यपाल के विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की सलाह कैसे दे सकती है?

अनुच्छेद 254 समवर्ती क्षेत्र के कानूनों से संबंधित है और यह अनुच्छेद कहता है कि यदि संसद द्वारा बनाये गये कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा उसी विषय पर बनाये गये वैसे ही कानून के बीच कोई परस्पर विरोध है, तो राज्य का कानून, परस्पर विरोध और असंगतता की सीमा तक, अवैध होगा। इसके अतिरिक्त, उसी अनुच्छेद के खंड (2) में एक और उपबंध है कि यदि ऐसा कानून जो उसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार असंगत है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उसकी असंगतता के बावजूद अपनी अनुमति दे देता है, तो वह कानून जहां तक उस राज्य का संबंध है, अवैध रहेगा। जहां तक विधि मंत्रालय में हमारा अनुभव है, लगभग प्रत्येक राज्य को यह भय है कि हो सकता है उसका कानून असंगत पाया जाए और इसलिए उसे अवैध घोषित कर दिया जाए। इससे बचने के लिए राज्यों ने सबसे अधिक सुरक्षित रास्ता अपनाया है कि सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के पास उसके विचार और अनुमति के लिए भेज दिया जाये और राष्ट्रपति ने या तो उसी रूप में जिस रूप में विधेयक है या कुछ उपान्तरों के साथ उस पर अपनी सहमति दे ही दी है। अतः मेरा निवेदन यह है कि जहां तक संविधान का संबंध है, अनुच्छेद 200 और 254 (2) में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं कि ऐसे विधेयक राष्ट्रपति तक अवश्य पहुंचें और वह उन पर विचार करें और अनुमति दें।

श्रीमती दुर्गाबाई : कौन-सी प्रक्रिया के अधीन?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को सनक होती है। इन तीनों कारणों से, ये सभी संशोधन बिल्कुल अनावश्यक हैं।

मेरे मित्र पं. कुंजरु ने कुछ बातें उठाई हैं। मैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ। जहां तक शब्दों को बदलने के संबंध में उनके संशोधन का संबंध है, मेरे विचार में उनके शब्द केवल काव्यात्मक अनुप्रास हैं, जिनमें कोई सार नहीं है। चाहे आप इसे मैत्रीपूर्ण संबंध कहें या किन्हीं अन्य शब्दों में बताएँ, सार और विधान का शीर्ष यथावत रहता है। इसलिए मैं उन पर अपना समय खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

परन्तु उन्हें अमरीकी मामले से, अर्थात् *नीयर* बनाम *मिनेसोटा* से, जिसे वह कभी नहीं भूल सकते, बहुत लाभ हुआ है। यह सत्य है कि अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे कानून को रद्द कर दिया, जिसने पिछली रोक को सांविधानिक ठहराया था। परन्तु उस मामले में जो निर्णय दिया गया था उस पर हमें अपनी मोहर लगानी चाहिये, क्योंकि उस मामले से संबंधित कुछ घटनाओं की ओर मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे पास एक पुस्तक है और मैं उसका नाम भी बता दूंगा। मैं जानता हूँ कि डॉ. मुखर्जी ऐसे मामलों में बड़ी सावधानी बरतते हैं। वह पुस्तक है "फ्री स्पीच इन दी युनाइटेड स्टेट्स"। ऐसी बहुत-सी अन्य पुस्तकें भी हैं, जिनके बारे में वे जानते होंगे। इस मामले में पहली बात जो अमरीकी लेखकों ने स्वयं नोट की, वह यह है कि यह फैसला केवल एक न्यायाधीश के बहुमत से लिया गया था, यानी पांच न्यायधीश इसके पक्ष में थे और चार विरुद्ध थे। दूसरी बात यह है कि पृष्ठ 380 पर लेखक ने स्वयं कहा है कि इस बहुत कम बहुमत के कारण-

"नीयर मामले का कोई तत्काल प्रभाव नहीं हुआ, सिवाय इसके कि इसने मिनेसोटा की मूर्ति को, जो कहा जाता है कि एक घृणित स्थानीय स्थिति के कारण अस्तित्व में आई थी, अवैध ठहरा दिया।

मैं उनके लिए अहसमति प्रकट करने वाले न्यायधीशों के प्रमुख द्वारा दिये गये फैसले का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जो मेरे विचार में उद्धृत करने योग्य है। मिस्टर जस्टिस बटलर ने जो अल्पमत के प्रमुख थे कहा था : "यह सर्वविदित है कि इस मामले में जो कार्यवाही और प्रकाशन दिखाये गये हैं, उनके परिणामस्वरूप जो बुराइयां पैदा हुई हैं, उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से दबाने के लिए वर्तमान अपमान-लेख संबंधी विधियां अपर्याप्त है। इस मत के कारण कि हमारे सामने जो विधि है, उस जैसी विधियां अवैध हैं और उन पर पहले रोक लगा दी गई हैं.... प्रत्येक समुदाय की शक्ति और व्यवस्था तथा प्रत्येक व्यक्ति के कारोबार और निजी मामलों को ऐसे किसी गुस्ताख प्रकाशक के निरन्तर और दीर्घ-काल तक चलने वाले झूठे और विद्वेषपूर्ण आक्रमणों का शिकार होना

पड़ सकता है, जो दमन और डरा-धमकाकर धन ऐंठने की कोई योजना या कार्यक्रम बनाने और उसे क्रियान्वित करने का उद्देश्य तथा पर्याप्त सामर्थ्य रखता हो।"

यह भी एक ऐसी मांग है जिस पर प्रेस की स्वतंत्रता से निपटने की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो मेरे मित्र बार-बार दोहरा रहे हैं वह वाक्-स्वातंत्र्य से संबंधित मामलों पर विचार करते समय जस्टिस होम्स द्वारा प्रयोग किया गया पद है अर्थात् "स्पष्ट और वर्तमान खतरा"। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जहां तक हमारा संबंध है, यही बहुत ही नया मत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे न्यायधीशों को भी यही मत अपनाना चाहिये। उदाहरण के लिए, मान लीजिये, किसी प्रोफेसर ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के समक्ष साम्यवाद पर भाषण दिया। वह छात्रों के सामने उन हिंसक तरीकों का जिक्र करे जिन्हें साम्यवादी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए अपनाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई यह कहेगा, क्योंकि उन्होंने छात्रों के समक्ष भाषण दिया, इसलिए वह किसी अपराध के दोषी हैं। कोई 'स्पष्ट और वर्तमान खतरा' नहीं था और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे न्यायाधीश भी वही तर्क अपनायेंगे। इसलिए, जैसा मैंने कहा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मित्र किन्हीं नारों और अमेरिका में न्यायालयों के कतिपय निर्णयों में अपनी इतनी निष्ठा क्यों बनाए हुए हैं।

अब मैं हिंसा में 'उत्तेजना' को सीमित करने के प्रश्न को लेता हूँ और मैं अपने मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखकर्जी और पं. कुंजरु से चाहूंगा कि वे जो मैं कह रहा हूँ उस ओर ध्यान दें और मैं कुछ विशेष मामले ही लूंगा। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे 'हिंसा' शब्द के अर्थ की कोई सूक्ष्म परिभाषा दे सकते है। "हिंसा क्या है?" क्या यह शारीरिक हिंसा तक ही सीमिति है?

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : हिंसक शब्दों को ही छोड़ दिया जाये।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं हिंसक शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या वह हमें कोई सूक्ष्म परिभाषा बता सकते हैं जिससे विधानमंडल और न्यायालय मान सकें कि यह हिंसा है और यह हिंसा नहीं है। मुझे तो ऐसी परिभाषा कहीं नहीं मिली।

श्री कॉमथ : आप कह सकते हैं कि "विधि द्वारा यथापरिभाषित।"

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : यह तो कठिनाई को टालना हुआ। जब कभी भी हम कानून बनायेंगे तो हमें "हिंसा" की परिभाषा देनी होगी।

अब मैं विशिष्ट उदाहरणों पर आता हूँ। मान लीजिए किसी गांव में अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच झगड़ा होता है और सवर्ण हिन्दू अनुसूचित जातियों का सामाजिक बहिष्कार करने का षडयंत्र रचते हैं। उन्हें कोई सामान लेने से, खेतों में जाने से, लकड़ी लाने के लिए जंगल जाने से रोकते हैं, तो मैं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और

पं. कुंजरु से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे चाहेंगे कि राज्य इस प्रकार के बहिष्कार को अपराध माने या नहीं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इस संबंध में डाक्टरों की राय अलग-अलग है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं एक और उदाहरण देता हूँ जिसकी खबर हाल ही में छपी थी। थाणा के नजदीक एक जगह किसी एक कुएँ में पानी लेने को लेकर सवर्ण हिन्दुओं और अनुसूचित जातियों के बीच मनमुटाव हो गया। पुलिस की सहायता से अनुसूचित जातियां सवर्ण हिन्दुओं के साथ उस कुएँ से पानी लेने का अपना अधिकार प्राप्त कर सकीं। सवर्ण हिन्दुओं को यह बात पसन्द नहीं आई। वे स्वयं ही उस कुएं का प्रयोग करना चाहते थे। दो दिन पहले बम्बई प्रैस में एक खबर छपी कि सवर्ण हिन्दुओं ने उस कुएं में कोई जहरीला पदार्थ गिराने के लिए अपने कुछ लोगों को अवसर दिया। परिणाम यह हुआ कि सारा पानी विषाक्त हो गया और अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों ने उस कुएं का पानी पिया और वे जहर के प्रभाव के कारण बीमार पड़ गये। मैं अपने दोनों मित्रों से पूछना चाहूंगा कि क्या वे हिंसा के लिए उकसाने की अपनी परिभाषा को सीमित करेंगे या वे उस मामले में भी इसे लागू करेंगे जहां एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने या चोट करने के लिए कोई काम करता है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : ऐसे मामले में इसे रोकने के लिए मैं और आप वहां जायेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आप और मैं हर जगह नहीं जा सकते। आप चुनाव लड़ने में लगे होंगे और मैं कुछ और कर रहा होऊंगा। और उन लोगों की सहायता के लिए पहुंचने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए कानूनी व्यवस्था करना कहीं बेहतर होगा।

विशेष कानूनों के लिए मैं और मेरे सहयोगी अर्थात् मंत्रिगण बार-बार कह रहे हैं कि इस विधेयक में हम संसद को किसी उद्देश्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति दे रहे हैं। हम वर्तमान कानूनों की भी हिमायत नहीं कर रहे हैं। परन्तु कुछ सदस्य अपनी जिद के कारण विरोध करने पर तुले हैं, वे कानून बनाने की शक्ति रखने और कोई विशेष कानून बनाने के बीच अन्तर नहीं कर सकते।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : जिद आपको है, बात नहीं समझने की।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्नोपरांत

साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

सभा मध्याह्नोपरांत साढ़े तीन बजे पुनः एकत्रित हुई।

(पं. ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए)

*__श्री हुसेन इमाम :__ मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी जमींदार अपने होशोहवास में संविधान अथवा माननीय प्रधानमंत्री के कथन पर आपत्ति नहीं कर सकता। सारा झगड़ा इस बात पर है कि क्या हम संविधान का आशय पूर्ण कर रहे हैं या किसी ऐसे संविधान के नाम पर जो संविधान अधिनियम में वर्णित संविधान की परिभाषा में नहीं आता, कोई चीज हम पर थोपी जा रही है। और दूसरे........

एक माननीय सदस्य : हम संविधान का संशोधन कर रहे हैं।

श्री हुसेन इमाम : नहीं, प्रधानमंत्री के अनुसार हम संविधान के आशय को पूरा कर रहे हैं। और इसमें मैं उनके साथ हूँ। संविधान सभा का सदस्य होने के नाते मैं भी उसमें शामिल था, यद्यपि मैं उस दिन उपस्थित नहीं था। इस संविधान के दो आधारभूत सिद्धांत थे–पहला उन अधिनियमों के बारे में था जो संविधान के लागू होने के बाद पास किये गये थे और दूसरा उन अधिनियमों के बारे में था जो संविधान के लागू होने से 18 महीने पहले पास किये गये थे। अब मैं आप से, सभी से और विधि मंत्री से यह प्रमाणित करने के लिए कहता हूँ कि इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत ग्यारह अधिनियम आते हैं। ऐसे केवल चार ही अधिनियम हैं, जो संविधान के बाद पारित हुए और जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। सात अधिनियम इस श्रेणी में नहीं आते।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

श्री हुसेन इमाम : नहीं सिर्फ चार को प्राप्त हुई है। वे हैं–बिहार अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम, मध्यप्रदेश अधिनियम और एक और अधिनियम। बाकी को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भारती (मद्रास) : मद्रास अधिनियम को भी अनुमति मिल गई है।

श्री हुसेन इमाम : 1950 के मद्रास अधिनियम-1 को अनुमति मिली है, 1948 के अधिनियम को नहीं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि शुरू में मैं इस विषय पर बोला था और मैंने यह सुझाव दिया था कि इनकी पूरी तरह जांच करने के लिए सभी को और प्रवर समिति को पूरा समय दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह प्रधान मंत्री का यह

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 1 जून, 1951, पृष्ठ 9906-07

कथन है कि हमें न्यायोचित और पर्याप्त प्रतिकर देना चाहिए, पर बहुत ज्यादा नहीं। और मैं इस कथन से सहमत हूँ। परन्तु हमें यथार्थ को भी देखना चाहिए। मैं जमींदारी समाप्त करने में सरकार के साथ हूँ परन्तु यह न्यायोचित ढंग से की जानी चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उचित प्रतिकर शब्द अनुच्छेद 31 में नहीं है।

श्री हुसेन इमाम : ये माननीय प्रधान मंत्री के शब्द थे। जहां तक अनुच्छेद 31 का संबंध है, मेरा आरोप यह है कि सात अधिनियम जो आप हम पर थोप रहे हैं, अनुच्छेद 31 के मूल उपबंधों में नहीं थे।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : वे नये अनुच्छेद 31-क द्वारा विनियमित होते हैं।

श्री हुसेन इमाम : मैं यह कह रहा था कि हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि वे उन किश्तों को नहीं देंगे जो कांग्रेस सरकार द्वारा तय की गई हैं। साम्यवादियों ने भी यह घोषणा की है कि वे इसे नहीं मानेंगे। तो फिर आप इस भुलावे में क्यों रह रहे हैं कि यह 40 वर्षों में दे दिया जायेगा? आधी छोड़ सारी को धावे आधी रहे न सारी पावे। यदि देना चाहते हैं तो अभी दीजिए। आपको छोटे भूस्वामियों और जमींदारों की दशा को समझना चाहिए, जिनकी आमदनी 500 या 600 या 1000 रुपये है। वह कोई बड़ा पूंजीपति नहीं है। मेरा कहना यह है कि कम आय वाले लोगों को मुआवजा एकमुश्त दिया जाना चाहिए, ताकि वे कोई कारोबार शुरू कर सकें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** जहां तक मेरे अपने संशोधन का संबंध है, मैं नहीं समझता कि उसका समर्थन करने के लिए किसी तर्क की जरूरत है। मेरे संशोधन में "सम्पदा" शब्द के अर्थ की केवल व्याख्या की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जब "सम्पदा" शब्द की परिभाषा के संबंध में भाग-क राज्यों में विद्यमान विधियों को यान में रख लिया है, हमने भाग-ख राज्यों में प्रचलित "सम्पदा" शब्द की परिभाषा का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है। यही सन्देह दूर करने के लिए मैंने महसूस किया है इसका ध्यान रखना और "सम्पदा" शब्द की परिभाषा को विस्तार देना जरूरी है। वही मैं अपने संशोधन द्वारा करना चाहता हूँ।

मेरे मित्र चौधरी रणबीर सिंह ने जो बात उठाई है मैं इसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उनका तर्क, यदि मैंने ठीक समझा तो यह था, कि भारत के कुछ राज्यों में "सम्पदा" शब्द का हम बड़ा सीमित अर्थ लेते हैं। हम इसमें केवल बिचौलियों को

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 1 जून, 1951, पृष्ठ 9912-15

शामिल करते हैं। परन्तु रियोबाड़ी सम्पदा को शामिल नहीं करते अर्थात् वह सम्पदा जो उनके पास है और जिस पर उनका पूरा अधिकार है और उनके और राज्य के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। यह सच है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 'सम्पदा' शब्द की परिभाषा विस्तृत है और उसमें रियोबाड़ी के अन्तर्गत भूस्वामी या बम्बई भूराजस्व संहिता के अधीन भूमि धारण करने वाले या भारत के अन्य भागों के रय्यत भी शामिल हो सकते हैं। एक बार तो मैंने सोचा था कि एक व्याख्या जोड़कर 'सम्पदा' शब्द को सीमिति करने वाला प्रभाव दिया जा सकता है, परन्तु आगे और सोचने पर मैंने पाया कि कोई ऐसी व्याख्या देना जिससे बात पूरी हो जाये लगभग असम्भव है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि अनुच्छेद 31-क में दिये गये उपबंधों का प्रयोग काश्तकारों को भूमि से अलग करने के लिए किया जाए।

श्री हुसेन इमाम : चाहे वे कितने ही बड़े हों?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह एक अलग बात है। हम बिचौलयों और रैयतवाड़ी भूस्वामियों कके बीच अन्तर कर रहे हैं।

अब सरकार का निश्चित ही यह इरादा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो मित्र इस मामले में रुचि ले रहे हैं, वे सरकार के आशय की अभिव्यक्ति से संतुष्ट नहीं होंगे परन्तु इस विधेयक में अब आशय के अतिरिक्त कुछ और भी है। यदि मेरे मित्र चौधरी रणबीस सिंह अनुच्छेद 31-क के उपबंध को देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होगा, तो वह पायेंगे कि इसमें एक तरह का बचाव है और मैं आशा करता हूँ कि प्रधान मंत्री इस वादविवाद के उत्तर में दिये जाने वाले अपने भाषण में भी यह स्पष्ट करेंगे कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है। और मेरा विश्वास है कि जब कभी भी ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए आएगा तो इस सदन में दिया गया वचन राष्ट्रपति पर भी विधेयक पर मंजूरी देने के मामले में बाध्यकारी होगा। इसलिए हममें किसी प्रकार के डर की कोई गुंजाइश नहीं है और मेरे किसी प्रचार के लिए भी कोई औचित्य नहीं है जो कुछ लोग कहना चाहेंगे कि यह विधेयक सरकार को ऐसी शक्ति दे देगा कि वह रैयतवाड़ी काश्तकारों समेत सभी को बेदखल कर देगी। मेरे विचार में इससे चौधरी रणबीर सिंह की संतुष्टि हो जायेगी।

श्री आर.के. चौधरी (असम) : श्रीमती दुर्गाबाई ने?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में पहले श्री या श्रीमती आदि शब्द लगाना बहुत जरूरी नहीं है। मुझे बड़ी परेशानी होती है जब कोई मुझे श्री कहता है। श्री का अर्थ है धन और मेरे पास वह बिल्कुल भी नहीं है।

श्री आर.के. चौधरी : क्या मैं बता दूं कि मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने काफी शरारत कर दी थी, जब उन्होंने मुझे मेरे छोटे नाम से पुकारा था।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने सोचा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि उससे आपका लिंग–परिवर्तन तो नहीं हुआ?

श्री आर.के. चौधरी : पर इससे सदन के कुछ लोगों में ईर्ष्या पैदा हो गई है।

श्रीमती दुर्गाबाई : कम से कम मेरे दिमाग में तो नहीं हुई।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उसके बारे में मद्रास अधिनियम में धारा 45 है। वह धारा 45 उन सम्पदाओं के संबंध में है, जिनका बंटवारा नहीं हो सकता। वह साधारण सम्पदाओं के संबंध में नही है और वह उपबंध यह है कि मुजावजा दिये जाने और किस प्रकार दिये जाने का निर्णय अधिकरण करेगा। इस विधेयक से उस अधिकरण की शक्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती और उस विशेष अधिनियम के लिए अधिकरण को दी गई किसी शक्ति को वापस भी नहीं लिया जा रहा है। मेरे विचार में उस सीमा में बाकी चीज़ें वही होंगी, जो मद्रास अधिनियम से निर्धारित की हैं।

डॉ. देशमुख : क्या मैं माननीय विधि मंत्री से एक स्पष्टीकरण पूछ सकता हूँ? माननीय डाक्टर ने हमें बताया है कि रैयतवाड़ी काश्तकारों को भूमि से अलग करने या उन पर कोई पाबन्दी लगाने का कोई इरादा नहीं है। अनुसूची में बम्बई के छह अधिनियम हैं। यदि इनमें से किसी अधिनियम द्वारा रैयतवाड़ी काश्तकारों पर कोई सीमा निर्धारित कर दी जाती है, तो उन्हें अनुसूची में शामिल करना कहां तक उचित होगा और रैयतवाड़ी किसानों को इस संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत न लाने के सरकार के इरादे पर इसका क्या प्रभाव होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इन अधिनियमों की भी कुछ जानकारी है। मैं बम्बई से आता हूँ और मैंने वहां के उच्च न्यायालय में वकालत की है। मैंने वहां इनके बारे में बहुत से मुकदमे लड़े हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि खोटी उन्मूलन और अन्य अधिनियम जिनका मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है, केवल बिचौलियों के संबंध में हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे सहयोगी विधि मंत्री ने उठाई गई बहुत–सी बातों का उत्तर दे दिया है।

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) :__ चर्चा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सभी चाहते हैं कि राष्ट्रपति की अपनी अनुमति देने की शक्ति जारी रहनी चाहिये और यह पास किए गए कानूनों को संविधान के उपबंधों के अनुरूप ढालने का एक बड़ा उपयोगी उपकरण है। इसमें मुझे कोई मतभेद नजर नहीं आता। जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है : राष्ट्रपति संविधान पास होने की तारीख से लेकर अब तक उन कानूनों में मतभेद नहीं कर सके, जो संविधान के उपबंधों के असंगत पाये गये हैं और

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 2 जून, 1951, पृष्ठ 1007–13

इसके लिए समय क्यों आवश्यक है? यही एक ऐसा प्रश्न लगता है जिस पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।

यह कहा गया है कि विधि विभाग बहुत ढीला है। कुछ मित्रों ने कहा है कि यह सो गया है।

बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) : यह बात ठीक है।

श्री हुसेन इमाम (बिहार) : वह ऊँघ रहे हैं।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि ये बातें कोरी कल्पना हैं या इनमें कुछ सचाई भी है। मेरे विचार में सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विधि विभाग भारत सरकार में सबसे छोटा विभाग है।

बाबू रामनारायण सिंह : क्यों?

श्री टी. हुसैन (बिहार) : संसदीय कार्य विभाग भी है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : संसदीय कार्य विभाग का विधि मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं है; वह उससे बिल्कुल अलग है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि विधि मंत्रालय में केवल तीन प्रारूपकार (ड्राफ्टसमैन) हैं। मैंने वित्त मंत्रालय से इनकी संख्या बढ़ाने के लिए आग्रह किया है परन्तु मेरा अनुरोध माना नहीं गया है।

श्री कॉमथ : एक उपमंत्री है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उपमंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मंत्री प्रारूप तैयार नहीं कर सकता।

सदन को यह भी याद होगा कि जब से संविधान बना है, तब से कितना विधायन कार्य उसके समक्ष लाया गया है। मैं अपनी स्मरण-शक्ति से बता रहा हूँ कि प्रत्येक सत्र में 30 या 40 विधेयक पेश किये जाते हैं। कुछ पास हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उनमें से कुछेक को अध्यादेशों में परिवर्तन कर दिया जाता है। और सदन फिर इन अध्यादेशों को विधियों में परिवर्तित करता है। क्या केवल तीन प्रारूपकारों के लिए हर सत्र के लिए 40 या 50 विधेयक तैयार करना सम्भव है? इसके अलावा उन्हें और काम भी देखना होता है। इसलिए सभी को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री पी.वाई. देशपांडे (मध्य प्रदेश) : इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि वहां केवल तीन ही प्रारूपकार हैं?

श्रीमती दुर्गाबाई : क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकती हूँ? क्या यह केवल प्रारूप तैयार करने का प्रश्न है या विधि में सारतत्व बदलने का।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ। कृपया जल्दबाजी न करें।

इसलिए विधि मंत्रालय का सामान्य कार्य इतना भारी है कि इसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। यह देखना कि विधि, संविधान के अनुरूप है या नहीं एक असाधारण कार्य है। और यह एक नया कार्य है जो विधि मंत्रालय को सौंपा गया है। पर इस नये काम को निपटाने के लिए कर्मचारी नहीं दिये गये। इसलिए विधि मंत्रालय की आलोचना करते समय भी सदन को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

यह अनुकूलन का काम दो प्रवर्गों में आता है। कुछ अनुकूलन तो मात्र औपचारिक होते हैं। उदाहरणार्थ, वर्तमान विधियों में जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है वह है, 'प्रान्तीय सरकार'। परन्तु आजकल जिस अभिव्यक्त का प्रयोग किया गया है वह है, 'सरकार'। ये तो औपचारिक संशोधन हैं जो किये जा चुके हैं और उनमें से शायद ही कोई बचा हो। परन्तु दूसरा अनुकूलन कार्य, अर्थात् वर्तमान विधियों को संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए, सारवान उपान्तर करना उस औपचारिक कार्य से सर्वथा भिन्न है, जिसका उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूँ।

अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि देश की वर्तमान विधियों में उन्हें संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से सारवान उपांतर करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाये। इसके लिए केन्द्र में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिये, जो राज्यों और केन्द्र द्वारा बनाये गये अधिनियमों में यह नोट करे कि क्या वर्तमान विधियों में कोई ऐसी बात है जिस पर अनुकूलन की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या उस अधिकारी के नोट में कोई सारवान बात है या नहीं, इसकी आगे जांच करने के लिए मामले को विधि मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिए। यहीं यह मामला समाप्त नहीं हो जाता। उसके बाद विधि मंत्रालय और राज्यों के विधि अधिकारियों के बीच यह जानने के लिए पत्रव्यवहार होना चाहिए कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि उनकी कतिपय विधियां संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं। यदि वे सहमत होते हैं तो कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु यदि वे सहमत नहीं होते तो मामले को राज्य के महाधिवक्ता और भारत सरकार के अटार्नी-जनरल के पास भेजना होगा, क्योंकि इस मामले में वे ही सरकार के अन्तिम सलाहकार हैं और उन्हीं की सलाह पर सरकार कार्यवाही कर सकती है। प्रान्तों में अधिनियमों की संख्या बहुत है; राज्यों ने बहुत अधिनियम बनाये हैं। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। तब केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि क्या किसी विधि विशेष को अवैध घोषित

किए जाने या उसे संविधान के अनुरूप बनाने के लिए उसके कुछ अंशों में उपांतर किये जायें और तदनुसार राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकते हैं। यह बड़ी ही लम्बी-चौड़ी और दु:साध्य प्रक्रिया है।

आखिरकार, राष्ट्रपति इस मामले में क्या हैं? राष्ट्रपति एक कानून बनाने वाला प्राधिकारी है। उसका प्राधिकार भी संसद के प्राधिकार के साथ ही रहता है। उक्त प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हमने राष्ट्रपति को यह विशेष शक्ति सौंपी है। मुझे विश्वास है कि कानून बनाने की हमारी इतनी महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और किसी प्रकार का परिवर्तन करना, हो सकता है एकदम अनुपयुक्त और अनुचित हो। इन्हीं कारणों से विधि मंत्रालय यह कार्य पूरा न कर सका और इसीलिए मंत्रालय का विचार है कि हमें एक वर्ष और लग सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि विधि मंत्रालय पिछले तीन महीनों से चुनावों, दो लोक-प्रतिनिधित्व विधेयक तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, आदि से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के कार्य में व्यस्त था। वह चुनाव संबंधी नियम बनाने आदि के काम में भी व्यस्त रहेगा और यह सभी मामले इस समय विधि मंत्रालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय में कर्मचारियों की कमी है और मुझे नहीं लगता कि अनुच्छेद 372 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं से भी अतिरिक्त कर्मचारी दे सकेंगे और कार्यालय इस कार्य को करने के लिए समय निकाल सकेगा। इसलिए और समय की आवश्यकता है। और इसीलिए यह संशोधन लाया गया है।

मेरे मित्र चौधरी रणबीस सिंह ने इस घोषणा के बारे में जो बात कही है कि पंजाब भूमि अन्यंसक्रामण अधिनियम अमान्य है और संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है। मुझे यह कहना है कि उन्होंने यह बात उठाई थी कि भारत सरकार ने वहां लागू समूचे विधान को रद्द करके ठीक नहीं किया। विधि मंत्रालय में इस बात पर भी विचार किया गया था कि क्या उस अधिनियम के कुछ उपबंधों में उपांतर करके और बाकी को ज्यों की त्यों रहने देने से काम नहीं चलेगा। परन्तु मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जहां तक इस अधिनियम का संबध है, यहाँ के महाअधिवक्ता और पंजाब सरकार के विधि अधिकारी इस बात से समहत थे कि उस अधिनियम का प्रत्येक उपबंध संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिए हमारे पास समूचे अधिनियम को अवैध घोषित करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।

मैंने इस संशोधन के औचित्य को सदन को बता दिया है और मैं आशा करता हूँ कि सदन मेरे स्पष्टीकरण से संतुष्ट होगा।

श्री कॉमथ : विधि मंत्रालय की सहायता करने हेतु इस सदन की एक समिति बनाने के सुझाव के संबंध में आपके क्या विचार हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उसके बारे में, जैसा मैंने कहा, इस सदन की समिति बहुत बाद में सहायक सिद्ध हो सकेगी। उससे पहले किसी को उस सारी सामग्री की जांच करनी होगी, जिसे समिति के समक्ष रखा जाएगा। यदि यह नहीं किया गया तो समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेगी। प्रारम्भिक कार्य करना तो आवश्यक होगा, और मेरे दिमाग में यह विचार है कि हम मामले की जांच करने और हमें यह प्रतिवेदन देने के लिए कि अनुच्छेद 372 की दृष्टि से किन विधियों पर विचार करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालयों के कुछ सेवानिवृत्त न्यायधीशों की एक छोटी-सी समिति नियुक्त करना वांछनीय होगा।

श्री कॉमथ : इस सदन के सदस्य?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने सोचा कि मेरे मित्र कह रहे हैं कि वे सदस्य जो वकील हैं। हाँ उन्हें भी चुना जा सकता है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उसे विश्वास में लिया जा सकता है और इस मामले के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं विधि मंत्री से एक बात का स्पष्टीकरण चाहती हूँ। हमें बताया गया है कि जब कभी समवर्ती सूची की किसी मद पर किसी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो वह स्वतः केन्द्र के पास परामर्श, सलाह आदि के लिए आता है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब इस प्रकार का प्रस्तवित विधान, केन्द्र के पास भेजा जाता है, तो क्या यह फैसला करने का काम कि क्या वह विधान संविधान के अनुरूप है या नहीं, प्रारूपकारों पर छोड़ दिया जाता है? इसका क्या तरीका है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है कि माननीय सदस्या पूरी तरह भ्रम में हैं।

श्रीमती दुर्गाबाई : उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि मंत्री को भ्रम दूर करना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वर्तमान विधियों के संबंध में अपनाई जाती हैं। यह भविष्य में बनाई जाने वाली विधियों पर लागू नहीं की जाती। हमारे पास जो विधियां परामर्श के लिए भेजी जाती हैं, वे भविष्य की विधियां होती हैं। यह अनुच्छेद उन वर्तमान विधियों के संबध में है, जो उस समय बनाई गई थी जब भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों विषयक कोई अध्याय नहीं था और जिन्हें अब मूल अधिकारों के अधीन लाया गया है और इसी कारण वे असंगत हो गई हैं। इस असंगति दूर करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : मुद्दा इस समय बनाई जाने वाली विधियों के संबंध में है। यदि विधि समवर्ती सूची से संबंधित है, तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित

किया जाता है। जब ऐसी प्रस्तावित विधि आती है तो यह पता लगाने का कार्य प्रारूपकारों पर छोड़ दिया जाता है कि विधि संगत है अथवा नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रारूपकार भी अपनी भूमिका निभाता है। परन्तु विधि मंत्रालय और मंत्रिमंडल उसकी जिम्मेदारी लेता है।

श्री हुसेन इमाम : क्या मैं जान सकता हूँ कि उन अधिनियमों की क्या स्थिति है, जो अनुसूची में हैं? क्या उन्हें अनुकूलित कर लिया गया है या किया जा रहा है? उदाहरणार्थ, बम्बई अधिनियम सं. 67 में पंजाब भूमि अन्यसंक्रामण अधिनियम की तरह, जिसे विधिविरुद्ध घोषित कर दिया गया है कुछ शर्तें हैं। कया सरकार इस अधिनियम में भी संशोधन करने का विचार रखती है? यह नौवीं अनुसूची में मद 2 है। बम्बई अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1948, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित नहीं है, परन्तु उसमें यह कहा गया है कि कुछ लोगों के बीच अंतरण नहीं होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सदन का उत्तर यह है कि इन अधिनियमों को अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजारे बिना ही संविधान द्वारा विधिमान्य कर दिया जायेगा। मुझे तो हर हालत में सदन का फैसला मंजूर है। यह मुद्दा कल उठाया जाना चाहिये था।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैंने यह मुद्दा कल उठाया था, परन्तु आपने स्वीकार नहीं किया।

श्री राजागोपालाचारी : आगे के प्रश्नों को प्रश्न करने के कार्यक्रम तक स्थागित किया जा सकता है। वर्तमान खंड को स्वीकार कर लेना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : हमने काफी चर्चा कर ली है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बन गया है।"

सदन में मतविभाजन हुआ : पक्ष में 232, विपक्ष में 9

***प्रो. एस.एल. सक्सेना :** मुझे इसका बड़ा दुख है कि हमारे संविधान में यह संशोधन किया जा रहा है। जब हमने अपना संविधान बनाया था तो हमने इस बात की पूरी सावधानी बरती थी कि हमारी न्यायपालिका पर कोई सन्देह न हो और वह स्वतंत्र हो तथा संविधान की सर्वोत्तम व्याख्या कर सके। फिर भी कुछ दिन पहले हमारे विधि मंत्री ने उच्चतम न्यायालय पर यह आरोप लगाया है कि उसमें एक उपबंध के उद्देश्य की गलत व्याख्या की गई है। प्रधानमंत्री भी यह कह रहे थे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के

---

*सं. वा., खंड-12, भाग-2, 2 जून, 1951, पृष्ठ 10020-21

न्यायधीशों के निर्वचन से संविधान निर्माताओं की मंशा स्पष्ट नहीं हुई है। मेरे विचार में यह अनुचित आलोचना है, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश, जिन्होंने यह फैसला दिया है, विदेशी होते तो कुछ सन्देह की गुंजाइश थी क्योंकि वे देशभक्त नहीं हैं और इसलिए हमारे कानूनों की सही व्याख्या नहीं कर सकते। परन्तु मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि यदि आप......

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र के ऐसे सुझाव का मैं खंडन करता हूँ। हम न्यायधीशों पर कोई लांछन नहीं लगाते।

प्रो. एस.एल. सक्सेना : मुझे खुशी है कि उन्होंने यह बात आज कही है। मेरे मित्र प्रो. शाह ने जो कारण बताये हैं कि हमें चार आदमियों के लिए अपना संविधान नहीं बदलना चाहिए, उनके अलावा, मैं सिद्धांत: भी यह सोचता हूँ कि मुख्य न्यायाधिपति के स्थान पर बैठा एक विदेशी भी ऐसा फैसला सुनाने का साहस नहीं कर सकता, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो। विधि मंत्री ने कहा कि किसी ने भी न्यायाधीशों पर लांछन नहीं लगाया। मैंने प्रधानमंत्री के भाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ा है.........

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं माननीय सदस्य को याद दिला सकता हूँ कि इस समय यह मुद्दा नहीं है कि विधि मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने किसी अन्य संदर्भ में क्या कहा? हम इस खंड पर विचार कर रहे हैं ओर उनके वे विचार इस खंड से संगत नहीं हैं। केवल एक ही बात संगत है कि क्या इस खंड को स्वीकार किया जाये। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी टिप्पणियां इसी प्रश्न तक सीमित रखें?

***श्री राजागोपालचारी :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह कौन-सी पाबन्दी है जिसे हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 217 में यह पाबन्दी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिक नहीं है, न्यायाधीश नहीं हो सकता। सभी न्यायाधीश उस उपबंध के अन्तर्गत आ जायेंगे। उसे एक अस्थायी उपबंध द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष : यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो सकता, तो वह मुख्य न्यायधिपति कैसे हो सकता है?

श्री शिवचरण लाल : स्थानांतरण अनुच्छेद 22-क के अंतर्गत आता है। इसलिए स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि न्यायधीश नागरिक हो और इसीलिए इस संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 2 जून, 1951, पृष्ठ 10024

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, यदि सदन इससे संतुष्ट हो, तो मैं खंड 13 में एक संशोधन का प्रस्ताव करना चाहूंगा जो इस प्रकार होगाः

पृष्ठ 4, पंक्ति 8 और 9 में, "अथवा उच्चतम न्यायालय का।"

श्री कॉमथ : वह मेरे उन दो संशोधनों में से एक है, जो मैंने पेश किये हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि आप चाहें तो मैं आपका संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यदि सदन "अथवा उच्चतम न्यायालय का" शब्दों को हटाने से संतुष्ट हो जाये तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस बारे में और उत्तर देने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : मैं अब संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। (प्रो. शाह का संशोधन अस्वीकृत हुआ।)

*__माननीय अध्यक्ष :__ अगला संशोधन "अथवा उच्चतम न्यायालय का" शब्दों को हटाये जाने के बारे में है। यह वही संशोधन है जिसका प्रस्ताव डॉ. अम्बेडकर ने किया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बिल्कुल वही है।

श्री कॉमथ : परन्तु मैंने इसे प्रस्तुत कर दिया है और प्रो. शाह ने भी प्रस्तुत कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन मौजूद है और मुझे इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

एक माननीय सदस्य : इसे वापस लिया जा सकता है।

प्रो. के.टी. शाह : मैं वापस क्यों लूँ?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 4, पंक्ति 8 और 9, में "अथवा उच्चतम न्यायालय का" शब्दों को हटाया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 2 जून, 1951, पृष्ठ 10024

"पृष्ठ 4 में पंक्ति 9 के पश्चात् यह जोड़िये: "शर्त यह है कि ऐसा मुख्य न्यायाधिपति अथवा किसी उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश ऐसी नियुक्ति से तीन महीने के अन्दर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा; और शर्त यह है कि वो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक नहीं होगा, तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा अन्य न्यायधीश नहीं होगा।"

प्रस्ताव अंगीकार हुआ।

****डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी :** यह जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, एक आनुषंगिक परिवर्तन है। स्पष्टत: यह उन हैदराबाद विनियमों का उल्लेख करता है जिन्हें सदन ने सदन में प्रस्तुत किये गये संशोधन में शामिल किया था। पर खंड के आखिरी भाग का क्या हुआ, जिसमें कहा गया है:

"...........उक्त अधिनियमों (और विनियमों, यदि यह स्वीकृत हो जाता है) में से प्रत्येक, किसी सक्षम विधानमंडल की इसे निरसित अथवा संशोधित करने की शक्ति के अधीन प्रवृत्त रहेगा।"

जहां तक इन विनियमों का संबंध है जब हैदराबाद में कोई विधानमंडल नहीं है, वे किसी विधानमंडल द्वारा निरसित अथवा संशोधित नहीं किये जा सकते। वहां भी 'विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी' कहकर इसे परिवर्तित किया जाना चाहिए।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वहां जो भी विधानमंडल है, उसे संशोधन करने का अधिकार होगा।

माननीय अध्यक्ष : 'विधानमंडल' शब्द के अर्थ के बारे में कुछ भ्रम है। विधानमंडल के बारे में यह सोच है कि वह एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इत्यादि। मेरे विचार में यहाँ विधानमंडल का अर्थ है। इसका राजप्रमुख, जो स्वयं विधानमंडल होता है। मेरे विचार में यही सांविधानिक अर्थ है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ।

माननीय अध्यक्ष : यदि ऐसा है तो फिर कोई कठिनाई नहीं है।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ में,

(एक) पंक्ति 35, "अधिनियमों" के पश्चात्, "और विनियमों" अन्त: स्थापित किया जाए;

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 2 जून, 1951, पृष्ठ 10035-36

(दो) पंक्ति 35, "अधिनियमों" के पश्चात् "और विनियमों" अन्तः स्थापित किया जाए;

(तीन) पंक्ति 39, "अधिनियमों" के पश्चात् "विनियमों" अन्तः स्थापित किया जाए;

(चार) पंक्ति 42, "अधिनियमों" के पश्चात् "विनियमों" अन्तः स्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

श्री कॉमथ : क्या इस खंड को, संशोधित रूप में, सदन के मतदान के लिए रखना आवश्यक नहीं है?

माननीय अध्यक्ष : क्या यह वास्तव में आवश्यक है? स्थिति इस प्रकार होगी, "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जायेगा।" यही प्रस्ताव होगा जिसे मुझे सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करना होगा। फिर कोई विशेष खंड नहीं है, जिसे सदन के मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य इस बात को नोट करेंगे कि खंड 5 पर मतविभाजन हुआ था और सदन ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी। इस खंड पर अलग से मत लिये गये थे। यह संशोधन एक आनुषंगिक संशोधन के रूप में आया है।

माननीय अध्यक्ष : नियम 94 के अधीन।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी : इस पर आपको विचार करना है। खंडों के बारे में आपने जानबूझकर बचाव का रास्ता अपनाया है कि हर खंड पर अलग-अलग मतदान किया जाये और उपस्थित तथा मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के मत अभिलिखित किये जाएँ। आपके निदेशानुसार, खंड 5 पास हो गया है। अब हम खंड 5 का संशोधन कर रहे हैं। क्या यह वांछनीय और सुरक्षित तरीका नहीं है कि खंड 5 संशोधित रूप में, अलग से मतदान के लिए रखा जाये और उस पर प्राप्त मत अभिलिखित किये जायें?

माननीय अध्यक्ष : वह एक अनियमित तरीका होगा। वह खंड, द्वितीय वाचन के दौरान खण्डवार विचार के समय, सदन द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। सदन के समक्ष प्रस्ताव यह है कि पूरे विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये। संशोधन एक परिणामिक अथवा मौखिक संशोधन है जिसकी इस समय अनुज्ञा दी जा सकती है। इस समय कोई महत्वपूर्ण संशोधन अनुज्ञेय नहीं है।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 4 जून, 1951, पृष्ठ 10110

उड़ीसा आदेश

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 1)

पश्चिम बंगाल आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 1)

मध्य प्रदेश आदेश

****माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठन के लिए देखिये परिशिष्ट 3, उपाबंध 1)

राजस्थान आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 1)

भाग 'ग' राज्य आदेश

*****माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 1)

****लोक प्रतिनिधित्व (संख्या 2) विधेयक–जारी

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, आपकी अनुमति से, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संख्या 2) विधेयक में, द्वितीय वाचन के उपरान्त वह जिस रूप में है, उसमें कतिपय सूत्र और पारिणामिक संशोधन पेश करना चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

**वही, पृष्ठ 10111

***वही, पृष्ठ 10112

***सं. वा., खंड 12, भाग II, 5 जून, 1951, पृष्ठ 10202-03

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : इससे पहले कि विधि मंत्री इन संशोधनों को पेश करें मैं आपको स्मरण करा दूं कि कल मैंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि इस सदन को संशोधनों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मैं बड़े जोरदार शब्दों में इस बात पर अपना विरोध प्रकट करता हूँ कि संशोधनों की ये सूचियां हमें कल रात भी नहीं, बल्कि आज सुबह लगभग सात बजे प्राप्त हुई अर्थात् हमारे घर से संसद के लिए रवाना होने से पहले एक घंटा पहले। इसलिए इन परिस्थितियों में मैं यह महसूस करता हूँ कि विधि मंत्री को अपने संशोधन को पेश करने का काम कल तक के लिए स्थगित कर देना चाहिये और सदस्यों को इन संशोधनों की जांच करने और इन संशोधनों में और संशोधन यदि कोई हो, करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए......। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको कहना चाहिए कि ये संशोधन बहुत देर से आये हैं और सदन को उनकी जांच करने और उन पर और संशोधन देने के लिए कम से कम एक दिन का समय अवश्य दिया जाना चाहिए।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : श्री कॉमथ ने जो सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये संशोधन हमें आज सुबह भेजे गए हैं। हमें यह देखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये कि क्या ये विधेयक के क्षेत्र और उद्देश्य के अनुरूप हैं। मैं कोई तकनीकी आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। मेरी ऐसी आदत नहीं है......

श्री कॉमथ : मेरी भी कोई तकनीकी आपत्ति नहीं थी।

श्री जे.आर. कपूर : इसलिए मैं अपने आप को श्री कॉमथ के सुझाव के साथ जोड़ रहा हूँ। हमारी इस विधेयक में विशेष रुचि है और हम चाहते हैं कि इस विधेयक में कोई भी ऐसा संशोधन सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जिस पर हमने भली-भांति विचार न किया हो, भले ही उस संशोधन पर विधि मंत्री ने पूरे ध्यान से विचार कर लिया हो।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : मेरे विचार में यह सुझाव बिल्कुल उचित है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे। इन परिस्थितियों में यह ठीक भी है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को यह देखने का अवसर मिलना चाहिए कि कौन से पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं और उनकी आवश्यकता भी है या नहीं। उन्हें अपने संशोधनों की सूचना देने का भी उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। आज कुछ और कार्य निपटाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : मैं इस संबध में माननीय विधि मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरी दलील है कि ये संशोधन बिल्कुल औपचारिक और पारिणामिक हैं। उनमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि उन्हें और समय

दिया जाना चाहिए। यों मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इन्हें कल ले लिया जाये और आज कोई और सरकारी कार्य निपटा लिया जाये।

श्री सत्य नारायण सिंह (संसदीय कार्य राज्य मंत्री) : कार्यसूची की अगली मद ले ली जाये।

माननीय अध्यक्ष : यह अनुरोध तो उचित ही लगता है।

*(प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 4)

मध्य प्रदेश आदेश

श्री एम.ए. हसन (मध्य प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठ के लिये देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 4)

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 4)

उत्तर प्रदेश आदेश

पं. बालकृष्ण शर्मा (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 4)

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं जानता कि सरकार उत्तर प्रदेश आदेश संबंधी प्रस्तावों के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? प्रस्ताव आज ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं एक कठिन स्थिति में हूँ, क्योंकि संशोधित ओदश अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : क्या यह आज एक बजे तक तैयार हो पायेगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको और सदन को एक बजे तक बता दूंगा कि स्थिति क्या है।

माननीय अध्यक्ष : बात यह है कि एक बजे तक ये प्रस्ताव अवश्य पेश किये जाने चाहिए। वर्ना ये प्रस्ताव सम्भवतः ग्राह्य नहीं होंगे। अतः मेरा सुझाव है कि प्रस्ताव

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 7 जून, 1951, पृष्ठ 10342-43

पेश किए जायें, उन पर विचार किया जाये और उसके बाद प्रस्ताव में संशोधनों के सुझाव देना सम्भव हो सकेगा। यही एक तरीका होगा। माननीय विधि मंत्री कृपया उस पर विचार कर सकते हैं। मेरा मतलब है संशोधन जहां तक और अन्य बातों का संबंध है, न कि सारतत्व के संशोधन।

*निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1951 के बारे में प्रस्ताव–जारी

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं चाहूंगा कि असम आदेश पर पहले विचार किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष : हाँ। इस पर बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। सुविधा के लिए, क्या यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि माननीय विधि मंत्री कौन से संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उस स्थिति में अन्य संशोधनों के लिए आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कुछ सदस्य अपने संशोधनों के लिए आग्रह करेंगे तो, हम उन पर विचार कर सकते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : असम के बारे में मेरे पास बहुत-से संशोधन हैं।

माननीय अध्यक्ष : इसलिए यदि माननीय मंत्री अपने संशोधन पहले पेश करते हैं तो जो बातें रह जायेंगी उन पर हम वाद में विचार कर सकते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे संशोधन अनुपूरक सूची 4 में, 1 से 8 तक है। वे मात्र तकनीकी संशोधन हैं और उनमें असली महत्व की कोई बात नहीं है। आगे विचार करने के बाद मैं अपने संख्या 1 और 2 के संशोधनों को वापस लेना चाहता हूँ।

संशोधन, सदन की अनुमति से वापस लिए गये

****श्री चालिहा :** मैं भी अनुपूरक सूची संख्या-2 में अपने प्रस्ताव संख्या 2 के लिए आग्रह करना चाहूंगा। मैं संख्या 1 के लिए आग्रह नहीं करता।

संविधान में यह उपबंध है कि शिलांग निर्वाचन-क्षेत्र एक सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में उपलब्ध रहेगा। अनुच्छेद 332 (6) में कहा गया है–

"कोई भी व्यक्ति जो असम राज्य की किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर जिसके अन्तर्गत शिलांग की छावनी और नगरपालिका आते हैं। उस जिले के किसी अन्य निवार्चन-क्षेत्र से राज्य की विधानसभा में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।"

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 8 जून, 1951, पृष्ठ 10500

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 8 जून, 1951, पृष्ठ 10503

मेरे विचार में डॉ. अम्बेडकर ने इसे स्वीकार कर लिया है और यह कहा गया है कि वह एक छपाई की गलती थी, अतः वह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं होगा। बल्कि एक साधारण निर्वाचन-क्षेत्र रहेगा। गलती से इसे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यह उनके लिए आरक्षित नहीं होना चाहिए। यह सामान्य लोगों के लिए होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी व्यवस्था संविधान में विशेष रूप से की गई है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा था कि कार्यालय ने इसे छपाई की गलती माना है और हम इसके लिए एक शुद्धिपत्र जारी कर देंगे। शायद पहले ही जारी कर दिया गया है।

श्री चालिहा : इस स्थिति में मैं प्रस्ताव को (असम आदेशों से संबंधित अनुपूरक सूची संख्या 2 में) वापस लेना चाहूंगा।

प्रस्ताव, सदन की अनुमति से, वापस लिया गया

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :__ मैं निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार करना चाहूंगा :

समेकित सूची 1—भाग 1 और 2

समेकित सूची 1—संशोधन 1 से 4

माननीय उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि श्री दास के 50 प्रतिशत संशोधन आप स्वीकार करना चाहेंगे।

श्री विश्वनाथ दास : मैं अन्य संशोधनों की सूचना देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : यहां नहीं।

श्री विश्वनाथ दास : ये संशोधन उन कुछ संशोधनों में से हैं जिनकी मुझे विभिन्न राज्यों के सदस्यों के निरन्तर अनुरोध के बाद सूचना देनी थी। मेरा एक और संशोधन है। माननीय मंत्री द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद मैंने सोचा कि वे उनकी सूचना देंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जिन संशोधनों को मैंने स्वीकार किया है मैंने उन्हें बता दिया है।

**__माननीय उपाध्यक्ष :__ प्रश्न यह है :

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 4 जून, 1951, पृष्ठ 10510

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 4 जून, 1951, पृष्ठ 10511-13

[प्रस्तावों के पाठ के लिए देखिए परिशिष्ट 32, अनुलग्नक 1 में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 1 से 3 (उड़ीसा आदेश)]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : उस सीमा तक राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन किया जाना है।

प्रश्न यह है :

"कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (उड़ीसा) आदेश, 1951, जो 16 मई, 1951 को सभा पटल पर रखा गया था, में निम्नलिखित रूप भेद किए जाएं, अर्थात्–

1. कि पृष्ठ 1 पर, तालिका-क-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, स्तम्भ 1 में, प्रविष्टि "धेनकनाल" के स्थान पर प्रविष्टि "गंजम-दक्षिण" प्रतिस्थापित की जाए।"

1 कि पृष्ठ 1, पर तालिका क-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, स्तम्भ 1, प्रविष्टि "गंजम-दक्षिण" प्रतिस्थापित की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा अपना संशोधन अनूपूरक सूची 2, संख्या 1 से 5 में है। मैं श्री विश्वनाथ दास के संशोधन संख्या 1 और 2 को, दूसरे को इस उपांतर के साथ कि "उत्तर पूर्व गंजम" के स्थार पर "गंजम दक्षिण" प्रतिस्थापित किया जाए, स्वीकार करता हूँ। दूसरा संशोधन जो मैंने स्वीकार किया है वह अनुपूरक सूची 1 में, 1 से 4, संशोधित रूप में है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उड़ीसा) आदेश, 1951 जो 16 मई, 1951 को सदन के पटल पर रखा गया था, मैं निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात्....1 कि पृष्ठ 1 पर, तालिका क संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, स्तम्भ 1 में प्रविष्टि "कोरापुट", और स्तम्भ 2, 3, 4, 5 में इससे संबंधित सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएं; अर्थात् :

1	2	3	4	5
1. नौरंगपुर	नौ रंगपुर उपखंड और कोरापुर उपखंड के पडुंआ, पोटंगी, सिमली गुड़ा और नन्दापुर पुलिस थाने			

2. कि पृष्ठ 1 पर, तालिका क-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, स्तम्भ 1 में "रायगड़-फूलबनी" प्रविष्टि और स्तम्भ 2, 3, 4 और 5 में इससे संबंधित सभी प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

1	2	3	4	5
रायगड़ फूलबनी	समस्त रायगाड़ा उपखंड और कोरापुट, दशमंतपुर लक्ष्मीपुर और कोरापुट उपखंड के लक्ष्मीपुर और नारायणपटना पुलिस थाने तथा फूलबनी जिला के मनमुडा और बोंध पुलिस थानों को छोड़कर शेष सभी थाने	1	-	-

3. कि पृष्ठ 1 पर तालिका ख-विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र में, स्तम्भ 1 में प्रविष्टि "नौरंगपुर" और स्तम्भ 2, 3, 4, 5 में इससे संबंधित सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

1	2	3	4	5
नौरंगपुर	नौरंगपुर, कोडिंग, मोइलपुर, डाबुगांव, उमरकोट और झारी गांव के पुलिस थाने			

4. कि पृष्ठ 1 पर, तालिका ख-विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र में स्तम्भ 1 में, "उमरकोट-मोइदलपुर" तथा स्तम्भ 2, 3, 4, 5 में इससे संबंधित सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

1	2	3	4	5
जेयपुर	जेयपुर, कोटपाद, बोरीगम्मा बी. सिंहपुर, तोनुली खुंटी के पुलिस थाने।			

प्रस्ताव अंगीकार हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अतः राष्ट्रपति का आदेश इन संशोधनों द्वारा संशोधित होता है।

कई माननीय सदस्य : महोदय, अब स्थगित करने का समय है।

श्री कॉमथ : इससे पहले कि सभा स्थगित हो, मैं आपको बता दूँ कि तारीख 2 की प्रश्नसूची, जिसे तारीख 9 के लिए स्थगित कर दिया गया था के बारे में एक व्यवस्था की गई थी। मेरे विचार में वह व्यवस्था कायम रहेगी और उस सूची को कल लिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : वह व्यवस्था रहेगी।

क्या माननीय विधि मंत्री बनाएंगे कि वह इन परिसीमन आदेशों को किस क्रम में लेंगें?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मैं कभी किसी आदेश को बिना उसकी बारी के ले लूं, तो मेरे विचार में सदन इस पर आपत्ति नहीं करेगा। वे सभी आदेश सदस्यों के सामने हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : कल सभी आदेश पूरे हो जाएंगे।

तत्पश्चात् सदन शनिवार, 9 जून, 1951 के 8.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

*__श्री पी.जी. सेन :__ ......एक अंतर्जिला निर्वाचन-क्षेत्र है जिसका नाम है दरभंगा-सह-भागलपुर। **देखिए**-परिसीमन आदेश, पृष्ठ 3, किंतु पृष्ठ 4 में पूर्णिया-सह-भागलपुर नाम से एक और निर्वाचन-क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति-शान्ति! माननीय सदस्य अपना सलाह-मशविरा कहीं और जाकर कर सकते है, अतः सदन के काम में बाधा न डालें।

श्री पी.जी. सेन : प्रस्ताव पेश करने का मेरा आशय यह था कि भागलपुर दोनों में है। इसे किसी एक के साथ मिलाया जा सकता है। मैं इसे मिलाकर एक नया निर्वाचन-क्षेत्र बनाने के प्रश्न को उठाना चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने बात समझ ली है और मैं इसका उत्तर एक वाक्य में दे सकता हूँ।

श्री पी.जी. सेन : हाँ, डॉ. अम्बेडकर एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं।

---

*सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10518-19

माननीय अध्यक्ष : शान्ति-शान्ति। माननीय सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री पी.जी. सेन : डॉ. अम्बेडकर निःसंदेह मुझसे अच्छे वक्ता हैं।

सदन के समक्ष यह प्रस्ताव पेश करते समय मेरे दिमाग में जो प्रश्न आया है वह यह क्या मैं भागलपुर के साथ अन्याय कर रहा हूँ या दरभंगा, या पूर्णिया के साथ अन्याय कर रहा हूँ?

मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। कोसी नदी भागलपुर और पूर्णिया के दो जिलों को विभाजित करती है और इस क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने पर जनता का काफी पैसा खर्च किया जा चुका है। जरा कोसी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित उन क्षेत्रों की दशा की कल्पना कीजिए जिनके लिए हम सदन ने कई बार कोसी परियोजना के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह तो एक सिंचाई विभाग का मामला बनता जा रहा है।

श्री पी.जी. सेन : दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं भागलपुर के पूरे क्षेत्र को दरभंगा के साथ मिलाना चाहता हूँ और इसे बहुसदस्यी निर्वाचन-क्षेत्र बनाना चाहता हूँ जिसमें अनुसूचित जाति के लिए एक सीट आरक्षित होनी चाहिए। दरभंगा में अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख 50 हजार है और पूर्णिया -सह-भागलपुर निर्वाचन-क्षेत्र के भागलपुर क्षेत्र में मतदाताओं (अनुसूचित जाति) की संख्या 71000 है। इसलिए यदि पूर्णिमा-सह-भागलपुर निर्वाचन-क्षेत्र में भागलपुर के समस्त क्षेत्र को दरभंगा-सह-भागलपुर निर्वाचन-क्षेत्र के साथ मिला दिया जाए, तो एक बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र बनाया जा सकता है। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अनुपूरक सूची संख्या 2 के संशोधन 1 मे एक छपाई की गलती है, जिसमें स्तम्भ 3 में इसे "2" दिखाया गया है जबकि स्तम्भ 4 में इसे शून्य दिखाया गया है। अतः स्तम्भ 4 में "1" दिखाया जाना चाहिए।

*__श्री पी.जी. सेन :__ श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यही एक ऐसा सदन है जहां कुछ न्याय मांगा जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : शांति, शांति, मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि सभा अवश्य न्याय करेगी परन्तु जो आप चाहते हैं वही आपको मिल जाये तो न्याय हो गया, यह जरूरी नहीं। ऐसा आपकी दृष्टि में हो सकता है। परन्तु आपको इस बात को दूसरे ऐसे लोगों पर छोड़ देना चाहिए जो किसी के साथ अन्याय करने में कोई रुचि नहीं रखते।

---

*सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10521

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस निर्वाचन-क्षेत्र को बनाने की वह बात कर रहे हैं, उसमें निर्वाचकों की संख्या 4, 43, 524 होगी, जबकि अधिकतम सीमा, 3, 87, 929 है। यह आपत्ति उनके प्रस्ताव के लिए घातक है।

श्री पी.जी सेन : परन्तु यह बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अतः मैं श्री पी.जी. सेन के प्रस्ताव को (अनुपूरक सूची संख्या 2 में संख्या 2-बिहार आदेश) सदन के मतदान के लिए रखना चाहता हूँ। प्रश्न यह है: (प्रस्ताव के पाठ के लिए, देखिये परिशिष्ट 33, उपाबंध 1 में छपा संशोधन संख्या 1, क्रम संख्या 2)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अनुपूरक सूची संख्या 6 में; संशोधन संख्या 3, भाग 3, अर्थात् श्री जाजवेर के संशोधन द्वारा संशोधित श्री एस.एन. दास का संशोधन।

****माननीय अध्यक्ष :** अब मैं सदन से चाहूंगा कि प्रत्येक प्रांत से संबंधित प्रस्तावों के अन्त में वह एक प्रस्ताव पारित करे कि उस विशेष राज्य से संबंधित आदेश के बारे में पारिणामिक संशोधन अध्यक्ष के निदेशानुसार किये जा सकते हैं ताकि प्रारूपकार और विभाग उन पर विचार करें और उन्हें ठीक कर दें। संशोधन आनुषंगिक होंगे और वे आमूल परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रयोजन के लिए मैं एक अलग संशोधन पेश करूंगा, जिसमें आपको यह शक्ति दी जाये कि आप प्रारूपकार को, अपने परामर्श से कतिपय परिणामिक संशोधन करने की अनुमति दे सकें।

माननीय अध्यक्ष : हम इसे, आदेशों के अन्त में एक व्यापक प्रस्ताव द्वारा करेंगे।

जहां तक अन्य प्रस्तावों का संबंध है, मैं समझता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने उन्हें पेश किया है वे उन्हें सदन की अनुमति से वापस ले सकेंगे।

संशोधन, सदन की अनुमति से, वापस लिये गये।

बम्बई आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ :

**सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10528-32

अनुपूरक सूची संख्या 1, श्री शंकर राव देव तथा अन्यों के संशोधन संख्या 1 से 8

वे पूर्णत: पारिणामिक संशोधन हैं।

सूची संख्या 2, श्री निलिंगप्पा और श्री मुनावली का संशोधन संख्या 2, इस उपांतर के अधीन कि दक्षिण सतारा के सामने प्रविष्टि में "मद (15)" के स्थान पर शब्द "मद (57)" प्रतिस्थापित किये जायें।

फिर मैं निम्नलिखित स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सूची संख्या 3 में, श्री देवागिरीकर और श्री कुम्भार को संशोधन संख्या 3, भाग (1) और (2) सूची संख्या 6 में, संशोधन संख्या 1 और 2, इस रूपभेद के अधीन कि कोल्हापुर-सह-सतारा प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टि के आरम्भ में शब्द "सम्पूर्ण" को हटा दिया जाये।

सूची संख्या 7 में, श्री हिरे ओर श्री देवगिरिकर का संशोधन संख्या 2, भाग 2, फिर सूची संख्या 8 में, मैं संशोधन संख्या 1, 2, और 4 को वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि वे सूची संख्या 6 के संशोधन संख्या 2 के अंतर्गत आ चुके हैं।

फिर मैं निम्नलिखित भी स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ :

सूची संख्या 8 में संशोधन संख्या 3 और 5 से 11

संशोधन संख्या 11 में, पृष्ठ 11 पर, मद (64) के अन्तर्गत, "महागौंड" के स्थान पर "मामेवाडी" प्रतिस्थापित किया जाये, जोकि एक मौखिक परिवर्तन है, चूंकि यह केवल नाम का ही परिवर्तन है और अन्त में "गजरगांव" जोड़ा जाये।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ :

सूची संख्या 10 में, श्री निजलिंगप्पा के संशोधन, 1, 2, और 3

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने जो सूची दी है उसमें केवल 2 और 3 का ही उल्लेख है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह गलती थी। मैं 1, 2, और 3 स्वीकार कर रहा हूँ।

श्री कुम्भार (बंबई) : सूची संख्या 6 में संशोधन मेरे नाम से है। किन्तु मेरा नाम निकाल दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : नाम वहां पर है और प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। उसके संबंध में अब मतदान के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। उन्हें अपने नाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिये। पर हम देखेंगे कि उनका नाम सही ढंग से आ जाये।

श्री कुम्भार : कागल ताल्लुक को छोड़कर एक और भी है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन् वे ऐसे परिवर्तन हैं, जो प्रारूपकार स्वयं आपके आदेशानुसार कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष : यदि वे आनुषंगिक संशोधन हैं और हम उनके सार को स्वीकार करते हैं, तो वे संशोधन कर दिये जायेंगे।

श्री भट्ट : उठ खड़े हुए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं मानता हूँ कि मेरे मित्र "सांता क्रुज" आदि का जिक्र करना चाहते हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि ये संशोधन आपके आदेशानुसार प्रारूपकार द्वारा उस संकल्प के अधीन कर दिये जायेंगे, जो मैं अंत में पेश करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : जहां तक सांताक्रुज को या किसी सड़क का उल्लेख करने या कागल को शामिल करने या न करने का संबंध है, माननीय सदस्यों को अपने सभी प्रस्ताव प्रारूपकार को देने चाहिये और उसके बारे में चर्चा करनी चाहिये। वह उन पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हुआ, तो मैं उस पर आदेश जारी कर दूंगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यही अनुरोध मैं करने वाला हूँ।

श्री भट्ट : मैं भी यही पूछना चाहता था कि क्या नामों में परिवर्तन आपके आदेश से किये जायेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा मैंने कहा, मैं एक प्रस्ताव पेश करने वाला हूँ। उस प्रस्ताव का आशय यह होगा कि आप प्रारूपकार को मात्र औपचारिक स्वरूप के कुछ परिवर्तन करने के आदेश दे सकेंगे। जब सभा उस प्रस्ताव को पास कर देगी, तो अध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

माननीय अध्यक्ष : यह कठिनाई इसलिए पैदा होती है कि कुछ सदस्य समय-समय पर अनुपस्थित रहते हैं और इसलिए उन्हें पूरी बात का पता नहीं चलता। क्या कोई और सदस्य भी कोई और संशोधन पेश करना चाहता है।

श्री हिरे (बम्बई) : हां, श्रीमन्।

माननीय अध्यक्ष : उनके अलावा जिन्हें विधि मंत्री स्वीकार कर रहे हैं?

श्री हिरे : हां।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : डाँग के संबंध में निर्णय लेने के कारण हुआ यह है कि एक और सीट महाराष्ट्र को मिल गई है। और वह सीट आदिवासियों के लिए

है। इसलिए जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, उन निर्वाचन-क्षेत्रों के जिनका परिसीमन हो गया है, एक सीट देनी होगी। यही प्रस्ताव श्री हिरे के नाम से है। इसे या तो वे पेश करें या मैं कर देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यदि माननीय मंत्री इसे पेश करें तो बेहतर होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

तालिका ख में, पृष्ठ 8 पर, नासिक जिला, स्तम्भ 1 में, "नासिक शहरी" और "मासिक ग्रामीण-सह-ईगतपुरी" शब्दों के स्थान पर "नासिक ईगतपुरी" शब्द प्रतिस्थपित किये जायें।

(1) "नासिक नगर" से आरम्भ होने वाले और "ईगतपुरी नगर क्षेत्र" से समाप्त होने वाले सभी शब्दों का लोप किया जाये और "नासिक और ईगतपुरी ताल्लुक, जिसमें सभी नगरपालिकाएं सम्मिलित हैं" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएँ।

(2) स्तम्भ 3, 4, 5, में उनकी संख्या का लोप किया जाये और उनके स्थान पर क्रमश: 3, 1, 1, प्रतिस्थापित किए जाएँ।

श्री कन्हैयालाल देसाई (बम्बई) : पार्टी के संबंध में एक आनुषंगिक संशोधन है। पार्टी ताल्लुक में इस समय जो सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए है, उसे एक साधारण सीट बनाया जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह पारिणामिक संशोधन है। यह तो आप कर सकते हैं, श्रीमान्।

माननीय अध्यक्ष : यह बात रिकार्ड में आनी चाहिये कि एक विशिष्ट बात उठाई गई है।

***माननीय अध्यक्ष :** डांग के बारे में डॉ. अम्बेडकर का संशोधन है (उपरोक्त) :

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

श्री हिरे : सूची संख्या 11 में मेरा पारिणामिक संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : वह महाराष्ट्र को एक और सीट देने के बारे में है। यह तो एकदम पारिणामिक है और हम इसे इस रूप में स्वीकार कर लेंगे। माननीय विधि मंत्री सूची संख्या 8 में संशोधन संख्या 1, 2, और 4 को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहते हैं और अन्य सभी माननीय सदस्य उनके नामों में दर्ज विभिन्न संशोधनों और प्रस्तावों को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहते हैं।

---

*सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10534-35

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए।

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन)

मध्य प्रदेश आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जिन संशोधनों को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ वे हैं:–

सूची संख्या 1–किशोर मोहन त्रिपाठी और अन्यों के नाम में संशोधन संख्या 6 और 8

सूची संख्या 2–डॉ. देशमुख द्वारा पेश किये जाने वाले आनुषंगिक संशोधनों सहित, डॉ. पी.एस. देशमुख तथा अन्यों के संशोधन संख्या-1, भाग-1 से 5

सूची संख्या 3–श्री किशोर मोहन त्रिपाठी द्वारा पेश किये जाने वाले दो पारिणामिक संशाधनों सहित श्री त्रिपाठी और अन्यों का संशोधन संख्या-2 (संशोधन संख्या 2 में किंचित मतभेद रूपभेद करना है, जिससे "खामरिया तहसील" के स्थान पर "खामरिया तहसील का खामरिया आर.आई.सी.'' पढ़ा जाए।

सूची संख्या 6–संशोधन संख 1 से 5

***श्री जांगड़े :** श्रीमन्, मैं अपने संशोधनों को वापस लेना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

प्रस्तावों के पाठ के लिए **देखिए** परिशिष्ट 33, उपाबंध 3 में मुद्रित सूची संख्या 6 में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 1 से 5।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : न।

****डॉ. देशमुख :** मुझे अपने संशोधन पेश करने हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : हां, वे सूची संख्या 2 में संशोधन संख्या 1 के संबंध में हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनके सूची संख्या 2 में संशोधन संख्या 1 से 5 के संशोधन है।

*****माननीय उपाध्यक्ष :** इस सीमा तक राष्ट्रपति के आदेश में उपांतर हो गया है। सभी सदस्यों को अपने-अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए।

---

*सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1950, पृष्ठ 10541

**सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1950, पृष्ठ 10543

***वही, पृष्ठ 10545-47

अतः माननीय सदस्यों द्वारा पेश किए सभी अन्य संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मध्य प्रदेश आदेश समाप्त होता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे अन्य मित्र मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि उनके मामले को पहले लिया जाए; अर्थात् पश्चिम बंगाल और हैदराबाद को।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं मद्रास को ले रहा हूँ।

मद्रास आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मद्रास आदेश के बारे में मैं निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ :

सूची संख्या 4–श्री काला वेंकटराव का संशोधन संख्या 1, भाग–3, दूसरा विकल्प और भाग–4

श्री केशवराव का संशोधन संख्या–2, भाग–1 और 2

सूची संख्या 6–संजीवैया का संशोधन संख्या–1, भाग–1 और 2, भाग–2 के निम्नलिखित उपांतरों के अधीनः "स्तम्भ 2, 3, 4 और 5 में "इरोड" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

1	2	3	4	5
इरोड	इरोड तालुक, भवानी तालुक धारापुरम तालुक (कुंडाडम फिरका के उन ग्रामों को छोड़कर जो परिशिष्ट की पद संख्या (19) में विनिर्दिष्ट हैं) और कुगलूर फिरका तथा कोयम्बटूर जिले के गोबीचेट्टिपलायम के वे ग्राम जो परिशिष्ट की पद संख्यश (18) में विर्निदिष्ट है; और करूर तालुक कट्टलाई, तिरुचिरापल्ली जिले के कुलीथालाई तालुक के कुलीथालाई और पंजरपट्टी फिरके।	2	1	–

सूची संख्या 11–श्री कोडन डर्मा रेड्डी और अन्यों का संशोधन संख्या 2, भाग 1 से 3

सूची संख्या 12–संशोधन संख्या 1 से 13 माननीय विधि मंत्री द्वारा संशोधन संख्या 6 में निम्नलिखित उपांतरों के अधीन :

कि स्तम्भ 2, 3, 4 और 5 में "तिरुप्पुर के सामने सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए;

1	2	3	4	5
तिरुप्पुर	कोयम्बटुर जिले के कोलेगल, गोपीचेट्टीपलायम और तिरुप्पुर तालुक तथा अवनाशी तालुक के सबुर और अवनाशी फिरके (कुगालूर फिरका और गोपीचेट्टी पलायम तालुक के गोपीचेट्टीपलायम फिरके के ऐसे ग्रामों को जो परिशिष्ट की मद संख्या (18) में विनिर्दिष्ट हैं, और तिरुप्पुर तालुक के वारापट्टी फिरके को छोड़कर)।	1	–	–

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(एक) तालिका क–संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में पृष्ठ 4 पर, "धर्मापुरी" प्रविष्टि के सामने "और सलेम जिले के तिरूचेनगोडा तालुक का एड़ापेड़ी फिरका" शब्दों के स्थान पर "और सलेम जिले का ऐड़ापेड़ी फिरका तथा तिरूचेनगोडे तालुक के संकागिरी फिरके के ऐसे ग्राम जो परिशिष्ट की मद 18 क में विनिर्दिष्ट हैं,'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं

(दो) तालिक क–संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में पृष्ठ 4 पर, "तिरूचेनगोडा" प्रविष्टि के सामने (तिरूचेनगोडा तालुक के ऐड़ापेड़ी फिरके को छोड़कर)" शब्दों के स्थान पर ''(तिरूचेनगोडा तालुक के ऐड़ापड़ी फिरके और संकागिरी फिरके के उन ग्रामों को छोड़कर जो परिशिष्ट की मद 18क में विनिर्दिष्ट)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(तीन) तालिका ख–विधानसभाइ निर्वाचन–क्षेत्र में पृष्ठ 11 पर "तिरूचेनगोडे" प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ 2 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"तिरुचेनगोडे तालुक [एड़ापेड़ी फिरका और संकागिरी फिरके तथा तिरूचेनगोडा फिरके के उन ग्रामों को छोड़कर जो परिशिष्ट की क्रमशः मद (18क) और (16) में निर्दिष्ट हैं।]"

(चार) तालिका ख-विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र में पृष्ठ 11 पर, "एड़ापेड़ी" प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

"ऐड़ापेड़ी फिरका और तिरूचेनगोडे तालुक के संकागिरी फिरके के ऐसे ग्राम जो परिशिष्ट की मद (18क) में विनिर्दिष्ट हैं और अमालूर तालुक के मेट्टूर तथा नागावल्ली फिरके।"

श्रीमन्, मैं सूची संख्या 10 के सभी संशोधनों को पेश करना चाहता हूँ। वे केवल शुद्धि-पत्र हैं।

***श्री ए. जोसेफ :** जिस संगठन से मेरा सम्बन्ध है उसके हित में और सरकार के हित में, मैं सभा से अपील करता हूँ कि वह आरक्षण के बिना मतदान वाले बहु-सदस्यी निर्वाचन -क्षेत्रों की व्यवस्था करे। यदि विधि मंत्री इससे सहमत नहीं होते, तो मैं उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूँ अल्पसंख्यकों को सुविधा दिए बिना एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रस्ताव से मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र बनाए गए थे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, श्रीमन्, ऐसा कहीं नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल आदेश

****माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** पश्चिम बंगाल आदेश के बारे में निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ-

श्री सामन्त और श्री बी.के. दास की समेकित सूची संख्या-2, भाग 1 से 6

अनुपूरक सूची संख्या 1: अनुपूरक सूची संख्या 5, श्री झुंझनुवाला और श्री सिन्हा

---

*सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10548

**सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10554

के संशोधन 1 से 4 द्वारा यथा उपांतरित, श्री हिम्मतसिंहका और श्री हक के क्रमशः संशोधन संख्या 1–भाग 1 और 2 तथा संशोधन संख्या 2, भाग 1 से 8

मैं अनुपूरक सूची संख्या 3 से संशोधन संख्या 4 और 12 से 15 वापस लेता हूँ। शेष संशोधनों को मैं पेश करता हूँ।

श्री चट्टोपाध्याय (पश्चिम बंगाल) : मैं अनुपूरक सूची संख्या 2 में छपे संशोधन को पेश करना चाहूंगा। इसमें 108 मदें हैं। इनमें से मैं मद संख्या 30 के लिए आग्रह नहीं करना चाहता।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चूंकि मतभेद इतना ज्यादा है, इसलिए मैं यह सुझाव देने के लिए तैयार हूँ कि यह मामला अध्यक्ष महोदय पर छोड़ दिया जाये और वे इसकी मूल बात में कोई फेरबदल किये बिना इसे एक तरह का नामपद्धति का मामला समझें। इस मामले को खुला रखा जाये। जो सदस्य इसमें रुचि रखते हैं, वे अध्यक्ष महोदय के पास जा सकते हैं और इस मत के लिए राजी कर सकते हैं कि यह एक रामपद्धति का मामला है और जो क्षेत्र इन विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों में शामिल हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किये बिना नाम रखे या बदले जा सकते हैं।

पं. मैत्रेय : मुझे खेद है कि हम इससे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि यदि कोई सदस्य नाम में परिवर्तन करना चाहता है, तो दूसरा सदस्य और किसी अन्य बात के लिए सुझाव दे सकता है और........

श्री चट्टोपाध्याय : आपको डर क्यों हैं?

डॉ. एम.एम. दास : इसमें असुविधा होगी।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : श्री चट्टोपाध्याय ने जो बात कही है, वह हम में से अधिकांश को ठीक लगती है। हम नहीं चाहते कि इतने समय बाद कोई आमूल परिवर्तन किया जाये। उन्होंने जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया है वे विधि मंत्री द्वारा बताये गये तरीके से आसानी से किये जा सकते हैं ओर मेरे विचार में इस सभा के सदस्यों का भारी बहुमत इसका समर्थन करेगा।

श्री एस.एम. घोष (पश्चिम बंगाल) : अध्यक्ष महोदय इस आदेश को अन्तिम रूप कैसे दे सकते हैं? मेरे माननीय मित्र ने कुछ नामों का सुझाव दिया है। अन्य सदस्य अन्य नामों का सुझाव दे सकते हैं। इसका तो कोई अन्त ही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को यहां उपस्थित होना होगा। उन्हें अन्य सदस्यों

---

*वही, पृष्ठ 15568–77

को इकट्ठा बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वे क्या चाहते हैं। आदेश का क्या होगा? क्या हमें यह कहना होगा कि आदेश में उस सीमा तक परिवर्तन करना होगा या नहीं? नामपद्धति आदेश का भाग है। यह हाशिये में लिखे गये नोट जैसा नहीं है। मेरे विचार में इसमें कुछ कठिनाई अवश्य होगी। मैं इस मामले को सभा पर छोड़ता हूँ।

श्री चट्टोपाध्याय : भारी मन से श्रीमन्, मैं उन्हें वापस लेने के लिए बाध्य हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं अनुपूरक सूची संख्या 3 में डॉ. अम्बेडकर के संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

(प्रस्तावों के पाठ के लिए *देखिए* परिशिष्ट 33, उपाबंध 1 में मुद्रित अनुपूरक सूची संख्या 3 में संशोधन संख्या 1 से 3, 5 से 11 और 16, 19)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस लेना चाहते हैं।

अन्य सभी संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : पश्चिम बंगाल के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश सभा में किये गये तथा स्वीकृत संशोधनों की सीमा तक उपांतरित होता है।

हैदराबाद आदेश

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : मैं निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ :

समेकित सूची : श्री रामाचार और अन्यों की संशोधन संख्या 1, भाग 1 और 5

श्री रामाचार और अन्य का संशोधन संख्या 2, भाग 1 से 6, भाग 10 से 12 और भाग 15 और 16

श्री रामाचार और अन्यों का संशोधन संख्या 3, भाग 1 और 2

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : हैदराबाद के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश सभा में पेश किये गये तथा स्वीकृत संशोधनों के अनुसार रूपभेदित होता है। अन्य सदस्य अपने संशोधन वापस लेना चाहते हैं।

अन्य सभी संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गए।

मध्य भारत आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं श्री राधेलाल व्यास के सूची संख्या 3 के संशोधन संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 9 और 11 को तथा सूची संख्या 1, परिशिष्ट 1 को भी स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

(प्रस्तावों के पाठ के लिये *देखिये* परिशिष्ट 33, उपाबंध 2 में मुद्रित सूची संख्या 3 में संशोधन संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 9 और 11)।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

[प्रस्ताव के पाठ के लिए *देखिये* सूची 1, परिशिष्ट 1 (परिशिष्ट 33, अनुलग्नक 1 और 2 में मुद्रित सूची संख्या 3 में पिछले संशोधनों द्वारा यथा रूपभेदित)]

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

मैसूर आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं श्री रुद्रप्पा के सूची संख्या 1 में संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

(प्रस्ताव के पाठ के लिए *देखिए* परिशिष्ट 33, उपाबंध 3 में मुद्रित सूची संख्या 1 में संशोधन संख्या 1 और 2)।

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : अन्य सभी संशोधनों को वापस लिये जाने की इच्छा व्यक्त की गई है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

माननीय उपाध्यक्ष : मैसूर के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश अब स्वीकृत इन संशोधनों के अनुसार संशोधित किया जाता है।

पंजाब आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं श्रीमन्, पंजाब आदेश को अभी थोड़ी देर तक रोकना होगा। हम पेप्सू (P.E.P.S.U.) आदेश को लेते हैं।

पेप्सू आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समेकित सूची में सरदार सोचेत सिंह के संशोधन 1, भाग 2 और 2 को तथा सरदार मान के अनुपूरक सूची संख्या 3 में संशोधन संख्या (एक) और (दो) द्वारा यथासंशोधित सरदार रणजीत सिंह के संशोधन 1 को भी स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : हम उन्हें क्रमवार लेते हैं और पहले समेकित सूची को समाप्त करते हैं

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ठीक है। मैं सरदार सोचेते सिंह और अन्यों के संशोधनों संख्या 1 के भाग 2 और 3 को स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

(प्रस्ताव के पाठ के लिए *देखिए* परिशिष्ट 33, अनुलग्नक 1 में मुद्रित समेकित सूची, संशोधन संख्या 1, भाग 2 और 3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं सरदार मान के अनुपूरक सूची 3 में संशोधन संख्या 1, भाग (एक) और (दो) द्वारा यथासंशोधित सरदार रणजीत सिंह के अनुपूरक सूची 2 में संशोधन संख्या 1 स्वीकार करता हूँ।

अतः पहले अनुपूरक सूची 3 के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखा जाये।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : पेप्सू के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश अब स्वीकृत संशोधनों के अनुसार संशोधित होता है।

राजस्थान आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अनुपूरक सूची संख्या 4 में श्री धुले के संशोधन संख्या 1 द्वारा यथासंशोधित समेकित सूची में श्री आर.सी. उपाध्याय का संशोधन संख्या 1, भाग 1 से 5 स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

(प्रस्ताव के पाठ के लिए *देखिए* अनुपूरक सूची संख्या 4 में श्री धुले का संशोधन संख्या 1)।

प्रस्तावी अंगीकार किया गया।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं समेकित सूची के पृष्ठ 2 से 5 पर श्री आर.सी. उपाध्याय और अन्यों के संशोधन, भाग 1 से 19 स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

(प्रस्ताव के पाठ के लिए *देखिए* परिशिष्ट 33, उपाबंध 1 में मुद्रित समेकित सूची में संशोधन 3, भाग 1 से 19)।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अनुपूरक संख्या 4 में संशोधन संख्या 2 द्वारा यथासंशोधित अनुपूरक सूची संख्या 2 के संशोधन संख्या 1 और 2 भी, जो मेरे नाम में हैं, स्वीकार किए जाएं।

****माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं श्री आर.सी. उपाध्याय के अनुपूरक सूची संख्या 5 के संशोधन संख्या 1 से 3 को स्वीकार करता हूँ।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

अन्य संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गए।

सौराष्ट्र आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं श्री सी.सी. शाह और श्री हाथी के सूची संख्या 1 के संशोधन संख्या 1 और 2 स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : इन संशोधनों के अनुसार राष्ट्रपति का सौराष्ट्र आदेश रूपभेदित होता है।

अब कोई अन्य संशोधन नहीं है

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहां तक ट्रावनकोर और कोचीन आदेश का संबंध है, उसके बारे में कोई संशोधन नहीं है। एक शुद्धिपत्र जारी कर दिया गया है।

श्री आर. वेलायुधन (ट्रावनकोर-कोचीन) : मुद्रण की कुछ अशुद्धियाँ दी गई हैं।

---

*सं. वा., खंड 13, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10574

**सं. वा., खंड 13, भाग II, 8 जून, 1951, पृष्ठ 10597-607

भाग-ग राज्यों के आदेश : दिल्ली

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समेक्ति सूची में संशोधन संख्या 2 को (श्री केशवराव और अन्यों के नाम में) स्वीकार करता हूँ।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : मेरे विचार में कोई और संशोधन नहीं है। भाग-ग राज्यों से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश अभी स्वीकृत संशोधन के अनुसार उपांतरित होता है। डॉ. अम्बेडकर और अन्यों के अन्य संशोधन, यदि कोई हों, तो सदन की अनुमति से वापस लेने होंगे।

अन्य संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : केवल दो प्रांत रहते हैं, अर्थात् उत्तरप्रदेश और पंजाब। कई संशोधन अभी प्राप्त हुए हैं और मुझे उन पर विचार करने का समय नहीं मिला है। यदि संबंधित दल मूल व्यवस्था पर चलने के लिए तैयार हों, तो मैं आगे कार्यवाही करने के लिए तैयार हूँ। परन्तु मैं देखता हूँ कि कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए मुझे इसका साफ तौर पर पता होना चाहिए कि मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है। मेरे विचार में मध्याह्न पश्चात् आधा घण्टे का समय इन दोनों प्रान्तों के लिए पर्याप्त होगा।

श्री शिवचरण लाल : तब गणपूर्ति को लेकर कठिनाई हो सकती है क्योंकि अन्य राज्यों के सदस्य सभा से अनुपस्थित हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : उत्तर प्रदेश और पंजाब से संबंधित दो और आदेश बाकी हैं। यदि सभा में मतैक्य हो तो हम देर तक बैठ सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई यह महसूस करे कि यदि वह बोलना चाहता है, तो उसे मौका नहीं दिया गया है।

श्री अमोलख चन्द : क्या हम बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित करके फिर बाद में नहीं बैठ सकते क्योंकि मध्याह्न पश्चात् 4.30 बजे हो सकता है, सदस्य न आएं?

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री को संशोधनों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास) : क्या कोई और कार्य नहीं है?

माननीय उपाध्यक्ष : इन दो आदेशों को पास करने के अलावा कोई और कार्य नहीं है।

तत्पश्चात् सदन 4.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सभा 4.30 बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

पंजाब आदेश

माननीय अध्यक्ष : अब हम पंजाब आदेश को लेते हैं। क्या मैं स्वीकृत संशोधनों की संख्या जान सकता हूँ? मेरे विचार में हम वही तरीका अपनाएंगे, जो हमने सुबह अपनाया था।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : स्वीकृत संशोधन इस प्रकार है :

सूची 7—श्री बी.एल. सौंधी, चौधरी रणबीर सिंह और अन्यों का संशाधेन संख्या 2, भाग 5, उप-भाग (एक) और (दो)।

सूची 9—प्रो. यशवन्त राय का संशोधन संख्या 6, भाग 2 और 3।

सूची 10—मैं सूची में केवल पहले संशोधन को पेश करता हूँ। मैं दूसरे और तीसरे संशोधनों को पेश नहीं करता, क्योंकि इनका स्थान सूची 7 के संशोधन संख्या 5 (i) और सूची 12 के संशोधन 3(6) ने ले लिया है।

सूची 12—श्री बी.एल. सौंधी, चौधरी रणबीर सिंह और अन्यों का संशोधन संख्या 1, भाग 1 और 2

चौधरी रणबीर सिंह और अन्यों के सूची संख्या 13 में संशोधन द्वारा संशोधित सरदार भूपेन्द्र सिंह मान और अन्यों का संशोधन संख्या 2

श्री सौंधी, चौधरी रणबीर सिंह और अन्यों का संशोधन संख्या 3 भाग 4, 5 और 6 (दूसरा भाग) भाग 6 (दूसरा भाग) में निम्नलिखित आनुषंगिक परिवर्तन किए गये हैं :

6. कि पृष्ठ 6 पर तालिका ख-विधानसभायी निर्वाचन-क्षेत्र के स्तंभ 1 में 'लुधियाना सदर', 'जगराँव', और 'राजकोट' प्रविष्टियों और स्तंभ 2, 3 और 4 में उनके सामने आने वाली अन्य सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए गए, अर्थात् :

1	2	3	4
जगराँव लुधियाना सदर	जगराँव तहसील लुधियाना सदर थाने की नूरपुर बेट, बड्डोवाल, धांदरा, लालटन, कलान, गिल और धांदारी कलान जेलें तथा देलहोन थाने की शंकर और हन जेलें तथा लुधियाना तहसील के दाखा थाने की दाखा जेल।	2	1

देलहोन	लुधियाना तहसील के राजकोट थाने और देलहोन थाने की परवोवाल और अण्डलु जेलें (शंकर और हन जेलों को छोड़कर)।	1	–

पण्डित ठाकुरदास भार्गव और चौधरी रणबीर सिंह का संशोधन संख्या–4, भाग 1 और 2

श्रीमन्, मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि कोई और सदस्य मुझसे यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि मैं उनका कोई प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं।

अत: मैं पहले इन संशोधनों को निपटाऊंगा।

प्रश्न यह है :

(प्रस्ताव के पाठ के लिए देखिए)

सूची 7–श्री बी.एल. सौंधी, चौधरी रणबीर सिंह और अन्यों के संशोधन संख्या 2, भाग 5, उप–भाग (एक) और (दो)

सूची 9–प्रो. यशवन्त राय का संशोधन संख्या 6, भाग 2 और 3

सूची 10–मैं सूची में केवल पहले संशोधन को पेश करता हूँ।

सूची 12–श्री बी.एल. सौंधी, चौधरी रणबीर सिंह और अन्यों के संशोधन संख्या 1, भाग 1 और 2

चौधरी रणबीर सिंह और अन्यों के सूची संख्या 13 में संशोधन द्वारा यथा संशोधित सरदार भूपेन्द्र सिंह मान और अन्यों का संशोधन संख्या 2

श्री सौंधी और अन्यों का संशोधन संख्या 3 भाग 4, 5 और 6 (दूसरा भाग) तथा 6 (दूसरा भाग) में निम्नलिखित पारिणामिक परिवर्तन किए गए हैं:

6. कि पृष्ठ 6 पर तालिका ख–विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र के स्तम्भ 1 में 'लुधियाना सदर', 'जगरांव' और 'राजकोट' प्रविष्टियों और स्तम्भ 2, 3 और 4 में उनके सामने आने वाली अन्य सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् :

1	2	3	4
जगरांव	जगरांव तहसील		
लुधियाना सदर	लुधियाना सदर थाने की नूरपुर बेट, वड्डोवाला, धांदरा, लालटोन, कलान, गिल		

	और धांदरी कलान जेलें तथा देलहोन थाने की शंकर ओर हन जेलें तथा लुधियाना तहसील के दाखा थाने की दाखा जेलें।
देलहोन	लुधियाना तहसील के राजकोट थाने और देलहोन थाने की पखोवाल और अण्डलु जेलें (शंकर और हन जेलों को छोड़कर

परिशिष्ट 33 की अनुसूची 3, 4 में मुद्रित।

प्रस्ताव अंगीकार किए गए।

माननीय अध्यक्ष : इस सीमा तक राष्ट्रपति का आदेश संशोधित होता है। अब सूची संख्या 10 में संशोधन संख्या 2 और 3 को तथा अन्य सभी प्रस्तावों को जिन्हें पेश किया गया है वापस लेने की सभा की अनुमति मांगी जाए।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

चौधरी रणबीर सिंह : श्रीमन् इसमें एक लिपिकीय गलती है।

माननीय अध्यक्ष : जैसा मैंने कहा, सभी तकनीकी और अन्य स्पष्ट गलतियों को माननीय विधि मंत्री के ध्यान में लाया जाए और उन्हें पारिणामिक संशोधनों के रूप में स्वीकार कर लिया जाए।

अब हम उत्तर प्रदेश के आदेश को लेते हैं।

उत्तर प्रदेश आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, स्वीकृत संशोधन इस प्रकार है:–

सूची 1–पण्डित शिवचरण लाल का संशोधन संख्या 1

सूची 7–श्री सी.डी. पाण्डे का संशोधन संख्या 2, भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6

श्री सोहन लाल और अन्यों का संशोधन संख्या 5 इस प्रतिस्थापन के अधीन कि स्तम्भ 1 में "बस्ती जिला (केन्द्रीय पूर्व)–सह–हसनपुर परगना" के स्थान पर "बस्ती जिला (केन्द्रीय पूर्व)–सह–गोरखपुर जिला पूर्व" रखा जाए।

श्री सतीश चन्द्र का संशोधन संख्या 6 भाग 2

बापू गोपीनाथ और पं. बालकृष्ण शर्मा का संशोधन संख्या 9 इस शर्त के साथ कि कानपुर के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि में "चकेरी हवाई अड्डा" के पश्चात् आई.ए. एफ. घरेलू कैम्प" अंत:स्थापित किया जाए।

सूची 8–श्री के.सी. शर्मा का संशोधन संख्या 4, भाग 1 और 2

श्री बेनी सिंह और अन्यों का संशोधन संख्या 5

श्री अमोलक चन्द का संशोधन संख्या 7, भाग 1 से 4

श्री बेनी सिंह और अन्यों का संशोधन संख्या 8 और 10

श्री के.सी. शर्मा का संशोधन संख्या 12, भाग 1 और 2

श्री टी.एन. सिंह का संशोधन संख्या 14

सूची 9–संशोधन संख्या 1, 4, 5 और 6

संशोधन संख्या 2, 7 और 8, जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए जिसका प्रस्ताव मैंने किया है :

कि सूची संख्या 9 (उत्तर प्रदेश आदेश) में उन प्रस्तावों में, जो मेरे नाम में हैं, निम्नलिखित संशोधन किए जाएँ:–

1. कि प्रस्ताव संख्या 2 में सूची के पृष्ठ 3, "इलाहबाद जिला (पूर्व)–सह–जोनपुर जिला (पश्चिम)" प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ, 3 में "(इलाहाबाद की नगरपालिका और छावनी को छोड़कर)" शब्दों के स्थान पर "इलाहाबाद की चैल तहसील (नगरपालिका को छोड़कर) और छावनी," शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।

2. कि प्रस्ताव संख्या 2 में सूची के पृष्ठ 3 पर, "इलाहाबाद जिला (पश्चिम)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाए :–

1	2	3
गोरखपुर जिला (केन्द्रीय)	गोरखपुर जिले कीफरेन्दा तहसील के हवेली परगना में ऐसे पटवारी सर्किल जो परिशिष्ट की मद (94) में विनिर्दिष्ट हैं।	गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के हवेली परगना के ऐसे पटवारी सर्किल और वन क्षेत्र जो परिशिष्ट की मद (94) में विनिर्दिष्ट है।

3. कि प्रस्ताव संख्या 8 में सूची के पृष्ठ 12 पर, प्रस्तावित परिशिष्ट की मद संख्या (38) और (39) के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रस्तावित की जाएँ:-

अकबरपुर तहसील के पटवारी सर्किल
(38)

सिंगपुर सहोली, नेवदा देवरानी, जैतपुर, शिओली, हीरामन शिओली, धाकन शिओली, सराईयां, बरीदरयाओ, बागपुर, सोभान, बागपत, नेहुटा, रस्तपुर, काकर, दही, बैरीसवाई, मारग, रामपुर, शिओली, कान्दरी, भेवान, नूनारी, बहादुरपुर, बरागांव, बारनपुर, कहीनजारी, काशीपुर दीपचन्द, काशीपुर, हीरामन, काशीपुर जगमनशाह, काशीपुर भुरशाह, हट्टिका, मान्डा, केकरमाऊ, नौबस्ता, भाऊपुर, पीत्तरपुर, आन्ट, रायपालपुर, बालुवपुर, लालपुर और अलियापुर।

डेरापुर तहसील के पटवारी सर्किल
(39)

नन्दपुर, सरगाँव, खुर्द मुंगीसपुर, डेरापुर खास, सलीमपुर, सबदलपुर, कुराहवल, मौजपुर, अगवासी, उरसान, पदनाई, कुरावा अमौली कुरमियां, हथुमा, मुकविलपुर, दरयापुर, नेतारा, गड़िया सिकन्दरा, मोहम्मदपुर सुलतानपुर, जगन्नाथपुर, सन्दरलपुर, हसवान, जमौरा, रिवान, हवासपुर, अंकना, पेन्डाराथु, साहनीपुर, चमरावा, कसोलर, अछरौली, धर्मपुर, इन्द्रख, सरगांव बुर्जुग, जिगनिस, गलुआपुर और बड़ागांव भिखी।

4. कि सूची के पृष्ठ 1 पर प्रस्ताव संख्या 2 में, "अलमोड़ा जिला (पश्चिम)-सह-गढ़वाल जिला (पूर्व)" से संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाये।

5. कि पृष्ठ 2 पर, प्रस्ताव संख्या 2 पर निम्नलिखित को हटा दिया जाये:-

(एक) "कानपुर जिला (उत्तर)-सह-फरूखाबाद जिला (दक्षिण पूर्व)-सह-तहसील इटावा (पूर्व)" से संबंधित प्रविष्टियां, उन दो स्थानों पर जहां वे आती हैं।

(दो) "इटावा जिला (पश्चिम)" से संबंधित प्रविष्टियां।

(तीन) "कानपुर जिला (दक्षिण)" से संबंधित प्रविष्टियां।

6. कि सूची के पृष्ठ 6 पर प्रस्ताव संख्या 7 में, "कानपुर नगर (दक्षिण)", "कानपुर (केन्द्रीय)", "धातपुर (पश्चिम)-सह-भोगनीपुर (पूर्व)" और "भोगनीपुर (दक्षिण-पूर्व)-सह अकबरपुर (दक्षिण)" से संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाये।

7. कि परिशिष्ट में प्रस्ताव संख्या 8 में मेरठ, परगना के पटवाती सर्किलों से संबंधित मद संख्या 17-क को हटा दिया जाये।

मैं सूची संख्या 9 में संशोधन संख्या 3 को वापस लेता हूँ।

सूची संख्या 9 में संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं उन सभी को इकट्ठा ले रहा हूँ। क्या कोई माननीय सदस्य उन्हें अलग-अलग देना चाहते हैं? ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

पं. कुंजरु (उत्तर प्रदेश) : मैं जानना चाहता हूँ कि कौन-से सिद्धांत के तहत ये सभी संशोधन स्वीकार कर लिए गए हैं। उनमें से एक संशोधन तो समिति के एक सदस्य, श्री टी.एन. सिंह द्वारा दिया गया है। वह संशोधन क्या है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जिन संशोधनों के संबंध में आम समझौता था, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। जिस विशेष संशोधन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, वह सूची संख्या 8 में संशोधन संख्या 14 है।

पं. कुंजरु : मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि जिन संशोधनों के बारे में आम समझौता था, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि आम समझौते से उनका क्या अभिप्राय है। यदि उनका अभिप्राय यह है कि बहुमत इसके सदस्यों की आम राय है, तो वह तो कई अन्य बातों पर भी हो सकती है। यदि उसी आधार पर परिवर्तन किये जानते थे, तो फिर परिसीमन परामर्शदात्री समिति नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी? मैं जानना चाहूंगा कि इन पर समझौता आम राय से होने के अलावा, उनकी स्वीकृति के कोई और भी कारण थे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में माननीय सदन को मालूम है कि हम उन विभिन्न समितियों के सदस्यों के निर्णयों के आधार पर चल रहे हैं, जो अध्यक्ष महोदय ने निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए नियुक्त की थीं। और जब कभी भी सदस्यगण कोई परिवर्तन करने के लिए राजी हो गये हैं, तो मैंने उस परिवर्तन को स्वीकार करना उचित समझा है। संशोधन संख्या 14, जिसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा ही एक संशोधन है।

पं. कुंजरु : क्या उनका अभिप्राय संख्यक दल के सदस्यों से है या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई समिति के सदस्यों से है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उसके बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां तक परिसीमन का संबंध है, बहुमत दल के सदस्यों और किसी अन्य दल के सदस्यों के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है। सभी सदस्यों को इस कैबिनेट उप-समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह समिति इस मामले पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। कोई भी सदस्य, वह किसी भी दल का हो, आकर अपना पक्ष रख सकता है। कुछ सदस्य आये भी थे।

श्री टी.एन. सिंह (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि जिस संशोधन का मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है, वह एक आनुषंगिक संशोधन है जो कर लिया जाना चाहिये था। परन्तु वह समिति के प्रतिवेदन में गलती से रह गया है। मैं उन्हें इसका ब्यौरा व्यक्तिगत रूप से दे सकता हूँ, चूंकि यहां देना सम्भव नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : क्या कोई और सदस्य अपना संशोधन अलग से उठाना चाहता है?

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :__ श्रीमन् मेरे विचार में इस मामले पर समिति में चर्चा हुई थी और मैंने भी श्री कपूर को बताया था कि उनका संशोधन अधूरा था और इसलिए उसे अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों में कुछ फेरबदल किये बिना स्वीकार नहीं किया जा सका। वह कोई पूरी योजना नहीं दे सके। इसलिए उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सका।

श्री जे.आर. कपूर : खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य को उत्तर का अधिकार नहीं है। क्या वह यह चाहते हैं कि मैं इन्हें उस समय सदन के लिए रखूं?

श्री जे.आर. कपूर : अवश्य, भले ही यह अस्वीकृत हो जाये।

माननीय अध्यक्ष : मैं उन्हें सदन के समक्ष रख दूंगा।

श्री जे.आर. कपूर : नहीं श्रीमन्, मैं उन्हें वापस लेना चाहूंगा।

श्री जे.आर. कपूर के संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गए।

माननीय अध्यक्ष : मैं अब उन सभी सहमत संशोधनों को जिन्हें विधि मंत्री ने प्रस्तुत किया है, रखता हूँ।

सभी संशोधन अंगीकार किए गए।

**__माननीय अध्यक्ष :__ क्या माननीय सदस्य को और उन अन्य माननीय सदस्यों को भी, जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, अपने-अपने संशोधन वापस लेने की सदन अनुमति देता है?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10607

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 10610-112

माननीय अध्यक्ष : इससे सभी प्रस्ताव पिट गए हैं। अब मैं पारिणामिक संशोधनों को लेता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ : "कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेशों के सदन में प्रस्तुत और स्वीकृत संशोधनों के संदर्भ में, उक्त आदेशों में माननीय अध्यक्ष के प्राधिकार के अधीन आवश्यक पारिणामिक, प्रारूप संबंधी और अन्य औपचारिक परिवर्तन किये जायें।"

डॉ. देशमुख : मैंने भी एक ऐसे ही संशोधन की सूचना दी है। मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : वह सभा के समक्ष रखा ही नहीं गया है। इसलिए उसे वापस लेने की जरूरत नहीं है।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं इस संशोधन में भी एक संशोधन चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"पारिणामिक संशोधन में, जो डॉ. अम्बेडकर के नाम में है, "औपचारिक परिवर्तन" शब्दों के पश्चात् "निर्वाचन-क्षेत्रों के नामों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किये जायें।''

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री इसे स्वीकार करते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसे इस प्रकार औपचारिक और बाध्यकारी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जवाहरलाल नेहरू (प्रधानमंत्री) : श्रीमन्, यदि कोई नाम गलत लिखा गया है तो वह सही कर दिया जायेगा। इसके लिए किसी औपचारिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई छोटी-मोटी गलतियां हैं तो उन्हें तो हमेशा ही ठीक किया जा सकता है।

श्री चट्टोपाध्याय : इस पर आज सुबह काफी बहस हुई थी और इस पर कुछ मतभेद भी था और डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, "यह नामों का मामला माननीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाये।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं मानता हूँ। परन्तु मैंने कहा था कि यदि अध्यक्ष महोदय यह समझते हैं कि किसी स्थान के नाम में परिवर्तन एक औपचारिक परिवर्तन है, तो यह तो मेरे संशोधन के अन्तर्गत आ जायेगा।

श्री चट्टोपाध्याय : इसी कारण मैंने यह संशोधन पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष : अब वह मुझसे क्या चाहते हैं?

श्री चट्टोपाध्याय : मैं चाहता हूँ कि "औपचारिक परिवर्तन" शब्दों के बाद, ''निर्वाचन क्षेत्रों के नामों सहित" शब्द अन्त:स्थापित किये जायें। यह संशोधन औपचारिक नहीं है। मेरी राय में यह बहुत सारवान है, क्योंकि कुछ मामलों में.......

माननीय अध्यक्ष : मैं उनकी बात को समझता हूँ। यदि वह यह कहते हैं कि यह सारवान है, तो अब कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि यह औपचारिक या पारिणामिक संशोधन है जिसके अन्तर्गत, जैसा डॉ. अम्बेडकर ने कहा, कभी-कभी नामों के परिवर्तन भी शामिल हो जायेंगे, तो यह अलग बात होगी। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री जे.आर. कपूर : क्या आप यह समझते हैं कि निर्वाचन-क्षेत्र के नाम में परिवर्तन, यदि उससे निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा में कोई सारवान या थोड़ा-सा भी परिवर्तन होता है, तो वह डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव के अन्तर्गत आ पायेगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह अध्यक्ष महोदय के स्वविवेक पर निर्भर करता है।

माननीय अध्यक्ष : सभा ने कुछ परिवर्तन स्वीकार कर लिये हैं। सभा अध्यक्ष को पारिणामिक अथवा औपचारिक संशोधन करने का अधिकार दे रही है क्योंकि जैसा आज सुबह कहा गया कि किसी क्षेत्र का नाम गलत लिखा जाये जैसे "पूर्व" के स्थान पर "पश्चिम" लिखा जाये, तो ऐसे संशोधन कर दिये जायेंगे। अब और संशोधनों की गुंजाइश नहीं है। यदि सदन एकमत से भी निर्णय ले ले तो, भी अध्यक्ष सदन के निर्णयों से परे नहीं जा सकती। अध्यक्ष केवल वही करेगा, जो सदन के पहले लिये गये निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। पारिणामिक संशोधन इसी बात को ध्यान में रखकर किये जायेंगे।

*पटल पर रखे गये कागजात

संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र सीमांकन–आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत, राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 1951 को जारी किये गये निम्नलिखित आदेश पटल पर रखता हूँ:-

(1) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (असम) परिसीमन आदेश, 1951

(2) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (बिहार) परिसीमन आदेश, 1951

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 9 जून, 1951, पृष्ठ 9065-66

(3) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (उड़ीसा) परिसीमन आदेश, 1951

(4) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) परिसीमन आदेश, 1951

(5) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (हैदराबाद) परिसीमन आदेश, 1951

(6) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (मध्य भारत) परिसीमन आदेश, 1951

(7) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (पटियाला तथा पूर्वी बंगाल राज्य संघ) परिसीमन आदेश, 1951

(8) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (राजस्थान) परिसीमन आदेश, 1951

(9) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (सौराष्ट्र) परिसीमन आदेश, 1951

(10) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (ट्रावन कोर-कोचीन) परिसीमन आदेश, 1951

(11) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (भाग 'ग' राज्य) परिसीमन आदेश, 1951

पुस्तकालय में रखे गये, *देखिये* संख्या पी-169/51)

*पटल पर रखे गये पत्र
संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन-आदेश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत मैं राष्ट्रपति द्वारा 18 मई, 1951 को जारी किये गये निम्नलिखित आदेश सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (बम्बई) परिसीमन आदेश, 1951

(2) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (मध्य प्रदेश) परिसीमन आदेश, 1951

(3) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन आदेश, 1951

(4) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन आदेश, 1951

(5) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन आदेश, 1951

(6) संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (मैसूर) परिसीमन आदेश, 1951

(पुस्तकालय में रखे गये, *देखिये* संख्या पी-169/51)

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 18 मई, 1951, पृष्ठ 9065-66

माननीय अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार सभी आदेश निपटा दिये गये।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां।

माननीय अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कतिपय आदेशों जिन्हें अभी सभा पटल पर रखा गया है, की प्रतियां प्रेस से प्राप्त होते ही संसदीय सूचना कार्यालय में रख दी जायेंगी।

माननीय संसद इन आदेशों की एक-एक प्रति स्वयं अनुरोध कर ले सकते हैं।

सभा का कार्य

****माननीय अध्यक्ष :** मैं देखूंगा कि इस संबंध में क्या सम्भव है। मैं किसी बात का वायदा नहीं करता।

सभा अब स्थगित हो सकती है.........

पं. ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : विधेयक को एक बजे तक समाप्त करना बड़ा कठिन होगा। यदि काम 11 बजे तक समाप्त नहीं होता। मैंने कभी किसी विधेयक को गिलोटिन होते नहीं देखा।

माननीय अध्यक्ष : यदि आम राय हो जाती है तो हम निस्संदेह समाप्त कर सकते हैं।

पं. ठाकुर दास भार्गव : इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप राय बनाने के लिए और समय दीजिये।

माननीय अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य पूरे विधेयक को एक बजे तक समाप्त करने के लिए राजी हैं, वे एक बजने के पांच मिनट पर समवेत होकर विधेयक को समाप्त कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। बात केवल यह है कि कोई समय-सीमा होनी चाहिये। हम इसे समाप्त करने के लिए बैठ सकते हैं। वर्ना चर्चा का कोई अंत नहीं होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मैं नहीं जानता कि व्यवस्था क्या है।

माननीय अध्यक्ष : अभी तो हम बैठक स्थगित कर रहे हैं और हम 11.30 बजे पुनः एकत्रित होंगे।

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9476-77

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा सुझाव है कि मैं इसके कुछ ऐसे खंडों को छांट लूंगा जिन पर कोई विवाद नहीं है। केवल एक ही खंड है जिस पर सहमति नहीं है। उस पर समय लगेगा। मेरे विचार में हमें उन खंडों को पहले लेना चाहिये जिन पर कोई विवाद नहीं है। फिर हम देखेंगे कि बैठक थोड़ा स्थगित करने के बाद क्या सहमति होती है या फिर हम उस खंड पर विचार किसी और दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में लगभग सभी की राय है कि हम अब बैठक स्थगित कर दें, ताकि अनौपचारिक चर्चा हो सके। मैंने इस बात को मान लिया है। इसे अभी तक अध्यक्ष के विनिश्चय के रूप में घोषित नहीं किया गया है, परन्तु अध्यक्ष ने इसकी घोषणा कर दी है।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें।

माननीय अध्यक्ष : अभी हमें इसे नहीं लेना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसे कुछ खंड है, जिन्हें बिना किसी भाषण के अभी निपटाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : यदि खंडों को तुरन्त निपटाया जा सकता है, तो भी हमें अभी सदन की बैठक स्थगित कर देनी चाहिए।

जब हम 11.30 बजे पुनः एकत्रित होंगे तब उन खंडों को निपटा देंगे।

अब सदन स्थगित होगी और 11.30 बजे पुनः एकत्रित होगी।

तत्पश्चात् सदन साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित किया गया।

खंड-V

18 अप्रैल, 1951
से
19 मई, 1951 तक

(34)
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) :** मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का आगे और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह एक बहुत छोटा-सा विधेयक है और इसका आशय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में, जो सदन द्वारा कुछ समय पहले पारित किया गया था, संशोधन करना है। इस विधयेक का उद्देश्य भाग-ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में प्रतिनिधित्व का प्रबंध करना है। सदन को स्मरण होगा कि अनुच्छेद 313 और 332 के अंतर्गत, संविधान में ही भाग-क और भाग-ख राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध हैं। जहां तक भाग-ग राज्यों का संबंध है, इस विषय को संसद और राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि जहां तक भाग-ग राज्यों में लोगों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, इसे संसद निपटायेगी और जहां तक भाग-ग राज्यों के प्रशासन का संबंध है, यह अनुच्छेद 239 के अधीन निबटाया जायेगा। जब लोक प्रतिनिधित्व विधेयक इस सदन के समक्ष लाया गया था, तब उचित होता कि जो उपबंध हम विधेयक में अब शामिल करने जा रहे हैं, वह उस विधेयक में होते। परन्तु दुर्भाग्यवश, उस समय की सरकार के पास लोक सभा में भाग-ग राज्यों को आबंटित की जाने वाली सीटों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी और न ही उसे यह पता था कि भाग-ग राज्यों से संबंधित उपबंधों में कौन-कौन सी जातियां और जनजातियाँ शामिल की जायेंगी। अतः इन उपबंधों को रोक लिया गया और उन्हें अब सदन के समक्ष लाया गया है।

दो बातों के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जैसा कि सदन को मालूम है, कुल मिलाकर भाग-ग राज्य दस हैं। इन सभी दस भाग-ग राज्यों में सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकी क्योंकि हमें दो अलग-अलग प्रस्तावों पर विचार करना था। एक तो यह कि जिन भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व का उपबंध करना था क्या वहां पर्याप्त संख्या में सीटें थीं ताकि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित कर दी जाये तो परिणाम यह न हो कि वहां की आम जनता को मताधिकार से पूर्णतः वंचित होना पड़े। स्पष्टतः कुछ ऐसे राज्य मौजूद हैं, जो भाग-ग राज्यों में शामिल हैं, जिन्हें लोक सभा में केवल एक ही सीट आबंटित की गई है। उदाहरणार्थ, बिलासपुर

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 18 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7021-39

ऐसा ही एक राज्य है। कुर्ग में भी केवल एक ही सीट आबंटित की गई है। इसलिए ऐसे मामलों में जहां अनुसूचित जातियों को एक सीट आबंटित करने से आम जनता को प्रतिनिधित्व से वंचित होना पड़ेगा, वहां आरक्षण के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व का उपबंध करते समय हमें उन राज्यों को चुनना होगा, जहां लोकसभा में दोनों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

दूसरा सिद्धांत जो हमें ध्यान में रखना था वह यह था कि किसी विशेष भाग-ग राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या कुल कितनी है। जहां जनसंख्या बहुत कम है वहां हमने प्रतिनिधित्व देना ठीक नहीं समझा। किन्तु जहां जनसंख्या अधिक है वहां हमने उन क्षेत्रों में एक सीट देना ठीक समझा। अत: यह विधेयक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में, अर्थात् इन तीनों भाग-ग राज्यों में प्रत्येक के लिए एक-एक सीट आरक्षित करता है। हमने यह महसूस किया है कि ये राज्य अनुसूचित जातियों को एक सीट दे सकते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के बारे में, हमने मणिपुर और विन्ध्य प्रदेश को चुना है। वहां भी ऐसा नहीं लगता कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने से आम जनसंख्या के साथ कोई अन्याय होगा। मणिपुर में दो सीटें दी गई हैं। इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक सीट आरक्षित की जाये, क्योंकि वहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है। दूसरे, हम विन्ध्य प्रदेश में, जहां छह सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों को एक सीट देना चाहते हैं। बाकी राज्यों को न तो अनुसूचित जातियों के लिए और न ही अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

अब मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुसूची के प्रश्न पर आता हूँ। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विलय में मेरी अपनी राय कुछ भी नहीं है। ये जातियां हमें गृह विभाग और जनगणना आयुक्त ने, जिसने इस विषय की नवीनतम जांच की है, बताई है।

(श्रीमती दुर्गाबाई पीठासीन हुई)

मैं आशा करता हूँ कि विधेयक में जो सूची दी गई है, वह व्यापक है और ऐसी किसी भी जाति को जो या तो अनुसूचित जातियों में या अनुसूचित जनजातियों में शामिल है, छोड़या नहीं गया है। परन्तु मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं इस विधेयक की आवश्यकता को नहीं समझ सका।

श्री सोनावाने (बम्बई) : आप कभी भी नहीं समझेंगे।

श्री जे.आर. कपूर : मुझे यह विधेयक एकदम अनावश्यक लगता है। मुझे खेद है कि जो बहुमूल्य समय हम इस विधेयक पर विचार करने में बरबाद कर रहे हैं, वह हमें कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर, जो हमारे सामने लम्बित हैं, विचार करने के लिए लगाना चाहिये था। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने उस माननीय मित्र को आसानी से समझा सकूंगा जिसने मुझे बीच में अधीर होकर रोका है। हमारे पास समय कम है। हमारे लिए इस प्रकार के विधान में समय बरबाद करना अनुचित होगा।

इस विधेयक में आखिरकार क्या व्यवस्था की जा रही है? पहले तो, इसमें लोक सभा में अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। दूसरे, इसमें यह बताया जा रहा है कि कौन-सी जातियां अनुसूचित जातियां हैं और कौन-सी अनुसूचित जनजातियाँ हैं। यदि आप संविधान के अनुच्छेद 330 को देखें, तो आपको स्पष्ट हो जायेगा कि संविधान में ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की विनिर्दिष्ट रूप में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में कहा गया है :

"(1) लोक सभा में–

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

(ख) असम के स्वशायी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

अनुच्छेद 330 का पैरा (2) इस प्रकार है:–

(2) किसी भी राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या"–

भाग-क राजय या भाग-ख राज्य में नहीं, किंतु किसी भी राज्य में जिनके अन्तर्गत भाग 'ग' राज्य भी शामिल हैं–

"खंड (1) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए उस राज्य को आबंटित सीटों की कुल संख्या के निकटतम उसी अनुपात में होगी..."

मुझे बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी दलील यह है कि इस अनुच्छेद 330 में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी भी राज्य के संबंध में लोक सभा में स्थान आरक्षित किये जायेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में 'राज्य' शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :-

"(1) भारत राज्यों का संघ होगा।

(2) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र पहली अनुसूची के भाग क, ख और ग में विनिर्दिष्ट राज्य और शासित होंगे।"

अतः महोदय, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 1 के साथ पठित अनुच्छेद 330 में भाग-ग राज्यों में भी लोक सभा में सीटों के आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य के मार्गदर्शन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत भाग-ग और भाग-ख राज्य ही आते हैं। संविधान में भाग-ग राज्यों के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है।

श्री जे.आर. कपूर : मेरी दलील यह है कि अनुच्छेद 330 भाग-क और भाग-ख राज्यों तक ही सीमित नहीं है। उसके उपबंध किसी भी राज्य पर लागू होते हैं। और अनुच्छेद 1 में "राज्य" की परिभाषा के अनुसार कोई भाग-ग राज्य भी इसके अन्तर्गत आता है। अतः मेरी दलील यह है कि अनुच्छेद 330 इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत सभी राज्य-भाग क, ख और ग आते हैं।

अतः महोदय, भाग-ग राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने का फिर से विशेष उपबंध करने के लिए विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, महोदया, इस विधेयक का आशय भाग-ग राज्यों के संबंध में सीटों का आरक्षण करने के लिए यह अनावश्यक करना ही नहीं है बल्कि यह उन सदस्यों की संख्या भी निर्धारित करता है जिन्हें आरक्षित स्थानों को भरने के लिए चुना जाये। विधेयक के खंड 7 के अनुसार, हमें एक नई धारा-धारा 3-क के लिए भी राजी होने के लिए कहा जा रहा है, जो इस प्रकार है :

"दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य के लिए धारा 3 के अंतर्गत आबंटित लोक सभा के स्थानों में से एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जायेगा; और मणिपुर और विन्ध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रकार आबंटित स्थानों में से एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।"

इसका मतलब यह हुआ कि हमें हमेशा के लिए यह बाध्यता स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है कि हम भाग-ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को एक स्थान-न तो इससे अधिक और न इससे कम, एक से कम तो खैर हो ही नहीं सकता-देंगे। भाग-क और भाग-ख राज्यों के बारे में हम यह स्मरण कर सकते हैं कि हमने न तो संविधान में और न ही किसी विधेयक में जिसे हमने लोक सभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व अथवा निर्वाचन के लिए पास किया है, यह निर्धानित किया है

कि कितनी सीटें अनुसचित जातियों को और कितनी अनुसूचित जनजातियों को आबंटित की जायंगी। इसमें सन्देह नहीं है कि अनुच्छेद 330 के उप-खंड (2) में सीटों के आरक्षण के लिए फार्मूला दिया गया है कि यह उस राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार होगा। यह उचित है और समझ में आता है। किन्तु यहां संख्या को स्पष्ट रूप से निश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्टत: भाग-क और भाग-ख राज्यों के मामले में यह कार्य निर्वाचन आयुक्त पर छोड़ा गया है। परन्तु यह माननीय विधि मंत्री या यह सभा यह कार्य स्वयं करना चाहती है, जब कि सामान्यतया यह निर्वाचन आयुक्त को सौंपा जाना चाहिए। मुझे सभा द्वारा यह अधिकार लिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि यह विधान का गलत तरीका है। मान लीजिये पांच साल बाद इन सभी भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अनुच्छेद 330 के अनुसार उन्हें एक या दो सीटों से भी जिनकी आप इस समय व्यवस्था कर रहे हैं, अधिक सीटें चाहिए तो क्या होगा? तब वे अधिक सीटों के इकदार होंगे, परन्तु यह विधेयक उनके आड़े आयेगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह खंड सोच-विचार कर नहीं लाया गया है, क्योंकि यह पहले तो हमें अनावश्यक रूप से सीटें आरक्षित करने के लिए कहता है फिर हमें कुछ निश्चित सीटों के लिए बाध्य करता है।

दूसरे, इस विधेयक में उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नाम बताने का प्रयास किया जा रहा है। जिन पर यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जायेगा कि कितनी आरक्षित सीटों के लिए उपबंध किया जाये। यहां मैं फिर बता दूं कि संविधान में इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। यह कार्य राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके किया जा सकता है। अनुच्छेद 341 में उपबंध है :

"राष्ट्रपति, किसी राज्य के संबंध में वहां के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनकी उपजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें हम संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में

श्री जे.आर. कपूर : मेरे माननीय मित्र ने मुझे जो प्रोत्साहन और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। विधि मंत्री ऐसा अनावश्यक विधान क्यों लाए, इसका कारण जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यह कारण मैं आसानी से जान सकता हूँ। दो दिन पहले मैंने समाचार-पत्रों में प्रकाशित उनका एक भाषण पढ़ा था जो उन्होंने किसी भवन का शिलान्यास करते समय दिया था। उन्होंने बड़ा साहस दिखाया था।

डॉ. देशमुख : मैं हैरान हूँ कि क्या यह सुसंगत है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह विधेयक उस भाषण से बहुत पहले पुर:स्थापित किया जा चुका था।

श्री जे.आर. कपूर : मैं कोई असंगत बात नहीं करूंगा। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह विधेयक एकदम अनावश्यक है। फिर माननीय सदस्यों के दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि डॉ. अम्बेडकर जैसे जाने-माने विधिवेत्ता और वकील हमें यह अनावश्यक विधान अधिनियमित करने के लिए क्यों कह रहे हैं। मुझे यह सिद्ध करना है कि वह इस विधान को, कोई आवश्यकता या औचित्य के साथ लेकर हमारे सामने नहीं लाये, बल्कि किन्हीं बाह्य कारणों से वह हमारे समक्ष लाये हैं......

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यह डॉ. अम्बेडकर का विधेयक है? यह तो सरकारी विधेयक है।

श्री जे.आर. कपूर : तकनीकी तौर पर यह सरकार का विधेयक है, परन्तु मुझे हैरानी है कि क्या सरकार ने या उनके दूसरे सहयोगियों ने इस विधेयक पर वास्तव में अपना दिमाग लगाया है (कई माननीय सदस्य : ओह! ओह!) मैं तो डॉ. अम्बेडकर की प्रशंसा कर रहा हूँ कि वह अपने सहयोगियों को यह मानने के लिए आसानी से राजी कर सके कि इस जैसा विधान भी आवश्यक है और उन्हें विधेयक की बारीकियों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिये तथा उनकी योग्यता और बुद्धिमत्ता पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य उन सदस्यों में से एक नहीं है जिन्होंने इस विधेयक को लाने के लिए सहमति दी थी?

श्री जे.आर. कपूर : मेरे विचार में इस सदन की यह प्रथा रही है कि कोई भी सदस्य किसी विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध नहीं करता। मैं खुश होऊंगा। यदि आज के बाद इस प्रथा को न माना जाये और इस सदन के माननीय सदस्यों को विधेयक की पुर:स्थापन का भी विरोध करने दिया जाये। महोदय, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अपना भाषण जारी रखने से महज इस कारण नहीं रोकना चाहेंगी कि चूंकि मैंने इस विधेयक की पुर:स्थापन का विरोध नहीं किया था, इसलिए मैं अब इसका विरोध नहीं कर सकता।

मेरा निवेदन है कि यह विधेयक एक मात्र चुनावी करतब है, जिसका माननीय डॉ. अम्बेडकर पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। वह हमें और बाहरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि वही अकेले अनुसूचित जातियों के सच्चे हमदर्द हैं और संविधान निर्माता भी उस समय इतने सजग नहीं थे और इस सदन के उन माननीय सदस्यों ने भी जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात को भी नहीं सोचा

था और अब वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सच्चे हिमायती के रूप में इस विधेयक को लेकर आये हैं तथा वह यह चाहते हैं कि विश्व को यह विश्वास कर लेना चाहिये कि भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की पहली बार रक्षा की जा रही है।

उन्होंने अपने इस भाषण में जिसका मैंने उल्लेख किया है, इस सदन के अनुसूचित जातियों के माननीय सदस्यों पर यह आरोप लगाया है कि वे अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं हैं और सारा श्रेय वह स्वयं लेना चाहते हैं। महोदया, इन कारणों से (व्यवधान)।

श्री सोनावने : महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सदन के अनुसूचित जाति के सदस्यों के उल्लेख का इस विधेयक से क्या संबंध है? बाहर जो कहा गया है, उसका यहां उल्लेख करना क्या नियमविरुद्ध नहीं है?

श्री जे.आर. कपूर : मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस विधेयक के पीछे हेतु क्या है। क्या इसकी कोई आवश्यकता या औचित्य है......?

श्री एथीराजुलू नायडू (मैसूर) : क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि माननीय मंत्री अपने हेतु के कारण, विधेयक की विषय-वस्तु के बजाय अन्य बाह्य कारणों से प्रभावित हो गये? उन्होंने यही कहा है और इसी पर वे विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं। महोदया, आप इस पर विचार करें कि क्या किसी सदस्य का व्यक्तिगत हेतु माना जा सकता है।

श्री जे.आर. कपूर : मैं इस पर और चर्चा नहीं करूंगा किन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि..........।

श्री एथीराजुलू नायडू : क्या आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय देंगे?

माननीय अध्यक्ष : शांति, शांति! माननीय सदस्य मेरा विनिर्णय चाहते हैं। मैं यह कहना चाहूँगी कि इस पहलू पर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाया जा चुका है।

उन्हें अपना वक्तव्य देने के लिए कुछ मिनट दिये जा सकते हैं। उसके बाद अन्य माननीय सदस्य भी अपने वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री जे.आर. कपूर : महोदया, मुझे हेतु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा है कि इस विधेयक के पीछे क्या कारण थे? कारण आवश्यकता या औचित्य नहीं है, बल्कि माननीय विधि मंत्री, चुनावों के प्रयोजन के लिए इस विधेयक का इस्तेमाल करना चाहते हैं.......

अध्यक्ष महोदया : मैं माननीय सदस्य ने यहीं कहूंगी कि वह इस विधेयक के पीछे क्या हेतु रहा इसका जिक्र न करें और विधेयक के गुणागुण पर ही बोलें।

श्री जे.आर. कपूर : मैं विधेयक के औचित्य अथवा अनौचित्य पर पहले की बोल चुका हूँ। इसीलिए मैं इस विधेयक के अनौचित्य पर ही बोल सकता था।

सरदार बी.एस. मान (पंजाब) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने विनिर्णय दिया कि हेतु पर चर्चा नहीं की जा सकती। क्या हेतु आशय, गुणागुण को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदया : विनिर्णय यह होगा कि हमेशा हेतु पर ही चर्चा न की जाये।

सरदार बी.एस. मान : यह तो इस पर निर्भर करता है कि कोई किसी बात पर कितना बल देना चाहता है।

अध्यक्ष महोदया : इस पर हरेक की अपनी राय हो सकती है।

श्री जे.आर. कपूर : यदि आप चाहती हैं कि मैं इस बात पर और बल न दूँ, तो मैं नहीं दूंगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आप दे सकते हैं। मैंने यह सब 25 वर्ष सहा है।

श्री जे.आर. कपूर : मेरे विचार में माननीय विधि मंत्री इतने साहसी है कि वह सरकार में अपने सहयोगियों तक की निंदा कर सकते हैं। उनमें वह साहस और धृष्टता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह उचित है कि सदन के बाहर एक कैबिनेट मंत्री एक अन्य केबिनेट मंत्री की निंदा करे। (एक माननीय सदस्य : यह सब असंगत बातें हैं।) मैं सोचता हूँ कि ये असंगत नहीं है। संसद में बैठे हुए हम यह चाहेंगे कि हमारा लोकतंत्र सुचारु रूप से चले और इस सदन में माननीय सदस्यों को सदैव सतर्क रहना चाहिये ताकि कोई ऐसा कार्य न हो, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हो और यदि एक कैबिनेट मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों के बीच कोई ऐसी बात चल रही हो, तो हमें अपनी आशंका शीघ्रतिशीघ्र व्यक्त करनी चाहिए।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने में उतनी ही रुचि रखता है जितनी माननीय विधि मंत्री रखते हैं और सम्भवत: उनसे अधिक ही रखते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग हर हालत में हमारे बराबर हैं। हम उनके साथ बिल्कुल बराबरी का व्यवहार करना चाहते हैं और मैं तो उन्हें उनसे भी ज्यादा विशेषाधिकार देना चाहता हूं जिसके वे अपनी जनसंख्या के आधार पर हकदार हैं? और उन्हें आप कितना ही प्रतिनिधित्व दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। परन्तु मेरा निवेदन

यह है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री राम बहादुर (राजस्थान) : माननीय सदस्य इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? यह तो उनका पहला चुनावी भाषण है।

श्री चन्द्रिका राम (बिहार) : अनुसूचित जातियों के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री कपूर का भाषण सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि सदियों से समूचे देश में अनुसूचित जातियों की उपेक्षा होती रही है, परन्तु कई साल पहले जब से भारत सरकार ने केन्द्र शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी सम्भाली तो वहां पर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। अन्य राज्यों, अर्थात् भाग-क और भाग-ख राज्यों में, जैसा कि उन्हें संविधान में कहा गया है, विधानमंडल और अन्य निर्वाचित निकाय हैं, परन्तु केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थानीय सलाहकार परिषद हैं जिनकी, अध्यक्षता मुख्य आयुक्त करते हैं और जिन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। संविधान सभा में हमने मुख्य आयुक्तों को भी अनुच्छेद 341 में शामिल किए जाने के लिए एक संशोधन पेश किया था। अनुच्छेद 341 इस प्रकार है:–

"राष्ट्रपति, किसी राज्य के संबंध में वहां के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनसे उपजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जायेगा।"

उस समय माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि चूंकि ये भाग-क राज्य विधायी संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार स्वयं राष्ट्रपति द्वारा शासित होते हैं, इसलिये मुख्य आयुक्तों को अनुच्छेद 341 में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी कठिनाई इस वजह से हुई और जब इस विधेयक का पुर:स्थापन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उस अनुच्छेद में मुख्य आयुक्त शामिल नहीं है और राष्ट्रपति भाग-ग राज्यों के लिए अधिसूचनाएं जारी करने के प्रयोजनार्थ किसी से परामर्श नहीं कर सकते।

श्री जे.आर. कपूर : मैंने तो यह कहा था कि अनुच्छेद 392 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 में, जिसके अंतर्गत भाग-ग राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों के नाम आदि बताये जा सकते हैं, आवश्यक उपांतरण कर सकते हैं।

श्री चन्द्रिका राम : परन्तु कठिनाई यह है। यदि आप अनुच्छेद 341 का खंड (2) पढ़ें, तो आप इसमें यह पायेंगे कि अनुच्छेद 341 का खंड (4) इस प्रकार है :

"(2) संसद विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या इसकी जनजाति के खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना

में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी। किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।"

इसलिए इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। यह केवल संसद ही कर सकती है।

श्री जे.आर. कपूर : दूसरी अधिसूचना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राष्ट्रपति ने भाग -ग राज्यों के लिए अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

श्री चन्द्रिका राम : यह मामला विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य मंत्रालय के साथ भी उठाया गया था। हम, जो इस सदन में अनूसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय गये और एक मंत्री के बाद दूसरे मंत्री से सलाह-मशविरा किया। सभी ने कहा कि चूंकि कोई सांविधानिक उपबंध नहीं है, भाग-ग राज्यों के संबध में अधिसूचनाएं जारी नहीं की जा सकतीं। जब मूल विधेयक यहां पेश किया गया। अनुसूचित जातियों के विभिन्न संगठनों ने, विशेष रूप से भारतीय डिप्रेस्ड क्लासिज लीग ने, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, इस मामले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री और मानवीय श्री जगजीवन राम को भी एक लम्बा ज्ञापन दिया। काफी सोच-विचार के बाद यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाया गया है। महोदय, मैं सदन को बता दूँ कि देश के इन केंद्र शासित क्षेत्रों में उन अभागे लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया है। हम विभिन्न राज्यों की सरकारों के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं परन्तु भाग-ग राज्यों के बारे में हम क्या कर रहे हैं? मेरे अपने राज्य बिहार में हरिजनों के लिए पढ़ने, लिखने और सेवाओं में भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परन्तु केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थिति क्या है? हरिजनों के लिए शिक्षा भी निःशुल्क नहीं है। छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का कोई इन्तजाम नहीं है। इन मामलों से निबटने के लिए भारत सरकार ने एक बोर्ड नियुक्त किया है। गत वर्ष उन्होंने कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों से 100 आवेदन पत्र प्राप्त किए, परन्तु केवल पांच या सात को ही छात्रवृत्तियां मिल सकीं। अन्य कई राज्यों में, मेरे बिहार राज्य में भी, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 35 रुपये प्रति मास का वजीफा दिया जाता है। अतः केंद्र शासित राज्यों में इन लोगों की दशा बहुत खराब है। जहां तक इन लोगों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, उनका इस सभा में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। केंद्र सरकार ने उनकी हमेशा उपेक्षा ही की है।

भाग-ग राज्यों के प्रशासन की जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की है जिसके माननीय विधि मंत्री भी सदस्य है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पिछले तीन या चार वर्षों में जब से वह मंत्रिमंडल में हैं, उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया है? मैंने देखा है कि विधि मंत्री जो अपने आपको अनुसूचित जातियों का मसीहा कहते हैं, इस मामले में संविधान सभा में और पिछली बार भी जब भाग-ग राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए एक विधेयक

पेश किया गया था, चुप्पी साधे रहे। इसलिए यदि वह उन लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में अब कोई विधेयक लाते हैं तो इस सदन के किसी भी सदस्य को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं इन केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या लगभग 15 से 20 लाख हैं। मैंने एक संशोधन पेश किया है कि यहां उनका प्रतिनिधित्व नहीं है जैसे कुर्ग, अजमेर और त्रिपुरा में, वहां उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इन स्थानों पर अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची तक में शामिल नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि मंत्री मेरे संशोधन स्वीकार करेंगे या नहीं और इन लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करेंगे या नहीं। मैं यह नहीं कहता कि ये लोग जहां भी हैं, उन्हें परिषदों, विधानसभाओं और संसद में अवश्य प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह मेरी मांग नहीं है। यदि उन्हें उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता, तो न दें। परन्तु यदि दिया जा सकता है तो अवश्य दें और यदि आप उनके साथ न्याय करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम अनुसूचित जातियों की सूची में तो शामिल कर लें, ताकि शिक्षा, सेवाओं, स्थानीय विवादों के प्रतिनिधित्व तथा पेय जल आदि की सुविधायें इन लोगों को भी जा सकें। यही मेरा कहना है मेरी राय में केन्द्रीय सरकार ने इन लोगों के साथ कोई न्याय नहीं किया है। इसकी जिम्मेदारी हमारे मंत्रिमंडल के दो हरिजन मंत्रियों पर अधिक है और मैं विशेष रूप से डॉ. अम्बेडकर का नाम लेना चाहूंगा जो अपने भाषणों में सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि संसद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार में डॉ. अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। अतः, जब हम लोकतंत्र में काम कर रहे हैं और हमारे संविधान में सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त है, तो यदि केंद्र शासित क्षेत्रों में इन भाग्यहीन लोगों को भी वयस्क मताधिकार और प्रतिनिधित्व मिल जाता है, तो इसमें आपत्ति की कौन-सी बात है और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई सदस्य इसका विरोध करता है, तो मैं यह कहूंगा कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के विरुद्ध काम कर रहा है।

इस सदन में इन लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में मैं यह कहूंगा कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उन्हें केवल इसी सभा में प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्रों में कोई दूसरी सभा तो स्थापित होगी नहीं। दिल्ली की आबादी 15 लाख है और इसके इस सदन में तीन प्रतिनिधि हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों में इन लोगों की संख्या लगभग 20 लाख है और उनके और यहां तीन प्रतिनिधि हैं। अर्थात् 5 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से उनका एक प्रतिनिधि और होना चाहिये। फिर भी लोग कहते हैं कि यह विधेयक इन लोगों को, जिनकी केंद्र शासित क्षेत्रों में संख्या कम है, प्रतिनिधत्व देने के लिए लाया गया है।

अंत में, मैं केवल यहीं कहूंगा कि कुछ अन्य जातियां और समुदाय हैं जो अनुसूचित

जातियां हैं और जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे ही राष्ट्रपति, अनुसूचित जातियों की कोई सूची निकालते हैं, एक अनुसूची प्रकाशित की जाती है और अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों की यह सूची केवल छात्रवृत्ति के प्रयोजनार्थ ही प्रकाशित हो जाती है। मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस सूची को स्वीकार करें ताकि जिनके नाम इस सूची में शामिल किये गये हैं, उन्हें वे सुविधाएं मिल सकें जो अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों को मिल रही हैं। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधन को जब मैं उचित समय पर इसे पेश करूं, तो स्वीकार कर लें।

सरदार हुकम सिंह (पंजाब) : चर्चाधीन विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। मेरे विचार में यह आवश्यक है और सही समय पर लाया गया है। मैं अपने मित्र श्री कपूर से सहमत नहीं हूँ जिन्होंने कहा है कि इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता या औचित्य नहीं था। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह उन जातियों के नामों की घोषणा करे, जिन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जा सकता है। परन्तु यदि हम उन अनुच्छेद को पढ़ें, तो आशय यही लगता है कि यह भाग-क और ख राज्यों तक ही सीमित है। उस अनुच्छेद में भाग-ग राज्यों का उल्लेख नहीं है। अतः यह कहा गया कि यह उन राज्यों के राजप्रमुखों अथवा राज्यपालों के परामर्श से किया जायेगा। उस अध्याय में अन्य उपबंध भी भाग-क और ख राज्यों से संबंधित हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां तक अनुसूचित जातियों के नामों का उल्लेख करने का संबंध है, भाग 'ग' राज्यों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिर यह कहा गया है कि कठिनाइयाँ दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 392 का प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु यदि हम इस अनुच्छेद को ध्यान से देखें, तो वह यहां लागू नहीं होता। यह अनुच्छेद इस प्रकार है :

"राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को, जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में हों, दूर करने के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा.......आदि आदि......."

पर इन दोनों अनुच्छेदों का प्रयोग नहीं किया जा सका और इसीलिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। फिर यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति द्वारा आदेश किया जाता है तो अनुच्छेद 341 (2) संसद को शक्तियां प्रदान करता है। संसद को उस सूची में से किसी जाति को निकालने या उसमें जोड़ने का अधिकार है। परन्तु मेरे विचार में यह तो एक सामान्य शक्ति है जो संसद को दी गई है, और इसे वह वर्तमान विधेयक को अधिनियमित करने में प्रयोग कर रही हैं।

जैसा मैंने कहा, यह विधेयक आवश्यक है और यह सही समय पर आगामी चुनावों से पहले लाया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग सूची है। और मेरे विचार में कुछ

सदस्यों ने ठीक ही कहा कि कुछ अनुसूचित जातियां ऐसी हैं, जिन्हें एक राज्य में अनुसूचित जाति माना जाता है परन्तु पास के राज्य में नहीं माना जाता। सूचियों में कुछ ऐसी प्रविष्टियां भी हैं, जिन पर सन्देह होता है, और इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। जहां तक दिल्ली का संबंध है, क्रमांक 5 और 6 में दो जातियां शामिल हैं अर्थात् बंजारा और बावरिया। परन्तु हिमाचल प्रदेश में इन लोगों को सूची में शामिल नहीं किया गया है, जब कि हिमाचल प्रदेश में भी बंजारा और बावरिया जाति के बहुत लोग रहते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मेरे मित्र हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 6 देखेंगे, तो वे पाएंगे कि 'भांजरा' जाति का वहां उल्लेख है।

सरदार हुकम सिंह : मैं बंजारा की बात कर रहा हूँ, भाजरा की नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह तो उच्चारण अंतर है।

सरदार हुकम सिंह : नहीं। वे दोनों अलग-अलग जातियां है। बंजारा भांजरा से अलग हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत मद 16 में मजहबी जाति है, परन्तु दिल्ली के अंतर्गत वह नहीं है। ये लोग पंजाब और पेप्सू की सूची में शामिल हैं और विभाजन के बाद उनमें से बहुत से लोग साथ वाले राज्यों में आकर बस गये हैं। उसके अलावा, उनकी एक बड़ी संख्या हिमाचल प्रदेश चली गई है। जब उन राज्यों में स्थानीय अधिकारियों ने आंकड़े एकत्र किए थे, तब उन्होंने सोचा होगा कि उनकी संख्या बहुत कम है, पर यदि उन्हें शामिल नहीं किया गया तो कठिनाई हो जाएगी। ये लोग भूमिहीन मजदूर हैं। बंजारे एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में घूमते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। यदि उन्हें उनके प्रतिनिधित्व तथा अन्य रियायतों से, जिनके वे हकदार हैं, वंचित किया गया, तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार एक या दो अन्य प्रविष्टियां हैं। ऐसी एक दिल्ली के अंतर्गत संख्या-19 जुलाहा है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत संख्या 14 में इसे कबीरपंथी, या जुलाह या कीर दिखाया गया है। ये कबीर-पंथी और जुलाहा दो अलग-अलग जातियां हैं वे एक नहीं हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कभी-कभी यह दो अलग नामों से एक ही जाति होती है।

सरदार हुकम सिंह : यहां ऐसी बात नहीं है। ये दोनों अलग-अलग जातियां ही हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 23 है—रामदासी या रविदासी। परन्तु दिल्ली के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 32 में लिखा है। रामदासिया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या रामदासी या रविदासी दो अलग-अलग जातियां हैं और यदि हैं, और मैं समझता हूँ अवश्य हैं तो उन्हें हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं दिखाया गया है? दिल्ली के अंतर्गत संख्या 33 में इसे रविदासी या रैदासी दिखाया गया है, परन्तु हिमाचल

प्रदेश के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 23 में इसे केवल रामदासी या रविदासी दिखाया गया है। अत: भ्रम की स्थिति है कि दो अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत नहीं दिखाया गया है। मेरा कहना यह है कि पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्र हैं और यहां लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में आते-जाते रहते हैं। इसलिए यदि इन गरीब लोगों को इन सभी राज्यों की सूचियों में शामिल नहीं किया गया तो वे उस रियायत से वंचित हो जाएंगे जो संविधान उन्हें देना चाहता है और हमारा सारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री का इस मामले की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने आज सुबह इस संबंध में एक संशोधन दिया है जिसकी प्रति अब तक आपको मिल चुकी होगी। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर अपना विशेष ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सोनावने : मैं इस विधेयक का समर्थन करने और सरकार को इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं हैरान हूँ कि श्री कपूर इतने भ्रतिम क्यों है? श्री कपूर की यह आदत है कि वे प्रत्येक विधेयक पर बोलते हैं परन्तु आज वे बिना किसी औचित्य के बोले।

यदि श्री कपूर अनुच्छेद 332 (1) और अनुच्छेद 341 (2) को पढ़ते तो उन्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विधेयक आवश्यक है। मेरे यह मित्र केवल अनुच्छेद 330 (2) पर ही निर्भर रहे और उन्होंने "राज्य में" शब्दों को पकड़ लिया और बहस करते रहे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि दूसरे अनुच्छेद भी हैं। मैं इनका ध्यान अनुच्छेद 332 (1) की ओर दिलाना चाहता हूँ जो अनुच्छेद 330 (2) को सशर्त और विशेषित करता है। अनुच्छेद 332 (1) इस प्रकार हैं :

"पहली अनुसूची के भाग-ग या भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और असम के अस्थायी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे।"

श्री जे.आर. कपूर : हम राज्य विधानसभाओं की बात नहीं कर रहे, हम तो लोकसभा की बात कर रहे हैं।

श्री सोनावने : मैं माननीय सदस्य का ध्यान अनुच्छेद 341(2) की ओर भी दिलाना चाहूंगा जो इस प्रकार है:

"संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसकी उपजाति को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में निविर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित

कर सकेगी। किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अंतर्गत निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

भाग 16 के इन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में जो विधेयक लाया गया है वह नितांत आवश्यक है और श्री कपूर को इसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए था।

अब मैं इस प्रश्न के दूसरे पहलू को लूंगा जिस पर माननीय विधि मंत्री को ध्यान देना चाहिए। विधेयक में छठी अनुसूची में कुछ जातियों के नामों का उल्लेख किया गया है। परन्तु अन्य राज्यों में अन्य अनुसचित जातियां हैं। ये अनुसूचित जातियां जब दूसरे राज्य में जाती है तो वहां उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है और उन्हें उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है जो उन्हें संविधान द्वारा दिए गए हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वह अछूत तो बना रहता है और उसके कारण सभी नुकसान सहता है। परन्तु उसे वे लाभ और अधिकार नहीं मिल पाते, जो उसे अपने मूल राज्य में मिल रहे थे। इसलिए मेरा कहना यह है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो उसे वहां भी संविधान के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस आशय का उपबंध इसमें समाविष्ट करें। अनुसूचित जातियों के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के कारण इन विशेषाधिकारों से वंचित रखने की वजह से उनकी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह धारा 3क में इस आशय का एक परन्तुक जोड़ने के बारे में विचार करें कि उन सभी लोगों को, जो अपने राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोग माने जाते हैं, यदि वे अपने राज्यों के अलावा किन्हीं अन्य राज्यों में जाते हैं, तो वहां भी उन्हें अनुसूचित जातियों के सभी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

तीसरी बात जो मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह है कि अनुसूचित जातियों की सूचियां दोषपूर्ण हैं और ऐसी बहुत-सी जातियों को छोड़ दिया गया है, जो विभिन्न राज्यों में अछूत मानी जाती हैं और उन जातियों को संघीय सूची में और उन राज्यों की सूचियों में भी शामिल करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि यह सूची व्यापक है और इसमें किसी भी जाति को नहीं छोड़ा गया है। परन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि सभी अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों की प्रान्तीय सूची और संघीय सूची में भी शामिल किया जाए। इन अछूत जातियों के बारे में गृह मंत्री को और विधि मंत्री को बहुत से अभ्यवेदन भेजे गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य बहुत अधिक समय तक बोलेंगे?

श्री सोनावने : हां, महोदय।

माननीय अध्यक्ष : तब वे अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। तत्पश्चात्, सदन वीरवार, 19 अप्रैल, 1951 के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित किया गया।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक–जारी

माननीय अध्यक्ष : अब सभा माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा 18 तरीख को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार जारी रखेगी :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का आगे और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सोनावने (बम्बई) : कल जब सदन स्थगित हुआ था, तो मैं कह रहा था कि यह सुनिश्चित करके कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्यों और संघ की सूचियों में से न निकाला जाये, उनके हितों की रक्षा करने में विधि मंत्रालय की असफलता के कारण किस प्रकार उन जातियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर रोक लग जायेगी। मैं इस संबंध में एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। बम्बई में माहर नामक एक जाति है। इस जाति के लोग दिल्ली आ गये, परन्तु इस जाति को दिल्ली में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

इस प्रकार इन लोगों को संविधान के अंतर्गत कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी जाति दिल्ली राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि वे बम्बई रहते जो उन्हें सभी विशेषाधिकार और सुविधाएं मिलती। अतः मेरा कहना यह है कि यदि जातियां एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो भी उन्हें संविधान के अंतर्गत सभी विशेषाधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज यह बात नहीं है। विभिन्न राज्यों में सभी अनुसूचित जातियों को मान्यता न देने के लिए उनके आने-जाने पर पाबंदी लग गई है। अतः मैं माननीय विधि मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और एक व्यापक सूची तैयार करें, जिससे इन जातियों के आने-जाने पर लगी रोक हटाई जा सके।

इस संबंध में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। बम्बई राज्य से कुछ जातियां मध्य भारत चली गईं और वहां से सूची में शामिल नहीं हैं। इस तरह की तीन या चार जातियां हैं। यद्यपि वे अछूत हैं, उन्हें संविधान के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। मेरे एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि अनुसूचित जातियों की सूची का आधार अस्पृश्यता है। इसलिए मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सभी अस्पृश्य लोगों को राज्यों और संघ की सूचियों में लाने के लिए उन्होंने क्या किया है। यहां सत्ता में होने के बावजूद भी वह अछूतों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सके हैं। उन्हें आगामी चुनावों से पहले इस गलती को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। अजमेर, भोपाल, कच्छ और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जहां अनुसूचित जातियों को एक से अधिक सीट नहीं मिलती, अब बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। अच्छा होता यदि विधि मंत्रालय कोई ऐसा तरीका निकालता जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बारी–बारी से संयुक्त प्रतिनिधित्व मिल जाता। अब इन जातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। हालांकि उन राज्यों में उनकी संख्या काफी है। अतः मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन लोगों को बारी–बारी से संयुक्त प्रतिनिधित्व देने का कोई तरीका निकालें।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि संविधान के अंतर्गत उन्हीं अछूतों अथवा अनुसूचित जनजातियों को, जो इस रूप में सूची में शामिल हैं, राज्यों और संघ द्वारा मान्यता दी जाती है और संविधान के अंतर्गत उन्हें ही सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी सूचियां बिलासपुर, कुर्ग और अण्डमान तथा निकोबार राज्यों द्वारा नहीं बनाई गई हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऐसी सूचियों के अभाव में, उन राज्यों में रहने वाले इन लोगों को उनकी शिक्षा और सेवाओं में उन्नति के लाभ नहीं मिलेंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसी सूची तैयार की जाये, ताकि इन सभी लोगों को संविधान के अंतर्गत सभी सुविधाएं मिल सकें।

एक बार और मैं सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे सुझावों को विधेयक में शामिल कर लें।

पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (उत्तर प्रदेश) : इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि यह सदन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ही हितों की रक्षा करने के बहुत उत्सुक है, क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार और इस सदन के सदस्य जिनमें से अधिकांश महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करने वाले कांग्रेसी ही हैं, इस कार्य में जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, पूरी रुचि लेते रहे हैं। मेरे विचार में इस सदन में या बाहर लोगों को यह आश्वासन देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जहां तक अनुसूचित जाति को लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है हम उनके हितों की रक्षा करने में विशेष रुचि रखते हैं। परन्तु ऐसाा लगता है कि माननीय सदस्यों को कुछ ऐसे तथ्यों का पता है जिनके कारण उन्हें कल कुछ टिप्पणियां करनी पड़ी थीं।

जहां तक इस विधेयक की भावना का संबंध है, यह एक प्रशंसनीय और स्वागत–योग्य विधेयक है जिसमें लोक सभा और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा रही है। परन्तु यह व्यवस्था उसी सूरत में की जानी चाहिये, यदि वर्तमान विधि में इसके लिए कोई उपबंध न हो।

जब संविधान को पढ़ने से मुझे पता चला कि उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की इस सदन और अन्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के लिए पहले ही उपबंध किया हुआ है। अनुच्छेद 330 इस संबंध में एकदम स्पष्ट है। अनुच्छेद 330 के खंड 2 में कहा गया है :

"खंड (1) के अधीन किसी राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथानुपात वही होगा, जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।"

अतः मेरा निवेदन यह है कि यह उपबंध सभी राज्यों पर लागू होता है। यह केवल भाग -क राज्यों या भाग ख राज्यों या किसी राज्य विशेष पर ही लागू नहीं होता। सम्भवतः भ्रम अनुच्छेद 332 का उल्लेख करने के कारण उत्पन्न हो रहा है। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध किया गया है। मेरे विचार में यह विधेयक संविधान के उपबंध की पुनरावृति है। यदि यह तर्क दिया जाता है कि लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 में कोई उपबंध नहीं है, तो फिर मेरे विचार में कोई भी अन्य उपबंध नहीं है और यदि कोई भी अन्य उपबंध नहीं है, तो मेरे विचार में यह विधेयक भी सदन के समक्ष नहीं लाया जा सकता। अतः यह विधेयक या तो विधिविरुद्ध है या अनावश्यक है। यदि यह मान लिया जाता है कि कोई उपबंध है तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से यह विधेयक अनावश्यक है। यदि संविधान में कोई उपबंध नहीं है, तो यह विधेयक अधिकारातीत है।

दूसरे, इस विधेयक में जिसके लिए उपबंध किया गया है। वह है किन्हीं जातियों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रूप में घोषणा। इसके लिए भी अनुच्छेद 341 और 342 में उपबंध है।

अनुच्छेद 342 (2) के अनुसार :

"संसदीय विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसकी उपजाति को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी। किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

मेरा निवेदन यह है कि यदि इस सभा को कोई फेरबदल करने का कोई अधिकार

है तो वह अनुच्छेद 342 के खंड (2) के अंतर्गत है। उस उपबंध के अंतर्गत, उस उपांतरण परिवर्तन की व्याप्ति सीमित है। यह सीमा यह है कि यदि राष्ट्रपति खंड (1) के अंतर्गत कोई सूची तैयार करते हैं, तो उसी सूची में संसद के किसी अधिनियम द्वारा कोई उपांतरण किया जा सकता है। अन्यथा, सूची में कोई परिवर्तन करने या यह उपबंध करने के लिए कि कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाये या नहीं, कोई स्वतंत्र उपबंध नहीं है। अत: जहां तक उस उपबंध का संबंध है, मेरे विचार में यह विधेयक हमारी कोई सहायता नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई है, जिसमें इस प्रकार का उपांतरण किया जा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन दो बातों को लेकर यह विधेयक लाया गया है, उनको देखते हुए यह विधेयक या तो अनावश्यक है या अधिकारातीत है। चूंकि इस सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 में पहले ही उपबंध कर दिया गया है, इसलिए इस विधेयक को पारित करना या इस सदन में ऐसा कोई कानून बनाना एकदम अनावश्यक है।

माननीय अध्यक्ष : श्री मूलदास वैश्य।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जो दलील दी है, उसे अन्य सदस्य भी दोहराएंगे, जैसा कि कल हुआ था। यदि ऐसी बात है तो आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहूंगा कि सांविधानिक स्थिति वास्तव में क्या है। परन्तु मैं यह बात आप पर छोड़ता हूँ। अन्यथा, मैं इस मामले से उसी समय निपटूंगा जब मेरी बारी आयेगी।

माननीय अध्यक्ष : मेरे विचार से यह बेहतर रहेगा। मैं स्वयं उनकी आपत्ति को नहीं समझ पाया हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वे एक खास बात को नहीं समझा पाये हैं जिसकी वजह से वे हर तरह की आपत्ति कर रहे हैं।

श्री भारती (मद्रास): वह कल भी की गई थी।

माननीय अध्यक्ष : फिर वह तर्क दोहराया नहीं जाना चाहिए और विधि मंत्री उसका अंत में उत्तर देंगे।

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : उन्हें अब उत्तर देने दीजिये।

माननीय अध्यक्ष : मैं पुनरावृत्ति के कारण इस तर्क के लिए अनुमति नहीं देता।

श्री एथराजुलू नायडू (मैसूर) : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सांविधानिक स्थिति पर चर्चा को न रोकें, क्योंकि हो सकता है कि इसके दूसरे पहलू भी हों, जिन्हें पेश करना होगा।

माननीय अध्यक्ष : विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत कुछ भी कहा जा सकता है। परन्तु संविधान के शब्द मौजूद हैं और यह विधेयक सदन के समक्ष है और मेरे विचार में सदस्यगण अन्य सदस्यों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करेंगे कि यदि उन्हें एक या दो बार समझा दिया जाये तो वे सभी पहलू समझ जायेंगे। उन्हें दोहराने से क्या लाभ है?

श्री द्विवेदी (विन्ध्य प्रदेश) : यद्यपि विधेयक भाग-ग राज्यों से संबंधित है, इन राज्यों के किसी सदस्य को अभी तक बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप भाग-ग राज्यों के किसी सदस्य को कुछ कहने का मौका नहीं देंगे?

माननीय अध्यक्ष : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। प्रत्येक सदस्य को अनुमति है। परन्तु प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिलता। यह विधेयक भाग-ग राज्यों तक ही सीमित है। मेरे विचार में मैं ठीक ही कह रहा हूँ। (माननीय सदस्य : हां, हां।) कोई सदस्य अधिक से अधिक यही कह सकता है कि जिन राज्यों से यह विधेयक संबंधित है उन राज्यों के सदस्यों को भी अवसर दिया जाना चाहिये।

कैप्टेन ए.पी. सिंह (विन्ध्य प्रदेश) : हम विन्ध्य प्रदेश से आते हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह आग्रह करना वांछनीय नहीं होगा कि क्योंकि "भाग-ग " शब्द वहां हैं, इसलिए भाग 'ग' राज्यों से आने वाले प्रत्येक सदस्य को इस पर बोलने का अधिकार है। परन्तु मुझे उस पहलू पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं निगरानी रख रहा हूँ और मैं वही तरीका अपनाऊंगा जो सबसे उचित होगा।

श्री द्विवेदी : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर दें, जो भाग-ग राज्यों से संबंधित है और जिनका मामला यहाँ विचाराधीन है।

माननीय अध्यक्ष : उन्हें अपना मामला कहने दीजिए। परन्तु माननीय सदस्य तो उस श्रेणी में नहीं आते।

श्री द्विवेदी : श्रीमन्, मैं विन्ध्य प्रदेश से आता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मुझे खेद है। हां, विन्ध्य प्रदेश है। परन्तु मैं उनको प्राथमिकता देना चाहता हूँ, जो स्वयं अनुसूचित जातियों से हैं। अन्य सदस्यों को थोड़ा सहयोग करना चाहिए और अनुसूचित जातियों के लोगों को पूरा मौका देना चाहिए। मैं माननीय सदस्य श्री मूलदास को बोलने का अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि वह उस जाति के हैं। मेरे पास सूची है और मेरे विचार में यह बात है कि कौन उस जाति के हैं और किन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए।

श्री एम.बी. वैश्य (बम्बई) : श्रीमन, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत इस

विधेयक पर हुई बहस को सुनने के बाद मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव के बाद ही, जो हमारे सच्चे हिमायती थे, हम यह महसूस करने लगे कि हम भी इंसान हैं। कई स्थानों पर माननीय डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के लोग अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा खुश थे और अब नेहरू सरकार के अधीन वे खुश नहीं हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। हमारा देश सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध है। पांच वर्ष के बालक प्रहलाद में अपने पिता के सामने सत्य बोलने का साहस था। हम हरिजनों के लिए महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया और वर्तमान कांग्रेसी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, फिर भी हमारी दशा इतने लम्बे अर्से से खराब होती जा रही है। हमारी गरीबी आसानी से दूर नहीं की जा सकती।

हमारे लिये बहुत कुछ करना होगा। परन्तु जब मैं देखता हूँ कि हमारे नेता हमारे लिये भरसक प्रयास नहीं कर रह हैं, तो मुझे बहुत दुःख होता है। ठीक–ठाक चलती गाड़ी के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिये। भारत में सेवा के मार्ग को हमेशा योगियों का मार्ग माना गया है। और हम सदियों से उसी मार्ग पर चलते आ रहे हैं और हमने हर संभव तरीके से समाज की सेवा की है। स्वराज्य आंदोलन के दौरान कम से कम मेरे राज्य, गुजरात में तो, लोगों ने हमारे दूसरे मित्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और इसीलिये हम भिखारियों की तरह उनसे कोई भीख नहीं मांगना चाहते। आज हम समानता और भाईचारे के आधार पर उनसे अपने न्यायोचित अधिकार मांगते हैं। आज हमारी अपनी सरकार है और संसद और इसके सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे हमारे साथ न्याय करें। इस सब चीजों के बावजूद भारत में अभी भी ऐसे बहुत से स्थान हैं, जहां हमारे दूल्हे घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, हरिजनों को बसों में नहीं बैठने दिया जाता और हमारी महिलाओं को महंगे वस्त्र और आभूषण नहीं पहनने दिये जाते। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी जगह ऐसी स्थिति है। निस्संदेह हमारे लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। परन्तु मैं इतना कृतघ्न नहीं हूँ कि हमारे कल्याण के लिये इतना किये जाने के बावजूद यह कहूँ कि हमारे लिये कुछ नहीं किया जा रहा है तथा हम अंग्रेजों के जमाने में अधिक खुश थे। 'फूट डालो और राज्य करो' की उनकी नीति के कारण अंग्रेजों ने हमारे में से कुछ पढ़े–लिखे लोगों को चुन लिया था और उन्हें वे अपना बराबर का साथी मानते थे तथा उन्हें हर संभव तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश करते थे। वे लोग अंग्रेजों के जमाने में अधिक खुश थे। परन्तु आज समूचे हरिजन समुदाय को लाभ मिल रहा है और सरकारी पक्ष में बैठे हमारे प्रतिनिधि सरकार पर दबाव डालकर हमारे लिये बहुत कुछ करा सकते हैं। परन्तु सरकार की बदनामी करके और उसके खिलाफ जाकर हमें कोई लाभ नहीं होगा, उलटे भारी हानि होगी। डॉ. अम्बेडकर एक महान् विद्वान है। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वे ऐसे

शब्द न कहें, जो हमारे समुदाय को कृतघ्न सिद्ध कर दें। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से करतब दिखाये हैं और यह भी मेरे विचार में उनका एक करतब है। यह भी एक वैसी ही चालाकी हो सकती है जैसी भगवान श्री कृष्ण दिखाया करते थे। परमात्मा हमें चालबाजियों की इन लीलाओं से बचाओ। हम उस देश के प्रति कृतघ्न नहीं हो सकते, जिसमें हमने जन्म लिया है और जिसकी हमने पूरी योग्यता से सेवा की है। हमसे एक समय अपना धर्म-परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। परन्तु हमने संसार को दिखा दिया कि हम किसी भी कीमत पर अपने देश के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे जहां हमारा जन्म हुआ है और हमने जिस धर्म को अपनाया है उसका त्याग नहीं करेंगे। हम अपने जीवन की बलि दे सकते हैं, परन्तु हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। अतः अंत में मैं यही कहूंगा........

माननीय अध्यक्ष : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य अपने दिल की बात कहने के लिये बहुत उत्सुक है, परन्तु मुझे खेद है कि हम इस सभा में ऐसे विषय की शुरूआत करने जा रहे हैं, जिस पर हम सभा के बाहर अच्छी चर्चा कर सकते हैं। इस समय हमें इस विधेयक के संबंध में बोलना है। एक-दो बात यदि सभा को प्रभावित करने के लिए कही भी जाती है, फिर भी हमें चाहिये कि अनुसूचित जातियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी राजनीतिक या अन्य विवाद में नहीं पड़ना चाहिये। ये विवाद सभा के बाहर चल सकते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक के बाहर न जाएं। मैं माननीय सदस्य के भाषण के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था और न ही मैं उनके उत्साह को कम करना चाहता हूँ और उन्हें अब मामले के गुणवगुण तक ही सीमित रहना चाहिये। मैं देख रहा हूँ कि वे इस पर कब बोलेंगे।

श्री एम.वी. वैश्य : आपने इस संबंध में जो विनिर्णय किया है वह वास्तव में बहुमूल्य है और हम उसके अनुरूप आचरण करेंगे। परन्तु मुझे माननीय डॉ. अम्बेडकर से कुछ कहना है। उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह सरकार की ओर से लाया गया है और वह अवश्य ही आवश्यक होगा। इसलिए यह हरिजन निस्संदेह उसका समर्थन करेंगे। परन्तु मुझे जो कहना था वह मैं संक्षेप में कह चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो यहां कहा है उसके लिए वह मुझे माफ कर देंगे और आप भी मुझे माफ कर देंगे।

(श्रीमती दुर्गाबाई पीठासीन हुईं)

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : मेरे मित्र माननीय मंत्री बहुत जल्दी में हैं, परन्तु मुझे कुछ बहुत ही जरूरी बातें कहनी है। यह कोई एक या दो विशेष जाति की बात ही नहीं परन्तु यह सारा तरीका है जिसमें लोक-प्रतिनिधित्व, निर्वाचन संबंधी नियम और विनियमों को लिया जा रहा है, असन्तोषजनक है। हमने 1950 में एक विधेयक पारित किया था जो अब 1950 का अधिनियम संख्या 43 है। हम जानते हैं कि यह किस प्रकार प्रस्तुत

किया गया था, और उपबंधों में संशोधन कराने तथा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए इस सभा को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तब हमने शीघ्र ही एक संशोधनकारी विधेयक पास किया था जो अब 1950 का अधिनियम संख्या 23 है और जिसके माध्यम से हमने राज्यसभा में भाग-ग राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। तब हमने कुछ समय तक कोई विधेयक पारित नहीं किया था, हालांकि इस समय सभा के सामने दो विधेयक लम्बित हैं परन्तु हमने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से दो अधिसूचनाएं जारी कराई थीं। एक अधिसूचना 10 अगस्त, 1950 को और दूसरी 6 सितम्बर, 1950 को जारी की गई थी, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामों की सूची दी गई थी। मेरी पहली शिकायत इन दोनों अनुच्छेदों 341 और 342 के अधीन सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में है। अनुच्छेद 341 के दूसरे भाग के अंतर्गत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अधिसूचित सूची में उपांतर करके, उसमें कुछ जोड़ने या उसमें कुछ कम करने का अधिकार संसद को ही है। इन सूचियों को अधिसूचित करना बिल्कुल उचित और सांविधानिक था। परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि माननीय मंत्री को इस सभा को भी इन अधिसूचनाओं में उल्लिखित सूचियों पर विचार करने तथा उनकी छानबीन करने का अवसर देना चाहिये था। मैं नहीं जानता कि माननीय विधि मंत्री ने अभ्यावेदन देखें भी हैं या नहीं, परन्तु मेरे पास बहुत सी जातियों के पत्र आये हैं, जिनमें शिकायत की गई है कि उन्हें इन सूचियों में शामिल नहीं किया गया है। राज्यों के एक विशेष वर्ग के लिए एक छोटा-सा विधेयक लाने के बजाय-मैं इस विधेयक पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसका समर्थन कर रहा हूँ-यदि माननीय मंत्री इन दोनों सूचियों के संबंध में इस सभा के सदस्यों के लिए कोई ऐसा तरीका निकालते, जिसमें कि हम भी उन सूचियों की छानबीन कर सकते और लोगों को भी यह मालूम होता कि उनके अधिकारों की कहां तक रक्षा की जा रही है, तो बेहतर होता। यह लम्बी बहस और इस सभा के सदस्यों की उत्सुकता, मेरा विचार है, इसी तथ्य पर आधारित है। यदि सब कुछ व्यवस्थित होता और जहां तक भाग-क और ख राज्यों का संबंध है, यदि समुचित जांच होती जो कि हर मामले में बहुत आवश्यक है-यह भाग-ग राज्यों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की अनुपूरक सूची है-तो इस सभा में बहस बहुत कम होती। सदस्यों की उत्सुकता कम होती और हमारी शिकायतें भी ज्यादा नहीं होती। परन्तु यह सभी कुछ बड़े अजीब ढंग से किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए।

हमें केवल एक समेकित कानून बनाना चाहिये जिनमें इन सब बातों की व्यवस्था होनी चाहिये। तब हर महीने सूची में कुछ घटाने या बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय मंत्री से मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूँ कि इन अधिसूचनाओं के अधीन दी गई सूचियां पूर्ण नहीं हैं। बहुत-सी जातियों के लोग महसूस

करते हैं कि उन्हें नाजायज तरीके से छोड़ दिया गया है और यदि हम उन सूचियों को उन सूचियों से मिलायें जो 1935 के ऐक्ट के अंतर्गत 'आर्डर-इन-कौंसिल' का आधार थीं, तो हम पाएँगे कि बहुत-सी जातियों को निस्संदेह छोड़ दिया गया है। यदि यह कहा जाये कि जिन जातियों को छोड़ दिया गया है, वे अब अछूत नहीं रहीं और उनकी सामाजिक स्थिति बदल गई है, तो अलग बात है। हमें नहीं मालूम कि सभा इसे स्वीकार करेगी या नहीं, लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। जब हमने 1935 ऐक्ट की अधिसूचियों के रूप में इन सूचियों को तैयार कराया था, तब काफी जांच की गई थी और लोगों को बताया गया था कि उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें किस के लिए लड़ना चाहिये। परन्तु इस अवसर पर ऐसी कोई बात नहीं की गई। मुझे पता नहीं कि ये सूचियां जिन्हें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ प्रकाशित किया गया है किसने तैयार की हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस विधेयक में उल्लिखित सूचियों के बारे में क्या जांच की गई है। ये बातें लोगों के दिमाग में उत्सुकता जगाती हैं और इसलिए सरकार को इस संबंध में एक ऐसा तरीका निकालना चाहिये, जो अधिक से अधिक लोगों को संतोषजनक लगे।

यह विधेयक विशेष मेरे विचार में आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ भाग-ग राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रस्ताव है। मेरे विचार में इसकी सूचियां तैयार की जानी चाहिएं और यहाँ उन्हें एक बार में बनाया गया है या नहीं यह एक अलग बात है। परन्तु यह विधेयक अनावश्यक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे संविधान में ऐसा कोई निश्चित उपबंध है, जिसके अनुसार हम इस विधेयक को अधिनियमित कर रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूँ, इस विधेयक को लाने का एक ही औचित्य है कि जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, वहां उनके लिए कुछ सीटें अवश्य आरक्षित कर दी जानी चाहिएं। यह केवल इसलिए है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उपबंध है। मैं नहीं जानता कि क्या संविधान में कोई ऐसा उपबंध है, जिसके अनुसार हम यह व्यवस्था कर सकते हैं। यदि कोई है तो वह अनुच्छेद 341 और 342 में है, जो भाग-ग राज्यों पर लागू नहीं होते। यह एक तकनीकी आपत्ति है। मैं चाहता हूँ कि भाग-ग राज्यों में भी सीटों का आरक्षण होना चाहिए और अनुसूचित जातियों के नामों की सूची बनाई जानी चाहिए। इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। परन्तु मैं चाहूंगा कि जब मेरे माननीय मित्र अपना उत्तर दें, तो वह यह जरूर बतायें कि संविधान में वह उपबंध कहां है जिसके अनुसार यह प्रतिनिधित्व दिया जाना ईप्सित है और यह विधेयक एकदम नियमानुकूल है?

जहां तक सूचियों का संबंध है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को यह जानने के लिए कि उसके अधिकारों की कितनी रक्षा की जा रही है और समय दिया जाना चाहिए था। मुझे बहुत से समुदायों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो चाहते हैं कि उनके नाम शामिल किये जायें। यह भी सम्भव है कि बहुत से पिछड़े लोगों को अभी तक पता ही न चला हो

कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो उनके अधिकारों को प्रभावित करता है। हो सकता है उनके अधिकार खतरे में पड़ जायें, क्योंकि हम इसमें बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। उस दृष्टि से मुझे हैरानी नहीं होगी यदि बहुत-सी जातियां सूचियों में शामिल होने से रह जायें और जिन्हें हमसे शिकायत हो। यदि हम इन सूचियों को 1930 और 1931 में तैयार किये गये 'आर्डर-इन-कौंसिल' से जो 1935 के अधिनियम का अंग बन गया था, मिलान करें तो हम पायेंगे कि बहुत-सी जातियों को छोड़ दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने एक और अधिसूचना जारी की है। दिल्ली में अनुसूचित जातियों की सूची में कम से कम 64 प्रविष्टियां हैं, जबकि इस अनुसूची में केवल 39 हैं। यह अंतर क्यों हैं और इन जातियों को क्यों छोड़ा गया है? मैं माननीय मंत्री के उत्तर देने तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। पर अन्तर बहुत ज्यादा है और मैं नहीं मानता कि इसका क्या आधार है। मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित कराने की इतनी जल्दी न करें। कैबिनेट मंत्रियों की यही चिंता है। वे तो पांच या दस मिनट सभी कुछ कर लेना चाहते हैं मानों वे ही सब कुछ समझते हैं और दूसरे लोगों का यहां कोई योगदान नहीं है हालांकि वे भी लोगों के प्रतिनिधि हैं। यह दृष्टिकोण मुझे कतई पसन्द नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर हमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैं उनसे उन लोगों की ओर से आग्रह करूंगा जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में और इस सभा में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि वे इस मामले में जल्दबाजी से काम न लें। मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विचार करते समय हम इस मामले पर समग्र रूप से विचार करें और इसे हमेशा के लिए निपटा दें।

श्री सोनावाने ने ठीक ही कहा कि आजकल बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं और देश की आबादी बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। मध्य प्रदेश से बहुत से लोग यहां दिल्ली में आकर बस गये हैं। उदाहरण के लिए यदि आप महारों और कुछ अन्य अनुसूचित जातियों को जो यहां आकर स्थायी रूप से बस गई हैं, यहां की सूचियों में शामिल नहीं करेंगे तो वे जातियां अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगी। इन सब बातों की जांच करनी होगी, क्योंकि यह कोई अस्थायी चीज नहीं है। यह तो अन्त में संविधान का अंग बनेगी। यह तो एक स्थायी व्यवस्था है, जो हमें उम्मीद है कई साल चलेगी। इन परिस्थितियों में इस विधेयक पर विचार करने में यदि कुछ और दिन लग जाते हैं, तो वह समय की बर्बादी नहीं होगी; वह समय का सुदपयोग होगा। अतः इस विधेयक को पारित करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। केवल इस विधेयक को ही पास करके हम बहुत आगे नहीं बढ़ जायेंगे।

अभी बहुत-सी कठिनाइयां हैं। इसलिए मुझे सन्देह है कि हम अगले नवम्बर या दिसम्बर में चुनाव करा सकेंगे या नहीं, क्योंकि परिसीमन कार्य बड़ा भारी सरदर्द होगा। निर्वाचन आयुक्त जो करेंगे और परिसीमन समितियों ने जो निर्णय लिया है, उसमें भारी

अंतर है। आप सदन में इन बातों में परिसीमन समितियों के निर्णयों की उपेक्षा करके जल्दबाजी से काम नहीं ले सकते और येनकेन प्रकारेण चुनाव नहीं करा सकते। और भी बहुत सी रुकावटें आयेंगी, जिनमें समय लगेगा। यदि यही सब होगा तो इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये और इस प्रकार उन लोगों को प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं करना चाहिए, जो इस विधेयक की अनुसूचियों में शामिल होना चाहते हैं। मैंने दो जातियों के संबंध में एक संशोधन दिया है, परन्तु ऐसी और भी बहुत-सी जातियां होंगी, जो चाहेंगी कि उन्हें सुना जाये। मेरा आग्रह है कि इस पूरे मामले को थोड़ा-थोड़ा करके यहीं निपटाया जाना चाहिये। हमें एक समेकित विधेयक लाना चाहिए, ताकि जिस प्रकार की आपत्तियां की गई हैं, वे आगे न हों। मैं अपना संशोधन पेश करूंगा और आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री आर. वेलायुधन (ट्रावनकोर-कोचीन) : मेरी इस विधेयक पर बोलने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे विचार में इसमें किसी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने यह विनिर्णय किया कि इस सभा के बाहर जो बातें उठाई गई हैं, उसके लिए सदन के समक्ष इस विधेयक पर हो रही बहस में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मैं अपने आपको एक या दो बातों तक ही सीमित रखूंगा, हालांकि इन बातों का उल्लेख कुछ माननीय सदस्यों द्वारा पहले किया जा चुका है क्योंकि मेरे विचार में यही समय है जब हमें अनुसूचित जातियों से संबंधित अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए।

यह सदन ही नहीं समूचा देश अनुसूचित जातियों की समस्याओं में रुचि ले रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो महान् कार्य किया गया है, उसी के कारण हम इन जातियों के प्रतिनिधि के रूप में सदन में मौजूद हैं। परन्तु मैं यहां, हमारे महान् नेता डॉ. अम्बेडकर ने जो महान सेवाएं की हैं, उनका भी उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे विचार से महात्मा गांधी, श्री जिन्ना और डॉ. अम्बेडकर ऐसी विभूतियां हैं, जिन्हें लोगों का भरपूर प्यार और आदर मिला है......

श्री सोनावने : और जिन्होंने देश का बंटवारा किया है।

श्री आर. वेलायुधन : और जो इस शताब्दी में लोगों के भाग्य और विचारों को एक दिशा दे सके हैं, अतः आदर के पात्र हैं।

श्री सोनावले : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह सब विधेयक से संगत हैं?

श्री आर. वेलायुधन : हां।

माननीय अध्यक्ष : जिस माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है उसे बिना किसी टोका-टोकी के सुना गया है। मेरे विचार में वह वही विशेषाधिकार अन्य सदस्यों को भी देना चाहेंगे।

श्री सोनावने : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय नहीं दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री आर. वेलायुधन : मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि माननीय डॉ. अम्बेडकर ने, जो यह विधेयक लाये हैं और सब राजनीतिक संतों में महानतम गांधीजी ने, जिन्होंने असंख्य पद्दलित और अनुसूचित जातियों के लोगों की महानतम सेवा की है, इस देश के लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया है। इसलिए मेरे विचार में कुछ माननीय सदस्यों ने किसी ऐसे नेता पर कीचड़ उछालकर, जिसके इस समय भी अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक अनुयायी हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया।

जहां तक इस विधेयक के उद्भव का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध के बारे में बहुत पहले सोचा गया था। यद्यपि संविधान की रचना माननीय विधि मंत्री समेत बड़े-बड़े विधिवेत्ताओं और अधिवक्ताओं द्वारा की गई थी, तथापि यह बड़ी हैरानी की बात है कि वे लोग भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व के उपबंध संविधान में शामिल करना बिल्कुल भूल गए।

इस विधेयक को, जिसके माध्यम से भाग-ग राज्यों की अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जा रहा है, तैयार करने को लेकर काफी सांविधानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लोगों ने अपने दिलों को बहुत टटोला। यह विधेयक समुचित विधान है अथवा नहीं, इसे लेकर विवाद था और इस सदन में कल एक सदस्य तो अपना विरोध प्रकट करते हुए यहां तक कह गये कि भाग-ग राज्यों के अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने तो सदैव इस बात पर विश्वास किया है और मैं अपने स्कूल के दिनों में यह कहता भी रहा हूँ कि अनुसूचित जातियां जिस अन्याय को सह रही हैं, उसके लिए सीटों का आरक्षण और अन्य प्रकार का आरक्षण कोई रामबाण नहीं है। इस बात को लेकर मेरे डॉ. अम्बेडकर के साथ भी मतभेद रहे हैं। परन्तु साथ ही जब आपने भाग-क और ख राज्यों को आरक्षण दिया, तो भाग -ग राज्यों के लोगों को, जिनका संसद में अथवा संबंधित स्थानीय निकायों में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इससे वंचित रखना अन्यायपूर्ण होगा।

जैसा कि डॉ. देशमुख ने कहा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में, न केवल इस विधेयक में, बल्कि भाग-क और ख राज्यों के लिए राष्ट्रपति के आदेश में भी बहुत त्रुटियां हैं। मैंने इस संबंध में संविधान सभा की कार्यवाही को भी देखा है। उस समय यह कहा गया था कि 1935 के अधिनियम में तैयार की गई

सूचियों को ही नये संविधान के अंतर्गत चुनावों के समय स्वीकार कर लिया जायेगा। परन्तु जब राष्ट्रपति का आदेश आया, तो उसमें उस अधिनियम में शामिल बहुत-सी जातियों को छोड़ दिया गया और इस समय उसमें लगभग सभी भाग-क और ख राज्यों की थोड़ी-सी अनुसूचित जातियां और जनजातियां ही शामिल हैं। मेरे विचार में यह बिना किसी प्रयोजन के नहीं किया गया। यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि वे उन सभी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को, जो 1935 के अधिनियम में थीं, शामिल कर लेते तो आरक्षित सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाती। कुछ राज्यों में तो उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में 13 लाख खटीक हैं, उन सभी को राष्ट्रपति की सूची में शामिल नहीं किया गया। यदि उन्हें शामिल किया जाता, तो उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों की ही होती। और यह कोई मामूली बात नहीं होती कि उन्हें भाग -क राज्य में इतनी सीटें मिल जातीं कि वे उस राज्य की राजनीति और राज्य को प्रभावित करने की स्थिति में होते। इसलिए उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया, ताकि राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कम से कम हो। यह हालत उत्तर प्रदेश के ही कुछ अन्य राज्यों में भी हैं। परन्तु अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्यों में ये सूचियां 1935 के अधिनियम के अनुसार "तैयार" की गई हैं। इसलिए समूची सूची को नये सिरे से तैयार करना होगा और संविधान सभा में स्वर्गीय सरदार पटेल ने जो वचन दिया था कि 1935 के अधिनियम की सूची को आगामी चुनाव के लिए संसद में स्वीकार कर लिया जायेगा, उसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिये और इस प्रकार दिवंगत नेता के साथ, राष्ट्रपिता के साथ और उन लाखों करोड़ों अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ, जिन्हें जाति या समुदाय के आधार पर कुछ विशेषाधिकार मिल रहे हैं, न्याय किया जाना चाहिए।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भी हम यह कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, मैं मद्रास का रहने वाला हूँ परन्तु मैं किसी अन्य राज्य जैसे मम्बई में जाकर किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। अतः यह संवैधानिक कठिनाई है जिसे संसद ही दूर कर सकती है। मैं ट्रावनकोर-कोचीन से आता हूँ परन्तु मैं बम्बई जाकर वहां किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। यह मेरी जाति के साथ भेदभाव है, क्योंकि सवर्ण जातियों के लोग अपने दल के आधार पर या किसी और आधार पर भारत में कहीं भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से ही नहीं संसद से भी यह अनुरोध है कि वह इन संवैधानिक विषमताओं को शीघ्रातिशीघ्र दूर करे। मेरा निवेदन है कि पहली सूची में से जिन जातियों के नाम निकाल दिये गये हैं, उन्हें शामिल करना होगा और एक न्यायोचित सूची तैयार करनी होगी, ताकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया गया आरक्षण न्यायोचित आधार पर हो। अन्यथा इस आरक्षण को बिल्कुल हटा दीजिये और तब हम सभी के साथ बराबरी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे भविष्य में बहुत आशायें हैं और मेरी जाति का भविष्य भी उज्जवल है। वे पद्दलित हैं और उन्हीं का

भविष्य है। मैं आशा विहीन नहीं हूँ। डॉ. अम्बेडकर निराशावादी हो सकते हैं, परन्तु जहां तक मेरा संबंध है और अनुसूचित जातियों के नौजवानों का संबंध है, मैं और वे अपनी आजादी की लड़ाई बराबरी के आधार पर लड़ने का पर्याप्त साहस रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष : शांति, शांति। माननीय सदस्य विधेयक का विरोध कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं?

श्री आर. वेलायुधन : मैं विधेयक का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह अनुरोध कर रहा हूँ कि तथ्यों का ठीक-ठीक पता लगाकर जहां-जहां आवश्यक हो, वहां-वहां तैयार की गई सूची में परिवर्तन किये जायें। इस अनुरोध के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री देश बंधु गुप्ता (दिल्ली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विधेयक में भाग-ग राज्यों के हरिजनों को लोक सभा में प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर सभा में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के प्रस्तावक डॉ. अम्बेडकर ने जो यह कारण बताया है कि जब इस सभा के समक्ष लोक प्रतिनिधित्व विधेयक लाया गया था, तब इसका उल्लेख स्पष्टरूप से नहीं किया गया था, सही नहीं लगता। यह आरक्षण तो दस वर्ष की अवधि के लिए एक अस्थायी आरक्षण पर और सम्भवतः इसी कारण से कुछ क्षेत्रों को आरक्षण के बिना छोड़ देना वांछनीय समझा गया था, ताकि यह देखा जा सके कि क्या हरिजन आरक्षण के बिना भी लोक सभा में चुन कर आ सकते हैं। (एक माननीय सदस्य : इसमें तो बहुत संदेह है।) मेरे मित्र कह रहे हैं कि इसमें बहुत संदेह है। मैं इस पर उनसे कोई शर्त नहीं लगाना चाहता। परंतु जहां तक दिल्ली का संबंध है, मैं विधेयक के प्रस्तावक और अन्य मित्रों को यह बता दूं कि दिल्ली और अजमेर ही केवल दो ऐसी जगह हैं, जहां पुराने शासनकाल में भी संयुक्त मतदान था, जबकि शेष सारे देश में पृथक मतदान था और इसी आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया था, तो दिल्ली ने ही संयुक्त मतदान के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार को जिसका प्रतिक्रियावादी ताकतों ने भारी विरोध किया था, सेन्ट्रल असेम्बली में चुन कर भेजा था। यद्यपि कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार का विरोध करने के लिए भारत के सभी भागों से विरोधी शक्तियां दिल्ली में जमा हो गई थीं, तथापि दिल्ली ने संयुक्त मतदान के सिद्धांत को सर्वोपरि ठहराया और अल्संख्यक समुदाय के उम्मीदवार को चुनकर भेजा। मैं इसे एक विशेष सम्मान की बात समझता यदि दिल्ली और भाग-ग राज्यों को सीटों के आरक्षण के बिना हरिजन उम्मीदवारों को चुनकर भेजने का अवसर दिया जाता। इससे हमें यह अंदाजा भी हो जाता कि दस वर्ष बाद जब आरक्षण नहीं होगा, तो स्थिति क्या होगी। परन्तु मेरे मित्र इस विधेयक के प्रस्तावक ने, जो दुर्भाग्य से हमेशा अलग ही सोचते हैं, इस विधेयक को लाना ठीक समझा। अब चूंकि विधेयक पुरःस्थापित कर

दिया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जहां तक इस विधेयक का संबंध है, न तो सिद्धांत और न ही सारतः इसका विरोध किया जा सकता है।

फिर भी मैं एक या दो टिप्पणियां करना चाहूंगा। माननीय मंत्री ने जो भाषण दिया था। उसका उल्लेख कई सदस्यों द्वारा किया जा चुका है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु उनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस ने 1921 में दलित जातियों की अशक्तताओं को दूर करने का कार्य अपने कार्यक्रम में शामिल किया था, उससे पहले भी दिल्ली, आल इंडिया दलितोद्धार सभा का मुख्यालय थी। इस सदन की नींव स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद द्वारा रखी गई थी। उन्होंने ही 1920 में कांग्रेस के कार्यक्रम के कलकत्ता अधिवेशन में हरिजनों की अशक्ततायें दूर करने का काम कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल करने हेतु संकल्प पेश किया था। जलियांवाला बाग कांड के बाद इंडियन नैशनल कांग्रेस के अमृतसर में हुए अधिवेशन की स्वागत समिति के सभापति के रूप में दिये गये अपने अभिभाषण में उन्होंने हरिजनों की असमर्थताओं का प्रश्न उठाया था और कांग्रेस को इसका महत्व समझने के लिए राजी किया था। यदि माननीय मंत्री, जिन्होंने निस्संदेह हरिजनों के उद्धार के लिए कार्य किया है और हरिजन नेता के रूप में उनका काफी ऊंचा स्थान है, इस तथ्य को स्वीकार कर लेते, तो बहुत ही बढ़िया होता। परन्तु दुर्भाग्य से उनकी नीति और उनका सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। यदि मुझे दिल्ली के हरिजनों के उद्धार के लिए किये गये संघर्ष के इतिहास का उल्लेख करना होता.......

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि तब माननीय अध्यक्ष पीठासीन थे तो उन्होंने एक विनिर्णय दिया था कि यहां किसी आरंभिक बात को छोड़कर, डॉ. अम्बेडकर के भाषण का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक के गुणावगुण पर ही बोलें।

श्री देशबंधु गुप्ता : मैंने उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं तो केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सीटों के प्रस्तावित आरक्षण के बिना भी, दिल्ली एक हरिजन उम्मीदवार को चुनकर भेज सकती है। जब विधेयक संसद के समक्ष लाया जा रहा था, तब मेरे मित्र ने एक दुर्भाग्यपूर्ण भाषण दिया था, परन्तु मैंने तो उसका उल्लेख भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तो उनको यह बताना चाहता हूँ कि क्योंकि वे बम्बई से आते हैं इसलिए वे सम्भवतः दिल्ली की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं। उन्होंने तो बस यही किया है कि उन्होंने दिल्ली की पूरी आबादी को हरिजन मानने का प्रयास किया है। उनका दिल्ली की सांविधानिक प्रगति में केवल यही योगदान है। इसके लिए वे अपने आपको बधाई दे सकते हैं, क्योंकि इसी तरह वे बराबरी ला सकते हैं। हरिजनों का दर्जा बढ़ाने के बजाए उन्होंने गैर-हरिजनों का दर्जा घटाने का प्रयास किया है और इस प्रकार

दोनों को एक ही राजनीतिक स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूँ कि दिल्ली में 1921 में और उससे भी पहले विदेशी सरकार जिस पर वे आजकल इतने मोहित हो रहे हैं, हरिजनों का देश के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध प्रयोग कर रही थी और उनका शोषण भी करा रही थी। सितम्बर, 1921 में पीपुल्स पार्क में दलित जातियों का एक विशाल अखिल भारतीय सम्मेलन उन दिनों प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए हुआ था, जब सारा देश इसके खिलाफ था। दलित जातियों के नेताओं के इस रवैये के बावजूद, स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिजनों के उद्धार के लिए आरम्भ किया गया। आन्दोलन जारी रहा, क्योंकि वे महसूस करते थे कि हरिजनों की आवश्क्तताओं को दूर करना उनका कर्त्तव्य है और यह हरिजनों पर कोई एहसान नहीं है। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद पर पुरानी अंग्रेज सरकार के समर्थकों द्वारा हमला किया गया था। इनमें वे लोग भी थे जो मेरे माननीय मित्र के साथ उस समय थे, जब वे हरिजनों के मंदिरों में और कुओं आदि पर जाने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। यह सब इतिहास बन चुका है जिसे भूला नहीं जाना चाहिए। अतः मैं इसे एक सम्मान की बात समझता यदि दिल्ली को इस विधेयक में शामिल नहीं किया जाता और उसे एक हरिजन को बिना आरक्षण के चुनकर भेजने का अवसर दिया जाता। इससे यह भी साबित हो जाता है कि दस साल बाद जब आरक्षण नहीं होगा, तो हरिजन उम्मीदवारों को चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह विधेयक हो या न हो, दिल्ली को बराबर का दर्जा प्राप्त है। वे जिन अशक्तताओं के बारे में शिकायत कर रहे हैं, वे देश के उस भाग में होंगी जहां से वे चुनकर आते हैं। जहां तक इन क्षेत्रों का संबंध है, स्वामी श्रद्धानंद और स्वर्गीय लाला लाजपतराय जैसे समाज सुधारकों और अन्य आर्यसमाजी नेताओं ने जो सामाजिक कार्य किया है, उसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उन्होंने इस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया और इस विधेयक को पारित करते समय इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री द्विवेदी : जहां तक इस विधेयक के सिद्धांतों का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मैंने इस सदन में कई बार सुझाव दिये हैं कि भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक भाग-ग राज्यों के प्रशासन और विकास का संबंध है वह मुद्‌दा इस सभा में हम विधेयक को पेश करने से पहले उठाया जाना चाहिये था। परन्तु इस विधेयक के महत्व को समझे बिना सरकार जल्दबाजी में इस विधेयक को ले आई। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार लोक-प्रतिनिधित्व और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए आवश्यक सुधार लाने के बारे में इतनी उत्सुक नहीं है, जितना इस विधेयक के बारे में। फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा। परन्तु साथ ही मैं यहां एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा,

जैसाकि दिल्ली के बारे में पूर्व वक्ता श्री देशबंधु गुप्ता ने कहा, कि हम इस विधेयक के बिना भी हरिजन प्रतिनिधि को चुनाव जिता देते। तभी यह कहा जा सकता है कि हम हरिजनों के साथ कितनी उदारता का व्यवहार करते हैं। विन्ध्य प्रदेश में कांग्रेस और सार्वजनिक कार्यकर्ता हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और जैसा कि श्री देशबंधु गुप्ता ने कहा, दिल्ली में उन्हें प्रतिनिधित्व के अवसर पहले ही दिये चुके हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विन्ध्य प्रदेश में अस्पृश्यता स्कूलों में तथा रोजमर्रा के व्यवहार में समाप्त कर दी गई है और वहां हरिजनों को सभी समान रूप से प्यार करते हैं और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। उनके लिए अब एक नया विधान अधिनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि यह विधेयक हमारे समक्ष आ गया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, परन्तु मैं इस संबंध में कुछ बातें भी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि लोक सभा में विन्ध्य प्रदेश के लोग इतने अनपढ़ और पिछड़े हुए हैं कि वहां ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, जो संसद में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें और लोगों का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें। ऐसा हरिजनों के मामले में ही नहीं है, सवर्ण हिन्दू भी निरक्षरता के शिकार हैं। श्री ठक्कर ने एक बार कहा था कि वयस्क मताधिकार देने से पहले लोगों को साक्षर बनाया जाना चाहिये था। हमने शिक्षा के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। दिल्ली में जबकि नये स्कूल खोले गये हैं और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है और गांवों में भी शिक्षा-सुविधायें प्रदान की गई हैं, विन्ध्य प्रदेश में इस बारे में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मेरे एक पूर्व वक्ता, श्री सोनावने ने इस विधेयक का भारी समर्थन किया। मैं भी उनके साथ सहमत हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था के अभाव का उल्लेख किया? वे आजकल आधुनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं से भी वंचित हैं। खेरुआ जैसे स्थान पर एक गरीब मजदूर को चार आने प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है जबकि ठेकेदारों को इसकी लगभग दुगुनी दर पर ठेका दिया जाता है। अतः बेहतर यह होता कि वे माननीय सदस्य, जो हरिजनों की हिमायत लेते हैं स्वयं उन स्थानों पर जाते, उनकी दशा सुधारने के कोई ठोस उपाय करते और सरकार के शिक्षा विभाग से कहते कि वह हरिजनों को शिक्षा-सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करे। वास्तव में वे अपने हितों में अधिक रुचि रखते हैं, वे यहां उनके प्रतिनिधि के रूप में चुन कर आना चाहते हैं और वे हरिजनों के हितों की परवाह नहीं करते। जब तब वे हरिजनों की भलाई के लिए ठोस काम नहीं करेंगे, तब तक उनकी ख्याली बातें उनके व्यर्थ का आलाप हैं, जिसे मैं पसन्द नहीं करता, क्योंकि इससे देश का कोई भला नहीं होगा। हमें अनुसूचित जातियों के लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जब वे संसद में चुन कर आयें, तो यहां अपना कर्त्तव्य ठीक से निभा सकें, वर्ना उन्हें चुनने से कोई लाभ नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य और समय लेना चाहते हैं।

श्री द्विवेदी : हां, श्रीमन्।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न भोजन-काल के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन मध्याह्न-भोजन काल के पश्चात ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

(पं. ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए।)

श्री द्विवेदी : श्रीमन्, सदन में मैंने जो बातें कही वे आपने सुनी होंगी। मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने राज्यों को विभिन्न भागों में उसी तरह बांट रखा है, जैसे कि हमारा समूचा समाज विभिन्न श्रेणियों में बंटा हुआ है जैसे सवर्ण, अवर्ण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि।

श्री अमोलक चंद (उत्तर प्रदेश) : माननीय मंत्री को उपस्थित नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : वह जल्दी आ जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : उनकी जगह किसी और मंत्री आ जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : वह एक या दो मिनट में आ जायेंगे। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री द्विवेदी : मैं यह कह रहा था कि राज्यों को भी उसी तरह वर्गीकृत कर दिया गया है। जिस तरह लोगों को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों में बांटा गया है। मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि वे इस विधेयक में उल्लिखित विभिन्न भागों के बारे में उसी तरह विधान लाने की बात क्यों नहीं सोचते, जिस तरह उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में विधेयक पेश किया है।

श्री सिवन पिल्ले (ट्रावनकोर-कोचीन) : श्रीमन्, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में मंत्रियों की सभी सीटें खाली पड़ी हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री शीघ्र ही आ जायेंगे।

श्री द्विवेदी : मेरे विचार से मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : हां।

श्री गोयन्कर (मद्रास) : सुनेगा कौन?

श्री द्विवेदी : मेरे विचार में जो मैं कहूंगा उसे कार्यविधि में नोट कर लिया जायेगा। उदाहरण के लिए, विन्ध्य प्रदेश के कुछ भागों को अन्य राज्यों में मिला दिया गया है। रामपुर, टिहरी गढ़वाल और कुछ अन्य राज्यों को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में

और संसद में भी उचित संरक्षण दिया गया है, परन्तु विन्ध्य प्रदेश के उन इलाकों की ओर, जिनका इस विधेयक में उल्लेख किया गया है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री गोएन्का : वे शिकायत कर रहे हैं कि सदन में सत्तापक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सत्तापक्ष सदन के लिए एकदम अनावश्यक है।

श्री द्विवेदी : चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विधान लाया गया है, हमारी पहली चिंता यह होनी चाहिए कि हम उन इलाकों को, जिनका विलय हो गया है। ऐसा न समझें कि उन्हें कोई भी कहीं भी रख सकता है। इन इलाकों को राज्य विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

अब, श्रीमन् मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 330 के खंड-2 में कहा गया है :

"(2) खंड 1 के अधीन किसी राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या यथाशक्य वही होगा, जो स्थिति उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जो जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।"

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि चूंकि 1950 के अधिनियम 43 में भाग-ग राज्यों समेत सभी राज्यों में सीटों के आबंटन के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है और संविधान के अनुच्छेद 330 के खंड 2 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीटें जनसंख्या के अनुपात में आबंटित की जायेंगी, इस विधेयक के लाने का कोई कारण नजर नहीं आता। संविधान के अनुच्छेद 341 में विशेष रूप से कहा गया है :

"(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।"

इसी तरह अनुसूचित जाति के संबंध में अनुच्छेद 342 में एक उपबंधकिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन राष्ट्रपति को एक अधिसूचना जारी करके यह सब करने का अधिकार है तो फिर यह विधेयक लाने की क्या आवश्यका थी। यदि अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के लिए इस प्रकार के

विधान की व्यवस्था है तो वह विधान तो पहले ही अधिनियमित हो चुका है और यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो संविधान में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ऐसा विधान लाया जाना चाहिये। इसलिए जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य ने कहा है, यह विधेयक "अनावश्यक है"। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस कानूनी पेचीदगी की ओर ध्यान दें, ताकि बाद में इसे लेकर उच्चतम न्यायालय में कोई कानूनी झगड़ा न हो। माननीय मंत्री एक जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ हैं और इसीलिए वह इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि इस विधेयक में कानूनी पेचीदगियां हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस विषय पर प्रकाश डालें और यदि आवश्यक हो तो इस विधेयक में तदनुसार संशोधन करें या इस पर विचार करने के बाद इसे वापस ले लें, क्योंकि जैसा कि श्री देशबंधु गुप्ता ने कहा है और विन्ध्य प्रदेश के प्रतिनिधि ने भी इसका समर्थन किया है। ऐसी कोई शर्त नजर नहीं आती कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तभी प्रतिनिधित्व मिलेगा जब इस प्रकार का विधान अधिनियमित हो जायेगा। उन्हें प्रतिनिधित्व इस प्रकार के विधान के बिना भी मिल जायेगा। वर्तमान विधेयक में अन्तर्ग्रस्त कानूनी पेचीदगियों की ओर सदन का ध्यान दिलाना मेरा कर्त्तव्य है।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री संविधान के अनुच्छेद 82 का सहारा ले सकते हैं, जो इस प्रकार है :

"अनुच्छेद 81 के खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, पहली अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र के, जो भारत के राज्य-क्षेत्र में तो हो, परन्तु किसी राज्य में उक्त खंड में उपबन्धित आधार या रीति के सिवाय किसी अन्य आधार पर या रीति से सम्मिलित न हो, लोक सदन में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकेगी।"

संसद को उपयुक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत ऐसा विधान अधिनियमित करने का अधिकार है और उसने अनुच्छेद 330 का खंड 2 पहले ही अधिनियमित कर रखा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा आबंटित सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में होगी। इन परिस्थितियों में ऐसे किसी विधेयक की आवश्यकता नहीं थी। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस कानूनी पेचीदगी को दूर किया जाये। जहां तक मैं समझता हूँ, माननीय मंत्री ने इस आशय की कोई बात नहीं कही है और इसीलिये मैंने सदन का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया है।

इसके अतिरिक्त, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यहां पेश किया गया था, तो विन्ध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 3 लाख थी। इसमें अन्तःक्षेत्र विलय अधिनियम के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में ढाई लाख से तीन लाख की जनसंख्या और शामिल हो गई। उस समय यह तय हुआ कि विन्ध्य

प्रदेश को छह सीटें आबंटित की जाएँगी। अब जनगणना हो चुकी है। मुझे बताया गया है कि विन्ध्य प्रदेश की जसंख्या में पांच लाख की बढ़ोतरी हो गई है। इन परिस्थितियों में विन्ध्य प्रदेश को और सीटें आबंटित की जानी चाहिए। इसलिए मैं यह महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा कि पहले हमें यह सोचना चाहिये कि ये दो सीटें कैसे आबंटित की जायें। यदि इस संबंध में निर्णय विन्ध्य प्रदेश की परिसीमन समिति से परामर्श करके लिया जाये तो बेहतर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विन्ध्य प्रदेश की आबादी में पांच लाख की वृद्धि हो गई है। इसलिए इन आबंटित सीटों की संख्या के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व विधेयक में संशोधन करके एक और सीट के वृद्धि की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

डॉ. परमार (हिमाचल प्रदेश) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने की नहीं बल्कि सरकार को भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस सदन में यह कहा गया है कि विधि मंत्री इस विधेयक को बेकार और कुछ अन्य बाह्य कारणों से लेकर आये हैं। मैं इससे बिल्कुल समहत नहीं हूँ और मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक को लाकर विधि मंत्री और भारत सरकार ने जो किया है वह संविधान में निर्धारित नीति का ही कार्यान्वयन है।

इस मामले में दिल्ली और विन्ध्य प्रदेश के मेरे मित्रों की भावनाएं जो भी हों–और उनकी भावना यह है कि इस विधेयक के बिना भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों का लोक सभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। मैं किन्हीं निश्चित कारणों से इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के विषय में कुछ जानकारी रखता हूँ और उसके आधार पर कह सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने जो कुछ किया है उसके बावजूद हमारा तंत्र इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अनुसूचित जातियों में उस उत्साह का अभाव है जो संविधान के साथ आना चाहिए था। अत: हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प हैं कि अनुसूचित जातियों के साथ आगामी चुनावों में समुचित न्याय किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है उसे देखते हुए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं यह सिद्ध करने के लिए कि यह विधेयक कितना जरूरी है, एक या दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। लगभग चार महीने पहले 4 जनवरी, 1951 को हिमाचल प्रदेश सलाहकार परिषद ने सरकार से सिफारिश की थी कि अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम को, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त है–हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर दें क्योंकि उन क्षेत्रों की अनुसूचित जातियां बहुत ही अशक्तताओं से पीड़ित हैं। राज्य सरकार के किन्हीं लोगों से यह जानकर मुझे

बड़ी हैरानी हुई कि उनमें से कुछ यह सोचते हैं कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है जैसी कि मद्रास में है और न ही लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि उक्त अधिनियम को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाये। यदि केन्द्रीय सरकार का भी ऐसा ही विचार है तो मुझे खेद है कि काफी कुछ जो करना बाकी है, वह नहीं हो पायेगा।

जब हाल ही में मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र गया, तो अनुसूचित जातियों के कुछ लोग, जो कोली के नाम से जाने जाते हैं, वहां हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमूर में मुझे मिले। उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई कि उस जाति के कुछ लोगों ने अपनी कल्याण संबंधी कुछ समस्याओं पर विचार करने के लिए एकत्र होने का प्रयास किया। वहां के भूस्वामियों ने उन पर हमला किया, उनके हाथ-पैर बांध दिये और लगभग तीन दिन तक उन्हें बन्दी बना कर रखा। यदि नये संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के साथ यही सब होना है तो मुझे खेद है कि हमें इस मामले पर बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि हमारा तंत्र नये विचार करने के लिए अपने को अभी तक तैयार नहीं कर सका है। वे अभी तक पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और चूंकि समूची सेवाओं में से एक में भी अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुझे इस घटना के बारे में उन्हीं लोगों ने नहीं बताया, जिनके साथ यह घटना हुई है बल्कि उन लोगों ने भी बताया जिन्होंने पुलिस और स्थानीय कांग्रेस समिति के साथ सम्पर्क किया जिसने इस मामले को अपने हाथ में लिया ताकि इन लोगों के साथ न्याय हो सके। परन्तु पुलिस यह महसूस करती है कि वह अपराधियों को नहीं पकड़ सकेगी क्योंकि कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उन अनुसूचित जाति के लोगों को जो काश्तकार हैं, यह कहा गया है कि यदि वे भूस्वामियों के खिलाफ गवाही देंगे तो वे कहीं के नहीं रहेंगे और उनकी जमीनें छीन ली जायेंगी। इसीलिए उन्हें अब प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि उनमें से एक को यहां आकर वस्तु-स्थिति बताने का मौका मिल सके। इससे उन लोगों पर प्रतिक्रिया होगी जो नहीं बदले हैं और जो वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि जब तक हम इस समस्या को हल नहीं करेंगे और भाई-चारे की भावना में हल नहीं करेंगे, तब तक भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा सामाजिक ढांचा नहीं सुधरेगा और यह छिन्न-भिन्न हो जायेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि यह विधेयक ठीक समय पर लाया गया है।

श्री पी.वाई. देशपांडे (मध्य प्रदेश) : मैं माननीय विधि मंत्री का और सदन का ध्यान ऐसे कानूनी पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूँ जिनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इस विधेयक में 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है और यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाया गया है। मेरा निवेदन यह है कि यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

में पहले ही मौजूद है। अधिनियम की धारा 3 में, जिसमें संशोधन किया जा रहा है, लोक सभा में सीटों के आबंटन की व्यवस्था है, जिसकी उप-धारा (2) में कहा गया है कि "पहली अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक राज्य को उस राज्य के सामने उसके दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित सीटें आबंटित की जायेंगी।" पहली अनुसूची में भाग-ग राज्यों को भी सीटें आबंटित की गई हैं। प्रश्न उठता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति है? उसकी भी व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 6, उप-धारा (2 में कहा गया है, "इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों, यदि कोई हों की संख्या (क)..........(ख)............, (ग).......... और (घ)............ निर्धारित करेगा।" यह धारा राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार देती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह विधेयक एकदम अनावश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 330 में व्यवस्था की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1930 तो सांविधानिक निदेश का पालन ही करता है और भाग-ग राज्यों के लिए सीटों का उपबंध करता है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करता है। अतः मुझे लगता है कि केवल एक बात को सन्देह में छोड़ दिया गया है। और वह यह है कि उन विशेष जातियों और जनजातियों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिन्हें अनुसूचित जातियां और जनजातियां कहलाने का हक होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 330 और 392 के अधीन ही नहीं बल्कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत भी जिसे इस विधेयक द्वारा संशोधित किया जा रहा है, किया जा सकता था। जैसा कि भाग-क और ख राज्यों के बारे में किया गया है। यद्यपि मैं तहेदिल से इस विधेयक के उद्देश्य के साथ सहमत हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उनके प्रतिनिधित्व के संबंध में सभी सन्देह दूर किए जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब इन जातियों और जनजातियों के नामों का उल्लेख करने वाले राष्ट्रपति के आदेश से काम चल सकता है, और अब ऐसा आदेश संसद के समक्ष लाया जा सकता था और जैसा कि भाग-क और ख राज्यों के सबंध में हुआ, उनमें भी संसद द्वारा संशोधन परिवर्तन अथवा उपांतरण किया जा सकता था। इससे उन राज्यों के लोगोंको संशोधनों के सुझाव देने, राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित जातियों और जनजातियों में और नाम जोड़ने या हटाने के लिए अधिकार दिया जा सकता था तो फिर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी? जो इस विधेयक के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है, वह राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा, जिसमें जातियों और जनजातियों के नाम होते, और उस आदेश को सभा के समक्ष रखकर और फिर बाद में वही प्रक्रिया अपनाकर जो भाग क और ख राज्यों के संबंध में अपनाई गई थी, किया जा सकता था। मैं आशा करता हूँ कि विधि मंत्री इस पर विचार करेंगे और हमें यह समझायेंगे कि यह विधेयक क्यों आवश्यक है।

कैप्टेन ए.पी. सिंह : मैं इस विधेयक के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं हूँ, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध करता है। इसमें जो बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं, उनके बारे में मुझे केवल यही कहना है कि मैं डॉ. अम्बेडकर के विचारों से सहमत हूँ। उन्होंने स्वयं कहा है कि अनुच्देद 341 और 342 भाग-क और ख राज्यों के संबंध में लागू होते हैं और अनुच्छेद 330 और 332 भी क और ख राज्यों के बारे में लागू होते हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा है कि भाग ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट उपबंध नहीं हैं। उन्होंने यह बात उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्वीकार की है। अब वे यह महसूस करते हैं क्योंकि इन लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित करना आवश्यक है, इसलिए संसद में विधान अधिनियमिति करके उन्हें प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वे संसद के लिए यह करने की विशेष शक्तियां चाहते हैं। इस विधेयक को लाने के पीछे उनका यही उद्देश्य है।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जब संविधान की रचना की जा रही थी, तो वे स्वयं संविधान सभा के सदस्य थे। यदि हम जानना चाहते हैं कि भाग ग राज्यों के लिए उपबंध क्यों नहीं किया गया तो हमें संविधान की भावना पर विचार करना होगा कि मात्र ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया गया? उसके कोई निश्चित कारण रहे होंगे। यहां तक मैं समझ सकता हूँ भाग ग राज्यों की समूची जनसंख्या को हरिजन समझा गया, क्योंकि उन सभी को पिछड़े लोग माना गया था। सीटों के आरक्षण का यह अधिकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को केवल इसलिए दियाा जाता है कि वे पिछड़े वर्ग हैं और चूंकि इन राज्यों के लोगों को पिछड़े वर्ग के लोग माना गया है, इसलिए उन्हें पृथक प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है। अत: अब ऐसा कोई उपबंध नहीं है तो क्या हमें इस बात के लिए सहमत हो जाना चाहिए कि उन्हें कोई अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई पृथक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? मेरा निवेदन यह है कि संविधान में एक और भी धारा है जो ऐसा उपबंध करती है और उन्हें उस अनुच्छेद के अंतर्गत जो मेरे विचार में भाग ग राज्यों के संबंध में है, ये अधिकार दिये जाने चाहिए। वे अनुच्छेद 239 और 240 हैं। श्रीमन् मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 240 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसके अनुसार इन लोगों को यह अधिकार दिया जा सकता है। अनुच्छेद 239 विशेष शक्तियों के संबंध में है और अनुच्छेद 240 इस प्रकार है :

"(1) संसद, विधि द्वारा, पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट तथा मुख्य आयुक्त अथवा उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिए–

(क) उस राज्य के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए कोई निकाय, नामनिर्देशित, निर्वाचित, आंशिक रूप से नाम निर्देशित अथवा आंशिक रूप से निर्वाचित; अथवा

(ख) सलाहकारों अथवा मंत्रियों अथवा दोनों की एक परिषद, प्रत्येक प्रकरण में, ऐसे सदस्यों द्वारा और शक्तियों तथा कृत्यों के साथ, जैसे विधि द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं,

गठित कर सकेगी अथवा जारी रख सकेगी।

(2) ऐसी कोई विधि, जैसी कि खण्ड (1) में उल्लिखित है, अनुच्छेद 369 के प्रयोजनार्थ, इस बात के होते हुए भी इसमें ऐसा उपबंध है, जो संविधान में संशोधन करता है अथवा संशोधन करने का प्रभाव रखता है, इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।"

अर्थात् संविधान के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु तब एक बात निश्चित है और वह यह कि हमें भाग ग राज्यों में लोगों को अधिकार देने होंगे। अच्छा होता यदि माननीय डॉ. अम्बेडकर एक स्पष्ट विधेयक लाते, जैसा कि उन्होंने भाग ख राज्यों के मामले में घोषित किया था कि भाग 6 निम्नलिखित संशोधन के साथ उन पर लागू होगा। उसी तरह वे कह सकते थे कि भाग 6 निम्नलिखित उपांतरण के साथ भाग ग राज्यों पर भी लागू होगा। मैं इसकी ओर माननीय डॉ. अम्बेडकर का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है :

"भाग 6 के उपबंध प्रथम, अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्यों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे उस अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित उपांतरों और लोपों के अधीन लागू होते हैं, अर्थात्:"

इसी प्रकार वे निम्नलिखित उपबंध भी कर सकते थे :

"भाग 6 के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग ग में उल्लिखित राज्यों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे उस अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्यों के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरों और लोपों के अधीन लागू होते हैं, अर्थात्:"

यदि इस उद्देश्य और प्रयोजन का विधेयक लाया गया होता और जिसमें यह व्यवस्था होती कि भाग 6 के सभी उपबंध होंगे, तो वह अपने आप ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या को हल कर देता। परन्तु उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना है यानी वे पिछवाड़े से प्रवेश करना चाहते हैं। वे सीधा और गलत रास्ता नहीं अपनाते जिसे प्रत्येक माननीय मंत्री अपनाता है और जो उन्हें भी अपनाना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर शायद यह कहेंगे कि यह राज्यों के मंत्रिमंडल का काम है, उनका नहीं। माननीय मंत्री ने कई बार मेरे साथ बातचीत के दौरान यह विचार व्यक्त किया है। परन्तु मैं तो पूरी सरकार को लेता हूँ, चाहे वह डॉ. अम्बेडकर हो, या श्री अयंगर हो या गृह मंत्री हों। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा विधेयक बहुत बेहतर होता। परन्तु ऐसा न करके उन्होंने सभी गड़बड़ कर दिया है, जिसके कारण सभी जगह लोग शिकायत कर रहे हैं।

उन्हें इस विधेयक को स्थगित कर देना चाहिए और इसके स्थान पर एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसके माध्यम से भाग क राज्यों वाली सभी शक्तियां भाग ग राज्यों को भी मिल सके। तब यह उद्देश्य स्वत: ही पूरा हो जायेगा। वे इस सभा के संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस विधेयक के जरिये, वे केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ही अधिकार दे रहे हैं। परन्तु हम सह हरिजन हैं और इसलिए ऐसा कदम उठाने से पहले अन्य सभी लोगों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से अलग करना होगा, अर्थात् उन्हें पहले अधिक अधिकार देने होंगे, जैसा कि भाग क और भाग ख राज्यों के मामले में किया गया है। उन्हें पहले यह करना चाहिए और फिर इस प्रकार का विधेयक लाना चाहिये वर्ना मेरी राय में यह सब व्यर्थ है।

इसके ब्यौरे पर विचार करने और इसके कारण बताने में काफी समय लगेगा। श्री अय्यंगर ने भी अपने भाषण में कहा है कि जहां हम हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश का संबंध है, उनके लिए एक विधेयक शीघ्र ही लाया जायेगा। यह तैयार हो रहा है और हम स्थायी समिति में हैं। समिति ने इस पर विचार कर लिया है और यद्यपि इस समय यह बहुत असन्तोषजनक है, तथापि हम आशा करते हैं कि इसमें लोगों की इच्छाओं के अनुरूप आवश्यक सुधार कर दिये जायेंगे। अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली को भी एक सीट आबंटित की जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि दिल्ली को यह अधिकार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यह कहा जा रहा है कि चूंकि यह देश की राजधानी है, इसलिए हमें यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। श्रीमन् मैं यह कहना चाहूंगा कि जब कलकत्ता भारत की राजधानी था तो वहां भी लेफ्टिनेंट गर्वनर था, परन्तु कलकत्ता के लोगों को पूरे अधिकार प्राप्त थे। इसी तरह शिमला भी वर्ष की कुछ अवधि के लिए भारत की राजधानी रहा करता था और चूंकि वह पंजाब में था, लेफ्टिनेंट-गवर्नर भी वहां रहा करते थे। परन्तु दो सरकारों के एक स्थान से ही कार्य करने के कारण कभी कोई कठिनाई हुई। इसलिये यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्ली के लोगों को यह अधिकतर इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है। मैं तो यह महसूस करता हूँ कि दिल्ली के लोगों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए, क्योंकि वे तो राजधानी में ही रह रहे हैं। श्री रामचन्द्र ने कहा था : "सब ते प्रिय मोहि यहां के बासी, मम धम्दा पुरी सुखरासी (मैं अपने स्थान के लोगों को सबसे अधिक प्यार करता हूँ क्योंकि यह धनधान्य और समृद्धि की भूमि है।)। उन्होंने यह बात अयोध्या के लिए कही थी। अत: जब दिल्ली के लोगों को ही अधिकार देने में इतनी हिचकिचाहट है, तो मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अन्य लोगों को और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी राय में दिल्ली के लोगों को सन्तुष्ट रखना परमावश्यक है, क्योंकि यह भारत की राजधानी है और उन्हें किसी भी प्रकार से असंतुष्ट रखना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। अधिक उचित तो यह होता कि हम उस क्षेत्र में जिसका हम प्रशासन चला रहे हैं, जनमत संग्रह करा लेते।

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूँ कि हम दिल्ली की समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं?

कैप्टेन ए.पी. सिंह : चूंकि यह दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है, इसलिए मैं सोचा कि मुझे यह कहना चाहिए कि दिल्ली को भी वे अधिकार मिलने चाहिए हो हम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा केवल यही मतलब था। यदि ऐसी बात है तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि मणिपुर और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों की जिम्मेदार सरकारों को इन सुधारों से क्यों वंचित किया जा रहा है। औंध एक छोटा-सा राज्य है, परन्तु उसे सबसे पहले जिम्मेदार सरकार दी गई है। इसलिए मुझे इसका कारण समझ नहीं आता कि मणिपुर और त्रिपुरा जैसे अन्य छोटे राज्यों को एक जिम्मेदार सरकार से क्यों वंचित रखा जा रहा है और वहां एक तरह का जिम्मेदार प्रशासन स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे अन्य बहुत से राज्य हैं, जहां जिम्मेदार प्रशासन नहीं है, किन्तु मेरे पास उनके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है।

दूसरी बात मैं विन्ध्य प्रदेश के हरिजनों की जनसंख्या के बारे में कहना चाहता हूँ। वह कितनी है? अनुसूचित जनजातियों के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि दोनों की जनसंख्या लगभग नौ लाख है, अर्थात् कुल जनसंख्या के एक-चौथाई से थोड़ा सा कम। परन्तु उन्हें कुल आबंटित सीटों का एक-तिहाई दिया जा रहा है अर्थात् छह सीटों में से दो सीटें दी जा रही हैं जबकि उनकी आबादी एक-चौथाई से भी कम है। यदि माननीय डॉ. अम्बेडकर इसे उचित समझें और यह मेरा उनसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि उन्हें विन्ध्य प्रदेश को एक और सीट आबंटित करनी चाहिए, ताकि जनसंख्या का अनुपात किसी हद तक ठीक हो सके। यद्यपि मैंने इस आशय का कोई संशोधन पेश नहीं किया है तथापि यह मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि वे यह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बहत अच्छा होगा। मेरा माननीय डॉ. अम्बेडकर से अनुरोध है कि वे यदि उचित समझें तो इस विधेयक को रोक लें और इसके स्थान पर उस आशय का दूसरा विधेयक लाएं। यदि वे राजी हों तो मैं उन्हें अपना विधेयक दे सकता हूँ जिसे मैंने पूरी तरह तैयार कर रखा है। यह एक छोटा विधेयक होगा, जिसमें कहा जायेगा कि भाग ग राज्यों को और अधिक अधिकार दिये जायें और वहां जिम्मेदार सरकारें स्थापित की जायें। यदि यह कर दिया जाये, तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। मुझे केवल यही कहना है।

माननीय अध्यक्ष : मेरे विचार में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अत: मैं अब डॉ. अम्बेडकर को अपना भाषण देने के लिए बुलाता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कल जब श्री कपूर ने एक सांविधानिक प्रश्न उठाया कि संविधान में कतिपय अनुच्छेद हैं, जिन्हें देखते हुए यह विधेयक अनावश्यक है और मैं यह विधेयक किसी और उद्देश्य से लेकर आया हूँ, तो मुझे इस बात पर विश्वास

ही नहीं हुआ कि क्या श्री कपूर स्वयं अपने तर्क पर विश्वास करते हैं।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : आप कभी भी तथ्य में विश्वास नहीं करते।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे ऐसा लगता है कि उनका तर्क चल गया है और आज उसे कई सदस्यों ने सदन में दोहराया है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

इसलिए मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं इस सुझाव का खंडन करूं जो इस चर्चा के दौरान दिया गया है कि यह विधेयक अनावश्यक है। सदस्यों ने अनुच्छेद 330 का उल्लेख किया है, जिस पर उनका मुख्य तर्क आधारित है। यह सच है कि अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के लोक सभा में आरक्षण का उल्लेख है। इस विधेयक में हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं, वह कतिपय भाग-ग राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोक सभा में सीटों के आरक्षण के बारे में है। अतः इस अनुच्छेद का उल्लेख किया जाना संगत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 330 का सहारा लिया है, वे यह बिल्कुल भूल गये हैं कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का आधार अनुसूचित जातियों के नामों का उल्लेख अथवा उनकी परिभाषा होनी चाहिए। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि अनुसूचित जातियां क्या हैं और उनकी कुल जनसंख्या कितनी है, तब तक उनके व्यावहारिक और वास्तविक प्रतिनिधित्व के लिए कोई उपबंध करना किसी के लिए भी बिल्कुल असम्भव होगा। अतः प्रश्न यह है : क्या कोई ऐसा उपबंध है जिसके द्वारा संसद के अलावा किसी अन्य अधिकारी के लिए अनुसूचित जातियों की एक सूची तैयार करना सम्भव है ताकि हम मान सकें कि वे क्या हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है? इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 341 का उल्लेख करना आवश्यक है। अनुच्छेद 341 इस प्रकार है :

"(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य के संबंध में, वहां के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों का जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जायेगा।"

अनुच्छेद 342 में भी, जो अनुसूचित जनजातियों के संबंध में है, इसी प्रकार का उपबंध है। अनुच्छेद 341 के उप-खंड (2) में और अनुच्छेद 342 के उप-खंड (2) में एक परन्तुक है जो राष्ट्रपति को, एक बार आदेश देने के बाद, उसमें उपांतर करने से रोकता है। आदेश में उपांतर करने की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के शब्दों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। परन्तु अधिसूचा जारी करने के उसके अधिकार से एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी है। वह शर्त यह है कि वह इसे राज्य

के राज्यपाल या राजप्रमुख के परामर्श से ही जारी कर सकता है। जो संविधान पढ़ेगा उसे पता चल जायेगा कि राज्यपाल या राजप्रमुख का उल्लेख करने का मतलब यह हुआ कि यह भाग क और ख के बारे में ही है, क्योंकि राज्यपाल अथवा राजप्रमुख केवल भाग क और ख राज्यों में हैं। यदि अनुच्छेद 341 में यह स्पष्ट रूप से कहा जाता कि राष्ट्रपति ऐसी अधिसूचना मुख्य आयुक्त के परामर्श से जारी कर सकते हैं, तो निस्संदेह यह मान लिया जाता कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत भाग ग राज्यों के संबंध में भी अधिसूचना जारी करने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ऐसा खण्ड अनुच्छेद 341 में नहीं रखा गया।

मेरे माननीय मित्र ने जो सबसे आखिर में बोले, पूछा कि मैं यह बताऊं कि भाग ग राज्यों में अनुसूचित जातियों के बारे में अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को देने के संबंध में संविधान में कोई उपबंध क्यों नहीं रखा गया। मेरे विचार में जब यह मामला संविधान सभा के समक्ष आया था, उस समय जिन सदस्यों ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा में भाग लिया था, उन्हें याद होगा कि इस प्रश्न पर काफी विवाद हुआ था। सभी ने यह महसूस किया था, कि इस क्षेत्र में राजनीति घुस जायेगी, किसी जाति विशेष को सूची से निकालने या सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर सलाह दी जायेगी। परिणामस्वरूप हमें इस अनुच्छेद का प्रारूप तैयार करने में सबसे अधिक सावधानी बरतनी पड़ी। इस बात पर भी दिल दिया गया है राष्ट्रपति को एक बार आदेश दिये जाने के बाद इसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी राजनीति आ जायगी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दोनों अनुच्छेदों में खंड (2) जोड़ा गया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि एक बार आदेश दिये जाने के बाद यदि उसमें परिवर्तन की मांग की जाती है तो वह परिवर्तन सदन द्वारा अनुसूचित जातियों के संसद सदस्यों की जानकारी से किया जाना चाहिए। इसी कारण इन अनुच्छेदों का प्रारूप पूरी सावधानी के साथ तैयार किया गया था।

मेरा कहना यह है कि जिन माननीय मित्रों ने यह कहा कि यह विधेयक अनावश्यक है, उन्होंने अनुच्छेद 341 को बिल्कुल नहीं समझा और उसे गलत पढ़ा है। जैसा कि मैंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणियों में कहा, जब तक हमें ये दो बातें पता नहीं होंगी कि अनुसूचित जातियां कौन हैं और उनकी जनसंख्या कितनी हैं, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की कोई योजना बनाना एकदम असम्भव है। जैसा मैंने कहा था यदि यह मामला अनुच्छेद 341 के अंतर्गत आता, तो भाग ग राज्यों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करने के लिए इस सदन में आना एकदम अनावश्यक होता, क्योंकि तब राष्ट्रपति को भाग ग राज्यों में अनुसूचित जातियों का और उनकी जनसंख्या काा पता लगाने के लिए वही शक्ति प्राप्त होती तो उसे भाग क और ख राज्यों में अनुसूचित जातियों के संबंध में है ताकि निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों का आसानी से परिसीमन

कर सकें। अत: मेरा निवेदन यह है कि इस तर्क में कोई सार नहीं है कि यह विधेयक सांविधानिक दृष्टि से अनावश्यक है।

मेरी माननीय मित्र श्री देशपांडे ने मुझे अलग ही इस आधार पर चुनौती दी है कि यह मामला पुराने अधिनियम अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में निपटा दिया गया है। उन्होंने उस अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों, यदि कोई हों, की संख्या निर्धारित कर सकता है। यहां भी एक कमी लगती है। इस अधिनियम में भाग ग और ख राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश का उल्लेख है। यह धारा 6 किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं है, जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। यह धारा उसी सूरत में लागू होगी जब राष्ट्रपति अधिसूचित कर सकेगा। इस समय तो हम विभिन्न भाग ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिनियमित कर रहे हैं, जहां हमारा उनके लिए सीटें आरक्षित करने का विचार है। अत: मेरा निवेदन यह है कि उनका तर्क उस विशेष अधिनियम के उपबंधों के बारे में पूरी गलतफहमी पर आधारित है।

इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि भाग ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध होना चाहिए। यहां तक तो ठीक है। विन्ध्य प्रदेश के दो सदस्यों ने कहा है कि दो सीटें लेकर एक अनुसूचित जातियों के लिए और दूसरी अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य प्रतिनिधित्व बहुत कम हो गया है। प्रथम दृष्टि में तो मैं इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि सभी छह सीटें सवर्ण हिन्दुओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए थीं। मैं इस तर्क को नहीं मानता। विन्ध्य प्रदेश को ये सीटें केवल सवर्ण हिन्दुओं के लिए नहीं दी गई हैं, बल्कि उन राज्यों के सभी निवासियों के लिए दी गई हैं। उन्होंने मुझसे अपील की है कि मैं यह देखूं कि विन्ध्य प्रदेश को लोग सभा को आबंटित सीटों के कोटे में एक सीट की वृद्धि न होने पाये। आपको मालूम है कि संविधान में लोक सभा के लिए एक निश्चित अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और वह मेरे विचार में लगभग 500 है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं विन्ध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व का कोटा नहीं बढ़ा सकता, यदि वह उस अधिकतम सीमा के विरुद्ध होगा। यह एकदम असम्भव और असंवैधानिक होगा। हो सकता है कि अन्य भाग ग राज्य भी अपना कोटा बढ़ाने के लिए दावा करें क्योंकि वे भी वैसा ही व्यवहार चाहेंगे। इसलिए ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए कोई वायदा करना मेरे लिए कठिन होगा। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि मैं मामले पर विचार करूंगा और देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता।

विन्ध्य प्रदेश के मेरे मित्र ने मेरा ध्यान अनुच्छेद 240 की ओर दिलाया है। उनका तर्क था कि अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कार्यवाही करने के बजाय मैं संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत कार्यवाही कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वे इस बात से सहमत होंगे कि संविधान के जिन अनुच्छेदों के अंतर्गत मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, वे पूर्णतः वैध है। वे क्यों मुझे अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कार्यवाही को कह रहे हैं, इसका कारण वे बखूबी जानते हैं? और मैं इस बात पर आवश्यकता से अधिक प्रकाश नहीं डालना चाहता। मैं तो उन्हें केवल यह बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए अनुच्छेद 240 का उल्लेख करना अनावश्यक है, क्योंकि मेरी समस्या बिल्कुल भिन्न है। मेरी समस्या भाग ग राज्यों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है। मेरी समस्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान अथवा बाद में बनाई जाने वाली किसी स्थानीय विधानसभा या संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना नहीं है। जब भारत सरकार कुछ स्थानीय विधानमंडलों की स्थापना करने के प्रयोजन से मेरे मित्र को संतुष्ट करने के लिए कार्यवाही करेगी, तब निस्संदेह अनुच्छेद 240 का सहारा लेना होगा और उनमें भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु इस समय मेरे लिए अनुच्छेद 240 का सहारा लेना आवश्यक नहीं है।

अनुसूचित जातियों की सूची की काफी आलोचना की गई है। मैं नहीं समझ पाता कि इस तरह के मामले में संतोषजनक ढंग से कैसे निपटा जाए, क्योंकि भारत सरकार में जो भी व्यक्ति इस तरह के मामले से संबंधित है, कि कौन-सी जाति अनुसूचित जाति है और कौन-सी नहीं है, उसे भारत सरकार के उन अधिकारियों और एजेन्सीयों पर, जिन्हें मामले की जानकारी है, जानकारी के लिए निर्भर रहना होगा। हो सकता है भारत सरकार की उनकी एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी, उससे भिन्न है जो माननीय सदस्यों के पास है। इसलिए सरकार को अपने ही अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर रहना होता है। यदि कोई सदस्य यह सिद्ध कर देता है कि हमने जो सूची तैयार की है, उसमें कोई भारी गलती की है, तो मैं इस प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार करने के लिए तैयार हूँ।

मेरे मित्र डॉ. देशमुख सरकार से बहुत ज्यादा असंतुष्ट नजर आते हैं और वे सोचते हैं कि सरकार हमेशा जल्दबाजी करती है। मैं नहीं जानता कि वे प्रत्येक विधेयक के लिए कितना समय चाहते हैं। शायद वे चाहते हैं कि पन्द्रह दिन दिए जाएं। मैं नहीं जानता कि वे उससे भी संतुष्ट होंगे या नहीं। उन्होंने सूची की अपर्याप्तता और गलतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मेरे मित्र डॉ. देशमुख मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि गोलमेज सम्मेलन का सदस्य होने के नाते मैंने इन तालिकाओं को तैयार करने में काफी मेहनत की थी। हमारे सामने एक बहुत गम्भीर समस्या थी। वह समस्या यह थी कि 1910 से ही जनगणना प्रतिवेदनों में यदि वे उन्हें देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ जातियों को अलग दिखाया गया था और उन्हें दलित जातियां कहा गया था। जब गोलमेल कांफ्रेंस में इन जातियों को

प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न उठाया गया तो यह पूछा गया कि दलित जातियों से क्या तात्पर्य है। ऐसे बहुत से लोग थे जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। परन्तु वे तकनीकी दृष्टि से अछूत नहीं थे। उदाहरण के लिए मनगारुदी जैसी कुछ जातियां थीं, जो अपराध करने वाली जनजातियां थीं, परन्तु तकनीकी तौर पर वे अछूत नहीं थीं। वे समाज से बाहर थीं, फिर भी अछूत नहीं थीं। उस समय जिस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया वह यह था कि क्या हम उन सभी लोगों को, जिन्हें जनगणना में दलित जातियां कहा गया था, प्रतिनिधित्व देंगे जिससे साधारण हिन्दू जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के भाग में बड़े पैमाने पर बंटवारा हो जाता या हम उस वर्ग को एक ऐसी निश्चित जाति बनाना चाहते थे। जो उन जातियों का प्रतिनिधित्व करती जिन पर अशक्तताएं लादी गई थीं और जो केवल पिछड़ी जातियां नहीं थी? अत: यह निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधित्व उन्हें ही दिया जाये, जो वास्तव में अछूत हैं और अन्यों को नहीं। कुछ लोगों ने अछूत शब्द को पसन्द नहीं किया और उन्होंने कहा "हम अछूत शब्द को नहीं चाहते।" अत: हमारे पास वहिष्कृत जातियां नामक एक पद था, उसे हिन्दुओं ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा "इनसे हमारा खून का रिश्ता है और वे हमारे भाई हैं। इसलिए हमें उनके लिए ऐसी पदावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि वे हमसे बाहर है।" और इसीलिए हमने अनुसूचित जातियां पर सोचा और मैं कहूंगा कि किसी हद तक मैं भी इसके लिए जिम्मेदार था। मैंने कहा कि यदि आप अछूत शब्द और वहिष्कृत जातियां शब्दों को पसन्द नहीं करते, तो अनुसूचित जातियां पद को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उन्हें आखिरकार अनुसूचित करना ही होगा। परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के लिए 1935 के अधिनियम के 'आर्डर इन कौंसिल' में जो सूची दी गई है, वह पूरे ध्यान से तैयार की गई है और मेरे दिमाग में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि इसमें किसी ऐसी जाति को शामिल नहीं किया गया जिसे वास्तव में शामिल किया जाना चाहिए था और न ही ऐसी किसी जाति को शामिल किया गया है, जिसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। यह वर्गीकरण पूरे मनोयोग से किया गया है। मैं अपने मित्र डॉ. देशमुख को बता दूं कि यहां बैठे हुए मैं अपने दिमाग में कुछ हिसाब लगा रहा था कि भारत शासन अधिनियम, 1935 के बाद 'आर्डर इन कौंसिल' में दी गई सूची और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में क्या अन्तर था। जहां तक इन सूचियों का संबंध है, स्थिति इस प्रकार है कि यहां सूची वर्णानुक्रम में हैं, और वहां वह प्रेसिडेंसी के अनुसार है। इस तरह असम में पंद्रह जातियां हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश में सूचीबद्ध किया गया है। मेरे विचार में वहाँ ऐसी कोई जाति नहीं है, जो 'आर्डर इन कौंसिल' में शामिल हो और जिसे छोड़ दिया गया हो–उसमें सभी जातियों को शामिल कर लिया गया है।

आप बिहार को ही लीजिए। वहां चौदह जातियों को उक्त 'आर्डर इन कौंसिल' में शामिल किया गया है और यहां जिन जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है उनकी संख्या इक्कीस है। उन्होंने यह किया है कि बिहार में समूचे राज्य

में कुछ जातियां अछूत थीं, परन्तु कुछ अन्य जातियां कुछ जिलों में अछूत थीं और कुछ जिलों में नहीं थीं। इसलिए उनकी सूची अलग से तैयार की गई। सम्भवतः गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते समय यह सोचा होगा कि यह क्षेत्रीय भेदभाव न किया जाए और उन सभी को अछूत माना जाए।

बम्बई में, कोई परिवर्तन नहीं है। पुराने 'आर्डर इन कौंसिल' में चौंतीस जातियों का उल्लेख है और इस अधिसूचना में छत्तीस जातियां दिखाई गई हैं। अर्थात् दो जातियां अधिक दिखाई गई हैं।

मेरे विचार में मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं पूरी सूची को लूं। जहां तक भाग 'क' राज्यों का संबंध है, मेरे विचार में वहां शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। भाग ख राज्यों के बारे में ऐसा आश्वासन देना मेरे लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भाग ख राज्यों के लिए ऐसी कोई सूचियां तैयार की गईं। परिणामस्वरूप सूचियां बहुत नई हैं। और हो सकता है उनमें कुछ गलतियां भी हों। मैंने देखा कि बलिया जैसी एक महत्वपूर्ण जाति का नाम सूची में नहीं है। भाग ख राज्यों के बारे में तुलना करने के लिए मेरे पास कोई आधार भी नहीं है। पर भाग क राज्यों की सूची एक समुचित सूची है।

मेरे मित्र ने दिल्ली का जिक्र किया और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए कुछ पत्र पेश किए। यह सच है कि सूची में काफी बड़ी संख्या दिखाई गई है, परन्तु मैंने इसकी जांच की है। और मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि इस विधेयक में जो सूची हमने शामिल की है, उसमें लगभग 90 प्रतिशत वे जातियां शामिल हैं। उसमें कुछ नाम दो बार आ गए हैं और कुछ जातियों को दो अलग नामों से पुकारा जाता है।

डॉ. देशमुख : 64 में से केवल 39 जातियां हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कुछ लोगों को रामदासिया और रविदासया भी कहा जाता है। कुछ लोग धानुक और धानु कहलाते हैं। यह जानना बहुत मुश्किल है कि वे दो जातियां हैं या दो अलग-अलग नामों से एक ही जाति है। मैं इस प्रकार की भूल को सुधारने और उन्हें दो अलग जातियां दिखाने के लिए भी तैयार हूँ।

एक माननीय सदस्य आंकड़े चाहते थे। मैं उन्हें बता दूं कि बिल्कुल सही अनुपात सुनिश्चित करने के लिए हमने पूरी सावधानी बरती है।

मेरे विचार में मैंने चर्चा के दौरान उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव पारित किये जाने की सिफाशि करता हूँ।

श्री ऐथिराजुलु नायडु : मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अनुच्छेद 341 और 342 में एक तरह से परिभाषा की गई है परन्तु यह भाग क और भाग ख राज्यों के संबंध में है और संविधान में भाग

ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अतः इस बात पर संदेह होता है कि क्या संसद संविधान में प्रयुक्त किसी शब्द की विधि द्वारा परिभाषा कर सकता है। (डॉ. अम्बेडकर : निस्संदेह)। क्या यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 392 के अधीन कार्यवाही करें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य उसी बात को दोहरा रहे हैं। यदि वे माननीय विधि मंत्री के उत्तर पर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे, तो उन्हें अपनी बात का उत्तर मिल जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 (नई धारा 3 क आदि का अन्तःस्थापन)

श्री जे.आर. कपूर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"खंड 2 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित धारा 3 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"3. क: भारत के संविधान के अंतर्गत लोक सभा में स्थान आरक्षित करने के प्रयोजनार्थ, छठी अनुसूची में उल्लिखित जातियां भाग ग राज्य के संबंध में, जिसके अंतर्गत वे इस प्रकार उल्लिखित की गई हैं, अनुसूचित जातियां होंगी और सातवीं अनुसूची में उल्लिखित जनजातियां भाग ग राज्य के संबंध में, जिसके अंतर्गत वे इस प्रकार उल्लिखित की गई हैं, अनुसूचित जनजातियां होंगी।"

मेरे संशोधन में अंतर्निहित बात यह है कि प्रस्तावित नई धारा 3 क की उप-धारा (1) नहीं रहेगी। जहां तक नई धारा की उप-धारा (2) का संबंध है, उसमें "भारत के संविधान के अंतर्गत लोक सभा में स्थान आरक्षित करने के प्रयोजनार्थ...." शब्द होंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बडेकर : यह संशोधन इस विधेयक की परिधि से बाहर है। हम कुछ भाग ग राज्यों में स्थान आरक्षित कर रहे हैं हम उन्हीं राज्यों के संबंध में सूची बना रहे हैं। संशोधन यह है कि सभी भाग 'ग' राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों की एक सूची होगी। यह तो एक अलग प्रश्न है।

श्री जे.आर. कपूर : मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र मेरे संशोधन का यह अर्थ कैसे लगा रहे हैं। मैंने अपने संशोधन में कहीं भी यह नहीं कहा है कि सभी भाग ग राज्यों के संबंध में एक अनुसूची होनी चाहिये। मैं तो केवल छठी और सातवीं अनुसूचियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जो विधेयक में ही दी गई है। मैंने कहीं भी कोई नई

अनुसूची जोड़ने या इन दोनों अनुसूचियों में संशोधन करने की कोई मांग नहीं की है। वे तो ज्यों की त्यों रहेंगी। हां, यदि उनमें किसी ऐसे संशोधन द्वारा जो सभा में पेश किया जाये और स्वीकार कर लिया जाये, संशोधन कर दिया जाये तो दूसरी बात है। मैंने अपने संशोधन में केवल यह सुझाव दिया है कि प्रस्तावित धारा 3 क की उप-धारा (1) का लोप किया जाये और जहां तक उप-धारा (1) का संबंध है, "हम अधिनियम के प्रयोजन के लिए" शब्दों के स्थान पर "भारत के संविधान के अधीन लोक सभा में स्थान आरक्षित करने के प्रयोजनार्थ" शब्द रखे जायें। मैं यह संशोधन इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा निश्चित विचार है जैसा मैंने कल कहा और आज उसकी पुनः पुष्टि कर रहा हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 330 में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है कि लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान आरक्षित किए जायेंगे और संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित "राज्य" शब्द में सभी राज्य शामिल हैं, चाहे वे भाग क राज्य हों या भाग ख हो या भाग ग हों। माननीय विधि मंत्री ने कुछ मिनट पहले विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि वह स्वीकार करते हैं कि अनुच्छेद 330 में स्थानों के आरक्षण के लिए स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है। परन्तु उनकी कठिनाई यह है कि अनुच्छेद 330 पर अमल तब तक नहीं हो सकता, जब तक भाग ग राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों की एक विशिष्ट सूची न हो और चूंकि ऐसी कोई सूची नहीं है और न ही ऐसी कोई सूची अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जा सकती है, यह आवश्यक था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक अलग सूची बनाई जाये। इसके लिए कल मैंने जो निवेदन किया था उसे दोहराना चाहूंगा कि अनुच्छेद 341 में ऐसा संशोधन किया जाता और उसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता, जिससे वह कठिनाई दूर हो जाती। वे यह अनुच्छेद 392 के अधीन कर सकते थे। परन्तु यह तर्क मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर को नहीं भाया। मैं यह तर्क आज फिर नहीं दोहरा रहा हूँ परन्तु यदि यह मान लें कि संसद के लिए एक ऐसी सूची पास करना जरूरी है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामों का उल्लेख हो, तो भी मेरा मूल तर्क अभी भी कायम है कि भाग ग राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोक सभा में सीटों का आरक्षण करने के लिए इस विधेयक में दोबारा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 330 में पहले ही स्पष्ट रूप से कर दी गई है। इसलिए प्रस्तावित धारा 3 क की उप-धारा (1) एकदम अनावश्यक है।

एक और कारण से भी खंड 3 क की उप-धारा (1) नहीं होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक रूप से सीटों के आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था ही नहीं है बल्कि यह उससे भी आगे जाकर भाग ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों की ओर से आगे जाकर भाग ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों की ओर से लोक सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या भी निर्धारित करती है। यह मेरे विचार में संविधान के प्रतिकूल है, क्योंकि अनुच्छेद 330 की धारा (2) के अधीन भाग ग राज्यों में अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लोक सभा में सीटें किस अनुपात में आरक्षित की जायेंगी, इसके लिए एक निश्चित फार्मूला दिया गया है। वे उनकी संख्या के अनुपात में होंगी। यहां संख्या की तो एकदम उपेक्षा की गई है और मनमाने ढंग से एक यहां और एक वहां, सीटें आरक्षित की गई हैं। हो सकता है आज विन्ध्य प्रदेश, दिल्ली आदि के किसी भाग ग राज्य में रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संख्या का मिश्रित रूप से पता हो, परन्तु पांच साल बाद स्थिति क्या होगी। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज सुबह ही मेरे माननीय मित्र श्री देशबंधु गुप्ता ने हमें बताया कि देश के विभिन्न भागों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली आएं और हो सकता है कि विधेयक में उल्लिखित विभिन्न भाग ग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़ों में अगले पांच वर्षों में कोई भारी परिवर्तन आ जाये। उस समय कठिनाई यह होगी कि हमें इस विधेयक में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसलिये चूंकि संविधान में ही एक मिश्रित फार्मूला दिया हुआ है, इस संसद को उस फार्मूले को नहीं बदलना चाहिए। किसी विशेष समय में यह पता लगाना कि भाग क, ख और ग में किसी राज्य विशेष के संबंध में लोक सभा में कितनी आरक्षित सीटें होंगी, निर्वाचन आयुक्त का काम है। अतः मेरा निवेदन है कि प्रस्तावित धारा 3 क का उप-खंड (1) संविधान के प्रतिकूल है और अनावश्यक भी है।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया :

"खंड 2 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित धारा 3 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :–

"3 क भारत के संविधान के अधीन लोक सभा में स्थान आरक्षित करने के प्रयोजनार्थ, छठी अनुसूची में उल्लिखित जातियां भाग ग राज्य के संबंध में, जिसके अंतर्गत वे इस प्रकार उल्लिखित की गई हैं, अनुसूचित जातियां होंगी और सातवीं अनुसूची में उल्लिखित जनजातियां भाग ग राज्य के संबंध में, जिसके अंतर्गत वे इस प्रकार उल्लिखित की गई हैं, अनुसूचित जनजातियां होंगी।"

श्री संथानम (परिवहन और रेल राज्य मंत्री) : क्या मेरे माननीय मंत्री यह सुझाव दे रहे हैं कि संसदीय विधान के बिना निर्वाचन आयुक्त किसी भी राज्य की सीटों की एक निश्चित संख्या आबंटित कर सकते हैं? यह कार्य तो संसद को करना होगा।

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, मुद्दा यह है कि अनुच्छेद 330 में यह आवश्यक निदेश पहले ही दिया हुआ है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होगा। इसलिए निर्वाचन आयोग को निदेश मिल चुका है और अब यह उसे देखना है

कि इसे कैसे अमल में लाया जाये। यह इस सदन का काम नहीं है कि वह यह देखे कि प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी सीटें दी जाएं........

श्री संथानम : श्रीमन्, यदि मैं इसको ठीक से समझ पाया हूँ, तो यह निर्देश संसद के लिए है, निर्वाचन आयुक्त के लिए नहीं। क्योंकि सीटों की वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयुक्त संख्या निर्धारित नहीं कर सकता।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह विनिर्दिष्ट अनुच्छेद 82 है, जो लोक सभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है :

"अनुच्छेद 81 के खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के, जो भारत के राज्यक्षेत्र में तो हो, परन्तु किसी राज्य में उक्त खंड में उपबन्धित आधार या रीति के सिवाय किसी अन्य आधार या रीति से सम्मिलित न हो, लोक सभा में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकेगी।"

हम जानते थे कि वही सिद्धांत भाग ग राज्यों पर लागू नहीं हो सकता, इसीलिए एक विशेष अनुच्छेद की रचना की गई।

श्री जे.आर. कपूर : क्या मैं बता सकता हूँ कि अनुच्छेद 82 को अनुच्छेद 341 से कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि जहां तक भाग ग राज्यों का संबंध है, लोक सभा में प्रतिनिधित्व का आधार, जैसा कि भाग क और भाग ख राज्यों के संबंध में अनुच्छेद 81 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भिन्न हो सकता है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत प्रतिनिधित्व का आधार है : प्रत्येक 6 से 7½ लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि पर अनुच्छेद 81 में सीटों के आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। अत: अनुच्छेद 82 की आड़ में, यह संसद अनुच्छेद 330 के विनिर्दिष्ट उपबंध की अवहेलना करने का अधिकार नहीं ले सकती। जैसा कि आपने सही फरमाया, श्रीमन्, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्त को कुछ हिसाब लगाने का निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है। यह तो एक थोड़ा-सा हिसाब-किताब है और इसके लिए संविधान-निर्माताओं ने संसद को परेशान करना ठीक नहीं समझा। यह मामूली हिसाब-किताब निर्वाचन आयुक्त कर सकता है और संसद को थोड़ा भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं है।

श्री संथानम : यदि आप अनुच्छेद 81(2) और (3) को देखें तो आप पायेंगे कि सभी फेरबदल संसद को ही विधि द्वारा करने होते हैं। प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के संबंध में संसद विधि द्वारा निर्णय लेगी, निर्वाचन आयुक्त अधिसूचना द्वारा संसद में स्थान आबंटित नहीं कर सकता।

श्री जे.आर. कपूर : मेरे माननीय मित्र श्री संथानम से जो बात अभी कही, उससे मैं सहमत हूँ और इस समय भी हम एक लोक प्रतिनिधित्व विधेयक पहले ही पारित कर चुके हैं। परन्तु हम इस समय जिस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, वह यह नहीं है

कि किसी राज्य विशेष से कितने व्यक्ति लोक सभा के लिए निर्वाचित किये जायेंगे। वह तो हम कर चुके हैं और हम इसमें संशोधन नहीं करेंगे और यदि हम चाहें तो भी हमें उसके लिए अलग से एक संशोधन विधेयक लाना होगा। परन्तु इस समय हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं, वह यह है कि भाग ग राज्यों के प्रतिनिधि के लिए हमने जो कुल सीटें निर्धारित की हैं, उनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जायेंगी? इस समय हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और हम उस सामान्य और बड़े मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं कि किसी एक राज्य को कितनी सीटें दी जायेंगी। प्रश्न केवल यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होनी हैं और उसके लिए मेरा निवेदन है कि हमें कोई विधान पास नहीं करना है। वह निदेश अनुच्छेद 330(2) के अंतर्गत दिया गया है और यह जानने के लिए कि (क) वहां अनुसूचित जातियां और जनजातियां कितनी–कितनी हैं और (ख) उनकी संख्या के आधार पर उनके लिए कुल सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित की जायेंगी, समय–समय पर थोड़ी गणितीय गणना करना निर्वाचन आयुक्त का काम है। इसके लिए प्रस्तावित धारा 3 क को अन्तःस्थापित करना अनावश्यक ही नहीं, बल्कि संविधान के विशिष्ट उपबंधों के प्रतिकूल है। इसलिए इसे हटा देना चाहिये। चूंकि यह संविधान के विपरीत है, इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है और मेरा अनुरोध है कि सदन को प्रस्तावित धारा 3 क के उप–खंड (1) को स्वीकार नहीं करना चाहिये और केवल उप–खंड (2) को उसी रूप में जिस रूप में मेरा संशोधन है, स्वीकार कर लेना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक शब्द और कहूँगा। यदि माननीय मंत्री की दलील है कि संविधान में यह उपबंध नहीं है कि भाग ग राज्यों के लिए लोक सभा में सीटें आरक्षित की जायेंगी, तो मुझे खेद है कि हम यहां ऐसा कोई उपबंध नहीं कर सकते, क्योंकि लोक सभा संविधान के विशिष्ट उपबंधों के अनुसार गठित की जानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसकी व्यवस्था संविधान में पहले ही की जा चुकी है। परन्तु यदि माननीय मंत्री इस बात को नहीं मानते तो इसमें बहुत खतरा है और उस स्थिति में हमें यह मानना पड़ेगा कि संसद को लोक सभा की रचना या गठन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। यह संविधान में कमी हो सकती है या हो सकता है यह जानबूझकर या गलती से छोड़ दिया गया हो। परन्तु यदि माननीय मंत्री का यह कहना है कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई हो, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरा मत है कि संविधान में यह व्यवस्था है। अतः उन्हें ऐसा खतरा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष आ सकता है और इसे चुनौती दी जा सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि सदन को मेरी बात मान लेनी चाहिए और मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : आज सुबह जब मैंने अपना भाषण दिया तब मैं इतनी बारीकी में नहीं गया था, परन्तु एक ही मुद्दे पर इतने भाषण सुनने के बाद मैं आशा करता हूँ और आपने भी देखा होगा कि जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची का संबंध है, माननीय मंत्री ने जो रुख अपनाया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि यह सूची केवल राष्ट्रपति द्वारा ही तैयार की जा सकती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अनुच्छेद 341 के अधीन केवल राष्ट्रपति ही संबंधित राज्यपाल या राजप्रमुख के परामर्श से इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची तैयार कर सकता है और भाग क और'ख राज्यों के संबंध में वह सूची राष्ट्रपति द्वारा तैयार की जा चुकी है तथा वह राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। परन्तु भाग ग राज्यों के लिए कोई सूची नहीं है। यदि ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति भाग ग राज्यों के लिए सूची तैयार कर सकें, तो मेरे विचार में ऐसा भी कोई अन्य उपबंध नहीं है, जिसके अंतर्गत यह सूची इस सदन द्वारा तैयार की जा सके।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि चूंकि संसद को अनुसूचित जातियों की सूची तैयार करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, इसलिए भाग क और ख'राज्यों के अलावा और कहीं अनुसूचित जातियों को मान्यता नहीं दी जा सकती? क्या वे यह कहना चाह रहे हैं?

पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हां, अनुच्छेद 330 में साधारण निदेश दिया गया है और वह यह है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार, सीटें आबंटित की जायेंगी और सीटों के आबंटन के बाद, निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्वचन-क्षेत्रों का परिसीमन.........

माननीय अध्यक्ष : इस समय आप परिसीमन को छोड़ दीजिये। पहले यह तय कीजिये कि अनुसूचित जातियां कौन हैं? दूसरी बात वह है, जो श्री कपूर ने उठाई है। पहले उस बात को साफ होने दीजिए।

पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेर 341 में दिये गये उपबंध को छोड़कर ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामों की सूची दी गई है। यदि संबंधित राजप्रमुख अथवा राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई सूची संसद के समक्ष इस संशोधन के लिए लाई जाती है कि भाग ग राज्यों के लिए सूची में अमुक जातियां शामिल कर ली जायें तो वह बात समझ में आ सकती है; वर्ना भाग ग राज्यों के लिए इन जातियों की सूचियों की व्यवस्था करने के लिए एक स्वतंत्र विधेयक लाने का संसद को अधिकार नहीं दिया

गया है। मेरा कहना यह है, अन्यथा मेरे माननीय मित्र बता सकते हैं कि संविधान के किस उपबंध के अधीन यह सदन इन जातियों की ऐसी स्वतंत्र सूची तैयार कर सकती है, जिसके आधार पर ये सीटें भाग ग राज्यों को आबंटित की जा सकें।

मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पहले मैं श्री कपूर के संशोधन को लेता हूँ। वह अनुच्छेद 330 का सहारा लेते रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध है। यदि मैंने उन्हें ठीक समझा है तो उनका कहना यह है कि यह उपबंध भाग क और ख राज्यों के लिए ही नहीं, बल्कि भाग ग राज्यों के लिए भी पर्याप्त है। हमारे बीच बस यही मतभेद है। मेरा कहना यह है कि एक पृथक उपबंध, जैसा कि इस विधेयक में दिया हुआ है, आवश्यक है। वह कहते हैं कि यह आवश्यक है क्योंकि यह अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आ जाता है। मेरे विचार में मैंने उनकी बात ठीक से प्रस्तुत कर दी है। बस यही बात है।

इस विधेयक को लाकर मैंने जो रास्ता अपनाया है उसके पक्ष में मुझे यह निवेदन करना है कि संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 366 का खंड (24) इस प्रकार है :

"अनुसूचित जातियों" से वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है।"

अब इस बात पर विवाद हो सकता है कि अनुच्छेद 330 में उल्लिखित "अनुसूचित जातियां" क्या वे ही "अनुसूचित जातियां" हैं, जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 366 के खंड (24) में दी गई है। भाग ग राज्यों की अनुसूचित जातियां उस खंड के अर्थ में अनुसूचित जातियां नहीं कही जा सकतीं।

श्री जे.आर. कपूर : यही व्यवस्था करने के लिए मैंने संशोधन दिया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ। अतः विवादास्पद बात यह है कि अनुच्छेद 330, जिसमें यह निदेश दिया गया है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा, उन अनुसूचित जातियों के संबंध में लागू न हो जो अनुच्छेद 366 के खंड (24) में दी गई परिभाषा की परिधि में नहीं आतीं। चूंकि स्थिति ऐसी ही है, इसलिए उसके लिए अलग उपबंध करना जरूरी है। श्री कपूर के मुद्दे के उत्तर में मुझे यही कहना है।

पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा उठाये गये मुद्दे के बारे में, अनुच्छेद 82 सर्वाधिक व्यापक अर्थ में लेखबद्ध है। इसमें कहा गया है :

"अनुच्छेद 81 के खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के लिए लोक सभा में प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकेगी।"

मेरा निवेदन यह है कि यह शक्ति इतनी व्यापक है कि भाग ग राज्यों के लोक सभा में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करते समय संसद निस्संदेह कह सकती है कि इतनी सीटें अनुसूचित जातियों को आबंटित की जायेंगी और इतनी सीटें साधारण सीटें होंगी। मैं नहीं समझता कि वे एक विशिष्ट उपबंध के रूप में इससे अधिक और क्या चाहते हैं। यदि किसी भाग ग राज्य के लिए लोक सभा में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करते समय संसद यह निर्णय लेती है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित आरक्षण होगा, तो उसमें यह बताने की भी निहित शक्ति है कि अनुसूचित जातियां कौन-कौन सी हैं।

श्री जे.आर. कपूर : क्या मैं एक शब्द बोल सकता हूँ?

माननीय अध्यक्ष : उत्तर के रूप में?

श्री जे.आर. कपूर : मुझे पता नहीं कि मुझे उत्तर देने का अधिकार है या नहीं।

माननीय अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य माननीय विधि मंत्री द्वारा अभी दिये गये उत्तर पर विचार करें तो वह कदाचित अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करेंगे।

श्री जे.आर कपूर : मैं एक छोटा-सा निवेदन करूंगा और फिर आपके मार्गदर्शन पर चलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : जो मैं समझता हूँ उसे मैं दोहराना चाहूंगा ताकि जो बात वह कहना चाहते हैं, उसके साथ-साथ वह यह भी बता सकें कि क्या मैंने स्थिति को समझने में कोई भूल की है।

माननीय विधि मंत्री यदि मैं गलत हूँ तो वे मेरी गलती ठीक कर सकते हैं—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामों आदि का उल्लेख करने में अपनी कठिनाई बताई, जो सम्भव है, और इससे हमारे लिए बहुत असुविधाजनक स्थिति पैदा हो सकती है। "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों" की परिभाषा अनुच्छेद 366 (24) और (25) में दी गई है। उस परिभाषा में उन जातियों और जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख है जिन्हें विशिष्ट अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां या जनजातियाँ माना जाता है। परिणामतः जहां तक भाग ग राज्यों का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि संसद द्वारा परिभाषित अनुसूचित जातियों को संविधान के अंतर्गत घोषित अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। जहां तक संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का संबंध है, उसके बारे में अनुच्छेद 330 एक साधारण निदेश देता है, परन्तु भाग ग राज्यों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के मामले अनुच्छेद 330 के अंतर्गत नहीं आते। क्या यही आशय है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां, ऐसी ही बात है।

माननीय अध्यक्ष : यदि ऐसी बात है तो आगे उनकी दलील यह है कि यदि कोई फालतू का काम हो रहा है, जैसा कि आप कहते हैं तो उसे होने दीजिये। हम स्थिति को एकदम संदेह रहित और अमोघ क्यों नहीं बनाते? अतः यदि यह मान लिया जाये कि वह विधेयक बिल्कुल फालतू और अनावश्यक है तो भी हमें इसे पारित करा देना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के मार्ग में कोई कानूनी पेचीदगी बाधा न बने। वे यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं और वकीलों या कानून की पेचीदगियों के किसी दांव-पेंच की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते।

श्री जे.आर. कपूर : श्रीमन् माननीय डॉ. अम्बेडकर का तर्क वास्तव में काफी चिन्तनीय है।

माननीय अध्यक्ष : यदि ऐसी बात है तो उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जे.आर. कपूर : अनुच्छेद 366 के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा पूर्ण नहीं है। इसे प्रस्तावना के साथ या अनुच्छेद 366 के प्रारम्भिक शब्दों के साथ पढ़ना होगा, जो इस प्रकार है : "इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित वाक्यांशों के वही अर्थ हैं जो उन्हें यहां क्रमशः दिये गये हैं........."

स्पष्ट है, कि अनुच्छेद 330 का संदर्भ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की इस परिभाषा से मेल नहीं खाता।

अनुच्छेद 330 के संदर्भ का स्पष्ट अर्थ यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में स्थानों का आरक्षण होगा। इसलिए इन परिभाषाओं को यथावत स्वीकार किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि स्थिति को संविधान में अनिश्चित और संदेहास्पद छोड़ा गया है। इसीलिए अब इस पर विशेष विधान ला रहे हैं।

श्री जे.आर. कपूर : दूसरी बात के बारे में आपको क्या कहना है? क्या हम कोई संख्या निश्चित कर सकते हैं और अनुच्छेद 330 के खंड (2) के फार्मूले की उपेक्षा कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष : यदि यह तर्क मान लिया जाये कि यह वांछनीय है कि सुरक्षा की दृष्टि से हम भाग ग राज्यों में प्रतिनिधित्व के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों की एक विशेष परिभाषा अपना लें तो दूसरी बात भी स्वतः अपना ली जायेगी। ये दोनों साथ ही हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस परिभाषा को एक प्रांत के लिए तो स्वीकार कर लें और दूसरे के लिए अस्वीकार कर दें।

श्री जे.आर. कपूर : क्या यह आपका विनिर्णय है या विचार है कि संसद समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए स्थान आरक्षित कर सकती है। भले ही ऐसी व्यवस्था विशिष्ट रूप से संविधान में न की गई हो? यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो भी हम वह कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष : पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक समस्यामूलक प्रश्न है और अध्यक्ष को इसकी बार-बार व्याख्या करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिये। मामला बिल्कुल साफ है। हम संविधान की व्याख्या करने के व्यापक प्रश्न में नहीं जाना चाहते।

डॉ. देशमुख : क्या आपने श्री देशपांडे की उस आपत्ति पर विचार किया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 6 ख से संबंधित है जिसके द्वारा संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, संसद द्वारा नहीं?

माननीय अध्यक्ष : हम फिर उसी कुचक्र में फंस रहे हैं। उसकी व्याख्या अनुच्छेद के उसी दृष्टिकोण पर आधारित है। मेरे विचार में हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। चर्चा निस्संदेह बहुत रोचक हो रही है, क्योंकि इसमें विधान के अत्यन्त रोचक प्रसंग शामिल हो रहे हैं। परंतु हमें अपनी सहज बुद्धि से काम लेना चाहिए और सामान्य लोगों की तरह विधान बनाने का कार्य करना चाहिए।

जहां तक माननीय सदस्य के संशोधन का संबंध है, मैं उसे सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री जे.आर. कपूर : यदि आपका यही दृष्टिकोण है तो इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

माननीय अध्यक्ष : उन्हें मेरे दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह गलत भी हो सकता है।

श्री जे.आर. कपूर : नहीं श्रीमन्, विशेष रूप से कानून के मामले में आप कहीं अधिक बुद्धिमान हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं संशोधन को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहूंगा।

संशोधन, सदन की अनुमति से, वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 3 (छठी और सातवीं अनुसूची आदि का जोड़ा जाना।)

माननीय अध्यक्ष : यहां बहुत से संशोधन हैं जिनमें वर्तनी या नामों को उचित क्रम में रखने के लिए छोटी-मोटी शुद्धियां की गई हैं। उदाहरणार्थ, एक शुद्धि ऐसी है जिसके द्वारा "आदि-धर्मी" शब्द प्रतिस्थापित किया गया है। यह तो स्पष्टतः वर्तनी की गलती है। इसे ठीक कर दिया जायेगा। क्या इसे संशोधन के रूप में लेना जरूरी है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मुझे यहां यह बताना होगा कि खंड उसे प्रस्तावित छठी अनुसूची में शीर्षक "दिल्ली" के अंतर्गत, प्रविष्टि 14 में, "धानक" शब्द के पश्चात्, "अथवा धानुक" शब्द अंतःस्थापित किया जाये। इससे कुछ सदस्यों को संतुष्टि होगी।

माननीय अध्यक्ष : इस सूची में श्री चन्द्रिका राम का संशोधन संख्या 4 है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा संख्या 5 है। किसी का भी संशोधन लिया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : मैं "आदि-धर्मी" विषयक संशोधन को लूंगा। श्री चन्द्रिका राम का संशोधन संख्या 2 है जिसे माननीय विधि मंत्री अपना संशोधन संख्या 3 मान रहे हैं।

श्री जे.आर. कपूर : वह दूसरे रूप में, अर्थात् "आद-धर्मी", जिसका सही शब्द "आदि-धर्मी" है।

श्री चन्द्रिका राम (बिहार) : यह "आदि-धर्मी" होना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उनका संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री चन्द्रिका राम संशोधन संख्या 4 के संदर्भ में विधि मंत्री का संशोधन स्वीकार करते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : दोनों एक ही हैं।

माननीय अध्यक्ष : मेरे विचार में माननीय मंत्री का संशोधन (संख्या 5) श्री चन्द्रिका राम के संशोधन (संख्या 4) से अच्छा है। और मेरे विचार में विधि मंत्री का संशोधन संख्या 7 भी, श्री चन्द्रिका राम के संशोधन संख्या 6 से अच्छा है।

डॉ. देशमुख : मैं अपने संशोधन संख्या 8 को चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने पूरी सूची अच्छी तरह देख ली है और

अधिकारियों से सलाह भी कर ली हैं। संख्या 8 में दिये गये संशोधन कभी भी अनुसूची का अंग नहीं थे।

मैं संशोधन संख्या 8 को स्वीकार नहीं करता हूँ।

संशोधन किये गये :

खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में, "दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि संख्या 1 में, "अधर्मी" के स्थान पर "आदि-धर्मी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(-श्री चन्द्रिका राम)

खंड 2 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में,

"दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 14 में, "धानक" के पश्चात् "अथवा धानुक" अन्तःस्थापित किया जाये।

(–डॉ. अम्बेडकर)

खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में, "दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि संख्या 34 में, "रेगढ़" के पश्चात् "अथवा रैगढ़" अंतःस्थापित किया जाये।

(–डॉ. अम्बेडकर)

डॉ. देशमुख : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में, "दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, अन्त में, निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएं :

"40 नाई

41 धीवर"

मेरे भाषण का उत्तर देते हुए माननीय विधि मंत्री ने कहा कि मैं सरकार से असंतुष्ट हूँ। अभी हाल ही में उन्होंने जो भाषण दिया उससे लगा कि वे भी सरकार से जिसका वे अंग हैं, बहुत प्रसन्न नहीं हैं।

श्री सिधवा : क्या नाई अछूत हैं?

डॉ. देशमुख : मैं यह संशोधन उस अभ्यावेदन के बल पर ला रहा हूँ जो मुझे दिया गया है। दूसरे, माननीय विधि मंत्री ने जिस सूची का जिक्र किया, वह सूची संघ लोक सेवा आयोग, भारत द्वारा 12 मार्च, 1949 को जारी की गई अधिसूचना है। उसमें ये दोनों जातियां शामिल हैं।

(पं. ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुए।)

जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा, इस सूची के अनुसार दिल्ली में इन जातियों की संख्या 64 है। मैंने उन सभी जातियों को शामिल करने का सुझाव नहीं दिया है, जिन्हें छोड़ दिया गया है। मैंने तो केवल उन दो जातियों को शामिल करने का सुझाव दिया है जो यहां सूची में भी दर्ज हैं। मेरे विचार में यह बहुत ही अनुचित बात है कि माननीय विधि मंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर भी मैं उसके लिए आग्रह करूंगा और आशा करता हूँ कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहर्ष मेरे पक्ष में मत देंगे, क्योंकि यह तो स्पष्ट रूप से भेदभाव है। एक उद्देश्य के लिए आपने एक अधिसूचना जारी कर रखी हैं, जिसमें कुछ जातियां शामिल की गई हैं। यह अधिसूचना मान्य है और न तो विधि मंत्री ने और न ही सरकार ने इस सूची को अस्वीकार करने के लिए कोई कदम उठाये हैं। इन जातियों में पैदा होने वाले किसी भी लड़के को इस अधिसूचना के अंतर्गत अपने आपको अनुसूचित जाति का उम्मीदवार कहकर आवेदन करने का अधिकार है। परन्तु यहां मैं यह नहीं समझता कि किन कारणों से माननीय डॉ. अम्बेडकर उन्हें शामिल नहीं करना चाहते। ये दोनों जातियां इस सूची में मौजूद हैं इस गजट कापी में भी हैं, जिसे कोई भी सदस्य आकर देख सकता है। ये छोटे मछुआरे जिन्हें धींवर या झींवर कहा जाता है। यह नाम भी वहां हैं। कहा जाता है यह सूची की मद में हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर जो भी निर्णय लें, यह सदन मेरा समर्थन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन दोनों जातियों को इन विशेषाधिकारों से वंचित न किया जाए, क्योंकि ये इस बात को बहुत महसूस करते हैं। अतः मैं आशा करता हूँ कि यह सदन मेरे इस संशोधन में मेरा समर्थन करेगा।

श्री सिधवा : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह भारत सरकार का प्रकाशन है?

डॉ. देशमुख : हाँ, डॉ. अम्बेडकर के पास उसकी एक प्रति है।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत किया गया :

खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में, "दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, अंत में, निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

"40 नाई।

41 धींवर।

श्री सोनावले : मेरे मित्र डॉ. देशमुख द्वारा प्रस्तुत संशोधन के संदर्भ में, मेरे विचार में ये वे ही जातियां हैं जो समाज में अछूत हैं....

एक माननीय सदस्य : अब हमारे यहां कोई अछूत नहीं हैं।

श्री सोनावले : वही अनुसूचित जातियों की सूचियों का आधार है और इसीलिए इन दो जातियों को इस संशोधन में शामिल किया गया है। और यदि वे वास्तव में अछूत हैं तो उन्हें शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है, बम्बई में नाई और मछुआरे अछूत नहीं हैं और यदि उन्हें दिल्ली में भी अछूत नहीं माना जाता है तो उन्हें यहां भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

श्री शिव चरण लाल (उत्तर प्रदेश) : बड़ी हैरानी की बात है कि नाई जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में रखा जा रहा है। हमारे प्रांत उत्तर प्रदेश में पहले नाई अपने आपको नाई ठाकुर और बाद में नाई ब्राह्मण लिखते थे। यदि आप उन्हें अनुसूचित जाति कहोगे तो मुझे विश्वास है कि वे इसे बिल्कुल पसन्द नहीं करेंगे। यही स्थिति धींवरों की है। आप इन दोनों जातियों को किसी भी तरह अनुसूचित जातियां नहीं मान सकते। यदि आप उन्हें सेवा में या किसी और स्थान पर कोई लाभ देने के प्रयोजन से कोई और सूची तैयार करते हैं, तो उन्हें "पिछड़ी जाति" कहा जा सकता है। यह एक और बात है परन्तु उन्हें किसी भी हालत में अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं रखा जा सकता।

श्री देशबंधु गुप्ता : मैं भी अपने माननीय मित्र से, जो मुझसे पहले बोले हैं, सहमत हूँ कि दिल्ली में नाई और धींवर को अनुसूचित जाति नहीं मानना चाहिए। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर उनके नामों को उस सूची में शामिल कर लिया है, जो डॉ. देशमुख ने पढ़कर सुनाई है। तथ्य यह है कि कुछ समय पहले नाइयों के प्रतिनिधि मेरे पास आये थे और उन्होंने कहा कि उनकी यह शिकायत है कि उन्हें दलित जातियों के सदस्यों के रूप में माना गया है। अतः मुझे विश्वास है कि डॉ. देशमुख नाइयों और धींवरों को इस सूची में शामिल करके उन पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य ने यह नहीं सुना, घर से आया है मोतबिर नाई?

प्रश्न यह है :

खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में "दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, अंत में, निम्नलिखित नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जायें :

"40 नाई।

41 धींवर।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सरदार हुकम सिंह (पंजाब) : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ:

खंड 3 में प्रस्तावित छठी अनुसूची में.....

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र अपने दोनों संशोधनों को इकट्ठा पेश करते हैं तो मैं उन्हें इस शर्त पर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि उन्हें वर्णक्रमानुसार रखा जायेगा। दिल्ली शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने संख्या 40 आदि दी हैं और "हिमाचल प्रदेश" के अंतर्गत उन्होंने संख्या 28 आदि ही हैं। इनकी क्रम संख्या पुन: निर्धारित करनी होगी।

सरदार हुकम सिंह : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

(एक) खंड 3 में, प्रस्तावित छटी अनुसूची में, "दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

"40 कबीर पंथी।

41 मजहबी।"

(दो) खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में, "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

"28 बंजारा

29 बावरिया

30 रामदासिया।"

श्री सोनावने : सरदार हुकम सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ी हैरानी है कि सरदार हुकम सिंह ने, जो स्वयं एक पक्के सिख हैं, कुछ सिखों को, वास्तविक सिखों से निकालकर अनुसूचित जातियों में डाल दिया है। शुरू में मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि सिखों में भी कुछ अनुसचित जातियां हैं और तब मुझे स्पष्ट हो गया कि डॉ. अम्बेडकर ने सिख-धर्म न अपनाकर ठीक ही किया। इसके अतिरिक्त, जब हम यह सुनते हैं कि पेप्सू और पंजाब में सिखों द्वारा अनुसूचित जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं और मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र सरदार हुकम सिंह चाहते हैं कि कुछ समुदाय अनुसूचित जातियों के रूप में रहें, ताकि उन पर अत्याचार होते रहें। अत: मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन वापस ले लें

और इन सभी लोगों को अपने समुदाय में रखें और उन्हें अपने स्तर तक लाएं और इस प्रकार सिखों में अनुसूचित जातियों को समाप्त कर दें।

श्री देशबंधु गुप्ता : इससे पहले कि आप संशोधनों को सदन के मतदान के लिए रखें, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या डॉ. अम्बेडकर ने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि दिल्ली में कबीरपंथी अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं? जहां तक मुझे मालूम हैं दिल्ली में कोई मजहबी नहीं है और यदि उन्हें इस सूची में शामिल कर लिया जाये तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कुछ मजहबी यहां आ गये होंगे। परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, कबीरपंथी अनुसूचित जातियों के सदस्य नहीं हैं। यदि डॉ. अम्बेडकर ने इस संबंध में अपनी संतुष्टि कर ली है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। परन्तु यदि उन्होंने अपनी संतुष्टि नहीं की है और महज इसलिए कि पंजाब और पेप्सू में उनकी ऐसी स्थिति है, उन्हें दिल्ली में भी वैसा नहीं माना जाना चाहिए।

सरदार हुकम सिंह : मैंने यह कहीं नहीं कहा है कि वे हिन्दू होंगे या सिख होंगे। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ माननीय सदस्य ऐसी बातें क्यों उठाते हैं। मैंने उस आदेश के बारे में जो जारी किया जा चुका है, जानबूझकर कुछ नहीं कहा और जब मुझे पता चला कि माननीय मंत्री स्वीकार कर रहे हैं तो मैंने कोई भाषण नहीं दिया। परन्तु अब चूंकि चर्चा आरम्भ की जा रही है, मुझे भी कुछ कहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह यहां भी करना होगा। यह भी राष्ट्रपति के आदेश में है कि जहां तक पंजाब और पेप्सू का संबंध है, इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जायेगा। मैंने यही कहा है कि चाहे वे हिन्दू हों या सिख हों, वे अनुसूचित जातियों के सदस्य होंगे। चाहे वे हिन्दू हों या सिख हों, यह मान लिया गया है कि वे पिछड़ी जातियों के हैं।.....

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री संशोधन स्वीकार कर रहे हैं।

प्रश्न यह हैं :

(एक) खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में, "दिल्ली" शीर्षक के अंतर्गत, अंत में निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

"40 कबीरपंथी।

41 मजहबी।

(दो) खंड 3 में, प्रस्तावित छठी अनुसूची में, 'हिमाचल प्रदेश' शीर्षक के अंतर्गत, अंत में, निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

"28 बंजारा

29 बावरिया

30 रामदेसिया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

श्री चन्द्रिका राम : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 3 में, छटी अनुसूची में, अंत में यह जोड़ा जाये :

"अजमेरा-मेरवाड़ा

1. अहेरी

2. बेगरी

3. बलाई...

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ये संशोधन इस विधेयक की परिधि से बाहर हैं। विधेयक कुछ भाग ग राज्यों में सीटें आबंटित करता है। केवल उन्हीं राज्यों में हम अनुसूचित जातियों की परिभाषा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अजमेर-मेरवाड़ा में हमने कोई सीट आबंटित नहीं की है। भोपाल में हमने कोई सीट आरक्षित नहीं की है। त्रिपुरा और कुर्ग में हमने कोई सीट आरक्षित नहीं की है। अंत: ये संशोधन इस विधेयक की परिधि से बाहर है।

श्री चन्द्रिका राम : आप भाग ग राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सभी लोग भाग ग राज्यों के हैं। कल भी जब मैं बोला था, तो मैंने यह मांग नहीं की थी कि इन लोगों को प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिए। परन्तु इसका एक लम्बा इतिहास है। जब ये लोग.........।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : चर्चा छोटी करने की दृष्टि से मैं बता दूँ कि सरकार भाग'क राज्यों, भाग ख राज्यों और भाग ग राज्यों में भी जहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुसूचित जातियों की सूची के मुद्दे पर विचार कर रही है क्योंकि यह महसूस किया जा रहा है कि विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के विशेषाधिकार के अतिरिक्त, और भी अन्य विशेषाधिकार हैं, जैसे शिक्षा संबंधी रियायतें, फीस, सेवायें आदि।

सरकार का यह सब करने का विचार है, ताकि किसी के दिमाग में यह गलतफहमी न रहे कि जिन अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल नहीं किया गया है, वे इन विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं। पर इन सब बातों पर विचार करने का यह समय नहीं है।

श्री चन्द्रिका राम : मैं यहां कोई नई चीज नहीं लाया हूँ। शिक्षा मंत्रालय में भारत

सरकार ने यह सूची पहले ही स्वीकार कर ली है और इसी सूची के आधार पर, ये सभी लोग छात्रवृत्ति पर रहे हैं। अतः क्या हानि है यदि सरकार स्वीकार कर ले.......

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह इस विधेयक में नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष : हमने खंड 2 पहले ही अंगीकार कर लिया है। खंड 2 किन्हीं राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वे राज्य इस संशोधन में शामिल नहीं किये गये हैं। मैं नहीं समझता कि यह संशोधन कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? अतः मैं इसे नियमबाह्य घोषित करता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 1, विधेयक में जोड़ा गया।

विधेयक का पूरा नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़े गये।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

चौ. रणबीर सिंह (पंजाब) : श्रीमन् मैं डॉ. अम्बेडकर का दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। परन्तु मैं साथ ही यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि दिल्ली की समस्या बड़ी विकट है। दिल्ली में चार सीटें हैं जिनमें मुश्किल से एक सीट ग्रामीण क्षेत्रों के हिस्से में आती है। यदि ग्रामीण सीट को शहरी सीट के साथ मिला दिया जाये, तो इसका मतलब यह होगा कि एक पिछड़ी जाति की सीट दूसरी पिछड़ी जाति को दे दी जायेगी क्योंकि दूसरी सीट तो आरक्षित सीट है। मेरे विचार में दिल्ली के चालाक लोगों को नई दिल्ली के अफसरों और बड़े लोगों के बजाय दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को या तो अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाये या यदि माननीय मंत्री ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग हरिजन नहीं हैं, तो उन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर लिया जाये। माननीय मंत्री को उन्हें इस प्रकार एक सीट दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं एक और सुझाव देता हूँ। एक सामान्य सिद्धांत है कि जहां

तक सम्भव हो, उन क्षेत्रों की सीटें, जहां अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता अधिक है, दुगुनी कर दी जानी चाहिए। इसके साथ की कुछ और बातें भी हैं। मैं जानता हूँ कि एक राज्य में ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में ऐसे मौके आये हैं, जब समितियों ने नियमों का पालन नहीं किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने उन नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। अपवाद तो हमेशा होते हैं और हमें इसे अपवाद मानना ही काफी हद तक ठीक रहेगा। इसका कारण यह है कि दिल्ली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच काफी अन्तर है। इसके अलावा यदि अनुसूचित जातियों के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि दिल्ली नगर की सीटों में से कोई दो सीटें दोहरी कर दी जाती हैं, तो इससे इन गरीब लोगों को, जिन्हें हम सभी समुचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, काफी लाभ होगा। यदि उनकी सीट ग्रामीण सीट के साथ मिला दी जाती है तो इससे उन्हें लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे निर्वाचन आयोग को निदेश दें कि सीटों को दोहरा करने के मामले में वे दिल्ली नगर की तीन सीटों में से किन्हीं दो सीटों को मिला दें और उन्हें दोहरी सीटों में बदल दें। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की सीट अकेली रहने देनी चाहिए, ताकि पिछड़ी जाति के लोगों के साथ न्याय हो सके, जो सहानुभूति के उतने ही हकदार है जितने अनुसूचित जातियों के लोग हैं।

श्री जे.आर. कपूर : श्रीमन्............

माननीय अध्यक्ष : विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है और अब मेरे विचार में लम्बे भाषणों की जरूरत नहीं रह गई है।

श्री जे.आर. कपूर : मैं किसी विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहता। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। वह चेतावनी यह है कि मेरी बात न मानकर माननीय विधि मंत्री ने भाग ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ घोर अन्याय किया है।

श्री सोनावने : नहीं, नहीं।

श्री जे.आर. कपूर : मुझे विश्वास है कि उन्होंने जो यह दृष्टिकोण और तर्क अपनाया है, उसके लिए उन्हें जल्दी ही पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान के प्रयोजन के लिए उसी रूप में माना जाना चाहिए। जैसी कि उनकी अनुच्छेद 366 में परिभाषा की गई है। उनका यह कथन खेदजनक है। यदि मैं उनका ध्यान अनुच्छेद 335 और उन अन्य संगत अनुच्छेदों की ओर दिलाऊ जिनमें 'अनुसूचित जातियां' शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वे अपनी राय अवश्य बदल लेंगे, क्योंकि यदि वे अभी भी अपने उस दृष्टिकोण पर अड़े रहे, तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उन विभिन्न विशेषधिकारों से वंचित हो जायेंगी। जिनके भाग ग

राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अनुच्छेद 335 और अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत दिये जाने की परिकल्पना की गई है।

अनुच्छेद 335 इस प्रकार है :

"संघ अथवा किसी राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर, प्रशासनिक कार्यकुशलता अक्षुण्ण रखते हुए, विचार किया जायेगा।"

यदि अनुच्छेद 335 में वर्जित अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अनुच्छेद 366 में परिभाषित अनुसूचित जातियों और जनजातियों, जो भाग क और भाग ख राज्यों की अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं, के संदर्भ में देखा गया तो भाग ग राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 335 का लाभ नहीं मिलेगा। इस एक गलती का यह परिणाम होगा कि........

माननीय अध्यक्ष : शांति, शांति। क्या मैं माननीय सदस्य ने यह जान सकता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी सदस्य विधि मंत्री की व्याख्या को मानने के लिए बाध्य हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अभी यह विधेयक किसी ऐसे कानूनी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना अधिनियमित किया है कि यह व्याख्या ठीक है अथवा वह व्याख्या ठीक है। ऐसे निर्णय लेना न्यायालयों का कार्य है। न्यायालयों को अर्थ की व्याख्या करनी होती है।

श्री जे.आर. कपूर : श्रीमन्, मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना सरकार का और कैबिनेट का काम है और ये अनुसूचित जातियां और जनजातियां अनुच्छेद 335 के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएंगी। जहां तक सरकार का संबंध है, उसे तो विधि मंत्री की व्याख्या माननी ही होगी।

माननीय अध्यक्ष : और क्या वे अपनी राय नहीं बदल सकते?

श्री जे.आर. कपूर : मैं नहीं जानता कि वे अपनी राय बदलेंगे या नहीं। परन्तु अभी तक जैसा मैंने देखा है........

माननीय अध्यक्ष : इस समय यह चर्चा एकदम अव्यावहारिक है। हमने अंततः विधेयक के एक विशिष्ट उपबंध को स्वीकार कर लिया है और जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हमारा अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी परिभाषा से या किसी अनुच्छेद से और अधिक मतलब नहीं है।

श्री जे.आर. कपूर : इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल एक चेतावनी दे रहा हूँ।

श्री ज्ञानी राम (बिहार) : निर्वाचन सूचियों में आपत्ति दाखिल करने का समय पिछले मार्च की 31 तारीख को समाप्त हो गया है। परन्तु अब किए गए संशोधनों को देखते हुए क्या अनुसूचित जातियों के लोग इस तारीख के बाद भी अपनी आपत्तियां दायर करने के हकदार होंगे?

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति का सदस्य हो या नहीं एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होता है।

श्री ज्ञानी राम : जब कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है, तब भी क्या यह प्रश्न नहीं उठता?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह प्रश्न नामांकन की तारीख को उठेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

लोक प्रतिनिधित्व (संख्या 2) विधेयक
प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** श्रीमन्, प्रवर समिति के सभापति की ओर से, मैं संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के निर्वाचनों के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताओं और अनर्हताओं, ऐसे निर्वाचनों में या उनके संबंध में भ्रष्ट और अवैध व्यवहारों तथा अन्य अपराधों और ऐसे निर्वाचनों से या उनके संबंध में उत्पन्न हुई शंकाओं और विवादों के निर्णयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : इस मामले के बारे में क्या मैं जान सकता हूँ, क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए कितने दिन नियत किए जायेंगे और कब यह सदस्यों के लिए कई तरह से सहायक सिद्ध होगा?

श्री जवाहरलाल नेहरू (प्रधानमंत्री और सदन के नेता) : सरकार का विचार है कि इस विधेयक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि जैसे ही वित्त विधेयक पर चर्चा समाप्त हो, यह विधेयक ले लिया जाये।

श्री कॉमथ : इस पर चर्चा करने के लिए कितने दिन नियत किये जायेंगे?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं बता सकता।

---

*सं. वा., खंड 10, भाग II, 31 मार्च, 1951, पृष्ठ 5566

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्राय: किसी न किसी कठिनाई में फंस जाते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि कोई भी सदस्य या सरकार भी किसी विधेयक पर चर्चा के लिए नियत समय में कमी कर सकते हैं। सदन को अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व (संख्या 2) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ :

"कि संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के लिए निर्वाचन, उन सदनों के सदस्यों की अर्हताओं ओर निर्हताओं, इन निर्वाचनों में अथवा उनके संबंध में होने वाले भ्रष्टाचार और अवैध आचरणों तथा अन्य अपराधों, और इन निर्वाचनों से अथवा इसके संबंध में उठने वाली आशंकाओं तथा विवादों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत प्रक्ट करते हुए मैं सदन का ध्यान विधेयक में प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों की ओर और साथ ही प्रवर समिति के कुछ सदस्यों द्वारा अपनी असहमत टिप्पणियों में प्रस्तावित परिवर्तनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सदन को मालूम ही है कि यह एक बहुत बड़ा विधेयक है, जिसमें लगभग 169 खंड हैं। प्रवर समिति ने मूल विधेयक के विभिन्न खंडों में परिवर्तन किए हैं और समिति द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक परिवर्तन पर मत व्यक्त करना सम्भव नहीं है। मेरे विचार में यह पर्याप्त होगा कि मैं सदन का ध्यान प्रवर समिति द्वारा किए गये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर आकर्षित करूं।

मेरी समझ में, प्रवर समिति ने मूल विधेयक में चार महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। पहला महत्वपूर्ण संशोधन खंड 7 में किया गया है, जिसमें संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य के चुने जाने की निरर्हताओं का उल्लेख है। सदन को याद होगा कि मूल रूप में इस खंड में केवल तीन अनर्हताओं का उपबंध था। मूल विधेयक की पहली निरर्हता थी। निर्वाचन-संबंधी अपराध के लिए मिली सजा, चाहे वह भ्रष्टाचार से संबंधित हो या गैर-कानूनी कार्यवाही से। दूसरी अनर्हता का आधार था, निर्वाचन अपराध से भिन्न, देश की दण्ड विधि के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए मिली सजा; उदाहरणार्थ, दण्ड संहिता अथवा किसी अन्य स्थानीय दंड विधि के अंतर्गत सजा। तीसरी निरर्हता भी, जो कही जा सकती है चुनाव के दौरान वास्तविकता में सजा भोगना थी। यह विधेयक के खंड 7 के उप-खंड (2) में वर्णित है। और चौथी निरर्हता थी कानून के अनुसार तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्वाचन-व्यय का लेखा-जोखा न देना।

जहाँ तक इन मूल प्रस्तावों का प्रश्न है, एक मात्र परिवर्तन जो प्रवर समिति ने किया है वह खंड 7 के उप-खंड (2) में अंतर्विष्ट निरर्हता के संबंध में है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन)

प्रवर समिति ने वह उपबंध हटा दिया है। इसका कारण यह है कि सजा यदि दो वर्ष या उससे अधिक की है तो यह खंड अनावश्यक है। यदि सजा की अवधि दो वर्ष से कम है, तो समिति की राय में उस आधार पर निरर्हता करने के कानून का बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मान लिया जाये कि कोई व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हुआ, तो वर्तमान नियम के अनुसार, सदन में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने के लिए उसे सदन की अनुमति की आवश्यकता होगी, और सदन द्वारा अनुमति न दिए जाने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। इस आधार पर समिति ने महसूस किया कि इस उपबंध को रखने की आवश्यकता नहीं है।

इस खंड 7 में समिति ने चार निरर्हताएँ जोड़ दी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली यह है कि, समिति द्वारा अब बनाए गये उपबंधों के अंतर्गत, किसी सरकारी ठेके का हाथ में होना एक निरर्हता होगी। दूसरे, जिन वस्तुओं के मूल्य या लाने-ले जाने पर नियंत्रण है, उनके लिए सरकारी लाइसेंस या परमिट का होना निरर्हता होगी। तीसरे, जिस कम्पनी में सरकार का कोई भाग है या हित है उस का निर्दशक होना निरर्हता होगा। चौथे, भ्रष्टाचार के मामले में पदच्युत किया गया कोई भी सरकारी कर्मचारी निरर्हताएँ प्रवर समिति ने मूल खंड में जोड़ दी हैं।

अब मैं प्रवर समिति द्वारा किए गये दूसरे परिवर्तन पर आता हूँ। सदन को याद होगा कि मूल विधेयक में एक खंड 35 था। उस खंड का उद्देश्य था कि नामजदगी की प्रक्रिया को वास्तविक निर्वाचन की प्रक्रिया से पृथक रखा जाये। जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, निर्वाचन प्रक्रिया के दो भाग हैं। पहला, नामांकन का चरण है और दूसरा चरण निर्वाचन का है। तत्कालीन कानून में नामजदगी के बारे में कोई अंतिम स्थिति नहीं थी। नामांकनों परप आपत्तियां होने के बावजूद निर्वाचन अंतिम काल तक जारी रह सकता था और निर्वाचन परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद ही निर्वाचन में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति निर्वाचन अधिकरण के समक्ष यह प्रश्न उठा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष का नामांकन पत्र गलत स्वीकार हुआ था अथवा गलत तौर से रद्द किया गया था। तब यदि निर्वाचन अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोनों में से कोई बात सच है, वह समस्त निर्वाचन को रद्द कर सकता है। राजनीति में रुचि रखने वाले अनेक लोगों ने महसूस किया है कि यह बहुत गलत बात है कि पहले तो सारी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाये जिसमें विभिन्न उम्मीदवारों ने भारी राशि खर्च की होगी, और महज इस एक मुद्दे पर कि नामांकन पत्र अनुचित रूप

से स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया, सारा निर्वाचन रद्द कर दिया जाये। यह महसूस किया गया कि यह स्थिति बिल्कुल गलत है और यह उचित होगा कि नामांकन की प्रक्रिया को निर्वाचन की प्रक्रिया से अलग रखा जाये और प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही निर्वाचन प्रारंभ हो, ताकि निर्वाचन को चुनौती देने में निर्वाचन अधिकरण के समक्ष इस प्रकार का कोई मुद्दा न उठाया जा सके। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया कि यह दृष्टिकोण बहुत अच्छा है और यदि यह सम्भव है कि हम नामांकन के मुद्दे को प्रारम्भिक विषय, जैसा कि सिविल वकील इसे पुकारते हैं, मानें और पूरी तरह तथा अंतिम रूप से इसे तय कर दें जिससे कि उसके पश्चात् हम वास्तविक निर्वाचन का कदम उठायें, तो वास्तविक निर्वाचन के विरुद्ध चुनौती का दायरा या तो भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने अथवा गैर-कानूनी हथकंडे अपनाने या डराने-धमकाने और इसी प्रकार के मामलों तक ही सीमित रह जाये जिनसे निर्वाचन निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं हुआ है।

प्रवर समिति उक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी। यद्यपि जैसा कि सदस्यगण, समिति की रिपोर्ट से देख सकते हैं, उसने मूल खंड 35 में शामिल उपबंधों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति व्यक्त की है। समिति इस तथ्य से बहुत प्रभावित हुई थी। इससे पूर्व की नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूर्ण तथा समाप्त हुई मानी जाये, यह जांच करना आवश्यक होगा कि किसी उम्मीदवार की अर्हता या अनर्हता का प्रश्न समुचित रूप से निर्णीत हो गया है या नहीं। समिति का मानना था कि यदि उम्मीदवारों की अर्हताओं और निरर्हताओं का मुद्दा वास्तवित निर्वाचन प्रारम्भ होने से पूर्व तय किया जाना है, तो नामांकन और निर्वाचन के बीच का अंतराल बहुत लम्बा हो जायेगा। इसलिए समिति ने खंड 35 में सम्मिलित प्रावधानों को अस्वीकार कर दिया। परन्तु, जैसा कि रिपोर्ट पढ़ने वाले सदस्यों ने देखा होगा, समिति ने कहा है कि यह उपबंध अच्छा है और यदि विधेयक के सदन में पारित होने के दौरान कोई ऐसी व्यवस्था निकाल ली जाती है जिससे कि नामांकन की प्रक्रिया और निर्वाचन प्रारम्भ किए जाने के बीच वह विलम्ब नहीं होगा, जिसका कि डर है तो वह ऐसे उपबंध का स्वागत करेगी। स्वयं मैं अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच पाया हूँ, जो मैं इस समय सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। मुझे बताया गया है कि इस प्रकार का उपबंध मद्रास के कानून में मौजूद है, जिसमें जिला स्थानीय बोर्डों के निर्वाचनों के बारे में ऐसी व्यवस्था की गयी है। मुझे बहुत लम्बे अरसे बाद उसकी एक प्रति प्राप्त हुई, इसलिए मैं अभी तक उस पर विचार नहीं कर सका हूँ। अतएवं अपने दृष्टिकोण से मेरा सुझाव है कि यह प्रश्न खुला रखा जाये।

अब मैं प्रवर समिति द्वारा निर्वाचन अधिकरण के संबंध में किए गये तीसरे परिवर्तन पर आता हूँ। सर्वप्रथम, मेरे निर्वाचन अधिकरण की सदस्यों के बारे में किए गये परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा। सदन को याद होगा कि विधेयक के मूल उपबंधों ने यह कहा गया था कि जिला जजों, दस वर्ष से वकालत कर रहे व्यक्तियों तथा अधीनस्थ जजों को

निर्वाचन अधिकरण की सदस्य का पात्र समझा जा सकता है। प्रवर समिति ने अधीनस्थ जजों को इसमें से हटा दिया है। समिति का विचार है कि उन्हें निर्वाचन अधिकरण का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए और उसने अवकाश प्राप्त जिला जजों तथा उच्च न्यायालय के मौजूदा जजों को निर्वाचन अधिकरण की पात्रता प्रदान की है। निर्वाचन अधिकरण से संबंधित अन्य दो मुद्दों, अर्थात् अधिकरण का गठन तथा अपील का प्रश्न, के बारे में, समिति ने कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, जिससे कि मूल उपबंधों के अनुसार अधिकरण दो सदस्यों की होगी, एक अध्यक्ष तथा दूसरा सदस्य। इसी प्रकार अपील का उपबंध भी जारी रहेगा। जैसा कि सदन को मालूम है, हमने नियमित अपील का कोई उपबंध नहीं किया है। हमारा प्रस्ताव है कि यदि दोनों सदस्यों के बीच मतभेद हो, तो मामले को स्वत: उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा।

अब मैं प्रवर समिति द्वारा किये गये चौथे परिवर्तन पर आता हूँ, जो अभी हाल की घटना के संदर्भ में, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सदन को याद होगा कि मूल विधेयक के प्रारूप में आकस्मिक खाली हुये स्थान को भरने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया था, जो अपने विवेक के अनुसार यह नियुक्ति कर सकती थीं। प्रवर समिति ने महसूस किया कि यह अधिकार प्रयोग करते समय संभावना है कि राज्य सरकारें कर्त्तव्यपरायणता न बरतें तथा आकस्मिक रिक्तियां लम्बे अरसे तक भरी न जायें, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचन-क्षेत्र अपने प्रतिनिधियों को संसद या विधानसभा में भेजने से वंचित रहें। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि यह अधिकार राज्य सरकारों के पास छोड़ देने की अपेक्षा निर्वाचन आयोग को देना श्रेयस्कर होगा, जिसे संसद या विधानसभा से कुछ लेना-देना नहीं है। अब निर्वाचन आयोग निर्वाचन की तिथि निर्धारित करेगा, निर्वाचन-क्षेत्रों को चुनाव कराने और अपने प्रतिनिधियों को भेजने का आदेश देगा। मेरे विचार से यह बहुत अच्छा परिवर्तन है। इस प्रकार के चार परिवर्तन प्रवर समिति ने विधेयक में किए हैं।

अब मैं विसम्मत टिप्पणी में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। विसम्मत टिप्पणी के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि विधेयक में 10 परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। पहला परिवर्तन प्रवर समिति द्वारा खंड 7 के उप-खंड (घ) में प्रस्तावित निरर्हता में फेरबदल करना है। इस परिवर्तन का सुझाव प्रवर समिति के दो सदस्यों श्री गोकुलभाई भट्ट और मेरे मित्र श्री गोयनका ने दिया है। उन दोनों के बीच भी तादाम्य नहीं है। श्री भट्ट को सरकारी ठेका मिलने वाले की निरर्हता पर कोई आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति केवल लाइसेंस या परमिट धारियों के बारे में हैं। श्री गोयनका को दोनों बातों पर आपत्ति है। जैसा मैंने कहा ये उपबंध मूल विधेयक में नहीं थे। ये प्रवर समिति द्वारा किए गये थे। मुझे इन दोनों नये उपबंध के बारे में सदन को अपनी व्यक्तिगत राय बताने में कोई एतराज नहीं है। पहली बात जो मैं महसूस करता हूं, यह है कि प्रवर समिति द्वारा तैयार किए गये विधेयक के प्रारम्भ में प्रयुक्त इन खंडों की शब्दावली

निस्संदेह कुछ कठोर है। मेरी अपनी राय यह है कि चुने जा सकने की अनर्हता और संसद सदस्य बने रहे आने की निरर्हता के बीच हम भेद कर सकते हैं। हम स्वयं यह भेद करते रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या कठिनाई अथवा राजनीतिक अन्याय उत्पन्न हो जाते, यदि हम यह कहते कि जिन लोगों के पास सरकारी ठेके हैं या परमिट हैं, वे चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हो तो सकते हैं तथापि संसद सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनर्हत होंगे। उस प्रकार का उपबंध करने में मुझे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। दूसरे शब्दों में, किसी ठेकेदार या लाइसेंसधारी को उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की अनुमति हम दे सकते हैं। परन्तु चुन जाने के बाद, उसके सम्मुख यह विकल्प होगा कि या तो वह अपना ठेका छोड़ दें और सदस्य रहें अथवा संसद की सदस्यता छोड़ दें और अपना ठेका जारी रखें।

पंडित मैत्रेय (पश्चिम बंगाल) : जो भी अधिक लाभप्रद हो?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जो भी हो, यह मेरी राय है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के निर्योग्य घोषित कर देना ज्यादती होगी। इस तर्क में कुछ तथ्य हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को संसद सदस्य नहीं बना रहने देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा परिवर्तन हम कर सकते हैं।

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : क्या इस बारे में सरकार की कोई राय है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार की राय यथासमय मालूम हो जायेगी। लाइसेंसों आदि से संबंधित अन्य प्रश्न के बारे में देश व्यापारी वर्ग में इस बात पर बड़ा आंदोलन चल रहा है कि विधेयक के मसौदे का यह खंड यदि अपने वर्तमान स्वरूप में बना रहा, तो देश का समस्त व्यापारी वर्ग संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अयोग्य हो जायेगा और इस प्रकार देश के राजनीतिक मामलों में कोई भूमिका अदा नहीं कर सकेगा। मुझे विश्वास है कि हम इस प्रकार की स्थिति नहीं लाना चाहते। देश में समाज के प्रत्येक वर्ग को देश की राजनीतति में भाग लेने का, संसद में आने का, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का, कानून में अपने मतानुसार संशोधन लाने का अधिकार होना चाहिए। संसद ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए, जहां केवल कुछ विशेष वर्गों, समूहों या श्रेणियों का ही प्रतिनिधित्व हो और शेष अन्य लोग बिना प्रतिनिधित्व के रह जायें। यह बहुत अनुचित बात होगी। यदि ऐसी बात होती है, तो मेरी समझ में यह संसद की क्षति होगी। साथ ही, मेरे मस्तिष्क में भी स्पष्ट है कि जब कि व्यापारी वर्ग को संसद में आने तथा राजनीति को प्रभावित करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, हम संसद को एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाना चाहते।

पंडित मैत्रेय : वे पहले से ही प्रभुत्व जमाये हुए हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और जो मेरी राय में इस मामले की जड़ है, यह है कि हमारी संसद और हमारा निर्वाचन कानून

इस प्रकार के होने चाहिएं कि संसद के सदस्यों की सरकार के प्रति स्वतंत्रता पूर्ण रूप से बनी रहे। यदि हम ऐसी प्रणाली स्वीकार कर लें, जिसके अंतर्गत सरकार राजनीतिक पद लेकर अथवा अन्य सुविधायें प्रदान करके सारी संसद को भ्रष्ट कर दे, तो ऐसी संसद का कोई अर्थ नहीं होगा। यदि कोई संसद सरकार के भय और अनुग्रह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती तो मेरी समझ में ऐसी संसद बेकार है। इसलिए, जब कि एक ओर यह आवश्यक है कि जनता का प्रत्येक वर्ग संसद में आये और अपनी भूमिका अदा करे, साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप कुछ ऐसे सुरक्षा उपाय प्रदान करें, जिससे कि संसद केवल कोरस बालाओं की संस्था बनकर न रह जाये।

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : 'बालाओं' की क्यों?

श्री सी.डी. पाण्डे : उठ खड़े हुए।

माननीय अध्यक्ष : यह सब क्या है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दो सीमाओं के बीच चलना है। एक सीमा यह है कि हमारी निर्वाचन पद्धति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इसके कारण समाज का कोई वर्ग या सम्प्रदाय वंचित रह जाये। दूसरी सीमा यह है कि निर्वाचन कानून ऐसा होना चाहिए जिससे संसद में एक प्रकार की स्वतंत्रता बनी रहे। इन दोनों सीमाओं के बीच, जो सुझाव अनर्हता से संबंधित इस विशिष्ट खंड में सुधार करने के लिए आयेगा, उस पर मैं पूरी सहानुभूति के साथ विचार करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या राजनीतिक पदों के बारे में कोई उपबंध है? माननीय मंत्री कह रहे थे कि राजनीतिक पदों या ठेकों द्वारा संसद सदस्यों में भ्रष्टाचार नहीं फैलने देना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि मेरी प्रबल इच्छा है कि हम ब्रिटिश कानून का अनुसरण करें जिसमें मंत्रियों, संसदीय सचिवों, राज्य मंत्रियों आदि की संख्या निर्धारित कर दी गयी है। मुझे आशा है कि एक दिन हम इस प्रकार का कानून पारित कर सकेंगे, ताकि सरकार मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों आदि राजनीतिक पदों को प्रदान कर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने की स्थिति में न हों। यह मामला........

सेठ गोविन्द दास (मध्य प्रदेश) : ये उपबंध अभी क्यों नहीं रख सकते?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सम्भव नहीं है; यह मंत्रियों से संबंधित विषय है। शायद आपको याद होगा कि जब भारत शासन अधिनियम, 1935 बनाया गया था, उस समय इस प्रश्न पर विचार किया गया था। एक प्रस्ताव यह था...

श्री थिरूमल राव (खाद्य एवं कृषि मंत्री) : यह बात विदेशी सरकार की थी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सद्बुद्धि कहीं से भी आये, देश के भीतर से या बाहर से, है तो सद्-बुद्धि।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (उत्तर प्रदेश) : क्या आप इससे सहमत हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ, मैं यही कह रहा था। मुझे याद है कि जब भारत शासन अधिनियम, 1935 बनाया गया था, उस समय यही प्रश्न उठाया गया था कि क्या प्रधान मंत्री को यह अधिकार हो.......

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : अनुच्छेद 102 पहले ही मौजूद है। इसके अंतर्गत, लाभ का पद ग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति निरर्हित है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हमने उसकी परिधि समिति कर दी है। किसी व्यक्ति के मंत्री बन जाने पर यह निरर्हता उस पर लागू नहीं होती। इस समय मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। इस प्रश्न से अलग, मैं आपके द्वारा उठायी गयी आशंका का उत्तर दूंगा।

श्री सिधवा : इन सब बातों को आप इसमें शामिल क्यों नहीं कर लेते?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : तरह-तरह की बातें इस विधेयक में शामिल नहीं की जा सकती।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : आप भारत शासन अधिनियम, 1935, का उल्लेख कर रहे थे। इसमें क्या था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने भारत शासन अधिनियम, 1935 का इसलिए उल्लेख किया था क्योंकि मैं गोलमेज सम्मेलन में शामिल था। वहां यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या मंत्रियों की संख्या सीमित करने की आवश्यकता है। उस समय मुद्दा यह था कि मंत्रिमंडल में बहुत लोगों को न भर लिया जाये, जिससे कि सदन असमर्थ हो जाये। दो प्रस्ताव रखे गये थे। एक यह था कि अधिनियम में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी जाये कि अमुक संख्या से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं किए जा सकते। दूसरा प्रस्ताव यह था-मालूम नहीं सदस्यगण इसे पसंद करेंगे या नहीं-कि समस्त मंत्रिमंडल के लिए एक अधिकतम वेतन राशि निर्धारित कर दी जाए ताकि, यदि उसका विस्तार किया जाये तो मंत्रीगण अपना वेतन कम करके नये साथियों के साथ बांट सकें। परन्तु इनमें से कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं किया गया और इसे विवक पर छोड़ दिया गया।

सेठ गोविन्द दास : हम ये दोनों उपबंध रख सकते हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या संविधान के अंतर्गत मंत्रियों की संख्या सीमित करना संभव है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सदन ऐसा कर सकता है।

श्री संथानम (परिवहन और रेलमंत्री) : सदन ऐसा नहीं कर सकता। कृपया संविधान पढ़िए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है मैं माननीय मंत्री के साथ सहमत नहीं हूँ। संविधान में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। संविधान केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान यह नहीं कहता कि इसमें कितने मंत्री होंगे।

श्रीमती दुर्गाबाई : श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हैं। माननीय मंत्री उनकी बात सुनें।

श्रीमती दुर्गाबाई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या माननीय मंत्री सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगा रहे हैं कि जब भी अतिरिक्त मंत्री या उपमंत्री नियुक्त होंगे तो इसका प्रयोजन सदन को अशक्त करना होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उपाध्यक्ष महोदय को उत्तर दे रहा हूँ। मैं इस मुद्दे को छोड़ देना चाहता था। पर श्री कॉमथ चाहते थे कि मैं कुछ कहूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आरोप की बात है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे आशा है कि माननीय महिला सदस्य का इरादा मेरे तथा मंत्रालय के बीच रंजिश पैदा करने का नहीं है।

मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। दूसरा प्रस्ताव यह था कि रजवाड़ों को सदस्य चुने जाने से अनर्ह कर दिया जाये। यह बात श्री राजबहादुर और उनके मित्रों द्वारा उठाई गई थी। मुझे आशा है कि वह यहां मौजूद हैं।

श्री राजबहादुर (राजस्थान) : मैं यहाँ हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्री रामा राव ने अपनी एक अलग विसम्मत टिप्पणी लगायी थी। श्री राजबहादुर और उनके साथियों का तर्क था कि रजवाड़ों का पद लाभ का पद है। मुझे लगता है कि यदि यह विचार सही है, तब तो इस विधेयक में किसी प्रकार का कोई खंड शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 102 में लाभ के पदधारियों को संसद का सदस्य बनने की पात्रता से वंचित

कर दिया गया है। इस निरर्हता को यह संसद न तो संशोधित कर सकती है, न इसका दायरा बढ़ा सकती है। माननीय सदस्य जो कर सकते हैं वह यह है कि अनुच्छेद 103 के अंतर्गत कार्यवाही करें जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण किए हुए हैं और संसद का सदस्य है, तो वह मामला राष्ट्रपति को निर्दिष्ट कर दिया जाये और राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद, उस राय के अनुसार अपना निर्णय देगा। इस ठोस उदाहरण लेते हुए, मान लीजिए कि कोई रजवाड़ा विशेष, इस सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है, तो यदि मेरे मित्र की धारण सही है, जो भी आवश्यक है वह यह है कि राष्ट्रपति से निवेदन किया जाये कि वह व्यक्ति अनर्ह है। इसलिए संसद में स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए, स्वयं उनके तर्क के अनुसार उक्त प्रयोजन के लिए इस विधेयक में कोई खंड शामिल करना आवश्यक नहीं है। वह स्वयं बताएँ कि उनकी यह दलील कि लाभ का पद लाभ धारण कर रहे हैं, सही है या नहीं। इस विषय पर मैं अब कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहता।

श्री सिधवा : उन्हें एक प्रकार की पेंशन मिलती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पेंशनधारियों और इन मामलों के बीच भारी अंतर है।

श्री हुसेन इमाम (बिहार) : सरकार के पेंशनधारियों के संबंध में क्या स्थिति है? क्या उनकी स्थिति लाभ के पद की मानी जायेगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं मामले के इस पहलू में नहीं जाना चाहता। बात बहुत सरल है। प्रश्न यह है कि यदि वे लाभ के पदों पर हैं, तो क्या वे अनर्ह होंगे। यदि ऐसी बात है, अनुच्छेद 102 मे निरर्हता दी हुई है। आपको केवल अनुच्छेद 102 को हवाला देकर ऐसे व्यक्ति को संसद से हटवा देना है।

श्री राजबहादुर : मामला फिर वकीलों के पास चला जायेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : तो क्या हुआ? माननीय सदस्य स्वयं एक वकील हैं। वह अपने आपको इससे अलग क्यों रखें?

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : क्या यह मामला निर्वाचन आयोग के समक्ष नहीं उठाया जा सकता?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इतना लम्बा जाना अनावश्यक है। उपचार, जैसा मैंने बतलाया बहुत सरल है।

तो, यदि मेरे मित्र के विचार में कोई लाभ का पद उन्हें अनर्ह बनाने का अच्छा

आधार नहीं है, तब उन्हें अर्नह करने वाला कोई उपबन्ध बनाने के लिए सदन के पास कोई औचित्य होना चाहिए। जहां तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ काम्नस की बात है, इंग्लैण्ड क्लर्जी उस के सदस्य नहीं हो सकते। उसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को 'पीयर' की उपाधि मिली हुई है, जो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठने का अधिकार देती है, तो वह व्यक्ति हाउस ऑफ कामन्स का सदस्य बनने के लिए अनर्ह होगा। इन दोनों मामलों में उन्हें अनर्ह बनाए जाने का पर्याप्त औचित्य है। यदि मेरे मित्र इस विषय के इतिहास का अध्ययन करें तो उन्हें मालूम होगा के क्लर्जी को सन् 1801 के अधिनियम द्वारा अनर्ह कर दिया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि प्रोटस्टेंट क्रांति के अंतर्गत जब राज्य चर्च का प्रधान बन गया था, तब चर्च और राज्य एक हो गये। यह संरक्षाधिकार कहलाता है, अर्थात् चर्च जहां सार्वजनिक उपासना होती है वहाँ प्रतिदान किया जाता है, तो वह राज्य के लिए एक प्रकार की भेंट बन जाती है। तदनुसार यह माना गया है कि पादरी और पुजारी लाभ का पद धारण कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें अनर्ह कर दिया जाये। जहां तक हाउस ऑफ लार्ड्स के सदस्यों की हाउस ऑफ कामन्स का सदस्य बनने में निरर्हता है, उसका औचित्य स्पष्ट है। अर्थात् एक व्यक्ति दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यह सिद्धांत हमने भी अपनाया है। इस प्रकार, इन दोनों वर्गों के लोगों की निरर्हता के औचित्य के इंग्लैंड में दो आधार हैं, जो मैंने बतलाये हैं। यदि मेरे मित्र लाभ के पद के अतिरिक्त कोई औचित्य बताना चाहते हैं, तो इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या यह औचित्य यहां न्यायसंगत है।

डॉ. परमार (हिमाचल प्रदेश) : क्या राजाओं को इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जा सकता कि वे राजनीतिक पेंशनधारी हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : राजनीतिक पेंशन को निरर्हता का आधार बनाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। निस्संदेह, जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश के प्रथम लेखक डॉ. जॉनसन ने राजनीतिक पेंशनधारी की परिभाषा 'सरकार का गुलाम' की थी। परन्तु बाद में उन्होंने स्वयं सरकारी पेंशन स्वीकार की थी। आवश्यकता से अधिक तार्किक बनने में भी कोई लाभ नहीं है।

डॉ. परमार : क्या हाउस ऑफ कामन्स में पेंशनधारियों पर रोक है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं। जैसा 'सुधारों' के दिनों में लोग कहते थे, केवल 'पीयर' (लार्ड) तथा पागल पर रोक है।

विसम्मत टिप्पणों में उठाया गया तीसरा प्रश्न दोहरे सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। इस मुद्दे पर श्री सारंगधर दास और श्री रामाराव द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मुझे प्रतीत होता है कि इस विषय पर 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जिसे गत वर्ष सदन ने पारित किया

था, पहले ही निर्णायक उपबंध मौजूद हैं। उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (घ) पर दृष्टि डालने से पता चलेगा कि सदन ने उपर्युक्त मामलों में इस विषय पर निर्णय राष्ट्रपति पर छोड़ दिया था। इसलिए मेरे विचार में इस अधिनियम का संशोधन किए बिना हम इस समय इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त, मैं सदन का ध्यान कुछ उन विचारधाराओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जिनको दृष्टि में रख कर ये आरक्षण किए गए थे। मैं समझता हूँ कि एक आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र तथा एक निर्वाचन-क्षेत्र जिसमें स्थान आरक्षित किया गया है—इन दोनों के बीच अंतर करना आवश्यक है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग-अलग हैं और वास्तविक प्रश्न जिस पर विचार करना है, यह है कि मंशा क्या थी—क्या आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली अपनाने का इरादा था या ऐसी निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली अपनाने का इरादा था, जिसमें स्थान सुरक्षित कर दिया जाये? मेरी समझ में, यह बात भी लगभग निर्णीत हो चुकी है, जैसा कि संविधान सभा की मंशा से स्पष्ट हो जाता है। पहली बात यह है और मेरे मित्रों को याद होगा कि संविधान सभा ने विभाजक मतदान के पक्ष में एक संकल्प पारित किया था। मेरा निवेदन यह है कि क्या विभाजक प्रणाली के पक्ष में इस प्रकार का संकल्प पारित करने की कोई आवश्यकता थी जब तक कि संविधान सभा की यह मंशा न हो कि निर्वाचन-क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें कि स्थान आरक्षित कर दिया गया हो? यदि मंशा आरक्षित स्थान की होती, तो यह प्रश्न नहीं उठा होता, क्योंकि तब एक व्यक्ति एक-वोट की प्रणाली अपनाई गई होती। दूसरे, यद्यपि संविधान में इस विषय पर व्यक्त रूप से कोई उल्लेख नहीं है, तथापि संविधान के निर्माताओं तथा संविधान सभा की मंशा अनुच्छेद 332, खंड (5) से स्पष्ट है। मेरे मित्र श्री चालिहा इस अनुच्छेद से भली-भांति परिचित होंगे। सदन को याद होगा कि एक विवाद उठा था कि क्या जनजाति क्षेत्र के लिए एक निर्वाचित-क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाये, जिससे कि वहां से केवल जनजाति उम्मीदवार ही खड़ा हो। दूसरी ओर, यह प्रश्न उठाया गया कि यदि कोई निर्वाचन-क्षेत्र इस प्रकार बनाया जाये कि केवल जनजाति उम्मीदवार ही खड़ा हो सके, तो शेष गैर-आदिवासी लोगों की नागरिकता बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। सभा ने निर्णय लिया था कि यह स्थिति ठीक नहीं होगी। तदनुसार अनुच्छेद 332 (5) पारित करने में उसने एक विशेष उपबंध किया है कि यदि यह बात करनी हो तो कुछ क्षेत्र जहां गैर-आदिवासी लोग केन्द्रित हों, पृथक कर दिए जायें और उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाये। अतएव इस तथ्य से कि संविधान सभा ने वितरणशील मतदान का समर्थन किया था। और इस तथ्य से कि संविधान के अनुच्छेद 332 खंड (5) में यह उपबंध है; मैंने निष्कर्ष निकाला है कि संविधान सभा की मंशा में एक स्थान आरक्षित करने की प्रणाली होनी चाहिए। इन उपबंधों की इस व्याख्या के अनुसरण में ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में धारा 6 उप-धारा (2) खंड (घ) के रूप में उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

वितरणशील मतदान के संबंध में, मेरे दोनों मित्रों पंडित कुंजरु और श्री दास ने विस्तार से अपना मत व्यक्त किया है जिसकी हमारी पद्धति में अनुमति है। जैसा मैंने कहा, यह तर्क दिया जा सकता है कि संचयी प्रणाली इसलिए बेहतर है क्योंकि इसे अल्पसंख्यक, चाहे वे सामाजिक हों या राजनीतिक, इकट्ठे होकर अपना प्रतिनिधि सदन के लिए चुन सकते हैं। जैसा मैंने अभी-अभी कहा, हम इस विषय पर नये सिरे से शुरूआत नहीं कर सकते। मेरे मित्र को याद होगा कि इस मामले पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी, तथा सरदार पटेल जैसे व्यक्ति द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उसमें उनकी अवधारणा थी कि सब अल्पसंख्यकों, जैसे मुसलमानों, ईसाइयों इत्यादि, के लिए समस्त विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया जाये तथा केवल अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए इसे बनाये रखा जाये और इन दोनों वर्गों के लिए जब भी किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई स्थान आरक्षित किया जाये, तो मतदान की प्रणाली वितरणशील मतदान प्रणाली होगी। वह संकल्प संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रश्न पर कुछ वाद-विवाद हुआ था। परन्तु अंततोगत्वा सभा का निर्णय वितरणशील मतदान के पक्ष में हुआ था। मैं समझता हूँ कि हमारी संसद को संविधान सभा द्वारा लिए गये निर्णयों का आदर करना चाहिए, क्योंकि आखिर संविधान सभा से ही अपने अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त किए हैं। संविधान सभा द्वारा लिए गये कुछ निर्णय हमारे संविधान में सम्मिलित कर लिए गये हैं, कुछ अन्य जो हम अपने संविधान में शामिल नहीं कर सके, अभी शेष रहते हैं। मैं दूसरे पक्ष की बात में निश्चय की कुछ औचित्य देखता हूँ, परन्तु मुझे लगता है कि इस विषय पर चाहे जो भी दृष्टिकोण हो, यह मामला निर्णीत समझा जाना चाहिए। यदि अगले या उसके बाद के निर्वाचनों में हुए अनुभव के आधार पर सदन इस परिणाम पर पहुंचता है कि यह प्रणाली अच्छी नहीं हैं, तो जो भी कदम वह उठाना चाहे उसके लिए वह स्वतंत्र है। परन्तु फिलहाल तो संविधान सभा का निर्णय बनाए रखा जाना चाहिए।

पांचवा मुद्‌दा परिणामों की घोषणा का है। यह भी मेरे मित्र श्री सारंगधर दास ने उठाया है। यदि मैंने उनकी बात सही समझी है—यदि गलत हो तो वह मुझे सही कर दें, क्योंकि मुझे यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वह चाहते हैं कि निर्वाचन के परिणामों की घोषणा खंडशः नहीं, अर्थात् निर्वाचन-क्षेत्र वार, या राज्य वार, नहीं की जानी चाहिए, सब परिणाम एक ही दिन घोषित कर दिए जाने चाहिए। मेरी समझ में उन्हें गणना खंडशः निर्वाचन-क्षेत्र वार किए जाने में तथा उसका ब्यौरा पूरा किया जाने में, कोई आपत्ति नहीं है। मतगणना करने और घोषणा करने में अंतर है.......

श्री गौतम (उत्तर प्रदेश) : मतगणना उम्मीदवार की उपस्थिति में की जाती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : बिल्कुल। ये उपबंध मौजूद हैं। प्रश्न केवल यह है कि निर्वाचन-क्षेत्र की मतगणना समाप्त होने पर, परिणामों को आप गजट में

प्रकाशित करेंगे तथा तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सब निर्वाचन-क्षेत्रों में गणना पूरी न हो जाये और सारे परिणामों की घोषणा समेकित रूप में एक साथ गजट के एक अंक में की जाये।

सेठ गोविन्द दास : उसका क्या लाभ होगा? क्या यह विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं होगा। (व्यवधान)

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उनकी विसम्मत टिप्पणी ठीक तरह समझना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उनका तर्क यह है और इसमें दम भी है, कि लोग भेड़-चाल की प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाते हैं। यदि एक निर्वाचन-क्षेत्र ने लोगों ने अमुक प्रकार से मत दिया है, तो अन्य लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी वही करना चाहेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। श्री दास का विचार था कि यदि एक निर्वाचन-क्षेत्र का परिणाम घोषित कर दिया गया, जो किसी भी दल के विरुद्ध जाता है, तो दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र वाले भी यह कह सकते हैं कि "हमारे पड़ोसियों ने अमुक प्रकार से मतदान किया है, हम दूसरी तरह का परीक्षण क्यों करें? हम भी उसी प्रकार मतदान करें।"

सेठ गोविन्द दास : जब गिनती उम्मीदवार की उपस्थिति में होगी, तो परिणाम समाचार-पत्रों को मालूम हो जायेंगे। आप परिणामों को रोक कर कैसे रख सकेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां, यह सम्भव नहीं है। जैसा मैंने कहा, कोई भी निर्वाचन कानून इतना परिपूर्ण नहीं हो सकता कि उसमें कोई त्रुटि न निकाली जाये या उसका कोई दुरुपयोग न किया जा सके। अनेक प्रकार की कमियां बनी रहेंगी।

श्री सारंगधर दास (उड़ीसा) : मैंने विसम्मत-टिप्पणी लगायी थी और एक संशोधन भी दिया है, क्योंकि कुछ राज्यों में साधारण निर्वाचन होने की सम्भावना है जब कि कुछ अन्य राज्यों में मतदाता-सूचियां तैयार नहीं हैं और वे राज्य चाहेंगे कि वहां निर्वाचन बाद में हों। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ निर्वाचनों के परिणाम तब तक के लिए रोक रखे जाएं, तब तक कि बाद के निर्वाचन समाप्त न हो जायें तथा सब परिणामों को एक साथ घोषित किया जाये।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न कर रहा था क्योंकि उनकी विसंम्मत-टिप्पणी बहुत संक्षेप में हैं। निस्संदेह, इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि उन्होंने तो मत व्यक्त किया है उसमें कुछ वजन है।

माननीय उपाध्यक्ष : इसका प्रभाव किसी एक निर्वाचन पर नहीं पड़ता।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं पड़ता। मैं केवल मतगणना और घोषणा के बीच अंतर कर रहा हूँ, जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) : गणना सार्वजनिक रूप से होगी और परिणाम मालूम हो जायेंगे तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो जायेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहां तक गणना का प्रश्न है, उसके लिए नियम हैं। फिर वाहनों के प्रयोग का जटिल प्रश्न है। विधेयक किसी उम्मीदवार को मतदाताओं को ले जाने के लिए कार अथवा अन्य प्रकार के वाहनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता, परन्तु यदि स्वयं मतदाता के पास कार है तो वह मतदान केन्द्र पर जाकर अपना मत डालने के लिए उसका प्रयोग कर सकता है।

सेठ गोविन्द दास : क्या कोई मतदाता गाड़ी किराए पर ले सकता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि वह पैसा खर्च करना चाहे तो ले सकता है। परन्तु माननीय सदस्य को इस प्रश्न पर चिंता है। उनका कहना है कि कोई भी उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन कर सकता है, कुछ रुपये मतदाता के हाथ में रखे और कहे कि "आप गाड़ी किराये पर ले लें, मैं उसका भुगतान करूंगा, अपना मत मुझे दें।" इसलिए मेरे मित्रों का कहना है कि यह उपबंध निष्फल होगा। मैं इस संभावना से इंकार नहीं करता, परन्तु हमारे सोचने की बात यह है कि क्या इस उपबंध का उल्लंघन इतने बड़े पैमाने पर होगा कि इस विशिष्ट धारा को पूर्णतया निष्फल बना दें। मेरा उत्तर है कि यह सम्भव नहीं है। यह मेरा मत है। दूसरी ओर, हमें दो अन्य पहलुओं पर विचार करना है-इस बारे में मैं बहुत स्पष्टता से कहूंगा। हम उपबंध कर रहे हैं कि हमारे मतदान केन्द्र किसी भी गांव से दो या तीन मील से अधिक फासले पर नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में, शायद गाड़ी का प्रयोग आवश्यक नहीं होगा। दूसरी ओर यह भी सही है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार है और जो मतदान करना भी चाहते हैं, परन्तु वृद्धावस्था के कारण मतदान केन्द्र तक चल कर नहीं जा सकते। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जो लंकड़े हैं या अन्य प्रकार से अपंग हैं, और मतदान केन्द्र पर चल कर जाने में असमर्थ हैं।

एक माननीय सदस्य : जैसे महिलाएं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि आप कहते हैं कि महिलाएं, तो हो सकता है-परन्तु भारत में स्त्रियाँ अपने पावं पर चलती हैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता नहीं है।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : इस सदन में हमारी बहनें क्या हैं-महिलाएं या स्त्रियाँ?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसका उत्तर तो वे ही देंगी।

इसलिए, जैसा मैंने कहा, इस प्रश्न पर निर्णय लेने में इन विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। एक यह है कि हमारे मतदान केंद्र पहले की अपेक्षा अब कहीं निकट

होंगे। दूसरे अनेक लोग ऐसे हो सकते हैं, जो अपनी अपंगता के कारण मतदान केन्द्र तक न जा सकें। क्या आप परिवहन के साधन की सहायता उनसे छीनकर उन्हें मतदान करने से वंचित नहीं कर देंगे?

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : उनके मामले में अपवाद कर दीजिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा मैंने कहा, मैं कोई बनी बनायी धारणा व्यक्त करके इस प्रश्न को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। मैं मुद्दे के दोनों पहलू सदन के समक्ष रख रहा हूँ। निर्णय सदन के हाथ में हैं। व्यक्तिगत रूप से, मुझे कोई चिंतां नहीं होगी यदि गाड़ी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाये जो भी मतदान करना चाहे, चल कर आये और मत दे। परन्तु इस तथ्य पर तो विचार करना ही है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जो चल कर जाने की स्थिति में नहीं हैं, और हमें उनके लिए कुछ न कुछ उपबंध करना चाहिए।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ। निर्वाचन में सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेना। यह प्रश्न श्री गोकुलभाई भट्ट और शायद श्री खंडूभाई देसाई द्वारा उठाया गया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है और इस पर विचार करते समय इन बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें मतदान के अधिकार एवं राजनीतिक दल बनाने अथवा किसी विद्यमान राजनीतिक दल की सहायता करने के मध्य अंतर करना चाहिए। जहां तक मतदान के अधिकार का प्रश्न है, इस देश में किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया गया है, न तो सरकारी सिविल सेवाओं के कर्मचारियों को और न ही सैनिकों को। जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या उन्हें कोई राजनीतिक दल बनाने के लिये किसी संघ का निर्माण करने अथवा किसी विशिष्ट राजनीतिक दल की सहायता करने का हक है। मेरी समझ में सरकार के असैनिक या सैनिक कर्मचारियों को दलगत राजनीति में भाग लेने की अनुमति देना सरकार के लिए विनाश के बीज बोने से कम नहीं है। यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। यदि सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों को सरकार के विरुद्ध राजनीतिक संगठन बनाने दिया जाता है, तो प्रशासन का क्या होगा? क्या वे उस सरकार के प्रति वफादार हो सकते हैं, जिसे वे राजनीतिक कार्यवाही से गिराना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इससे सारा प्रशासन बिखर जायेगा। दूसरे, यह भी याद रखना चाहिए—और मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर इसे भुला दिया जाता है—कि क्या सरकार की राजनीतिक पार्टी, मंत्रिगण आदि, पक्षपाती हैं या तटस्थ अथवा वह इस ओर की या उस ओर की तरफदारी करती है। यह मामूली बात है। महत्वपूर्ण बात है, प्रशासन की निष्पक्षता। मेरी समझ में, सरकार की अपेक्षा शासन तंत्र कहीं अधिक महत्व रखता है। और इस शासन तंत्र को यदि राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने की अनुमति मिल जाये तो क्या प्रशासन तटस्थ रह सकता है? क्या वह उनका पक्ष नहीं लेगा जो

उसके साथ काम करते हैं और उनके प्रतिकूल नहीं होगा जो उसके साथ काम नहीं करते। ऐसे प्रशासन का क्या बनेगा? इसलिए, मैं अपने मित्र श्री खंडूभाई देसाई या श्री गोकुलभाई भट्ट के इस सुझाव के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि प्रशासन को राजनीति में भाग लेने की या सभाएं करके, प्रचार करके, पैसा जमा करने या अन्यथा किसी उम्मीदवार की सहायता करने की अनुमति दी जाये। मेरी राय में इससे सरकार के असैनिक और सैनिक दोनों अंग तितर-बितर हो जायेंगे।

श्री भट्ट (बम्बई) : मेरे सुझाव के पीछे यह धारणा नहीं है।

श्री खंडूभाई देसाई (बम्बई) : मेरे द्वारा विसम्मत टिप्पण में उठाये गये सामान्य सरकारी कर्मचारियों को किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने की अनुमति का जवाब आप नहीं दे रहे थे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने समझा था कि आपने सामान्य प्रकार से यह बात उठायी है, परन्तु यदि आपका इरादा कोई संशोधन प्रस्तुत करने का है तो इस मामले पर बाद में चर्चा की जायेगी। इस विषय पर मेरे पास काफी सामग्री है और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर मैं सदन को संतुष्ट कर सकूंगा।

श्री भट्ट : जो सुझाव मैंने दिया है उसका संबंध प्रशासनिक पदों वाले अधिकारियों से नहीं है, अपितु केवल आम कर्मचारियों से है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मामूली कर्मचारी और बड़े कर्मचारी के बीच अंतर करना बहुत कठिन है।

एक और भी मुद्दा है जो चुनाव चिह्न के बारे में है। प्रवर समिति ने तय किया है कि धार्मिक तथा राष्ट्रीय चुनाव-चिह्नों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। हमारे मित्र श्री दास और इससे श्री मान तथा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इससे सहमत नहीं हैं। श्री दास इस उपबंध के पक्ष में हैं, परन्तु वह इसे और विस्तृत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्जित चुनाव-चिन्हों की आभासी नकल की जा सकती है और चूंकि वे केवल सत्याभासी होंगे, वास्तविक नहीं, राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए इस उपबंध की अवहेलना करना संभव है। परन्तु, जैसा मैंने कहा आभासी की नकल को रोकने का उपबंध करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ़ना सम्भव प्रतीत नहीं होता। यह कठिनाई पार करने के लिए मुझे तो अभी तक कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिले हैं। मेरे मित्र श्री मान और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने आपत्ति की है। उनका कहना है कि ऐसे चुनाव चिह्नों की अनुमति दे दी जानी चाहिए—हिन्दू महासभा को अपने निर्वाचन अभियान के दौरान अपने ध्वज का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। मेरा विचार है कि प्रवर समिति द्वारा भेजे गये प्रारूप में इस विधेयक में किया गया उपबंध बहुत अच्छा है क्योंकि चुनाव ऐसे मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए जिनका धर्म, संस्कृति आदि से कोई संबंध नहीं हो।

किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे किसी मुद्दे पर भावुकता जगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जिसका लोगों की दिन-प्रति-दिन की समस्याओं से कुछ लेना-देना न हो।

श्री कामथ : और राजनीतिक भावुकता?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : राजनीतिक भावुकता या उत्साह में कोई हर्ज नहीं है। राजीतिक भावुकता के अतिरिक्त किसी अन्य भावुकता की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए, यह एक अच्छा उपबंध है और इसमें दिए गये सुझाव मुझे स्वीकार हैं।

अब मैं प्रवर समिति की रिपोर्ट की अंतिम सिफारिश पर आता हूँ, जिससे कि दिलों में काफी बदमगजी पैदा हुई है। अर्थात् निर्वाचन-व्यय के विवरण के बारे में, कि इस विवरण में क्या-क्या खर्च शामिल किए जायें। श्री गोयनका ने यह मुद्दा अपने असहमति-टिप्पण में उठाया है। उनका कहना है कि यदि यह खंड अपने विद्यमान रूप में रहा गया, तो कोई राजनीतिक दल चुनावों में पैसा खर्च करने के लिए स्वतंत्र या हकदार नहीं होगा और उनके अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। राजनीतिक दल को चुनाव में पैसा खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए, जिसे किसी उम्मीदवार को—और यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—अपने निर्वाचन-व्यय में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी यह धारणा इसलिए बनी है कि निर्वाचन-व्यय का अर्थ समझने के बारे में उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। प्रवर समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद, मैंने विस्तार से उन मामलों का अध्ययन किया, जो गत वर्षों में इंग्लैण्ड के निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गये हैं और मैं सदन को उसके कुछ निर्णयों के बारे में बताना चाहूंगा। इस प्रश्न पर विचार करते समय, पहली बात ध्यान देने योग्य यह है कि हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिये कि किसी उम्मीदवार के 'निर्वाचन व्यय' का अर्थ क्या है। निर्वाचन-व्यय का अर्थ है 'निर्वाचन प्रारम्भ होने से निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान किया गया व्यय।'

श्री कॉमथ : प्रारम्भ का अर्थ नामांकन से है या मतदान से?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ। यह उससे पूर्व हो सकता है।

इसलिए, हमें यह याद रखना चाहिए कि शब्द 'निर्वाचन-व्यय' का संबंध एक निश्चित अवधि से है, अर्थात्, निर्वाचन प्रारमभ होने से निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि। निर्वाचन प्रारम्भ होने से पूर्व किया गया व्यय निर्वाचन-व्यय में शामिल नहीं है।

श्री कॉमथ : प्रारम्भ का क्या अर्थ है-नामांकन या मतदान?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूँ। यदि आप मुझे आगे बढ़ने दें, तो मैं स्पष्ट करूंगा। स्वयं मैंने इस बात को समझने के लिए काफी समय और परिश्रम लगाया है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या विधेयक के पाठ में इस पर कोई प्रतिबंध है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसी कोई बात नहीं है, परन्तु मैं 'निर्वाचन-व्यय' शब्दों की न्यायिक व्याख्या की बात कर रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या इसका अर्थ निर्वाचन की प्रत्याशा में किए गये सारे व्यय से है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : शब्द 'निर्वाचन' पर जोर है। निर्वाचन का अर्थ ऐसी घटना से है, जिसकी एक शुरुआत है और एक अंत है। इसलिए, जो मैं कह रहा हूँ। वह यह है कि हमारा केवल उस व्यय से संबंध है जो एक निर्वाचन पर किया गया हो जिसका आरम्भ होता है और समापन होता है।

श्री कॉमथ : हर चीज का होता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कुछ चीजों का शायद नहीं होता। कुछ चीजें सनातन होती है—उनका न कोई आरंभ है, न कोई अंत। परन्तु निर्वाचन सनातन नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन से पहले किया गया कोई व्यय, चाहे वह उम्मीदवार द्वारा किया गया हो या पार्टी द्वारा, निर्वाचन-व्यय के अर्थ में नहीं आता। निर्वाचन आरम्भ होने से पहले कोई भी पार्टी कितना भी पैसा खर्च कर सकती है। वह खर्च निर्वाचन-व्यय का भाग नहीं है। निर्वाचन के बाद, कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार कुछ भी करे। चुन जाने के बाद कोई भी उम्मीदवार लोगों को, खाद्य विनियमों के अंतर्गत, इम्पीरियल होटल में भोज के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह निर्वाचन-व्यय का भाग नहीं है। इसलिए, इन दो बातों को छोड़कर, कोई भी राजनीतिक दल कितना भी व्यय करने को स्वतंत्र है। इस खंड में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री सिधवा : 'निर्वाचन के दौरान' के बारे में आपको क्या कहना है?

सेठ गोविन्द दास : खड़े हो गए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझसे जिरह मत कीजिए। मुझे बोलने दीजिए। यदि आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो शायद अंत में आपको कोई प्रश्न पूछने को नहीं रह जायेंगे।

अब मैं श्री सिधवा द्वारा उठाए गये 'निवाचन के दौरान' किए गये व्यय के मुद्दे पर आता हूँ। इस स्थिति पर हम ठोस रूप से विचार करें, कल्पनात्मक रूप से नहीं। जब चुनाव चल रहा होता है, तो क्या होता है? दो बातें हो सकती हैं। पहली, राजनीतिक सभाएं या राजनीतिक भाषण हो सकते हैं।

श्री सिधवा : राजनीतिक पैम्फलेट भी हो सकते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उस पर मैं अलग से आ रहा हूँ। मैं हर बिन्दु को अलग-अलग ले रहा हूँ। पहले हम राजनीति सभाओं और भाषणों को लें। मैं समझता हूँ कि सब सहमत होंगे कि राजनीतिक सभाओं और राजनीतिक भाषणों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये सभाएं और भाषण, किसी उम्मीदवार का नाम लिए बिना, अपने दल के हितवर्द्धन के लिए हो सकते हैं। अनुदार दल आकर कह सकता है कि "हम निजी सम्पत्ति में विश्वास करते हैं, हम औद्योगिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं," इत्यादि। दूसरी ओर किसी विशिष्ट उम्मीदवार के समर्थन में राजनीतिक सभाएं या राजनीतिक भाषण हो सकते हैं। जहां तक न्यायिक निर्णयों का संबंध है, ऐसी राजनीतिक सभाओं तथा राजनीतिक भाषणों पर किया गया व्यय, जो किसी व्यक्ति विशेष की उम्मींदवारी के समर्थन में नहीं किया गया है, निर्वाचन-व्यय का भाग नहीं है। इसलिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में जाने, सभाएं और भाषण आयोजित करने, अपने सिद्धांतों और निष्ठाओं को प्रतिपादित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि किसी के नाम का उल्लेख न किया जायें। दूसरी ओर, एक ऐसी सभा आयोजित की जा सकती है, जिसकी मंशा किसी विशिष्ट उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं का समर्थन जुटाना हो। यह व्यय स्पष्ट रूप से निर्वाचन व्यय का भाग होगा। मैंने आपके सम्मुख वह रेखा प्रस्तुत कर दी है, जो उस व्यय के बीच जो निर्वाचन-व्यय का भाग है और जो निर्वाचन-व्यय का भाग नहीं है। खींची जानी चाहिए।

सेठ गोविंद दास : यह बहुत द्विविधापूर्ण है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां, यह बहुत द्विविधापूर्ण है। आप एक सीधी लाइन चाहते हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं है।

अब दूसरा बिन्दु लीजिए। उदाहरणार्थ पुस्तिकाओं, पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि की बात। ऐसी पुस्तिकाएं, पैम्फलेट, पोस्टर आदि जो किसी दल के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, निर्वाचन-व्यय का भाग नहीं हैं और किसी उम्मीदवार को वह व्यय अपने निर्वाचन-व्यय के विवरण में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, यदि कोई पुस्तिका निकाली जाती है, जिसमें कहा गया हो कि "श्री अमुक के पक्ष में 20 सूत्र-उनका चुनाव क्यों" अथवा यदि कोई पोस्टर निकाला जाता है जिसमें उम्मीदवार की फोटो छपी हो और उसके नीचे उसकी प्रशंसा की गयी हो तथा मतदाताओं से उसे चुनने की सिफारिश की गई हो, तो निश्चित रूप से यह उसका चुनाव में समर्थन और संवर्द्धन है और इस पर किया गया व्यय निर्वाचन-व्यय के विवरण में दिखाया जाना चाहिए।

मैं ग्रेट ब्रिटेन में निर्वाचन याचिकाओं पर विभिन्न ट्रिब्यूनलों द्वारा दिए गये परिणामों की बात कर रहा हूँ। उपरोक्त भेद उन्होंने किया है। कोई बात जिससे किसी उम्मीदवार विशेष की निर्वाचन संभावना नहीं बढ़ती, निर्वाचन-व्यय का भाग नहीं है और इसलिए किसी को भी ऐसा व्यय करने की स्वतंतत्रता है, चाहे वह कोई राजनीतिक दल हो या

परोपकारी व्यक्ति हो, मित्र हो या इस मामले में रुचि रखने वाला कोई और। इंग्लैण्ड के ट्रिब्यूनलों ने इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं कि किस प्रकार का व्यय निर्वाचन-व्यय के विवरण में दिखाया जाना चाहिए और यदि हमारे निर्वाचन ट्रिव्यूनल उन्हीं नियमों का पालन करें, तो राजनीतिक दलों को अपने राजीतिक विचारों के संवर्द्धन के लिए पैसा खर्च करने को पर्याप्त क्षेत्र है। यदि वे किसी विशिष्ट उम्मीदवार का हित-वर्द्धन करने वाला कोई काम करते हैं, तो वह व्यय उसका निर्वाचन-व्यय बन जाता है तो उस उम्मीदवार के निर्वाचन-व्यय विवरण में दिखाया जाना चाहिए। श्रीमन्, प्रवर समिति की रिपोर्ट तथा माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये विसम्मत टिप्पणी से उठने वाले सभी मुद्दों पर मैं अपने विचार रख चुका हूँ।

श्री सतीश चन्द्र (उत्तर प्रदेश) : निर्वाचन की अवधि क्या मानी जायेगी? निर्वाचन के प्रारम्भ और समापन का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहां तक समापन का प्रश्न है, न्यायालयों के अनुसार मतदान निर्वाचन का उपसंहार है।

निर्वाचन के प्रारंभ के बारे में, न्यायालय ने कहा है कि इसका निर्धारण तथ्य के आधार पर किया जाये।

सामान्यतया, जब तक कि कोई प्रतिकूल बात न हो, नामांकन की तिथि निर्वाचन के प्रारम्भ की तिथि होगी। किन्तु, यह भी बिल्कुल सम्भव है कि कोई उम्मीदवार निर्वाचन से बहुत पहले सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दे कि वह उम्मीदवार होगा। न केवल घोषणा, अपितु किसी दूसरे उम्मीदवार से आगे बढ़ने के लिए कुछ पैसा भी खर्च कर सकता है। ऐसी दशा में जिस तिथि को उसने सार्वजनिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, वह उसके मामले में निर्वाचन का प्रारम्भ मानी जायेगी।

डॉ. सी.डी. पाण्डे (उत्तर प्रदेश) : तब हर एक की अपनी-अपनी तिथि होगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसा मेरा ख्याल है। श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद कोई भी अपनी उम्मीदवारी की खुली घोषणा करेगा।

श्री सौंधी (पंजाब) : कुछ लोगों ने दिल्ली से अपने बारे में पहले ही घोषणा कर दी है। उनका क्या होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं जो कुछ कह चुका हूँ उसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है और यह प्रस्ताव सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत है :

"कि संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की सदन अथवा सदनों के लिए निर्वाचन, उन सदनों के सदस्यों की अर्हताओं और निर्हिताओं, इन निर्वाचनों केसंबंध में होने वाले भ्रष्टाचार और अवैध आचरणों तथा अन्य अपराधों, और इन निर्वाचनों से तथा इनके संबंध में उठने वाली आशंकाओं तथा विवादों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

मैं इस विधेयक की प्रवर समिति का सभापति था और उस नाते मैं सदन के विचारार्थ एक सुझाव देना चाहता हूँ। विधेयक में आद्योपात कोई एक सिद्धांत नहीं लागू है। विभिन्न खंडों में अलग-अलग मुद्दे लिये गये हैं, जिन पर माननीय विधि मंत्री ने प्रकाश डाला है। इसलिए, यदि सदन सहमत हो, इस विधेयक पर चर्चा को संक्षिप्त करने के लिए मैं प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा और तत्पश्चात् खंडों पर वास्तविक चर्चा आरम्भ होगी।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री सिधवा : मैं समझता हूँ कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री गौतम : सदन के लिए यह निर्णय करना बहुत कठिन होगा कि क्या एक खंड का दूसरे के साथ कोई संबंध है। यदि आप यह प्रक्रिया शुरू करेंगे तो यदि आज नहीं तो कल बहुसंख्यकों की निरंकुशता आरंभ हो जायेगी। इसलिए आपसे सदन के और विशेषकर अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकारों का संरक्षक होने के नाते, मेरा अनुरोध है कि यह नयी प्रक्रिया आरंभ न करें।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे गलत न समझें। मुझे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। मैं बिना बहुसंख्यक या अलसंख्यक के मुद्दे के सदन से केवल एक अपील की है।

श्री कामथ : श्री मोहनलाल गौतम से अल्पसंख्यक हितों की बात सुन कर बड़ी प्रसन्नता होती है।

माननीय उपाध्यक्ष : जो भी हो, मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण मेरा सुझाव ध्यान में रखेंगे और आज ही इस पर चर्चा समाप्त कर देंगे।

श्री गौतम : मैं यह विधेयक सदन के सम्मुख लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूँ, भले ही इसमें देर हुई। कांग्रेस के विरोधियों तथा अन्य निहित स्वार्थ वाली पार्टियों ने देश में और बाहर ऐसी धारणा पैदा कर दी है कि कांग्रेस निर्वाचन नहीं कराना चाहती। मैं समझता हूँ कि सरकार की कठिनाइयां हैं; प्रांतीय सरकारों की अपनी कठिनाइयां हैं।

परन्तु मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में कभी निर्वाचनों में विलम्ब करने के पक्ष में नहीं रही है।

हम किसी डर के कारण निर्वाचनों में विलम्ब नहीं करना चाहते। हम सम्भव यथाशीघ्र निर्वाचन पूरा कराना चाहते हैं। कुछ कठिनाइयों के कारण सरकार पहले निर्वाचन नहीं करा सकी। कुछ दलों के मनों में डर है कि निर्वाचनों में कुछ और विलम्ब होगा। श्रीमन् मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में घोषित कार्यक्रम के अनुसार नवम्बर–दिसम्बर में निर्वाचन करा लिए जाने चाहिए तथा उसके आगे कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए।

***श्री गौतम :** ....अब मैं अंतिम बिन्दु पर आता हूँ जो अवैध आचरण के बारे में हैं। डॉ. अम्बेडकर ने एक मुद्दे की बड़े परिश्रम से व्याख्या की, पर यह हममें से बहुतों को स्पष्ट नहीं हुआ, जैसा कि बीच–बीच में अनेक सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों से प्रतीत होता है। निर्वाचन–व्यय के विवरण के बारे में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि....

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री गौतम : वह खंड इस प्रकार है :

"इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को अवैध आचरण समझा जायेगा :–

(1) उम्मीदवार या उसके एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई सार्वजनिक सभा करने अथवा कोई विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन निकालने के संबंध में किया गया व्यय।"

शब्दावली पर नजर डालिए, यह केवल प्रकाशन की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के इश्तहार बांटता है, तो यह प्रचारित करना है–"अथवा किसी भी अन्य प्रकार से" और इससे रास्ता खुल जाता है। मुझे वहीं स्पष्ट हुआ कि किस परिमाण तक या किस सीमा तक। खंड में आगे है :

"अथवा किसी भी अन्य प्रकार से उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रोन्नत या संघटित करने के लिए प्रयोजनार्थ, जब तक कि उम्मीदवार द्वारा उसे लिखित रूप में इसके लिए प्राधिकृत न किया गया हो।"

यदि मैं उम्मीदवार होता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यह असम्भव होगा कि........

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 9 मई, 1951, पृष्ठ 8375

एक माननीय सदस्य : आप एक उद्घोषणा कर रहे हैं।

*__बाबू रामनारायण सिंह (बिहार) :__ (हिन्दी में प्रस्तुत भाषण): श्रीमन्, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ......

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अंग्रेजी में बोलिए।

बाबू रामनारायण : जी नहीं, अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। अंग्रेजी में बोल कर हम स्वयं को अपनी दासता की याद क्यों दिलाएं?

डॉ. अम्बेडकर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो कानून बनाये जा रहे हैं, उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की कोई सरकार संसद सदस्यों को भ्रष्ट न कर सके। यह अच्छी बात है, परन्तु इसके लिए कोई उपबंध होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि सरकार में भ्रष्टाचार न हो क्योंकि यदि सरकार ही भ्रष्ट होगी तो सदस्य भी भ्रष्ट हो जायेंगे। होता यही है। इसलिए लक्ष्य यह होना चाहिए कि उनको भ्रष्ट होने का कोई अवसर प्रदान न किया जाये। दूसरे शब्दों में, देश में भ्रष्ट सरकार बिल्कुल नहीं होनी चाहिये।

**__पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा :__ इस बात को देखते हुए कि दूसरा पक्ष अपनी बात स्पष्ट करने के लिए यहां उपस्थित नहीं है, ये आरोप बेमानी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : इसका संबंध कांग्रेस के निर्वाचनों से हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : संविधान के अंतर्गत, अब यह मामला निर्वाचन आयोग के हाथ में हैं, सरकार के हाथ में नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : निर्वाचन आयोग को इस मामले में सर्वोच्च बनाया गया है और प्रवर समिति की कार्यवाही से पता चलता है कि सामान्य निर्वाचनों तथा उप-निर्वाचनों दोनों के बाारे में उसे और अधिकार दिए गये हैं। निर्वाचन आयोग को अधिकाधिक महत्व दिया गया है।

श्री कॉमथ : माननीय सदस्य इस उपयोगी परिवर्तन का समर्थन करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : परन्तु हम विगत काल की छानबीन नहीं कर रहे हैं। वह इस विधेयक पर बोलें।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 9 मई, 1951, पृष्ठ 8413

**सं. वा., खंड 11, भाग II 9 मई, 1951, पृष्ठ 8415

***पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा :** ....अब मैं निर्वाचन व्यय के प्रश्न पर आता हूँ। जैसा प्रो. शाह ने कहा, अधिकतर व्यय या तो प्रचार और विज्ञापन में होगा या मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर ले जाने में। जहां तक प्रचार और विज्ञापन का संबंध है, यह व्यय उम्मीदवार की पार्टी को करना चाहिए। हमारी जो स्थिति है, उसे देखते हुए कोई व्यक्ति अपने पास से इतना खर्चा नहीं कर सकता; उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी का होगा और वह पार्टी यथासमय अपनी स्वयं की कार्य-पद्धति विकसित कर लेगी। प्रारम्भ में हम कुछ गलतियां कर सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार अन्य देशों ने सही कार्यपद्धति विकसित कर ली हैं, हम भी प्रचार और विज्ञापन के उचित तरीके विकसित करने में पीछे नहीं रहेंगे। परन्तु इस बात पर मैं माननीय विधि मंत्री से सहमत नहीं हूँ कि पार्टी के स्तर पर किया गया व्यय उम्मीदवार द्वारा किया गया व्यय माना जाना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा, मैंने इसका उलट कहा है।

पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा : फिर ठीक है। उम्मीदवार का व्यय उसी व्यय तक सीमित रहना चाहिए, जो वह स्वयं करे अथवा उसकी ओर से उसका एजेंट या मित्र करे। इसलिए प्रो. शाह की यह शंका नहीं है कि व्यय बहुत अधिक होगा, क्योंकि मतदान केन्द्रों तक मतदाताओं का पहुंचाना आसान कर दिया गया है...

****डॉ. सी.डी. पाण्डे (उत्तर प्रदेश) :** इस विधेयक के प्रावधानों को लेने से पूर्व, मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस सदन के सदस्यों को दिए गये उस अभिनन्दन का उल्लेख करना चाहूंगा कि यह कोरस बालाओं की मण्डली है....

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है। यह बिल्कुल सही नहीं है कि मैंने सदन के बारे में यह बात कही। मैंने सामान्य संदर्भ में यह कहा था। इसका सदन से कोई संबंध नहीं था।

श्री आर. वेलायुधन : यह सदन के लिए नहीं कहा गया था।

डॉ सी.डी. पाण्डे : यदि उनका यह मतबल नहीं था तो.....

माननीय उपाध्यक्ष : वह सदन के सदस्यों को निर्वाचित होने के बाद कोरस बालाएं नहीं बनने देना चाहते।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 9 मई, 1951, पृष्ठ 8460-61

**सं. वा., खंड 11, भाग II, 10 मई, 1951, पृष्ठ 8464-65

डॉ. सी.डी. पाण्डे : यह लगभग वही बात है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : बिल्कुल नहीं। इसका संदर्भ भविष्य के सदस्यों से था।

डॉ. देशमुख : उन्हें इस सदन में अभी तक कोई ऐसे चरित्र नहीं मिले हैं।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : कम से कम मुझे कुछ अन्य सदस्यों सहित यह महसूस हुआ कि यह उल्लेख उचित नहीं था, और यदि यह उपयुक्त था, तो मैं इस उदाहरण को आगे बढ़ाना चाहूंगा। यदि हम सब 'कोरस बालाएँ' हैं, तो वह उस संस्था के मैट्रन हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : आप हो सकते हैं, हम नहीं हैं।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : वह उस संस्था के मैट्रन हैं।

श्री आर. वेलायुधन : श्रीमन, क्या यह एक आक्षेप नहीं है?

श्री राजगोपालचारी : यदि हम बार-बार कोरस बालाओं की बात करेंगे तो शायद वे भी आपत्ति करने लगें।

माननीय उपाध्यक्ष : वास्तव में सदन की कुछ महिला सदस्यों ने मुझसे कहा कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए था और 'कोरस बालाओं' का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए था। आजकल वे ऐसे मामलों के बारे में बहुत भावुक हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि उन्हें इससे नाराजगी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने कहा था कि हमने कुछ बातों का प्रावधान नहीं किया, तो अमुक स्थिति बन जायेगी। मेरा सदन के सदस्यों का उल्लेख करने का जरा भी इरादा नहीं था। मैं उन परिणामों की बात कर रहा था, जो सामने आयेंगे यदि कुछ सावधानियां नहीं बरती गयीं।

बाबू नारायण सिंह (बिहार) : आपकी बात ठीक थी।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : यदि उनका मतलब यह नहीं था, तो मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ।

इस विधेयक के मुख्य उपबंधों पर पहले वक्ताओं द्वारा अच्छी तरह चर्चा की गई है और मैं केवल कुछ मुद्दों को लूंगा। मेरे लिए सबसे प्रमुख बात कांग्रेस द्वारा देश के निर्वाचन अभियानों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जाना है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय ध्वज तथा कांग्रेस द्वारा प्रयुक्त ध्वज के बीच बहुत मामूली सा अंतर है तथा लोगों में भ्रम पैदा करता है। अधिकारियों के लिए यह अन्तर करना बहुत कठिन होगा कि किसी ध्वज पर अशोक चक्र है या चर्खा है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि दोनों के बीच अन्तर करने में कोई समस्या नहीं है।

***डॉ. सी.डी. पाण्डे :** ....डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वह निर्वाचन-व्यय का विवरण दायर किए जाने के बाद में कोई कठिनाई नहीं देखते, क्योंकि निर्वाचन-व्यय का अर्थ है नामांकन के पश्चात् निर्वाचन पर किया गया व्यय। उनसे प्रश्न पूछा था कि नामांकन से पूर्व किया गया व्यय निर्वाचन व्यय में शामिल है या नहीं। उनका उत्तर था कि वह स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि किसी ने अपनी उम्मीदवारी उस दिन घोषित कर दी तो उसे उसी दिन से अपना व्यय-विवरण देना होगा। मेरे विचार में इतने बड़े फैलाव की अनुमति देना तथा निर्वाचन-व्यय और नामांकन व्यय की गई परिभाषा करना, अर्थात् नामांकन व्यय और निर्वाचन व्यय के बीच भेद करना बहुत ही कठिन और खतरनाक होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने ऐसा कोई अन्तर नहीं किया था।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : आपने कहा था कि वैध होने से पूर्व किया गया व्यय निर्वाचन व्यय नहीं है, अर्थात् नामांकन के वैध ठहराये जाने की तिथि तक किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु जो शब्दावली है उसमें निर्वाचन पर किया गया सभी व्यय, चाहे वह नामांकन से पूर्व किया गया हो या बाद में, निर्वाचन-व्यय में शामिल है।

डॉ. राम सुभग सिंह (बिहार) : नामांकन से पूर्व का नहीं।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : क्यों नहीं?

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के अनुसार, यह न्यायिक व्याख्या है।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : मुझे स्वयं निर्वाचन-व्यय का विवरण दायर करने का अनुभव है। इस प्रकार के भी खर्चे होते हें जैसे मतदाताओं की सूची हासिल करना, और इसे भी विवरण में शामिल करना होता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सही है। परन्तु आपको सारे रजिस्ट्रों की आवश्यकता नहीं होती। केवल प्रमाणित प्रविष्टि आवश्यक है। और इस पर आपका दो पैसे से अधिक खर्च नहीं होगा।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि नामांकन व्यय और निर्वाचन व्यय के बीच अभी तक कोई रेखा नहीं थी, परन्तु भविष्य में हो जायेगी।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 10 मई, 1951, पृष्ठ 8469-71

माननीय उपाध्यक्ष : शायद माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि एक स्पष्टीकरण शामिल किया जाना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनका सुझाव केवल यह है कि निर्वाचन-व्यय का विवरण दायर करने जैसा कोई उपबंध नहीं होना चाहिए तथा उम्मीदवार अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : मैं राशि पर रोक नहीं लगाना चाहता, इससे निर्वाचन-व्यय का विवरण दायर करने में कठिनाई होती है कि नामांकन पूर्व का व्यय शामिल किया जायेगा या नहीं, कि निर्वाचन-व्यय शामिल किया जायेगा या नहीं, कि निर्वाचन-व्यय का अर्थ केवल नामांकन के बाद और मतदान के अंत तक किया गया व्यय है या नहीं। लगता है कि निर्वाचन-व्यय को एक नया अर्थ दिया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ...

इसके बाद मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो नाम वापस लेने के बारे में हैं। आपने इसमें कहा है कि उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए किसी पर कानूनी प्रतिबंध नहीं होगा। विभिन्न क्षेत्र बहुत से 'डमी' उम्मीदवार खड़े करते हैं और बाद में उनसे अपने नाम वापस लेने को कहा जाता है। या तो आप कहिए कि इस गोलमोल भाषा का कोई अर्थ नहीं है, अथवा यदि इसका कोई अर्थ है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : भाषा तो स्पष्ट प्रतीत होती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रवर समित को निश्चिय ही इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : खंड 122 (1) (क) कहता है "निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने या न होने, अथवा उम्मीदवारी से नाम वापस लेने, के लिए।"

माननीय उपाध्यक्ष : पहले भाग को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात् "किसी उम्मीदवार द्वारा प्रलोभन देने से तात्पर्य है रिश्वत देना, अर्थात्, कोई भेंट, पद का वादा" आदि।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : मान लीजिए कि मैं किसी उम्मीदवार को सलाह देता हूँ कि वह विधानसभा के लिए खड़ा न हो, क्योंकि विधान परिषद् में उसे लिए जाने का बेहतर अवसर है। क्या इसे भ्रष्ट आचरण कहा जायेगा? जहां तक इस उपबंध का प्रश्न है, मेरी समझ में इसके अनुसार यह भ्रष्ट आचरण होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह उप-खंड (1) के अंतर्गत नहीं आता। आप उसे बेहतर तथा अधिक विश्वस्त सम्भावना प्रदान कर रहे हैं।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : क्या यह इस उपबंध के अंतर्गत नहीं आता?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आप अपनी जोड़-तोड़ जारी रख सकते हैं।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : यह आवश्यक है और हमें इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इसके बिना नहीं चल सकता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : मैं समझता हूँ इस बात पर यह खंड लागू होगा।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : मैं बड़ी विनम्रता से डॉ. अम्बेडकर से कहना चाहता हूँ कि वास्तविक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आयेंगी, जिनका सामना करना पड़ेगा और आप कठिनाइयों में पड़ जायेंगे। यदि हमें यह आशंका नहीं होती कि भविष्य में सभी निर्वाचनों पर प्रश्न लगेंगे और उलटफेर के हीन से हीन तरीके अपनायेगे जायेंगे तथा जनता के आदेश को ठुकराने के लिए न्यायालय और वकील षड्यंत्र रचेंगे, तो हमें इस खंड की भाषा को इसी रूप में रहने देने में कोई एतराज नहीं होता। मेरी समझ में, यदि किसी व्यक्ति को बहुसंख्य मत मिलते हैं तो यही उसके अंतिम रूप में चुने जाने का सर्वोच्च न्यायालय है।

डॉ. देशमुख : इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए भी वकील उपलब्ध होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : दूसरी ओर, क्या यह खतरा नहीं है कि एक उचित उम्मीदवार को, जिसे उसका निर्वाचन-क्षेत्र पसंद करता है, नामजदगी दायर किये जाने के बाद, अवैध पारितोषक के जरिये अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को मजबूर किया जाये?

डॉ. सी.डी. पाण्डे : परन्तु यह निर्णय किया जाना शेष है कि उस व्यक्ति को विधान सभा के बजाय विधान परिषद् के लिए खड़ा करने का वादा भ्रष्ट आचरण है या नहीं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

डॉ. सी.डी. पाण्डे : इन शब्दों से यह बात जाहिर नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष : मेरे विचार में इन आशंकाओं को विभिन्न खंडों पर चर्चा करते समय स्पष्ट कराया जा सकता है।

*__श्री राजबहादुर :__ मैं प्रवर समिति की रिपोर्ट में दिए गये अपने विमत टिप्पणी पर आता हूँ। कल डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि रजवाड़ों को अथवा ऐसे अन्य लोगों को, जो भारत की समेकित निधि से कोई निर्धारित भत्ते, वेतन या पेंशन लेते हैं, अनर्ह करने के लिए किसी खंड का प्रावधान करने की आवश्यकता इस विधेयक में नहीं है।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 10 मई, 1951, पृष्ठ 8477

उन्होंने हमारा ध्यान संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 की ओर दिलाया और कहा कि यदि इस आधार पर किसी सदस्य के विरुद्ध आपत्ति उठायी जाती है, तो इसका निदान राष्ट्रपति से अपील करना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वह मेरी बात सुनें क्योंकि वह चाहते थे कि मैं इस प्रकार का खंड विधेयक में सम्मिलित किए जाने का समुचित कारण बतलाऊं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, विशेषकर रजवाड़ों के बारे में उनकी स्थिति किस प्रकार लाभ के पद की है। वह चाहते हैं कि माननीय मंत्री उनका तर्क ध्यान से सुनें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है, एक अन्य माननीय सदस्य मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछ रहे थे।

श्री जे.आर. कपूर : क्या भारत के सभी पेंशनधारी अनर्ह हैं?

श्री राजबहादुरः इस बारे में भी संशोधन दिए गये हैं।

संक्षेप में, मेरी आपत्ति यह है कि ये एक विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग में आते हैं, इसलिए इन्हें निर्वाचन लड़ने से अनर्ह कर दिया जाना चाहिए। मेरी आपत्ति महज कानूनी या संवैधानिक नहीं है। यह कहीं अधिक आधारभूत है। मुझे भाग ख के राज्यों में हम लोगों के साथ चुनाव लड़ने में उनसे तनिक भी डर नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है, हम चाहते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी बड़े से बड़े के साथ कंधा मिला कर चले। परन्तु स्थिति यह है कि जब हम चुनाव संघर्ष में आते हैं, तो हमें कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं.........

माननीय उपाध्यक्ष : यदि संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर है, तो वह निर्वाचन के लिए अनर्ह होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रकार इसका निदान मौजूद है।

डॉ. राजबहादुर : परन्तु डॉ. अम्बेडकर स्पष्ट नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाना है। इस मुद्दे को न्यायालय में भी ले जाया जा सकता है। जब संविधान में रजवाड़ों को अनर्ह नहीं किया गया है, तो इस विधेयक द्वारा यह कैसे किया जा सकता है? यदि वे अनुच्छेद 102 के अंतर्गत न भी आयें, तो क्या यह एक मूल अधिकार नहीं है?

***माननीय उपाध्यक्ष :** प्रत्यक्षतः माननीय सदस्य का कहने का तात्पर्य यह है कि खंड (ड) के अंतर्गत, "यदि संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून के अंतर्गत वह इससे अनर्ह है," तो संसद इस बारे में कानून बना सकती है।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 10 मई, 1951, पृष्ठ 8482

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसका कोई समुचित कारण तो उन्हें देना चाहिए।

श्री राजबहादुर : इसका औचित्य यह है कि वह सामान्य व्यक्ति पर हावी हो जायेगा। इंग्लैण्ड में भी 'लार्ड्स', को हाउस आफ कामंस के स्थान के लिए लड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे निहित स्वार्थों को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे तथा सामान्य व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करेंगे। इसी प्रकार यदि आप इन लोगों को, जिनकी स्थिति इंग्लैण्ड के लार्डस् जैसी है, अनुमति दे देते हैं, तो वे सामान्य व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों का पक्ष लेंगे और देश की प्रगति में बाधक होंगे।

****श्री अलगेसन :** ....परन्तु मैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रत की अवधारणा के बारे में एक चेतावनी देना चाहता हूँ। उसे यह स्वतंत्रता विभिन्न प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों के प्रति समान व्यवहार बनाए रखने के लिए दी गयी है। आयोग को यह सुनिश्चित करना है कि किसी राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दल के ऊपर कोई अनुचित लाभ न मिले। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि बिना पक्षपात के यह सभी दलों के लिए असुविधा पैदा करें। यहां मैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का उल्लेख करना चाहूंगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि यह बात इस विधेयक की परिधि के बिल्कुल बाहर है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के समक्ष रखे जाने पर इस बात पर बहस होगी।

माननीय उपाध्यक्ष : मेरी समझ में माननीय सदस्य का आशय परिसीमन के प्रश्न के ब्यौरे में जाने का नहीं है। राष्ट्रपति का आदेश अभी जारी नहीं हुआ है और सदन के समक्ष रखे जाने पर उस पर चर्चा होगी। परन्तु यदि माननीय सदस्य सामान्य रूप से यह बताना चाहते हैं कि चूंकि निर्वाचन आयोग को वृहत अधिकार दिए गये हैं, अतएव आयोग को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।

श्री अलगेसन : मेरा ख्याल है मैं इस बात का उल्लेख कर सकता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने अब तक अपना काम किस प्रकार किया है।

डॉ. देशमुख : माननीय सदस्य बताना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग का अब तक का काम किस प्रकार का रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जब निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में राष्ट्रपति का वास्तविक आदेश आयेगा, उस समय इस पर विचार होगा।

**वही, पृष्ठ 8485

***श्री पी.वाई. देशपाण्डे :** ....तथ्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने तथा उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का हक है। संविधान में परिवर्तन किए बिना किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में खड़े होने से रोकने का अब हमें कोई अधिकार नहीं है। चाहे कोई राजा हो या भूतपूर्व राजा, यदि लोग उसे चाहते हैं तो उसे निर्वाचित करने का उन्हें अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिए जाने के बाद, अब उससे मुकरने का हमें कोई कारण प्रतीत नहीं होता। जनता यदि चोरबाज़ारियों के मुखियाओं को भी चुने, समाज में इस तरह के लोग हैं, तो यह उनका फैसला है–सही या गलत, अच्छा या बुरा। यदि आप उस फैसले को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, तो पहले संविधान को बदलिए, और तभी आप कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं।

पं. ठाकुर दास भार्गव : संविधान ने इस सदन को अर्हताएं निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

श्री पी.वाई. देशपांडे : अभी तक आपने यह काम नहीं किया है।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : अब हम यह कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : जो लोग दो वर्ष से अधिक का कारावास भोग चुके हैं, उन्हें अनर्ह करने का क्या औचित्य है?

श्री पी.वाई. देशपांडे : आपका कहना ठीक है। मैं तो एक अपराधी को भी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हूँ। यदि मूलतः आपने यह स्थिति अपनायी है कि प्रत्येक वयस्क को मत देने और उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार है, यदि लोकतंत्र की आपकी यही धारणा है, तो यदि कोई अपराधी खड़े होने का साहस करे तो खड़ा हो; लोग यदि उसे नहीं चाहते तो उसे हरा देंगे। यदि कोई राजा खड़ा होना चाहता है, और लोग उसे नहीं चाहते, तो उसे हरा देंगे। इन लोगों को हराने का अधिकार जनता को है।

****श्री घुले :** ....इस देश में छोटे और बड़े निर्वाचन हुए हैं, परन्तु राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए की गयी सभा और किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रचार के लिए की गयी सभा के बीच अन्तर करना कठिन है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि खंड 124 में कोई नई बात नहीं है। यह विद्यमान नियमों की हू-ब-हू प्रतिलिपि है। 'भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन आचरण आदेश' की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में उन्हें यह मिलेगा। यह 1919 से मौजूद है।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 10 मई, 1951, पृष्ठ 8491
**सं. वा., खंड-11, भाग II, 11 मई, 1951, पृष्ठ 8534

श्री घुले : बिल्कुल ठीक, मैं अभी यही सोच रहा था कि चूंकि इस खंड का फैलाव विस्तृत है, यह पूर्व-अधिनियम में शामिल होगा और, जैसा कि आपने कहा, यह मौजूद है। इस विधान के बावजूद भी, कांग्रेसी-जन तथा अन्य सदस्य अपने-अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए पहले वाले निर्वाचन लड़े तथा उन्होंने अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में मत मांगने के लिए प्रचार किया, परन्तु मेरे सम्मुख अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं आया, कि इस आधार पर किसी ट्रिब्यूनल ने कोई निर्वाचन अवैध ठहराया हो। इसलिए, जैसा मैं कह रहा था, श्री गोयनका की विमत टिप्पणी से मुझ पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु डॉ. अम्बेडकर का भाषण सुनने के पश्चात् मैं कुछ उद्विग्न महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यह कानून पहले भी प्रवर्तन में था और उसके बावजूद कांग्रेसी, समाजवादी, साम्यवादी आदि सभी ने अपने-अपने राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किये, साथ ही अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए मत-याचना भी की। तो, अब कौन-सी असाधारण परिस्थिति पैदा हो गयी है। अच्छा होगा कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय डॉ. अम्बेडकर इसे स्पष्ट करें।

*__श्री वेंकटरमण : ....__एक और बात है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विधेयक के खंड 3 में प्रावधान है कि राज्य परिषद का उम्मीदवार संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए, परन्तु लोक सभा उम्मीदवार देश के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से खड़ा हो सकता है। दोनों के बीच का अन्तर समझने में मैं असमर्थ हूँ। मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे और सदन को बतायेंगे कि यह अन्तर क्यों किया गया है। खंड 3 के अनुसार :

"कोई व्यक्ति राज्य परिषद का प्रतिनिधि चुने जाने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह उस राज्य के किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का मतदाता न हो........"

श्री श्यामानन्दन सहाय (बिहार) : क्योंकि यह राज्यों की परिषद है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ, यही कारण है। और दूसरी लोक सभा है।

श्री वेंकटरमण : परन्तु किसी राज्य विशेष में रह रहा व्यक्ति, किसी अन्य राज्य का निवासी हो सकता है और उसे इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जाना चाहिए कि वह उस राज्य का निवासी नहीं है। श्रीमन्, आप अपना ही मामला लीजिए। आप दिल्ली के निवासी हो गये हैं और अपने राज्य से निर्वाचन के लिए खड़े नहीं हो पायेंगे, क्योंकि आप वहाँ के किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाता नहीं है।

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 11 मई, 1951, पृष्ठ 8574-75

माननीय उपाध्यक्ष : यदि मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के सम्पर्क में नहीं हूँ, तो मैं वहां से उम्मीदवार के रूप में क्यों खड़ा होऊँगा?

श्री वेंकटरमण : श्रीमन्, इस मुद्दे पर विचार किया जाना जरूरी है।

*__श्री वेंकटरमण :__ ....कोई भी दल बिना यह बताये कि उसका उम्मीदवार कौन है, यह कहते हुए प्रचार नहीं करता कि "कांग्रेस को वोट दो, लिबरल पार्टी को वोट दो या लेबर पार्टी को वोट दो।" परन्तु जैसे ही यह सूचना बाहर आती है, यह एक अवैध आचरण बन जाता है। यदि यह एक पर्वू उदाहरण बन भी गया है, तो अब समय आ गया है, इसमें परिवर्तन कर दिया जाये।

प्रो. रंगा (मद्रास) : इंग्लैण्ड में क्या स्थित है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वही जो हमारे विधेयक में है, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

श्री वेंकटरमण : खंड 124 के उप-खंड (3) में आपने कहा है कि निर्वाचन के बारे में कोई ऐसा परिपत्र, या पोस्टर निकालना जिसमें स्पष्ट रूप से मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं दिया जाता, अवैध निर्वाचन आचरण माना जायेगा। किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि, मुद्रक का पता दिए बिना, अपने विरोधी की ओर से एक परिपत्र निकाल दे और उसका विरोध अनर्ह हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष : जब तक कि उम्मीदवार स्वयं इसमें शामिल न हो, उसे अनर्ह नहीं किया जा सकता।

**__प्रो. रंगा :__ .....जहाँ तक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूँगा कि जिला न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाने की बात सोचना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नीचे के स्तर के किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उच्च न्यायालय के इतने न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होंगे।

प्रो. रंगा : ट्रिब्यूनलों की संख्या भी अधिक नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कोई नहीं जानता कि कितनी याचिकाएं आयेंगी।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 11 मई, 1951, पृष्ठ 8578

*वही, पृष्ठ 8611

प्रो. रंगा : फिर, निर्वाचन-व्यय पर अधिकतम सीमा भी लगायी जानी चाहिए। मेरे विचार में, इस बात को बाद में बनाये जाने वाले नियमों के लिए छोड़ना सही नहीं है। और इन नियमों को बनाने का कार्य, मैं आशा करता हूँ, संघ सरकार को सौंपा जायेगा, राज्य सरकारों को नहीं। इस संबंध में भी, मेरा सुझाव है कि माननीय विधि मंत्री इस मुद्दे पर विचार करें कि यह अधिकार राष्ट्रपति को, निर्वाचन आयोग की मंत्रणा से वहन करने क लिए सौंपा जाये।

***श्री आर.के. चौधरी :** ....उदाहरण के लिए, इस उपबंध को देखिए जिसमें मतदाताओं के लिए गाड़ी का प्रबंध करना वर्जित है। भारत में अब तक जितने निर्वाचन हुए हैं, उनमें यदि इस नियम का कड़ाई से पालन किया गया होता, तो सारे निर्वाचन रद्द हो जाते। परन्तु, अब हम लौट कर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो त्रुटियां रह गयी हैं उन्हें दूर कर दिया जाये और निर्वाचन के दिनों गलत काम करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री रोहिनी कुमार चौधरी।

माननीय सदस्य : यह जो जबरदस्ती है।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : क्या आप महिलाओं को अनर्ह करना चाहते हैं?

श्री आर.के. चौधरी : पहली बात मैं खंड 7 में उपबंधित निरर्हताओं के बारे में कहना चाहता हूँ। मुझसे पहले एक से अधिक वक्ताओं ने इस पर बोला है, पर मैं इसके पक्ष में कुछ और तर्क दूंगा।

****माननीय उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्यों को दस मिनट देना चाहता हूँ और माननीय मंत्री को एक बजने में पांच मिनट पर बुलाऊँगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि आज सुबह यह तय हुआ था कि मैं सोमवार को सुबह जवाब दूंगा।

डॉ. देशमुख : ये मुद्दे ऐसे हैं जो सदन के अधिकतर सदस्यों को स्वीकार हैं और मुझे आशा है कि उन पर पर्याप्त मतैक्य होने के कारण माननीय डॉ. अम्बेडकर उन्हें मान लेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, जब मेरे प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि विधेयक में अद्योपात कोई सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया गया है तथा प्रत्येक खंड का अपना गुणवगुण है और इसलिए यह बेहतर होगा। कि जब सदन के सम्मुख खण्डवार चर्चा प्रारम्भ हो तो प्रत्येक खण्ड पर अधिक ध्यान

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 12 मई, 1951, पृष्ठ 8632

**वही, पृष्ठ 8639-40

दिया जाये। मैं नहीं समझता कि इस चर्चा के दौरान उठाए गये मुद्दों पर विचार रखने में मैं अधिक समय लूंगा। मैं जानता हूँ कि बहुत से सदस्य, जो अपने मत पर जोर देना चाहते हैं, उस समय अपना दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे जब कि खंड सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। और मैं निश्चित रूप से उनकी कठिनाई दूर करने का प्रयत्न करूंगा। वे अपने दृष्टिकोण पर सदन में चर्चा करने और सदन का समर्थन प्राप्त करने के लिए उचित संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए, विभिन्न उठाये गये मुद्दों पर मेरे लिए विस्तार से बोलना आवश्यक नहीं है। अतएव मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा और केवल उन मुद्दों को लूँगा जिनकी चर्चा के दौरान फिर से उठने की सम्भावना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री को कुछ समय लगेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष : तब सदन सोमवार 8.30 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित होता है।

तत्पश्चात् सदन सोमवार, 14 मई, 1951 के साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित किया गया।

लोक प्रतिनिधित्व (संख्या 2) विधेयक, 1951—जारी

***माननीय उपाध्यक्ष :** अब सदन डॉ. अम्बेडकर द्वारा 9 मई को विचार के लिए प्रस्तुत लोक प्रतिनिधित्व (संख्या 2) विधेयक पर आगे विचार करेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पिछले शनिवार को जब मैं अपने प्रस्ताव पर हुई सामान्य चर्चा का उत्तर देने को खड़ा हुआ था तो मैंने कहा था कि यद्यपि जो सदस्य उस प्रस्ताव पर बोले थे, उन्होंने अनेक मुद्दे उठाये, पर उनमें से कुछ ऐसे थे, जो संशोधनों के अंतर्गत आते थे इसलिए अपने उत्तर के दौरान उन पर बोलना अनावश्यक है, क्योंकि उन पर बेहतर उत्तर उस समय दिया जा सकता है, जब खंडवार प्रस्ताव सामने आयें। और इसलिए, मैंने कहा था, मैं उन मुद्दों तक अपने विचार सीमित रखूंगा जो संशोधनों के अंतर्गत नहीं आते। संशोधनों को देखने पर मैंने पाया कि ऐसे केवल तीन मुद्दे हैं जिनमें कुछ तथ्य हैं, परन्तु जो संशोधनों के अंतर्गत नहीं आते। अतएव मैं अपने विचार इन मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा।

पहला ऐसा मुद्दा बाबू रामनारायण सिंह द्वारा उठाया गया था और प्रो. रंगा ने भी वह उठाया था। दोनों ने शिकायत की थी कि उनके अनुभव और सूचना के अनुसार, विभिन्न प्रांतों तथा राज्यों की सरकारें निर्वाचन अभियान में सक्रिय भाग ले रही हैं और

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 14 मई, 1951, पृष्ठ 8650-57

अपना अथवा अपनी पार्टी का हित साधन करने के लिए अपने अधिकारों तथा प्रभाव का प्रयोग कर रही हैं और अधिकारों एवं प्रभाव का यह दुरुपयोग ऐसे लोगों के प्रति अनुचित आचरण है जो उनका समर्थन नहीं करते। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विधेयक में ऐसा उपबंध सम्मिलित किया जाये कि निर्वाचन प्रारम्भ होने के कुछ समय पूर्व मंत्रियों को अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे मित्र बाबू रामनारायण सिंह या प्रो. रंगा द्वारा इस सुझाव पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे इस बारे में तनिक भी शंका नहीं है कि यदि वे इस प्रस्ताव के प्रभावशीलता की समीक्षा करें, तो वे पायेंगे कि इसे कार्यान्वित करना लगभग असम्भव है। इस संबंध में, मैं भारत के संविधान में किए गये उपबंध की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का प्रधान है। साथ ही संविधान में यह भी विहित है कि राष्ट्रपति, मंत्री–परिषद के परामर्श के बिना कार्य नहीं करेगा। इसलिए, संविधान के अनुसार यह अनिवार्य है कि राष्ट्रपति द्वारा कोई भी कृत्य किए जाने से पूर्व उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्रि–परिषद अस्तित्व में हो। इसमें कोई ऐसा उपबंध नहीं है, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 में था, जिसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियों और आकस्मिकताओं में प्रान्त का प्रधान, अर्थात् राज्यपाल, मंत्रि–परिषद के परामर्श के बिना अपने ही विवेक से कार्यवाही कर सकता था। हमारे संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। वास्तव में, यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये, तो तीन मास के लिए पूरी सरकार को ही निलम्बित करना पड़ेगा। इसलिए, संविधान को देखते हुए यह सुझाव अव्यहार्य हैं।

बाबू रामनारायण सिंह और प्रो. रंगा दोनों ने सरकारी अधिकारियों का भी उल्लेख किया और कहा कि या तो उन मंत्रियों के निर्देशों के परिपालन में जिनके अधीन वे काम करते हैं अथवा अपने मंत्रियों की खुशामद करने और शुभकामना प्राप्त करने के प्रयोजन से वे ऐसी राजनीतिक कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं, जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। यह और भी खेद की बात है, क्योंकि संविधान में तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में हमने पूरा ध्यान रखा है कि उनकी कार्यावधि, उनकी पदोन्नति, उनके वेतन आदि सभी मामलों में उनके हकों की पूरी रक्षा की जाये। यह सब इस मंशा के साथ किया गया था कि उन्हें वह संरक्षण प्राप्त हो, जिससे वे प्रशासन के मामले में निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। यदि यह संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद से सिविल अधिकारी अपनी सर्वोत्तम परम्पराओं का पालन नहीं करते, तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत अनैतिकता आ गयी है। पर समझ में नहीं आता कि इसका क्या निदान हो सकता है। जैसा बाइबिल में कहा गया है, "यदि नमक अपना गुण छोड़ दे, तो फिर नमकीन कैसे होगा?" यदि सिविल अधिकारियों से जो अपेक्षाएं हैं, वे उन्होंने छोड़ दी हैं, तो मालूम नहीं उन्हें किस प्रकार पुनः स्थापित किया जाये। मेरे विचार से हमें समस्त जनता के मस्तिष्क में इस आम सुधार की भावना पर निर्भर रहना पड़ेगा कि अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान हम कुछ नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। मुझे आशा है कि नैतिक भावनाओं का यह उत्कर्ष

एक दिन आयेगा। परन्तु यदि मेरे मित्र इस बात पर जोर देते हैं कि जन-साधारण की नैतिकता में सुधार होने के समय की प्रतीक्षा करने के बजाय हम ऐसा कानून बनायें, जिसके द्वारा उपबंध किया जाये कि यदि कोई सिविल अधिकारी प्रशासन के नियमों की अवहेलना करके किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है, तो उसे दण्ड दिया जाये और किसी प्रकार की कठोर सजा मिले तो मैं कहूंगा यह इतना आसान नहीं है। मेरी समझ में इस संबंध में ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि किसी सिविल अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति की मर्जी या सनक के आधार पर अभियोग का भागी नहीं बनाया जा सकता, जो यह समझता है कि उस सिविल अधिकारी के आचरण से उसे हानि पहुंची है। सिविल अधिकारी पर मुकदमा चलाया जा सके, इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व-स्वीकृति का प्रावधान करना होगा। यह पूर्व-स्वीकृति कौन देगा? स्पष्ट ही यह पूर्व-स्वीकृति सरकार अथवा राष्ट्रपति की होनी चाहिए।

प्रो. रंगा (मद्रास) : निर्वाचन आयुक्त की क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निर्वाचन आयुक्त की? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि नियम में वह मेरे अधीन है और मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूंगा जो उस विशिष्ट अधिकारी के प्राधिकार को कम करती हो या उस पर आंच लाती हो। परन्तु यह स्थिति हमें स्वीकार करनी चाहिए कि किसी अधिकारी पर अभियोग लगाने से पूर्व किसी प्रकार की स्वीकृति लेनी होगी। जिस सत्ताधारी सरकार की उस अधिकारी ने सहायता की है, वह यह स्वीकृति देने को तैयार होगी, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए, यदि इस प्रकार का कोई कानून बनाया गया, तो वह केवल कागजी कानून होगा और व्यवहार में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मेरी समझ में यह बात सार्वजनिक नैतिकता तथा सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिबन्धों पर छोड़ देनी चाहिए।

दूसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ श्री वेंकटरमण ने उठाया था। उनका कहना था कि इस विधेयक में मतदान को एक अधिकार माना गया है और उनका सुझाव था कि इसे एक कर्त्तव्य माना जाना चाहिए, अर्थात् इस देश के नागरिक को महज मत देने का अधिकार ही न हो, अपितु मत देना उसका कर्त्तव्य भी हो और ऐसा न करने के लिए किसी प्रकार के दण्ड का उपबंध हो। यह भावना तो निस्संदेह है तथा आस्ट्रेलिया, बेलजियम आदि देशों ने सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार भी किया है। परन्तु हमें कुछ अधिक सावधानी से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। यदि यह दायित्व वास्तविक दायित्व बनाना है तो, जैसा कि स्वयं श्री वेंकटरमण तथा अन्य अनेक व्यक्तियों का निर्वाचनों का अनुभव है, भारत जैसे देश में जहां मतदान के प्रति लोगों में आम उदासीनता है, दण्ड कुछ कठोर होना चाहिए। यह पाँच रुपये या दस रुपये नहीं हो सकता। यह लगभग 100 रुपये करना होगा। मैं समझता हूँ कि इस सदन में चाहे कोई भी यह उत्साह दिखाये कि प्रत्येक नागरिक को अपना यह दायित्व निभाना चाहिए, पर शायद 100 रुपये के जुर्माने की बात

का समर्थन नहीं करेगा। मुझे संदेह है कि बहुत ज्यादा सदस्य इसका समर्थन करेंगे। परन्तु यदि दण्ड कठोर नहीं होगा, तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं होगा।

दूसरे, इस प्रकार के मामले में हमें बहुत से अपवाद करने होंगे। मतदान के दिन कोई मतदाता बीमार हो सकता है। यदि वह बीमार नहीं भी है और बाद में उसका नाम न्यायालय के सामने आता है तो उसके लिए वह किसी डॉक्टर को आठ आने देकर अपनी बीमारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा, जैसा कि अपराधिक मामलों में अधिकतर लोग मामले की तारीख आगे टालने के लिए करते हैं। यदि वह बीमार नहीं है, तो उसकी पत्नी बीमार हो सकती है या हो सकता है कि उसी दिन उसने बच्चे को जन्म दिया हो। इस तरह की बहुत-सी बातें उठेंगी और हमें बहुत से अपवाद करने पड़ेंगे जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कानून नाकारा बन जायेगा।

श्री भारती (मद्रास) : आस्ट्रेलिया के संविधान में यह बात कैसे हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आस्ट्रेलिया में लगभग प्रत्येक व्यक्ति मतदान करता है। मेरा ख्याल है कि वहाँ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कानून की जद में आते हैं।

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : वहाँ जुर्माने की राशि कितनी है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पांच पौंड।

यह मेरी अपनी राय है। पर मैं नहीं कह सकता कि मुझे मतदान का अधिक अनुभव है। फिर भी जो अनुभव मुझे हुआ है, उससे मैं यह कह सकता हूँ कि इस देश में सबसे निम्न वर्ग के तथा सबसे ऊँचे वर्ग के लोगों में सबसे अधिक राजनीतिक चेतना है। मेरे अपने प्रान्त में अपने अनुभव से मैंने देखा कि अनुसूचित जातियों के लोग, जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, 80 प्रतिशत तक मतदान करते हैं। किसी निर्वाचन में उन्होंने इससे कम संख्या में मतदान नहीं किया। मैं यह भी महसूस करता हूँ—और मैं विश्वास के साथ यह कहता हूँ कि मेरे प्रांत में ब्राह्मण लगभग 80 प्रतिशत मतदान करते हैं। कारण स्पष्ट हैं।

एक सम्प्रदाय दलित सम्प्रदाय है। वह इस तथ्य से अवगत है कि उसका नैतिक और भौतिक उत्थान देश की विधानसभाओं में उसकी स्थिति पर निर्भर है। इसलिए, वे लोग कभी अपना समय और शक्ति किसी और चीज में खराब नहीं करते, चाहे वह कितनी भी लाभप्रद क्यों न हो, और केवल चुनाव में जाने और वोट देने की प्रतीक्षा करते हैं। ब्राह्मणों के बारे में भी मेरा यही अनुभव और यही विश्लेषण है। वे आजकल कगार पर खड़े हैं। परिणामस्वरूप, वे भी जान गये हैं कि अब तक उनमें कुछ सीमा तक जागरूकता न हो, और उनमें से हर कोई वोट डालने न जाये, वे उस प्रभाव को खो बैठेंगे, जिसकी उन्हें इस बात के लिए जरूरत है कि उन्हें जोर जबरदस्ती से तुरन्त न निकाल दिया जाये और कम से कम एक चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए उन्हें एक परिवर्तन काल मिल जाये।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : सभी ब्राह्मण नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह वर्ग जो उदासीन है, मध्य वर्ग है। वह वोट देने की परवाह नहीं करता। उसका अस्तित्व सरकारी कार्यवाही पर निर्भर प्रतीत नहीं होता। उसके अनाज का भंडार पूरा नहीं, तो आधा भरा रहता है, और यह वर्ग जानता है कि बिना किसी सरकारी सहायता के यह एक मौसम से दूसरे मौसम और एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक चल सकता है। इसलिए इसे परवाह नहीं है। यह मेरा अनुभव है। इसलिए इस समय हम जो कर सकते हैं, यह है कि इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से कहें कि यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि इस वर्ग में राजनीतिक चेतना जागृत हो और यह निर्वाचन में भाग ले, ठीक जिस प्रकार उच्च और निम्न वर्गों के लोग लेते हैं। इसके लिए कोई कानूनी निदान की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं अंतिम मुद्दे पर आता हूँ जो मेरे मित्र श्री सोनावने ने उठाया था। उन्होंने जो कुछ कहा था वह वास्तव में कोई तर्क नहीं था। वह कुछ तथ्य जानना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि मतदान की आने वाली प्रणाली क्या होगी? उनका ख्याल था कि पहले की तरह, मतपत्र पर कोई निशान लगाने की पद्धति अपनाई जायेगी। मेरे मित्र जानते होंगे कि एकल सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली को जिसमें एक-व्यक्ति-एक-वोट पद्धति थी, निशान लगाना आवश्यक है। वोट देना बहुत कुछ एक पोस्ट कार्ड खरीद कर, उस पर पार्टी का पता लिखने और फिर सड़क के डाक-बक्से में उसे डाल देने के समान है। मतदाता को केवल यह करना है कि मतदाता क्लर्क के पास जाये और उससे मतपत्र ले जो एक कोरा दस्तावेज है। मतदाता को पहले से ही मालूम होगा कि हर उम्मीदवार को विशिष्ट रंग की मतपेटी उसके चुनाव-चिन्ह के साथ आबंटित की गयी है और यदि उसे पहले ही ठीक जानकारी हासिल है, तो वह उस मतपत्र को लेकर बिना कोई निशान लगाये, पेटी में डाल सकता है।

श्री सोनावने (बम्बई) : रंग और चुनाव-चिन्ह के बारे में आपको क्या कहना है?

माननीय डॉ. बी.आ. अम्बेडकर : यह सुविधा की बात है।

श्री सिधवा : हर उम्मीदवार के लिए अलग पेटी?

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : जी हाँ, बिल्कुल नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी?

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं मुद्दों पर मैं विचार प्रकट करना चाहता था, क्योंकि इन पर कोई संशोधन नहीं आया है। मेरी समझ में इसी प्रकार का कोई ऐसा अन्य मुद्दा नहीं है, जिसके स्पष्टीकरण की अभी आवश्यकता हो।

इन शब्दों के साथ, मैं यह प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कॉमथ : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? यद्यपि विधि मंत्री ने कहा कि वे ऐसे मतदाताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते, जो........

माननीय अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य स्पष्टीकरण द्वारा इसके गुण व अवगुण में जा रहे हैं।

श्री कॉमथ : मैं केवल जानकारी चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : जानकारी के रूप में वही बात आ रही है। साररूप में, यह फिर तर्क वाली बात बन जायेगी।

प्रश्न है :

"कि संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के लिए निर्वाचन, उन सदनों के सदस्यों की अर्हताओं और निरर्हताओं, इन निर्वाचनों में अथवा उनके संबंध में होने वाले भ्रष्टाचार और अवैध आचरणों तथा अन्य अपराधों, और इन निर्वाचनों से अथवा इनके संबंध में उठने वाली आशंकाओं तथा विवादों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। पहले खंड 2.......

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि चूंकि खंड 2 परिभाषा वाला खंड है, अतएव सबके बाद में लिया जाये।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। तब खंड 2 अभी स्थगित है, और हम खंड 3 से प्रारम्भ करते हैं। मैं एक-एक करके संशोधन पुकारूँगा और जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें, वे यह बतायेंगे। यदि कोई संशोधन छूट जाये, तो मुझे बता दें।

***माननीय अध्यक्ष :** यही ठीक है, पहले सदस्यगण अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड 3 के उप-खंड (1) में, "ऐसा व्यक्ति अर्ह नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर "कोई भी व्यक्ति अर्ह नहीं होगा।" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।

यह केवल एक मौखिक संशोधन है।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 14 मई, 1951, पृष्ठ 8657-58

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या प्रत्येक संशोधन पर सदन का मत लिया जायेगा?

माननीय अध्यक्ष : जी हाँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि स्वयं संशोधन पेश करने वाले सदस्य ने कहा, यह केवल एक मौखिक संशोधन है। परन्तु मैं एक और बात कहना चाहूंगा। वह यह कि विधेयक में जो इसका स्वरूप है, वह संविधान से लिया गया है। अतः इस विषय से संबंधित विधेयकों में हम उसी स्वरूप का अनुसरण करना चाहते हैं, जो संविधान में है। इसलिए मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता।

माननीय अध्यक्ष : तब मैं इसे सदन के सम्मुख नहीं रखता।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ कि **:**

खंड 3 के उप-खंड 1 में, "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द के स्थान पर "लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें।

****श्री नजीरुद्दीन अहमद :** ....ऐसे कई संशोधन हैं, और इस संशोधन के स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दिये जाने पर इस प्रकार के अनेक संशोधनों का तदनुसार निपटारा हो जायेगा। चूंकि यह अभिव्यक्ति विधेयक में बार-बार आयी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बारे में कोई अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। पहली बात तो यह कि इसमें मूलतः कोई भिन्नता नहीं है। प्रभाव वही रहेगा। हमारा प्रयत्न यह है कि इस अधिनियम में तथा पारित हुये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जो शब्द-रचना प्रयुक्त की गयी है, वह एक ही प्रकार की होनी चाहिए। यदि मेरे मित्र खंड 2 के उप-खंड (च) में दी गयी परिभाषा देखें, तो वे पायेंगे कि "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" की परिभाषा इस प्रकार की गयी है–"धारा 6 द्वारा अथवा उसके अंतर्गत जारी किए गये आदेश द्वारा लोकसभा के निर्वाचन के लिए निर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र।" इसलिए, वास्तव में कोई भी अंतर नहीं है। दूसरे, मैं उनका ध्यान स्पष्टीकरण खंड के खंड-2, के उपखंड 1 (ख) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है : "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, (1950 का 53वां) की धारा 2 अथवा धारा 27 की उप-धारा (1) में परिभाषित ऐसी प्रत्येक अभिव्यक्ति का, जो उस अधिनियम में परिभाषित नहीं की गयी है, वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में है।" इसलिए यह बिल्कुल अनावश्यक है।

**सं. वा., खंड 11, भाग II, 14 मई, 1951, पृष्ठ 8659-60

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

खंड 3 के उप-खंड (1) में "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द के स्थान पर "लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद :** मैं समझता हूँ कि संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि संसद अर्हताएं और निरर्हताएं निर्धारित कर सकती है। मेरा विश्वास है कि संविधान चाहता है कि इन अनुच्छेदों का लाभ उठाया जाये। यदि श्री भट्टाचार्य के तर्क को तार्किक अंत तक ले जाया जाये, तो इससे केन्द्रीय तथा राज्य विधानसभाओं से संबंधित संविधान के दो, बल्कि चार, अनुच्छेद अर्थहीन हो जायेंगे। इसलिए मेरा कथन है कि इस बारे में श्री भट्टाचार्य ने सूझबूझ की बजाय जोशफरोश से काम लिया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कुछ समय पूर्व जब इस सदन में प्रो. के.टी. शाह ने संकल्प प्रस्तावित किया था, तो मैंने उन्हें बताया था कि उनका संकल्प बहुत अस्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने किसी वर्ग के ऐसे लोगों को निर्दिष्ट नहीं किया था, जिनहें वह संसद अथवा राज्य विधानसभा के लिए विशेष रूप से अर्ह समझते हों। अब प्रो. के.टी. शाह ने उन वर्गों का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिन्हें वे संसद में निर्वाचन के योग्य समझते हैं। यह निश्चित रूप से सुधार है, क्योंकि अब हमारे पास ठोस प्रस्ताव है जिस पर गुणावगुण के अनुसार विचार किया जा सकता है। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वह यह कि उम्मीदवारी के लिए ये निरर्हताएं हैं। इसका अर्थ है कि यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो केवल एक विशिष्ट वर्ग के लोग जो इसमें उल्लिखित सात वर्गों में से एक में आते हैं, उम्मीदवारी के हकदार होंगे। मुझे आशा है कि मेरे मित्र सरदार हुकम सिंह महसूस करेंगे कि यद्यपि यह कहना कठिन है कि इस संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर कितने लोग उम्मीदवारी के पात्र होंगे, तथापि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि उन लोगों की संख्या जो पात्र होंगे, मतदाताओं की वृहद संख्या की तुलना में बहुत अल्प होगी। वास्तव में इस संशोधन का अर्थ होगा, कुछ लोगों का एकाधिकार बन जाना, जो परिस्थितियों के संयोग से उन वर्गों के हैं जिनका इस संशोधन में उल्लेख है। मुझे अपने मन में तनिक भी संदेह नहीं है कि इस प्रकार का एकाधिकार देश के राजनीतिक जीवन में समाविष्ट करना घातक होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि महज यह कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या उसे अनुभव है इसलिए उसे संसद में आने योग्य समझा जाये, संतोषजनक स्थिति नहीं मानी जा सकती। मैं चरित्र को बुद्धिमानी या अनुभव से अधिक महत्व देता हूँ और इस संशोधन से यह बात सुनिश्चित नहीं होती कि संविधान के उपबंधों के अंतर्गत जो लोग चुने जायेंगे, वे बेहतर चरित्र के होंगे। संशोधन के प्रस्तावक की

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 14 मई, 1951, पृष्ठ 8687

भावना संसद की सामान्य कार्यकुशलता में वृद्धि करना प्रतीत होता है। प्रत्येक वर्ग पर इस कसौटी से विचार करना अच्छा होगा। पहला वर्ग है, किसी विधान सभा की सदस्यता का एक वर्ष का अनुभव। मैं नहीं समझ पा रहा कि किसी ऐसे व्यक्ति का विधानसभा का एक वर्ष का अनुभव जो शिक्षित या साक्षर भी नहीं है, किस प्रकार कार्य-कुशलता बढ़ा सकता है। दूसरा वर्ग लीजिए : किसी स्थानीय स्वशासी निकाय जैसे नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड का सदस्य। यहाँ भी वही प्रश्न आता है। मुझे किसी नगर निगम या परिषद का अनुभव नहीं है, परन्तु जिला बोर्डों के बारे में कुछ जानकारी अवश्य है। मुझे याद है कि जिला स्थानीय बोर्डों के सदस्य 'बाजार' वाले दिन बैठक बुलाने को उत्सुक होते हैं ताकि वे वहाँ आ सकें, अपना यात्रा-भत्ता वसूल कर सकें, 'बाजार' से अपनी सप्ताह भर की या महीने भर की आवश्यकता की चीजें खरीदें और वापस चले जायें। (व्यवधान) मुझे मालूम नहीं; अन्य लोग भी हो सकते हैं और मैं उस मामले के बारे में भी जानता हूँ (कुछ माननीय सदस्य : अभी नहीं) ऐसा मेरा अनुभव है। अब ग्राम पंचायत को लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि एक ग्रामीण में जो ग्राम पंचायत का सदस्य है, क्या कुशलता होगी। पंचायतों के क्या कृत्य हैं? उनके क्या साधन हैं? उन्हें प्रशासन का क्या तकनीकी ज्ञान है? एक सरकारी कर्मचारी को लीजिए, जो पांच वर्ष सेवा में रहा है। उसे निश्चिय ही समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया का कुछ अनुभव, कुछ जानकारी होती है। (व्यवधान) सरकारी कर्मचारी ऊँचे चरित्र का व्यक्ति होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इसमें चौकीदार भी आता है। इस वर्ग के लिए भी मैं समझता हूँ वही बात लागू होती है। परन्तु यदि 'सरकारी कर्मचारी' से मेरे मित्र का अर्थ आई.सी.एस. अधिकारी या उच्च श्रेणी के सिविल अधिकारी से है, तो मेरे विचार में एक खतरा पैदा होने की संभावना है। अधिकतर ऐसे सरकारी कर्मचारी कुछ गोपनीय शासकीय रहस्यों को जानते हैं। मुझे ऐसी संभावना पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वह अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् विधायिका का सदस्य होने पर, इस गोपनीय जानकारी का प्रयोग कर सकता है। अगला मामला लीजिए-किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में एक वर्ष के अनुभव वाला शिक्षक। गाँव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को लीजिए। उसका कितना ज्ञान है, क्या जानकारी है?

सरदार हुकम सिंह : क्या इन लोगों के खड़े होने पर प्रतिबंध है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यही मेरा मुख्य तर्क है। मैं उस पर आ रहा हूँ। इसलिए इन सब में मुझे कुछ तथ्य दिखाई नहीं देता। अगला वर्ग लीजिए। किसी मान्यताप्राप्त समाज-सेवी संस्था में कार्यकर्त्ता। क्या मेरे मित्र सरदार हुकम सिंह महावीर दल की सदस्यता को उम्मीदवारी की अर्हता मानेंगे? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अकाली दल का भी उल्लेख करना चाहूंगा। उनमें से कुछ संगठन बहुत खतरनाक है।

हो सकता है कि एक सरकार उन्हें मान्यता प्रदान कर दे और दूसरी सरकार मान्यता न दे। ये सब सम्भावनाएं मौजूद हैं।

श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास) : क्या उन्हें निषिद्ध किया जा सकता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं सदन से निवेदन कर रहा था कि इस संशोधन में जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जिससे यह भान हो कि उस संस्था की सदस्यता में कोई ऐसा गुण है, जो उसे अधिक कार्यकुशल संसद सदस्य बना देगा। मुझे खेद है कि मुझे इस प्रश्न का बहुत स्पष्ट उत्तर देना पड़ रहा है। अब जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ यह है, क्या संविधान में अथवा इस विधेयक में कोई ऐसी चीज है जो किसी मतदाता को यहां उल्लिखित लोगों में से किसी को चुनने से रोक सके? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि दो उम्मीदवार हैं–एक जो महज मतदाता है और हमारी निरर्हताओं द्व ारा अनर्ह नहीं है तथा दूसरा उसके मुकाबले ऐसा उम्मीदवार है जो किसी विधानसभा का एक वर्ष सदस्य रह चुका है। क्या कोई ऐसा प्रावधान है, जिसके अंतर्गत हम यह मान लें कि निर्वाचक-गण दूसरे व्यक्ति को वरीयता देंगे, पहले वाले को नहीं? दोनों में से प्रत्येक को लीजिए। वे खड़े होने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि मतदाता सोचते हैं कि उनमें कोई ऐसा गुण है, जो संसद को अधिक कार्यकुशलता प्रदान कर सकता है, तो ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि निर्वाचक-गण इन लोगों को महज एक ऐसे मतदाता के विरुद्ध वरीयता न दें जो केवल एक नागरिक है, और इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए, मुझे लगता है कि इन आधारों पर यह संशोधन अनावश्यक है और मैं इसका विरोध करता हूँ।

सरदार सोचेत सिंह (पेप्सू) : आपने उस वर्ग के लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जो हिन्दी लिख और पढ़ सकते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पिछली बार मैंने इसका उत्तर दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इससे निश्चय ही जटिलताएं पैदा होंगी। संविधान बनाते समय इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। हमने संविधान में यह उपबंध किया कि हिन्दी '15 वर्ष बाद' राष्ट्र भाषा के रूप में लागू होगी, और यह उपबंध क्यों नहीं किया कि हिन्दी तुरन्त प्रभावी होगी। क्योंकि हमने महसूस किया कि देश के विभिन्न भागों में हिन्दी आम लोगों की भाषा नहीं है और इसीलिए उसके अध्ययन के लिए लोगों को कुछ समय दिया जाना चाहिए। यह बात सिद्धांत रूप से मान लेने के बाद, अब एकाएक इससे मुकर जाना, मेरी समझ में संविधान की भावना के प्रतिकूल होगा।

प्रो. के.के. भट्टाचार्य का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*खंड 4 (लोक सभा की सदस्यता)

श्री बी.के. दास (पश्चिम बंगाल) : मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ कि :

खंड 4 में, "जम्मू और कश्मीर" शब्दों के बाद "अथवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह" शब्द जोड़े जायें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ।

सरदार हुकम सिंह : मेरा माननीय विधि मंत्री से अनुरोध है कि इस बात पर विचार करें कि क्या इस संशोधन को "निर्वाचन" की परिभाषा में शामिल करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। खंड 2 के उप-खंड (घ) में कहा गया है :

"'निर्वाचन' का अर्थ है संसद के किसी भी सदन या, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, किसी राज्य के किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन........"

जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का प्रश्न है, उनके लिए उपबंध पहले ही कर दिया गया है और अंडमान और निकोबार को भी यहां सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि अन्य किसी स्थान पर इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

श्री हुसेन इमाम : इसमें कोई कठिनाई इसलिए प्रतीत नहीं होती कि वह व्यक्ति किसी भी राज्य में मतदाता होना चाहिए, आवश्यक रूप से उस राज्य में नहीं जहां से वह खड़ा हुआ है। इसलिए राष्ट्रपति के लिए पसंदगी खुली हुई है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामजद किया जा सकता है, जो देश के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाता है।

माननीय उपाध्यक्ष : इससे अंडमान और निकोबार के निवासी वंचित हो जायेंगे। निवासीय अर्हता के कारण वे किसी अन्य स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते।

श्री संथानम (परिवहन और रेल राज्य मंत्री) : क्या "चुने गये" में नामांकन भी शामिल है?

माननीय उपाध्यक्ष : जी हाँ, निर्वाचन और नामांकन दोनों।

श्री सिधवा : क्या हम भाषा में संशोधन नहीं कर सकते? सरकार को तो निश्चय ही इस बात का ज्ञान होगा कि अंडमान में कौन क्या है और वह सुझाव दे सकती है कि किसे नामांकित किया जाये।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 14 मई, 1951, पृष्ठ 8699-8700

**वही, पृष्ठ 8701-02

माननीय उपाध्यक्ष : नामांकन के लिए संबंधित व्यक्ति को मतदाता भी होना चाहिए और निवास संबंधी अर्हता भी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सबसे सरल तरीका यह है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये। जैसा आपने कहा अड़चन 34 खंड (घ) से उत्पन्न होती है। अण्डमान में कोई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र नहीं है और इसीलिए अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को प्रतिनिधित्व देने में यह कठिनाई पैदा करेगा। इसलिए मेरी राय में यह संशोधन आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष : भविष्य अपनी चिन्ता खुद कर लेगा। कोई भी संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि यह अधिनियम अगले निर्वाचन तक बिना किसी संशोधन के ज्यों का त्यों बना रहेगा। हम बराबर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि: खंड 4 में, "जम्मू और कश्मीर" शब्दों के बाद "अथवा अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह" शब्द जोड़ दिए जाएँ।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

*खंड 5 (विधान सभा की सदस्यता)

डॉ. देशमुख : श्रीमन्, क्या मुझे प्रो शिब्बन लाल का संशोधन पेश करने की अनुमति है?

श्री संथानम : प्रो. सक्सेना के ये संशोधन पारिणामी संशोधन हैं। इससे पहले खंड 3 और 4 पर इनकी अनुमति नहीं दी गयी थी।

डॉ. देशमुख : इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम यह सुविधा राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए दे सकते हैं, यद्यपि संसद के लिए यह निषिद्ध है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, नहीं। निर्वाचन सूची दोनों के लिए एक ही है।

माननीय उपाध्यक्ष : हाँ।

श्री सोनावने : श्रीमन्, मैंने खंड 5 पर दो संशोधन दिये हैं, जिन्हें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : परन्तु मेरे पास उन संशोधनों की प्रति नहीं है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास भी नहीं है।

---

*सं. वा., खंड 11, भाग II, 14 मई, 1951, पृष्ठ 8763-64

माननीय उपाध्यक्ष : जब तक कि संशोधन की प्रति माननीय मंत्री को न दी जाये और सरकार उसे स्वीकार करने को तैयार न हो, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस समय उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*__श्री नजीरुद्दीन अहमद :__ किन्तु यदि हम भाग (क) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक साथ रखेंगे तो भाग (ख) में पुनरावृत्ति हो जायेगी। किन्तु भाग (ख) का संबंध केवल अनुसूचित जातियों से है, इसलिए अधिक स्पष्टता के लिए भाग (क) के दोनों भागों अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पृथक करने की आवश्यकता है। भाग (ख) उसी रूप में रहना चाहिए। वास्तव में अनुसूचित जातियां दो प्रकार की हैं : सामान्य अर्थों में समझे जाने वाली अनुसूचित जातियां और वे अनुसूचित जातियां, जिनका संबंध शिलांग की छावनी या नगरपालिका से है। छावनी क्षेत्र की अनुसूचित जातियों को अन्य क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों से पूर्णत: पृथक रखने के प्रयोजन से मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित जनजातियों पर अलग-अलग चर्चा हो।

माननीय उपाध्यक्ष : इसमें कोई अस्पष्टता प्रतीत नहीं होती।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कोई अस्पष्टता नहीं है। संविधान में दो अलग-अलग अनुच्छेद होने से, हर जगह दो अलग-अलग खंड होने आवश्यक नहीं हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : माननीय मंत्री जी की प्रतिकूल प्रतिक्रिया की दृष्टि से, मैं नहीं समझता कि इस संशोधन पर जोर देने से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 (विधान परिषद सदस्यता)

यथा संशोधित विधेयक में जोड़ा गया

***खंड 7 (सदस्यता के लिए निरर्हताएँ)**

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि खंड 7 को स्थगित कर दिया जाए।

---

*सं. 910-खंड 2,भाग-II, 14 मई 1961 पृ. 8706-12

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हमें पहले से ही यह जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन-से खंड लिए जाएँगे। इस स्थिति में ही हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री जी से कह दूँगा कि वे प्रत्येक दिन के प्रारंभ में ही यह बता दिया करें कि कौन-से खंड वे स्थगित करना चाहते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेकर : मुझसे यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि मैं खंड 7 और संभवत: खंड 9 के अलावा कोई अन्य खंड क्रम तोड़कर लेने को मजबूर होऊँगा। शेष सभी खंडों को मैं उनके क्रम के अनुसार ही लेने के लिए पूरी तरह हूँ।

श्री झुनझुनवाला (बिहार) : वे कब लिए जाएँगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं सभी संशोधनों को आज शाम परिचालित कर दूँगा। यदि माननीय सदस्य उन पर कल विचार करना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि वे उनके लिए कुछ समय चाहते हैं, तो मैं उन्हें बाद में ले लूँगा। किसी भी स्थिति में मैं उन्हें लंबे समय तक लटकाना नहीं चहाता। मैं खंड 7 के अपने संशोधन पर विचार करने के लिए, सदस्यों को एक दिन का समय देने को तैयार हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि उसे सुविधापूर्वक परसों लिया जा सकता है, क्योंकि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, सदस्यों को उसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय जाए, तो कार्यालय उन्हें पारिचालित कर देगा और माननीय सदस्य उन पर तैयारी करके आ सकते हैं।

खंड 8 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 9 (निर्वाचक की सदस्ता की निरर्हता)

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसे स्थगित करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : खंड 9 भी स्थगित किया गया।

खंड 10 (राज्यों की विधान-परिषद के चुनाव)

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 10 के शीर्षक में, "अध्याय 1" शब्द और रोमन अक्षर के स्थान पर शब्द और रोमन अक्षर "अध्याय V" लिखा जाए।

कारण यह है कि इस विधेयक में, अन्य अधिनियमों के विपरीत, प्रत्येक भाग में अलग अध्याय संख्या दी गई है। इसमें संदर्भ का उल्लेख करने में असुविधा होगी। उदाहरणार्थ, जब हम एक अध्याय का संदर्भ देंगे, तो हम कहेंगे-अमुक का भाग अमुक

अध्याय। अन्य सभी अधिनियमों में, बेशक संविधान के अलावा, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा अन्य सभी अधिनियमों में, यद्यपि भाग दिए गए हैं, परन्तु प्रत्येक भाग के अलग अध्याय नहीं हैं। परिणामतः काफी असुविधा होती है। जब हम अध्याय का संदर्भ देते हैं, तो हमें उसके भाग के संदर्भ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इससे काफी मानसिक दिक्कत खत्म हो जाएगी। अतः मैं इसे सुविधा के लिए ही प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। यदि विधेयक को भागों तथा अध्यायों में बाँटते समय हमने खंडों के अलग क्रमांक दिए होते, तो कुछ कठिनाई हो सकती थी। लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि खंडों की संख्याएं क्रमानुसार है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कठिनाई होगी, जैसी कि मेरे मित्र ने वास्तव में अनुमानित की है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : लेकिन यह सभी अधिनियमों में अपनाई गई एक समान पद्धति है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : समानता पर ध्यान मत दीजिए। यह इस पर निर्भर है कि विषय कितना बड़ा है। अगर विषय इतना बड़ा है कि उसका कई शीर्षों में विभाजन तथा उप-विभाजन करने की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी विधि हो सकती है, जिसमें बड़े शीर्ष को भागों में न बांटा जाए और छोटे शीर्षों को अध्याय में रखा जाए और उन अध्यायों के अंतर्गत कई अन्य छोटे शीर्ष न बनाए जाएँ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उसमें भाग, अध्याय और उप-भाग के साथ उनके भी उप-भाग होने चाहिएं। मुझे इस पर तनिक भी आपत्ति नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि अध्यायों की संख्याएं आरंभ से अंत तक क्रमानुसार हों और यही सभी अधिनियमों में होता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसका मतलब है कि भागों को छोड़ दिया जाए, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि अध्यायों की संख्याएं क्रमानुसार होंगी और उनके भाग भी होंगे, तो इससे भ्रम की स्थिति होगी। तब हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि इसका संबंध किस भाग से है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : लेकिन इसका पालन सभी अधिनियमों में किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष : लेकिन जब हमारे संविधान से एक नई परंपरा बना दी है, तो उस संविधान के अनुसार वही हमारी 'बाइबिल' (रूढ़ि) है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : सभी मामलों में नहीं। हम इसे शीघ्र ही बदल देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : अत्युत्तम! तब यह बदल दी जाएगी। क्या यह जरूरी है कि माननीय सदस्य अभी इस पर जोर दें?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : नहीं, श्रीमन्।

माननीय उपाध्यक्ष : अगला संशोधन सं. 222 है, जिसमें कहा गया है : कि खंड 10 के उप-खंड (1) में "राज्यों की विधान परिषद" शब्दों के स्थान पर दूसरी पंक्ति में "राज्यों की प्रथम विधान परिषद्" प्रतिस्थापित करें।

अब माननीय सदस्य कृपया यह स्पष्ट कर दें कि यह संशोधन किस बारे में है। या, वे इस पर जोर नहीं देना चाहते?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुझे पता नहीं चल रहा, मैं कहाँ हूँ। सदन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कोई 'एक्रोबेट' भी उसके साथ न चल पाए। मुझे इस मामले में देखना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : हम कुछ समय के लिए विराम ले सकते हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : क्या हम कल तक स्थगित नहीं कर सकते? हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह सरल बात है। माननीय सदस्य अपना समय ले सकते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है। सं. 222 में वे चाहते हैं। कि "राज्यों की विधान परिषद" के स्थान पर "राज्यों की प्रथम विधान परिषद्" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। क्या वे यह इसलिए सोचते हैं कि यहाँ चक्रानुक्रम की व्यवस्था नहीं है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : जी, श्रीमन्।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उप-खंड (2) में चक्रानुक्रम है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुझे अब अपना अर्थ स्पष्ट हो गया है। 'प्रथम' शब्द शामिल करने का सुझाव मुझे खंड 11 की दूसरी पंक्ति के इस नमूने से मिला था–"प्रथम संविधान के प्रयोजन के लिए।"

माननीय उपाध्यक्ष : वह 'ग' प्रकार के राज्यों के निर्वाचक-मंडल से संबंधित है। वह केवल एक भाग से संबंधित है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनमें कोई संबंध नहीं है।

श्री सिधवा : वे अब उलझन में पड़ गए हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह नहीं है कि वे संबद्ध नहीं हैं किंतु यह अच्छे प्रारूप का नमूना है।

माननीय उपाध्यक्ष : तब माननीय सदस्य को किसी खराब प्रारुप से संतुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हम इसके पहले ही आदी हो चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : लेकिन इससे किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं पंतीत होती। अत: संशोधन सं. 222 का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। अब मैं संशोधन सं. 224 का प्रस्ताव करूँगा। और स. 225 की क्या स्थिति है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसे प्रस्ताविक कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : सं. 228 की क्या स्थिति है?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : उसे मैं प्रस्तुत करूँगा?

माननीय उपाध्यक्ष : सं. 229 कार्यान्वित होने वाला है। उसके बाद हम सं. 231 पर आएँगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे मैं प्रस्तुत करूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन सं. 224 के प्रस्तुतकर्ता सदस्य अनुपस्थित हैं। क्या इसे मैं स्थगन की अनुमति दे दूँ? इसके बारे में माननीय मंत्री जी की क्या राय है, क्योंकि माननीय सदस्य इसके बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे नहीं लगता कि इस संशोधन को रखना जरूरी है।

संशोधन किया गया :

खंड 10 के उप-खंड (1) के भाग (क) के अंतर्गत "उसके अंतर्गत आदेशों" के स्थान पर "उसके अंतर्गत दिए गए आदेशों" प्रतिस्थापित करें।

—श्री नजीरुद्दीन अहमद

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम संशोधन सं. 231 पर आते हैं, जो श्री नजीरुद्दीन अहमद के नाम पर अंकित है।

श्री जे.आर. कपूर : वह संशोधन क्रमानुसार नहीं है। उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं देख लूँगा।

श्री जे.आर. कपूर : क्या मैं संविधान के अनुच्छेद 80 के उप-खंड (4) का उल्लेख कर सकता हूँ, जिसके अनुसार किसी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्यों की विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित कर सकते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उसमें कुछ आंग्ल-भारतीयों के लिए नामांकन की व्यवस्था भी है।

श्री जे.आर. कपूर : उसमें नामित सदस्य हो सकते हैं, किन्तु उन्हें चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें अनुच्छेद 30(4) है, जिसके अनुसार विधानसभा के केवल चुने हुए सदस्य ही राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे डर है यह क्रमानुसार नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा संशोधन क्रमानुसार नहीं है, न कि मैं।

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है। यह संशोधन क्रमानुसार नहीं है, इसलिए इसे प्रस्तुत कने की अनुमति नहीं है।

श्री जे.आर. कपूर : लेकिन हम यहाँ माननीय सदस्य को उसके संशोधन के साथ पहचानने के लिए आए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 10, विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 11 (निर्वाचकमंडल के गठन के लिए अधिसूचना)

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन सं. 238 : मेरा ख्याल है कि प्रारूपकार इसे देख लगा। संशोधन सं. 239; मैं समझता हूँ, इसमें जो मुद्रण की गलती है, उसे प्रारुपकार ठीक कर देगा।

श्री जे.आर. कपूर : इसे शुद्धिपत्र में पहले ही ठीक कर दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष : शुद्धि-पर्ची में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का कार्य सदन से बाहर क्यों किया गया? यह मुद्रक की गलती है। मैं अपने कार्यालय से कहूँगा कि इसे नोट करे और माननीय मंत्री जी भी इसे नोट कर लें, ताकि भविष्य में इस पर उचित ध्यान दिया जा सके।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस बारे में कोई शुद्धिपत्र नहीं है। इसलिए उचित होगा कि हम संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री सन्थानम : ये केवल मुद्रक की भूल है।

माननीय उपाध्यक्ष : इसमें अंग्रेजी शब्द 'this' के स्थान पर 'his' मुद्रित हो गया है। यह विधेयक बनाने वालों की मंशा नहीं थी, यह केवल मुद्रक की भूल है। कल को, इस प्रकार की गलती 'राजपत्र' में भी हो सकती है। अत: इस बारे में अंत में मैं औपचारिक रूप से यही कहूँगा कि इस प्रकार की गलतियाँ औपचारिक रूप से ठीक कर दी जाएँ। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, कि मैं इसे सदन में सूचनार्थ प्रस्तुत करूँ। इस तरह की हिज्जे की गलती अंतिम प्रारूप में भी हो सकती है। फिर भी, कोई कठिनाई न हो, इसलिए मैं इसे सदन के समक्ष रख रहा हूँ। प्रश्न है :

खंड 11 में, अंग्रेजी शब्दों 'in his behalf' के स्थान पर अंग्रेजी 'in this behalf' शब्दों को प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन सं. 240।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह आवश्यक है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : एक वचन में बहुवचन भी समाहित है। अत: यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : जी हाँ, एक वचन में बहुवचन समाहित है। अत: प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 11, विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथा संशोधित खंड 11, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 12 (लोकसभा के चुनाव)

माननीय उपाध्यक्ष : खंड 12 के लिए कोई भी संशोधन पेश नहीं है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा सुझाव है कि संशोधन सं. 246 पर विचार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : लेकिन जिस सदस्य ने इसे प्रस्तावित किया है वह इसे अभी प्रस्तुत करना नहीं चाहते। इसका खास महत्व क्या है? इसमें कहा गया है: खंड 12 के उप-खंड (2) में से "ताकि एक नई लोकसभा का गठन हो सके", शब्दों को लोप कर दें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : हमें केवल मशीनरी की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें उसका प्रयोजन नहीं बताना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इन शब्दों से कोई हानि नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। यह आवश्यक नहीं है।

डॉ. देशमुख : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य हमेशा देर कर देते हैं। बताइए, अब वे क्या कहना चाहते हैं :

डॉ. देशमुख : महोदय, मैंने खंड 15 में एक संशोधन का नोटिस दिया है। पर इस समय मुझे लगता है कि वह अभी प्रासंगिक है। इसमें कहीं पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि केंद्रीय संसद और राज्यों की विधानसभाओं के पहले आम चुनाव एक साथ और एक ही दिन संपन्न किए जा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष : इससे खर्च में भी बचत होगी। लेकिन बाद में, अलग-अलग समय पर उप-चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सदन, दूसरों से पहले भंग हो सकते हैं या और कुछ हो सकता है। अतः मेरे विचार से इस तरह का संशोधन आवश्यक नहीं है।

प्रश्न है :

"कि खंड 12, विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 12, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 13, विधेयक में जोड़ा गया।

***माननीय उपाध्यक्ष :** हमें माननीय मंत्री को सुनना चाहिए।

चौ. रणबीर सिंह (पंजाब) : महोदय, अब तक किसी ने भी संशोधन के समर्थन में नहीं बोला है, और पंडित ठाकुर दास भार्गव के अलावा जिसने भी बोला है, संशोधन के विरोध में ही बोला है। अतः मैं निवेदन करूँगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को अवसर दें, जो संशोधन का समर्थन करना चाहे।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8755-57

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : क्या आप संशोधन का समर्थन कर रहे हैं?

चौ. रणबीर सिहं : जी हाँ, मैं संशोधन के समर्थन में खड़ा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इस बीच में बोलना चाहते हैं। अतः हमें पहले उन्हें सुनना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : जी हाँ, मैं कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा।

इस संशोधन का उद्देश्य, निस्संदेह बहुत स्पष्ट है। अतः मुझे नहीं लगता कि केवल इसके प्रयोजन एवं उद्देश्य को देखकर, इस संशोधन पर आपत्ति की जा सकती है। लेकिन, प्रयोजन के अलावा इस संशोधन में कई ऐसे उपााय शामिल हैं, जिससे इसके प्रयोजन तथा उद्देश्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अतः इसी दृष्टिकोण से मुझे इस संशोधन को स्वीकार करना कठिन लग रहा है।

इस नए संशोधन में राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां दी गई हैं, जिन्हें वह संशोधन के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। निस्संदेह, संशोधन का प्रस्तुतकर्ता सोच सकता है कि इस संशोधन का कोई राजनैतिक स्वरूप नहीं है। पर इस संशोधन में राष्ट्रपति को शामिल कर लेने से, उन्हें एक राजनैतिक स्वरूप मिल जाएगा, यद्यपि एक व्यक्ति के रूप में और एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते राष्ट्रपति को सभी दलों और उनके कार्यकलापों से ऊपर माना जाता है। तथापि इसमें ये संदेह नहीं है कि इस विशेष संशोधन के लागू हो जाने पर राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्रवाई करनी होगी और इस बारे में भी किसी को संदेह नहीं है कि मंत्रिमंडल एक राजनैतिक संस्था ही होती है। अतः यह बहुत मुश्किल होगा।

श्री कॉमथ : मंत्रिमंडल में सभी दलों के सदस्य हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह एक अलग स्थिति है। इसलिए यह और भी मुश्किल होगा कि निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा संदेश न डाला जाए, जिस पर कोई दल आपत्ति करने लगे। अतः मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति को राजनैतिक परिप्रेक्ष्यः में शामिल करना गलत होगा, क्योंकि चुनावों के दौरान कई प्रकार की भावनाएं एवं दुर्भावनाएं भी उठाई जाने लगती हैं।

मैंने पाया है कि इस संशोधन में यह कहा गया है कि इसके उद्देश्यों की पूर्ति एक नियत प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। पर इस संशोधन में इसका उल्लेख नहीं है कि वह विहित प्राधिकारी कौन होगा या उसे कौन विहित करेगा। और यदि विहित प्राधिकारी भारत के विभिन्न भागों की राज्य सरकारें या उन राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं, तो भी हम इस प्रस्ताव में एक ऐसा बेहद हानिकारक राजनैतिक

साधन शामिल कर रहे हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, जैसा मैंने कहा, बेहद स्पष्ट है। साथ ही यह शर्त, कि इसे प्रत्येक गाँव में और प्रत्येक मुहल्ले में पढ़ा जाएगा, मुझे प्रशासनिक तंत्र अत्यधिक मांग करने वाली लगती है। और तब क्या होगा, जब संदेश, कुछ गाँवों या कुछ मुहल्लों में पढ़ा न जा सके? तो क्या शर्त पूरी न होने तक चुनाव को स्थगित कर दिया जाएगा? इस बारे में इस पूरे संशोधन में कहीं भी जिक्र नहीं है। अतः राजनैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी, मेरा विचार है कि यह संशोधन अत्यंत अव्यावहारिक है।

फिर भी, मैं सोचता हूँ, इस मामले का एक अन्य पक्ष भी है, जिस पर इस दृष्टि से विचार किया जा सकता है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए या न किया जाए। मान लीजिए, जैसा मेरे मित्र ने कहा है कि इस तरह का कोई संशोधन पहले से मौजूद नहीं था, तो क्या यह संभव नहीं है कि इस संशोधन का उद्‌देश्य विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा स्वयं ही प्राप्त कर लिया जाए? मुझे नहीं लगता कि सभी राजनैतिक दलों में प्रत्येक को, इस संदेश को संप्रेषित करने से रोक लग सकती है, जो इस संशोधन के आरंभिक भाग में है कि हमारे संविधान में एक है, जिसके अनुसार हमें उस उद्‌देशिका के साथ मूल अधिकारों तथा निर्देशक सिद्‌धांतों को भी प्रभावी बनाना है। अतः हम में से प्रत्येक को यह प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे उपयुक्त उम्मीदवार चुनें, जो संविधान के मूल अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों और उद्देशिका को प्रभावी बना सकें। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा संशोधन स्वीकार न भी हो, और मैं समझता हूँ कि इसे स्वीकार करना कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण, जिनका उल्लेख भी मैंने किया है, संभव भी नहीं है, तो भी इसका उद्‌देश्य विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस संशोधन को स्वीकार करने के बजाय, मैं इस मामले को विभिन्न राजनैतिक दलों पर छोड़ दूँ, ताकि वे इसे अपने विचारों के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से प्रभावी बना सकें।

श्री कॉमथ : क्या माननीय मंत्री जी इस पक्ष में नहीं हैं कि प्रत्येक राजनैतिक दिल रेडियो का इच्छानुसार उपयोग कर सकें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा विचार है कि यह ऐसा मामला है, जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। मैंने इंग्लैण्ड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों देशों में भी इस प्रश्न पर किंचित विचार किया था। अतः जब भी यहाँ उचित समय पर इस पर चर्चा होगी, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी कि मैं संसद के हित में कुछ टिप्पणी कर सकूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह जरूरी है कि माननीय मंत्री ने अभी जो कहा है, उसके बाद भी इस मामले को उठाया जाए?

खंड 14 से 16 तक विधेयक में जोड़े गए।

खंड 17 (परिभाषा)

*__श्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिम बंगाल) :__ मुद्दा यह है कि हमारी दो परिषदें हैं। इसलिए भ्रम की स्थिति न रहे, अतः हमें 'राज्य परिषद' को 'विधान परिषद्' कहना चाहिए, जैसा कि हम 'उच्च सदन' को 'राज्य सभा' कहते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। ये सभी शब्द 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम' में पहले ही परिभाषित हो चुके हैं।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : तो मैं इस संशोधन पर जोर नहीं दूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 17, विधेयक का भाग है।"

खंड 17, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 18 (प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अफसर)

सरदार हुकुम सिंह (पंजाब) : मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ:

खंड 18 में "जो सरकार का ऐसा अधिकारी होगा, जैसा" कि बजाय "जिसको" प्रतिस्थापित करें।

**__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :__ इस संशोधन को स्वीकार करना मुश्किल है। मैं अपने मित्र सरदार हुकुम सिंह से सहमत हूँ कि कुछ सीमा तक हम गैर-सरकारी एजेन्सी पर निर्भर हो सकते हैं। निश्चित ही हमारा चुनाव भी ज्यादा त्वरित गति से कराया जा सकता है, यदि चुनाव आयुक्त के अधीनस्थ कर्मचारी, सरकार के प्रशासनिक वर्ग से इतर वर्ग से लिए जाएँ। लेकिन इसी से साथ हमें यह ध्यान रखना है कि सभी सरकारों और निकायों, जिनसे भारत सरकार ने सलाह ली है, ने इस पर जोर दिया है कि पूरी मशीनरी पूर्णतः सरकारी रखी जाए। ऐसी परिस्थिति में, मुझे डर है कि इस संशोधन को स्वीकार करना संभव नहीं है।

***__श्री जे.आर. कपूर :__ मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 20 के उप-खंड (2) के परन्तुक के अंत में जोड़ा जाए: "ऐसी स्थिति में सहायक चुनाव अधिकारियों में वरिष्ठतम सरकारी अधिकारी, कथित कार्य निष्पादित करेगा।"

माननीय उपाध्यक्ष : इसका निर्णय कौन करेगा कि उनमें वरिष्ठतम कौन है?

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8764-65

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8765

***वही, पृष्ठ 8774-75

श्री जे.आर. कपूर : इसका उत्तर काफी आसान है। एक ऐसी सरकारी सूची होती है जिसमें अधिकारियों की वरिष्ठता दी होती है।

माननीय उपाध्यक्ष : लेकिन यदि वे अलग-अलग विभागों से हों?

श्री जे.आर. कपूर : यदि स्थिति यह है कि मेरे सुझाव से परेशानी दूर नहीं हो पा रही है, तो हम कोई ऐसी विधि खोज सकते हैं, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि सहायक चुनाव अधिकारियों में से कौन-सा अधिकारी, कार्यों का निष्पादन करेगा। इसी तरह यदि संशोधन को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करने में कोई परेशानी है, तो नियम बनाते समय इसका ध्यान रखा जा सकता है। मेरा उद्‌देश्य यही है कि कोई भी चीज अनिश्चित न छोड़ी जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। यह याद रखना चाहिए कि हम तीन कार्यों पर विचार कर रहे हैं: नामांकन-पत्र की स्वीकृति, नामांकन-पत्रों की जाँच और कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में मतों की गणना। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई कार्य इतना विशिष्ट है कि ऐसा कोई अधिकारी जरूरी है जिस पर हमें विश्वास हो या कोई दूसरा नहीं। अतः जब तक मेरे मित्र मुझे इस बात के लिए संतुष्ट न कर दें कि ये कार्य ऐसे हैं, जिनके लिए किसी विशेष चरित्र या विश्वस्त अधिकारी की जरूरत है, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि कोई भी सहायक चुनाव अधिकारी इन कार्यों को वैसा नहीं कर पाएगा जैसा कि कोई अन्य।

श्री जे.आर. कपूर : यह परन्तुक के बारे में परिकल्पना मात्र है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र का विचार है कि अधिकारियों की श्रेणी बना दी जाए; वरिष्ठतम, वरिष्ठतम में द्वितीय, कनिष्ठतम, आदि। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, जब कि कार्य इस प्रकार के हों कि हमें निश्चिय हो जाए कि जिस व्यक्ति को कार्य दिया गया है, वह उसे ठीक प्रकार से संपन्न कर सकता है। अन्यथा, इससे प्रशासनिक कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मेरा विचार है कि इस संशोधन में एक मुद्‌दा है। चुनाव अयोग, चुनाव अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक सहायक अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तब मान लीजिए कहीं पर दो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और अचानक चुनाव अधिकारी बिना किसी निर्देश दिए कहीं चला जाता है। तब वहाँ उन दो सहायक अधिकारियों में से किसे कार्य करना होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनमें कोई भी कर सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : मान लीजिए उनमें प्रत्येक यह सोचे कि यह दूसरे का कार्य है। तब क्या होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मान लीजिए दो न्यायपीठ हैं। तब उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार यदि कोई केस किसी न्यायपीठ को देता है, तो वह पीठ उसकी सुनवाई करती है। इसी तरह कोई एक यह कार्य कर सकता है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : ऐसे में एक कोई एक प्रकार का आदेश दे सकता है, और दूसरा दूसरे प्रकार का।

माननीय उपाध्यक्ष : ऐसा कैसे हो सकता है?

***श्री राजबहादुर (राजस्थान) :** यहाँ 'अशून्यकरणीय रूप से' शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अत: मेरी विनम्र राय में श्री कपूर द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार्य नहीं है। कारण यह है कि ऐसी निश्चित व्यवस्था है कि कोई भी सहायक चुनाव अधिकारी, अपने चुनाव अधिकारी के नियंत्रण और निर्देशानुसार ही अपने सभी या कोई कार्य कर सकता है। चुनाव अधिकारी को उन कार्यों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना होता है। वह अपने किसी सहायक अधिकारी के रूप में यह उसके अधिकार-क्षेत्र में आता है कि अपने अनेक सहायकों में वह किसी एक का चयन किसी विशेष कार्य हेतु कर सके। जब भी कोई कठिनाई हो, वह किसी एक को नामित कर सकता है?

श्री पी. बासी रेड्डी : वह कैसे प्राधिकृत कर सकता है? मान लीजिए किसी आकस्मिक घटना के कारण वह रास्ते में ही रुक जाए, तो क्या होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे लगता है कि ज्यादातर आपत्तियाँ इसलिए उठाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ लोग जो इस मामले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, अपना दबाव बना सकें। स्थिति यही है और मुझे उम्मीद है मेरे वकील मित्र मेरी बात को समझ सकेंगे।

श्री सिधवा : इसका बिल्कुल उल्टा होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हमें विधि के अनुसार विदित है कि कानून में 'न्यायालय' और 'पदाभिहित व्यक्ति' में क्या अंतर है। कुछ मामलों में, यद्यपि कोई व्यक्ति अदालत का सदस्य हो सकता है या किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अदालत लगाता है, तो भी विनिर्दिष्ट तौर पर पदाभिहित होता है, ताकि वह स्वयं कार्य करे और वह न्यायालय न हो। यही सिद्धांत यहाँ भी रेखांकित होता है। चुनाव अधिकारी जो भी नियुक्त हो 'पदाभिहित व्यक्ति' हो जाता है तो भी उसे निजी तौर पर वे कार्य करने चाहिएं। लेकिन परन्तु में प्रावधान है कि यद्यपि उसे वे कार्य करने चाहिएं, तथापि वह उनके लिए परन्तुक के अंतिम वाक्य के आधार पर अपने अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति,

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8780-83

यथा सहायक चुनाव अधिकारियों को 'पदाभिहित व्यक्ति' बना देता है और वे उसके पद-चिह्नों पर चलने लगते हैं। इसका यही अर्थ है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उनमें से कौन?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनमें से कोई भी उसके पदचिह्नों पर चल सकता है। मुझे तो नहीं मालूम, पर मेरे माननीय मित्र श्री सन्थानम ने कहा है कि उनमें एक हो सकता है। फिर भी हम इस संभावना को मानेंगे कि वे दो हो सकते हैं। मान लीजिए यदि दो व्यक्ति आसीन हैं, तो दोनों ही 'पदाभिहित व्यक्ति' होंगे। तब कोई भी A या B के पास जा सकता है और दोनों ही चुनाव अधिकारी के कार्य संपन्न कर सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसमें कठिनाई तब उत्पन्न होगी, जब चुनाव अधिकारी के रूप में कार्यरत प्रत्येक सहायक चुनाव अधिकारी, नांमाकन-पत्रों की जांच करने लगेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है और मैं इस तथ्य की की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कुछ असावधानीवश मैंने 'कार्य' की बजाय 'कार्यों' शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन स्वीकार कर लिया था। मुझे लगता है, वह सही नहीं था, मूल शब्द एकवचन था, अर्थात् 'कार्य' ही सही शब्द है। और इसी से कठिनाई पैदा हुई, क्योंकि वह नामांकन वाले दिन अनुपस्थित हो सकता है। लेकिन चुनाव अधिकारी जाँच वाले दिन उपस्थित रहेगा और वह उसी के द्वारा की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष : इस गलती को संशोधन के तीसरी बार के वाचन में ठीक किया जा सकता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोई सहायक चुनाव अधिकारी, जो नामांकन स्वीकार करता है, जाँच भी कर लेगा और मतगणना का कार्य भी संपन्न कर लेगा, ऐसा नहीं है।

श्री हनुमनथैया : यह कठिनाई, "अपरिहार्यत : निवारित" शब्दों के कारण है और किसी न्यायपीठ से इसकी व्याख्या कराई जा सकती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसके स्थान पर आप कौन-से शब्द रखना चाहेंगे?

श्री हनुमनथैया : मैं एक समाधान का सुझाव दूँगा। "अपरिहार्यत: निवारित" शब्दों के स्थान पर "अनुपस्थित" शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तब कोई विवाद पैदा नहीं होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उसे 'अनुपस्थित' नहीं रखना चाहता। यही मेरा मुद्दा है। एक बार जब वह कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त हो जाता है और विशेषकर जब वह 'पदाभिहित व्यक्ति' बन जाता है, तो उसके लिए यह बाध्यकारी है कि वह अन्य कार्यों के बजाय इसी कार्य पर पहले ध्यान दे।

श्री हनुमनथैया : तब इसका उत्तर न्यायपीठ में भी आसानी से दिया जा सकता है। 'अपरिहार्यत: निवारित' सबूत का मामला है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सबूत का मामला हो सकता है।

श्री पी. बासी रेड्डी : किसी एक चुनाव अधिकारी को पहले ही प्राधिकृत क्यों न कर दिया जाए?

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। यह बहस खिंचती चली जा रही है। यदि वह वास्तव में 'अपरिहार्यत: निवारित' है और यह केवल चुनाव अधिकारी तथा सहायक चुनाव अधिकारी के बीच का मामला है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मुद्दा यह है कि चुनाव पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। इसे दूर करने की क्या संभावना है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं सोचता हूँ और जहाँ तक मैं इसे समझ सका हूँ यह चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी के बीच का विषय है।

श्री टी.टी कृष्णमाचारी (मद्रास) : उप-खंड (2) में शब्द हैं: "प्रत्येक सहायक चुनाव अधिकारी, चुनाव अधिकारी के नियंत्रण में सभी कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम होगा।" अत: यही इसकी सीमा है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसमें अंतिम भाग अधिनियमन का भाग नहीं है, वह इसका आरंभिक भाग है। चुनाव आयोग को यदि वह पता चलता है कि चुनाव अधिकारी ने बिना किसी अपरिहार्य कारण के स्वयं को अनुपस्थित रखा है, तो वह उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

श्री हनुमयथैया : जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने बताया है, यह मामला चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी के बीच का हो सकता है। लेनिक चुनाव के उम्मीदवारों की क्या स्थिति है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उम्मीदवारों के लिए इतना ही साबित करना पर्याप्त होगा कि चुनाव अधिकारी अनुपस्थित था। लेकिन वह किसी अपरिहार्य कारण के परिणाम-स्वरूप अनुपस्थित था या उसके बिना, इस मामले पर चुनाव आयुक्त द्वारा विचार किया जाएगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सिद्ध करना होगा कि वह 'अपरिहार्यतः निवारित' है या नहीं।

श्री राजबहादुर : क्या मैं श्री हनुमनथैया से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? इसका निर्णय कौन करेगा कि अनुपस्थिति, अपरिहार्य थी या नहीं-चुनाव आयुक्त या संबंधित अधिकारी? क्या चुनाव आयुक्त जानता है कि वह अपरिहार्यतः अनुपस्थित था या नहीं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अधिकरण को यह निर्णय करना होगा कि क्या वह अपरिहार्यतः निवारित था?

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : मुझे लगता है कि इसमें केवल एक पंक्ति जोड़ दी जाए कि यदि सहायक चुनाव अधिकारियों की संख्या एक से ज्यादा हो, तो उनका चुनाव अधिकारी उनमें से किसी एक को वरिष्ठतम के रूप में नामित कर दें।

माननीय उपाध्यक्ष : यह पहले ही कहा जा चुका है। यही श्री कपूर का संशोधन था। अब मैं श्री कपूर के संशोधन को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हनुमयथैया : मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ...

माननीय उपाध्यक्ष : वह बाद में लिया जाएगा।

श्री हनुमयथैया : इस खंड के संबंध में मैं एक निश्चित प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि यह खंड, बाद में विचारार्थ लिया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"खंड 20 पर आगे विचार विमर्श स्थगित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

***श्री बर्मन :** मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे चुनाव-क्षेत्र में, दो जिले मिला दिए गए हैं और मंडल आयुक्त को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तदनुसार हम उसके निजी सहायक को अपने नामांकन-पत्र देते रहे हैं, और यही स्थिति काफी समय से है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अगर मैं माननीय सदस्य को ठीक प्रकार से समझ पाया हूँ, तो उनका संशोधन इस प्रकार है : "परन्तुक के अनुसार, जैसा वह इस समय है, चुनाव अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक चुनाव अधिकारी द्वारा तीन कार्य निष्पादित किए जा सकते हैं। वे हैं—नामांकन-पत्रों को स्वीकार करना, नामांकनों की

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8784-86

जांच करना और मतगणना।" इस बारे में मेरे माननीय मित्र अपने संशोधन द्वारा यह चाहते हैं, कि दो कार्य निष्पादित किए जाएँ, अर्थात्-नामांकनों की जाँच और मतगणना।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रयुक्त शब्दों के अनुसार, 'जब तक दूसरा अपरिहार्यतः अनुपस्थित न हो, तब तक उन दो कार्यों को निष्पादित नहीं किया जाएगा।'

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : संशोधन सं. 248 में ऐसा कुछ भी नहीं है।

श्री बर्मन : मैं इसी खंड का विलोपन चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अर्थात् नामांकन की स्वीकृति का उप-खंड और शेष भाग रहेगा?

श्री सन्थानम : इस का परिणाम यह होगा कि चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी, दोनों ही 'पदाभिहित व्यक्ति' हो जाएँगे।

श्री बर्मन : जहाँ तक जाँच और मतगणना का संबंध है, दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं और उनका दायित्व चुनाव अधिकारी पर रहना चाहिए। और यदि वह अपरिहार्यतः अनुपस्थित हो, तो किसी सहायक चुनाव अधिकारी को उन्हें करना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : दोनों पक्षों में काफी अन्तर है।

श्री बर्मन : लेकिन, जहाँ तक नामांकन-पत्र स्वीकारने का संबंध है, मेरा निवेदन यह है कि नामांकन-पत्रों के जमा करने का कार्य कई दिनों तक चलता है। तब यदि अकेले चुनाव अधिकारी को उन्हें स्वीकारने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा, तो उसे अपने केन्द्र में चौबीसों घंटे उपस्थित रहना होगा। यह हमेशा संभव नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : इसका समय प्रायः 11 से अपराह्न 3 बजे तक होता है।

श्री बर्मन : लेकिन यह सभी दिन करना होता है। इसके लिए कोई सहायक नामांकन-पत्र प्राप्त कर लेता है। वह केवल इसकी जांच भी कर लेता है कि नामांकन-पत्र, मतदाताओं की सूची के अनुसार ठीक है और आवश्यक राशि जमा कर दी गई है। बाद में एक नियत तारीख को चुनाव अधिकारी द्वारा पूरी जाँच की जाती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे मित्र, नामांकन-पत्र को एक उच्चतम महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे सहायक चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन स्वीकारने पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं और उसे केवल किसी सहायक द्वारा स्वीकारने को तरजीह दे रहे हैं।

श्री सन्थानम : मुद्दा यह है कि सहायक चुनाव अधिकारी इतना सक्षम हो कि वह चुनाव अधिकारी को सूचना दिए बिना भी, किसी भी समय नामांकन पत्र स्वीकार कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष : परन्तुक में यह कहा गया है कि केवल चुनाव अधिकारी ही ये कार्य निष्पादित करेगा। तीन प्रकार के कार्य सहायक चुनाव अधिकारियों के लिए जाते हैं। वैसे, वे सभी कार्य जो चुनाव अधिकारी कर सकता है, सहायक चुनाव अधिकारियों से भी कराए जा सकते हैं। परन्तुक के आरंभिक भाग में कहा गया है कि निम्न तीन कार्य सहायक चुनाव अधिकारियों द्वारा निष्पादित नहीं किए जाएँगें, सिवाय उन असमान्य परिस्थितियों के, जैसे चुनाव अधिकारी अपरिहार्यतः अपना कार्य करने से निवारित हो जाए। उन्हीं तीन कोटियों में से वह एक कोटि कम करवा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ केवल जाँच और मतगणना के सिलसिले में सहायक चुनाव अधिकारियों को वंचित रखा जाएगा, जब तक कि चुनाव अधिकारी उनके लिए अपरिहार्यतः निवारित न हो जाए। और जहाँ तक नामांकन प्राप्ति का संबंध है, चुनाव अधिकारी के उपस्थित होने की स्थिति में भी सहायक चुनाव अधिकारी उन्हें प्राप्त कर सकता है। या उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी अपरिहार्यतः निवारित होने वाली स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। अतः हमें मान लेना चाहिए कि वह अपरिहार्यतः निवारित नहीं है। वह कभी भी उपस्थित हो सकता है। फिर भी सहायक चुनाव अधिकारी नामांकन-पत्र ले सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जाँच और मतगणना के लिए उसे ध्यान रखना होगा कि चुनाव अधिकारी अपने दायित्व से अपरिहार्यतः निवारित है। इसके लिए सहायक चुनाव अधिकारी न केवल अपने, बारिक चुनाव अधिकारी के गंभीर दायित्वों को भी निभा सकेगा। साथ में वह नामांकन-पत्र भी स्वीकार कर सकेगा। मान लीजिए जिलाधीश, चुनाव अधिकारी है। तब उपजिलाधीश, जो सहायक चुनाव अधिकारी हो सकता है, कह देगा कि जिलाधीश उपस्थित है, अतः वही स्वीकार करेंगे। ऐसा सामान्यतः होगा, और यह ठीक भी है। अतः मैं इस मुद्दे को माननीय मंत्री जी के लिए छोड़ रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस परन्तुक में किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं, इसमें 'गोलमाल' होगा।

श्री भारती : हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ 'स्वीकारने' का वास्तविक आशय क्या है? क्या यह केवल नामांकन प्राप्त करना है या उनकी अंतिम स्वीकृति भी है? इस तरह यह अंतिम अस्वीकृति भी हो सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष : इसका केवल यह अर्थ है कि प्राप्ति के बाद केवल आरंभिक जांच की गई है। यह 'अंतिम स्वीकृति' नहीं है।

*खंड 22 (चुनाव अधिकारी के सामान्य कर्तव्य)

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 15 मई, 1951, पृष्ठ 87590-9

खंड 22 में "यह सामान्य कर्तव्य होगा" के स्थान पर "यह कर्तव्य होगा" शब्द प्रतिस्थापित करें।

माननीय उपाध्यक्ष : मतदान केन्द्र पर एक पीठासीन अधिकारी होता है, और वहाँ पर कागजात प्राप्त करना, मतदान अधिकारी का विशेष कर्तव्य होता है। इस तरह के अन्य विशेष कर्तव्य होते हैं। इन सभी की व्यवस्था करना, चुनाव अधिकारी का सामान्य कर्तव्य है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : यदि मैं कहूँ कि "यह कर्तव्य है", तो भी यह उस अधिकारी का सामान्य कर्तव्य होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि 'सामान्य' शब्द को जारी रखने से कोई हानि होगी। मैंने इस संबंध में जाँच की हुई है और मैंने पाया है यह खंड पूरी तरह इंग्लैण्ड के कानून की प्रतिकृति है। वहाँ भी 'सामान्य' शब्द शामिल है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है:

कि खंड 22 में "यह सामान्य कर्तव्य होगा" के स्थान पर "यह कर्तव्य होगा" शब्द प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 22 विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 22 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 23 (मतदान केंद्रों आदि की व्यवस्था)

श्री वेंकटरमन : जहाँ तक समेकत सूची के संशोधन सं. 294 का संबंध है, मैंने सोचा था कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि वे इसे नियमों में शामिल कर लेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस तरह की व्यवस्था नियमों में की जाएगी।

श्री वेंकटरमन : तो मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहाँ तक समेकित सूची का संशोधन सं. 295 का संबंध है, नियमों का निर्धारण करते समय उसका भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री जे.आर. कपूर : समेकित सूची के मेरे संशोधन सं. 296 के दूसरे भाग के संबंध में मुझे लगता है कि विधि मंत्री महोदय नियमों में उसे शामिल करने को तैयार है, अत: मैं उस संशोधन को प्रस्तुत नहीं करूंगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं इस खंड को सदन के समक्ष रख रहा हूँ।

***श्री शिवचरण लाल :** जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह यह है। यदि सरकार इस बारे में बहुत सख्त होना चाहती है कि किसी भी तरह के वाहन का प्रयोग न किया जाए, तो दूरी कम होनी चाहिए। यानी मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस पर पांच बातें कही गई हैं और मुझे कहा गया है कि मैं उन पर प्रत्येक के बारे में अपना वक्तव्य हूँ। उनमें पहली बात मतदान केन्द्रों की संख्या की है। इस बारे में मुझसे यह बताने को कहा गया है, क्या सरकार, मतदान केंद्रों की ऐसी व्यवस्था करेगी कि किसी विशेष केन्द्र में किसी निश्चित संख्या से ज्यादा मतदाता एकत्र नहीं हों। इस बारे में किसी निश्चित संख्या को बता पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। तथापि मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार, मतदान केन्द्रों की संख्या का निर्धारण इस सीमा तक करेगी, ताक किसी एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार हो और उसकी दूरी इतनी हो कि मतदान केन्द्र तक जाने के इच्छुक मतदाता को दिक्कत न हो और वह दूरी या भीड़ के कारण मतदान न कर पाने से निराश होकर न चला जाए।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है, मतदान केन्द्रों के निर्धारण के बारे में है। इस बारे में मुझे बताने को कहा गया है, क्या चुनाव आयुक्त का निर्णय इस बारे में अंतिम होगा या उन लोगों को, जो इसमें रुचि रखते हैं, चुनाव आयुक्त के समक्ष अपना पत्र रखने का अवसर मिलेगा। यह सुस्पष्ट है कि कुछ लोग, चाहे मतदाता हों, तो उम्मीदवार, किसी खास मतदान केन्द्र को खास स्थान पर निर्धारित करने की इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि वह स्थान अपने लिए अनुकूल लग सकता है या वह उन्हें दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में लाभप्रद हो सकता है। अतः किसी भी उम्मीदवार या मतदाता को इस बारे में अंतिम निर्णय की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका पूरा अधिकार चुनाव आयुक्त के पास ही रहना चाहिए। किंतु मैं यह कहने के लिए राजी हूँ कि व्यवस्था करने से पूर्व, चुनाव आयुक्त अपना अंतिम निर्णय लेने के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनसे चर्चा कर सकता है और उसके बाद अपना अंतिम निर्णय ले सकता है।

अब मैं उन तीन मुद्दों पर आता हूँ जो चुनाव कराने से संबंधित हैं। पहला, प्रत्येक मतदाता को उसका मत-पत्र भेजने से संबंधित है। दूसरा, प्रत्येक मतदाता को निश्चित आकार का चुनाव घोषणा-पत्र सरकारी खर्च पर भेजने का है और तीसरा, किफायती दर पर निर्वाचक नामावली देने से संबंधित है। यह सदन भी इस बात से सहमत होगा कि इसमें होने वाले खर्च की संभावना हो देखते हुए, मेरे लिए सरकारी तौर पर कोई निश्चित आश्वासन दे पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन सरकार के प्रतिनिधित्व के बजाय

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8806-9

इस सदन के एक सदस्य के रूप में मेरी सद्भावना पहले दो मुद्दों यानी मतपत्रों और चुनाव घोषणा-पत्र भेजने के पक्ष में ही है। और निर्वाचक नामावली की पूर्ति के संबंध में मुझे लगता है कि यदि सरकार, प्रत्येक मतदाता को उसका मत-पत्र भेज देने का कार्य कर देती है, तो किफायती दर पर या एक से अधिक निर्वाचक नामावली की प्रतियों की आपूर्ति मुझे उतनी जरूरी नहीं प्रतीत होती। आखिर, कोई उम्मीदवार, निर्वाचक नामावली पाने के बाद यही तो करता है कि वह मतदाता के सपंर्क करके उसे उसकी क्रम संख्या और मतदान केन्द्र के स्थान की जानकारी दे दे।

डॉ. देशमुख : पक्ष प्रचारकों का क्या होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नही समझता कि कोई उम्मीदवार इतना भाग्यशाली होगा कि वह इतना साधन-संपन्न हो जाए और इतनी संख्या में पक्ष-प्रचारक जुटा ले कि वे उस उम्मीदवार के बारे में प्रत्येक मतदाता को बता सकें। मुझे यह काफी सीमा तक असंभव कार्य ही लगता है। उम्मीदवार को अपने निजी व्यक्तित्व पर निर्भर होना होता है और इस बात पर भी, कि उसे जनता के बीच कितना जाना जाता है। और यदि वह उनके बीच सुपरिचित नहीं है, तो उसे कुछ ऐसा करना होता है, जिससे वह उनके बीच 'कुख्यात' होकर भी सुपरिचित हो जाए। (एक माननीय सदस्य : 'कुख्यात'।) विख्यात या कुख्यात जो भी वह हो जाए।

मैं यह पूरी तरह समझ सकता हूँ कि प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक सेट अवश्य मिलना चाहिए। उसके बिना वह कार्य नहीं कर सकेगा, इसलिए इसमें उसका मूल्य बाधा नहीं बनना चाहिए। यद्यपि मैंने कहा है कि इसमें आर्थिक मुद्दा है और इस मामले में मैं सरकार से परामर्श किए बिना कोई आश्वासन नहीं दे सकता है, तथापि मुझे लगता है कि श्री कपूर ने जो सुझाव दिया है वह इसकी लागत को सरकार और संबंधित उम्मीदवार के बीच बाँटने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उससे मेरी जिम्मेदारी भी काफी कम हो गई है। मुझे लगता है कि यह सुझाव पर्याप्त युक्तिसंगत तथा व्यावहारिक है और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूँ कि इस मामले को सरकार के समक्ष रखूँगा और कहूँगा कि वह इस बारे में अपना निर्णय ले।

डॉ. देशमुख : क्या उस निर्णय की घोषणा इस विधेयक के पारित करने से पूर्व कर दी जाएगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ठीक है, आपके चुनाव के लिए खड़े होने से पहले ही मैं इसकी घोषणा आपको कर दूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : व्यवस्था बनाए रखें। मुझे सदस्यों के इस प्रकार इधर-उधर घूमते रहने पर गंभीर आपत्ति है। यहाँ पर शालीनता का पर्याप्त ध्यान रखने की जरूरत है।

प्रश्न है :

"कि खंड 23, विधेयक का भाग है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 23, विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय उपाध्यक्ष : अब नया खंड 23क, प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। क्या खंड 24 को प्रस्तुत करने का समय बचा है?

माननीय सदस्य : नहीं, श्रीमन्।

तदोपरांत सदन को बुधवार, 16 मई, 1951 के साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकप्रतिनिधित्व (सं. 2)–जारी

*खंड 24 (मतदान केंद्रों के लिए पीठासीन अधिकारी)

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत है :

खंड 24 के उप-खंड (1) में "चुनाव में या उसके बारे में शब्दों के स्थान पर "विचारधीन चुनाव में" शब्द प्रतिस्थापित करें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या मैं संशोधन सं. 299 तथा 300 को मतदान के लिए प्रस्तुत कर दूँ?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं केवल संशोधन सं. 299 को मतदान के लिए रखना चाहूँगा। अगर वह अस्वीकृत हो जाता है, तो संशोधन सं. 300 की जरूरत नहीं होगी।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास) : क्या मैं माननीय विधि मंत्री से कह सकता हूँ कि वे इस संशोधन में "चुनाव के बारे में" शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसका उत्तर आसान है। 'चुनाव' शब्द को सीमित अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात् चुनाव की वह प्रक्रिया, जब मतदान होता है। दूसरी ओर चुनाव का विस्तृत अर्थ भी होता है, जिसमें मतदान के अतिरिक्त भी अनेक संबंधित कार्य किए जाते हैं। यही कारण है, यह शब्द यहाँ है। ठीक यही शब्द कानून में भी है।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9098-9105

प्रो. रंगा (मद्रास) : क्या मैं भी एक स्पष्टीकरण माँग सकता हूँ? कई ऐसे लोग होते हैं जो स्थानीय निकायों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर मंत्री और उपमंत्री होते हैं। वे जिन निर्वाचन-क्षेत्रों के उम्मीदवार बनते हैं, उनमें उनके अनेक अधीनस्थ कर्मचारी भी होते हैं। तब क्या यह चुनाव अधिकारी के अधिकार में होगा कि वह ऐसे कर्मचारियों को, जो सीधे उनके नियंत्रण में हैं, इस उपबंध के अनुसार मतदान अधिकारी नियुक्त कर दें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक इस उपबंध का संबंध है, इसमें कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। इसमें यही कहा गया है कि कोई व्यक्ति, जो उम्मीदवार द्वारा चुनाव के संबंध में नियुक्त किया गया है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि वह कर्मचारी स्थानीय जिला निकाय या नगरपालिका की सेवा में है और उम्मीदवार द्वारा नियुक्त नहीं है, तो उसे मतदान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह संशोधन जरूरी है। कारण है कि चुनाव अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी होता है और यदि यह कर्तव्य-पालन में कोई गलती करता है, तो सरकारी कर्मचारियों के आचरण के नियमों या दुराचरण के कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।

प्रो. रंगा : या फिर इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अनुसार?

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं इस संशोधन को सदन में प्रस्तुत करूँ?

श्री एस.एन. दस : नहीं, श्रीमन्।

खंड 28 (नामांकन की तिथियों का नियतन)

माननीय अध्यक्ष : मैं मुद्रित सूची ले रहा हूँ। मास्टर नंद लाल अनुपस्थित हैं। श्री बी.के. दास?

श्री बी.के. दास : श्रीमन्, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा।

श्री एम.बी. रामाराव (मैसूर) : श्रीमन्, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा।

माननीय उपाध्यक्ष : पूरक सूची सं. 1 में खंड 28 के लिए अनेक संशोधन दिए गए हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों के सभी संशोधन प्रस्तुत कर दूँ। तब भी यदि कोई सदस्य छूट जाए, तो वह खड़ा होकर बता दें। तदनुसार, पूरक सूची सं. 1 मैं संशोधन सं. 76? श्री नजीरुद्दीन अहमद?

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह पहले ही निपटा दिया था। यह एक ऐसा संशोधन है, जिसे वह लगातार अध्यायों में परिवर्तन के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष : अब वे इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री हुसेन ईमाम : महोदय, इस समय संसदीय कार्य मंत्री स्वयं खड़े हुए हैं, जब कि अध्यक्ष महोदय भी खड़े हैं।

श्री आर.के. चौधरी : केवल छोटी मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : बड़ी या छोटी मछलियों का प्रश्न न उठाएं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं सोचता हूँ कि चौधरी को अपना ध्यान ज्यादा गंभीर मामलों पर देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : समय की दृष्टि से और यहाँ उठाए गए व्यवस्था के मुद्दे की दृष्टि से, मैं सोचता हूँ कि उन माननीय सदस्यों से, जो अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, यह कहूँ कि वे कृपया खड़े हो जाएं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, श्रीमन्।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 28 के भाग (ग) में "जांच की तारीख" शब्दों के स्थान पर "जाँच के लिए नियत तारीख" शब्द प्रतिस्थापित करें।

इस संशोधन को प्रस्तुत करने के पीछे मेरा तर्क यह है कि "जांच की तारीख" शब्द, अस्पष्ट हैं और जो शब्द मैंने सुझाए हैं, अर्थात् "जांच के लिए नियत तारीख" ज्यादा स्पष्ट हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

खंड 28 के भाग (ग) में "जांच की तारीख" शब्दों के स्थान पर "जांच के लिए नियत तारीख" शब्द प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

खंड 28 के भाग (घ) में "यदि आवश्यक हो" शब्दों के स्थान पर "जहाँ आवश्यक हो" शब्द प्रतिस्थापित करें।

इसमें विद्यमान शब्द "यदि आवश्यक हो" शब्दों से एक शर्त व्यक्त होती है, जब कि मेरे द्वारा सुझाए गए "जहाँ आवश्यक हो" शब्दों में यथावसर का संदर्भ है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह स्वीकार नहीं कर रहा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

खंड 28 के भाग (घ) में "यदि आवश्यक हो" शब्दों के स्थान पर "जहाँ आवश्यक हो" शब्द प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री मीरन : अब मैं संशोधन सं 328 को, जो मेरे नाम पर है, थोड़े परिवर्तित रूप में, जो माननीय विधि मंत्री को भी स्वीकार्य है, प्रस्तुत कर रहा हूँ :

खंड 31 के उप-खंड (5) के बाद निम्न उप-खंड शामिल करें:

"5(क) : यदि नामांकन-पत्र प्रस्तुत करते समय चुनाव अधिकारी को पता चलता है कि उम्मीदवार का नाम उस मतदाता-सूची में दर्ज नहीं है, जिसका वह चुनाव अधिकारी है, तो वह उप-खंड (5) के अनुसार इस उम्मीदवार को नामांकन-पत्र के साथ उस मतदाता-सूची की प्रति प्रस्तुत करने को कहेगा।

मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहना चाहिए, क्योंकि माननीय मंत्री जी इस संशोधन से सहमत हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं भी इसी प्रकार के एक संशोधन के बारे में नोटिस दे चुका हूँ। इसलिए मैं इस संशोधन से सहमत हूँ।

श्री श्यामनंदन सहाय : इस बारे में खंड 5 के लिए मेरा भी एक संशोधन था। मुझे लगता है, कि मतदाता-सूचियों की प्रतियों की आपूर्ति में लगने वाली भारी लागत का बोझ उम्मीदवार पर क्यों डाला जाए? इसके लिए निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता-सूची की संबंधित प्रविष्टियों की केवल एक प्रति क्यों न बना दी जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वहाँ पहले ही "या" शब्द है।

श्री श्यामनंदन सहाय : जी हाँ, मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस मामले में विकल्प चुनाव अधिकारी के पास है।

श्री आर.के. चौधरी : मुझे अपने माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत किए संशोधन पर घोर आपत्ति है। लेकिन, विभिन्न स्थानों पर कार्यरत चुनाव अधिकारियों के निर्णयों में

एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि "हो सकता है" के बजाय "होगा" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : जैसा कि मेरे माननीय मित्रों प्रो. रंगा तथा श्री श्यामनंदन सहाय ने व्यक्त किया है कि चुनाव अधिकारी, नामांकन-पत्र शुद्ध नहीं कर सकता, पर मैं नहीं समझता इसमें डर का कोई कारण है, क्योंकि धारा 34 में यह स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी नामांकन-पत्र को मात्र तकनीकी गलती के कारण अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। अतः चाहे चुनाव अधिकारी, नामांकन-पत्र को शुद्ध करे या न करे, पर वह किसी तकनीकी गलती के कारण उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता।

श्री रुद्रप्पा (मैसूर) : इन नामांकन-पत्रों में कई ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ जन्मतिथि का उल्लेख करना है, किंतु यदि कोई उम्मीदवार ग्रामवासी है, तो उसे जन्मतिथि की जानकारी न हो।

माननीय उपाध्यक्ष : जन्मतिथि क्यों?

श्री रुद्रप्पा : यह एक मुद्दा हो सकता है। मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। उसमें आवश्यक आयु की जरूरत होगी। तीस वर्ष या बीस वर्ष से अधिक। तब वह, यदि आवश्यक हुआ, तो सही जन्मतिथि कैसे पता कर पाएगा और लिख पाएगा....? अतः चुनाव अधिकारी के पास यह गुंजाइश होनी चाहिए कि इन लिपिकीय तथा तकनीकी गलतियों में सुधार कर दे। यदि इसकी व्यवस्था नहीं की गई, तो मुझे लगता है, इससे बहुतों के प्रति अन्याय होगा और इससे चुनाव के बाद मुकदमेबाजी भी बढ़ जाएगी। इसलिए यह व्यवस्था उम्मीदवारों के साथ-साथ चुनावों और मतदाताओं के भी हित में बेहद जरूरी है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

श्री श्यामनंदन सहाय : तब, मैं इसे वापस लेना चाहूँगा।

अतः संशोधन, सानुमति, वापिस लिया गया।

श्री श्यामनंदन सहाय : मेरे नाम पर एक अन्य संशोधन भी है। (पूरक सूची सं. 3 से सं. 14) इसमें भी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। संशोधन का पाठ है:

खंड 31 के उप-खंड (3) के पहले परन्तुक में "उम्मीदवार" शब्द जो दूसरी पंक्ति में है, के वाद "आरक्षित सीटों के लिए" शामिल कर लें।

इसके परन्तुक का पाठ इस प्रकार है :

"शर्त यह है कि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में जहाँ कोई सीट अनुसूचित जाति या

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, कोई भी उम्मीदवार तब तक उस सीट को भरने के लिए चुने जाने योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक उसका नामांकन पत्र विहित विधि से सत्यापित इस घोषणा के साथ संलग्न न हो, कि वह उस अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जिसके लिए वह सीट आरिक्षत है...."

हमने अपने अनुभवों से यह पाया है कि कभी-कभी चुनाव अधिकारी संदिग्ध दृष्टिकोण अपना लेता है। अन्यथा इन नामांकनों में इतनी ज्यादा कठिनाइयां न होतीं और न ही इतने ज्यादा चुनावी याचिकाएं और मुकदमें होते। इसी स्थिति को स्पष्ट करने की इच्छा से मैंने 'उम्मीदवार' के साथ 'आरक्षित सीटों के लिए' जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य ने इस परन्तुक में "उस सीट को भरने के लिए" शब्दों को नहीं देखा है?

श्री श्यामनंदन सहाय : जी हाँ, इसमें आगे यह भी कहा गया है "जिसके लिए वह सीट आरक्षित है"। मैंने यह सब देख लिया है। लेकिन मैं यह संशोधन इसलिए सुझा रहा हूँ, ताकि स्पष्ट रहे, क्योंकि जहाँ भी आरक्षण होता है, वहाँ एक सीट आरक्षित होती है और दूसरी सीट सामान्य सीट भी होती है। इसलिए यदि हम इन शब्दों को जोड़ दें, तो मुझे लगता है स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, अतः ऐसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामनंदन सहाय : तो मैं इस पर जोर नहीं दूँगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (उत्तर प्रदेश) : मैं पूरक सूची के अपने संशोधन सं. 317 को प्रस्तुत नहीं करना चाहता। पर मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ, जिसे वे स्वीकार कर सकते हैं।

मेरा निवदेन है कि वाक्यांश "और जो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित अनर्हता का पात्र नहीं है" शब्दों और पंक्तियों को जोड़े, जिनका कोई अर्थ न निकलता हो? मैं इसी के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं भी समझता हूँ, यह एक किफायती उपाय होगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : तथ्य यही है कि ये शब्द पूर्णतः अनावश्यक हैं, क्योंकि यदि कोई मतदाता है, तो वह इस ढंग से अनर्ह नहीं हो सकता। यह किसी मतदाता की वह अर्हता है, जिसका इसमें उल्लेख है, और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में दी गई है। अतः मेरा निवेदन है, यह पूर्णतः फालतू है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अस्पष्ट रहने से फालतू होना बेहतर है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं नहीं समझता इससे कोई अस्पष्टता पैदा होगी।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री को यह स्वीकार्य नहीं है।

***पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** खंड 31 उप-खंड (2) के विद्यमान परन्तुक से पहले निम्नलिखित नया परन्तुक शामिल कर लें:

"परन्तु जिसका नाम निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता-सूची में दर्ज है, वह व्यक्ति एक ही उम्मीदवार के एक से अधिक नामांकन-पत्र पर प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं करूँगा।

श्री ए.सी. गुहा (पं. बंगाल) : मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : मुद्दा निपटा दिया गया है। यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री ए.सी. गुहा : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या सरकार की यह इच्छा है कि कोई व्यक्ति, एक ही उम्मीदवार के लिए एक से ज्यादा नामांकन-पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है और सदन के समक्ष भी नहीं रखा गया है।

श्री सोनावाने (बम्बई) : मैं खंड 31 के उप-खंड (3) के प्रथम परन्तुक के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है :

"...जब तक उसका नामांकन-पत्र विहित विधि से सत्यापित इस घोषणा के साथ संलग्न न हो कि वह उस अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जिसके लिए..."

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री सोनावने : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। जहाँ तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 2128-29

के नामांकन का संबंध है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक आरक्षित सीट के मामले में सत्यापन की प्रक्रिया क्या होगी? यहाँ यह कहा गया है–"विहित विधि से सत्यापित घोषणा।" इसमें प्रक्रिया किन्हीं नियमों द्वारा निश्चित की जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वे नियम, मेरी इच्छा के बावजूद सदन के समक्ष नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम जानना चाहते हैं, सत्यापन की प्रक्रिया क्या होगी? नहीं तो, वह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मान लीजिए, हमें किसी मजिस्ट्रेट के पास जाकर, शपथ-पत्र देने को कहा जाता है, तो उसमें काफी समय लगेगा। यदि यह एक सरल प्रक्रिया हो, जैसे डॉ. अम्बेडकर से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना हो, क्योंकि वे अनुसूचित जातियों के एक मार्गदर्शक सदस्य हैं। इसलिए यही पर्याप्त और स्वीकार्य होना चाहिए और यही पर्याप्त सत्यापन होना चाहिए। हमें किसी दलाल के पास जाने को नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वहां प्रतीक्षा करनी होगी और तरह-तरह के काम करने होंगे। मान लीजिए कोई स्थानीय जे.पी. है और अगर वही इस तरह का प्रमाण-पत्र दे देता है कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, तो उसी प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि कोई काफी बार में अपना नामांकन दाखिक करके चुनाव लड़ने का निर्णय करता है और उसे तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, तो उसके लिए बहुत परेशानी होगी। अतः इस प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करता हूँ कि एक सामान्य विधि का पालन किया जाए। इसके लिए यदि कोई स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति या 'जस्टिस आफ दी पीस' एक प्रमाण-पत्र दे देता है, तो वही स्वीकार्य होना चाहिए।

श्री रामास्वामी नायडू (मद्रास) : खंड 31 के उप-खंड (3) के दूसरे परन्तुक का अंतिम अंश इस प्रकार है :

"...जब तक उसका नामांकन-पत्र विहित विधि से सत्यापित इस घोषणा के साथ संलग्न न हो कि वह उम्मीदवार उस जिले की किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है..."

अतः में मैं यह जानना चाहता हूँ "उस जिले की" शब्द, क्या यह संकेत नहीं करते कि वह उस जिले का निवासी हो।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ, ऐसा ही है।

श्री रामास्वामी नायडू : मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या किसी दूसरे जिले का कोई निवासी, चाहे वह उस जिले की किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, उस निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : बिल्कुल नहीं। उसकी व्यवस्था है।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे एक संदेह है और मैं उसे दूर कर लेना चाहता हूँ। इसमें एक व्यवस्था यह है :

"शर्त यह भी है कि खंड 7 के उपखंड (1) की धारा (च) में उल्लिखित पदासीन व्यक्ति बर्खास्त कर दिया गया हो और पाँच वर्षों की अवधि..."

मैं सोचता हूँ कि 'आजाद हिंद फौज' के सैनिक और अधिकारी इससे प्रभावित नहीं होंगे और यही मैं जानना चाहता हूँ? क्या वे इस धारा के कारण वंचित कर दिए जाएँगे? यदि ऐसा हो तो कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उन लोगों को चुनावों में भाग लेने का अधिकार मिल सके।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि पिछले वक्ता ने क्या कहा है। पर मैं उप-खंड (3) की व्यवस्था के संबंध में कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा, जो उस प्रक्रिया के संबंध में है, जिससे यह पता चले कि कोई उम्मीदवार अनूसचित जाति का है। जिस माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है, उसे बेशक इसका अनुभव नहीं है कि कितने सारे लोग स्वयं को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कानून के अंतर्गत उन्हें भी वे लाभ मिल सकें, जो उस जाति को दिए गए हैं।

श्री श्यामनंदन सहाय : इस तरह के और भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, और ज्यादा लोग इस तरह आ सकते हैं। मैंने सरकार के एक सदस्य के रूप में स्वयं इस तरह के अनुभव किए हैं। उदाहरणार्थ, कोई हिंदू छह महीनों तक अपनी दाढ़ी बढ़ाकर सिख बन जाता है और सिखों के लिए आरक्षित नौकरी प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर से दाढ़ी कटवाकर हिंदुओं में शामिल हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि किसी व्यक्ति को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए, विहित प्राधिकारी से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करके देना होगा, कि वह व्यक्ति उस श्रेणी का है। इस तरह की व्यवस्था निस्संदेह, बिना किसी शक के, अनुसूचित जातियों के भी हित में होगी। मैं निश्चित तौर पर नहीं बता सकता कि इस बारे में आयुक्त स्वयं किस तरह प्रक्रिया निश्चित करेगा, ताकि आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त अन्य कोई खड़ा न हो सके। मैं सोच सकता हूँ कि इसमें कोई हानि भी नहीं होगी, यदि ऐसा नियम बना दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपना नामांकन-पत्र, आरक्षित सीट के लिए देना चाहता है, अपने शपथ-पत्र के आधार पर किसी मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण-पत्र, उसके समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर करके प्राप्त करना चाहिए कि उनकी जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति, अनुसूचित जाति का है।

यह प्रक्रिया श्रमसाध्य या मुश्किल भरी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उससे बेहतर होगी, जिसके अनुसार कुछ कमियों के कारण कोई बाहरी व्यक्ति आकर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने लगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 31 विधयेक का भाग है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 31, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं उनका संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत करूँ?

चौ. रणवीर सिंह : मैं इस पर माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है।

चौ. रणवीर सिंह : तब मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

संशोधन सानुमति वापस लिया गया। खंड 32, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 33 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 34 (नामांकनों की जाँच)

***श्री श्यामनंदन सहाय :** मेरे पास इस खंड के लिए एक संशोधन है। यह पूरक सूची सं. 3 में सं. 22 है। मैं इसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

खंड 34 के उप-खंड (2) के "इंकार" शब्द के स्थान पर "अस्वीकार" शब्द प्रतिस्थापित करें।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह प्रारूपकार का विषय है। मेरे माननीय मित्र देखेंगे कि प्रारूपकार ने 'इंकार' शब्द का प्रयोग नामांकन के लिए किया है और 'अस्वीकार' का नामांकन-पत्र के लिए।

वह दोनों में अंतर रख रहा है और मुझे लगता है उसका यह अंतर, खंडों में आद्योपांत किया गया है।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9156-57

इसलिए मैं यह उचित समझता हूँ कि इसे रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस संशोधन को अब मतदान के लिए प्रस्तुत कर दूँ?

श्री श्यामनंदन सहाय : इस बारे में अन्य सदस्य भी कुछ कहना चाहेंगे। अतः अभी मैं इस संशोधन को सानुमति वापस लेता हूँ।

संशोधन, सानुमति वापस लिया गया।

*__श्री पंडित कुंजरु (उत्तर प्रदेश) :__ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

खंड 34 के उप-खंड (5) में निम्न परन्तुक जोड़ें :

"परन्तु यदि कोई आपत्ति की गई है, तो संबंधित उम्मीदवार को अगले दिन तक उसके खंडन की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन बाद में कोई दिन निश्चित करके जांच करके, चुनाव अधिकारी को कार्रवाई स्थगित करके अपना निर्णय लिपिबद्ध कर देना चाहिए।"

श्री सोनावने : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने इस बारे में सदन को कोई सूचना नहीं दी है और पहले ही अध्यक्ष महोदय यह कह चुके हैं कि इस सदन में अकस्मात् कुछ नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं जानना चाहता हूँ क्या इस प्रकार प्रस्तुत यह संशोधन स्वीकार किया जा सकता है?

पंडित कुंजरु : उप-खंड (5) में कहा गया है...

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कार्रवाई को छोटा करने की खातिर मैं कहूँगा कि मैं यह संशोधन स्वीकार कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जो प्रभारी हैं, इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं।

**__पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :__ मैं कुछ माननीय सदस्यों की आपत्तियों को दोहराऊँगा नहीं। इस संशोधन की स्वीकृति से उत्पन्न कुछ कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं मुद्रित सूची में संशोधन सं. 348 का सुझाव दूँगा। अर्थात् "कार्रवाई का स्थगन" के साथ "दूसरे दिन के आगे" शब्द शामिल कर लिए जाएं। इससे सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। यानी: "चुनाव अधिकारी, खंड 28 के उप-बंध (ख) के अंतर्गत निश्चित तिथि को जाँच करेगा और कार्रवाई का स्थगन, दूसरे दिन के आगे नहीं किया जाएगा, सिवाय..."

मैं नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई होगी।

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9158-59

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9163-66

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न से इतने कि उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों में इस संशोधन में सुझाए नियम मौजूद हैं, मैं सोचता हूँ कि सदन को इस मामले पर इसकी गुणात्मकता पर विचार करना चाहिए। चुनाव अधिकारी का कार्य क्या है? उसका कार्य खंड 24 के उप-खंड (2) में तय किया गया है कि वह उसमें बताए (क) से (ड) तक के मुद्दों पर निर्णय करेगा। वे ऐसी संभावित आपत्तियाँ हैं, जो एक उम्मीदवार, दूसरे के विरुद्ध उठा सकता है। मुझे लगता है कि यदि उम्मीदवार एक ऐसी आपत्ति से मुकर जाता है, जैसी (ख) के अंतर्गत है, अर्थात् "उम्मीदवार, इस अधिनियम या संविधान के अनुसार उस सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए अनर्ह है", या वह (ड) के अंतर्गत इस आपत्ति से घिर जाता है कि उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या समर्थक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं या गलत ढंग से प्राप्त किए हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए यह कठिन होगा कि वह उन आरोपों का उत्तर यथास्थान दे सके। अतः समानता की दृष्टि से यह जरूरी है कि उम्मीदवार को कुछ समय इसके लिए दिया जाए कि वह अपने आरोप को दूर करने के निमित्त किसी लिखित या मौखिक साक्ष्य के लिए किसी गवाह को पेश कर सके। और इसी आधार पर मैंने महसूस किया है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि इसके न होने पर उम्मीदवार को यह अनुमति मिल जाएगी कि वह दूसरे उम्मीदवार को अपने आरोपों को हटाने के लिए कोई समय न मिलने से आश्चर्यचकित कर दे। मैं सोचता हूँ, यह ऐसा संशोधन है, जिसने मुझे प्रभावित किया है और यह सभी को अच्छा लगेगा।...

श्री संथानम : क्या चुनाव अधिकारी के लिए यह संभव होगा कि वह उन नामांकनों को स्वीकार कर लें, जिनके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है? उसे सभी नामांकनों के बारे में एक साथ निर्णय करना होता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जो व्यक्ति नामांकन-पत्र प्राप्त कर रहा है, उसे हड़बड़ी की क्या जरूरत है? उसे तो उन नामांकनों को अंतिम तारीख तक स्वीकार करना है। अतः इसमें कोई हानि नहीं होगी कि वह यह कार्य अंतिम दिन करे। यही इस संशोधन में कहा गया है। यह संशोधन बहुत स्पष्ट है। चुनाव अधिकारी को अपना निर्णय उस तारीख को दे देना चाहिए, जिस तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। चुनाव अधिकारी के पास ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं है कि वह अपने निर्णय को स्थगित कर दे।

श्री संथानम : क्या आपत्ति पर स्थगन वाले दिन विचार नहीं किया जा सकता? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी अन्य दिन आपत्ति उठा दी जाए, तो?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आपत्ति उसी दिन उठाई जानी चाहिए, जब जाँच आरंभ हो। जाँच वाले दिन के अलावा अन्य किसी भी दिन आपत्ति नहीं की जा सकती।

माननीय अध्यक्ष : श्री श्यामनंदन सहाय और श्री हुसेन इमाम का प्रश्न है : क्या ऐसी किसी आकस्मिता के लिए कोई व्यवस्था है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था कर सकता है? क्या कोई बता सकता है कि दंगे कब खत्म होंगे? बम्बई में एक बार दंगे उनतीस दिनों तक चलते रहे। इसलिए यह बात चुनावी अधिकारी पर छोड़ देनी चाहिए कि शांतिपूर्ण वातावरण है और वह जाँच कर सकता है। क्या कोई कह सकता है कि यदि चुनाव अधिकारी अपनी जाँच पहले दिन स्थगित कर देता है, क्योंकि दंगे हो रहे हैं, तो क्या वह दूसरे या तीसरे दिन जाँच कर सकता है? दंगे जारी रह सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह केवल समय के बारे में है। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव अधिकारी अपनी जाँच कर सके।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे ऐसा लगता है कि यह उस उपबंध में रचतः अंतर्निहित है। यों हमारे नाटककारों की एक आदत होती है। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसका मृत शरीर मंच पर दिखाना चाहिए, अन्यथा दर्शक विश्वास नहीं कर पाएँगे। पर मैंने कहा है कि इस उपबंध में अधिकांश बातें अंतर्निहित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं पंडित कुंजरु के संशोधन को मतदान हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रस्ताव (पहले से यथा प्रस्तावित) अंगीकार किया गया।

श्री श्यामनंदन सहाय : मेरे पास एक संशोधन, पूरक सूची सं. 3 में सं. 24 प्रस्तुत करने के लिए हैं। मैं उसे प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 34 के उप-खंड (4) में "इंकार" शब्द के स्थान पर "अस्वीकार" शब्द प्रतिस्थापित करें।

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि "इंकार" शब्द नामांकनों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है और "अस्वीकार" शब्द नामांकन-पत्रों के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। मैं उसका ध्यान खंड 34 के उप-खंड (4) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ "इंकार" शब्द को नामांकन-पत्रों के निर्देश में प्रयुक्त किया गया है। अतः यहाँ पर "अस्वीकार" शब्द को स्वीकार करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्तावित है :

खंड 34 के उप-खंड (4) में "इंकार" शब्द के स्थान पर "अस्वीकार" शब्द प्रतिस्थापित कर दें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि इससे मेरे मित्र की सुरुचिपूर्ण भावना को ठेस पहुंचती हैं, तो मुझे भी उन्हें संतुष्ट करके प्रसन्नता होगी।

माननीय उपाध्यक्ष : क

श्री श्यामनंदन सहाय : वास्तविकता को देखते हुए, इस सदन में हमें अपने सामने बैठे लोगों की सुरुचि का ख्याल रखना चाहिए—लेकिन हमारी सुरुचि पर कोई भी ध्यान नहीं देता।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसीलिए मैं अपने मित्र का संशोधन स्वीकार कर रहा हूँ।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : जहाँ तक नामांकनों की जाँच का संबंध है, क्या मैं बता सकता हूँ, श्रीमन्, कि खंड 28 (ग), जो सदन में पारित हो गया है, उसके बारे में निर्देश दे दिया जाए कि उसे तीसरे पठन में यथोचित संशोधित कर दिया जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ, मेरे पास इस समय एक अन्य संशोधन भी प्रस्तुत करने के लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं अब श्री सहाय का संशोधन मतदान हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न है :

खंड 34 के उप-खंड (4) में "इंकार" शब्द के बजाय "अस्वीकार" शब्द प्रतिस्थापित कर दें।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

***डॉ. देशमुख :** मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

खंड 34 के उप-खंड (4) में "महत्वपूर्ण" शब्द के बाद "और अत्यावश्यक" शब्दों को शामिल कर लें।

महोदय, मैं "और अत्यावश्यक" शब्दों को क्यों शामिल करना चाहता हूँ, इसका कारण यह है कि "महत्वपूर्ण" शब्द का अर्थ निश्चित नहीं है। मैंने इसके लिए शब्दकोश भी देखा है और "महत्वपूर्ण" शब्द के कई अर्थ पाए हैं। इसमें तत्व, पदार्थ, वास्तविक, ठोस आदि अनेक अर्थ शामिल हैं, क्योंकि वे भी जरूरी यानी "महत्वपूर्ण" हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : और "अत्यावश्यक" शब्द का क्या अर्थ है?

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9166-67

डॉ. देशमुख : वह, जिससे उम्मीदवार की पात्रता सीधे और निश्चित तौर पर प्रभावित हो सकती है।

मेरे पास अपने सुझाव का एक विकल्प भी है और मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर हम वहाँ से "जो महत्वपूर्ण नहीं है" शब्दों को हटा दें, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अर्थात् हम केवल यह कहेंगे कि चुनाव अधिकारी किसी नामांकन-पत्र के लिए केवल तकनीकी कमी के कारण इंकार नहीं करेगा। हम इसी में "जो महत्वपूर्ण कोटि का नहीं है" शामिल करके ज्यादा अस्पष्ट बना रहे हैं, जिससे उसकी व्याख्या भी अलग-अलग ढंग से की जा सकती है। अतः मेरा सुझाव है कि या तो "और अत्यावश्यक" शब्दों को शामिल कर लें या "जो महत्वपूर्ण कोटि का नहीं है" शब्दों को हटा दें। एक तकनीकी कमी को स्वाभाविक माना जा सकता है।

अब मैं अपने दूसरे संशोधन पर आता हूँ। मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

खंड 34 के उप-खंड (5) में "या दंगों अथवा खुली हिंसा द्वारा बाधित" शब्दों को हटा दें।

हम इसकी कार्रवाइयों को बाधित होने का कारण केवल दंगों अथवा खुली हिंसा तक सीमिम क्यों मान लें? महोदय, मुझे लगता है कि यह बहुत ही तड़पाने वाला है कि हम केवल दो कारणों को शामिल करें। ऐसे अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिससे कार्रवाई बाधित हो सकती है। इसीलिए मैं उन शब्दों को हटाने का सुझाव दे रहा हूँ। वस्तुतः मेरे विचार में इससे दंगों और खुली हिंसा को न्यौता भी मिल सकता है, यदि कुछ उम्मीदवार वैसा चाहने लगें।

श्री सिधवा : चक्रवात के बारे में क्या सवाल है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह "नियंत्रण के बाहर के कारणों" के अंतर्गत आ जाएगा?

डॉ. देशमुख : अगर आप "या दंगों अथवा खुली हिंसा द्वारा बाधित" शब्दों को हटा दें, तो मुझे नहीं लगता, इससे कोई हानि होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों संशोधन स्वीकार्य हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत है :

खंड 34 के उप-खंड (4) में "महत्वपूर्ण" शब्द के बाद "और अत्यावश्यक" शब्दों को शामिल किया जाए।

खंड 34 के उप-खंड (5) में "या दंगों अथवा खुली हिंसा द्वारा बाधित" शब्दों को हटा दिया जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है।

***माननीय उपाध्यक्ष :** मैं अब उस खंड को प्रस्तुत करूंगा।

श्री मीरन : मैं इस खंड के दो संशोधनों को रखूँगा। वे पूरक सूची की संख्या 343 तथा 349 के हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं किसी संशोधन को स्वीकार नहीं करूँगा।

श्री शिवचरण लाल : मेरे पास पूरक सूची सं. 1 का संशोधन सं. 99 है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

श्री शिवचरण लाल : वह अपील के बारे में है। नामांकन-पत्र के बारे में कोई अपील हो, तो उसके बारे में अंतिम निर्णय कर लेना चाहिए। उसे बाद की किसी चुनाव से संबंधित याचिका का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह विषय विचाराधीन है। इस पर हम बाद में आएँगे।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 34, यथासंशोधित, विधेयक का भाग बन गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 34 यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

इसके वाद सदन, सोमवार, 21 मार्च, 1951 के साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

खंड 35

***माननीय उपाध्यक्ष :** संशोधन प्रस्तुत है :

खंड 35 के उप-खंड (1) में "और निर्वाचन अधिकारी को, या तो उस उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिशः या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा धारा 28 के खंड (ग) के अंतर्गत निश्चित दिन अपराह्न तीन बजे से पहले दिए गए "के शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9168-69

"और निर्वाचन अधिकारी को, धारा 28 के खंड (ग) के अंतर्गत नियत दिन अपराह्न तीन बजे से पहले, या तो उस उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिः या उसके प्रस्तावक, समर्थक या उस उम्मीदवार के लिखित रूप में प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, दिए गए।"

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : मेरा सुझाव है कि "प्राधिकृत" शब्द से पहले, "विधिवत्" शब्द जोड़ दिया जाए, ताकि संशोधन का अर्थ और ज्यादा स्पष्ट हो जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : अध्यक्ष को कुछ भी जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर "लिखित रूप से प्राधिकृत" पहले ही मौजूद है। अतः "विधिवत्" शब्द जोड़ने से संदेह हो सकता है कि और भी कुछ जरूरी होगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं सहमत हूँ। हमें अधिक संक्षेप में उल्लेख नहीं करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : इसलिए मैं संशोधन यथावत् को प्रस्तुत करता हूँ।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पूरक सूची सं. 1 में श्री जस्पत राय कपूर सं. 102 के नाम से एक संशोधन है।

माननीय अध्यक्ष : किन्तु क्या वे यहां हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नहीं, किन्तु यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या यह सहमत संशोधन है?

डॉ. अम्बेडकर : हाँ। यह इन शब्दों "या उसी निर्वाचन-क्षेत्र में उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में पुनः नामित किया जाए" को निकालने के लिए है।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसकी अनुमति देता हूँ।

आगे संशोधन किया गया :

खंड 35 के उप-खंड (2) में, अंत के "नोटिस रद्द करने" शब्दों के पश्चात् आने वाले सभी शब्दों को हटा दें।

—[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 345 विधेयक का भाग होगा।"

प्रस्तावी अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 34, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 36 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 37 (अन्य निर्वाचनों में नामांकन)

डॉ. अम्बेडकर : मेरे पास पूरक सूची सं. 3 के चार संशोधन सं. 26, 27, 30 और 31 है।

परिवहन और रेल राज्यमंत्री (श्री संथानम) : खंड 37 (1) के अंतिम भाग में, "संविधान और अधिनियम के अधीन वह स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित" शब्द लिखे गए हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि "संविधान के अधीन" शब्द का लोप किया जाए। यह पूर्णतः अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी संसदीय अधिनियम संविधान के उपबंधों पर अभिभावी नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष : मैं यह सोचता हूँ कि यह प्रारूपकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह इसकी जांच करे। मुझे इसका आशय अब भी स्पष्ट नहीं हैं।

डॉ. अम्बेडकर : यह कमोबेश प्रारूपकार का विषय है और प्रारूपकार समझता है कि स्पष्टता की दृष्टि से, कतिपय शब्दों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

श्री संथानम : मैंने मात्र इस ओर संकेत किया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रारूपकार की सलाह के अनुसार अध्यक्ष को यह संशोधन करने का प्राधिकार है। हम अन्य संशोधनों पर कार्यवाही आरंभ करते हैं।

संशोधन किया गया :

खंड 37 के उप-खंड (1) में पंक्ति 3 में आने वाले "सदस्य" शब्द के स्थान पर "निर्वाचित सदस्य" शब्द रखें।

–[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 37 के उप-खंड (2) में, पंक्ति 1 और 2 में आने वाले "विधानसभा के सदस्य" शब्दों के स्थान पर "विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या सदस्य" शब्द रखें।

–[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 37 के उप-खंड (4) के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखें:

परंतु कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे निर्वाचन में मत देने का हकदार है जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, निर्वाचन में उतने ही नामांकन पत्रों में प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में समर्थन करने के लिए अर्ह होगा, जितनी रिक्तियां भरी जानी हैं किन्तु उनसे अधिक नहीं।"

–[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 37 के उप-खंड (4) के द्वितीय परंतुक के भाग (क) में, "उस सदन के सदस्यों की सूची के प्रतिनिर्देश से, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखें :

"उस सदन के यथास्थिति निर्वाचित सदस्यों की सूची या सदस्यों की सूची के प्रतिनिर्देश से किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या सदस्यों द्वारा"

–[डॉ. अम्बेडकर]

श्री धुले (मध्य भारत) : मैंने अपने नाम से संशोधन सं. 28 प्रस्तुत किया है। मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि इस पर बोलना चाहता हूँ।

वर्तमान खंड के अनुसार किसी अभ्यर्थी को प्रांतीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर अपना नामांकन फाइल करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि 5 दिन की अवधि ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसा गजट जिसमें अधिसूचना जारी की गई है, प्राप्त करने और अपना नामांकन ऐसे स्थान, जहां निर्वाचन होगा, अपर्याप्त है जो प्रांत के दूरस्थ किनारे पर रह रहा है। खंड 31 में संसद के निचले सदन के निर्वाचनों के उपबंध के अनुसार, इस खंड में भी वैसा ही उपबंध किया जाना चाहिए, अर्थात् यह कि 8वें दिन के पूर्व नामांकन फाइल किया जाना आपेक्षित नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : वाक्यांश "पांचवें दिन से पूर्व नहीं" है।

श्री धुले : यह पांचवें दिन जारी किया जाए और यह अवधि अपर्याप्त है। भारत में संसूचनाओं की वर्तमान परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अधिसूचना की सूचना पाने में कम से कम 3 दिन की अपेक्षा होती है और कम से कम तीन दिन की अपेक्षा नामांकन पत्र भेजने के लिए भी होगी। इस दृष्टिकोण से मैं यह सोचता हूँ कि इस खंड में निर्दिष्ट 5 दिन की न्यूनतम अवधि अपर्याप्त है। अतः इसके बजाए 8 दिनों का सुझाव देता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं। मैं नहीं समझता कि इस संशोधन की इतनी आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 37, विधेयक का भाग होगा।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 37, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 38 से 43 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 44 (मतदान अभिकर्ता)

संशोधन किया गया :

खंड 44 में, पंक्ति 4 में दूसरी बार "हो सकता है" शब्दों के पहले "या उसका निर्वाचन अभिकर्ता" शब्द अंत:स्थापित करें।

—[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अन्य संशोधन सं. 380 के संबंध में, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इसे फिलहाल स्थगित कर दें। आपके द्वारा खंड 45 के निपटाने के पश्चात् यह संशोधन संगत होगा।

माननीय अध्यक्ष : इसका यह अर्थ है कि हम अकेले इस खंड को छोड़ दें और खंड 45 से निपटने के पश्चात् इससे निपटें।

डॉ. अम्बेडकर : इसे निपटाया जाए क्योंकि यह समय से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष : तब, इस समय मैं खंड 45 पर विचार करता हूँ।

श्री आइयून्नी (त्रावणकोर-कोचनी) : खंड 44 के संबंध में मेरा एक संशोधन है।

माननीय अध्यक्ष : मैं पहले खंड 45 पर विचार आरंभ करता हूँ, तत्पश्चात् खंड 44 पर आऊँगा।

खंड 45 (मतदान अभिकर्ता होने के लिए अनर्हता)

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (उत्तर प्रदेश) : संशोधन सं. 381, मेरा संशोधन है।

माननीय अध्यक्ष : वह एक नकारात्मक संशोधन है, अत: जब वह खंड विचार के लिए आए, तब वे उसका विरोध कर सकते हैं।

***पंडित ठाकुर दास भार्गव :** हमारे पास केवल सूची 1 से 6 है।

माननीय अध्यक्ष : सूची 1 से 7 को समेकित किया जा चुका है। पूरक सूची सं. 1 में "सूची सं. 7 शामिल करें" टिप्पणी है। यह पृष्ठ 18 पर सं. 112 है।

श्री आइयून्नी : मेरा निवेदन है कि मतदान अभिकर्ता को बहुत थोड़ा ही काम करना होता है। उसे प्रात:काल आना होता है और शाम को छ: या सात बजे तक ठहरना पड़ता है और कार्यवाहियों पर निगरानी रखनी पड़ती है। यदि मिथ्या प्रतिरूपण, आदि का कोई मामला होता है, तो उसे यह जांच करनी होती है कि क्या आने वाले व्यक्ति वस्तुत: मत देने के हकदार व्यक्ति हैं। वही उसका कार्य है। उसे उन सभी शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं कहा जा सकता, जो ऐसे किसी अभ्यर्थी से अपेक्षित है जो यदि सफल होता है, तो यथास्थिति विधानसभा या संसद में जाएगा। अत: मेरा निवेदन है कि इतना ही पर्याप्त है कि क्या वह मतदाता है। यह मामले की अपेक्षा को पूरा करता है। अत:, मेरा निवेदन है कि माननीय विधि मंत्री द्वारा मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। इन जैसे विषयों में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। किन्तु बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कि मतदान अभिकर्ताओं की भारी संख्या को कम किया जाए और यदि हम उन पर कतिपय निरर्हताएं थोपेंगे तो उनकी उपलब्धता संख्या बहुत कम हो जाएगी और तब निर्वाचनों का संचालन में काफी कठिनाई पैदा हो सकती है। अत: मैं अपने माननीय मित्र पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या यह उस पूरे खंड को निकाल देने के लिए है?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, मुद्दा यह है। मुझे बताया गया है कि हमारे मित्र जो निर्वाचन में खड़े होना चाहते हैं, ऐसे विद्यालय छात्रों में से अभिकर्ता लेना चाहते हैं, जिनकी आयु विहित सीमा से कम हो और यह हो सकता है कि वे मतदाता भी न हों। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे कहा है कि वे पहले ही विद्यालयी नवयुवक छात्रों को राजनैतिक क्षेत्र में लाकर घोर अनिष्ठ कर चुके हैं और बेहतर यह होगा कि उसी बात को न दोहराएं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सुविधा होनी ही चाहिए। अत: मैं वह अनुज्ञात करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यह वही हुआ जैसा मैं कह रहा था। क्या मैं संपूर्ण खंड 45 को निकालकर और अस्वीकार करके भूल करूंगा। मैं सर्वप्रथम खंड को रखता हूँ। प्रश्न है :

"खंड 45, विधेयक का भाग होगा।"

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9179

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

खंड 44 (मतदान अभिकर्ता)–जारी

माननीय अध्यक्ष : अब हम खंड 44 पर आते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूँ :

खंड 44 में "तीन दिनों" शब्दों के स्थान पर "एक दिन" रखें।

श्रीमन्, अब चूँकि हमने खंड 45 निकाल दिया है, इसलिए, संवीक्षा के कार्य के लिए 3 दिनों की आवश्यकता नहीं है। तब यही पर्याप्त है कि चुनाव अधिकारी को एक दिन पहले नाम मिल जाए। अतः मेरा सुझाव है कि "तीन दिनों" शब्दों के बजाय "एक दिन" शब्द रख दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत है :

खंड 44 में, "तीन दिनों" शब्दों के स्थान पर "एक दिन" शब्द रखा जाता है।

डॉ. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि खंड 45 के उत्सादन को दृष्टिगत करते हुए, 'एक दिन' पर्याप्त होना चाहिए। किन्तु साफ तौर पर मुझे इस विषय पर निर्वाचन आयोग से चर्चा करने और उनका मत प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है कि इसे कोई कठिनाई पैदा होगी या नहीं। अतः, मैं सुझाव देता हूं कि जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, अभी इस खंड को वैसा ही बना रहने दिया जाए, जैसा यह है। मैं इस पर उपयुक्त संशोधन सुझाते हुए बाद में लाऊंगा, यदि मुझे यह विश्वास हो जाता है कि एक दिन वस्तुतः बिल्कुल पर्याप्त है और अधिक दिन आवश्यक नहीं है। अतः मैं इस समय इसे नहीं हटाना चाहता।

माननीय अध्यक्ष : इसका अर्थ यह है कि अभी इस खंड को छोड़ दिया जाए?

डॉ. अम्बेडकर : हाँ।

माननीय अध्यक्ष : तब हम अन्य संशोधनों का निपटान करते हैं।

श्री रामलिंगम चेट्टियार (मद्रास) : यह संशोधन छोड़ने के पहले मेरा यह सुझाव है कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति अल्प सूचना पर की जा सकती है। अतः व्यावहारिकता की दृष्टि से भी यहां 'तीन दिन' रखना असुविधाजनक हो सकता है। विधि मंत्री द्वारा इस मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित ही, मैं ऐसा करूँगा।

अब मैं अपना संशोधन लाता हूँ। मैं लाने की अनुमति चाहता हूँ :

(i) खंड 44 में, "उसके मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता और दो एवजी अभिकर्ता और इससे अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर "ऐसी संख्या में अभिकर्ता और एवजी अभिकर्ता, जो ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए विहित किए जाएं" शब्द रखें।

(ii) खंड 44 में, "और ऐसा अन्य अधिकारी, जो विहित किया जाए" शब्दों को हटा दें।

श्री शिवचरण लाल : श्रीमन्, मैं दूसरे भाग को सुन नहीं सका।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुनः पढ़ता हूँ। यथाउपरोक्त लाया गया डॉ. अम्बडेकर का संशोधन।

अत, मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि खंड के उन्हीं शब्दों को रहने दिया जाए, जो हैं और हटाए नहीं गए हैं।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए)

क्या मैं विधि मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर सकता हूँ कि "ऐसा अन्य अधिकारी, जो विहित किया जाए" शब्दों को बने रहने की अनुमति दी जाए जिससे कि रिटर्निंग अधिकारी सामान्य ढंग से मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आवदेन लेने हेतु पीठासीन अधिकारी को विहित कर सके।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरा संशोधन क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : मेरे मित्र ध्यान दें कि खंड 44 के अंतिम शब्द इस प्रकार हैं :

"नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी और ऐसे अन्य किसी अधिकारी को जो विहित किया जाए, को विहित रीति से दी जाए।"

नियमों में यह विहित हो सकेगा कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी और ऐसे अन्य किसी अधिकारी जो विहित किया जाए, को दी जा सकेगी। मैं उस वाक्य को अपने संशोधन द्वारा हटाना चाहता हूँ–

"ऐसे अन्य अधिकारी जो विहित किया जाए" का लोप किया जाए जिससे कि इसका परिणाम यह होगा कि सूचना केवल रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : यह सरकार का विवेकाधिकार है कि वह किसी अन्य अधिकारी की भी नियुक्ति करे। यह संशोधन उस विवेकाधिकार को छीन रहा है। व्यवहार में,

प्राय: यह पीठासीन अधिकारी, या उस समय के मतदान अधिकारी को यह सूचना दी जाती है। अत: मैं विधि मंत्री इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं कि क्या ये शब्द समर्थकारी के उलट हैं।

डॉ. अम्बेडकर : आप इन चीजों का अंदरूनी इतिहास जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से धारा के शब्दों से संतुष्ट हूँ; मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूँ और उन्हीं शब्दों को रहने देता हूँ, जो हैं।

श्री जे.आर. कपूर : मैं सुझाव देता हूं कि यह "रिटर्निंग अधिकारी या ऐसा कोई अन्य अधिकारी" हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : रिटर्निंग अधिकारी को सारी बातें जाननी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री जी को उस चुनाव पर कुछ कहना है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री जे.आर. कपूर : यदि "या" शब्द नहीं रखा जाता है तो "ऐसा काई अन्य अधिकारी" शब्दों को बनाए रखने का पूरा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। हमारा आशय यह है कि अभ्यर्थी को अपने मतदान अभिकर्ताओं के नाम पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करने की सुविधा होनी चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि दोनों शब्दों के बने रहने के बजाए इन शब्दों को ही हटा दिया जाए, यदि मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : निश्चित रूप से इसका यह अर्थ नहीं है कि सूचना दो अधिकारियों को दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : अवधि का प्रश्न अभी अनिश्चित है, अत: तब तक इसका विनिश्चय नहीं किया जा सकता।

श्री जे.आर. कपूर : संपूर्ण खंड 44 को स्थगित रखा जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा सुझाव है कि मेरे प्रथम संशोधन पर विचार किया जाए और दूसरे संशोधन को स्थगित किया जाए।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : दोनों ही संशोधनों को क्यों न स्थगित किया जाए, क्योंकि हमने परिभाषित नहीं किया है कि दो अभिकर्ता, एक अभिकर्ता और एक एवजी अभिकर्ता की नियुक्ति प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए की जाए।

डॉ. अम्बेडकर : प्रथम संशोधन का दूसरे संशोधन से काई अभिन्न संबध नही है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

खंड 44 में, "उसके मतदान अभिकर्ता के रूप में एक अभिकर्ता और दो एवजी अभिकर्ता और इससे अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर "ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अभिकर्ता और एवजी अभिकर्ता की ऐसी संख्या, जो विहित की जाए" शब्द रखें।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : दूसरा संशोधन स्थगित किया गया।

*खंड 46 (मतगणना अभिकर्ता)

श्री शिवचरण लाल : पंडित भार्गव के नाम से समेकित सूची सं. 1 में संशोधन सं. 362 है। मुझे इसे प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : इसकी अनुज्ञा दी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, माननीय मंत्री इसे पेश कर सकते हैं।

संशोधन किया गया :

खंड 46 में, पंक्ति 2 में आने वाले "कर सकेगा" शब्द के पहले "या उसका निर्वाचन अभिकर्ता" शब्द अंत:स्थापित करें।

—[श्री शिवचरण लाल]

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 46, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 47 (मतदान अभिकर्ता, आदि की नियुक्ति का प्रतिसंहरण)

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

खंड 47 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें :

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9184-88

“47 मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु : (1) किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और उस तारीख से लागू होगा, जिस पर वह रिटर्निंग अधिकारी के समज्ञ दर्ज कराया जाता है। और मतदान के पूर्व मतदान अभिकर्ता के ऐसे प्रतिसंहरण या मृत्यु की दशा में, उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान के बंद होने के पूर्व किसी समय विहित रीति में अन्य मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा और तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को विहित रीति में ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा।

(2) किसी मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और उस तारीख से लागू होगा जिसको वह चुनाव अधिकारी को दर्ज कराया जाता है। और मतदान की गणना के प्रारंभ पूर्व मतगणना अभिकर्ता के ऐसे प्रतिसंहरण या मृत्यु की दशा में, उम्मीदवार मतदान की गणना के आरंभ के पूर्व किसी समय किसी अन्य मतगणना अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और तत्काल चुनाव अधिकारी को विहित रीति में ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा।”

श्री जे.आर. कपूर : हमारे समक्ष प्रति न होने पर संशोधन को समझना बहुत कठिन है।

श्री संथानम : पूर्व संशोधन के परिणामस्वरूप “उम्मीदवार” शब्द जहां-जहां आता है, उसके पश्चात् “या निर्वाचन अभिकर्ता” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मैं अब संशोधित रूप में संशोधन पढ़ूँगा और यह माननीय सदस्यों को स्पष्ट होगा। डॉ. अम्बेडकर का यथापूर्वोक्त संशोधन लाया गया।

श्री शिवचरण लाल : जैसा मैंने खंड 44 के संबंध में पहले ही इंगित किया है कि यदि पैरा 1 में “या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो विहित किया जाए” शब्द “रिटर्निंग अधिकारी” शब्द के पश्चात् रखा जाए, तो इससे स्थिति साफ और आसानी हो जाएगी; क्योंकि उस समय जब मतदान चल रहा होगा, रिटर्निंग अधिकारी को तलाशना और नाम परिवर्तित कराना काफी कठिन है।

श्री संथानम : “रिटर्निंग अधिकारी” शब्द वहां नहीं है; केवल वहां “विहित रीति में” शब्द हैं।

माननीय अध्यक्ष : रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र पर नहीं भी हो सकता है। यदि यह अंत:स्थापित किया जाता है, तो यह बेहतर होगा कि वह नोटिस किसी अन्य अधिकारी को देने का उपबंध किया जाए।

श्री संथानम : क्या यह मतगणना अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के प्रति निर्देश है? जहां तक मतगणना अभिकर्ता का संबंध है, इसके लिए केवल रिटर्निंग अधिकारी को ही होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : शब्दावली यह है कि "..........निर्वाचन बंद होने के पहले किसी समय एक अन्य मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी को विहित रीति में ऐसी नियुक्ति की नोटिस तत्काल देगा।" यह व्यवहार्य नहीं है। या तो केवल नोटिस देना पर्याप्त हो या नोटिस रिटर्निंग अधिकारी या ऐसे किसी अधिकारी या मतदान अधिकारी को बाद में दिया जाए।

श्री संथानम : "विहित रीति में" शब्द ठीक रहेगा। "रिटर्निंग अधिकारी" शब्द निकाल दिया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : ये सभी बातें अचानक मेरे सामने आई हैं। मुझे इनता परिशीलन करने का समय नहीं मिला है। यह संशोधन मुझे प्रातःकाल सौंपा गया। मैं अपना ही पक्ष लेता हूँ। मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए, क्योंकि यह सदन में पुनः प्रस्तुत करने के मेरे अधिकार के अधीन है। यदि मैं यह पाता हूं कि संशोधन कोई कठिनाई पैदा करता है, तो बातों को स्थगित हो जाने दें। उस दशा में पूरा विधेयक ही अभी स्थगित हो जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आइए इसे यहीं स्थगित कर दिया जाए, जिससे माननीय सदस्यों को संशोधनों का अध्ययन करने के लिए समय मिल सके।

खंड 48, विधेयक में जोड़ा गया :

डॉ. अम्बेडकर : मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उन खंडों को लें, जिनमें कोई संशोधन नहीं है।

खंड 49 (मतदान केंद्रों पर उम्मीदवार की उपस्थिति)

माननीय अध्यक्ष : खंड 49 (सं. 383) को संशोधन वैसा ही है, जो माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है।

श्री शिवचरण लाल : श्रीमन्, यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं इसे लाऊँगा।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्तिनहीं है।

संशोधन किया गया ।

खंड 49 के उप-खंड (2) में, "उम्मीदवार" शब्द के पश्चात् "या उसका निर्वाचन अभिकर्ता" शब्द अंतःस्थापित करें।

—[श्री शिवचरण लाल]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 49, विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 49, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 50, विधेयक में जोड़ा गया।

नया खंड-50क

श्री एस.एन. दास (बिहार) : निर्वाचन-पत्रों को नि:शुल्क डाक से भेजने के उम्मीदवार के अधिकार से संबंधित नये खंड 50क का सुझाव देते हुए मेरे नाम से एक संशोधन है।

डॉ. अम्बेडकर : क्या मैं इस प्रक्रम पर समय बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूँ। श्रीमन्, आपको याद होगा कि पिछली बार इस विषय पर चर्चा हुई थी कि क्या उम्मीदवार को उसके निर्वाचन-पत्रों का नि:शुल्क डाक से भेजने की अनुज्ञा देने का उपबंध किया जाना चाहिए और मैंने कहा था कि मैं मामला सरकार को निर्दिष्ट करूंगा और यह देखूंगा कि क्या ऐसी बातें नहीं कि जा सकतीं। मैंने सोचा कि सदन ने उस समय मेरे आश्वासन को उस आशय के किसी विनिर्दिष्ट संशोधन के बिना स्वीकार किया था।

श्री सिंधवा : इसे स्थगित किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, यह आवश्यक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं समझ सकता हूँ कि माननीय प्रस्तावक इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री जी मामला सरकार को निर्दिष्ट करेंगे, अपना संशोधन नहीं लाना चाहते?

श्री एस.एन. दास : विधि मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुझे अपना संशोधन लाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : अनुज्ञा दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्हें प्रस्ताव लाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैं केवल उन्हें यह सुझाव देता हूं कि क्या यह प्रस्ताव लाना वांछनीय है जब कि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है।

श्री एस.एन. दास : इसे स्थगित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : स्थगित किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। इतने थोड़े समय में सरकार से उत्तर नहीं आएगा। वे चाहें तो प्रस्ताव लाएं या न लाएं।

श्री एस.एन. दास : आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, मैं यह प्रस्ताव नहीं लाना चाहता हूँ।

***माननीय अध्यक्ष :** नया खंड 50क सुझाते हुए, श्री दास के नाम से मुद्रित सूची में एक अन्य संशोधन सं. 385 है।

श्री एस.एन. दास : मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इसलिए सुझाव दिए कि निर्वाचन में प्रचार का बहुत प्रभाव पड़ता है.......अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे वह मतदाताओं को उन उद्देश्यों को बता सके जिसके लिए वह निर्वाचन में खड़ा है। अतः कई उम्मीदवार रेल खर्चे से बच जाएंगे यदि उसकी सुविधा उन्हें उपलब्ध करा दी जाए। मेरे सुझाव का यही प्रयोजन है जो मैंने सदन के समक्ष विचारार्थ रखा है। यदि सदन इसे ठीक समझता है तो इसे स्वीकार करे, यदि नहीं तो इसे नामंजूर कर दे।

माननीय अध्यक्ष : यह संशोधन नहीं लाया गया है और यह सदन के समक्ष नहीं रखा गया है। अतः मैं यह चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया की जानकारी सदन को होनी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसी किसी बाध्यता के लिए कतई सरकार को वचनबद्ध होने के लिए सहमत नहीं करा सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य सदन के समक्ष संशोधन रखना चाहता है?

श्री एस.एन. दास : नहीं, श्रीमन् जी।

खंड 51 (उम्मीदवार की मृत्यु)

****माननीय अध्यक्ष :** (श्री एस.एन. दास) का संशोधन प्रस्तुत किया गया:

खंड 51 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"51. मतदान के पूर्व उम्मीदवार की मृत्यु : जब कभी सम्यक् रूप से नामांकन के पश्चात् और मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु को जाती है, तो सभी निर्वाचन कार्यवाहियां रद्द हो जाएंगी और निर्वाचन के प्रति निर्देश से सभी कार्यवाहियां सभी प्रकार से नए सिरे से इस प्रकार आरंभ होंगी मानो नया निर्वाचन हो :

परंतु मृतक उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी की राय मे विधिमान्य था :

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9189-90

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9194-97

परतु यह कि किसी ऐसे उम्मीदवार के मामले में कोई और नामांकन आवश्यक नहीं होगा, जिसका नामांकन निर्वाचन के रद्दकरण के समय विधिमान्य था।"

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता हूँ, किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सदन ने प्रत्याहरण से संबंधित खंड 35 के उप-खंड (2) का संशोधन कर दिया है, अतः बाद में थोड़ा संशोधन करना होगा और मैं बाद के प्रक्रम विषय को लाने की स्वतंत्रता आरक्षित रखता हूँ।

श्री जे.आर. कपूर : मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री का प्रस्ताव इस खंड को स्थगित करने के लिए है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसे स्थगित नहीं करना चाहता। केवल मुद्दा यह है कि एक और परंतुक जोड़ना आवश्यक होगा। मुद्दा यह है : कि खंड 35 के उप-खंड (2) का संशोधन करने से, यह अब ऐसे उम्मीदवार के लिए भी खुला है। अतः जिसने नामांकन वापस ले लिया था। अतः यदि खंड 51 में अनुध्यात आकस्मिकता पैदा होती है, तो खंड 51 में सकारात्मक उपबंध करना होगा। वह आसानी से एक परंतुक जोड़कर किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : वस्तुतः, श्री जसपत राय कपूर के नाम में पूरक सूची सं.1 के संशोधन सं. 102 को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, एक संशोधन आवश्यक है और उस संशोधन को लाने के प्रयोजनार्थ ही है। अतः बाद में वह संशोधन जोड़ने के अवसर की मांग की जा रही है।

श्री. जे.आर. कपूर : मैं माननीय विधि मंत्री से पूर्णतः सहमत हूँ कि उस संशोधन को ध्यान में रखते हुए जो (संशोधन सं. 102) पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, एक अन्य परंतुक जोड़ना होगा। किन्तु उसके अलावा, श्रीमन्, मैं सोचता हूँ कि मेरे सम्मानित मित्र श्री एस.एन. दास द्वारा लाए गए संशोधन में अंतर्विष्ट सुझाव पर गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है।......श्री एस.एन. दास के संशोधन में दो मुद्दे हैं। उनकी पहली बात यह है कि यदि किसी विशिष्ट उम्मीदवार की संवीक्षा के पश्चात् किंतु मतदान आरंभ होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो निर्वाचकगण को ऐसे उम्मीदवार, जो मर गया है, के स्थान पर एक अन्य नामांकन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है।

अगला प्रश्न यह है कि इस सिद्धांत को क्यों ऐसे उम्मीदवारों के मामलों तक सीमित रखना चाहिए, जिनकी मृत्यु संवीक्षा के पश्चात् ही होती है? कोई उम्मीदवार नामांकन की तारीख और संवीक्षा की तारीख के बीच भी मर सकता है।

माननीय अध्यक्ष : "सम्यक् नामांकन" क्या है? क्या प्रतिभूति के पश्चात् या पहले?

डॉ. अम्बेडकर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह खंड उस परंतुक पर विचार करने के प्रयोजन के लिए जिसे मैंने पहले ही निर्दिष्ट किया है, सदन के समक्ष पुनः आएगा, इसलिए संपूर्ण खंड को स्थगित कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा। खंड 51 स्थगित किया जाता है।

खंड 52 (निर्वाचनों की प्रक्रिया)

संशोधन किया गया :

खंड 52 के उप-खंड (3) में........"संबंधित राज्य विधानसभा या निर्वाचकमंडल के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखें :

"राज्य विधानसभा के सदस्य या निर्वाचित सदस्य या संबंधित निर्वाचकमंडल के सदस्य।"

—[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 52 के उप-खंड (3) के परंतुक में पंक्ति 1 और 2 में आने वाले "राज्य विधानसभा या निर्वाचक मंडल के सदस्य" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखें:

"राज्य विधानसभा के सदस्य या निर्वाचित सदस्य या संबंधित निर्वाचकमंडल के सदस्य।"

—[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यथासंशोधित खंड 52, विधेयक का भाग हो गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 52, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 53, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 54, विधेयक में जोड़ा गया।

*खंड 56 (मतदान का स्थगन)

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उप-खंड (2) में "ऐसे निर्वाचन" शब्दों के पश्चात् "अन्य मतदानों पर" शब्द सम्मिलित करने के लिए समेकित सूची में, मेरा

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9196-99

संशोधन सं. 389 है। मैं सोचता हूं कि ये तीन शब्द आवश्यक हैं, क्योंकि अन्यथा आप यह परिभाषित नहीं करते कि यह कौन-से निर्वाचन के बारे में हैं।

डॉ. अम्बेडकर : 'निर्वाचन से अधिनियम' के अधीन निर्वाचन अभिप्रेत है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : आपका अभिप्राय उसी निर्वाचन-क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन से है। तो आपको "अन्य मतदानों पर" कहना चाहिए।

उप-खंड इस प्रकार है :

"अन्य मतदान केंद्र या स्थान जहां, और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जाएगा, नियत करें, और उस समय तक ऐसे निर्वाचन में पड़े मतों की गणना नहीं की जाएगी, जब तक वह स्थगित मतदान पूरा नहीं हो जाएगा।"

"यहाँ.........अन्य मतदान केंद्रों पर ऐसा निर्वाचन" बात को स्पष्ट करता है। अन्यथा यह भ्रमात्मक है।

श्री संथानम : "ऐसा निर्वाचन" इसे अपने में समेटता है।

श्री अम्बेडकर : मैं यह नहीं समझता कि यह आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 56, विधेयक का भाग हो गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 56 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 57 (नया मतदान)

श्री शिवचरण लाल : श्रीमन्, मुझे अपने नाम से संशोधन सं. 390 को लाने की अनुज्ञा दी जाए?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना बेहतर होगा।

श्री शिवचरण लाल : उसका उद्देश्य उप-खंड (1) में "किसी निर्वाचन में" शब्दों के स्थान पर "मतों की गणना किए जाने से पूर्व" शब्द रखना है।

श्री संथानम : यह किसी प्रक्रम पर हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मेरा संशोधन (301) है कि उप-खंड (1) में "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएँ। हो सकता है पेटियाँ रास्ते में हों, उन्हें किसी और स्थान पर रखा गया हो, वे किसी अन्य की अभिरक्षा में हों। ये बातें वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ पाती हैं। अत: मैं समझता हूँ कि इन शब्दों को सम्मिलित करना आवश्यक लगता है।

श्री टी.टी. कृष्णामाचारी (मद्रास) : अन्य शब्द जो उसके बाद हैं, इस प्रकार हैं : "कोई हेर-फेर या रद्दोबदल है या हैं......"। यह स्थिति इसके अंतर्गत आ जाती है। अत: यह अनावश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"खंड 57, विधेयक का भाग गया है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 57, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 58, विधेयक में जोड़ा गया।

*__श्री करुणाकरण मेनन :__ मैं, "किसी विशिष्ट ढंग से मत देने के लिए किसी व्यक्ति को समर्थ बनाने" लिए शब्दों पर बल देता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : यह खंड जैसा है, बिल्कुल ठीक है।

श्री शिवचरण लाल : यदि माननीय विधि मंत्री यह नहीं समझते कि ये शब्द आवश्यक हैं, तो मैं इस पर बल नहीं देता हूँ।

संशोधन सं. 117 के संबंध में मैं पाता हूँ कि खंड 59(घ) इस प्रकार है: "ऐसे किसी स्थिति की पत्नी, जैसा खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट है, जिस पर उक्त धारा 20 की उप-धारा (6) के उप-बंध लागू होते हैं।" यहाँ मैं समझ नहीं पाता कि हम यह अधिकार पत्नी को क्यों दे रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि हो सकता है वह उसके साथ हो।

माननीय अध्यक्ष : मानों वह उनके साथ नहीं है, तो क्या उसे किसी अन्य रीति से मत देने का कोई अधिकार नहीं दिया जाए?

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9202

*__श्री जे.आर. कपूर__ : मैं यह प्रस्ताव लाना चाहता हूँ :

खंड 59 के भाग (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नए भाग को भाग (च) के रूप में जोड़े :

"(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन कोई व्यक्ति।"

यह एक संशोधन है। एक अन्य संशोधन जो मैं आपकी अनुज्ञा ले लाना चाहता हूँ, श्रीमन्, मुद्रित सूची में संशोधन सं. 396 है, जिसे आपके नाम पर होने का विशेषाधिकार है। उसे मैं लाने का अनुरोध करता हूँ :

खंड 59 के भाग (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग जोड़ें :

"(च) उम्मीदवार उनके निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता;

(छ) राष्ट्रपति, और राज्यों के राज्यपाल राजप्रमुख।"

डॉ. अम्बेडकर : वे विशेषत: उनका उल्लेख क्यों करना चाहते हैं? वे मतदाता हैं।

श्री जे.आर. कपूर : जहां तक संशोधन सं. 396 का संबंध है, इसके दो भाग हैं, भाग (च) और भाग (छ), जिन्हें अंत:स्थापित किया जाना है। आप उन्हें पृथकत: ले सकते हैं, क्योंकि यह संभव है कि जहां भाग (च) के अंत:स्थापन पर सहमति हो जाए वहीं संभवत: भाग (छ) के अंत:स्थापन पर सहमति न हो जिसके कारणों की बेहतर जानकारी माननीय विधि मंत्री को होगी।

**__माननीय अध्यक्ष__ : संशोधन प्रस्तुत किया गया :

(i) खंड 59 के भाग (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित नए भाग को भाग (च) के रूप में जोड़ें :

"(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारात्मक निरोध के अधीन कोई व्यक्ति।"

(ii) खंड 59 के भाग (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नए भाग जोड़ें :

(च) उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता;

(छ) राष्ट्रपति, और राज्यों के राज्यपाल राजप्रमुख।"

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9204

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 21 मई, 1951, पृष्ठ 9207-09

श्री सोनावने : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के नाम के संशोधन के भाग (च) का समर्थन करता हूँ। मैं नए भाग (च) के परिवर्धन का भी समर्थन करता हूँ। डाक के माध्यम से किसी उम्मीदवार को मत देने की अनुज्ञा देना आवश्यक है, क्योंकि वह ऐसे स्थान पर हो सकता है, जो ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जिसमें वह उम्मीदवार के रूप में दर्ज है। उसके लिए उस विशिष्ट संसदीय क्षेत्र में जाना संभव नहीं है, इसलिए उसे डाक के माध्यम से मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं के मामले में भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जब उन्हें निर्वाचन या मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ता है, तो उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है और वे उस निर्वाचन-क्षेत्र में उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकते, जिसकी निर्वाचक नामावली में उनके नाम हैं। इसलिए यह उचित ही है, कि यह सुविधा उन्हें भी दी जाए।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, श्री कपूर ने हमारे समक्ष तीन प्रस्ताव रखे हैं अर्थात्, यह कि डाक द्वारा मत देने की सुविधाएं नजरबंद व्यक्तियों को, उम्मीदवारों को और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मतदान अभिकर्ताओं को, साथ ही राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों को प्रदान की जाएं।

मैं आरंभ में ही यह कहना चाहता हूं कि डाक मतपत्र एक बहुत खतरनाक बात यानी सर्वाधिक खतरनाक बात है, जो मैंने देखे हैं। मैंने उम्मीदवारों को ऐसे विभिन्न व्यष्टियों को ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते हुए देखा है जो डाक द्वारा मत देने, उनके मतपत्र संगृहीत करने, उनके हस्ताक्षर लेने और उन्हें स्वयं डाक में डालने के हकदार हो जाते हैं और उनसे भारी मात्रा में अतर्किक दबाव उत्पन्न हो जाता है। अतः, मैं यह सोचता हूं कि इस प्रणाली को यथासंभव न्यूनतम मात्रा तक सीमित किया जाए।

श्री जे.आर. कपूर : तो यह उन मतदाताओं की पत्नियों के लिए लागू नहीं करें, जो दूर रह रही हैं।

डॉ. अम्बेडकर : वे केवल (क), (ख) और (ग) हैं।

"उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में, मैं यह नहीं सोचता कि डाक मतपत्र के नियम को उनके लिए लागू न किया जाए। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि उम्मीदवार ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, जिसमें उसका नाम दर्ज है, क्योंकि हमने सुविधा दी है कि कोई उम्मीदवार कहीं से भी खड़ा हो सकता है जहां से भी वह खड़ा होना चाहता है। यह भी संभव है कि विभिन्न व्यक्ति, जिन्हें वह निर्वाचन, अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों को लगाता है, उन निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने में समर्थ नहीं हों, जिनमें उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे मामलों में, संभवतः उनके लिए ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने के लिए

व्यवस्था करना वांछनीय है, जहां वे कार्य कर रहे हैं, यद्यपि वह रजिस्ट्रीकरण उनका निर्वाचन-क्षेत्र नहीं है। लेकिन यह ऐसा विषय है जिस पर अलग से विचार किया जाना चाहिए, न कि डाक द्वारा मतपत्र भाग के अधीन।

"राजप्रमुखों, राज्यपालों और राष्ट्रपति के संबंध में, मैं नहीं सोचता कि इस तथ्य के सिवाय कि ये राज्य के कतिपय गणमान्य व्यक्ति हैं, डाक मतपत्र द्वारा उन्हें मतदान करने की अनुज्ञा देने का क्या विधिमान्य आधार है। किंतु मैं यह नहीं समझता कि निर्वाचन के विषय में विधि को कतई किसी ऐसे भेदभाव को मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है वे अपने निर्वाचन-क्षेत्र से काफी दूर रह रहे हों।

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं सोचता। वे अपनी यात्राओं का प्रबंध इस तरह करें कि वे उचित समय पर अपने मुख्यालयों में हों। वह ज्यादा कठिन बात नहीं है।

श्री सिधवा : उनके पास उसके लिए सभी सुविधाएं है।

डॉ. अम्बेडकर : निरोधाधीन व्यक्तियों के संबध में, मैं सोचता हूं विधि का साधारण नियम यह है। सर्वप्रथम, जो कोई व्यक्ति नजरबंद है, उन अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है जो उसे दिए गए हैं। यह नियम 'इंग्लिश ला' के अधीन है। 'इंग्लिश ला' इस तथ्य के कारण उन लोगों में स्वयं को निर्वाचन विधि की परिधि से बाहर रखता है, और उन्हें मत देने के लिए कोई उपबंध नहीं करता जिन्हें 'सिद्धदोष' कहा जा सकता है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : किन्तु यह निर्हरता इस मामले में लागू नहीं होगी।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। हमारी निर्हरता तब पैदा होगी, जब अवधि दो वर्ष है या यदि नजरबंदी अनिश्चित समय के लिए है। इसलिए मैं अभी सुझाए गए प्रस्ताव के लिए स्वयं कोई वादा नहीं करूंगा। मैं महसूस करता हूं कि हम वस्तुतः एक बहुत हितकर सिद्धांत को तोड़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे विधि की परिधि के भीतर होना चाहिए न कि उसके बाहर। अतः उस आधार पर मैं निवारक निरोध के अधीन व्यक्तियों के संबंध में सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

जैसा कि मैंने कहा, मैं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार हूं कि क्या किसी उम्मीदवार, उसके मतदान अभिकर्ता और अन्य अभिकर्ता जो उसके लिए कार्य कर रहे हैं जो उस विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में दर्ज नहीं है जिसमें वे उपस्थित हैं, आदि को इस तथ्य के होते हुए भी कि वे वहां दर्ज नहीं है, उस संसदीय क्षेत्र में ही मत देने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए। किन्तु यह ऐसा विषय है, जो इस खंड के अधीन नहीं आ सकता है।

माननीय अध्यक्ष : तब वर्तमान नियम यह है कि उन्हें वही मत देने की अनुज्ञा दी जाए जहां वे हों?

डॉ. अम्बेडकर : यदि आवश्यक होगा तो उसके लिए पृथक उपबंध किया जाएगा।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : श्रीमन्, मैं सदन से यह अनुज्ञा चाहूंगा कि निवारक नजरबंद व्यक्तियों के संबंध में, इस विषय पर और विस्तार से चर्चा की जा सके। उस समय जब संशोधन लाया गया था, हमने सोचा था कि वस्तुतः यह स्वीकार किया जाए। कई सदस्यों ने यह कहा था कि संविधान के अधीन अधिनियम के अधीन निरुद्ध व्यक्ति ऐसी बात के लिए निरुद्ध होते हैं जिसके लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं और सरकार इन व्यक्तियों को न्यायालय में ले जाने और उन्हें दोषसिद्ध कराने से परहेज करती है। इसलिए जब तक वे सिद्धदोष नहीं हो जाते, तब तक उन्हें सभी अपराधों से निर्दोष माना जाना चाहिए।............हममें से कई का यह सिद्धांत का विषय है और इस प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम यह चाहते हैं कि इस पर पृथक् मतदान कराया जाए, जिससे हम इस विषय पर अपनी राय व्यक्त कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : यहाँ दो प्रश्न हैं। अतः केवल यही प्रश्न नहीं है कि इन व्यक्तियों को मत देने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं सोचता हूं कि मैं इन विषयों को ठीक कर सकता हूँ? अतः किसी भी दशा में उन्हें उचित परिप्रेक्ष्य में ही रखें, जिसे सदन अपने निजी निष्कर्ष पर पहुंच सके।

सर्वप्रथम मैं पत्नियों से संबंधित खंड 59 के उप-खंड (घ) की बाबत मुद्दे से निपटना चाहता हूँ। मैं सोचता हूं कि यह समझने के लिए कि उप-खंड (घ) ठीक-ठीक क्या करने के लिए हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, की धारा 20 को देखना आवश्यक है। उस अधिनियम की धारा 20 "साधारणतः निवासी" शब्दों के अर्थ के प्रश्न के बारे में है। "साधारणतः निवासी" शब्द का क्या अर्थ है? अब, "साधारणतः निवासी" शब्द ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, बिल्कुल स्पष्ट है, जो भारत में रह रहे हैं, किन्तु उदाहरणार्थ, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो संघ के सशस्त्र बल में हैं और जो सेना अधिनियम के अधीन हैं और सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरिक किए जा सकते हैं, तो यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उनके निवास का कोई विशिष्ट नियत स्थान है। वे कुछ महीनों के लिए एक स्थान पर रहते हैं। वे कुछ महीनों के लिए जहां होते हैं पुनः वहीं उनका स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई विशिष्ट लगाव न होने के कारण वे एक सचल दल है। उस दशा में, प्रश्न यह उठता है कि कौन-सा क्षेत्र उनका निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

इसी प्रकार, लोगों का एक अन्य वर्ग है जो भारत के बाहर भारत सरकार की सेवा में नियोजित हैं। इन व्यक्तियों के संबंध में उपबंध इस प्रकार है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 में किया गया है। उन्हें यह घोषणा करने का विकल्प दिया जाएगा कि किस निर्वाचक-क्षेत्र को अपना संसदीय क्षेत्र बनाना चाहते हैं और जो भी विकल्प वे देंगे, उस निर्वाचक नामावली में उनके नाम अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

स्पष्टत: उसके साथ ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों का भी प्रश्न उठता है, क्योंकि वे भी कभी-कभी अपने पतियों के साथ रहती हैं जो या तो देश के सशस्त्र बलों में या देश के बाहर सेवाओं में हैं। जिस प्रकार ऐसे पुरुषों जो नियोजित हैं, के संबंध में प्रश्न उठता है, उसी प्रकार से उनकी पत्नियों के संबंध में भी प्रश्न उठता है। धारा 20 में दिए गए उत्तर यह हैं कि उनके पतियों के निर्वाचन-क्षेत्र को भी पत्नियों का निर्वाचन-क्षेत्र समझा जाएगा। परिणामत: पत्नियों के संबंध में भी डाक द्वारा मत देने के लिए उपबंध करना आवश्यक है।

श्री आर.के. चौधरी : यदि पत्नी यहां भारत में है?

डॉ. अम्बेडकर : यदि पत्नी यहां है तो वह उसका निर्वाचन-क्षेत्र होगा क्योंकि उसका नाम अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों से मुक्त स्वतंत्र रूप से निर्वाचक नामावली में दर्ज होगा।

मान लीजिए कि वह बाहर है और उसका पति किसी विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र का चयन करता है। तदनुसार यदि पति के पास डाक द्वारा मत देने का अधिकार है तो निश्चित ही पत्नी को भी वही अधिकार दिया जाना चाहिए और मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र श्री चौधरी ऐसे साधारण प्रस्ताव पर इतना उत्साहित हैं।

श्री आर.के. चौधरी : मान लीजिए पत्नी कामकाजी हों? क्या उसके पति को भी वही विशेषाधिकार मिलेगा?

डॉ. अम्बेडकर : वह एक आकस्मिकता है जो पैदा हो सकती है।

अब, मैं निरुद्ध व्यक्तियों के प्रश्न पर आता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे इस प्रस्ताव के प्रति बहुत सहानुभूति है कि भारत के ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे मत देने का अधिकार प्राप्त है, मत देने के लिए स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सदन विचार करे कि वस्तुत: यह सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि निरुद्ध व्यक्ति भी मत देने में समर्थ हो सके। ऐसा करने के तीन संभव रास्ते हैं। एक यह है कि हम प्रत्येक कारागार में एक मतदान केंद्र स्थापित करें, जिससे कि ऐसे सभी लोग जो उस विशिष्ट कारागार में रखे गए हैं, मत के अधिकार का प्रयोग कर सकें और जेलर को रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन

अधिकारी या मतदान अधिकारी बनाया जाए। यह ऐसा करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम निरुद्ध व्यक्तियों को सामान्य मतदान केंद्र पर, निस्संदेह पुलिस के साथ और संभवतः हथकड़ी लगाकर ले जाने की अनुज्ञा दें और दो या तीन मील चलकर कारागार जाने की भी अनुमति प्रदान करें। और तीसरा तरीका डाक मतदान-पत्र द्वारा मत डालने का तरीका होगा। स्पष्टतः मेरे विवेकानुसार प्रत्येक कारागार में एक मतदान केंद्र बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कुछ कारागारों में काफी संख्या में निरुद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ कारागारों में एक या दो हो सकते हैं और कुछ में कोई भी नहीं हो सकता।

संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री सत्यानारायण) : यह संभव होगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं सोचता हूँ कि गृहमंत्री सदन को यह बताने की बेहतर स्थिति में होंगे कि यह कैसे किया जा सकेगा।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : मैंने गृहमंत्री जी से परामर्श किया है।

डॉ. अम्बेडकर : दूसरे तरीके के संबंध में, मैं यह नहीं सोचता कि कोई निद्ध व्यक्ति अनुकल्पतः पुलिस संरक्षण हाथ में लगी हथकड़ी और दो या तीन मील की दूरी की परेड करते हुए जाने के लिए सहमत होगा।

माननीय अध्यक्ष : दो या तीन मील ही क्यों? यह पचास मील या अधिक हो सकती है, क्योंकि निर्वाचन-क्षेत्र कारागार से काफी दूर हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : एक अन्य कठिनाई है। अतः दूसरा तरीका जिस पर विचार करना शेष है, वह डाक मतपत्र ही है। मैं इंगित करना चाइता हूं कि डाक मतदान प्रणाली में क्या होने की संभावना है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तब मतदान-पत्र को मतदान की तारीख से काफी पहले वितरित करना होगा। उस प्रयोजन के लिए निर्वाचन आयुक्त को यह पता लगाने के लिए कि कितने निरुद्ध व्यक्ति अभिरक्षा में हैं, विभिन्न कारगारों के अधीक्षकों को परिपत्र भेजना होगा और इस प्रकार प्राप्त जानकारी के अनुसार वह उस तारीख को, किए गए आकलन के अनुसार, यह महत्वपूर्ण है, मतपत्र वितरित करेगा। परिपत्र निश्चित ही कम से कम कुछ समय पहले कारागार अधीक्षकों को भेजा जाना चाहिए। यह चाहे वास्तविक मतदान होने के एक मास या तीन सप्ताह पहले हो और तब मतदान-पत्रों को कारागार अधीक्षकों को उनकी अभिरक्षा के अधीन विभिन्न निरुद्ध व्यक्तियों को वितरित करने के लिए भेजा जाना चाहिए। सदन को इस प्रकर पर विचार करना है : कि ऐसे नजरबंद व्यक्तियों के संबंध में क्या किया जाए, जिन्हें वह तारीख जिसको यह जांच की जाती है और वह तारीख जिसको मतदान होता है, के बीच कारागार अभिरक्षा में लाया जाता है। सुस्पष्टतः, उनकी बाबत कोई मतदान-पत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मतदान-पत्र उस विशिष्ट दिन के अनुसार प्रस्तुत आकलन के आधार पर

भी जेलर को भेजा जाएगा। यह हो सकता है कि उस तारीख के बीच जाने के पश्चात् पचास और निरुद्ध व्यक्ति कारागार में भेज दिए जाएं। वे वहां हैं, इसलिए डाक मतपत्र की इस प्रणाली को अंगीकार करके आप इस सामान्य वांछा को प्रभावी नहीं बना रहे हैं कि निरोधाधीन प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए (व्यवधान)। उनमें से अधिकांश मतदान कर पाएंगे किंतु कुछ नहीं भी कर पाएंगे। क्या आप उत्सुक हैं कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो निरोधाधीन हैं, मत देने का अवसर मिले......?

श्री जे.आर. कपूर : जहां तक भौतिक रूप से संभव हो।

डॉ. अम्बेडकर : ....यह प्रयोजन पूरा होने नहीं जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका लोप करना ही होगा। और जहां तक मैं कल्पना कर सकता हूँ, यह पूर्णतः संभव है कि ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें मतदान होने के ठीक समीप या निवारक निरोध के पश्चात् भेजा जाएगा, पहले की अपेक्षा काफी अधिक भी हो सकती है। मैं किसी बात की पूर्व कल्पना नहीं करना चाहता लेकिन मेरा यह भय है कि ऐसी छोटी बातें हो सकती हैं। अतः, आप ऐसा उपबंध नहीं कर पा रहे हैं जिसे मैं अकाट्य या प्रवंचना मुक्त कह सकूं (व्यवधान)। वास्तव में, यह विषय खंड के प्रतिनिर्देश के बिना उठाया गया है। यह विषय खंड 61 के अधीन ही उठ सकता है, क्योंकि इसके उप-खंड (5) में विनिर्दिष्ट उपबंध है। यह खंड 59 के अधीन नहीं आ सकता। खंड 61 के उप-खंड (5) में उल्लेख है कि "ऐसा कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा यदि वह किसी कारागार में परिरुद्ध है, चाहे कारावास के दंडादेश या परिवहन या अन्यथा के अधीन या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है या निवारक निरोध के अधीन है...........।" अतः, यदि कोई संशोधन किया जाना है, तो यह खंड 61 के उप-खंड (5) के अधीन किया जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यह विषय खंड 50 की व्याप्ति के बिल्कुल बाहर है।

श्री सिधवा : यदि हम इसे पारित करते हैं तो यह खंड 61 के अधीन जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर : हम इसे अभी कैसे पारित कर सकते हैं? मैंने आपको बताया है कि क्या कठिनाई पैदा होने की संभावना है। यदि इसके बावजूद आप ऐसा करना चाहते हैं, तो वह अलग बात है। यह किसी व्यक्ति के विवेक का विषय नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है।

श्री भारती (मद्रास) : एक कठिनाई यह भी है कि उनमें से कुछ निरक्षर हो सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे साक्षर भी हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने केवल प्रशासनिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है। यदि उदाहरण के लिए यह मान लिया जाए कि किसी विशिष्ट कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों

की संख्या काफी अधिक है और किसी उम्मीदवार को यह जानकारी होती है कि उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं और हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो यह पूर्णत: संभव है कि वह जेलर के पास जाए और कहे कि "इस पर मेरी ओर से हस्ताक्षर कर दिया जाए?"

श्री सिधवा : वहां कई अधिकारी हैं। अधीक्षक जेलर और कई अन्य अधिकारी वहां हैं। क्या हम यह मान लें कि उनमें से सभी भ्रष्ट हैं?

डॉ. अम्बेडकर : यदि बुराई छोटे पैमाने पर है, क्या हमें बड़े पैमाने पर इसे सहन करना चाहिए? (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : मतदान करा लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें।

श्री टी.एन. सिंह (उत्तर प्रदेश) : मैं यह चाहता हूँ कि विधि मंत्री जी स्पष्ट करें कि ऐसे पति की क्या स्थिति होगी, जिसकी पत्नी सरकारी सेवा में बाहर कहीं नौकरी में हैं तो क्या वह मताधिकार का प्रयोग करेगा या नहीं?

डॉ. अम्बेडकर : सदन की साथी महिलाएं हमें क्षमा करें–कि जहां तक विधि है पति, पत्नी की हैसियत प्राप्त नहीं कर पाता है; वह पत्नी ही है जो पति की हैसियत पा लेती है।

मैं इस तरह की अनियमितता की सहमति नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा है, कि इसके लिए एक नियमित खंड अर्थात् 61(5) है। यदि आप कोई संशोधन लाना चाहते हैं, तो वह संशोधन लाएं। किंतु हमारे समक्ष उस संशोधन का कोई पाठ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : एक संशोधन लाया गया है। पर इस संशोधन से भी इनकार नहीं क्या गया है। वहीं इस संशोधन की स्वीकृति से न केवल मत का अधिकार, बल्कि विशिष्ट रीति अर्थात् डाक मतपत्र द्वारा मत देना, दो बातें शामिल हैं। अत:, यदि सदन द्वारा यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह धारा 61 के अधीन इस पर विचार को अपवर्जित नहीं करेगा। इसलिए, मैं यह चाहूंगा कि यदि सदन सहमत है तो खंड 61 के अधीन इस पर विचार किया जाए।

श्री जे.आर. कपूर : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि मैंने भी खंड 61 के अधीन इसी आशय का संशोधन पटल पर रखा है। किन्तु यदि मैंने वहां भी एक संशोधन पटल पर रखा है तो वह इसीलिए है क्योंकि मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यहां भी संशोधन किया जाए। अन्य संशोधन पारिणामिक है। क्योंकि खंड 59 मतदान की रीति से संबंधित है और खंड 61 मत के अधिकार से संबंधित है..........जब हम खंड 61 पर आते हैं तो उप-खंड (5) में आने वाले निम्नलिखित शब्दों "या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन है" को वहां से हटाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें। जब तक हम यह सिद्ध करने में सफल नहीं हो जाते कि निरुद्ध व्यक्ति को मत देने का अधिकार है हम कुछ नहीं कर सकते। वह रीति के कैसे वह मतदान करेगा स्वाभावत: उसके पश्चात् आएगी। वर्तमान व्यवस्था में, खंड 54 के बाद खंड 61 आता है। इसीलिए यह सर्वप्रथम बेहतर होगा यदि सदन यह साबित करे कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। तभी यह प्रश्न पैदा होगा कि वह कैसे मतदान करे। यदि सदन की राय है कि निरुद्ध व्यक्ति को मत देने का अधिकार है तो सरकार को कुछ व्यवस्था करनी होगी कि वह कैसे मतदान का प्रयोग करेगा।

श्री जे.आर. कपूर : किन्तु सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किए बिना नहीं।

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था बनाए रखें और आइए हम लोग माननीय मंत्री की बात सुनें।

डॉ. अम्बेडकर : यदि सदन इसे स्वीकार करता है तो मुझे अंतिम वाक्य, अर्थात् "या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन है" को हटाना होगा और तब यह इस प्रकार या इसी प्रकार की कोई बात उल्लिखित करनी होगी "कि निवारक निरोध के अधीन व्यक्तियों को अपना मत देने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन हेतु, सरकार मतदान केंद्र स्थापित कर या मतपत्र द्वारा मत डालने का उपबंध कर सकेगी।"

श्री जे.आर. कपूर : अन्य उपाय यह हो सकता है कि पहले खंड 61 और बाद में खंड 59 लिया गया।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : यह श्री कपूर द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विनिश्चय करने से इस सदन को अपवर्जित नहीं करता, क्योंकि संशोधन की स्वीकृति के अंतर्गत स्वभावत: खंड 61 को हटाया जाना आ जाएगा। अत: प्रक्रिया बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ कि आप श्री कपूर के संशोधन पर मत ले सकते हैं.........।

एक माननीय सदस्य : निरक्षर मतदाताओं के बारे में क्या व्यवस्था होगी?

डॉ. अम्बेडकर : मैं खंड 61(5) के अधीन इस विषय पर विचार करवाना चाहूंगा, जो इस अप्रत्यक्ष रीति के बजाए अधिक प्रत्यक्ष है।

माननीय अध्यक्ष : मैं सोचता हूं कि जहां तक मताधिकार का संबंध है, सर्वप्रथम सदन द्वारा यह स्थिर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी जी ने इंगित किया है कि खंड 59 के अधीन स्वीकृति भी दो बातें सिद्ध करती है। अर्थात्, मत देने का अधिकार और किसी विशिष्ट रीति से मत देने का अधिकार। कुल मिलाकर यह

स्वीकृत सिद्धांत है कि बाद में कोई उपाय अपनाने के पूर्व यह बेहतर होगा कि मत देने के अधिकार को तय कर लिया जाए। तब सरकार को ऐसी रीति विहित करनी होगी, जिसमें उस अधिकार का प्रयोग कियाा जाना चाहिए। तब जब संशोधन आता है, तो हमारा यह कहने का अधिकार होगा कि क्या विशिष्ट ढंग, जो सरकार निरुद्ध व्यक्ति का मत अभिप्राप्त करने के लिए प्रस्ताव करती है, उचित है या नहीं। तब हमें यह विचार करने का अवसर मिलेगा कि क्या मतदान केंद्र स्थापित करना या डाक-मतपत्र द्वारा मत देना अधिमान्य होगा। मैं सोचता हूँ कि श्री जसपत राय कपूर पहले ही सहमत हो गए हैं कि इस विषय पर उस समय चर्चा की जाएगी। जब हम खंड 61 पर विचार करेंगे।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : मेरा सुझाव है कि सदन को इस मामले का विनिश्चय करना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि यह बेहतर होता है कि सदन खंड 59 पर विनिश्य किए बिना पहले खंड 61 पर विनिश्चय करता। मैं उस पर बिल्कुल सहमत हूं। किन्तु हम यह नहीं चाहते कि सदन, विधेयक के प्रस्तावक की दया पर छोड़ दें, कि चाहे वह ऐसा ही संशोधन लाए या नहीं। हम यह चाहते हैं कि खंड 59 के निपटने से पहले खंड 61 को निपटाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें। इस तरह सुझाव देना ठीक नहीं है क्योंकि मामला अध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष को निष्कर्ष निकालना है कि किस बात को पहले लाया जाए और कौन-सी बात बाद में। प्रस्तावक ने संशोधन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मामले को उसकी दया पर छोड़ दिया जाए?

श्री जे.आर. कपूर : मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन के सिद्धांत की स्वीकृति के संबंध में कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। इसीलिए, मुझे उस विषय पर कुछ नहीं कहना। केवल प्रश्न यह है कि इसके सार को कैसे और कहां सम्मिलित किया जाए.........। मताधिकार विद्यमान कानूनों के अधीन पहले से विद्यमान है। खंड 61 एक निरर्हक खंड है। यह कोई मताधिकार प्रदान नहीं करता। यह ऐसे कतिपय व्यक्तियों से मताधिकार छीनता है जो खंड 61 में वर्णित है। किन्तु, हमें विनिर्दिष्ट रूप से वह उपबंध करना चाहिए क्योंकि यहां हम ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं, जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों के व्यक्ति मत देने में सक्षम होंगे और यह उसका उचित स्थान है।

माननीय अध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें। मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। मत देने का अधिकार और वह तरीका जिसमें मत अभिलिखित किया जाएगा, ऐसे दो मामले हैं जो सदन के समक्ष हैं। खंड 61 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो निरुद्ध व्यक्ति के अधिकार को छीनता हो। सर्वप्रथम हमें यह विचार करना है कि क्या हम इस बात में सफल हो सकते हैं कि यह अधिकार छीना न जाए। तब प्रश्न उस तरीके के संबंध में उठेगा जिसमें उस मत को अभिलिखित किया जाए। तब हम खंड 59 पर यह देखने के लिए फिर से विचार कर सकते हैं कि क्या हम उनके मत

अभिलिखित करने के इस तरीके या माननीय विधि मंत्री द्वारा सुझाए गए अन्य तरीकों को स्वीकार कर सकते हैं।

संशोधन के माननीय प्रस्तावक की सहमति से मैं अब इस संशोधन को सदन के समक्ष नहीं रख रहा हूँ। यदि आवश्यक होगा तो हम खंड 59 पर फिर से विचार कर सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : बिल्कुल ठीक।

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन के समक्ष अन्य संशोधन रखता हूँ। सं. 396

श्री शिवचरण लाल : उसके बारे में, मैं एक बिन्दु पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सभी बिन्दुओं को स्पष्ट किया जा चुका है।

श्री शिवचरण लाल : माननीय मंत्री जी ने संशोधन सं. 396 का उत्तर देते हुए कहा था कि यह उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं का उल्लेख करने का स्थान नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इस खंड का शीर्षक "कतिपय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा मत देने की विशेष प्रक्रिया" है और मैं यह समझता हूं कि यह उनके बारे में उल्लेख करने का उचित स्थान है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि यहां डाक मतपत्र की विशेष प्रक्रिया दी गयी है। माननीय मंत्री जी ने पहले ही उल्लेख किया है कि यह उचित तरीका नहीं है। माननीय मंत्री कहीं और उपबंध करेंगे जिससे कि इस व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल सके।

डॉ. अम्बेडकर : यदि मेरे मित्र स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। यह खंड 50 कतिपय व्यक्तियों द्वारा डाक मतपत्र द्वारा मत देने के लिए उपबंध करने का विशेष निर्देश करता है। यह कुछ अन्य वर्ग के व्यक्तियों के मत देने के तरीके हेतु नियमों द्वारा उपबंध करने के सरकार या निर्वाचन आयोग के अधिकार को नहीं छीनता है। यदि वे विनिर्दिष्ट रूप से कोई नियम चाहते हैं तो वे ऐसा तब कर सकते हैं, जब हम खंड 167 पर आएंगे, जहां नियम बनाने की शक्ति दी गई है।

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन के समक्ष संशोधन सं. 396 रखता हूं।

श्री जे.आर. कपूर : श्रीमन्, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप इसे पृथक्-पृथक्, भाग (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया भाग जोड़ें : "(छ) उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता"।

माननीय अध्यक्ष : मैं पुनः इस पर मतदान करवाऊंगा।

श्री जे.आर. कपूर : श्रीमन्, अधिकांश सदस्य यह समझ नहीं पाए कि किस विषय पर मतदान कराया जा रहा है।

डॉ. अम्बेडकर : इस विषय पर पृथक्-पृथक् उपबंध किया जाएगा और मैं यह नहीं समझता कि मेरे मित्र डाक मतपत्र के प्रयोजन के लिए क्यों इस खंड को सम्मिलित करे पर बल दे रहे हैं।

श्री जे.आर. कपूर : तो मैं यह समझूं कि क्या कहीं अन्यत्र इसके बारे मे उपबंध किया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष : तो मैं यह सोचता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं।

श्री जे.आर. कपूर : हां, उस आश्वासन पर, मैं अपने संशोधन वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

संशोधन इजाजत के अनुसार वापिस लिए गए।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन खंड 59 को प्रत्यावर्तित करने के हमारे अधिकार के अधीन रहते हुए वापस लिया जाता है, यदि यह अधिकतर खंड 61 में स्थापित किया जाता है। हम इस संशोधन पर बाद में विचार करेंगे। संशोधन स्थगित किया गया।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : जब कार्यवाहियों में कोई मुद्दा शेष नहीं है। इसे स्थगित किया जाए।

खंड 60 (प्रतिरूपण का निवारण)

श्री शिवचरण लाल : मैं खंड के हटाने की मांग करते हुए पूरक सूची 1 के अपने संशोधन सं. 120 को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : वह एक नकारात्मक संशोधन है।

श्री शिवचरण लाल : तो मैं केवल खंड पर ही बोलना चाहूंगा।

यह खंड 60 मतदाता की अंगुलि को तब किसी स्याही से चिह्नित करने की अपेक्षा करता है, जब उसे मतदान-पत्र दिया जाए........। हमारे देश में अब तक ऐसा कोई उपबंध नहीं रहा है और मैं यह नहीं समझता कि अब भी इसकी तनिक भी आवश्यकता है। इसीलिए हमें इस खंड 60 को रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य खंड 60 के आशय को नहीं समझ पाए। हम अब वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और हमारे पास मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उन्हें पहचान-पत्र देने की व्यवस्था नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि कतिपय राज्य सरकारें मतदाताओं के फोटोग्राफ लेना और उन्हें पहचान पत्र देना चाहती हैं, किन्तु इसमें लगने वाली लागत काफी अधिक

है, इसीलिए हमें कुछ अन्य व्यवस्था करनी होगी। मिथ्या प्रतिरूपण मतदान से समबद्ध एक अनिवार्य पहलू है। विशेषकर जब इतनी भारी संख्या अंतर्गस्त हो। इसीलिए हमने खंड 60 में एक तरीका सुझाया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, जब अमीर और गरीब सभी को अपना अंगूठा निशान लगाना होगा। इस बारे में कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। हमारा देश गरीब होने के कारण हम सभी को रजिस्ट्रीकरण या पहचान कार्ड नहीं दे सकते और आप पहचान के प्रयोजनों के लिए किसी विशिष्ट स्थान पर प्रत्येक मतदाता से हस्ताक्षर करने की प्रत्याशा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग निरक्षर हैं। इसलिए हम पहले दो या तीन निर्वाचनों के दौरान अस्थायी रूप से इस युक्ति पर आशान्वित हैं। इस मामले में भावनाओं को महत्व देने का कोई फायदा नहीं है। यह केवल प्रतिरूपण के विरुद्ध एक संपूर्ण उपबंध है, जो सभी निर्वाचनों का आम लक्षण है जहां ऐसे भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बेईमानी के विरुद्ध उपबंध किया जाना चाहिए और यदि उस प्रयोजन के लिए हमें कुछ असुविधा भी हो रही हो, तो भी मैं यह नहीं समझता कि वहां कोई गंभीर दोष है। ऐसा तर्क जो इस खंड को हटाने के संशोधन के समर्थन में उद्धृत किया गया है, स्थिति के सभी पहलुओं पर पूर्णतः विचार किए बिना किया गया है। अतः मैं इस खंड जैसा यह है, का समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि खंड 60 विधेयक का भाग हो गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 60, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 61 (मताधिकार)

संशोधन किया गया :

खंड 61 के उप-खंड (5) में, "या तत्समय किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन हैं।"

—[श्री जे.आर. कपूर]

डॉ. अम्बेडकर : सदन को उसको भी विचार में लेना चाहिए जो मैंने कहा कि यद्यपि डाक मतपत्र अंगीकार करने का आसान तरीका प्रतीत होता है जब तक निर्वाचनों को अनिश्चित काल के लिए मुल्तवी नहीं किया जाता। पर हमें प्रशासनिक कठिनाइयों के लिए कुड उपबंध करना होगा और हम प्रत्येक व्यक्ति को मतदान-पत्र देने की स्थिति में नहीं हैं। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी। जो मैंने सोचा था यह था कि-क्योंकि हम तुरंत किसी ऐसे संशोधन का सुझाव देने की स्थिति में नहीं हैं, जो निवारक निरोध के अधीन व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करता हो, और प्रशासनिक कठिनाइयों को

भी पूरा करता हो, मैं यह बात सदन के समक्ष रखना चाहता था कि क्या खंड 167 के अधीन इस विषय पर उपबंध करना वांछनीय नहीं होगा जो नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

माननीय अध्यक्ष : दो रास्ते खुले हैं—या तो इसका उपबंध नियमों में किया जाए या चूंकि श्री कपूर का संशोधन सदन के समक्ष है, इसलिए उस आशय का कोई संशोधन पेश किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : जो मैं कहना चाहता था, यह है कि 'यथासाध्य' जैसा कुछ शब्द आवश्यक होगा। "यथासाध्य" शब्द खंड 59 के किसी उपखंड में नहीं आता।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : स्वयं खंड इस प्रकार है :

"इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध बनाया जाए।"

डॉ. अम्बेडकर : मेरा मुद्‌दा यह है कि इस नियम के अधीन ऐसे सभी मतदाताओं को मतदान पत्र उपलब्ध कराना आज्ञापक होगा जो इसके अंतर्गत आते हैं। किन्तु निरूद्ध व्यक्ति वाद भी फाइल कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मान लीजिए 'यथासाध्य' शब्द, संशोधन में शामिल करके जोड़ दिया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि "यथासाध्य" शब्द विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य प्रवर्गों पर लागू बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इन प्रवर्गों के अधीन आते हैं, मतदान-पत्र उपलब्ध कराना संभव है। केवल इस संबंध में लोगों में कटुता व्याप्त होगी। और यदि यह किया जाता है तो यह सामान्य सीटों पर निर्वाचन लड़ने वाले विख्यात अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के मार्ग में बाधाएं ही पैदा करेगा। इतना ही नहीं किन्तु सामान्य सीटों के निर्वाचनों पर लड़ने और उन्हें जीतने का उनका अधिकार भी अकृत हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि श्री सोनावने को यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें ऐसा कोई संशोधन नहीं लाना चाहिए जिसका परिणाम सामुदायिक मतभेद और कटुता बढ़ाना हो और जो स्वयं अनुसचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए खतरनाक साबित होगा। मेरी यह धारणा है कि यदि वह सामान्य सीट लड़ने के पश्चात् पर्याप्त मत नहीं पाता तो वह कम से कम अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट तो पा जाएगा और यदि वह सामान्य सीट पर लड़ते हुए पर्याप्त संख्या में मत पा जाता है, तो वह दोनों सीटों अर्थात् सामान्य सीट और आरक्षित सीट, पर निर्वाचित हो जाएगा। इसलिए, हमें इसे पृथक् सीट घोषित कर देना चाहिए क्योंकि किसी संयुक्त सीट की बाबत इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर सकते। और यदि सीटों की संख्या किसी

बहु-निर्वाचन-क्षेत्र में अधिक होगी, तो मतदाताओं को केवल ऐसी रीति जैसा वे चाहते हैं, से मत देने का अधिकार होगा; वस्तुतः सामान्य सीट पर निर्वाचन लड़ने के लिए हरिजनों और गैर-हरिजनों का स्तर एक समान होना चाहिए। यदि मतदाता यह सोचते हैं कि हरिजन उम्मीदवार एक अच्छा उम्मीदवार है और योग्य है तो वह गैर-हरिजनों के भी मत पाएग और उस निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हो जाएगा। किन्तु यदि वह अधिक मत नहीं पाता है तो वह दूसरी सीट, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, पाने का हकदार होगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री सोनावने : मैं अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

संशोधन इजाजत से वापस लिया गया।

श्री जे.आर. कपूर : मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूँ :

खंड 62 के उप-खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"(2) यदि निर्वाचक उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत देता है, तो दोनों मत रद्द हो जाएंगे।

डॉ. अम्बेडकर : इस विषय पर चयन समिति में काफी विस्तार से विचार किया गया था।

श्री जे.आर. कपूर : चयन समिति द्वारा कई बातों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया था। किन्तु आप उस समय, ऐसे गंभीर विचार की व्याख्या कर पाएंगे, जब रिपोर्ट की यहां संवीक्षा की जाएगी।

अतः मैं इस पर बहस करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कल ऐसा करेंगे

तब सदन 22 मई, 1951, मंगलवार को साढ़े आठ बजे तक स्थगित किया गया।

***माननीय अध्यक्ष :** संशोधन पेश किए गए :

(i) खंड 62 के उप-खंड (1) में, "किंतु कोई निर्वाचक किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 23 मई, 1951, पृष्ठ 9248-49

"और उन सभी मतों को एक उम्मीदवार को दे सकेगा या ऐसे उम्मीदवारों के बीच और ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, वितरित कर सकेगा।"

(ii) खंड 62 के उप-खंड (2) का लोप करें।

श्री आर. वेलायुधन : (ट्रावणकोर-कोचीन) : क्या मैं कुछ मुद्दों पर बोल सकता हूँ?

माननीय अध्यक्ष : कल अनौपचारिक सम्मेलन था और मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य वहां उपस्थित थे। मैं सहमत हूं कि उन्हें बोलने का अधिकार है, किन्तु मैं यह नहीं जानता कि किसी अनौपचारिक सम्मेलन में कल सदन का तीन घंटे का समय लेने के पश्चात् उन्हें नैतिकत: सदन का और समय लेने का क्या अधिकार है। पर मैं उनके बोलने के अधिकार के मार्ग में नहीं आना चाहता यदि वे बोलना चाहते हैं.........

श्री आर. वेलायुधन : किन्तु एक अन्य माननीय सदस्य ने अभी-अभी ही भाषण दिया है।

माननीय अध्यक्ष : वह बैठक में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वह उस कांग्रेस दल के सदस्य नहीं थे जिसके माननीय सदस्य हैं, और इससे काफी अंतर पड़ता है।

डॉ. अम्बेडकर : अपने प्रस्ताव पर मेरे द्वारा की गई टिप्पणी में मैंने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए, मैं यह नहीं सोचता कि मैं यह संशोधन स्वीकार कर सकता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

खंड 69

***माननीय अध्यक्ष :** क्या वह यह सुझाव दे रहे हैं कि निर्वाचन आयुक्त को उस तरह के नियम बनाने की शक्ति दी जाए?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह उम्मीदवार से एक सीट चुनने के लिए कह सकता है। नियमों के अधीन वह स्वयं कह सकता है कि वह अमुक सीट प्रतिधारित करना चाहता है। बीमारी या अन्य आकस्मिकता की दशा में, निर्वाचन आयुक्त उससे कह सकता है कि वह कौन-सी सीट प्रतिधारित करना चाहता है। घोर आकस्मिकता की दशा में, कोई शास्ति भी अधिरोपित की जा सकती है।

डॉ. अम्बेडकर : माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं, वह वस्तुत: अनावश्यक है, क्योंकि यह पूर्णतया उम्मीदवार पर छोड़ दिया गया है। केवल यह आवश्यक है कि वह विहित समय के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करे। इसी खंड के अधीन उसे यह

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 23 मई, 1951, पृष्ठ 9250-51

कहने की शक्ति दी गई है कि क्या वह निर्वाचन-क्षेत्र सं. क, ख, या ग को प्रतिधारित करना चाहता है। अत:, निर्वाचन आयुक्त को उनसे पूछने या इस बाबत विनिश्चय करने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसे एक सीट प्रतिधारित करने की अनुज्ञा है। विकल्प पूर्णत: उम्मीदवार के हाथों में हैं और मैं यह नहीं जानता कि क्या ऐसे किसी उपबंध की कतई आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि उनका यह मुद्दा है कि यह संभव है कि कोई आकस्मिकता ऐसे उम्मीदवार की दृष्टि से जो चुना गया है ओझल हो। अत: निर्वाचन आयुक्त के लिए बेहतर होगा, यदि वह उम्मीदवार को सूचित करते हुए एक अनुस्मारक के माध्यम से उसे भेजे कि वह सभी सीटें खो चुका है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह नहीं सोचता हूँ कि ऐसी किसी आकस्मिकता को मात्र इस कारण अनुध्यात किया जा सकता है कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास निश्चित नियमों की प्रति होगी। और उससे यह आशा कि जाए कि उसने नियमों को पढ़ा होगा। दूसरी कठिनाई जो मैं समझ रहा हूँ यह है कि यदि निर्वाचन आयुक्त पर जांच करने की बाध्यता अधिरोपित की जाती है, तो उसे प्रत्येक ऐसे उम्मीदवार के संबंध में वह बाध्यता पूरी करनी होगी....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र से चुनकर आएंगे। वह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति ही होगा जो एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र से चुना जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : यहाँ आकस्मिकता अत्यंत अव्यावहारिक है।

श्री एस.एन. दास : मैं माननीय मंत्री जी से पुन: इस सुझाव पर सहमत होने का अनुरोध करता हूं कि निर्वाचनों में न्यूनतम व्यय किया जाए। संपूर्ण कार्य इसके अनुसार किया जाना चाहिए और नियम बनाने वाले प्राधिकारी और मंत्रालय को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नियम विरचित करने चाहिए जिससे कि लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि का आसानी से चुनाव हो सके चाहे वे अमीर न हो।

डॉ. अम्बेडकर : मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता।

खंड 80

***श्री हाथी (सौराष्ट्र) :** उप-खंड (क) और (ख) व्यक्तियों के उन प्रवर्गों के बारे में हैं, जिन्हें याचिका भेजनी है। उप-खंड (ग) पद्धति के बारे में है। जिस रूप में यह मूलत: था, व्यक्तियों के प्रवर्ग और पद्धति एक साथ सम्बद्ध थे। केवल व्यक्तियों

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 23 मई, 1951, पृष्ठ 9280-81

के प्रवर्गों और उन पद्धतियों को जिसके द्वारा इसे भेजा जाना है, पृथक करने की खातिर यह संशोधन पेश किया गया प्रतीत होता है। संशोधन किसी भी तरह से सार-भाव को परिवर्तित नहीं करता। यह केवल अभिव्यक्ति का बेहतर तरीका है।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, यह एक ही बात है। मैं इसमें और कुछ नहीं जोड़ना चाहता जो माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री कॉमथ : क्या हम इसमें "सम्यक् अभिस्वीकृति के साथ" को जोड़ेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष : हमें इसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर आवश्यक यह है कि इसका लाभ दूसरे पक्ष को दिया जाए।

प्रश्न यह है :

कि खंड 80 के उप-खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखें:

"(2) किसी निर्वाचन को निर्वाचन आयोग के समक्ष दिया गया समझा जाएगा–

(क) जब यह आयोग के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को सौंपी जाती है, जिसे इस बाबत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाए–

(i) अर्जी देने वाले व्यक्ति द्वारा; या

(ii) अर्जी देने वाले व्यक्ति द्वारा इस बाबत लिखिए रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) जब वह पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है और आयोग के सचिव या उसके लिए नियुक्त अधिकारी को सौंपी जाती है।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

***माननीय उपाध्याक्ष :** मैं नहीं सोचता कि इस मुद्दे पर मेहनत करने की आवश्यकता है। विधि मंत्री जी को इस संशोधन पर क्या कहना है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं संशोधन स्वीकार करता हूँ।

खंड 85

****श्री सतीश चन्द्र :** सदन संशोधनों पर अनौपचारिक चर्चा के लिए कल स्थगित कर दिया गया था। हमने 1 बजे उस अनौपचारिक बैठक से स्थगन ले लिया था और मैंने 1 बजे अपने संशोधन के लिए नोटिस दिया था। किन्तु यह आज की तारीख में स्वीकार किया गया है।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 23 मई, 1951, पृष्ठ 9282

**वही, पृष्ठ 9284-85

माननीय उपाध्यक्ष : क्या अनौपचारिक कमेटी में विषय पर चर्चा की गई और सहमति हुई?

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, इस पर सहमति हुई थी।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या इस पर सहमति हुई है कि वहां कोई अधिवक्ता नहीं होना चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर : कोई भी व्यक्ति कोई अधिवक्ता नहीं चाहता। उप-खंड (2) का खंड (ख) हटाने से भी मामला उठ सकता है। यह इस पर उत्पन्न नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : खंड जैसा है, उसे स्वीकार करके भी वह किसी अधिवक्ता से बच नहीं सकता।

श्री सतीश चन्द्र : मैं यह सुझाव देता हूं कि इस खंड को स्थगित किया जाए। सदस्यों को कल की अनौपचारिक चर्चा के पश्चात् संशोधनों पर नोटिस देने का कोई अवसर नहीं था। चर्चा के पश्चात् मेरे द्वारा नोटिस दी गई है, किन्तु उस पर कल विचार किया जाएगा। यदि आप मेरे उस संशोधन को जिसकी नोटिस मैंने दी है, लाने की अनुज्ञा दें, तो मैं ऐसा करूं।

माननीय उपाध्यक्ष : नहीं, मैं उसमें से किसी विनिश्चय द्वारा आबद्ध नहीं हूँ, किन्तु कुछ भी हो माननीय सदस्य भी उस अनौपचारिक बैठक में थे जिसमें इस विषय के संदर्भ से व्यवस्था में सहमति हुई थी। वहां प्रतिकूल विनिश्चय किए गए थे। तो क्या मेरे द्वारा खंड को स्थगित करने की अनुज्ञा दिया जाना उचित है?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ससम्मान यह निवेदन करता हूं कि सदन के 320 सदस्यों में से जो कल सदन में रखे गए संशोधनों पर अनौपचारिक चर्चा करने के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए स्थगित किया गया था, इस विधेयक की प्रवर समिति की संख्या जितने सदस्य भी वहाँ उपस्थित नहीं थे।

माननीय उपाध्यक्ष : इसके लिए किसे उत्तरदायी माना जाए? माननीय मंत्री को?

श्री सतीश चन्द्र : मैं माननीय मंत्री को उत्तरदायी नहीं ठहराता।

डॉ. अम्बेडकर : आप तो उपस्थित थे। इस पर ध्यान न दीजिए कि अन्य लोग उपस्थित थे या नहीं, आप तो उपस्थित थे।

श्री सतीश चन्द्र : मैंने संशोधन का विरोध किया था, किन्तु मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए, मैं यह चाहता हूं कि.......

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे बहुत खेद है कि माननीय सदस्य ने संशोधन सदन के पटल पर नहीं रखा।

श्री सतीश चन्द्र : मैंने संशोधन सदन के पटल पर रखा है और इसकी प्रति मेरे पास है। यह आज के आदेश-पत्र पर नहीं आ सका। मैंने कार्यालय को नोटिस कल दोपहर 1 बजे के पश्चात् दिया था।

माननीय उपाध्यक्ष : यह एक मूलभूत मुद्‌दा है कि क्या अधिवक्ताओं पर विश्वास किया जाए या नहीं। अतः इस संशोधन को सदन के समक्ष रखने के पूर्व भी उसके लिए किसी संशोधन का नोटिस देने का पर्याप्त समय था। मैं नोटिस की अनदेखी करने के लिए तैयार हूं यदि वह समेकित सूची या किसी पूरक सूची में उसके नाम से इस उल्लेख वाला कोई संशोधन दर्शाने में समर्थ है कि अधिवक्ता वर्जित है—मैं औपचारिकता पर निर्भर नहीं रहूंगा। किन्तु यदि कल ही चर्चा के पश्चात् कोई भी नई बात सोचता है, तो मैं इस पर सहमत नहीं हूं कि इसे अभी पेश किया जाए।

श्री सतीश चन्द्र : मैं निवदेन करता हूं कि निर्वाचन अधिकरण में अधिवक्ताओं का बहुमत कल ही बना था। इसके पहले नहीं था।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे मित्र श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा लाए गए संशोधन में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि अधिवक्ताओं का बहुमत होगा। केवल उसका अध्यक्ष, न्यायिक अधिकारी होगा किन्तु अन्य न्यायिकेतर व्यक्ति होंगे।

श्री सतीश चन्द्र : तीन में से दो व्यक्ति अधिवक्ता हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि बहुमत क्या है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उसका संशोधन यदि कोई है—दूसरे खंड के संदर्भ में है—इसका इस खंड से कुछ लेना-देना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : उनका कहना यह नहीं है कि उनका कोई संशोधन है।

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इसे स्थगित किया जाए। कुल मिलाकर माननीय सदस्यों के बीच मतभेद है, उनमें से कुछ दृढ़तापूर्वक इस मुद्‌दे को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अन्य खंडों को स्थगित किया गया है, मेरा यह सुझाव है कि इसे भी स्थगित किया जाए और बाद में लाने की अनुज्ञा दी जाए। यदि यह स्थगित किया जाता है तो यह संभव है कि सभी लोगों को संतुष्ट करने वाला कोई सहमति का फार्मूला निकल जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं सोचता कि इसे स्थगित करने का कोई आधार है।

श्री जे.आर. कपूर : मैं पूर्णतः उसके पक्ष में नहीं हूँ जो श्री सतीश चन्द्र कर रहे हैं, किन्तु अचानक मेरे मस्तिष्क में यह आया कि जो वह कह रहे हैं उसमें मूलभूत महत्व का कुछ मुद्दा है और वह यह है कि खंड 85 के उप-खंड (3) के भाग (ख) के संबंध में श्री मुनीश्वर दत्त का संशोधन यह अनुबंध करता है कि उप-खंड (2) के अधीन उसके द्वारा रखी गई दो सूचियों में से निर्वाचन आयोग द्वारा एक सदस्य के बजाए दो सदस्यों का चयन किया जाएगा। किन्तु इन दो सदस्यों का चयन केवल भाग (क) के अधीन सूची में से नहीं, बल्कि भाग (क) और (ख) के अधीन दोनों सूचियों में से किया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : इस दशा में उनका आक्षेप समाप्त हो जाता है।

श्री जे.आर. कपूर : इसीलिए वह आक्षेप समात्त हो जाता है।

श्री कॉमथ : मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि विधि मंत्री द्वारा और संभवतः बाद में सदन द्वारा श्री उपाध्याय के संशोधन के स्वीकृति मेरे मित्र श्री सतीश चन्द्र द्वारा उठाए गए प्रश्न के कुछ मुद्दा देती है?

खंड 85 का उप-खंड (3) जैसा यह विद्यमान है, इस प्रकार है :

"उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) अध्यक्ष जो या तो ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन उसके द्वाा रखी गई सूची में से निर्वाचन आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति होगा; और

(ख) उप-धारा (2) के अधीन उसके द्वारा रखी गई सूचियों में से निर्वाचन आयोग द्वारा चयनित एक अन्य सदस्य।"

श्री उपाध्याय द्वारा संशोधन की स्वीकृति से यह परिणाम निकलेगा कि एक सदस्य के स्थान पर दो सदस्य जो वह प्रस्ताव करता है, इन सूचियों में से चयनित किए जाएंगे। अर्थात् संभावना इस बात की है कि उनमें से दोनों भाग (ख) में वर्णित सूची में से हो सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : (क) के अधीन वर्णित सूची में से तीनों लोगों के जाने की भी संभावना है।

श्री कॉमथ : मैं सहमत हूँ किन्तु खंड जैसा यह है, भाग (ख) में वर्णित व्यक्तियों के बहुमत को अपवर्जित करेगा क्योंकि वहां केवल दो सदस्य हैं जिसमें से एक निश्चित ही जिला न्यायाधीश होगा, जो (क) के अधीन सूची से है या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और दूसरा कोई अधिवक्ता होगा इसलिए, उनमें से दोनों अधिवक्ता नहीं होंगे.............मैं अपने मित्र श्री सतीश चन्द्र से सहमत हूं कि या तो खंड को स्थगित

किया जाए या आप उस संशोधन की नोटिस की अनदेखी करें। जिसकी नोटिस उसने दी है, यदि आप नोटिस की अनदेखी करते हैं तो सदन में उसके संशोधन पर चर्चा होगी। अन्यथा यह उसके और सदन के लिए अनुचित होगा यदि उसके संशोधन को पेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती और खंड को श्री उपाध्याय के संशोधन द्वारा यथासंशोधित रखा जाता है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : मैं सोचता हूँ कि ऐसे खंड के बारे में काफी चर्चा की गई है जिसके बारे में इतना अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कॉमथ : यह आपका मत है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : यह मेरा मत है और मैं आशा करता हूं कि यही सदन का भी मत होगा।

श्री कॉमथ : मैं आशा करता हूँ ऐसा नहीं है।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : मेरे सम्मानित मित्र श्री उपाध्याय के संशोधन को स्वीकार करने की खूबी यह है कि खंड 103 में अनुध्यात विस्तृत उपबंध को हटा दिया गया और मैं यह महसूस करता हूं कि यह उस सीमा तक प्रशंसनीय है। अन्य मुद्दा, जिसका सुझाव देना आप बेहतर समझते थे, यह है कि क्या खंड 104 का प्रचालन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जारी रहना चाहिए कि पार्श्व मुद्दे के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने के अवसर को यदि मतभेद हो, तो हटा दिया जाए। मेरे सम्मानित मित्र के जोरदार आक्षेप के होते हुए भी मैं इसे यथावत् पारित किए जाने के पक्ष में हूँ, यदि सदन इसे अनुमोदित करे।

मैं सदन की स्वीकृति के लिए संशोधन की सिफारिश करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह तथ्य नहीं है कि जैसा कि विधेयक में मूलतः यह उपबंध था कि अध्यक्ष और सदस्य के बीच मतभेद की दशा में, मामला उच्च न्यायालय में उठाया जाए और वहां यह गारंटी थी कि दो न्यायिक अधिकारी मामले पर अपना निर्णय देंगे? पर उस उपबंध को अब समाप्त कर दिया गया है और अब नियुक्ति प्राधिकारी, अधिवक्ताओं में से दोनों सदस्य नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। विधेयक के उपबंधों और अपेक्षित संशोधन के बीच ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जो राजनीति में भाग ले सकते हैं?

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : जब तक नियुक्तियां करने की शक्तियां निर्वाचन आयुक्तों में निहित है, तब तक हम यह विचार करने का कार्य उस पर छोड़ते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की जा रही है, संदेह से परे हो।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, विषय को स्पष्ट करने के लिए क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? वस्तुतः सारवान प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है, यह है कि क्या हमें खंड 103 में अंतर्विष्ट उपबंधों को प्रतिधारित करना चाहिए—यही मूल मुद्दा है। क्या हम यह चाहते हैं कि मामला इतना लंबा खिंचे कि उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने की जरूरत हो। समिति ने निरंतर यह महसूस किया है कि हमारे पास निर्वाचन अर्जियों की संख्या के बारे में कोई धारणा नहीं है और हमारे पास कोई विचार नहीं है कि क्या न्यायिक कर्मचारी जिसकी आवश्यकता निर्वाचन अर्जियों के निपटान करने के प्रयोजन के लिए होगी, वह अधिकरणों की आवश्यक संख्या गठित करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगी। यह कठिनाई थी जो हमने निरंतर महसूस की- परिणामतः हमने प्रवर समिति में यह विनिश्चय किया था कि उप-खंड (ख) जोड़ा जाए। मैं सोचता हूं कि आप याद रखेंगे कि- उस कठिनाई जो महसूस की गई, के कारण ऐसे कार्मिक, यदि सरकारी सेवा में न्यायिक अधिकारियों तक ही सीमित हो जाते हैं, तो काफी कठिनाई हो सकती है। अतः उप-खंड (ख) लाया गया था।

अब, इस प्रश्न के संबंध में कि ऐसे किसी अधिवक्ता की नियुक्ति हो सकती है, जिसने राजनीति में कुछ भूमिका निभायी हो और एक दल की तुलना में दूसरे दल के विरुद्ध किसी तरह के पक्षपात की धारणा विकसित कर ली हो या जो किसी निर्वाचन में उम्मीदवार रहा है। उस कठिनाई को दो तरीकों से निपटाने की आशा की जाती है। पहला यह है : कि प्रत्येक अधिवक्ता नियुक्त किए जाने के प्रयोजन का पात्र नहीं होगा। इसमें बहुत अधिक निर्बंधन हैं। सर्वप्रथम वह ऐसा अधिवक्ता होना चाहिए जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो। आप विचार करें कि वे शब्द इस प्रकार हैं : "उस उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची जो कम से कम दस वर्ष की अविधि से वकालत कर रहे हैं और जो उच्च न्यायालय की राय में ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य हैं।" मेरे मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं है कि जब उच्च न्यायालय किसी विशिष्ट अधिवक्ता को अधिकरण का सदस्य नियुक्त किए जाने की सिफारिश करता है तो वह उस विशिष्ट अधिवक्ता की राजनीतिक अभिरुचि पर विचार करेगा जिसकी वह सिफारिश कर रहा है। दूसरा, उच्च न्यायालय पुनः केवल एक सिफारिश करने वाला निकाय है। अंतिम नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी है और पुनः मेरे मस्तिष्क में कोई सन्देह नहीं है कि आयोग, निर्वाचन में निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखने के लिए यह पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सूची की और परीक्षा करेगा कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई सूची में ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसे इस तथ्य के कारण अपवर्जित किया जा सके कि वह एक राजनैतिक है या हारा हुआ उम्मीदवार है या किसी विशिष्ट दल का है।

मैं इस प्रश्न से सहमत हूँ कि क्या अधिवक्ताओं को इन नियुक्तियों हेतु योग्य माना जाए या नहीं, यह एक पृथक् प्रश्न है। किन्तु मैं यह समझता हूँ कि अधिकरण के सदस्यों

के रूप में राजनीतिक अधिवक्ताओं को सम्मिलित करने की संभाव्यता को कमोवेश सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए दो उपबंधों द्वारा निराकृत किया गया है अर्थात्, यह कि इसे उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अधीन बनाया गया है और दूसरा, इसे किसी विशिष्ट व्यक्ति का चयन करने या न करने के निर्वाचन आयोग के अधिकार के अधीन बनाया गया है। अत: मैं सोचता हूं कि भय कमोवेश निराधार है।

माननीय उपाध्यक्ष : दस वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के पात्र हैं। क्या यह नहीं हैं? अत:, ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है, को ही चुना जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर : उसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि वह किसी व्यक्ति में राजनीतिक रूप से हितबद्ध है, तो निर्वाचन आयोग को उसे हटाने की शक्ति है। ये बहुत कठोर और कड़ी शर्तें हैं।

श्री कॉमथ : ऐसा कोई व्यक्ति जो बार कक्ष से न्यायापीठ की ओर जाता है, भिन्न बर्ताव करता है किन्तु दो अधिवक्ताओं से बने होने के कारण यह अधिकरण भी इस संभावना और तद्द्वारा अपनी न्यायिक प्रकृति से विपथ होने के प्रतिकूल नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : इस स्थिति में, क्या आप यह समझते हैं कि एक सेवानिवृत्त उप न्यायाधीश राजनेता नहीं हो सकता? कुल मिलाकर वह एक सेवानिवृत्त व्यक्ति है और राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है।

श्री कॉमथ : तो उसे भी हटा दीजिए।

डॉ. अम्बेडकर : तब अधिकरण में नियुक्त करने के लिए उपलब्ध संसाधन और कम हो जाएँगे।

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, ऐसी आकस्मिकता पहले से ही है जिसके पैदा होने की श्री कॉमथ की धारणा है। पहले भी, जब दो व्यक्ति, एक अध्यक्ष और दूसरे अधिवक्ता की नियुक्ति की जानी थी, तो भी दोनों अधिवक्ता हो सकते थे। उप-खंड (क) यह कहता है "अध्यक्ष जो ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय के कम से कम आधे न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में से नियुक्त होते हैं। मानों एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले वर्ष अधिवक्ता था, उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और फिर उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस मामले में दोनों ही अधिवक्ता होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : एक बार जब वह न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है वह अधिवक्ता का अपना भाव छोड़ देता है।

श्री शिवचरण लाल : चाहे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति एक मास पहले हुई हो।

श्री जे.आर. कपूर : केवल आशंका जो मेरे कुछ माननीय मित्रों के मस्तिष्क में हो रही है यह है कि इस बात की संभावना है कि अध्यक्ष के अलावा अधिकरण के दो सदस्य अधिवक्ता हो सकते हैं। उस आशंका को दूर करने के लिए- मैं थोड़ा संशोधन सुझाता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने अपने माननीय मित्र पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय से संशोधन लाने के लिए कहा है।

श्री जे.आर. कपूर : मेरा सुझाव है कि खंड 85 के उप-खंड (3) के भाग (ख) का निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाए, अर्थात् वर्तमान शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएं :

"(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा चयनित दो सदस्य या तो उप-धारा (2) के भाग (क) के अधीन उसके द्वारा बनाई गई सूची में से या उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा बनाई गई प्रत्येक सूची में एक।"

इसका यह अर्थ है कि अध्यक्ष से इतर सदस्य उप-धारा (2) के भाग (क) के अधीन बनाई गई सूची में से हो सकते हैं। ....यह मेरा संशोधन है और यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं इसे पेश करूं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस कठिनाई को उप-खंड (3) के भाग (ख) में आने वाले "या तो" शब्दों के लोप द्वारा दूर किया जाएगा। संशोधन इस प्रकार होगा :

"खंड 35 के उप-खंड (3) के भाग (ख) के "या तो" शब्दों का लोप करें।"

श्री जे.आर. कपूर : यह समस्या को नहीं निपटा पाएगा।

श्री सतीश चन्द्र : मैं भाग (ख) में "या तो" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक" शब्द रखने का सुझाव देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि यह समझा जाए कि माननीय विधि मंत्री भी इस संशोधन से सहमत हैं जो हम इसे आसान कर सकते हैं। उप-खंड (3) के मद (क) में भी हम यह कह सकते हैं कि अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या जो उप-खंड (2) (क) के अधीन सूची में हैं और एक अन्य सदस्य उप-खंड (2) (ख) के अधीन सूची में से होगा।

डॉ. अम्बेडकर : यदि "या तो" बना रहता है तो यह संभव है कि उनमें से दोनों की नियुक्ति केवल एक सूची से हो सकती है। हम ऐसा नहीं चाहते। यदि हम "या तो" शब्द निकाल दें तो वह संभावना नहीं रह जाती।

श्री जे.आर. कपूर : फिर भी यह रह जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष : यह आयोग को किसी भी सूची से नियुक्त करने से निवारित नहीं करता।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : यहाँ प्रत्येक से एक होना चाहिए।

श्री कॉमथ : "किसी में से" के बजाय यदि आप "प्रत्येक में से" करें, तो यह स्पष्ट और संदेह से मुक्त होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : "प्रत्येक सूची में से एक"?

श्री जे.आर. कपूर : जिससे कि कोई अधिवक्ता निश्चित ही हमेशा वहां होगा।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप लोगों को अधिवक्ताओं के विरुद्ध इतना अधिक पूर्वाग्रह है तो मैं क्या कर सकता हूँ?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं संशोधनों को उनके क्रम में रखूंगा। मैं सर्वप्रथम पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय का संशोधन रखूंगा। प्रश्न है :

खंड 85 के उप-खंड (3) के भाग (ख) में "एक अन्य सदस्य" शब्दों के स्थान पर "दो अन्य सदस्य" रखें।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : अब, दूसरा संशोधन यह है कि "दोनों में से कोई एक" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक में से एक" शब्द रखे जाएं।

डॉ. अम्बेडकर : यह बहुत कठिन स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इसे माननीय मंत्री जी पर छोड़ता हूँ। क्या उनकी यह इच्छा है कि इसे स्थगित कर दिया जाए?

डॉ. अम्बेडकर : हां।

श्री करूणाकरण मेनन : क्या मैं यह संकेत कर सकता हूं कि यह अधिकरण के सभी तीनों सदस्यों के सरकारी सेवकों से मिलाकर बनाने की संभावना को दूर कर देता है? पर यह उचित है या नहीं, यह विचारणीय विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष : यह संकेत किया गया है कि यह अधिवक्ताओं के लिए

भी लाभकर है क्योंकि वहां कम से कम एक अधिवक्ता होगा, न कि सभी सरकारी सेवक।

अगला संशोधन किया गया :

खंड 85 के उप-खंड (3) के भाग (ख) में "दोनों में से कोई एक" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक में से एक" शब्द रखें।

–[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं संशोधन सं. 18 (समेकित सूची सं. 2) प्रस्तुत करूंगा। यह पारिणामिक संशोधन है।

प्रश्न है :

कि खंड 85 के उप-खंड (3) के दूसरे परंतुक में "सदस्य" शब्द के स्थान पर "सदस्यों" शब्द रखें।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 85 के विधेयक का भाग हो गया।"

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

यथा संशोधित खंड 85, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 86 से 93, विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं यह सुझाव देता हूं कि सदन अब स्थगित कर दिया जाए और मुझे ऐसे सदस्यों के साथ खंड 98 से आगे के खंडों पर विचार करने के लिए बैठने की अनुज्ञा दी जाए, जिन्होंने संशोधन पटल पर प्रस्तुत किए हैं। और तब हम कल मिलें, जिससे कि हमें ऐसे संशोधन लाने की पुन: कठिनाई न हो जिन्हें बाद में वापस ले लिया जाए या ऐसे संशोधन, जिन पर हमने अभी तक विचार न किया हो और कोई निश्चित निष्कर्ष न निकाला हो। आपके विचारार्थ मेरा यह विनम्र सुझाव है और सदन के विचारार्थ भी है कि वे इस पर सहमत हों, जिससे कि हम अभी ही और यदि आवश्यक हो; दोपहर बाद भी इस प्रयोजन के लिए बैठक कर सकें।

कई माननीय सदस्य : हाँ, हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष : बहुत अच्छा। मैं सोचता हूं कि सुझाव सदन को स्वीकार्य है, किन्तु मैं सदन स्थगित करने के पूर्व एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं यह पाता हूं कि

सम्मेलन बहुत लाभप्रद है, फिर भी अनेक माननीय सदस्य इसका फायदा नहीं उठाते। मैं उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सम्मेलन में एकत्र हों, जिससे कि जो कुछ वे यहां कहना चाहते हैं वे वहां विचार-विमर्श द्वारा सुलझा सकें और एक सहमति पर पहुंचने का प्रयास करें। यदि इसके बावजूद भी मतभेद रह जाता है, तो वे हमेशा सदन में आ सकते हैं और मतदान करा सकते हैं। किन्तु कई मामले जिसकी बाबत भ्रम हो सकता है अनौपचारिक रूप से सम्मेलन में विचार-विमर्श द्वारा सुलझाए जा सकते हैं और गलतफहमी दूर की जा सकती है।

डॉ. अम्बेडकर : प्रत्येक सदस्य आमंत्रित है।

माननीय उपाध्यक्ष : यद्यपि पूरे सदन का किसी समिति को यह औपचारिक निर्देश नहीं है, यह उतना ही है, जैसा उचित है। अतः माननीय सदस्यों को चाहिए कि वे वहां बैठें, अपने विचार व्यक्त करें और संशोधनों का समर्थन करें या विरोध करें और निष्कर्ष निकालें। मुझे आशा है कि अधिकांश चर्चा कल होगी और कई खंडों पर विचार किया जाएगा।

श्री कॉमथ : आपका सुझाव केवल उन्हीं विषयों की बाबत लागू होगा, जहां राय में मतैक्य है। यदि मतभेद है तो उनकी चर्चा यहां होनी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : बहुमत विनिश्चय को अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री कॉमथ : कतई नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : मतैक्य हमेशा कुछ प्रतिशत होता है। जहां तक संभव हो शंकाओं को सम्मेलन में दूर कर लिया जाएगा।

सदन अब कल 8.30 बजे तक स्थगित किया जाता है।

तब सदन 24 मई, 1951, वृहस्पतिवार को साढ़े आठ बजे तक स्थगित किया गया।

*लोक प्रतिनिधित्व (सं. 2) विधेयक- जारी

माननीय अध्यक्ष : सदन अब लोक प्रतिनिधित्व (सं. 2) विधेयक की आगे चर्चा आरंभ करने की कार्यवाही करेगा।

93वें खंड तक का निपटान कल तब हो गया था, जब माननीय विधि मंत्री के साथ शेष खंडों पर रखे गए संशोधनों की अनौपचारिक चर्चा के लिए सदन को स्थगित कर

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 23 मई, 1951, पृष्ठ 9296-9305

दिया गया था। सदन अब खंड 94 पर विचार आरंभ करेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सदस्यों के बीच अनौपचारिक सम्मेलन का क्या परिणाम रहा।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : श्रीमन्, हमने खंड 135 तक काफी लंबी चर्चा की। किन्तु मैं अब भी 11 बजे या साढ़े ग्यारह बजे तक स्थगित करने के लिए आपकी और सदन की अनुज्ञा की मांग कर रहा हूं। यह हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं पूरे कार्य को समाप्त करने के लिए पुनः एक बैठक करना चाहता हूं। कठिनाई यह है कि दोपहर में एक दूसरी बैठक है और इस मामले पर चर्चा करने के लिए बैठक करना सदन की समिति के लिए संभव नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस अनुग्रह को स्वीकार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मैं पहले भी उठने के लिए तैयार हूं बशर्ते हम इसे समाप्त कर सकें।

डॉ. अम्बेडकर : कठिनाई यह है कि प्रत्येक सदस्य स्वयं को एक संभावित सदस्य समझता है जब वह इस विधेयक पर चर्चा करता है। अतः वह उन सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विचार करता है जो उसके मार्ग में आ सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री को शामिल करके।

माननीय अध्यक्ष : जब उन्होंने सभी सदस्य का उल्लेख किया है तो निश्चित ही उनमें मंत्री भी सम्मिलित हैं।

अब मैं उसी प्रक्रिया का अनुसरण करूंगा, जिसका अनुसरण मैंने कल किया था। मैं सर्वप्रथम पूछूंगा कि क्या कोई संशोधन लाया जाने वाला है और यदि हां, तो किस खंड हेतु। खंड 94 से खंड 97 तक कोई संशोधन नहीं है।

खंड 94 से 97 तक, विधेयक में जोड़े गए।

खंड 98 (अधिकरण द्वारा अन्य आदेश)

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : पंडित ठाकुर दास भार्गव के नाम से दो संशोधन हैं। उनके अनुपस्थित होने के कारण यदि आप मुझे अनुज्ञा दें, तो मैं शब्दावली में कुछ परिवर्तनों सहित उन्हें पेश करूं।

माननीय अध्यक्ष : क्या वे स्वीकृत संशोधन हैं?

श्री जे.आर. कपूर : जी हां।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 119 को विधेयक में जोड़ा गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 119, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 120 (खर्चों का भुगतान)

डॉ. अम्बेडकर : खंड 120 पर मेरा एक संशोधन है। यह खंड को मात्र दो खंडों में विभाजित करता है और दूसरा उप-खंड "यदि वहां........" शब्द से आरंभ होगा। उनके पहले "और" शब्द का लोप किया जाए। खंड को दो उप-खंडों में विभाजित किया गया है क्योंकि यह प्रंदह पंक्तियों वाला बहुत बड़ा खंड है।

संशोधन किया गया :

खंड 120 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित करें :

"120. प्रतिभूति निक्षेपों में से खर्चे का भुगतान और ऐसे निक्षेपों की वापसी–(1) यदि इस भाग के उपबंधों के अधीन खर्चे के संबंध में किसी अंतिम आदेश में किसी दल द्वारा किसी व्यक्ति को खर्चे के भुगतान का निदेश दिया गया है तो ऐसे खर्चे, यदि वे पहले भुगतान नहीं किए गए हैं, तो पूर्णतः या जहां तक संभव हो, प्रतिभूति निक्षेपों में से किए जाएं और अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप यदि कोई है, संबंधित व्यक्ति द्वारा, जिसके पक्ष में खर्चे दिलवाये गए हैं, निर्वाचन आयोग को धारा 105 के अधीन ऐसे अंतिम आदेश के प्रकाशन से छह मास की अवधि के भीतर उस बाबत लिखित रूप में किए गए आवेदन पर, इस भाग के अधीन किया जाएगा।

(2) यदि उस उप-धारा में निर्दिष्ट खर्चे के उप-धारा (1) के अधीन भुगतान के पश्चात् उक्त प्रतिभूति निक्षेप में कुछ अधिशेष रह जाता है, तो ऐसा अधिशेष या जहां कोई खर्चा नहीं दिलाया गया है या यथापूर्वोक्त कोई आवेदन छह मास की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया गया है, वहां उक्त संपूर्ण प्रतिभूति जमा, उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा निक्षेप किया गया है अथवा यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा निक्षेप करने के पश्चात् मर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन आयोग को लिखित रूप में उस बाबत किए गए आवेदन, पर यथास्थित, उक्त व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस किया जा सकेगा।"

–[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 120 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 120, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 121 (खर्चे से संबंधित आदेशों का निष्पादन)

डॉ. अम्बेडकर : मुझे मूल खंड 120 के उक्त दो खंडों में विभाजन के कारण पारिणामिक संशोधन पेश करना है।

संशोधन किया गया :

खंड 121 के परंतुक में–

(क) प्रथम स्थान पर जहां वे आते हैं "धारा 120 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 120 की उप-धारा (1) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखें।

(ख) दूसरे स्थान पर जहां वे आते हैं, "धारा 120 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उस उप-धारा के अधीन" शब्द रखें।

(ग) "उस धारा में" शब्दों के स्थान "उस उप-धारा में" शब्द रखे।

–[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 121 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 121, विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय अध्यक्ष : अब हम दूसरे संशोधन पर आते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह सुझाव देता हूं कि खंड 122, 123 और 124 को कृपया स्थगित कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : खंड 122, 123 और 124 को फिलहाल स्थगित किया जाता है।

खंड 125 (निर्वाचन दिवस पर निर्वाचन बैठक का प्रतिषेध)

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूं :

(i) खंड 125 के उप-खंड (1) में, "राजनीतिक बैठक" शब्दों के स्थान पर "सार्वजनिक बैठक" शब्द रखें।

(ii) खंड 125 के उप-खंड (1) में "या उस तारीख के ठीक पूर्ववर्ती या उन तारीखों में पहले दिन को शब्दों का लोप करें।

माननीय अध्यक्ष : तब मैं खंड मतदान के लिए रखूंगा।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : क्या मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं कि क्या पूर्ववर्ती दिन से अभिप्राय मध्यरात्रि तक है या पिछले सूर्यास्त तक है?

राज्य परिवहन और रेल मंत्री (श्री संथानम) : यह शब्द हटाया जा रहा है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कॉमथ : यह उठता है, क्योंकि पिछले दिन बैठक रोकी नहीं गई थी।

डॉ. अम्बेडकर : यह सैद्धांतिक विषय है। किन्तु यदि मेरे माननीय मित्र जोर दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि 'मध्यरात्रि' शब्द उचित होगा।

(यथा उपरोक्त डॉ. अम्बेडकर का) प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 125 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 125, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 126 (निर्वाचन बैठकों में हस्तक्षेप)

संशोधन किया गया :

खंड 126 के उप-खंड (2) में "राजनैतिक बैठकों" शब्दों के स्थान पर "राजनैतिक प्रकृति की सार्वजनिक बैठक शब्द रखें।

—[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथसंशोधित खंड 126, विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 126, विधेयक में अंगीकार किया गया।

खंड 127, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 128 (अधिकारियों द्वारा मतदान को प्रभावित न करना)

संशोधन किया गया :

खंड 128 के उप-खंड 91) में, "निर्वाचनों के संचालन या प्रबंध में किसी उम्मीदवार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा" शब्दों के स्थान पर "निर्वाचनों के संचालन या प्रबंध में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में जीतने की संभावना को बढ़ाने के लिए (मत देने से भिन्न) कोई कार्य करेगा" शब्द रखें।

–[डॉ. अम्बेडकर]

आगे यह संशोधन किया गया :

खंड 128 के उप-खंड (3) में, "तीस मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखें।

–[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 128 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 128, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 129 (पक्षप्रचार करने का प्रतिषेध)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे लेता हूं क्योंकि इस खंड में कोई संशोधन नहीं है।

श्री एस.एन. दास (बिहार) : समेकित सूची सं. 2 में संशोधन सं. 174 मेरा संशोधन है और वह संशोधन कल स्वीकार किया गया था।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 129 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार बन गया।

यथासंशोधित खंड 129 विधेयक में जोड़ागया।

खंड 130 (अव्यवस्थित आचरण के लिए दंड)

संशोधन किय गया :

खंड 130 के उप-खंड (1) में, "मतदान के लिए नियत समय के दौरान" शब्दों के स्थान पर, "तारीख या तारीखें–जिन को मतदान कराया जाए" शब्द रखें।

–[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 130 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 130, विधेयक में जोड़ा गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस प्रक्रम पर आपसे सदन को स्थगित करने का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि हमने उन सभी खंडों का पूरा कर लिया है, जिन पर हम सहमत थे।

माननीय अध्यक्ष : सदन अब अनौपचारिक बैठक के लिए जो राज्य परिषद हाल में होगी जैसा कि मुझे बताया गया है, के लिए स्थगित किया जाए और इसके तत्काल बाद हम यहां से चले जाएंगे।

श्री कॉमथ : अब तक यह परम्परा रही है कि जब तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति की अध्यक्षता में बैठक न हो, इस सदन में कोई बैठक नहीं हो सकती।

डॉ. अम्बेडकर : यहां बैठक न करने का यह एक अच्छा आधार है।

तब सदन 25 मई, 1951 शुक्रवार को साढ़े आठ बजे तक स्थगित किया गया।

*लोक प्रतिनिधित्व विधेयक (सं. 2)–जारी

माननीय अध्यक्ष : सदन अब लोक प्रतिनिधित्व विधेयक (सं. 2) पर चर्चा आरंभ करेगा। खंड 130 तक का निपटान कल हो गया था। जब सदन माननीय विधि मंत्री के साथ शेष खंडों पर सदन में रखे गए संशोधनों की अनौपचारिक चर्चा के लिए स्थगित कर दिया गया था। सदन अब खंड 131 पर चर्चा करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आज की स्थिति क्या है।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : हमने एक या दो खंडों के सिवाय सारी कार्यवाही समाप्त कर ली है। जिनके संबंध में मैं स्थगित करने का अनुरोध करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : तब मैं वही प्रक्रिया अपनाऊंगा। मैं विशिष्ट खंड पुकारूंगा और ऐसा कोई माननीय सदस्य जो संशोधन लाना चाहता है, कृपया उस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करेगा।

खंड 131, विधेयक में जोड़ा गया।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 25 मई, 1951, पृष्ठ 9308–20

खंड 132 (अवैध किराये पर लेने की शास्ति)

श्री भट्ट (बम्बई) : खंड 132 पर आगे विचार स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि यह खंड 122 से संबंधित है। जब तक खंड 122 को नहीं लिया जाता, तब तक इस खंड को भी विचार के लिए न किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय विधि मंत्री यह सुना है, जो माननीय सदस्य ने कहा है? वे चाहते हैं कि खंड 132 पर आगे विचार मुल्तवी किया जाए और उस पर खंड 122 के साथ विचार किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं सहमत हूं कि इसे स्थगित किया जाए।

खंड 133, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 134, भी विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 135 (अन्य अपराध)

संशोधन किया गया :

खंड 135 के उप-खंड(1) के भाग (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें :

"(कक) किसी रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन चिपकाई गई किसी सूची, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विद्रूपित करता है, नष्ट करता है या हटाता है; या"।

—[डॉ. अम्बेडकर]

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 135, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 136 (शिकायत के लिए विशेष उपबंध)

संशोधन किया गया :

खंड 136 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें :

"**136. कतिपय अपराधों के संबंध में अभियोजन**—(1) यदि निर्वाचन आयोग या अनुच्छेद 324 के खंड (4) के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय आयुक्त या राज्य के मुख्य निर्वाचन को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 128 या धारा 133 या धारा 135 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी राज्य के भीतर किसी निर्वाचन के प्रतिनिर्देश से किया गया है, यह यथास्थिति, निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय

आयुक्त या मुख्य निर्वाचक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि ऐसी जांच कराई जाए और ऐसे अभियोजन संस्थित किए जाएं जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार उसे उचित प्रतीत हों या उसके लिए अपेक्षित हों।

(2) कोई न्यायालय धारा 128 या धारा 133 या धारा 135 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक निर्वाचन आयोग या अनुच्छेद 324 के खंड (4) के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय आयुक्त या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन शिकायत न की गई हो।

–[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 136 विधेयक का नाम बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 136, विधेयक में जोड़ा गया।

डॉ. अम्बेडकर : खंड 137 से खंड 143 में कोई संशोधन नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : खंड 136 के बारे में निवेदन जब तक खंड 122 से 124 का निपटान नहीं किया जाता है, इसका निपटान करना कठिन होगा। आपको खंड 122 से 124 को स्थगित करते हुए प्रसन्नता हुई होगी, किंतु खंड 139 का उन खंडों से संबंध है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य खंड 139 को स्थगित कराना चाहते हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ही हां।

माननीय अध्यक्ष : तब मैं प्रस्ताव भिन्न तरीके से रखूंगा।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : मैं यह अनुमान करता हूं कि एक नया खंड अर्थात् खंड 132क को बाद में जोड़ने के लिए लाए जाने की अनुमति होगी, क्योंकि वह भी कुछ खंडों पर निर्भर होगा। अतः मैं नया खंड जोड़ना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : यदि यह सदन के पूर्व विनिश्चय का उल्लंघन नहीं करता, तो माननीय सदस्य इसे लाने के हकदार हैं। मैं अब प्रस्ताव को भिन्न रूप में रखूंगा।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 137 और 138, विधेयक में जोड़े गए।

खंड 140 से 143, विधेयक में जोड़े गए।

खंड 144 (निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए निरर्हता)

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 144 में "या मतदान अभिकर्ता" शब्द का लोप करें।"

श्री अययुन्नी (ट्रावनकोर-कोचीन) : मैं भी एक संशोधन लाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : क्या उन्हें इस संशोधन पर कुछ कहना है? हम उनके संशोधन पर बाद में आएंगे।

डॉ. अम्बेडकर : यह उनका संशोधन है, जो मैं ला रहा हूं।

श्री अय्युन्नी : मेरा संशोधन है कि खंड 144 के पार्श्व शीर्ष में, "या मतदान अभिकर्ता" शब्द का लोप किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : पार्श्व शीर्षों को बाद में सुधारा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन के समक्ष कतई पार्श्व शीर्षों को नहीं रख रहा हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैं पार्श्व शीर्षों को छोड़ रहा हूं। वह प्रारूपकार का कार्य है। वह कानून का भाग नहीं है।

प्रश्न है :

खंड 144 में, "या मतदान अभिकर्ता" शब्दों का लोप करें।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 144 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 144, विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 144, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 145, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 146 (राज्य सभा की आकस्मिक रिक्तियां)

संशोधन किया गया :

खंड 146 में, पंक्ति 5 में आने वाले "विधानसभा या संबद्ध निर्वाचनमंडल के सदस्य" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखें;

"विधानसभा के निर्धारित सदस्य या संबद्ध निर्वाचकमंडल के सदस्य।"

–[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 146 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 146, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 147, 148 और 149, विधेयक में जोड़े गए।

खंड 150 (राज्य विधान परिषदों में रिक्तियां)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक संशोधन पर सहमति हुई कि निर्वाचन चार मास के भीतर होगा। किन्तु यह यहां सूची में नहीं है। अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस खंड को स्थगित कर दें।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे लगता है कि उसे स्वीकार नहीं किया गया। मेरा अभिलेख यह नहीं दर्शित करता। अत: जैसा भी यह है, संशोधन लाया जाए।

सरदार सोचेत सिंह (पी.ई.पी.एस.यू.) : इस पर सहमति हुई थी।

माननीय अध्यक्ष : आइए हम इसे स्थगित करते हैं।

खंड 151 (सदस्यों की सूची बनाई जाए)

संशोधन प्रस्तुत किया गया :

खंड 151 के उप-खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें :

"(1) किसी स्थान को भरने के लिए किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए या राज्य विधान परिषद के स्थान या स्थानों को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी ऐसे निर्वाचन के

प्रयोजनों के लिए उस विधानसभा के यथास्थिति, निर्वाचित सदस्यों की सूची या सदस्यों की सूची विहित रीति और प्रारूप में अपने कार्यालय में बनाकर रखेगा।"

—[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 151 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 151, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 152 से 156 तक, विधेयक में जोड़े गए।

खंड 157 (निक्षेपों की वापसी या समपहरण)

संशोधन किया गया :

खंड 157 के उप-खंड (1) के, पंक्ति 1 में आने वाले "जिसके द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या जिसकी ओर से" शब्द अंत:स्थापित करें।

—[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 157 के उप-खंड (1) में, "निक्षेप को वापस किया जाएगा" शब्दों से आरंभ होने वाले और उनके अंत तक के सभी शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"निक्षेप उस व्यक्ति को वापस किया जाएगा। जिसके द्वारा यह किया गया था। और यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु मतदान के आरंभ के पूर्व हो जाती है तो कोई ऐसा निक्षेप यदि उसके द्वारा किया गया है, उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस किया जाएगा। या यदि निक्षेप उम्मीदवार द्वारा नहीं किया गया है, तो उस व्यक्ति को वापस किया जाएगा, जिसके द्वारा वह किया गया था।"

—[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 157 के उप-खंड (2) की पंक्ति 1 में आने वाले 'जिसके द्वारा' शब्दों के पश्चात् "या जिसकी ओर से" शब्द अंत:स्थापित करें।

—[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 157 के उप-खंड (4) की पंक्ति 1 में आने वाले "द्वारा किए गए निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "या उसकी ओर से" शब्द अंत:स्थापित करें।

—[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया।

खंड 157 के उप-खंड (4) की पंक्ति 3 में आने वाले "उसे वापस किया जाए" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित रखें :

"ऐसे उम्मीदवार या ऐसे व्यक्ति को, जिसने यथास्थिति, उसकी ओर से निक्षेप कियाा है, को वापस किया जाए।

—[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया :

खंड 157 के उप-खंड (4) के प्रथम परंतुक की पंक्ति 3 में आने वाले "उसके द्वारा किया गया निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "या उसकी ओर से" शब्द अंत:स्थापित करें।

—[डॉ. अम्बेडकर]

आगे संशोधन किया गया:

खंड 157 के उप-खंड (4) के दूसरे परंतुक की पंक्ति 4 में आने वाले "उसके द्वारा किया गया निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "या उसकी ओर से" शब्द अंत:स्थापित करें।

—[डॉ. अम्बेडकर]

श्री भट्ट : एक संशोधन सं. 212 भी है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं उसे पृथक् पेश करूँगा।

आगे संशोधन किया गया :

खंड 157 के उप-खंड (2) में, दो स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "आठवां" शब्द के स्थान पर "छठा" शब्द रखें।

—[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 157 विधेयक में जोड़ा गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 157, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 158, विधेयक में जोड़ा गया।

नया खंड 158क

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित संशोधन अंत:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। इंग्लैंड में, उनके पास इसके समान कोई उपबंध नहीं है। मैं पूछ रहा हूं किन्तु उन लोगों ने इस प्रयोजन के लिए आवास मंजूर करने को विनियमित करने के लिए कतिपय नियम विरचित किए हैं और उनसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। अत: मैं आग्रह करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

डॉ अम्बेडकर : मुझे डर है कि यह काफी कठिनाइयां पैदा करेगा और मैं यह संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : आइए सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य से यह सुनिश्चित कर लूं क्या मेरे लिए सदन के समक्ष यह संशोधन रखना आवश्यक है।

डॉ. देशमुख : नहीं, किन्तु कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया है और जैसा कि मैं इसे समझता हूं प्रक्रिया यह है कि यदि मैं इसे सदन के समक्ष रखता हूं, तो सदन को इस पर विचार करने का अवसर मिल जाता है। मैंने विधि मंत्री की प्रतिक्रिया के लिए कहा और उन्होंने कहा कि वे संशोधन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इसे सदन के समक्ष रखना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यदि मैंने इसे सदन के सक्षम रखा, तो प्रत्येक सदस्य इस पर बात करने का हकदार है; और इस स्थिति में माननीय सदस्य जिसने यह प्रस्ताव पेश किया है, सदन की इजाजत से इसे वापस ले सकते हैं।

डॉ. देशमुख : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस सदन मे ऐसे अनेक माननीय सदस्य हैं जो इच्छुक हैं और जो हमारे द्वारा दिए गए तर्कों से प्रभावित हैं, उन्हें इस संशोधन पर बोलने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए और तब...

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमन् जी, यह गलत नजीर होगी। यदि इसे सदन के समक्ष नहीं रखा जाता है, तो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है, अत: इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कोई संशोधन लाया जाता है तो सदन को इस पर विचार करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इसे आदेश के रूप में लेता हूं। मेरा विनिर्णय यह है कि इस उस क्षण तक...........

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : संसदीय शासन प्रणाली चर्चा और प्रतिपादन द्वारा है। माननीय डॉ. देशमुख माननीय विधि मंत्री को संतुष्ट करने में सफल नहीं हुए। यह संभव है कि मेरे मित्र श्री कॉमथ अपने तर्कों द्वारा विधि मंत्री को मनाने में सफल हो जाएं। इसलिए, चर्चा के लिए कुछ अवसर क्यों नहीं दिया जाता?

माननीय उपाध्यक्ष : यहां उठाया गया मुद्‌दा यह है कि किस स्थिति में कोई प्रस्ताव सदन के विचारार्थ स्वीकारा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन को नोटिस देता है, उसे प्रस्तुत करता है, वह सदन उस पर विचार करने लगता है। अध्यक्ष को इसे सदन के समक्ष रखना होता है और तभी सदन के समक्ष वह विषय विचारार्थ आता है। किन्तु उस स्थिति में माननीय सदस्य उस पर बल न देने के लिए स्वतंत्र है। मैंने विधि मंत्री से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था। उन्होंने संक्षेप में कहा कि वे इससे सहमत नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य मुझसे यह चाहते हैं कि संशोधन, सदन के समक्ष रखा जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा और तब कुछ चर्चा हो सकती है और माननीय विधि मंत्री जी को अपने उत्तर में अपने बर्ताव के बारे में सदन को संतुष्ट करना होगा। तब अंततः सदन को मामले पर विनिश्चय करना होगा। बाद में यदि ऐसा माननीय सदस्य जिसने प्रस्ताव पेश किया था, प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है तो सदन की सहमति आवश्यक होगी। यह बिल्कुल संभव है कि सदन एक या दसरे पक्ष में संतुष्ट हो जाए यह सदन पर होगा कि वह माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दे या नहीं। यहां मैंने माननीय विधि मंत्री से कहा और उनको सुनने के पश्चात् माननीय प्रस्तावक ने प्रस्ताव पर बल नहीं दिया। अतः, मैंने प्रस्ताव को सदन के समक्ष नहीं रखा और यह सदन के विचारार्थ नहीं आया। अतः, मैं इस विषय पर बातचीत करने के प्रयोजन के लिए मात्र कई माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता। मैं सदन के समय को किसी अनुचित खर्च करने की अनुज्ञा नहीं दे सकता।

जहां तक श्री सहाय के मुद्‌दे का संबंध है, कोई भी अन्य सदस्य यदि वह संशोधन से संतुष्ट है, तो स्वयं संशोधन की नोटिस देने के लिए स्वतंत्र है। मैं किसी माननीय सदस्य को किसी भी अन्य के नाम के किसी संशोधन का लाभ लेने के लिए अनुज्ञा नहीं दे सकता। सदन का समय इतना बहुमूल्य है कि मैं ऐसी किसी चर्चा की अनुज्ञा नहीं दे सकता, जो उसके समक्ष किसी मुद्‌दे से सुसंगत नहीं है।

श्री कॉमथ : क्या सदन की कार्यप्रणाली के नियम............

माननीय उपाध्यक्ष : क्या जब उपाध्यक्ष खड़े हैं तो क्या माननीय सदस्य को खड़े न होने के लिए विनियमित करने का कोई नियम नहीं है?

श्री कॉमथ : ऐसी परम्परा है कि जब कोई सदस्य उसे सुने जाने की इच्छा करे, तो उसे अपनी बात कहने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे खेद है कि मेरे विरुद्ध अभियोग लग सकता है कि मैं हमेशा दूसरे पक्ष के साथ गलत कर रहा हूँ। मैं प्रायः उन्हें बोलने की अनुज्ञा देता हूं। पर अब संशोधन सदन के समक्ष नहीं है। यह मेरा विनिर्णय है। माननीय सदस्य को कुछ हद तक 'मर्यादा' और 'शालीनता' दर्शानी चाहिए।

श्री कामथ : मुझे 'शालीनता' के शब्द के प्रयोग का विरोध करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन में इस तरह के अनियमित आचरण को सही नहीं किया जा सकता। कोई माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव लाता है और दूसरा कहता है कि वह इस पर बोलना चाहता है। इसका विनिश्चय कौन करेगा? क्या मैं माननीय सदस्य से कहूं कि वह यहां मेरा स्थान ग्रहण कर लें? कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए कोई न कोई तो होना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि सदन इस समस्या से आक्रान्त नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य इसके लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। जब तक मैं इसे सदन के समक्ष न रखूं, मामला कतई सदन के समक्ष नहीं आता है। इसके बावजूद, माननीय सदस्य श्री कॉमथ बोलना चाहते हैं, लेकिन किस विषय पर? वह ऐसे प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं, जो सदन के समक्ष नहीं है। जब मैं कहता हूं कि यह सही नहीं है तो वह विरोध करते। अतः सदस्यों के आचरण को विनियमित करना सदन का कार्य है। मैं केवल प्रवक्ता हूं। यह सही नहीं है कि कोई सदस्य सदन का समय ले और विरोध करता रहे। पर जो कुछ हुआ, उसको नजरन्दाज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कॉमथ : मैं दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहूंगा..........

माननीय उपाध्यक्ष : यदि वह विरोध करते हैं तो मैं उनसे सदन छोड़ने के लिए कहूंगा।

श्री कॉमथ : मैं विरोध करता हूं.........

माननीय उपाध्यक्ष : आज दिन भर माननीय सदस्य सदन में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं किसी माननीय सदस्य को निकालना नहीं चाहता, किन्तु इस सदन में कुछ हद तक मर्यादा और शालीनता होनी चाहिए। उन्हें अध्यक्ष का विनिर्णय स्वीकार करना चाहिए, बहुमत का निर्णय मानना चाहिए। अंततः, अध्यक्ष ही बहुमत को प्रतिबिंबित करता है। उसे ही निर्णय करने का अधिकार है कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बावजूद माननीय सदस्य लगातार यह कह रहे हैं कि उन्हें शेष सदन को नियंत्रित करना होगा।

मैं नहीं जानता कि सदन अपना बचाव कैसे करेगा। यों किसी सदस्य को दंड देने का मेरा इरादा नहीं है।

श्री कॉमथ : डॉ. देशमुख ने कभी संशोधन वापस नहीं लिया।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने इस पर बल नहीं दिया। मैंने सही या गलत यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं है। क्या यह अंतिम बात नहीं है?

श्री कॉमथ : डॉ. देशमुख का अभिप्राय है कि वे सदन के मत के लिए इस पर बल नहीं दे रहे हैं।

डॉ. देशमुख : मैं किसी ऐसी बात पर जो हो चुकी है, फिर से वापस हीं जाना चाहता। किन्तु कई मामलों में चर्चा हुई है, यद्यपि प्रस्ताव औपचारिक रूप से नहीं पेश किया गया और यहां तक कि दो या तीन भाषणों के बाद भी, प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। इस तरह के भी पूर्वोदाहरण हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव दे रहा हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन सदन के समक्ष रखे जाने और सदन द्वारा सुने जाने पर बल देता है तो उसके पास इसे पेश करने और सदन द्वारा इसे सुने जाने पर बल देने का साहस होना चाहिए। किन्तु यदि वह मुझसे इस सदन के समक्ष नहीं करने की वांछा रखता है तो वह अध्यक्ष को उस पर चर्चा की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ऐसा किसी संशोधन को, जिसे सदन के समक्ष रखे जाने के लिए नहीं कहा गया है, सदन में चर्चा किए जाने का दावा करने का अधिकार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं अब आगे कार्यवाही आरंभ करूंगा।

श्री कॉमथ : सीट से उठे–

श्री सिधवा : व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें।

श्री कॉमथ : आपके पास मुझसे व्यवस्था के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन अब अपना सामान्य कार्य जारी रखने की कार्यवाही करेगा।

खंड 159 (परिसर का अधिग्रहण)

संशोधन किया गया :

खंड 159 के उप-खंड (1) में निम्नलिखित पंरतुक जोड़ा गया :

"परंतु ऐसा कोई यान, जलयान या पशु जिसका विधि सम्मत उपयोग ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा किया जा रहा है, ऐसे निर्वाचन में मतदान पूरा होने तक इस उप-धारा के अधीन अधिग्रहीत किया जाएगा।"

—[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"कि यथासंशोधित खंड 159 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 159, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 160 से 166 तक विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं खंड 167 को स्थगित कराना चाहता हूं। खंड 168 और 169 को सदन के समक्ष रखा जा सकता है, क्योंकि उनमें कोई संशोधन नहीं है।

खंड 168 और 169, विधेयक में जोड़े गए।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सदन स्थगित किया जाए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधेयक पर आगे विचार करने के लिए भी मेरे लिए कल तक तैयारी करना संभव नहीं होगा। अतः, मैं सुझाव देता हूं कि सदन कल किसी अन्य विधेयक पर विचार करने की संभाव्यता की तलाश कर सकता है और मैं उसके पश्चात् तैयार रहूंगा। मैं समझता हूं कि यहां एक बायलर विधेयक है जो एक छोटा-सा विधेयक है और कल विचारार्थ लिया जा सकता है। (कुछ माननीय सदस्य : आज क्यों नहीं?) उसका प्रभारी सदस्य तैयार नहीं है, क्योंकि उसे कोई नोटिस नहीं दी गई है।

निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति उपमंत्री (श्री बरगोहेन) : मेरे पास यहां कागजात नहीं हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : सदन आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाए और इस बीच वह जाकर कागजात ला सकते हैं।

परिवहन और रेल राज्य मंत्री (श्री संथानम) : श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय राज्य मंत्री श्री गोपालस्वामी आयंगर भाग ग राज्यों से संबंधित अपने विधेयक पर विचार किए जाने के लिए तैयार होंगे, किन्तु उन्हें कोई नोटिस नहीं है। संभवतः यदि सदन आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाए तो हो सकता है वे विधेयक पर विचार कराए जाने की स्थिति में हो जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन 11 बजे तक स्थगित किया जाए और इस बीच माननीय सदस्य विधेयक को पढ़ लें और अपने संशोधनों के साथ तैयार हो जाएं।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे भी उन संशोधनों, जो मैंने तत्काल स्वीकार किए हैं की बाबत बची-खुची चीजों को देखना है। मुझे यह देखना है कि किस सीमा तक, उनमें परिवर्तन की अपेक्षा है और इसलिए मैं कल भी तैयार नहीं हो सकूँगा।

श्री भारती (मद्रास) : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि खंड 7 पर चर्चा जारी रहे, किन्तु विनिश्चय कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए? (कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं) किसी भी दशा में इस पर चर्चा जारी रहनी चाहिए, किन्तु विनिश्चय को स्थगित किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह विदित है कि यदि वे खंड 7 और निरर्हता विषयक अन्य खंडों पर एकमत हो जाते हैं, तो ज्यादा चर्चा से बचा जा सकता है। अन्यथा वे केवल हवा बाजी करेंगे। अत:, मैं 11.00 बजे तक सदन स्थगित करता हूं और तत्पश्चात् सदन कार्यसूची के अगले प्रस्ताव अर्थात् भाग ग राज्य सरकार विधेयक पर विचार करेगा।

सदन तब ग्यारह बजे तक स्थगित किया गया।

लोक प्रतिनिधित्व (सं. 2) विधेयक

***श्री धुले :** मैं यह प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूं :

संशोधनों की पूरक सूची सं. 7 के सं. 2 के रूप में मुद्रित डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन के नए खंड 47 के उप-खंड (2) में,

(क) पंक्ति 5 में आने वाले "प्रारंभ" शब्द के स्थान पर "अंत" शब्द रखें और

(ख) पंक्ति 7 में आने वाले "मतों की गणना" शब्दों के पूर्व "के अंत" शब्द रखें।

मेरा संशोधन बहुत सामान्य है। यहां एक उपबंध होना चाहिए कि मतगणना समाप्त होने के पूर्व या गणना की समाप्ति के पूर्व उसे अपना नाम रद्द करने में समर्थ होना चाहिए।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री कॉमथ : क्या मैं पाश्र्व शीर्ष में थोड़े परिवर्तन का सुझाव दे सकता हूँ? प्रारूपकार के मस्तिष्क में यह हो सकता है कि "किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9480-81

करना या मृत्यु" शीर्ष का अर्थ उसके विवेक से ठीक नहीं है। उसका यह अभिप्राय है कि 'रद्द करना' शब्द 'मृत्यु' शब्द को भी समेटता है। अतः यदि 'मृत्यु' शब्द पहले आता तो यह बिल्कुल ठीक होता।

डॉ. अम्बेडकर : वह बात मस्तिष्क में स्वतः रहेगी।

श्री धुले : तो मैं अपने संशोधन पर बल नहीं देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : पर मुझे आशा है कि सदन पार्श्व शीर्ष के संशोधन पर सहमत है।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

*खंड 51 (मतदान के पूर्व उम्मीदवार की मृत्यु)

संशोधन किया गया :

खंड 51 में, आगे निम्नलिखित परंतुक जोड़ें :

"परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन मतदान के प्रत्यादेश के पूर्व अपनी उम्मीदवारी के प्रत्याहरण की नोटिस दी है, ऐसे प्रत्यादेश के पश्चात् निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।"

—[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 51, विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 51, विधयेक में जोड़ा गया।

खंड 59 (कतिपय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा मतदान)

प्रो. एस.एल. सक्सेना (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैंने इस खंड के संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष : संख्या क्या है और किस सूची में है?

प्रो. एस.एल. सक्सेना : मैं यह बताने में असमर्थ हूं। यह मुद्रित सूची में नहीं है।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 23 मई, 1951, पृष्ठ 9482-85

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : यह पुनरीक्षित समेकित सं. 1 के पृष्ठ 24 पर संशोधन सं. 233 है।

श्रीमन्, डॉ. अम्बेडकर ने उस उम्मीदवार और उसके अभिकर्ताओं के लिए उपबंध करने का वादा किया था, जो किसी दूसरे निर्वाचन–क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। पर वह उनके संशोधन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : उन्होंने कहा था कि ऐसे नियम बनाए जाएंगे, जिसके द्वारा उम्मीदवार और उनके अभिकर्ताओं को किसी अन्य ढंग से मतदान देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर : खंड 167 से संबंधित एक संशोधन है, जो इस विषय के बारे में है। मेरे मित्र भी अपना संशोधन ला सकेंगे, जब हम खंड 167 पर चर्चा करेंगे। तब हम विचार कर सकते हैं कि क्या हम "उम्मीदवार" शब्द भी जोड़ नहीं सकते।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इस संशोधन पर खंड 167 के संशोधन के रूप में अनुज्ञा दूंगा।

श्री हुसेन इमाम : डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में स्थानांतरित अधिकारियों के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ मद्रास से दिल्ली स्थानान्तरित किसी अधिकारी को मतपत्र मांगने का अधिकार है। अतः यहां एक उपबंध किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा कोई सरकारी सेवक स्थानांतरण पर मतपत्र की मांग कर सकता हो।

डॉ. अम्बेडकर : उस विषय पर भी विचार किया जाएगा, जब हम खंड 167 पर विचार करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : रिटर्निंग अधिकारी डाक के माध्यम से मतपत्र स्थानान्तरित करा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : यह ऐसा विषय है जिसे नियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है, जब हम खंड 167 पर विचार करें।

संशोधन किया गया :

खंड 59 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें :

"59. कतिपय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा मत देने के लिए विशेष प्रक्रिया : धारा 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे–

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों से किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र में जहां मतदान किया जा रहा है, निर्वाचन में डाक मत-पत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति से अपना मत देने अर्थात्–

(i) संघ के सशस्त्र बल का सदस्य, जिन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उप-धारा (3) का उपबंध लागू होता है;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा घोषित भारत में कोई ऐसा पदधारी व्यक्ति, जिसके पद पर उस धारा की उप-धारा (4) का उपबंध लागू होता है;

(iii) ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है; और

(iv) उप-खंड (i), (ii) और (iii) में यथनिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी, जिस पर उक्त धारा 20 की उप-धारा (6) का उपबंध लागू होता है;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन कोई व्यक्ति डाक मतपत्र द्वारा, न किसी अन्य रीति द्वारा ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में जहां मतदान कराया जा रहा है, निर्वाचन में ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन मत देना, जो इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।"

–[डॉ. अम्बेडकर"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 59 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 59, विधेयक में जोड़ा गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नामांकन पत्रों को अंतिम रूप देने से संबंधित खंड 34क का एक संशोधन है। उसका क्या हुआ?

माननीय उपाध्यक्ष : वह अभी नहीं लिया गया है। मैं सर्वप्रथम सरकारी संशोधनों को निपटाऊंगा और फिर प्राइवेट सदस्यों के अन्य संशोधनों पर आऊंगा।

समेकित सूची सं. 2 की सूची 7 के खंड 122 के संशोधन का क्या हुआ?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस समय उसके बारे में तैयार नहीं हूं।

खंड 7 (सदस्यता के लिए निरर्हता)

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : हमने डॉ. अम्बेडकर के संशोधनों में संशोधन किए हैं। यह बेहतर है कि हम इस खंड पर कल चर्चा करें। हमारे पास अब समय भी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्हें आज ही लिया जा सकता है। सभी नोटिसों को छोड़ दिया जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं इस उपांतरण के साथ 7क लाता हूँ, अर्थात् उप-खंड (च) में, "ऐसे सदस्य" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, संसद सदस्य या विधायक" शब्द रखे गए हैं। मैं प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूं।

खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें :

7. **संसद या किसी विधानसभा की सदस्यता के लिए निरर्हताएं :** कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या विधानसभा या राज्य के विधान परिषद के सदस्य के रूप चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित होगा–

(क) यदि संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् दोषसिद्ध हो चुका है, या किसी निर्वाचन की विधिमान्यता या नियमितता के प्रश्न की कार्यवाहियों में किसी अपराध या भ्रष्टता या अवैध व्यवहार का दोषी पाया गया है, जो धारा 138 या धारा 139 द्वारा संसद या प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता वाला अपराध या व्यवहार होना घोषित किया गया है जब तक ऐसी अवधि व्यतीत नहीं हो गई है जो यथास्थिति उक्त धारा 138 या धारा 139 में उस बाबत उपबंध किया गया है;

(ख) यदि संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् उसे भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और पारगमन के लिए दंडादिष्ट किया गया है या कम से कम दो वर्षों के लिए कारावास में डाला गया है जब तक पांच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अविधि जो निर्वाचन आयोग ने किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात की है, उसकी रिहाई के बाद से उतना समय बीत गया है;

(ग) यदि ससंद या किसी राज्य के विधानमंडल के उम्मीदवार के रूप में नामनिर्दिष्ट होने या इस पर नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति का निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय और रीति से निर्वाचन व्यय वापस करने में असफल रहता है जब तक उस तारीख से पांच वर्ष का समय व्यतीत हो गया है जिसके द्वारा वापसी दर्ज कराई जानी थी या निर्वाचन आयोग ने निरर्हता दूर कर दी है;

(घ) यदि वह स्वयं या उसके विश्वास रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके फायदे के लिए या उसके कारण वह समुचित सरकार द्वारा ली गई किसी सेवा से निष्पादन के लिए माल की आपूर्ति हेतु किसी संविदा में कोई शेयर रखता है या हित रखता है;

(ङ) यदि वह किसी निगम का निदेशक है या प्रबंध अभिकर्ता है या लाभ का कोई पद-धारण करता है, जिसमें समुचित सरकार का कोई शेयर या वित्तीय हित है;

(च) यदि भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में साम्राज्य या किसी देशी रियासत की सरकार के अधीन कोई पद धारण करने पर, वह चाहे संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति देशद्रोह के लिए बर्खास्त किया गया है, जब तक उसकी बर्खास्तगी से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो।

7 क : व्यावृति–(1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी–

(क) उस धारा के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन निरर्हता किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो दोषसिद्धि या दोषसिद्धि और दंडादेश के आधार पर इस प्रकार निरर्हित हो गया है और निरर्हता की तारीख को कोई सांसद या विधायक है, लागू नहीं होगी, जब तक ऐसी निरर्हता की तारीख से तीन मास का समय न बीत गया हो या यदि इन तीन महीनों के भीतर याचिका पुनरीक्षण कोई अपील या दोषसिद्धि या दंडादेश की बाबत न लाई गई हो और जब तक अपील या याचिका आवेदन का निपटान नहीं होता;

(ख) उस धारा के खंड (ग) के अधीन निरर्हता तक तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक उस तारीख जिससे निर्वाचन-व्यय की विवरणी दर्ज कराई जानी चाहिए थी, से दो मास की समाप्ति या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो निर्वाचन आयोग किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे;

(ग) उस धारा के खंड (ग) के अधीन निरर्हता वहां तब तक लागू नहीं होगी, जहां संविदा में शेयर या हित किसी व्यक्ति को विरासत या उत्तराधिकार या वसीयतदार निष्पादक या प्रशासक द्वारा न्यायमित होता है, उसके न्यायमित हो जाने के पश्चात् छह मास की समाप्ति तक या ऐसी लंबी अवधि तक जितना निर्वाचन आयोग किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे;

(घ) कोई व्यक्ति किसी पब्लिक कंपनी जिसका वह शेयरधारक है किन्तु कंपनी के अधीन लाभ का पद धारण न करने वाला निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता नहीं है और समुचित सरकार के बीच हुई संविदा में अपना शेयर या हित होने के कारण उस धारा के खंड (घ) के अधीन निरर्हित नहीं होगा।

(ङ) कोई व्यक्ति उस धारा के खंड (ङ) के अधीन निरर्हित नहीं होगा, यदि निदेशक होने के कारण उसे इस प्रकार धारक को निरर्हित करने के लिए संसद की विधि द्वारा घोषित न किया गया हो।

(च) उस धारा के खंड (ङ) के अधीन निरर्हता निदेशक की दशा में प्रभावी नहीं होगा, जहां ऐसे निदेशक के पद की बाबत इस धारा के खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट ऐसी कोई घोषणा करने वाली विधि, निदेशक के यथास्थिति संसद या विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के पश्चात् प्रवृत्त हुआ है। उस तारीख के पश्चात् छह मास की समाप्ति तक जिसको ऐसी विधि प्रवृत्त होती है या ऐसी लंबी अवधि जो निर्वाचन आयोग किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे;

(छ) उस धारा के खंड (च) के अधीन निरर्हता इस अधिनियम के अधीन प्रथम निर्वाचनों के लिए किसी उम्मीदवार की दशा में लिखित रूप में अभिलिखित किए गए कारणों से निर्वाचन आयोग द्वारा हटायी जा सकेगी।

7 ख निर्वचन आदि–(1) इस अध्याय में–

(क) "समुचित सरकार" से संसद के किसी सदन का सदस्य होने या चुने जाने के लिए किसी निरर्हता के संबंध में "भारत सरकार" और राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने या चुने जाने के लिए किसी अनर्हता के संबंध में "उस राज्य की सरकार" अभिप्रेत है।

(ख) "पब्लिक कंपनी" से भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 2 में यथा परिभाषित पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है।

(2) शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां धारा 7 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट ऐसी कोई संविदा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और समुचित सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई है, तो वहां उस कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य उक्त खंड (घ) में वर्णित अर्हता के अधीन हो जाएगा। किन्तु जहां किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा ऐसे कारबार के अनुक्रम में पृथक् कारबार करते हुए संविधा की गई है, वहां उस कारबार में कोई शेयर या हित न रखने वाले उक्त कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य ऐसी निरर्हता के अधीन नहीं होगा।

(3) यदि कोई प्रश्न इस संबंध में उठाया जाता है कि क्या ऐसा व्यक्ति धारा 7 के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई पद धारित करते हुए बर्खास्त किया गया है, संसद के किसी सदन या किसी राज्य को विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए उस खंड के अधीन निरर्हित है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा

विहित रीति में इस आशय का जारी प्रमाण-पत्र पेश करने पर कि ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति देशद्रोह के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस खंड के अधीन निरर्हित नहीं है।"

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन लाया गया :

माननीय उपाध्यक्ष : क्या अभी कोई संशोधन है?

प्रो. के.टी. शाह : समेकित सूची सं. 1 में मेरा एक संशोधन है।

माननीय उपाध्यक्ष : किन्तु यह पुराने खंड 7 का संशोधन प्रतीत होता है।

प्रो. के.टी. शाह : यही हमारी कठिनाई है। यह नया खंड अचानक प्रस्तुत किया गया है। यदि आप हमारा संशोधन लाते और कम से कम नए विचार जो उपज रहे हैं, को लाने का प्रयास करने की अनुज्ञा नहीं देते........

माननीय उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की कठिनाई समझता हूं। यह प्रतीत होता है कि पुराने खंड 7 के स्थान पर नया संशोधन प्रस्तावित करने की नोटिस पिछले रात या आज प्रातः परिचालित की गई। यह याद रखना होगा। इसलिए, हम खंड 7 पर 3.30 बजे विचार करेंगे और जब कभी नोटिसें दी जाती हैं वे साइक्लोस्टाइल की जाएंगी और सभी माननीय सदस्यों को परिचालित की जाएंगी। किसी औपचारिकता के बिना सभी संशोधन सचिव को सौंपे जा सकते हैं। हम उन्हें आज 3.30 बजे लेंगे।

इस प्रकार खंड 7 स्थगित किया जाएगा। अब किसी अन्य खंड पर हम विचार करें?

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं नया खंड 166 क जोड़ना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : खंड 7 स्थगित किया गया है। अब हम क्रम से कार्यवाही करेंगे। अन्य खंड जो स्थगित किए गए हैं, खंड 122, 123 और 124 हैं। मैं नहीं जानता कि वे कब तैयार होंगे-यह इस पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी प्रारूपकार तैयार कर लेगा। यदि वे तैयार हो जाएँगे, तो अपराह्न में हम उन पर विचार करेंगे।

श्री कॉमथ : श्रीमन्, बीच-बीच में कई खंडों को छोड़ा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष : हम बीच-बीच में खंड नहीं छोड़ेंगे-वस्तुतः जब कभी कोई खंड तैयार नहीं है, हम इसे बीच में छोड़ देते हैं।

नया खंड 166 क

डॉ. अम्बेडकर : हम खंड 166 क पर विचार करेंगे। मेरा संशोधन समेकित सूची सं. 2 की पूरक सूची सं. 7 में सं. 8 पर है। किन्तु मुझे उस संशोधन में एक या दो

मौखिक परिवर्तन करने हैं। उप-धारा (1) की पंक्ति 9 में "किसी उम्मीदवार के रूप में नामांकन" के बजाय मैं इसे "ऐसे उम्मीदवार के रूप में नामांकन" के रूप में रखना चाहता हूं। एतद्द्वारा "किसी" के स्थान पर "ऐसे" शब्द रख रहा हूं। तब उप-धारा (2) में (क) और (ख) को (ख) और (ग) के रूप में पुनर्संख्यांकित करना चाहता हूँ और मैं नया भाग (क) जोड़ना चाहता हूँ जो इस प्रकार होगा :

"(क) "उम्मीदवार" का वही अर्थ है जो धारा 78 में है।"

मैं यथापूर्वोक्त परिवर्तित संशोधन लाना चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूँ:

भाग 10 में खंड 156 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित करें:

"166 क. पूर्व देशी रियासतों के शासकों की बाबत विशेष उपबंध–(1) यदि पूर्व देशी रियासत के शासक को इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया जाता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) की धारा 87ख की उप-धारा (1) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम 5) की धारा 197क की उप-धारा (2) और (3) के उपबंध उसके नामांकन की तारीख को आरंभ होने वाली अवधि के दौरान ऐसे शासक के संबंध में लागू नहीं होगा, जिसके निर्वाचन का परिणाम धारा 66 के अधीन प्रकाशित किया जाता है। और वह इस अधिनियम के भाग 6 के अधीन ऐसे निर्वाचन या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 के अधीन या ऐसे निर्वाचन पर या इसके संबंध में उसके द्वारा अभिकथित रूप से किए गए इस अधिनियम के भाग 7 के अध्याय-3 के अधीन किसी अपराध के लिए ऐसे शासक के विरुद्ध किसी दांडिक कार्यवाही की विधिमान्यता या नियमितता को प्रश्नगत करने की किसी कार्यवाही के संबंध में इसके पश्चात् लागू नहीं होगा।''

(2) इस धारा में–

(क) "उम्मीदवार" का वही अर्थ है जो धारा 78 में है;

(ख) "पूर्व देशी रियासत से कोई ऐसी देशी रियासत अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे।

(ग) पूर्व देशी रियासत के संबंध में "शासक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।"

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. अम्बेडकर का संशोधन लाया गया।

प्रो. के.टी. शाह : श्रीमन्, हम संशोधन को नहीं अपनाते। क्या आप हमें कुछ स्पष्टीकरण देंगे? क्या शासक उम्मीदवार होने जा रहे हैं और क्या उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता से छूट दी जाएगी?

डॉ. अम्बेडकर : स्थिति यह है कि जैसा कि सदन को याद होगा कि जब चयन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी, यह सुझाव दिया गया था कि शासन करने वाले शासकों को विधानमंडल के सदस्य होने से निरर्हित किया जाना चाहिए। विभिन्न आधार बताए गए थे। उनमें से एक आधार यह था कि वे ऐसे वचनपत्र के आधार पर जो भारत सरकार के साथ था और जिसके अधीन भारत सरकार उन्हें हर वर्ष कतिपय राशि देने के लिए सहमत थी, भारत सरकार के अधीन एक प्रकार का लाभ का पद धारण कर रहे थे। तब मैंने कहा था कि मुझे यह नहीं लगता कि यह लाभ का पद है, अत:, यह संविधान के उस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन नहीं आ सकता, जो लाभ के पद धारकों के बारे में है। मैंने उस समय कहा था, जब मामले पर चर्चा की गई थी, कि मुझे कोई विधिमान्य औचित्य नहीं मिलता कि क्यों शासन करने वाले शासकों को विधानमंडल का सदस्य बनने से निरर्हित किया जाए। तत्पश्चात् यह आग्रह किया गया था कि इन शासन करने वाले शासकों को दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन कतिपय संरक्षण दिए गए थे जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उनके विरुद्ध दांडिक परिवाद फाइल करना या सिविल वाद लाना संभव नहीं था। इस आधार पर यह कहा गया कि यदि इस संरक्षण का विस्तार नामांकन और मतदान की मध्यवर्ती अवधि के बीच किया जाता है, तो शासक कोई अपराध कर सकता है या वह कोई भ्रष्ट व्यवहार या अवैध व्यवहार कर सकता है और किसी व्यक्ति के लिए उसके विरुद्ध आरोप दर्ज कराना संभव नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार की अनुज्ञा आवश्यक है। मैंने महसूस किया कि यह एक विधिसम्मत परिवाद था—यदि कोई शासक निर्वाचन में खड़ा होना चाहता है तो उसे उस संरक्षण का दावा करने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए जो उसे दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा दी गई है।

अत: इस संशोधन में जो प्रस्तावित है, यह है कि यदि कोई शासक निर्वाचन, चाहे यह संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचन हो या राज्य विधानसभा का निर्वाचन हो, के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, तो वह स्वत: दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा उसे प्रदत्त फायदों को अभिप्राप्त नहीं कर पाएगा, ताकि उसे भारत सरकार की मंजूरी के बिना किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा सके। भारत सरकार की सहमति के बिना उसके विरुद्ध निर्वाचन अर्जी फाइल की जा सके और कोई अन्य कार्यवाही उसके विरुद्ध आरंभ की जा सके मानों कोई विशेष विशेषाधिकार न रखने वाला वह आम नागरिक हो। मैं सोचता हूँ कि यह चयन समिति

की रिपोर्ट के पुराने उपबंध के बीच मध्यम मार्ग है कि उन्हें सिविल और दंड प्रक्रिया संहिताओं के अधीन दिए गए हैं, के उत्सादन के बिना संसद के सदस्य के लिए अर्ह हो जाएंगे और सदन के अन्य सदस्यों द्वारा प्राप्त अन्य हैसियत के लिए भी अर्ह हो जाएंगे जिससे उन्हें निर्वाचन के लिए खड़े होने से सीधे-सीधे निरर्हित हो जाना चाहिए था।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा, क्योंकि यह एक मध्यम मार्ग है।

मौलवी वाजिद अली (असम) : क्या मैं माननीय विधि मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि उम्मीदवार चुने जाने में असफल रहता है या कुछ कारणों से या अन्यथा निर्वाचन में खड़ा नहीं होता, तो क्या यह छूट बनी रहेगी या तब उन्हें इसे पुनरुज्जीवित करना होगा?

डॉ. अम्बेडकर : संरक्षण का निलम्बन, नामांकन और निर्वाचन की समाप्ति की अवधि के दौरान ही लागू होगा।

डॉ. पट्टाभि (मद्रास) : क्या उसे निर्वाचन के सभी नैसर्गिक परिणामों से जूझना होगा?

डॉ. अम्बेडकर : वह निर्वाचन के सभी परिणामों के अधीन होगा।

प्रो. के.टी. शाह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सदन इस सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है कि शासकों को निर्वाचन में खड़े होने के लिए अनुज्ञा दी जाए?

माननीय उपाध्यक्ष : विधेयक में ऐसा कोई निर्बंधन नहीं है जैसा यह प्रवर समिति से आया है। अभी संविधान या विधेयक में, किसी शासक को उम्मीदवार के रूप में खड़े होने पर कोई प्रतिषेध नहीं है, जैसे यह प्रवर समिति से आया है। अतः माननीय सदस्य को यह प्रश्न दूसरी तरह से पूछना चाहिए।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

नया खंड 166क विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 167 (नियम बनाने की शक्ति)

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 167 के उप-खंड (2) के भाग (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:

"(गग) ऐसी रीति जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान दिया जाना है, जो किसी निर्वाचन-क्षेत्र से मतदाता

होते हुए उस मतदान केंद्र पर जिस पर वह मत देने का हकदार नहीं है, काम के लिए प्राधिकृत या नियुक्त है।"

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन का यह आशय होगा कि नियमों में ऐसी रीति के विनियमित करने का उपबंध हो सकेगा जिसमें कोई उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार का अन्य अभिकर्ता जिसमें यह मतदाता नहीं है, मत दे सकता है।

श्री जे.आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : उससे कठिनाई दूर नहीं होगी, क्योंकि उम्मीदवार किसी विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाता हो सकता है, किन्तु निर्वाचन-क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि किसी विशिष्ट समय पर जहां उसे अपना मत देना है, वह ऐसे क्षेत्र जिसमें उसे अपना मत देना है के भीतर उस विशिष्ट मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनेक मतदान केंद्र होते हैं। कुल मिलाकर, किसी निर्वाचन-क्षेत्र के दो या तीन भाग हो सकते हैं। वह किसी मतदान केंद्र पर होगा। क्या सब लोगों के लिए यह उपबंध करना आवश्यक है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसालिए उसे उसी मतदान केंद्र पर मत देने की अनुज्ञा दी जाए जहां वह उस समय उपस्थित हो। वह निर्वाचन-क्षेत्र में हो सकता है, किन्तु किसी विशिष्ट मतदान केंद्र पर नहीं। निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार पूरे जिले तक हो सकता है। वह एक मतदान केंद्र पर होगा। उसे उस मतदान केंद्र पर मत देने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए, जहां वह समय हो।

डॉ. अम्बेडकर : उम्मीदवारों के संबंध में दो प्रश्नों पर विचार किया जाना है। एक प्रश्न यह है कि कोई उम्मीदवार सर्वथा एक दूसरे प्रांत का है। उसका निर्वाचन-क्षेत्र उस राज्य में नहीं है जिसमें वह है। यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनेक मतदान केंद्र हैं। वह किसी विशिष्ट मतदान केंद्र के क्षेत्र में रह रहा है। और उसे वहां जाकर वोट देने की परिकल्पना है। वह तार्किक परिणाम है। मानों निर्वाचन के दिन अपने दैनिक भ्रमण में वह विशिष्ट मतदान केंद्र या मतदान बूथ के नजदीक कहीं नहीं है बल्कि कहीं अन्यत्र है।

माननीय उपाध्यक्ष : विधि मंत्री कृपया विचार करें कि क्या उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता उस खंड (ङङ) में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जिसका उन्होंने प्रस्ताव किया है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं उस विषय पर आ रहा हूं। जो मैंने सुझाव दिया है वह यह है। जैसा कि मैंने कहा ऐसे दो मामले हैं जिनके बारे में उपबंध करना है। प्रो. शिब्बन लाल सकसेना केवल ऐसे उम्मीदवार के मामले का उपबंध कर रहे हैं जो दूसरे प्रांत से आ रहा है। दूसरे मामले का अब भी उपंबध नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : उसे यहां सम्मिलित किया जा सकता है, "ऐसी रीति जिसमें किसी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके अभिकर्ताओं आदि द्वारा मतदान किया जाना है।"

डॉ. अम्बेडकर : यह खंड पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचन-क्षेत्र का मतदाता होते हुए ऐसे मतदान केंद्र पर ड्यूटी के लिए प्राधिकृत या नियुक्त है जिस पर वह मत देने का हकदार नहीं है, के बारे में है। यह दो प्रवर्गों के उम्मीदवारों को सम्मिलित नहीं करता। अतः दोनों प्रवर्गों के लिए उपबंध करना है।

माननीय उपाध्यक्ष : आप उन्हें सम्मिलित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : संभवतः, संशोधन पर पुनर्विचार करना बेहतर उपाय होगा। इसे 3.00 बजे ले सकते हैं, जिससे हम उचित संशोधन कर सकें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उम्मीदवार और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को सम्मिलित करें।

श्री हुसेन इमाम : मैंने प्रातःकाल यह सुझाव दिया था कि ऐसे सरकारी सेवक जिनका स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान को हो गया है, को अपना मत देने की सुविधाएं दी जानी चाहिएं। यह सरकार की नियम बनाने की शक्ति में सम्मिलित किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकारी सेवकों और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में लगे ऐसे लोगों को, जिनका नामांकन के पश्चात् एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण हो गया है, उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए।

श्री कॉमथ : श्रीमन्, मेरे पास दो संशोधन हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं उन पर आ रहा हूँ। मुझे सदन के समक्ष प्रो. सक्सेना का संशोधन रखने दीजिए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं सोच रहा हूं कि संभवतः यदि इसे उचित प्रारूप में रखा जाता है, तो मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में हो सकता हूं। इसलिए हम 3.00 बजे तक इसे स्थगित कर सकते हैं। इस बीच हम इसे कुछ उचित भाषा में प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : शेष संशोधनों को भी डॉ अम्बेडकर को सौंपा जा सकता है।

श्री कॉमथ : मैं यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 167 के उप-खंड (2) के भाग (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नए भाग को अंतःस्थापित करें और तदनुसार बाद वाले भाग को पुनः अक्षरांकित करें।

"(ज) निर्वाचनों में व्यय के अधिकतम मापक्रम और ऐसे व्यक्तियों की संख्या और विवरण जिन्हें निर्वाचनों के संबंध में भुगतान पर नियोजित किया जा सकेगा।"

माननीय उपाध्यक्ष : व्यय से संबंधित धारा में, हमने पहले ही इसका उपबंध कर दिया है। हमने यह कहा है कि अधिकतम मापक्रम और निर्वाचन-व्यय वे होंगे जो विहित किए जाएं और अपेक्षित कोई अन्य विषय भी विहित किया जाएगा। चूंकि यह पहले ही वहां है, इसलिए क्या अब यह संशोधन रखना आवश्यक है? मैं सोचता हूँ यह अनावश्यक है।

श्री कॉमथ : श्रीमन्, बिल्कुल ठीक। किन्तु मेरे पास दूसरा संशोधन है। मैं इसे पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 167 के उप-खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपखंड अंत:स्थापित करें :

"(3) इस प्रकार बनाए गए नियमों को बनाए जाने पर यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें ऐसे उपांतरणों के साथ जो संसद द्वारा उनमें किए गए है दस इस प्रकार रखे जाने के पश्चात् दस दिनों की अवधि के भीतर, राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।"

क्या मैं इस पर बोलूं या इसे 3.00 बजे तक स्थगित किया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : वे अभी बोल सकते हैं, किन्तु इसका मतदान स्थगित किया जाए।

***श्री आर.के. चौधरी :** अन्य सदस्यों से भिन्न जिनके पास सदन के समक्ष रखने के लिए कई संशोधन हैं। मेरे पास केवल एक संशोधन है। मेरा संशोधन पुनरीक्षित समेकित सूची के पृष्ठ 20 पर सं. 201 है। मैं उसे लाने की अनुमति चाहता हूं :

खंड 7 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ें :

"**स्पष्टीकरण :** ऐसे अधिवक्ता को सरकार को जो या उसके किसी विभाग को वृत्तिक सेवाएं देता है और जिसे प्रतिधारण फीस और अन्य फीस दी जाती है, लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा और संसद के किसी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं होगा।"

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9549

यह एकमात्र संशोधन है जो मेरा है और मैं पूर्ण दृढ़ता के साथ इस पर विचार कराना चाहूंगा, क्योंकि यह कायम रखने योग्य है और मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि मंत्री भी इस पर कुछ ध्यान देंगे, जो मैंने इस अवसर पर कहा है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूं मैं हमेशा ऐसा करता हूँ।

***माननीय अध्यक्ष :** संशोधन पेश किया गया :

खंड 7 के उप-खंड (1) के भाग (च) में, "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखें।

डॉ. अम्बेडकर : मैं वही प्रक्रिया अपनाना चाहता हूं जो मैंने अधिकांश संशोधनों के संबंध में अपनाई है, अर्थात् खड़े होकर यह कहना कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने की प्रस्थापना नहीं करता। इस मामले में, एक अपवाद भी कुछ हद तक आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जिन पर कुछ स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सोचता हूं।

सर्वप्रथम, मैं अपने माननीय मित्र को उत्तर देना चाहूंगा जिन्होंने यह कहा कि सदन इस समय खंड 7 लाकर इसे विधेयक पर बहस के अंतिम पड़ाव पर विस्मित हो गया है। यह बिल्कुल सही है कि खंड 7 को आज ही औपचारिक रूप से सदन के समक्ष लाया गया है। किन्तु मैं सोचता हूं कि मेरे मित्र इस पर सहमत होंगे कि इस विधेयक में ऐसा कोई खंड नहीं है, जिस पर संपूर्ण सदन ने अनौपचारिक रूप से इतना अधिक ध्यान दिया हो, जितना खंड 7 पर दिया गया है।

डॉ. एस.पी. मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : अति महत्वपूर्ण खंड।

डॉ. अम्बेडकर : मैं उन बैठकों की संख्या को स्मरण नहीं कर सकता जो वृहत् समिति जो नियुक्त की गई थी, की प्रवर समिति और संपूर्ण सदन की समिति की हुई थीं। अतः मैं यह नहीं सोचता कि इस प्रतिवाद का कोई आधार है, कि खंड 7 के उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सोचता हूं कि औचित्य की दृष्टि से और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से इस खंड की काफी हद तक पड़ताल की गई है।

श्रीमन्, अब मैं कुछ व्यक्तिगत मुद्दे उठाऊंगा जो कई वक्ताओं द्वारा उठाए गए हैं। मैं उस पर कोई ध्यान नहीं दूंगा जो मेरे मित्र श्री कामथ ने कहा है और मैं नहीं समझता कि वे गूंगे और बहरे व्यक्तियों को निकालने का उपबंध करने के अपने सुझाव पर अधिक ध्यान दिए जाने की प्रत्याशा करते हैं।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9564-70

श्री कामथ : यह इंग्लैंड में है।

डॉ. अम्बेडकर : यह सही है कि यह इंग्लैंड में है, किन्तु मैं सोचता हूँ कि इस पर विचार करने के लिए बहुत निरापद से इसे हम अपने निर्वाचकगण पर छोड़ दें क्योंकि यह संसद गूंगों, बहरों और अपंगों से गठित नहीं है और यहाँ ऐसे लोग ही हैं जो शारीरिक रूप से सुनने, बोलने और चलने के योग्य हैं।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमने अपने निरर्हता खंड में चोरबाजारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया है। मैं सोचता हूँ कि प्रो. के.टी. शाह द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। उन सभी विषयों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि बनाने के लिए किसी आदर्श को अपनाना ही पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी बहुत आवश्यक है कि आदर्श व्यावहारिक भी। और मैं यह नहीं सोचता कि मेरे मित्र प्रो. के.टी. शाह ने कुछ आदर्शवादी सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए व्यावहारिक पक्ष की ओर अपने विवेक का प्रयोग किया, तो उन्होंने इस खंड की बाबत प्रतिपादित किए हैं।

दूसरा मुद्दा कतिपय अपराधों के लिए पारित दंडादेशों से उद्भूत निरर्हताओं के संबंध में था। उसके संबंध में तीन भिन्न-भिन्न स्थितियों पर विचार करना संभव है। एक स्थिति यह है कि किसी अपराध के लिए दंड स्वतः पर्याप्त होता है और संसद के किसी सदस्य के रूप में खड़े होने के लिए इसे किसी अतिरिक्त निरर्हता के रूप में शामिल नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यह एक मत है जो स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा मत जो स्वीकार किया जा सकता है, यह है कि दंड के साथ नहीं, बल्कि अपराध की प्रकृति के साथ निरर्हता संबद्ध करनी चाहिए, चाहे इसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो या नैतिक अधमता अंतर्वलित न हो। यह दूसरा मत है जिसे कोई स्वीकार कर सकता है। तीसरे मत को इस विधेयक में लिया ही गया है। इस मत को उस समय से इस देश में स्वीकार किया गया है जब से निर्वाचन आरंभ हुए थे। मैं ऐसी कोई अवधि नहीं जानता, जब से हमारी विधि में यह उपबंध है, अर्थात् यद्यपि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और कतिपय अवधि के कारावास से दंडादिष्ट किया गया हो फिर भी वह किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा।

गलत या सही, यही विधि है जिसे हमने शुरू से आज तक अपनाया है। परिणामतः जहां तक विधेयक का संबंध है, कोई विपथन नहीं किया गया है। हम ऐसी कोई बात सम्मिलित नहीं कर रहे हैं जो नई हो। हम मात्र ऐसी बातें स्वीकार कर रहे हैं तो पहले से ही अस्तित्व में हैं।

सरदार सोचेत सिंह : 50,000/- रु. जैसे भारी जुर्माने के बारे में क्या स्थिति है?

डॉ. देशमुख : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि किस उपबंध के अधीन अनेक कांग्रेसी लोग, जो कारागार बए थे और दोषसिद्ध हुए थे, निर्वाचन में खड़े होने में समर्थ हुए और कैसे उनकी निरर्हता हटाई गई?

डॉ. अम्बेडकर : निरर्हता गवर्नर–जनरल द्वारा हटाई गई। कुछ मामलों में समय बीत गया था और कुछ मामलों में वह निरर्हता हटाने का आदेश देने में समर्थ थे। यहाँ दूसरा मुद्दा है। वह उन मुद्दों के संबंध में है जो पब्लिक कंपनी निदेशक, आदि के बारे में उठाये गये हैं। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए यह खंड जैसा है, उसका प्रतिवाद करना अनावश्यक है।

इन सभी मुद्दों को विभिनन बैठकों में उठाया गया था, जहां इन प्रश्नों पर विचार किया गया था और अंततः समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस खंड को ऐसे ही रहने दिया जाए, जैसा यह उस समिति के मध्य भी था। अतः मैं इस प्रश्न के संबंध में बहुत विस्तार से परिशीलन करने का प्रस्ताव नहीं करता।

श्री सोंधी : सहकारी सोसाइटी।

डॉ. अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री जे.आर. कपूर : ....के संबंध में अनौपचारिक बैठक में कोई निश्चित विनिश्चय नहीं हुआ था।

डॉ. अम्बेडकर : मैं विस्तार से उस पर परिशीलन करने का प्रस्ताव नहीं करता, जो अनौपचारिक बैठक में हुआ था, क्योंकि हमसे यह उद्धाटित करने की अपेक्षा नहीं है वहां क्या हुआ।

श्री जे.आर. कपूर : ....लिमिटेड कंपनी में वित्तीय हित की मात्रा?

डॉ. अम्बेडकर : जैसा मैंने कहा, अंततः यह स्थिति है कि कैसे खंड उद्भूत हुआ। सहकारी सोसाइटी के प्रश्न मे संबंध में, न तो मैं स्वयं कोई वचन देना चाहता हूँ और न ही मुझे ऐसी विधिक स्थिति को व्यक्त करने का अपना अभिप्राय या आशय स्पष्ट करना चाहिए जिसमें मैं हर समय आबद्ध रहूं। मुझे यह नहीं लगता कि सहकारी सोसाइटी का गठन किसी पृथक् विधि के अधीन किया गया है, अतः जैसा कि हम भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित पब्लिक कंपनी को निर्दिष्ट कर रहे हैं, मेरे वर्तमान निर्णय के अनुसार उसमें "सहकारी सोसाइटी" का अपवर्जन प्रतीत होता है।

अब मैं अधिवक्ताओं से संबंधित प्रश्न पर आता हूं। मैं यह नहीं जानता कि क्या मेरे मित्र श्री चौधरी चले गए हैं (एक माननीय सदस्य : वह यहां हैं)। इसमें दो भिन्न–भिन्न प्रश्न रखे गए हैं। श्री चौधरी द्वारा रखा गया प्रश्न यह है: ऐसे अनेक लोगों से मेरा अभिप्राय अधिवक्ताओं से है, जिन्हें विभिन्न सरकारों द्वारा अपने सरकारी अधिवक्ताओं के रूप में लगाया जाता है। तब या तो उन्हें वेतन दिया जाता है या उन्हें फीस दी जाती है और प्रत्येक मामला जो वे लेते हैं, उस पर उन्हें विहित दरों के अनुसार कतिपय धनराशि दी जाती है। वे चाहते हैं कि ऐसे किसी सरकारी अधिवक्ता को जिसे किसी सरकार

द्वारा अपने अधिवक्ता के रूप में लगाया गया है, विधानमंडल का सदस्य होने से निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि यहां हमारे एक मित्र ने एक मामला निर्दिष्ट किया है, कि ऐसा अधिवक्ता जो सरकारी प्लीडर है, काफी पहले लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किया गया है। मुझे लगता है कि इससे मामले का अंत हो गया और हम संविधान के अनुच्छेद 102 में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी निरर्हता हटाना चाहते हैं, तो यह कहने का कुछ अच्छा आधार होना चाहिए कि सरकारी प्लीडर को अपवर्जित किया जाए। मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने कोई और तर्क जोड़ा है। मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने केवल अधिवक्ताओं में मेरी सहानुभूति और मेरे पेशेवर हित के बारे में अपील की है, (व्यवधान)। पर, मैं अपने पेशे की सहायता के प्रयोजन के लिए, किसी प्रकार का अविवेक या अवैधता करने नहीं जा रहा हूँ।

दूसरा प्रश्न मेरे माननीय मित्र श्री खंडूभाई देसाई द्वारा उठाया गया है। मुझे यह कहना है कि उनकी शिकायत से मुझे आश्चर्य हुआ। उनकी शिकायत है कि कई अधिवक्ता सासंद हैं, जो अपने मुवक्किलों के लिए सरकार के विभिन्न सदस्यों के समक्ष उपस्थित होते हैं और फीस वसूल करते हैं और यह स्थानीय विधानमंडलों में भी होता है। मेरा यह कहना है कि मैं इस पर पूरी तरह से अचम्भित हो गया क्योंकि अधिवक्ता को न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार है और मैं नहीं जानता कि क्या ऐसी कोई विधि है जो यह उल्लेख करती है कि किसी विभाग का प्रशासन करने वाला कोई मंत्री एक न्यायालय है। अत: कोई अधिवक्ता सांविधानिक अधिकार का प्रयोग करने पर बल नहीं दे सकता, जो उसे अपने पेशे की प्रैक्टिस करने में मंत्री के समक्ष जाने और सुनवाई करने के लिए दिया गया है। यदि भारत सरकार का कोई मंत्री—वे मुझे माफ करें—अधिवक्ता को अपने समक्ष उपस्थित होने की अनुज्ञा दे रहा है तो मुझे यह लगता है कि वह विधि के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। यदि हमारे मंत्रियों को इस सामान्य नियम का पालन करना है कि वे न्यायालय नहीं हैं अत: वे किसी अधिवक्ता की सुनवाई नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि ऐसा आचरण जो मेरे माननीय मित्र श्री खंडूभाई देसाई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, पूर्णत: समाप्त हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या ऐसा कोई आचरण है?

प्रधानमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने ऐसे आचरण या किस दृष्टांत के बारे में कभी नहीं सुना है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कहां हुआ और कब हुआ।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। यह वही कथन है, जो श्री खंडूभाई देसाई ने किया है।

निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति मंत्री (श्री गाडगिल) : दूसरी ओर, शिकायत यह है कि हममें से कुछ ने अधिवक्ताओं से भेंट करने से इनकार किया।

डॉ. अम्बेडकर : यही ठीक बात है।

श्री हुसेन इमाम : क्या माननीय मंत्रियों द्वारा संसद के किसी अधिवक्ता सदस्य से भेंट करने से इनकार किया गया?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मैं जानता हूं, अधिवक्ताओं द्वारा मंत्रियों के समक्ष अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होने का कोई मामला नहीं आया है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि यह क्या है? किन्तु यह वह कथन है जो उन्होंने किया था। मैं सोचता हूं कि इस विषय को उसी रीति से विनियमित किया जा सकता है, जैसा मैंने सुझाव दिया है। अतः, उस स्थिति के लिए किसी विधिक उपबंध की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं अपने माननीय मित्र पंडित कुंजरू द्वारा लाए गए संशोधन पर आता हूं। वे "राज्य के प्रति अनिष्ठा" शब्द को छोड़ देना चाहते हैं। कुछ हद तक, मैं उनके तर्क को स्वीकार करता हूं कि "राज्य के प्रति अनिष्ठा" शब्द रचना बहुत संक्षिप्त मुहावरा नहीं है। इसका क्या अर्थ है? यह कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। किन्तु मुद्दा यह है कि जब प्रवर समिति ने इस विषय पर चर्चा की थी तो वे राज्य के दो विभिन्न प्रवर्गों के सेवकों पर विचार कर रहे थे। एक सिविल सेवाओं के कार्मिक का था। साथ ही वे सेना के कार्मिकों पर भी विचार कर रहे थे। उनके निर्णय में, किसी सेना अधिकारी के द्वारा ऐसा कार्य करना संभव था जो राज्य की सुरक्षा को क्षीण करता हो या 'राज्य के प्रति अनिष्ठा' का कार्य होना साबित होता हो और उस आधार पर ही उसे बर्खास्त किया जा सकता हो। वे भ्रष्टाचार के निर्बंधन को सिविल सेवकों तक ही सीमित नहीं करना चाहते थे। वे यह उपबंध किसी सेना अधिकारी द्वारा किए गए किसी कार्य तक भी बढ़ाना चाहते थे। अतः मैं स्वीकार करता हूं कि संक्षिप्त मुहावरे का उपयोग करना संभव नहीं है। किन्तु मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि खंड 7 के एक भाग में पर्याप्त संरक्षण है, जहां इस प्रश्न पर कि क्या भ्रष्ट आचरण या अनिष्ठा के लिए किसी व्यक्ति को वस्तुतः बर्खास्त कर दिया जाए, निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चय किए जाने हेतु छोड़ दिया गया हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि निर्वाचन आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि वह एक स्वतंत्र अधिकारी रहेगा—मैं सोचता हूं कि खंड 7 के पूर्व भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के किसी प्रकार के दुरुपयोग के विरुद्ध उप-खंड (3) में पर्याप्त संरक्षण है।

मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य द्वारा ऐसा कोई अन्य मुद्दा उठाया गया है जिस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो और जिस पर हमने उत्तर के अनुक्रम में विचार न किया हो।

श्री कॉमथ : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान डॉ. अम्बेडकर से थोड़ी चूक की ओर

आकृष्ट करता हूं जिसके द्वारा उन्होंने चौधरी को रोहिणी, एक स्त्री का नाम बुलाकर उन्हें स्त्री बना दिया। मैं आशा करता हूं कि शासकीय रिपोर्ट में नाम का ठीक उल्लेख किया जाएगा। रोहित कुमार एक पुरुष का नाम है।

माननीय अध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें।

श्री कॉमथ : श्रीमन्, यह गंभीर विषय है।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने क्या कहा?

श्री कॉमथ : आपने कहा, रोहिणी।

डॉ. अम्बेडकर : यह उनका नाम है, जिससे मैंने उन्हें पुकारा।

श्री कॉमथ : उनका नाम रोहिणी कुमार चौधरी है, न कि रोहिणी।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि उन्होंने मुझे गलत समझा।

श्री आर.के. चौधरी : नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : वे गलत समझने से इनकार करेंगे। मैं आश्वस्त हूं।

चौधरी रणवीर सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय विधि मंत्री ने ठीक अभी यह विचार व्यक्त किया है कि सहकारी सोसाइटी पब्लिक कंपनी अधिनियम के अधीन नहीं आ सकती हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आश्वत हूं कि सहकारी सोसाइटियां भिन्न अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि सहकारी सोसाइटियों के शेयरधारक जो किसी सरकार के अधीन संविदा करते हैं, निर्वाचनों में खड़े होने के लिए निरहित होंगे। या नहीं?

कई माननीय सदस्य : निरर्हित नहीं होंगे।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि किसने संशोधनों को पेश किया है यदि उनमें से कोई अपने संशोधनों को वापस लेना चाहता है या वे मुझसे उन्हें सदन के समक्ष रखवाना चाहते हैं?

श्री श्यामानन्दन सहाय : श्रीमन्, सहकारी सोसाइटियों के विषय पर थोड़े स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि सहकारी सोसाइटियों को अपवर्जित नहीं किया है। 'अपवर्जन' शब्द का क्या अर्थ है; हम नहीं समझते। क्या उनका निदेशक?

डॉ. अम्बेडकर : कोई निरर्हता नहीं है। कोई भी निरर्हता उन पर लागू नहीं होगी।

श्री श्यामानन्दन सहाय : मैं संशोधनों को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

संशोधन अनुमति से वापस लिए गए।

*खंड 9 (निर्वाचकगण की सदस्यता के लिए निरर्हता)

संशोधन किय गया :

खंड 9 में, "इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन संसद की सदस्यता की किसी निरर्हता के अधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"अनुच्छेद 102 के किन्हीं उपबंधों के अधीन संसद के कोई से भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित।"

–[डॉ. अम्बेडकर]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 9, विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 9, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 122 (प्रमुख भ्रष्ट आचरण)

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

(i) खंड 122 के उप-खंड (2) के परंतुक के भाग (क) (1) में "किसी प्रकार की क्षति" शब्दों के पूर्व "किसी जाति या समुदाय से सामाजिक बहिष्कार और निष्कासन या बहिष्करण सहित" शब्द अंत:स्थापित करें।

(ii) खंड 122 के उप-खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखें :

"(6) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान के लिए धारा 23 के अधीन उपबंधित या धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन नियत स्थान पर किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, अपने कुटुम्ब के सदस्य या अपने अभिकर्ता से भिन्न) को किसी मतदान केंद्र तक जाने या वहां से ले जाने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की मनानुकूलता से चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी यान या जलयान को किराये पर लेना या प्राप्त करना :

परंतु किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या वहां से उसे या उन्हें लाने-ले जाने के प्रयोजनों के लिए एक मतदाता या कई मतदाताओं द्वारा उनके संयुक्त खर्चे पर किसी यान या जलयान को किराये पर लिया जाना, इस खंड के अधीन

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9578-80

भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा, यदि किराये पर लिया गया यान या जलयान यांत्रिक ढंग से चालित नहीं है:

परंतु यह और कि किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए किसी मतदाता द्वारा अपने निजी खर्चे पर यान या कोई ट्रामकार या रेलवे वाहन या किसी सार्वजनिक परिवहन यान के उपयोग को इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस खंड में "यान" शब्द से उपयोग किया गया या सड़क परिवहन, चाहे यांत्रिक ढंग से चालित है या अन्यथा, के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने योग्य और चाहे अन्य यानों को खींचने या अन्यथा के लिए उपयोग किया जाता है, यान अभिप्रेत है।"

माननीय अध्यक्ष : संशोधन लाया गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं भी प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूं :

(iii) खंड 122 के भाग (8) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित रखें:

"**स्पष्टीकरण :** इस खंड के प्रयोजनों के लिए–

(क) भारत सरकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को ऐसे किसी व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसे भारत सरकार द्वारा ऐसा व्यक्ति घोषित किया गया है जिसे इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे;

(ख) किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति के अंतर्गत उस राज्य में नियोजित पटवारी, चौकीदार, दफेदार, लम्बरदार, जेलदार, शानबाघ, करनम, तलाती, तलारी, पाटिल, ग्राम मुंसिफ, ग्राम मुखिया या कोई अन्य ग्राम अधिकारी, चाहे जिस नाम से उसे पुकारा जाए और चाहे उसके द्वारा धारित पद पूर्ण कालिक पद है या नहीं, सम्मिलित होगा, किन्तु उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति (यथापूर्वोक्त किसी ऐसे ग्राम अधिकारी से भिन्न) सम्मिलित नहीं होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यक्ति घोषित किया गया है जिस पर इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे।"

माननीय अध्यक्ष : संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया।

ये सभी सहमत संशोधन हैं।

*__माननीय अध्यक्ष :__ संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया :

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, खंड 122 के भाग 8 के प्रस्तावित स्पष्टीकरण के भाग (ख) में "पाटिल, ग्राम मुखिया या कोई अन्य ग्राम अधिकारी" शब्दों को लोप करें।

श्री कॉमथ : समेकित सूची सं. 2 की पूरक सूची सं. 3 में मेरा संशोधन है। मैंने कई संशोधन उपलब्ध कराए हैं किन्तु मैं उनमें से केवल एक का ही प्रस्ताव लाऊंगा। समेकित सूची सं. 2 की पूरक सूची सं. 6 से भी मैं संशोधनों में से एक ही संशोधन ला रहा हूं। और समेकित सूची सं. 2 की पूरक सूची सं. 6 में मेरे कई संशोधन हैं, किन्तु, मैं केवल एक ही संशोधन ला रहा हूं। शेष संशोधन मैं नहीं ला रहा हूं। अर्थात् मैं समेकित सूची सं. 2 की पूरक सूची सं. 3 का संशोधन सं. 5, समेकित सूची सं. 2 की पूरक सूची सं. 4 का संशोधन सं. 3 और समेकित सूची सं. 2 की पूरक सूची सं. 6 का संशोधन सं. 2 का प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

मैं सर्वप्रथम पूरक सूची सं. 3 के संशोधन सं. 5 को लूंगा। मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

(i) खंड 122 के भाग (2) के परंतुक के भाग (क) (ii) में, "दैनिक असंतोष या आध्यात्मिक निन्दा का उद्देश्य" शब्दों के स्थान पर "दैनिक अभिशाप का शिकार व्यक्ति" शब्द रखें।

डॉ. अम्बेडकर : मैं दोनों के बीच का अंत नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री कॉमथ : श्रीमन्, अब मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि स्पष्टतया यह आंग्ल विधि और संभवतः भारतीय दंड संहिता से लिया गया है जिसने भी इसे मूलतः आंग्ल विधि से उधार लिया था। किन्तु आंग्ल विधि में प्रयोग किए गए शब्द "आध्यात्मिक असम्यक असर" हैं, और वहां यह स्पष्ट है क्योंकि ईसाई धर्म में "आध्यात्मिक निन्दा" या "आध्यात्मिक क्षति" का निश्चित अभिप्राय है। इस "आध्यात्मिक असम्यक असर" के संबंध में इंग्लैंड में यह अभिनिर्धारित किया गया—जहां कुछ रोमन कैथोलिक पादरियों से धर्म मंत्री के रूप में अपने धार्मिक कर्तव्यों से असंगत रीति से मतदाताओं पर अपने धार्मिक प्रभाव का प्रयोग किया—जिसे "असम्यक असर" अभिनिर्धारित किया गया। "पादरी नैतिक कर्तव्य की सही बातों पर परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, सिफारिश कर सकता है और इंगित कर सकता है। उम्मीदवार के बारे में राय दे सकता है, किन्तु वह लोगों को ऐसे अंधविश्वास जिन पर उसका विश्वास है, के संबंध में अपील नहीं कर सकता।" श्रीमन्, यह भारत है। मैं स्वयं भी बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं.........

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता, किन्तु मैं जो इस सदन में हो रहा है उसको अपनाने में बिल्कुल असमर्थ हूं। मैं इसका महत्व नहीं समझ पा रहा हूं।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9582-83

श्री कॉमथ : मेरा यह अनुमान है कि यह ज्यादा समय के कारण है। प्रधानमंत्री जी थक गए हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं बात को समझना पसंद करता हूं और मुझे बुद्धिहीन मत समझिए।

श्री कॉमथ : कोई भी व्यक्ति ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता।

***श्री सारंगधर दास :** अगला संशोधन जिसकी नोटिस मैंने दी है, वह परंतुक को हटाने के बारे में है। मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ:

खंड 122 के भाग (6) के परंतुक का लोप करें।

मैंने यह कहते हुए विधेयक के परंतुक को हटाने के लिए इस संशोधन की नोटिस दी थी :

"परंतु किसी मतदाता या कई मतदाताओं द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर मतदान केंद्र को जाने या वहां से लाने के प्रयोजन के लिए किसी यान या जलयान को किराये पर लेने को इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा।"

यह परंतुक खंड 122 के उप-खंड (6) के अधीन उचित है।

श्री संथानम : इस मुद्दे को डॉ. अम्बेडकर के नए संशोधन द्वारा पूरा सुलझा दिया गया है क्योंकि सभी यंत्र चालित वाहनों को इस परंतुक से अपवर्जित किया गया है। अत: इस मुद्दे के महत्वपूर्ण भाग को पहले ही पूरा कर लिया गया है।

श्री सारंगधर दास : मैं सहमत नहीं हूं। यदि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो विधि मंत्री के संशोधन की सभी बातें समाप्त की जानी चाहिएं। मोटर परिवहन को पूर्णत: वर्जित किया जाना चाहिए। प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक का यह मेरा संशोधन है। यह बहुत मौलिक संशोधन है।

श्रीमन्, मैं सदन को अपने संशोधन की सिफारिश करता हूं।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

****चौधरी रणवीर सिंह :** मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ।

खंड 122 के भाग (8) के स्पष्टीकरण में "चौकीदार, दफेदार, लम्बरदार, जेलदार" शब्दों का लोप करें।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9590-91

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9295-95

डॉ. अम्बेडकर : मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता।

श्री सतीशचन्द्र (उत्तर प्रदेश) : मैं पूर्व तीन वक्ताओं का समर्थन करता हूं। मैं स्वयं लम्बरदार रहा हूं। मेरे पास अपनी जमींदारी में दस गांव थे और उनमें से प्रत्येक के लिए तथाकथित रूप से मैं लम्बरदार हूं। भाग्यवश उनमें से अधिकांश में कोई सह:अंशधारी नहीं है। मैं पूरे ग्राम का स्वामी हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं सरकार को भू-राजस्व देता हूं इसलिए सरकारी राजस्व शब्दावली के अनुसार मुझे लम्बरदार कहा जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं एक सरकारी सेवक हूं या यह कि सरकार से जुड़ी किसी पदीय हैसियत में हूं। ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकारी खजाने में भू-राजस्व जमा करता है, उत्तर प्रदेश में लम्बरदार कहलाता है। मैं नहीं जानता कि दूसरे राज्यों में क्या व्यवस्था है। किन्तु उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति जो ग्राम में अकेले अपनी ओर से या अपने सह-अंशधारियों की ओर से सरकारी खजाने में भू-राजस्व जमा करता है, लम्बरदार कहलाता है। मैं नहीं जानता कि स्पष्टत: किस अर्थ में इस शब्द को यहां अंत:स्थापित किया गया है। किन्तु यदि यहां लम्बरदार का अर्थ जमींदार है, जो उत्तर प्रदेश या कहीं अन्यत्र भू-राजस्व के संदाय के लिए उत्तरदायी है, तो इसे लोप किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुन नहीं समझता कि मेरे मित्र पंडित कुंजरु क्यों इस पर इतना गुस्सा हो गए। वह प्रवर समिति के सदस्य थे। यह खंड प्रवर समिति द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह एक एकमत खंड था। समिति के सभी सदस्यों ने अपने भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व किया था। मैं बम्बई या मध्य प्रदेश के बारे में प्रमाण के साथ कह सकता हूं। मैं अन्य राज्यों के बारे में प्रमाण से नहीं कह सकता हूं। ये नाम और लोगों के प्रवर्ग प्रवर समिति द्वारा विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा जो जानते थे कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, सम्मिलित किए गए थे। किसी भी दशा में मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे जानते थे कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे। मैं अपने उत्तरदायित्व पर इसे शामिल नहीं करता और मैं यह नहीं जानता कि वे ऐसी छोटी बातें जिसके बारे में उन्होंने उद्‌गार व्यक्त किए, के संबंध में मुझ पर कैसे आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)। मैंने यह नहीं किया है। यह प्रवर समिति द्वारा किया गया है। पंजाब के सदस्य, उत्तर प्रदेश के सदस्य, वे सभी उपस्थित थे और उन लोगों ने कहा था कि लम्बरदार सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैंने अपनी ओर से कभी लम्बरदार सम्मिलित नहीं किया। किन्तु यदि सदन का यह मत है कि लम्बरदार किसी अर्थ में कर्मचारी नहीं है तो मैं इसका लोप करने के लिए तैयार हूं। किन्तु उन्हें उत्तरदायित्व लेना चाहिए। मैं उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। मैंने यह पता लगाने के लिए विभिन्न राज्यों की राजस्व विधियों की पड़ताल नहीं की कि क्या लम्बरदार कोई कर्मचारी है या नहीं। यदि यहां उपस्थित गणमान्य व्यक्ति अपने राज्यों के बारे में अधिकार से यह कह सकते हैं कि लम्बरदार कोई कर्मचारी नहीं है, तो मुझे इसे हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे माननीय बन्धुजनों ने कमोवेश स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम उपाधियों की इस लंबी सूची के प्रति समर्पित नहीं हैं जिसमें से आधे के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है। वे प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित थे और वे अंगीकृत किए गए। हम अब या सदस्यों के परामर्श से बहुत सावधानीपूर्वक इस सूची का तीसरे वाचन में परिशीलन करते समय उनमें से ऐसों को जो वहां नहीं होने चाहिए, निकालने के लिए पक्के तौर पर तैयार हैं।

श्री भट्ट : "पाटिल" की भी यही स्थिति है।

डॉ. अम्बेडकर : विभिन्न राज्यों से यह पता लगाना संभव होगा कि क्या उनमें से कोई सरकारी कर्मचारी है। किन्तु पाटिल के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि मैं उसे जानता हूं–और पटिल के बारे में मुझसे अधिक कोई नहीं जानता।

डॉ. देशमुख : आप मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानते।

डॉ. अम्बेडकर : मैं मध्य प्रदेश के बारे में भी जानता हूँ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हो गए–

माननीय अध्यक्ष : अब हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा को बढ़ा रहे हैं जिस पर विचार की आवश्यकता है किन्तु जिसे बिना समय गंवाए पारस्परिक सहमति और समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है। अतः, मैं विधि मंत्री जी को यदि सदन सहमत हो और वह सहमत हों, यह सुझाव देता हूं कि हम इस क्षण इसको नहीं सुलझा सकते कि क्या लम्बरदार को हटाया जाए या पाटिल को हटाया जाए या अन्य व्यक्तियों को हटाया जाए। कुल मिलाकर, जैसा कि सदन के माननीय नेता ने कहा कि ये विभिन्न उपाधियां हैं जिनके द्वारा इन लोगों को जाना जाता है। सदस्य अनौपचारिक रूप से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। कमोवेश यह वस्तुतः प्ररूप का विषय है और इसे दो या तीन दिनों के पश्चात् लिया जा सकता है, जब हम विधेयक का तीसरा वाचन करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : इसे तब तक आरक्षित किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : उस प्रयोजन के लिए इसे आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं हैं। वे इस खंड को पारित कर सकते हैं। ये केवल औपचारिक विषय है और सारवान विषय नहीं है। सारवान बात यह है कि लाभ का पद धारण करने वाला सरकारी कर्मचारी वहां नहीं होना चाहिए। मैं नहीं सोचता कि हमें इन बातों पर अपना समय खर्च करने की आवश्यकता है।

डॉ. अम्बेडकर : लम्बरदार के विरुद्ध मेरा क्या हित है? मैं लम्बरदार नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें।

डॉ. अम्बेडकर : यदि आप मुझे बम्बई के वतन अधिनियम के अधीन पुकारना चाहें, तो मैं एक निकृष्ट ग्राम अधिकारी हूं।

डॉ. देशमुख : व्यवस्था के प्रश्न पर क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब क्या होगा, क्योंकि आपने शीघ्रता से मेरे संशोधन को मत के लिए प्रस्तुत कर दिया और यह सदन द्वारा नामंजूर कर दिया गया। यह बेहतर होता कि सदन और प्रत्येक व्यक्ति को उचित बात का पता चलता। मैं अपने माननीय मित्र के भाषण के प्रति कृतज्ञ हूं।....

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कहकर अपना ही पक्ष बिगाड़ रहे हैं कि सदन में बेहतर अर्थ निकाला गया है। यह कार्य-व्यापार का किसी समझौते द्वारा या शांतिपूर्ण समाधान द्वारा हल निकालने का तरीका नहीं है।

*खंड 123 (छोटे भ्रष्ट आचरण)

संशोधन किया गया :

खंड 123 के उप-खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें :

"(5) उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिह्न जैसे धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीक के उपयोग या उनके प्रति अपील करने या जाति, मूलवंश, समुदाय या धर्म के आधार पर मत देने या मत देने से विरत रहने की क्रमबद्ध अपील करना।"

माननीय अध्यक्ष : मैं सोचता हूं, कोई अन्य संशोधन नहीं है।

श्री कॉमथ : समेकित सूची सं. 2 पूरक सूची सं. 4 में मेरे दो संशोधन सं. 5 और 6 हैं। मैं केवल सं. 5 को ला रहा हूं।

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

मैं चाहता हूं कि प्रारूपकार यह देखने के लिए इस पर कुछ ध्यान देंगे कि क्या इसे परिवर्तित किया जा सकता है जिससे किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के अलावा किसी व्यक्ति को इसकी परिधि के भीतर लाया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस विषय पर विचार करूंगा।

श्री कॉमथ : यदि प्रारूपकार इस पर विचार करेंगे तो मैं इस पर बल नहीं दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : वह इस पर विचार करेगा।

---

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9598

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

खंड 123–यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

**खंड 124 (अवैध आचरण)

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूं :

खंड 124 के उप-खंड (1) में निम्नलिखित जोड़ें:

"**स्पष्टीकरण**–ऐसी संस्था या संगठन द्वारा समर्थित किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना के अनुसरण के लिए किसी संस्था या संगठन द्वारा यथाउपरोक्त उपगत या प्राधिकृत ऐसे किसी व्यय को खंड के अर्थान्तर्गत उपगत या प्राधिकृत व्यय समझा जाएगा।"

माननीय अध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया।

श्री कॉमथ : मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 124 के भाग (2) में "किसी भवन का" शब्द का लोप करें।

मैंने प्रवर समिति के समक्ष यह मुद्दा उठाया था किन्तु इस पर विस्तार से विचार नहीं किया गया और इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। मैं अपनी कठिनाई को स्पष्ट और संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा। मैं मध्य प्रदेश के कुछ भवनों के बारे में जानता हूं, जहां निचले तल को शराब या मद्यपान की दुकान में संपरिवर्तित कर दिया गया है और ऊपरी तल को भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए कतिपय लोगों या छात्रों या अन्य लोगों को पट्टे पर दिया गया है। क्या ऐसे भवन के सबसे ऊपरी तल पर बैठक हो सकती है?

डॉ. अम्बेडकर : इसमें कतई कोई भय नहीं है।

श्री कॉमथ : किंतु इसमें संदेह है और मैं माननीय मंत्री से "किसी भवन का" शब्दों का लोप करने और ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिए जिसे सुलझाना कठिन हो सकता है, कहूंगा। इन शब्दों पर फिर से विचार किया जाए जिससे इस विषय को संदेह से परे किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : संशोध प्रस्तावित किया गया।

खंड 124 के भाग (2) में "किसी भवन का" शब्द का लोप करें।

पंडित कुंजरु कुछ कहना चाहते हैं?

**सं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9599-9606

पंडित कुंजरु : मैं यह निवेदन कर रहा था कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन बहुत गंभीर प्रकृति का है और हमें निपक्षतः इस पर पूरी तरह से विचार करने और इसके बारे में संशोधन प्रस्तावित करने का समय दिया जाना चाहिए। संशोधन को पढ़ने मात्र से यह दर्शित होता है कि इसका विधेयक के कई उपबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के बीच संतुलन को गंभीर रूप से परिवर्तित करेगा। अतः, मेरा सुझाव है कि हमें इस संशोधन पर विचार करने का समय दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, केवल यह खंड है जो पारित नहीं किया गया है और इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। मैं सोचता हूं कि क्या हमें इस संशोधन पर विचार करने और संशोधन प्रस्तावित करने के लिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

डॉ. अम्बेडकर : स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। यहां ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई संदेह पैदा करने की आवश्यकता हो। वस्तुतः, कुछ लोगों को संदेह था कि किस प्रकार के व्यय को निर्वाचन-व्यय में सम्मिलित किया जा सकता है और यह इस तरह का उपबंध है कि मैं उनके संदेहों को दूर करने के लिए सोचने हेतु समर्थ हुआ। यदि मेरे मित्र कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं, तो मैं सुनना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री कॉमथ के संशोधन के बारे में क्या कहना है?

डॉ. अम्बेडकर : "किसी भवन का" शब्दों के बारे में किसी संदेह की आवश्यकता नहीं है। शब्दों का लोप किए जाने की भी आवश्यकता नहीं है। विषय के बारे में कतई कोई संदेह नहीं है।

श्री कॉमथ : इस मुद्दे पर पूरी चर्चा नहीं हुई थी, और इसे अंतिम क्षण में ही जोड़ा गया था।

श्री आर.के. चौधरी : श्रीमन्, खंड 124 के उप-खंड (3) को निकालने के लिए मैं अपना संशोधन सं. 153 लाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : वह इसे ला सकते हैं।

श्री संथानम : इसे पृथक्-पृथक् रखा जाए। इसे पेश करने और भाषण देने के बजाय भाग 3 को पृथकतः रखा जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा संशोधन लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : मतदान के समय मैं इस पर विचार कर लूँगा।

श्री आर.के. चौधरी : मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ :

"खंड 124 के भाग 3 का लोप करें।"

ऐसा करने का मेरा उद्देश्य यह है कि निर्वाचन के प्रतिनिर्देश वाले ऐसे किसी परिपत्र, इश्तहार या पोस्टर को जिस पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता नहीं हो, जारी किया जाना अवैध आचरण है।

माननीय अध्यक्ष : यदि मैं भूला नहीं हूं, तो ऐसे उपबंध आज भी निर्वाचन के संबंध में नहीं हैं।

डॉ. अम्बेडकर : हां, इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री आर.के. चौधरी : इसका बहुत गंभीर परिणाम होता है। यदि यह किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता तो यह अवैध आचरण नहीं होना चाहिए। यहां पर्याप्त दंड दिलवाया गया है, किन्तु क्यों निर्दोष उम्मीदवार को दंडित किया जाए, यदि कुछ व्यक्ति जानकारी के बिना निर्वाचन के समय "इनको और इनको मतदान दो" कहकर परिपत्र प्रकाशित करते हैं। तो इससे निर्वाचन अवैध हो जाएगा और उसे निरर्हता से दंडित किया जाएगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं सोचता कि हम इस खंड को हटाने की स्थिति में हैं। किन्तु वहीं मेरे मित्र श्री आर.के. चौधरी द्वारा उठाए गए इस तर्क में काफी बल है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो यह तब तक उम्मीदवार को प्रभावित नहीं करेगा जब तक उम्मीदवार को इसकी जानकारी न हो या वह इसकी मौनानुकूलता न देता हो। धारा 124 के अधीन इसे अवैध बनाना बेहतर होगा।

अब धारा 99 के संबंध में इसका भी उम्मीदवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उस बैठक में यह आम राय थी जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था। अतः, मैं यह अनुरोध करता हूं कि धारा 99 पर बाद में विचार किया जाए।

डॉ. अम्बेडकर : उस पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : इसका यह अभिप्राय है कि इस खंड को वैसा ही रखा जाए जैसा यह है।

पंडित कुंजरू : मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित किए गए संशोधन का जोरदार विरोध करता हूं। आप संशोधन से यह पाएंगे कि जो यह प्रस्ताव करता है वह यह नहीं है कि कोई दल अपने उम्मीदवारों के पक्ष में सामान्य प्रचार करेगा। किन्तु कोई दल वह करने के लिए स्वतंत्र होगा जो वह विशिष्ट उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए, प्रत्येक जगह मान्यताप्राप्त है किन्तु यह विशिष्ट उम्मीदवारों का समर्थन करने वाला होना चाहिए और उसके द्वारा उपगत व्यय साधारण निर्वाचन प्रचार में न करे किसी विशिष्ट उम्मीदवार के समर्थन में किया गया उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों की विवरणी में

नहीं दर्शाया जाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंग्लैंड में भी अपने प्रचार के संबंध में व्यय करने के विभिन्न दलों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। किंतु डॉ. अम्बेडकर के भाषण के अनुसार किसी विशिष्ट उम्मीदवार के समर्थन में उपगत व्यय उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों की विवरणी में दर्शाया जाना चाहिए। क्या ऐसा कोई कारण है कि हमें यहां क्यों पृथक् आचरण का पालन करना चाहिए? क्या यह सुस्पष्ट है कि इससे भ्रष्टाचार पैदा होगा और यह प्रमुखतः इस विधेयक के कई उपबंधों को प्रभावित करता है। श्रीमन्, इसलिए मैं कहता हूं कि इस खंड पर बहस को स्थगित कर दिया जाए जिससे कि हमें इस पर विचार करने और ऐसे संशोधनों को अग्रेषित का और समय मिल जाए। हम यह सोचते हैं कि अति अवांछनीय स्थिति को पैदा किए बिना, इससे इच्छित परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री जी कोई बात कहना चाहते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : जो मैंने कहा उसमें मुझे कुछ नहीं जोड़ना है।

माननीय अध्यक्ष : तब मैं संशोधनों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं: सर्वप्रथम मैं श्री कॉमथ का संशोधन प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न है :

कि खंड 124 के भाग (2) में "किसी भवन का" शब्द का लोप करें।

प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : तब पैरा 3 हटाने के लिए श्री आर.के. चौधरी का संशोधन है।

श्री आर.के. चौधरी : मैं सोचता हूं कि यह स्वीकार कर लिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, नहीं। मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री आर.के. चौधरी : तब मैं सदन से इसे वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : मैंने इसे सदन के समक्ष नहीं रखा है। इसलिए यह अप्रस्तुत हो जाता है। अब मुझे डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को मतदान के लिए प्रस्तुत करना है। प्रश्न है : (जैसा पृष्ठ 618-19 पर दर्शाया गया है)

खंड 124 के उप-खंड (1) में निम्नलिखित जोड़ें :

"**स्पष्टीकरण :** ऐसी संस्था या संगठन द्वारा समर्थित किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना के प्रोत्साहन के लिए किसी संस्था या संगठन द्वारा यथापूर्वोक्त उपगत या प्राधिकृत किसी ऐसे व्यय को इस खंड के अर्थान्तर्गत उपगत या प्राधिकृत समझा जाएगा।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 124 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 124, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 132, 130 और 150

माननीय अध्यक्ष : अब खंड 132, 139 और 150 हैं। इन खंडों में कोई संशोधन नहीं हैं इसलिए मैं इन्हें एक साथ रखूंगा।

प्रश्न है :

"कि खंड 132, 139 और 150 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 132, 139 और 150 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 167 (नियम बनाने की शक्ति)

माननीय अध्यक्ष : अब खंड 167 पर डॉ. अम्बेडकर का संशोधन है।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने पहले ही इसे प्रस्तुत कर दिया है। इसके बारे में कोई आलोचना नहीं थी, अतः मुझे उसके बारे में संक्षेप में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। इस खंड के बारे में दो या तीन प्रश्न उठाए गए थे। एक ऐसे किसी अधिकारी के बारे में था जिसका स्थानांतरण उस निर्वाचन-क्षेत्र से हो गया है जिसमें उसका नाम किसी अन्य स्थान पर रजिस्टर में था। प्रश्न था: उसके मतदान के लिए क्या उपबंध किया जाने वाला है? दूसरा प्रश्न ऐसे उम्मीदवार के संबंध में था जो निर्वाचन के प्रयोजन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य को जाता है। वहां भी, वही प्रश्न उठाया गया था। अंततः, ऐसे उम्मीदवार के संबंध में प्रश्न किया गया था जो पक्ष प्रचार के प्रयोजन के लिए अपने निजी निर्वाचन-क्षेत्र में घूम रहा है और जो उपस्थित नहीं है या जिसके अपने उस मतदान बूथ पर उपस्थित होने की संभावना नहीं है जहां उसे मत देने का हक है।

इस पर मैंने प्रारूपकार से पूछा है। प्रारूपकार का यह सोचना है कि मेरे संशोधन में इस विशिष्ट खंड में उपबंध करना अनावश्यक है, क्योंकि इन सभी मामलों हेतु नियम बनाने के लिए खंड 167 में अंतर्विष्ट साधारण उपबंध में काफी गुंजाइश है। अतः नियमों द्वारा इन मामलों से निपटने के लिए नियमों के अधीन निर्वाचन आयुक्त के लिए ऐसा करना संभव है और यहां कोई संशोधन करना अनावश्यक है।

श्री इथिराजुलु नायडु : मैं खंड 59 का उल्लेख करना चाहता हूं जो इस विशिष्ट मामले में बारे में है। क्या विधि मंत्री खंड 59 में संशोधन करने की उपादेयता पर विचार करेंगे? वह खंड "व्यक्तियों के कतिपय वर्गों द्वारा मत देने की विशेष प्रक्रिया" को निर्दिष्ट करता है।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, वह देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए एक बिल्कुल पृथक खंड है।

श्री कॉमथ : संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियमों के संबंध में मेरे द्वारा लाए गए संशोधन का उत्तर अभी दिया जाना बाकी है।

डॉ. अम्बेडकर : उसके संबंध में स्थिति यह है। जैसा कि सदन का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम नवम्बर-दिसंबर में निर्वाचन कराने के लिए अपने स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। अब, यदि मेरे माननीय मित्र श्री कॉमथ द्वारा सुनाई गई इस प्रक्रिया को अंगीकार किया जाता है कि नियम संसद के सदन के पटल पर रखे जाएँगे और उनमें प्रवर्तनशील बल नहीं होगा, वह अंगीकृत है, संसद उसे अनुमोदित न करे वह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उस प्रयोजन को प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकेंगे जो हमारी दृष्टि में है अर्थात् यह कि निर्वाचन, नवम्बर-दिसम्बर में हो जाना चाहिए। अकेले इस आधार पर उस संशोधन को स्वीकार करना मुझे कठिन लगता है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। किन्तु वे इस आश्वासन से संतुष्ट हों कि सरकार संसद के समक्ष नियम रखेगी तो मैं वह वचनबंध करने के लिए तैयार हूं।

श्री कॉमथ : संसद के समक्ष उनके रखे जाने के पश्चात् क्या संसद उनमें परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगी?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसका भी सुस्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता। मैं कुछ कठिनाई महसूस करता हूं। कठिनाई यह है उदाहरणार्थ, मान लीजिए सरकार किसी नियम जो विरचित किए गए हैं, के अधीन कार्रवाई कर सकती है और बाद में संसद इसे परिवर्तित कर देती है। तब, यथाविरचित नियमों के अधीन पहले की जा चुकी कार्रवाई का क्या होगा? अतः, जैसा श्री कॉमथ का प्रस्ताव है, किसी ऐसी शर्त द्वारा सरकार के हाथों को बांधना बहुत कठिन होगा।

श्री जे.आर. कपूर : क्या मैं खंड 167 का संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

खंड 187 के उप-खंड (2) के भाग (छ) के पश्चात् नया खंड (छछ) अंतःस्थापित करें।

माननीय अध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें। संशोधन की संख्या क्या है।

श्री जे.आर. कपूर : मैंने इसकी नोटिस कुछ समय पहले दी थी।

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी अतिरिक्त नोटिस का त्याग नहीं कर रहा हूं।

श्री जे.आर. कपूर : मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है माननीय मंत्री जी इसे संभवत: स्वीकार कर लें।

डॉ. अम्बेडकर : यदि यह संविदा से संबंधित है तो इसे पहले ही संविदा अधिनियम में परिभाषित किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष : क्या सरकार संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं अब कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कॉमथ : यदि मेरे संशोधन को अस्वीकार किया गया है तो इसका यह अर्थ है कि सरकार नियमों को सदन के समक्ष नहीं रखेगी?

डॉ. अम्बेडकर : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार हमेशा सदन के समक्ष इसे रखने के लिए तैयार रहेगी।

श्री कॉमथ : यदि यह आश्वासन दिया जाता है तो मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं डालूंगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री कॉमथ सदन की इजाजत से अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं।

इजाजत से संशोधन वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. अम्बेडकर का संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न है :

कि खंड 167 के उप-खंड (2) के भाग (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें :

"(गग) ऐसी रीति जिसमें पीठासन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मत दिए गए हैं, जो किसी निर्वाचन-क्षेत्र का मतदाता होने के कारण ऐसे मतदान केंद्र पर अपनी ड्यूटी पर प्राधिकृत है या नियुक्त है जहां वह मत देने के लिए हकदार नहीं है;

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न है :

"यथासंशोधित खंड 167, विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 167 विधेयक में जोड़ा गया।

नया खंड 34क

***पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं प्रस्ताव पेश की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 34. के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित करें :

"34क (1) उम्मीदवार के नामांकन-पत्र को स्वीकार करने या नामंजूर करने के आदेश द्वारा व्यथित कोई उम्मीदवार उस जिले के जिला न्यायाधीश को आदेश पारित करने के चार दिनों के भीतर अपील करने का हकदार होगा जिसकी अधिकारिता में नामांकन-पत्र की संवीक्षा की गई है। आदेश की प्रति के साथ अपील की अर्जी लगी होगी यदि वह प्राप्त की गई हो या वह अपील की सुनवाई किए जाने के पूर्व फाइल की जा सकेगी।

(2) जिला न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अपीलों की सुनवाई के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और नामांकन-पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपना अंतिम आदेश पारित करेगा।

(3) जिला न्यायाधीश तत्काल ऐसे रिटर्निंग अधिकारी को अपने आदेश की प्रति भेजेगा, जो तुरंत धारा 36 के अधीन यथाविहित रीति से इसे प्रकाशित करेगा।

(4) जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी निर्वाचन अर्जी या अन्यथा द्वारा बाद में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।"

मूल विधेयक में यह स्वयं डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव था कि जहां तक नामांकन का संबंध है इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इस आधार पर कोई निर्वाचन अर्जी मंजूर नहीं की जानी चाहिए कि नामांकन के समय स्वीकृति या नामंजूरी का कोई उचित आदेश पारित नहीं किया गया था। यह सदन की साधारण धारणा के भी अनुरूप है। संभवतः सभी सदस्य अपवाद के बिना यह चाहते हैं कि मतदान होने के पश्चात् और किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचित घोषित हो जाने के पश्चात् ऐसा कोई प्रश्न न उठे कि नामांकन को पुनः प्रश्नगत किया जा रहा है। इतना अधिक व्यय उपगत हो जाने और सभी बातें हो जाने के पूर्व हमें यह सुनिश्यित कर लेना चाहिए कि नामांकन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अतः मैंने खंड 34क के अधीन नियमों से सेट बनाए हैं जिसके

*सं. वा., खंड 12, भाग II, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9607-10

द्वारा नामांकन को अंतिम रूप दिया जाए और किसी नामांकन की उचित स्वीकृति या नामंजूरी के संबंध में कोई निर्वाचन अर्जी फाइल न की जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे बहुत दु:ख है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। जैसा कि मेरे मित्र पंडित भार्गव ने कहा कि सर्वप्रथम मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने निर्वाचन को दो भागों में विभाजित विचार को गति प्रदान की थी उनमें एक नामांकन और दूसरा वास्तविक मतदान से संबंधित था। तथापि, प्रवर समिति ने इस मामले पर विचार किए बिना यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे उम्मीदवार के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है जिसके नामांकन की चुनौती इस आधार पर की गई है कि वह अपने पक्ष में विनिश्चय पाने के लिए कथित समय के भीतर साक्ष्य पेश न करने के कारण निरर्हित रहा है। मैं समझता हूं कि सदस्यों को याद होगा कि उस बैठक में ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त उपस्थित थे। उन्हें इस विषय पर चर्चा के लिए विशेष रूप से बुलाय गया था और उन्होंने स्वयं निर्वाचन आरंभ होने के पूर्व नामांकन को अंतिम रूप दिए जाने के इस विचार का विरोध किया था। इसके पश्चात् मैंने उनसे भी परामर्श लिया और उनकी भी यह पूर्ण राय थी कि निर्वाचन में काफी देर हो जाएगी यदि इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब हम सभी सहमत हैं कि निर्वाचन नवम्बर–दिसम्बर में होने चाहिएं, चाहे जो भी हो और क्योंकि इस कार्यक्रम को पूरा करने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है इसलिए इस विचार को प्रभावी बनाना मेरे लिए कठिन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उस धारा को स्वीकार कर लिया है। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता किन्तु मैं सदन को एक बात बताना चाहूंगा कि यह विधि जो हम बना रहे हैं, हमेशा के लिए विधि नहीं हैं। यदि हम वर्तमान निर्वाचन के लिए इस विशिष्ट संशोधन को अंगीकार करने में समर्थ नहीं है, तो बाद के प्रक्रम पर इस अधिनियम में इसे सम्मिलित करने से रोकने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि अगले निर्वाचन में नई प्रक्रिया अपनाई जा सके। इस विधि को संशोधित, परिवर्धित ओर परिवर्तित किया जा सकता है। एक क्षण के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम सभी नवम्बर–दिसम्बर में निर्वाचन कराने के लिए कृतसंकल्प हैं, ऐसा कोई उपाय जिसका विलम्बकारी प्रभाव हो, सम्मिलित करना बिल्कुल असंभव लगता है।

माननीय अध्यक्ष : तो क्या मैं संशोधन सदन के समक्ष रखूं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा संशोधन सदन के समक्ष रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया।

प्रस्ताव को अंगीकार किया गया।

खंड 1 (संक्षिप्त नाम)

प्रो. के.टी. शाह : मैं प्रस्ताव पेश की अनुमति चाहता हूँ :

खंड 1 को उस खंड के उपखंड (1) के रूप में पुनसंख्यांकित करें और निम्नलिखित उप-खंड को उप-खंड (2) के रूप में जोड़ें :

"(2) इस अधिनियम को संविधान द्वारा यथाविहित भारत की मुख्य भाषाओं में अनूदित किया जाएगा, और विधि बन जाने के छह सप्ताह के भीतर, संघ के प्रत्येक राज्य में उसकी क्षेत्रीय भाषा या भाषाओं में एवं संघ की राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जाएगा :

परंतु इस अधिनियम में यथा परिभाषित या प्रयुक्त सभी तकनीकी शब्द हर स्थिति में, कोष्ठक में अंग्रेजी सामनकों सहित हिंदी में होंगे तथा यह कि वे प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में कोष्ठक में उनेक समानकों सहित जहां कहीं उपलब्ध हों, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में वही होंगे।

डॉ. अम्बेडकर : मेरी इस संशोधन के प्रति गहरी सहानुभूति है और मुझे संदेह नहीं है कि विभिन्न राज्य सरकारें इस संशोधन के सुझाव पर विचार करेंगी। किंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे स्वयं कानून में इसे रखने में सहमत हो सकता हूं। अत: हमें इसका विरोध करना ही है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"खंड 1 विधेयक का भाग बन गया।"

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया। नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़े गए।

माननीय अध्यक्ष : अब सदन को स्थगित करना होगा। तब सदन 29 मई, 1951, मंगलवार को 9.30 बजे तक स्थगित किया गया।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
DR. AMBEDKAR FOUNDATION

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

☎ 23320571
23320589
23320576
FAX : 23320582

निदेशक
DIRECTOR

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण–हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण–पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रू 2,250/–
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रू 1073/–

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रू 3,000/–(अंग्रेजी के लिए) और रू 1,430/–(हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रू 1000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रू 1001–10,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रू 10,001–50,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रू 50,001–2,00,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रू 2,00,000/– से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (भाग-II)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

रियायत नीति के अनुसार
सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40
के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
15, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in
ईमेल : cwbadaf17@gmail.com